लोक सभा वाद-विवाद

पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष बैठकें

26 से 30 अगस्त और 1 सितम्बर, 1997

4 से 8 और 10 भाद्र, 1919 (शक)

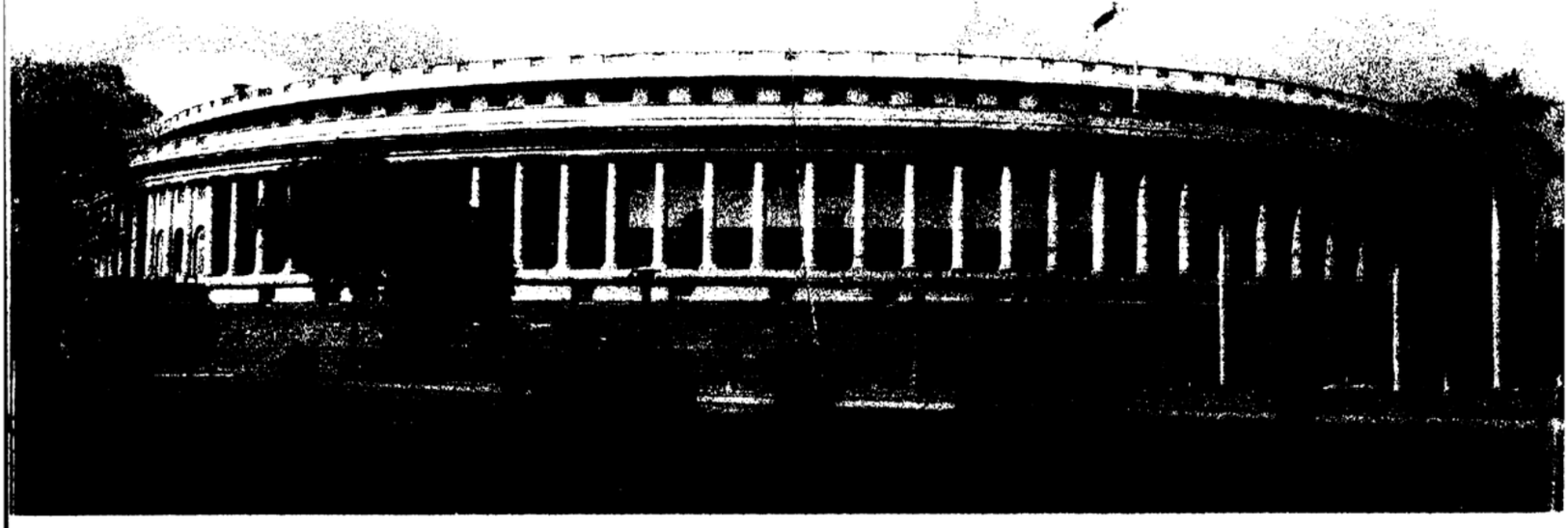

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ
के अवसर पर विशेष बैठकें

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(खंड 17 में अंक 18 से 23 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पाण्डेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम. आर. खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री विद्या सागर शर्मा
वरिष्ठ सम्पादक

श्री हरनाम दास टक्कर
सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्री जगदीश चन्द चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

मूल्य : 1500 रु./-

© 1999 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।

आमुख

देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लोक सभा के छह दिन के एक विशेष सत्र में भाग लिया और विगत पांच दशकों के दौरान पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने का प्रयास किया। ये क्षेत्र थे, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का कार्यकरण, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां और संभावनाएं तथा मानव विकास की स्थिति।

सभा के इतिहास में पहली बार स्वयं माननीय अध्यक्ष ने चर्चा की शुरूआत की। उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 360 के अन्तर्गत सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने का आह्वान किया। उनका विचार था कि इस बार यह लड़ाई ''हमारी समृद्धि और गरीबी के बीच, संसाधन व्यवस्था के प्राचुर्य और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन के अभाव के बीच, शांति और सहनशीलता की हमारी संस्कृति और वर्तमान की हिंसा, असहनशीलता और भेदभाव की ओर बढ़ते हुए झुकाव के बीच हमारे आन्तरिक विरोधाभासों से मुक्ति के लिए होनी चाहिए।'' उन्होंने सदस्यों को आमंत्रित किया कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा करें। स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक की उपलब्धियों का जायजा लें, कमियों का आत्मलोचन करें और देश के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें।

सभा ने, लोक सभा में सभी दलों और ग्रुपों के नेताओं की ओर से, विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार किया। यह प्रस्ताव लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 342 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था।

लोक सभा सचिवालय ने इस अवसर पर चर्चा को सुगम बनाने हेतु ''भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष'' नामक एक वृहत सन्दर्भ दस्तावेज प्रकाशित किया।

सभा की इन विशेष बैठकों से कई कीर्तिमान स्थापित हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि सभा का विशेष सत्र केवल एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। सभा ने इस प्रस्ताव पर 64 घन्टे और 29 मिनट चर्चा की जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है। इस चर्चा में माननीय अध्यक्ष, प्रधान मंत्री और 9 मंत्रियों सहित सभा के 209 सदस्य बोले। चूंकि समयाभाव के कारण बोलने के इच्छुक सभी सदस्यों को मौका दिया जाना संभव नहीं था, इसलिए 5 मंत्रियों सहित 103 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे। इस चर्चा में कुल 312 सदस्यों ने भाग लिया जो सभा की कुल सदस्य संख्या (545) का 57.25 प्रतिशत था। सभापति तालिका के सदस्य श्री पी.सी. चाक्को ने 31 अगस्त, 1997 को 00.30 बजे से लेकर प्रात: 08.24 बजे तक लगातार 7 घन्टे 54 मिनट सभा में पीठासीन होकर नया इतिहास रचा।

चर्चाओं के दौरान सौहार्दपूर्ण तथा व्यवस्थित वातावरण बना रहा जो अपने आप में एक मिसाल है।

सभा ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जिसमें ''भारत के लिए कार्यसूची'' की रूपरेखा दी गई है।

लोक सभा सचिवालय ने इन बैठकों की कार्यवाहियों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में अलग-अलग विशेष खण्ड के रूप में प्रकाशित किया है।

मुझे आशा है कि इसके हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सांसदों, इतिहासकारों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए सन्दर्भ-ग्रन्थ सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली;
अक्तूबर, 1997
आश्विन, 1919 (शक)

एस. गोपालन,
महासचिव

विषय सूची

[एकादश माला, खंड 17, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 18, मंगलवार, 26 अगस्त, 1997/4 भाद्र, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा के कार्य के बारे में घोषणा	2
अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन	3
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	16–25
श्री माधवराव सिंधिया	25–35
श्री शरद यादव	36–47
श्री सोमनाथ चटर्जी	47–55
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे	55–60
श्री चतुरानन मिश्र	60–69
श्री जगमोहन	69–76
श्री पी.आर. दासमुंशी	76–85
श्री चित्त बसु	85–90
श्री पी. कोदंड रमैया	90–95
श्री जार्ज फर्नान्डीज	95–107
श्री मेजर सिंह उबोक	107–113
श्री अनंत कुमार	113–117
डा. गिरिजा व्यास	117–122

अंक 19, बुधवार, 27 अगस्त, 1997/5 भाद्र, 1919 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख	123
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*	
डा. गिरिजा व्यास	123–126
श्री चन्द्रशेखर	126–137
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	137–142
श्री सुन्दर लाल पटवा	142–149
श्री शरद पवार	150–158
श्रीमती गीता मुखर्जी	158–162
कर्नल राव राम सिंह	162–167
श्री कांशी राम	168–176
कुमारी ममता बनर्जी	177–185
श्री एन.वी.एन. सोमू	186–189
श्री जी.जी. स्वैल	190–194
डा. एम. जगन्नाथ	194–197
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	197–204
श्री नीतीश कुमार	205–212

विषय	कालम
श्री संतोष कुमार गंगवार	213–218
श्री एन.एस.वी. चित्यन	219–225
श्री सैयद मसूदल हुसैन	225–228
श्री अनंत गंगाराम गीते	229–232
श्री नवल किशोर शर्मा	232–240
श्री राम कृपाल यादव	240–245
डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा	245–250
श्री लाल बिहारी तिवारी	250–253
श्री मनोरंजन भक्त	253–260

अंक 20, गुरुवार, 28 अगस्त, 1997/6 भाद्र, 1919 (शक)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा	261
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव – *जारी*	
श्री पी.वी. नरसिंह राव	262–275
श्रीमती सुषमा स्वराज	276–286
श्री मुलायम सिंह यादव	287–305
श्री सुरेन्द्र सिंह	306–311
श्री शिवराज वी. पाटिल	312–330
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	331–348
श्री सत्यदेव सिंह	349–361
श्री कमरूल इस्लाम	361–367
श्री ई. अहमद	367–373
श्री शिबु सोरेन	374–377
डा. अरविन्द शर्मा	377–380
कुमारी उमा भारती	380–389
श्रीमती संध्या बौरी	390–393
श्रीमती मीरा कुमार	394–399
श्रीमती वसुन्धरा राजे	400–403
श्री पीताम्बर पासवान	404–407
श्री एल. बालारमन	407–412
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	412–415
श्रीमती रजनी पाटिल	415–419
श्री इलियास आजमी	419–425
श्री नवीन पटनायक	426–429
श्री सतपाल महाराज	429–431
श्री चमन लाल गुप्त	432–435
श्री सुरेश प्रभु	435–442
श्री सनत मेहता	442–448
श्री नील एलायसियस ओ'ब्रायन	448–450
श्री मानवेन्द्र शाह	450–454
डा. देवी प्रसाद पाल	454–459
श्री बादल चौधरी	460–464
श्री के.एस. रायुडू	464–470

विषय	कालम
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	470–474
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण	475–479
श्री बृज भूषण तिवारी	479–482
डा. राम विलास वेदान्ती	482–485
श्री आर. ज्ञानगुरुस्वामी	485–488
प्रो. पी.जे. कुरियन	488–493
डा. जयन्त रंगपी	493–497
श्री आई.डी. स्वामी	498–502
श्री नारायण आठवले	503–505
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	506–508
श्री एस.के. कारवेंधन	508–510
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	511–514
श्री दिलीप सिंह भूरिया	514–516
प्रो. ओम पाल सिंह ''निडर''	517–522
श्री शिवानन्द एच. कौजलगी	523–524
श्री हंसराज अहीर	525–526
प्रो. आर.आर. प्रामानिक	527–531
श्री रमेश चेन्नित्तला	531–535
श्री पुण्डलिकराव रामजी गवाली	536–537
श्री लालमुनी चौबे	537–542
श्री सुकदेव पासवान	543–545
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	546–551
श्री डी.पी. यादव	552–554
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	555–558
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	559–561
श्री मंगत राम शर्मा	561–564

अंक 21, शुक्रवार, 29 अगस्त, 1997/7 भाद्र, 1919 (शक)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा	565
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*	
श्री राम विलास पासवान	567–577
डा. मुरली मनोहर जोशी	578–597
श्रीमती शारदा टाडीपारथी	597–600
श्री एस. बंगारप्पा	601–607
श्री तरित वरण तोपदार	607–613
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	613–619
प्रो. रीता वर्मा	619–630
श्री पी. उपेन्द्र	631–639
श्री मोहम्मद मकबूल डार	640–645
श्री वी.वी. राघवन	646–650
श्री भक्त चरण दास	651–654
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता	655–658
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	659–664
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	664–669
डा. के.पी. रामलिंगम	670–671

विषय	कालम
श्री समीक लाहिड़ी	672–675
श्री सत महाजन	675–679
श्री आनन्द मोहन	679–682
श्री ओ.पी. जिन्दल	683–685
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल	685–688
श्री मोहन सिंह	689–691
श्री ए.सी. जोस	691–695
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	695–698
श्री चन्द्रभूषण सिंह	699–701
श्री अनादि चरण साहू	702–706
श्री सी. नारायण स्वामी	706–710
श्री के.डी. सुल्तानपुरी	711–714
श्री पी.एस. गढ़वी	715–720
कुमारी सुशीला तिरिया	720–723
श्री सत्य पाल जैन	724–725
श्री के.एच. मुनियप्पा	725–728

अंक 22, शनिवार, 30 अगस्त, 1997/8 भाद्र, 1919 (शक)

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*

श्री देवेन्द्र बहादुर राय	729–737
श्री अब्दुल रहमान अन्तुले	737–751
श्री मधुकर सरपोतदार	751–762
श्री रूपचन्द पाल	762–769
श्री जोआचिम बक्सला	769–771
श्री सोहन वीर सिंह	772–781
श्री राजेश पायलट	781–790
श्री राजाभाऊ ठाकरे	791–797
डा. अरुण कुमार शर्मा	798–805
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	805–810
श्री पी.सी. चाक्को	811–816
श्री राम टहल चौधरी	816–820
श्री ए. सम्पत	820–827
श्री पी.सी. थामस	828–835
श्री उत्तम सिंह पवार	838–838
श्री इन्द्रजीत गुप्त	838–842
श्री नकली सिंह	842–846
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	847–852
श्री नवल किशोर राय	852–855
श्रीमती हैडविग माइकेल रीगो	855–856
श्री सुख राम	857–860
श्री हरिन्दर सिंह खालसा	860–862
श्री अजय चक्रवर्ती	863–865
श्री बुद्धसेन पटेल	866–868
श्री अमर रायप्रधान	869–871

विषय	कालम
श्री मनोज कुमार सिन्हा	872–876
श्री सुरेश कलमाडी	877–881
श्री सी. नरसिम्हन	881–884
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	885–888
श्री वी. प्रदीप देव	888–890
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	891–896
श्री पी. षण्मुगम	896–900
*श्री प्रदीप भट्टाचार्य	900–901
श्री सुरेश आर. जाधव	901–905
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	905–913
श्री लक्ष्मण सिंह	913–916
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	916–920
*श्री किशन लाल दिलेर	921–922
*श्री मोहन रावले	923–933
श्री गंगा चरण राजपूत	934–939
*श्री विजय गोयल	940–943
श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा	944–948
श्री कृष्ण	948–952
*श्री के. परसुरामन	953–955
चौधरी रामचन्द्र बैंदा	955–958
*श्री महेन्द्र बैठा	959–960
*श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा	960–962
डा. रामचन्द्र डोम	963–966
राजकुमारी रत्ना सिंह	966–968
श्री पी. नामग्याल	969–971
श्री एल. रमना	972–975
*श्री वीरेन्द्र कुमार	975–978
श्रीमती कमल रानी	978–981
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका	982–983
श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलिया	983–985
श्री विजय हाण्डिक	986–989
*श्री अशोक प्रधान	989–997
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल	997–999
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	999–1003
*श्री चन्द्रेश पटेल	1003–1005
श्री दत्ता मेघे	1005–1009
श्री तिलक राज सिंह	1009–1012
श्री राजीव प्रताप रूडी	1012–1017
श्री के.सी. कोंडय्या	1017–1020
श्री हन्नान मोल्लाह	1021–1025
*श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्त	1025–1028
श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर	1028–1031
लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी	1032–1035
श्री शरत पटनायक	1036–1039
प्रो. अजित कुमार मेहता	1039–1043
डा. रमेश चन्द तोमर	1043–1045

विषय	कालम
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1046–1050
डा. वल्लभभाई कथीरिया	1050–1054
श्री रामबहादुर सिंह	1055–1057
डा. बी.एन. रेड्डी	1058–1061
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	1061–1065
श्री राजू राणा	1065–1067
श्री सौम्य रंजन	1068–1072
श्री राधा मोहन सिंह	1072–1076
श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी	1076–1077
श्री अंचल दास	1078–1080
डा. राम लखन सिंह	1081–1085
श्री पवन सिंह घाटोवार	1085–1088
श्री रामशकल	1089–1091
श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा	1091–1093
श्री आर.एल.पी. वर्मा	1093–1096
श्री नन्दकुमार सिंह चौहान	1097–1099
श्री सुरेन्द्र यादव	1100–1103
डा. अमृत लाल भारती	1104–1106
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	1106–1110
श्री शिवराज सिंह	1110–1116

अंक 23, सोमवार, 1 सितम्बर, 1997/10 भाद्र, 1919 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख	1117
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव - *जारी*	
*श्री धीरेन्द्र अग्रवाल	1118–1121
*श्री सनत कुमार मंडल	1121–1123
*वैद्य दाऊ दयाल जोशी	1123–1125
*श्री के.एस.आर. मूर्ति	1125–1135
*श्री जी.ए. चरण रेड्डी	1135–1139
*श्री आर. साम्बासिवा राव	1140–1142
*श्री पुन्नू लाल मोहले	1143–1145
*श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	1145–1149
*श्रीमती पूर्णिमा वर्मा	1150–1154
*श्री लुई इस्लेरी	1154
*श्री हरिवंश सहाय	1155–1156
*जस्टिस गुमान मल लोढा	1156–1157
*श्री श्रीकान्त जेना	1158–1165
*श्री पवन दीवान	1165–1168
*श्री टी. गोपाल कृष्ण	1168–1169
*श्री हरिन पाठक	1169–1170
*श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह	1171–1172
*श्री पी.एम. सईद	1172–1177
*प्रो. रासा सिंह रावत	1177–1179

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विषय	कालम
*श्रीमती सुभावती देवी	1179–1180
*श्री सुखलाल कुशवाहा	1180–1182
*श्री एस.पी. जायसवाल	1182–1185
*श्री विश्वेश्वर भगत	1186–1188
*श्रीमती रत्नमाला डी. सवानूर	1189–1193
*डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	1193–1195
*श्री सिद्दय्या कोटा	1195–1197
*श्री जसवंत सिंह	1198–1204
*श्रीमती कान्ति सिंह	1204–1208
*डा. सी. सिल्वेरा	1209–1210
*श्री संतोष मोहन देव	1211–1217
*श्री के.पी. सिंह देव	1217–1224
*श्री आनन्द रत्न मौर्य	1224–1225
*श्री येल्लैया नंदी	1225–1230
*श्री मृत्युंजय नायक	1230–1233
*श्री भगवान शंकर रावत	1233–1236
*चौधरी तेजवीर सिंह	1236–1238
*श्री अनिल कुमार यादव	1239–1240
*श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला	1241–1242
*श्री बीर सिंह महतो	1243–1244
*श्रीमती केतकी देवी सिंह	1244
*श्रीमती सुमित्रा महाजन	1245–1246
*श्री छतर सिंह दरबार	1247–1248
*श्री जगतवीर सिंह द्रोण	1248–1250
*श्री अशोक शर्मा	1250–1251
*श्री प्रह्लाद सिंह	1251–1253
*डा. सत्यनारायण जटिया	1253–1255
*श्री एम. कमालुद्दीन अहमद	1256–1258
*श्री निहाल चन्द चौहान	1258–1260
*श्री कल्लप्पा आवाडे	1260–1261
*श्री विद्यासागर सोनकर	1262–1263
*श्री साई प्रताप अन्नाय्यागरी	1263–1265
*कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	1266–1275
*श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1275–1276
*श्री गिरधारी लाल भार्गव	1276–1277
*स्वामी सच्चिदानन्द साक्षी	1277–1279
*कुमारी शैलजा	1279–1284
*श्री टी.आर. बालू	1284–1288
*श्रीमती उषा मीणा	1288–1289
*श्री जयसिंह चौहान	1289–1290
*श्री दादा बाबूराव परांजपे	1291–1294
*श्री देवी बक्स सिंह	1294–1296
*श्री नन्द कुमार साय	1296–1297
*श्री कृष्ण लाल शर्मा	1298–1300

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

विषय	कालम
*श्री श्याम बिहारी मिश्र	1300–1302
*श्री भेरूलाल मीणा	1302–1304
*श्री छत्रपाल सिंह	1305–1306
*श्री माणिकराव होडल्या गावीत	1307–1309
*श्री चित्रसेन सिंकु	1309–1310
*श्री राममूर्ति सिंह वर्मा	1310–1311
*श्री श्रीराम चौहान	1311–1314
*श्री पद्मसेन चौधरी	1314–1315
*श्री चुन चुन प्रसाद यादव	1315–1317
*श्री ऑस्कर फर्नान्डीज	1317–1319
*श्री अशोक अर्गल	1319–1321
*श्री सौडे रमैया	1322–1324
*श्री अनिल बसु	1324–1325
*श्री नरेन्द्र बुडानिया	1326–1330
*श्री लाल बाबू प्रसाद यादव	1330–1331
*श्रीमती फूलन देवी	1331–1332
*श्रीमती शीला गौतम	1332–1334
*मुहम्मद शहाबुद्दीन	1334–1337
*श्री परसराम मेघवाल	1337
*श्री राजकेशर सिंह	1338–1339
*श्री गिरधारी यादव	1339–1341
*श्री मुनिलाल	1341–1343
*श्री तसलीमुद्दीन	1344–1345
*श्री विनय कटियार	1345–1347
*श्री छीतुभाई गामीत	1347–1350
*श्री वी. धनन्जय कुमार	1350–1351
*श्रीमती भगवती देवी	1351–1353
*कर्नल सोनाराम चौधरी	1353–1355
*श्री नामदेव दिवाथे	1356–1357
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	1357–1363
श्री धर्मभिक्षम	1363–1365
श्री सोमजीभाई डामोर	1365–1369
डा. बलिराम	1369–1372
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	1372–1378
**श्री इन्द्र कुमार गुजराल	1379–1404
विदाई उल्लेख	1404–1406
स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर "भारत के लिए कार्यसूची" के बारे में संकल्प—*स्वीकृत*	1406–1410
राष्ट्र गीत—राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई	1410
अनुबंध – *संकल्प, लोक सभा सदस्यों के हस्ताक्षर सहित*	1411–1453
अनुक्रमणिका	1455–1474

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ लिखित अंश भी सभा पटल पर रखे।

गुरुवार, 28 अगस्त, 1997/6 भाद्र, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग ठप्प पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य: 1.3 मिलियन कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस समय नहीं। वाद-विवाद के दौरान कोई सदस्य इसका उल्लेख कर सकता है लेकिन इसे अलग से नहीं लिया जा सकता।

पूर्वाह्न 11.01$^{1}/_{2}$ बजे

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि संसद के अनेक सदस्य कल मुझसे मिले और उन्होंने वाद-विवाद में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। तुरन्त मैंने कुछ राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श किया। इसलिए आज हम रात में अधिक से अधिक समय तक सभा में रहेंगे ताकि सभी सदस्यों को इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर मिल सके।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा): यह एक और मध्य रात्रि तक चलने वाला सत्र रहेगा।

अध्यक्ष महोदय: हां, यह मध्य रात्रि के भी बाद तक चलेगा।

आपकी जानकारी के लिए, श्री श्रीकांत जेना, हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने सभी संसद सदस्यों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था के लिए सहमति दे दी है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम): लेकिन वे हमारे कल के नाश्ते की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा): मध्यरात्रि सत्र के बजाय क्या आप सत्र को शनिवार तक नहीं बढ़ा सकते।

श्री निर्मल कांति चटर्जी: शनिवार और रविवार को सार्क की दो बैठकें हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह बात रखी गई थी कि इसे एक दिन बढ़ाया जाए अथवा सारी रात बैठा जाए। विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों की शनिवार के लिए पहले से ही अपनी कार्य-सूची निर्धारित है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाने की बजाय हम सारी रात बैठें।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

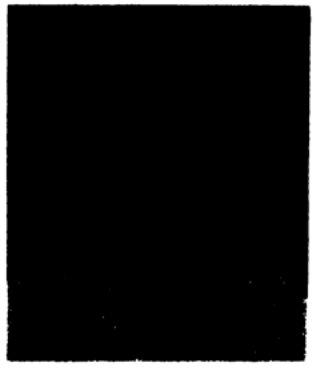

श्री पी. वी. नरसिंह राव

[अनुवाद]

श्री पी. वी. नरसिंह राव (बरहामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। यह कुछ दिन जो हमें चर्चा के लिए दिए हैं यद्यपि विषयों पर यहां उस प्रकार चर्चा नहीं की जा रही है जिस प्रकार इस पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है, तथापि हम सभी इस विशेष अवसर के लिए आपके आभारी हैं और मैं देख रहा हूं दिन बढ़ाये जा रहे हैं, चर्चा के घंटे बढ़ाये जा रहे हैं। इस प्रकार प्रति मिनट बोलने के लिए अनुरोधों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए मुझे आशा है कि इस सत्र का अंत कुछ अर्थपूर्ण होगा और यह हमारे विचारों की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ कारगर ढंग से समाप्त होगा। हम कुछ ऐसे कार्यों जिन पर तत्काल अथवा मध्यावधि में कदम उठाये जाने की आवश्यकता है उन पर कुछ अनन्तिम निष्कर्ष लेंगे।

मैंने एक ऐसा विषय चुना है जिस पर मैं समझता हूं, अभी तक विचार नहीं किया गया है लेकिन जो कि सामान्यत: विश्व के लिए और इसीलिए भारत और हम सभी के लिए अत्यधिक महत्व का है। जो पहले कहा जा चुका है उसे मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि इसकी कोई

आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे अपनी बात कहूंगा। यह सत्र इसलिए बुलाया गया है कि हम स्वतंत्रता के पचास वर्ष मना रहे हैं।

इसका भारत के लिए विशेष महत्व है। लेकिन इसका अन्य देशों और संपूर्ण विश्व के लिए भी विशेष महत्व है और यदि इन सभी घटनाओं के एक साथ घटित होने पर ध्यान दिया जाये तो इसमें कोई शक नहीं कि अगली शताब्दी से पहले के यह दो-तीन वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, विश्व के सभी देशों के लिए अत्यधिक संकटपूर्ण हैं।

हम दो सहस्राब्दियों के संगम पर हैं। क्या आपको याद है कि 1000 ई. कैसा था। क्या कुछ ऐसा प्रमाण हमारे पास है जिसके आधार पर हम कह सकें कि विश्व इस प्रकार का था? हमारे पास ऐसे कुछ तथ्यों के अलावा कुछ नहीं जिनमें बताया गया है कि किसने कहां राज्य किया क्योंकि दुर्भाग्यवश इतिहास में हमेशा केवल शासकों के बारे में बताया गया है और प्रजा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

इसलिए, इस सहस्राब्दी के अंत में यह गलती नहीं होनी चाहिए और जनता पहले से ही भविष्य के बारे में बहुत गंभीरता से सोच रही है। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, हम सभी इससे परिचित हैं। हम इससे गुजरे हैं। हम अब भी इससे गुजर रहे हैं। अगली शताब्दी में हम क्या आशा करते हैं, अथवा अगली सहस्राब्दी में हम क्या चाहते हैं अथवा अपने लिए क्या संजोना चाहते हैं? इस बारे में संपूर्ण विश्व के विचारक विचार कर रहे हैं।

महोदय, हमारी देशी, विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय नीति—चाहे आप इसे जो भी कहें—अथवा वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है निरस्त्रीकरण। विश्व की मौजूदगी के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण अत्यंत आवश्यक है। यह सभी जानते हैं यह स्वीकार्य है; यह सर्वविदित है लेकिन इस पर कार्यवाही नहीं की गई है। इस पर गंभीरता से विचार किया गया हो ऐसा कोई लक्षण नजर नहीं आता। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि सी.टी.बी.टी. का क्या हुआ, हम जानते हैं कि एन.पी.टी. का क्या हुआ, पिछले 50-60 वर्षों से हमारी सरकार इसके लिए संघर्ष कर रही है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले महात्मा गांधी जी ने भी परमाणु युद्ध के भयंकर परिणामों के बारे में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने देश में अहिंसा का मार्ग अपनाने की आवश्यकता और हिंसा से बचने की आवश्यकता पर बल दिया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसकी संभावना नहीं है क्योंकि एन.पी.टी. की अवधि बढ़ाये जाने, इसके अनिश्चित समय तक बढ़ाये जाने और सी.टी.बी.टी. में देशों से बार-बार इसी बात को दोहराया व समझाया गया है। यह अच्छी बात है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कोई वास्तविक और अर्थपूर्ण कदम उठाने के लिए बढ़ावा नहीं दिया गया है।

यह बड़े मजे की बात है कि शीत युद्ध के समाप्त होने से पहले परमाणु शक्ति प्राप्त देशों के पास इतने अधिक परमाणु हथियार थे जो कि संपूर्ण विश्व को 20,000 बार समाप्त कर सकते थे। सांख्यिकीविदों के अनुसार शीत युद्ध के बाद यह सुधार हुआ कि वे अब विश्व को 3000 बार समाप्त कर पाने में सक्षम रह गए हैं। यह 20,000 से 3000 पर आना एक बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम है। लेकिन ध्यान से सोचें तो मानव कल्याण के लिए यह सुधार कहां तक उपयोगी है? यदि इस विश्व का एक बार विनाश हो जाता है तो शेष 2,999 बार की हमें यह देखने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी क्या हुआ क्योंकि तब हम नहीं होंगे। अत: यह पूर्णत: अवास्तविक है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह अपनी संतुष्टि के लिए और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अपने परमाणु कारखानों को समाप्त करना चाहते हैं। वे ऐसा विश्व के कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं। वे ऐसा संपूर्ण मानवता जिसका इन निर्णयों को लेने में कोई हाथ नहीं है, के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें बता देना चाहिए कि वे चाहें कुछ भी कहें, वे चाहें कुछ भी करें, मानव जाति उनके शस्त्रों का निशाना बनने को तैयार नहीं हैं। हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा परन्तु यह लड़ाई बारूदी नहीं होगी क्योंकि वह हमारे पास नहीं है। आम जनता और 110 से अधिक देशों का गुट निरपेक्षता में विश्वास है और उन देशों जहां इसके भंडार हैं की आम जनता इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति इससे संबंधित हो सकता है और हमें इसी ओर कार्य करना है।

मैं इस बारे में सोच रहा हूं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। विश्व की अनेक परिषदों में इसके लिए अनुरोध कर रहा हूं लेकिन पिछले तीन-चार वर्षों से मैं कुछ चौकन्ना हो गया हूं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। कृपया इस बात को समझें। शीत युद्ध के बाद किसी भी परमाणु हथियार रखने वाले देश को किसी प्रकार का भय नहीं है। उनके पास पर्याप्त मात्रा में परमाणु हथियार हैं और यदि मैं कहूं कि ये 300 गुना अथवा 30 गुना रह गए हैं तो भी यह विनाश के लिए पर्याप्त हैं। वह इसके लिए स्पष्टत: 50-60 वर्ष अथवा 100 वर्ष की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं परमाणु हथियारों की पूर्णत: समाप्ति में कोई बुराई नहीं समझता। श्री राजीव गांधी जी चाहते थे कि 2010 ई. तक इन्हें पूर्णत: समाप्त कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इससे पहले भी ऐसा किया जा सकता है क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति से इसमें सहायता मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं किया गया है क्यों? इसका अवश्य ही कुछ कारण है। कोई कारण स्पष्ट नहीं है लेकिन अचानक कुछ पढ़ने, उन्हें समझने की मेरी कोशिश के दौरान मैं उन्हें जो कुछ समझ पाया हूं उसे मैं सभा को बताना चाहूंगा।

अगली शताब्दी, अगली सहस्राब्दी का दृश्य यद्यपि वह हम सबके लिए बहुत रहस्यमय है लेकिन यह इन विकसित देशों की कुछ हस्तियों के लिए रहस्यमय नहीं है। वे समझते हैं कि अब कोई वैचारिक युद्ध नहीं होने वाला है। वे समझते हैं कि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अब पश्चिम से ही नहीं जुड़ी हुई है। अब विश्व की राजनीति एक पारस्परिक क्रिया होगी। दूसरे शब्दों में, यह पश्चिमी और पश्चिम से उत्तर देशों की संस्कृति के बीच संघर्ष होगा। उन्होंने युद्ध का रास्ता पहले ही अख्तियार कर लिया है। हम सोच रहे थे कि अब कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सकता है। शीत युद्ध सदा के लिए समाप्त हो चुका है और इसलिए विश्व में अब शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और अन्य चीजें जिनका हम स्वप्न देख रहे थे, होंगी। उस स्वप्न पर तब आघात पहुंचा जब यह कहा गया कि अब लड़ाई होने वाली है। यह संघर्षपूर्ण और पश्चिम के बीच नहीं होगा अपितु पश्चिम बनाम शेष देशों के बीच होगा। अत: पश्चिमी शक्तियां अपने आपको परमाणु हथियारों से कैसे वंचित रख सकती हैं। वे अपने आपको इससे अलग नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि आप लोग अपनी संस्कृति और मूल्यों की पहचान कर आधुनिकता का लाभ उठाना

चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? उनका कहना है कि चूंकि अन्य लोग अपनी संस्कृति को बनाये रखने के लिए जोर देंगे अत: इन तीनों के बीच सांस्कृतिक टकराव होगा।

पुस्तक में जो रूपरेखा दर्शाई गई है उसके अनुसार एक ओर तो ईसाई धर्म है—यद्यपि मुझे यही नहीं पता कि वह अफ्रीका के ईसाई, भारत के ईसाई, बर्मा के ईसाई, गैर-पश्चिमी विश्व के ईसाई के साथ जब आप यह कहते हैं कि पश्चिमी बनाम देशों शेष, चाहे आप इसाई हों, या एक मुस्लिम या हिन्दू या फिर जो भी हों, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप गैर-पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं न कि पश्चिमी क्षेत्र में। लेकिन, उन्होंने पश्चिम के ईसाई-क्रास पर एकाधिकार कर लिया है। यह एक भ्रांति है। दूसरी ओर इस्लाम धर्म है। उनके विचार से इस्लाम इसका सबसे बड़ा शत्रु होगा। तीसरा कन्फ्यूशनिज्म, हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सभी शेष धर्म हैं। अत: उन्होंने सभी को एक में मिला दिया है और वे कहते हैं कि यही संघर्ष का कारण होगा।

> ''विश्व राजनीति का विन्यास व पुनर्विन्यास किया जा रहा है, नए तरीके के संघर्ष और सहयोग के साथ सांस्कृतिक आधार पर इसका पुनर्विन्यास किया जा रहा है जो शीत युद्ध का स्थान ले रहा है। अत्यंत संवेदनशील .....''

यहां एक अत्यंत रुचिकर चीज हुई जो हम सभी भारतीयों के लिए आश्चर्य की बात है। लेकिन फिर, वे इस बारे में गंभीर हैं।

> ''आज विश्व राजनीति में संवेदनशील क्षेत्र सभ्यताओं के बीच संघर्ष के क्षेत्र हैं और इसका प्रमाण है कि बोसनिया, चेचन्या, दी ट्रांसकाकेशिया, सेंट्रल एशिया, कश्मीर, मध्य-पूर्व, तिब्बत, श्रीलंका, सूडान, और अन्य जगहों पर संघर्ष जारी है।''

अत:, इस विचार के अनुसार कश्मीर में जो भी हो रहा है वह सभ्यता की लड़ाई है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं। हम इसका मूल्यांकन कैसे करें? फिर भी यह आगामी शताब्दी में नीति निर्धारकों का आधार होगा। यदि मैं यह कहूं कि जिस सज्जन ने यह पुस्तक लिखी और चार वर्ष पूर्व यह खाका खींचा था, जिसे मैं उस समय तक पत्रिका में एक लेख रूप में छपने को झूठ समझा था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने डाबोस में भी इसकी अनदेखी करते हुए यह कहा था कि ''भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि भारत में अब केवल हिन्दू और मुस्लिम तथा ईसाई और अन्य जातियों के बीच संघर्ष होगा तो आप भूल कर रहे हैं। ऐसी बातें कभी-कभी समाचार पत्रों में लिखी जाती हैं। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते हैं कि भारत के लोग कितने शांति-प्रिय हैं। भारत की 96 करोड़ जनसंख्या हर दिन हर पल आपस में लड़ती नहीं रहती। अत: आपका धन सुरक्षित रहेगा अत: आप ऐसा पूर्वानुमान न लगायें।''

वह सज्जन कौन है? वह सज्जन वर्तमान अमेरिकी सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सुरक्षा और योजना के समन्वय अधिकारी हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि इस पुस्तक को बाईबल के रूप में देखा जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि इसे सही नीतियों के रूप में माना जा रहा है। मेरा कहने का आशय यही है कि देश के विचारक जो भी सोचेंगे उससे पूरे विश्व में युद्ध और शांति, विद्यमानता और अविद्यमानता का अंतर पता चलेगा।

अत:, यह मुद्दा कौन उठायेगा? क्या ये वे लोग हैं जिन्होने बिना सोचे-समझे वहां हस्ताक्षर कर दिया जहां करने को कहा गया। वे ये मुद्दे नहीं उठा सकते हैं। किसी न किसी को यह मुद्दा उठाना होगा और वह भारत है। हमने प्रारंभ से ही ऐसे मुद्दे उठाये हैं चाहे किसी को यह पसंद हो या नहीं हो। इसलिए, मैं भारत सरकार के प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं कि यदि आवश्यक हो तो कृपया **एकला चलो** की परम्परा को अपनायें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो विश्व के विनाश के लिए आप मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।

मैं कोई पूर्वानुमान नहीं लगा रहा हूं। मैं उन लोगों की बातों पर टिप्पणी कर रहा हूं जिन्होंने यह पूर्वानुमान लगाया है और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यह मेरा निवेदन है। महोदय, यदि विश्व को बचाना है तो कुछ करना होगा, इन सिद्धांतों को झूठा साबित करने के लिए कुछ करना होगा क्योंकि रास्ते पहले ही अख्तियार किये जा चुके हैं। अत: परमाणु हथियार को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही किसी को यह हथियार बनाने की स्वीकृति दी जायेगी। सकारात्मक रूप से वे इसे नहीं छोड़ेंगे, नकारात्मक रूप से वे आपको और अन्य को जो अपनी सुरक्षा हेतु परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं, इसे बनाने की अनुमति नहीं देंगे। अत: सकारात्मक और नकारात्मक रूप से इन नीतियों का वही आशय है जो वे चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि विश्व को परमाणु हथियार से मुक्त करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। मैं इसके लिए अनेक वर्षों; या किसी समय-सीमा की बात नहीं कर रहा हूं पर इसके लिए समय-सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। समय-सीमा लम्बी हो सकती है लेकिन यह निर्धारित करना आवश्यक है। यह पहला मुद्दा है जो मैं अपनी सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

महोदय, बीसवीं शताब्दी के अंत में अनेक विचारकों के मत से हमें कभी-कभी खुशी होती है किन्तु कभी-कभी यह भी बोध होता है कि महात्मा गांधी अपने समय से करीब सौ वर्ष कैसे आगे थे। उन्होंने उन चीजों के बारे में कहा था, किन्तु हम, लोगों सहित, किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज गांधी जी की वाणी अलग-अलग कोने से उभर रही है। वह अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन अब वही वाणी अलग-अलग लोगों के माध्यम से आ रही है जिसे कहने और बोलने का काफी महत्व है। यदि मैं बिना नाम लिये उनमें से एक टिप्पणी को बताऊं तो हममें से हरेक व्यक्ति यही कहेगा कि यह महात्मा गांधी स्वयं बोल रहे हैं। लेकिन वह महात्मा गांधी नहीं हैं, यह सौ वर्ष पूर्व की बात नहीं है अपितु दो या तीन वर्ष पूर्व कही गई बातें हैं। वह यह है कि 20वीं शताब्दी के अंत में, चाहे महात्मा गांधी ने जो भी कहा है, भी तर्कसंगत है। वे महात्मा गांधी के कारण ऐसा नहीं कह रहे हैं, उन्होंने जब ऐसी बातें कही तो उन्होंने उनके बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन आज वह बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं क्योंकि सैंकड़ों वर्षों के युद्ध और शीत युद्ध, उपभोक्तावाद के विभिन्न रूप, विकृत उपभोक्तावाद, वे चीजें हैं जोकि वास्तव में हमारे राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर रही है और ये सब बेकार की चीजें हैं। महोदय मैं उद्धृत कर रहा हूं।

> ''वास्तव में, यदि राज्य, दल तथा सामाजिक नीति नैतिकता पर आधारित नहीं होगी तो मनुष्य का कोई भविष्य नहीं होगा। क्या यह शत-प्रतिशत गांधीवादी वक्तव्य नहीं है?'' यदि किसी राज्य

की राजनीति या व्यक्ति विशेष का आचरण नैतिकता से निर्देशित होता है, तो वह आने वाले समय में न केवल अत्यधिक परोपकारी कार्य होगा अपितु स्वयं के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा कार्य होगा। हम अपनी इच्छाओं को अनवरत बढ़ाते रहते हैं इस संदर्भ में भी गांधी जी ने कहा है—और यह जानकर हमें दुख होता है कि वाणिज्यिक उद्यमियों की सहायता से नई-नई इच्छाओं का सृजन हो रहा है जिनमें से अधिकतर कृत्रिम होती है लेकिन हम सभी उन्हें अपनाने लगते हैं लेकिन उससे हमें कोई संतोष नहीं होता है।''

पर्यावरण के बारे में यह कहा गया है ''सारी आकांक्षाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास पर केन्द्रित किया जा सकता है। ये तीन महत्वपूर्ण अवयव हैं जिन्हें हम 20वीं शताब्दी में काफी महत्व दे रहे हैं।

प्रौद्योगिकी, सभ्यता के विकास के फलस्वरूप हममें आध्यात्मिक असुरक्षा की भावना व्याप्त हुई है। इसके परिणामस्वरूप हम लाभांवित होते हैं परन्तु हम इसके गुलाम हो जाते हैं। हमें इस तथ्य को स्वयं स्वीकार करना होगा चाहे उसे हल्के स्वर में स्वीकार करें कि इस भाग-दौड़ की जिन्दगी से हमें क्या मिला है? हम क्यों जीवित हैं, इस प्रश्न का उत्तर विचारकों ने वर्षों बाद दिया जिन्हें वे प्रगति का नाम देते हैं। अब उनके समझ में यह नहीं आ रहा है कि क्या करें। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे कहां हैं तथा वे क्यों जीवित हैं। उनका कहना है ''यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इन तरक्कियों को असीमित वरदान के रूप में न देखें और इन्हें दान के स्वरूप में न लेकर इसे हमारी स्वयं की स्वतंत्र इच्छाशक्ति के अत्यधिक कठिन परीक्षण के रूप में देखें।'' यह कोई कृपा दृष्टि नहीं है अपितु इन सभी विषमताओं के बावजूद हमारी इच्छाशक्ति कैसे कार्यरत रहेगी, उसका परीक्षण है।

तत्पश्चात्, महोदय, हमें महान विचारकों की शब्दावली पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे जैसे लोग इन शब्दावली का प्रयोग करते तो हमारी कटु आलोचना की जाती। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।

उन्होंने कहा है ''वर्षों की पीड़ा से नई-नई समस्यायें उत्पन्न हुई हैं जैसे वर्तमान के नवोद्भूत पूंजीवाद''—यह भद्रपुरुष कम्युनिस्ट नहीं है। वह पुराने कम्युनिस्ट विरोधी हैं—अनुत्पादक असभ्यता से परिपूर्ण और प्रतिगामी व्यवहार और राष्ट्र की सम्पत्ति की लूट, ऐसी बातों से पश्चिम अनभिज्ञ है। इसके कारण असुरक्षित जनमानस में विगत की निर्धनता से समानता में लौटने की अधीरता भी जागी। यह वाक्य बहुत सी बातों को दर्शाता है। हम सब एक समान हों। हम सब निर्धन हों। हम इस नई दौड़ में शामिल न हों जिसके कारण हम इस संकट की स्थिति में पहुंचे हैं। वे लोग यह बात कहते हैं। मैं इसे पूरा पढ़ सकता हूं परन्तु इस बात की आवश्यकता नहीं है।

अब प्रश्न यह है, यदि ये सज्जन वह बात कहते हैं जो महात्मा गांधी ने 90 या 100 वर्ष पूर्व कही थी और यदि आप उस बात पर जो 100 वर्षों से भी पहले दक्षिण अफ्रीका में कही थी, ध्यान देते हैं। तो इससे हमें क्या हासिल होगा? इसके बारे में हमें पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि यदि हम भविष्य की बात कर रहे हैं, यदि हम अगली सहस्राब्दी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि अगली सहस्राब्दी में क्या रुझान रहते हैं, इस देश में हमें किस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। यदि हमारी सोच अभी भी स्पष्ट नहीं है या कुछ हद तक स्पष्ट है कि हमें क्या करना चाहिए तो मुझे खेद है कि हम ऐसे ही खोजते रह जाएंगे। दूसरे हमसे आगे निकल जाएंगे और हम अनिश्चय की स्थिति में ही रह जाएंगे।

अब, महोदय, शीत युद्ध ने तथाकथित पूर्वी और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच न केवल संघर्ष की स्थिति पैदा की थी बल्कि इसने अनेक द्वंद्वों को भी जन्म दिया था। ये द्वंद्व व्यक्ति और समाज, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच द्वंद्व, यथास्थिति बनाए रखने वालों और बदलाव के समर्थकों के बीच के द्वंद्व और रूढ़िवादियों और उदार लोगों के बीच के द्वंद्व—इन सबमें द्वंद्व उत्पन्न हुए और यह आपस में टकरा रहे हैं। उन्हें इस द्वंद्वात्मकता का अन्त दिखता हुआ प्रतीत नहीं होता है।

मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि हजारों वर्षों से ये सभी द्वंद्व भारतीय दर्शन में समाहित हैं। हमने इन द्वंद्वों का समाधान खोजने में महारत हासिल कर ली है। ये द्वंद्व भारत के लिए भारतीयों और भारतीय मनीषा के लिए समाज और व्यक्ति का संबंध स्पष्ट है। यह कोई रहस्य नहीं है। यदि हम इसे भाषा में व्यक्त न भी कर पाएं तो भी हम इसे स्वयं में अनुभव करते हैं। हमने इसे जिया है। हमने जीकर इस द्वंद्वात्मकता को अत्यधिक सुंदर ढंग से और समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी रूप में हल किया है। यह कहा गया था। ''संघम् शरणम् गच्छामि'' अब यह अन्तिम परिणति है, आरम्भ नहीं। धर्म, बुद्ध और इन सभी अवस्थाओं को पार करके आप अंततः समाज में प्रवेश करते हैं और वही सर्वोच्च है।

अब हमारी सभ्यता ने इनका समाधान खोज लिया है क्योंकि हमने मध्य मार्ग का अनुसरण किया। हम हमेशा से कहते आए हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत्, एक छोटी सी सूक्ति है।'' अति सर्वत्र वर्जयेत्, यही मध्य मार्ग है। संभवतः जिसका सर्वप्रथम प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। आज भी देखिए, भारत की कितनी नीतियां मध्य मार्ग पर आधारित हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था और क्या है?

अब जबकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, एक प्रमुख साम्यवादी देश के राष्ट्रपति ने यहां आने पर कहा था ''हम दुकान चलाना नहीं जानते हैं।'' वे कई अन्य बातें जानते हैं जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और हर बात लेकिन वे यह नहीं जानते कि एक दुकान कैसे चलायी जाती है। यदि हम कुछ जानते हैं तो हम यह जानते हैं कि एक दुकान को कैसे चलाया जाता है और यह कई लोगों से बेहतर ढंग से जानते हैं क्योंकि वर्णाश्रम से यह बात यहां पर हजारों वर्षों से है। आज यह गलत हो सकती है। हम इसे निकाल बाहर करना चाहते हैं, हम इसे निकाल बाहर कर रहे हैं। परन्तु यह बात सत्य है कि हमारे इतिहास, हमारी सभ्यता ने इन सब बातों का ध्यान रखा है।

गुट निरपेक्षता क्या है? क्या गुट निरपेक्षता ऐसी कोई चीज है जिसका जन्म 1961 में हुआ था? नहीं, गुटनिरपेक्षता मध्यम मार्ग से उपजी है। हमने इसकी रूपरेखा कब बनायी थी। शायद हजारों वर्ष पूर्व। परन्तु आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूरे एक वर्ष पूर्व 1946 में गुट निरपेक्षता संबंधी एक संकल्प पारित किया था। मैं यह भी कहना चाहता हूं आजकल दिन-प्रतिदिन आजादी और स्वतंत्रता में अन्तर लुप्त प्रायः होता जा रहा है। हम आजादी और स्वतंत्रता का प्रायः एक ही अर्थ लगाते हैं। कभी आजादी

कहते हैं, कभी हम स्वतंत्रता कहते हैं। परन्तु आज हम स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक देश जो कि राजनीतिक रूप से आजाद है, वह स्वतंत्र भी है।

हम यह स्थिति राजनीतिक दृष्टि से आजाद विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में देखते हैं। हमें अन्य देशों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए परन्तु यदि आप कुछ अधिक ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि वह देश स्वतंत्र हो।

हम इसके उदाहरण देख चुके हैं। इस प्रकार वास्तविक रूप में हम मध्य मार्ग से जो अर्थ लेते हैं वह यह है कि अपने आदर्शों पर अडिग रहने की आजादी। हो सकता है हम सदैव सही न हों। हम मानने के लिए तैयार हैं। हम मानने के लिए तैयार तो हैं परन्तु हम पहले नहीं मानते। स्वतंत्रता का यही अर्थ है। जी हां, मैं आपके साथ हूं। इसीलिए जो कुछ आप कहेंगे वही मैं कहूंगा। इस प्रकार की बातें हमने नहीं स्वीकारी हैं। इस सहस्राब्दी में इसे हमने नहीं अपनाया है। इसीलिए आने वाली सहस्राब्दी में हमें इस पर जोर देना होगा। हमें इसे पहले से ज्यादा महत्व देना होगा क्योंकि भारत उन गिने-चुने देशों में से एक होगा जो ऐसा कर सकते हैं। पंडित जी ने कहा था: ''विश्व में कई देश हैं परन्तु भारत का एक विशेष स्थान है।'' ऐसा इसीलिए नहीं कहा क्योंकि वे उग्र राष्ट्रवादी थे। वे उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे। फिर भी उन्होंने यह तर्क दिया। यह सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन ऐसे तीन उदाहरण हैं जिनकी अपनी पहचान है। और चौथा उन्होंने कहा था ''ऐसा देश भारत है।'' भारत अभी ऐसा राष्ट्र नहीं बना है, उस समय भी नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा था परन्तु उन्होंने ऐसा एक भविष्य दृष्टा के रूप में कहा था। उन्होंने कहा था ''यदि इन तीन देशों के अतिरिक्त कोई चौथा ऐसा देश हो सकता है जिसकी आवाज सुनी जाए, जो आत्मनिर्भर हो, जिसकी अपनी सभ्यता हो, जिसकी अपनी विश्वसनीयता हो तो वह भारत है।'' इस प्रकार क्या हमें हमारी छोटी-छोटी कठिनाइयों में अपने आप को खो देना चाहिए। यह बात सही है कि प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र ऐसे उतार-चढ़ावों से गुजरता है। परन्तु यदि हमारे पास आगामी सहस्राब्दी में करने के लिए कुछ कार्य या किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो मेरे विचार से हमारी यह बदकिस्मती होगी और शायद भारत विश्व समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने में समर्थ नहीं हो पाएगा।

अब महोदय मैं आज की हमारी स्थिति में अत्यधिक महत्वपूर्ण अगले तथ्य पर आता हूं। गांधी जी ने हमें तीन-चार महत्वपूर्ण बातें बतायी थीं। उनमें से कितनों को हमने अपनाया है। मैं नहीं समझता कि हमने गांधी जी की बातों को अपनाया है। हमने गांधीवाद के विचारों का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए गांधी पुरस्कार का गठन किया है, न कि केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने गांधी जी पर केवल किताबें लिखी हैं। आज हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है।

इस मानदंड को निर्धारित करते समय हमने कहा था कि गांधी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है और उन पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है परन्तु उन पर अमल किये जाने की आवश्यकता है। यह बात कोई मायने नहीं रखती है कि हमने कितना कार्य किया है। परन्तु प्रयास महत्वपूर्ण है। अंततः उन्होंने उन आदर्शों के अनुसरण का प्रयास किया था जिन पर वे विश्वास करते थे। इस प्रकार उन्होंने शुरूआत की थी। वे केवल उपदेश देकर चुपचाप नहीं बैठे थे। इसलिए गांधी पुरस्कार नोबल शांति पुरस्कार के समान उन लोगों के लिए है जो वास्तव में समाज में चाहे गांधीवाद के केवल एक ही विचार को कार्यरूप में परिणित कर रहे हों। आज हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। गांधीवाद के प्रसार का यही एकमात्र रास्ता है। जब सामंजस्य स्थापित करने का प्रत्येक अन्य तरीका युद्ध, शांति, नजदीकी वार्ताएं और समस्याओं को सुलझाने के अन्य सभी प्रयास असफल हो जाएं तो जब ऐसी कार्यविधियां असफल हो जाएं तो विश्व गांधी जी के और एक मिलीमीटर अधिक करीब आ जाता है। मानव जीवन के माध्यम से उनकी छवि कैसी थी यह पता लगाते हुए और राष्ट्रों के जीवन में परिवर्तनों के माध्यम से प्रभावी भूमिका का पता लगाते हुए अब हमने गांधीवाद को वास्तविक बनाने की प्रक्रिया में बेहतरीन प्रयास किया है। तत्कालीन सरकार ने ऐसा किया है। मेरे विचार से विश्व और गांधी जी के प्रति यह एक अच्छा कार्य किया गया है।

अब यह बात कि हमने गांधी जी से क्या बातें सीखी हैं, हम अहिंसा को अपना नहीं सके क्योंकि हमारी विशेष समस्याएं थीं। गांधी जी स्वयं भी यह बात समझ चुके थे कि हम अचानक अहिंसा को नहीं अपना सकते हैं। उन्होंने कहा भी था कि वे यह अपेक्षा नहीं रखते हैं कि अहिंसा समस्याओं को तत्काल हल करने की विधि बने। उन्होंने एक लम्बा समय लिया था। इस प्रकार यदि आक्रमण होता है हमें भारत से कहना होगा मैं हथियारों के साथ आक्रमणकारियों से लड़ने के पक्ष में हूं। पंडित जी ने कहा था: ''मैं एक सिद्धान्त के रूप में अहिंसा का समर्थन नहीं करता।'' हम उन दिनों विद्यार्थी थे। हम अत्यधिक चर्चा किया करते थे। हम लोगों को इसके फायदे और नुकसानों के बारे में बात करते हुए सुनते थे, कोई कहता था कि अहिंसा एक सिद्धान्त था अन्य कहा करते थे कि अहिंसा एक नीति हो सकती है जिसकी प्रभावशीलता अभी सिद्ध होनी थी। पंडित जी का यह दृष्टिकोण था। आप यहां पर गांधी जी के दृष्टिकोण और पंडित जी के दृष्टिकोण के भारी मतभेदों को देख सकते हैं। गांधी जी ने यह शर्त भी रखी थी कि वे तत्काल अहिंसा को पूर्णतः क्रियान्वित करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसलिए छोटे अन्तराल में देखें तो जहां तक सरकार की कार्रवाई का संबंध है गांधी जी और जवाहर लाल जी दोनों के विचार एक जैसे थे।

इसके अतिरिक्त और क्या बात हो सकती है? इस समय सशस्त्र सेनाओं को हटाने के संदर्भ में अहिंसा सम्भव नहीं है। और हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम लघु उद्योगों का उदाहरण लेते हैं। ये बहुत ही कारगर लघु उद्योग हैं। अब इसका क्या लाभ है? तात्कालिक लाभ यह है कि एक सहयोगी आपसे संपर्क कर रहा है और वह है पर्यावरणविद। जब गांधी जी ने यह कहा था तब पर्यावरणविद का नाम भी नहीं था। जब गांधी जी ने इन लघु उद्योगों की सिफारिश की थी उस समय सरकार थी परन्तु व्यक्ति नहीं था, पर्यावरणविद उस समय विद्यमान नहीं था क्योंकि उन्होंने यह विचार प्राचीन भारत, हमारे इतिहास तथा हमारी संस्कृति से लिया था। परन्तु आज, जैसाकि मैंने कहा एक अन्य सहयोगी, पर्यावरणविद है। जब हम रोजगार को एक आर्थिक कार्यकलाप के रूप में लेते हैं तो हमें सही प्रौद्योगिकी की उलझनों का सामना करना पड़ता है अगर हम बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली मितव्ययिता की स्थिति प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा जिसमें व्यक्ति के स्थान पर मशीनों का

प्रयोग किया जाता है जिससे बेरोजगारी बढ़ती है और भारी सामाजिक हानि और पर्यावरणीय ह्रास होता है। ये स्वाभाविक बातें हैं। दूसरी तरफ, अगर हम अनिवार्य रूप से पुरानी प्रौद्योगिकी और कम मजदूरी द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार स्वीकार करते हैं तो अधिकांश लोग और उनकी आर्थिक गतिविधियां गुणवत्ता के संबंध में प्राचीन स्तर पर रहेंगी। इस संकट की दो हानियों का हमें सामना करना पड़ता है। आज हमें इस समस्या का समाधान करना चाहिए। गांधी जी ने इसका समाधान नहीं किया। उन्होंने लघु उद्योगों का विभिन्न कारणों से समर्थन किया जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। वे सभी वैध कारण हैं परन्तु फिर भी उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। आज, चाहे अमेरिका हो या जर्मनी या अन्य कोई देश वे सभी विस्तारीकरण की समस्या का सामना कर रहे हैं। उन हजारों लोगों का क्या होगा जो बेघर हो गए हैं? आपके पास नगर हैं। यह नगर गंदी बस्तियों से भरा हुआ है। वहां रहने वाले अपने-अपने गांवों से आए हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अलग-थलग पड़ा हुआ है। वह समाज और अपनी जड़ों से पूरी तरह कटा हुआ है। इसकी सामाजिक लागत क्या है? क्या किसी ने इसका हिसाब लगाया है? अगर हम यह हिसाब लगाएं तो पायेंगे कि ये विस्तारीकरण और आर्थिक विकास लाना संभव नहीं है। जिन नई-नई बीमारियों से वह पीड़ित होता है उनके संबंध में क्या कहा जाए? उनके इलाज के लिए हमें कितना धन खर्च करना होगा जो हम किसी तरह नहीं करते। इसलिए हमें इस समस्या का समाधान करना होगा।

मेरा एक सुझाव है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें अपने वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकियों इत्यादि पर गर्व है। परन्तु मैं बहुत विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि विकसित देशों में जो अभी किया जा रहा है वह हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद कर रहे हैं क्योंकि हमारे लोग वहां जाकर अच्छा काम करते हैं। वे सभी वहां अच्छी हालत में हैं। इसकी हमें खुशी है। परन्तु किस हद तक वे हमारी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने कहां तक अपने कौशल, अपने विज्ञान अपने प्रौद्योगिकीय नवीकरणों का प्रयोग किया है? प्रश्न यह है। हमें उनके सामने यह चुनौती रखनी है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। उन्हें सभी प्रकार के आवश्यक प्रोत्साहन देने के बाद देश उनसे कुछ आशा करने का अधिकार रखता है। वह क्या है? यदि संभव हुआ तो मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा। स्पष्ट है कि ये दोनों स्थितियां अस्वीकार्य है अर्थात् एक तरफ हम अत्यधिक विस्तार नहीं कर सकते दूसरी तरफ पूरी तरह पुरानी पद्धतियों को नहीं अपना सकते। इसलिए, हमें इसके लिए एक अन्य मध्यमार्ग खोजना होगा। अब किसी भी उद्योग में 6 तत्व शामिल हैं। आकार, पर्यावरणीय स्वीकार्यता, लागत, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और रोजगार क्षमता। इसमें हम संभवत: सातवां तत्व नहीं ला सकते। मैंने कुछ गहन अध्ययन किया है। मुझे लगता है कि ये 6 तत्व हैं। ये सभी परिवर्तनीय हैं। कोई उद्योग बड़े आकार का हो सकता है कोई छोटे आकार का। अब बीजगणित का सूत्र क्या है? प्रश्न यह है कि कुछ अचर राशि होंगी और कुछ चर राशियां। वे चर राशियां क्या हैं जो कार्य करने के आधार हैं। मैं इसे समझता हूं। गणित का छात्र उसे आसानी से समझ सकता है। अब हम एक-एक करके इन कारकों की बात करते हैं। पर्यावरणीय स्वीकार्यता आवश्यक है चाहे इसका आकार बड़ा हो या छोटा। कोई भी आपको पर्यावरणीय आवश्यकता के संबंध में इसलिए नहीं बख्शेगा कि आपका उद्योग छोटा है। अगर पर्यावरणीय सुरक्षा को खतरा होता है तो आपको बाहर कर दिया जायेगा। इसे पूरी तरह स्पष्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता परम आवश्यक है। गुणवत्ता के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सकता। इस तरह दो कारकों की बात हुई। अब बाकी चार कारकों की बात है। अगर उद्देश्य रोजगार क्षमता को बढ़ाना और प्रति इकाई आकार को कम करना है तो आपको ये दो बातें कमोबेश उसी लागत पर करनी होगी।

आप दस गुणा लागत नहीं बता सकते कि ''मैंने इसे छोटे रूप में किया है इसलिए आप मुझे इसका दस गुणा मूल्य दो।'' कोई भी आपको नहीं देगा। इसलिए लागत तुलनात्मक होनी चाहिए। अब बचा-रोजगार क्षमता बढ़ाना; प्रति इकाई आकार को कम करना। यह कैसे संभव है, स्पष्ट रूप से एक ही रास्ता है-प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी से अंतर आता है। यह चरकारक है। अगर आपकी प्रौद्योगिकी घटिया है तो यह आपको नहीं मिलेगा। आपकी प्रौद्योगिकी उत्तम होनी चाहिए जो विश्व में कहीं न रही हो, क्योंकि उन देशों में आवश्यकताएं भिन्न थीं। वे विस्तारीकरण चाहते थे। उन्होंने विस्तारीकरण अपनाया। उन देशों में हमारी तरह जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई। इसलिए वे अपनी मजदूरी बचाने वाली प्रौद्योगिकी से खुश हैं। परन्तु अब उन्हें पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने तथा समाप्त करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। उनके लिए यही एक समस्या है। यहां हमारे लिए, इन सभी कारकों के बीच तालमेल बिठाना एक समस्या है।

मैं एक अन्य उदाहरण दूंगा। लगभग 25 वर्ष पहले, मैं पांडिचेरी में एक आश्रम में गया था। आप जानते हैं कि यह आश्रम एक बहुत अच्छा माध्यमिक विद्यालय चला रहा है। मैं नहीं जानता कि यह एक कालेज बना या विकसित हुआ या नहीं। परन्तु 25 वर्ष पहले यह बहुत अच्छा विद्यालय था, देश का एक सबसे अच्छा माध्यमिक विद्यालय। वे मुझे वहां ले गए थे। मैंने कहा: आपकी खास बात क्या है? वे बोले: महोदय, हमने 25 वर्ष पहले कम्प्यूटर स्थापित किया। 25 वर्ष पहले मेरे सहित कोई भी नहीं जानता था कि कम्प्यूटर क्या है। जब वे मुझे वहां ले गए तो वहां एक बड़ा कमरा था जो कम्प्यूटर से भरा था। वह एक हाथी की तरह था। कम्प्यूटर का आकार दो हाथियों जितना था जिसने पूरे कमरे को घेरा हुआ था। वे बोले: ''यह कम्प्यूटर है'' मैने कहा: मैं इस विशाल चीज के बारे में नहीं समझता; कृपया मुझे यह बताइये कि यह क्या करता है। तब उन्होंने मुझे उस हाथी के आकार के बड़े कम्प्यूटर द्वारा कुछ प्रारंभिक गणन करते हुए दिखाया। मैंने कहा हां, यह बहुत अच्छा है। परन्तु मैं इसका क्या करूंगा? यदि मुझे 342 को 415 से गुणा करना हो तो क्या मैं यहां आऊं? क्या आप यह चाहते हैं?'' वे बोले-''जी नहीं, यह बताता है कि विद्युत किस प्रकार इसके मस्तिष्क का प्रयोग करती है, कि यह मानव मस्तिष्क जैसा काम कराता है।'' यह कम्प्यूटर की विशेषता है और हम सभी यह जानते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेनफ्रेम है। वे अब भी हैं। इसके अलावा हमारे पास डैस्क टोप थे। इसके अलावा हमारे पास लैप टोप थे। यह लैप टोप

क्या है? यह पुस्तक के आकार का होता है। इसकी शक्ति उतनी ही है चाहे इसका आकार उतना न हो। प्रौद्योगिकी वही है। वास्तव में, यह डेस्कटोप या मेनफ्रेम में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी से अधिक अत्याधुनिक है। अब उसमें और इसमें क्या अंतर है। यह अंतर प्रौद्योगिकी के कारण आया है। अन्य सभी बातें वही है। अगर आप छोटे आकार का चाहते हैं तो छोटा लीजिए और अगर आप मध्यम दर्जे का चाहते हैं तो मध्यम दर्जे का मिलेगा या जैसा भी आप चाहें। यह अंतर प्रौद्योगिकी के कारण आया है। किसी भी आकार का होने पर भी गुणवत्ता कायम रखी जाती है।

एक अन्य उदाहरण है। यह कहा गया है–मैं नहीं जानता कि यह अब भी सही है या नहीं। किसी कताई मिल को कम खर्चीला बनाने के लिए 50000 तकलियों की आवश्यकता है या नहीं। मैं नहीं जानता, हो सकता है, 35,000 या 50,000। उस आकार की मिल का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने अभी अभी कहा है कि पूरा नगर, स्कूल, कालेज, सड़कें, गंदी बस्तियां और सभी कुछ होगा। मान लो, मुझे 1,000 तकलियों या 500 तकलियों वाली मिल की आवश्यकता है तो कपड़ा भी तुलनात्मक रूप से उसी किस्म का होना चाहिए।

क्या यह प्रत्येक गांव में संभव नहीं है। यह प्रत्येक गांव में संभव है, कम से कम बड़े गांवों में तो है। मैंने उन लोगों से बात की थी जो वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें बनाने वाली संस्था के प्रभारी हैं। मैंने उन्हें एक या दो बार बुलाकर पूछा "क्या आप ऐसा कर सकते हैं?" वे बोले: हम कोशिश करेंगे। यह अनुसंधान का मामला है। "मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उनसे इस संबंध में बार-बार जानकारी मांगे। उन्होंने हमसे लघु वस्त्र मिल देने का वादा किया है जिसमें गुणवत्ता की कोई कमी नहीं होगी परन्तु महात्मा गांधी द्वारा कल्पित लघु उद्योग के सभी गुण होंगे। वे उस समय ऐसा नहीं कर सके। क्योंकि उस समय स्थितियां अनुकूल नहीं थीं, ब्रिटिश सरकार इसे स्वीकार न करती। आज, क्या हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? यह सरकार, जनता की सरकार जैसे ही इसे मान लेगी कि यह संभव है इसे स्वीकार कर लेगी। मुझे विश्वास है कि यह संभव है। हम कम से कम यह दिखाएं कि यह संभव है। अगर यह 1000 नहीं तो 5000 तकलियां होंगी। इस हद तक आप विकेन्द्रीकरण कर सकते हैं, उस हद तक आप बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं।

अब मैं पन बिजली का उल्लेख करूंगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उस दिन मेरे मित्र श्री शरद यादव ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। उन्होंने कहा "पहले पानी का प्रयोग करो" मैं तो कहता हूं कि पानी का उपयोग करो, सौर ऊर्जा का उपयोग करो। वास्तव में हुआ यह है कि विगत पांच वर्षों के दौरान इन गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधनों को भारत सरकार में एक अलग मंत्रालय में रख दिया गया। क्यों? क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि यह संसाधन अन्य बड़ी परम्परागत बिजली परियोजनाओं के छोटे-मोटे हिस्सेदार बनें। यह खोजने का प्रयास करें।

मैं समझता हूं कि इस देश में पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता लगभग 20,000 मेगावाट है। यह कोई कम ऊर्जा नहीं है। मैं तो समझता हूं कि यदि जल स्रोतों का पूरा उपयोग किया जाए तो मात्र हिमाचल प्रदेश ही पूरे देश को बिजली की आपूर्ति कर सकेगा। इस उक्ति में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है। शायद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही मुझसे यह कहा था। परन्तु मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा तो यह है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला ही पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन कर सकेगी। कभी-कभी हमें अफ्रीका उपमहाद्वीप के प्रति बहुत निराशा सी होने लगती है। विक्टोरिया झरने को देखिए। केवल यही सम्पूर्ण अफ्रीका को बिजली की आपूर्ति कर सकता है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं। जिन लोगों ने इसे देखा है उन्हें इस बारे में कोई सन्देह नहीं होगा। अत: ऐसे बहुत से काम हैं जो महात्मा गांधी के विचार दर्शन के अनुरूप छोटे स्तर पर किये जा सकते हैं। ... *(व्यवधान)* बहुत से देश इसे लघु पन बिजली परियोजनाओं द्वारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब भी कोई नया विचार उपजता है कोई उसे व्यर्थ कर देता है, कोई कहता है कि वह संभव नहीं और कोई चुप रहता है। फिर जब कोई यह कहता है कि वह सम्भव नहीं तो हम भी यह कहने लगते हैं कि वह सम्भव नहीं। सरकार को, जन प्रतिनिधियों को इस बहाने को सुनने से इन्कार कर देना चाहिए। उन्हें यह कहना चाहिए कि मेरे क्षेत्र के लोगों को इसकी जरूरत है, वे शोलापुर, अथवा यहां वहां कहीं नहीं जाएंगे और हड्डियों का ढांचा नहीं बनेंगे। चाहे आप उन्हें 1000 या 2000 तकलियां दीजिए। चलिए, देखते हैं आपका निर्णय क्या है और आपका अनुसंधान क्या कहता है? हमें इस तरह की कार्य नैपुण्य अपनाना होगा।

चीनवासियों की अपनी स्वदेशी औषध पद्धति है। मैंने वियतनाम में इस विषय पर एक बड़ी पुस्तक पढ़ी थी। युद्धग्रस्त उस देश में वियतनाम के औषधियुक्त जड़ी बूटियों पर एक बहुत ही शानदार पुस्तक तैयार की गई है। हमने भी ऐसा किया है। परन्तु भारतीय औषध पद्धति भी पूर्णतया उपेक्षा का शिकार हो चुकी है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अब यह विभाग एक नए निदेशक के अधीन हो गया है। अब मंत्री वास्तव में कमाल कर सकते हैं। कृपया आगे बढ़िए। यह ऐसे कार्य हैं जिन्हें होते देख महात्मा गांधी की आत्मा को शांति मिलेगी।

अत: महोदय मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में कुछ नई मौलिक सोच हो, नया शोध हो, नवीनता हो केवल मौलिक ही नहीं, अपितु जिसे हम 1000 वर्ष पूर्व हुए कार्य से आगे बढ़ा सकें। इन कार्यों को हमें फिर से शुरू करना चाहिए। अब आप यह क्यों चाहते हैं? आठवीं पंचवर्षीय योजना या नवीं पंचवर्षीय योजना अथवा पांचवी पंचवर्षीय योजना सभी योजनाओं की एक ही सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह है रोजगार जुटाना। इस तरह के भीमकाय उद्योगों से क्या यह सब सम्भव है। चाहे हम अपनी कल्पनाशक्ति को कितना भी दौड़ा लें परन्तु जिस तरह के औद्योगीकरण के पीछे हम दौड़ रहे हैं उससे क्या इतनी अधिक जनसंख्या को रोजगार दिया जाना सम्भव है? हम किस लिए काम करते

हैं? हमारे भारतीय लोकाचार के अनुसार, यह दुनिया केवल मात्र धन कमाने के लिए नहीं है, रोजगार मात्र धन अर्जन का हेतु नहीं है, यह जीवन का एक मूल्य है, काम जीवन-मूल्य है। भगवान कृष्ण ने कर्मयोग के ऊपर एक पूरा अध्याय अर्पित किया है और स्वयं के लिए भी वह यही कहते हैं। यह सब पीछे भगवद् गीता में प्रत्यक्ष दिया है। वह क्या कहते हैं। वह कहते हैं:

''न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं''

[हिन्दी]

''मेरा कोई कर्तव्य नहीं, किसी ने मुझे कर्तव्य में आबद्ध नहीं किया, मैं सृष्टा हूं।''

''त्रिषु लोकेपु किंचन''

[अनुवाद]

''मैं सभी लोकों में कार्यशील हूं। चाहे किसी ने मेरे कर्तव्य का निर्धारण नहीं किया फिर भी मैं कर्तव्य करता हूं।''

महोदय, एक बेकार व्यक्ति चाहे वह बेकारी भत्ता लेता है या नहीं कुछ देशों में बेकारी भत्ता दिया जाता है, चाहे वहां की सामाजिक समस्याएं इससे सुलझती नहीं, अपितु उलझ जाती हैं। अत: सबक यही निकलता है कि बेरोजगारी मुआवजा वास्तविक रोजगार का कोई विकल्प नहीं है। आप चाहे उन्हें कितना भी धन दे दें, वे संतुष्ट नहीं होंगे। काम करने से व्यक्ति को जो संतुष्टि मिलती है वह उसे कभी नहीं मिलेगी। अत: हमें अपने शास्त्रों से अपनी संस्कृति से अपनी सभ्यता से यह सब विचार धारण करने चाहिए, आकर्षक सांसारिक वस्तुओं की चकाचौंध से चुंधिया कर जीवन के सनातन पक्ष को नहीं भुलाना चाहिए।

अत: मैं सरकार को यही सुझाव देना चाहता हूं। क्षमा करना, मुझे नहीं पता मैंने अपनी निर्धारित समयावधि के भीतर अपना काम किया अथवा इससे आगे चला गया। परन्तु मैं सदन के सामने अपने यह विचार रखना चाहता था। इन सब विषयों पर हमें चर्चा करनी चाहिए थी। हम महात्मा गांधी से क्या सीख सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। इस बारे में कोई दलगत विचार नहीं है और न किसी व्यक्ति विशेष के हित इससे जुड़े हुए हैं। यदि आजादी के 50 या 100 वर्ष बाद भी हम इस बात से शर्मिन्दा हैं नहीं कि हमें इस बात का भी ज्ञान नहीं कि महात्मा गांधी नाम का कोई व्यक्ति इसी देश में पैदा हुआ था। फिर हम उनसे क्या सीख सकते हैं। हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। शायद उन्हें हम दूसरे देशों के माध्यम से जानते हैं। ऐसा होने पर यह हमारे देश के लिए बहुत बुरा दिन होगा।

महोदय, आपने बोलने के लिए मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे आशा है कि हमारी चर्चा फलदायक सिद्ध होगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष रूप से बुलाए गए संसद के इस अधिवेशन में पिछले दो दिनों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। बहस में चार मुद्दों का समावेश किया गया है, लेकिन पहले ही दिन आपने चाहा था कि यदि एक वक्ता अपनी बात को एक विषय तक सीमित रखे तो चर्चा ज्यादा व्यवस्थित भी होगी और ज्यादा सार्थक भी। मैं आपके इस निर्देश का पालन करते हुए अपनी बात को केवल मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के पहलू तक ही सीमित रखना चाहूंगी।

अध्यक्ष जी, यह सत्र आत्मचिन्तन के लिए बुलाया गया है। इसलिए इस सत्र में होने वाली चर्चा का तकाजा है कि चर्चा दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर चले, 'आप' नहीं, 'हम' के संबोधन का इस्तेमाल किया जाए। समाज में आए दोषों को हम सांझे दोषों के रूप में स्वीकार करें। एक साथ बैठकर उन दोषों को दूर करने के उपाय सोचें और सांझे रूप से उन्हें दूर करने में जुट जाएं। मुझे नहीं लगता कि इस चर्चा के दौरान स्वर में कोई तेजी लाने की आवश्यकता पड़ेगी। अध्यक्ष जी, मैं कोशिश करूंगी कि इस सीमा और मर्यादा के भीतर ही अपनी बात पूरी कर सकूं।

मानव संसाधन का जहां तक ताल्लुक है, किसी भी देश का मानव संसाधन उसकी अपार दौलत होता है। यहां तक कि प्रकृति के द्वारा दिये गये अन्य संसाधन जैसे जल, खनिज, भूमि, इनका इस्तेमाल भी देश अपने मानव संसाधन के बल पर करते हैं, मगर हमने अपने देश के मानव संसाधन को हमेशा एक भार के रूप में देखा है। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को अपनी तमाम समस्याओं की प्रमुख जड़ माना है। यह ठीक भी है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय साथ-साथ चलें। हम आबादी को कंट्रोल करने का प्रभावी कार्यक्रम चलाएं। यह वांछनीय भी है और आवश्यक भी, लेकिन प्रश्न यह है कि जो मेन मैटीरियल उपलब्ध हो चुका है, जो मानव संसाधन देश में मौजूद है, उसका विकास हम कैसे करें। यह एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। मुझे लगता है कि भारत जो 96 करोड़ लोगों का देश है, यानी 96 करोड़ दिमागों का मालिक है, उससे दो गुने हाथों और पैरों का धनी यदि इस अपार संसाधन को शिक्षित, स्वस्थ, चरित्रवान और अनुशासित बनाकर हमें

राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगा दे तो यह बोझ पूंजी में बदल सकता है, यह लायेबिलिटी ऐसेट बन सकती है और यह भार देश की अपार संपत्ति की शक्ल ले सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह कार्य कठिन लगता है मगर असंभव नहीं है। जरूरत है एक अदम्य इच्छाशक्ति की, जरूरत है एक स्वस्थ सोच की, जरूरत है अब तक की चली हुई योजनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण करने की और जरूरत है भावी योजनाओं को व्यावहारिक और युगानुकूल बनाने की। इसलिए मैं अपनी बात सबसे पहले वर्तमान परिदृश्य से शुरू करना चाहूंगी।

अपराह्न 12.08 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष जी, वर्तमान परिदृश्य में जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है, बहुत संवरा हुआ नहीं है। एक दस्तावेज हमें लोक सभा सचिवालय ने बांटा है। इसके पृष्ठ 109 पर यदि एजुकेशन के बारे में लिखा गया केवल एक पैरा जिसमें सार लिखा है, यदि वह पैराग्राफ सदस्य पढ़ लें तो वह धुंधला परिदृश्य सामने आ जाएगा। हमने हर बच्चे को स्कूल भेजने का सपना देखा था, लेकिन बीसियों योजनाएं बनने के बाद, युनिवर्सलाइजेशन आफ प्राइमरी एजुकेशन का लक्ष्य रखने के बाद भी यह दस्तावेज कहता है कि 1991 की जनगणना के अनुसार हमारे यहां साक्षरता की दर 52.21 फीसदी है। हम हर बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं मगर हर गांव में स्कूल की इमारत उपलब्ध नहीं करा सके हैं। इमारत है तो ब्लैकबोर्ड नहीं है। ब्लैकबोर्ड हैं तो टाट-पट्टी नहीं है। टाट-पट्टी हैं तो बैठने के लिए बच्चे नहीं है और बैठने के लिए बच्चे हैं तो पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। इसी दस्तावेज के पृष्ठ 115 पर अध्यापकों का चार्ट दिया गया है और आप देखकर हैरान होंगे कि चार्ट में दर्शाया गया है हिन्दुस्तान के 28 फीसदी स्कूल एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। और 32 फीसदी स्कूल दो अध्यापकों के सहारे चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, प्राइमरी कक्षा का अर्थ होता है पांचवीं तक की शिक्षा और अगर पांच क्लासों को हम एक या दो अध्यापकों के सहारे पढ़ाने का सपना ले रहे हैं तो वह पढ़ाई नहीं रस्मनिभाई है और यदि हिन्दुस्तान के 60 फीसदी स्कूल, 28 जमा 32 साठ होते हैं, साठ फीसदी स्कूल जोकि केवल रस्मनिभाई कर रहे हैं, केवल नाममात्र की शिक्षा दे रहे हैं तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजूकेशन के लक्ष्य हम कब पूरा करेंगे, यह सोचने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय: सुषमा जी, एक मिनट रुकिए। बच्चों के बारे में एक उर्दू का शेर कहना चाहता हूं।

बच्चों के नन्हें हाथों को चांद-सितारे छूने दो,
दो-चार किताबें पढ़कर तो ये हम जैसे हो जायेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छा शेर कहा और मुझे अपनी अगली बात भी उसी में से मिल गई। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका भी एक परिदृश्य हमारे सामने उभरता है। आप जानते हैं हमारे यहां एक कहावत है जो आपके इस शेर से मिलती है। 'नालायक पूत का बस्ता भारी' लेकिन जो पाठ्यक्रम हमारे यहां लगा है उस पाठ्यक्रम ने नालायक, लायक सभी पुत्र-पुत्रियों का बस्ता भारी कर दिया है। मैं जब स्कूल से लौटते हुए मासूम बच्चों को देखती हूं तो बहुत बार यह सोचने लगती हूं कि जो बचपन स्कूल नहीं गया वह जाकर या तो कूड़ा-करकट के ढेर में से कांच या कागज बीनते हुए नजर आता है या मां के साथ किसी बड़े आदमी के घर में बर्तन मांजता नजर आता है या फैक्टरियों में काम करके असाध्य रोगों से घिर जाता है और जो बचपन स्कूल जा रहा है वह इस भारी बस्ते के बोझ से गिरता-पड़ता, थका-मांदा घर लौटता है। मैं पूछना चाहती हूं कि जिस देश का बचपन इतना तनावग्रस्त हो जायेगा उस देश का यौवन कैसा होगा। क्या हमारे शिक्षा नीति-निर्धारकों ने कभी इसकी कल्पना की है और बोझ का ही सवाल नहीं है पाठ्यक्रम का कंटेन्ट इससे ज्यादा निराशा दिखाता है। पाठ्यक्रम बनाने वालों की सोच एक विकृत सोच थी। इसलिए उसने राष्ट्रीयता को साम्प्रदायिकता बना दिया और नैतिकता को धर्मनिरपेक्षता की बलि चढ़ा दिया। 'ग' से गणेश पढ़ाकर देश की धर्मनिरपेक्षता पर आंच आने लगी तो 'ग' से गधा पढ़ाकर हमने देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बचाया। राष्ट्रनायकों की जीवनियां इतिहास के पन्नों से हटा दी गईं और जिसका आज यह हश्र है कि हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, लेकिन मैं तमाम संसद सदस्यों से कहती हूं कि स्कूल जाते बच्चों से जरा पूछकर देखना कि स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों के दस नाम गिना दो तो वे बगले झांकने लगेंगे। लेकिन आप अभिनेता और अभिनेत्रियों के नाम पूछें तो 25 नाम सरपट गिना देंगे। यह हमारे देश के पाठ्यक्रम की हालत हुई है। बीसियों कमेटियां बनी हैं, दसियों कमीशन बने हैं, इन समितियों और आयोगों ने सैंकड़ों रिपोर्टें दे डाली हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इतनी लम्बी-चौड़ी कसरत के बावजूद भी इस दिशाहीन शिक्षा, इस बोजिल और अप्रासंगिक पाठ्यक्रम और इस बासी और उबाऊ ज्ञान से हमें कोई छुटकारा नहीं दिला सका। उपाध्यक्ष जी, आजादी के बाद चार पीढ़ियां बीत गईं और आज तक हम उसी घिसी-पिटी शिक्षा प्रणाली के सहारे बेरोजगारों की संख्या बढ़ाते हुए आगे का सफर तय करते रहे। बिना यह सोचे कि हिंदुस्तान के सामने चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कैसे इंसान तैयार करने हैं। गांधी जी ने एक योजना दी थी, एक बुनियादी शिक्षा की योजना, जो हिन्दुस्तान की माटी से जुड़ी थीं, जिसमें धरती की सौंधी गंध शामिल थी। जिससे पैदा हुआ इंसान सच्चा, सादा और ईमानदार होता, जिसमें पढ़-लिखकर इंसान चरित्रवान और अनुशासित होता। जिस शिक्षा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौजवान सरकार की ओर रोजगार की भीख के लिए हाथ नहीं फैलाते, बल्कि अपने अंदर स्किल पैदा करके अपने लिए भी कमाते और देश के लिए भी उत्पादन करते। लेकिन आधुनिकता के मोह में उस योजना को एक सिरे से नकार दिया। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, योजना नहीं एक जीवंत संस्था, जीती जागती संस्था, कला,

साहित्यकार और रंगमंच के लोगों को पैदा करने की संस्था, नोबल पुरस्कार विजेताओं की संस्था, प्रखर वैज्ञानिकों की संस्था। वैसी और संस्थाओं का निर्माण करना तो दूर हमने उस संस्था का भी सर्वनाश कर दिया।

यही कारण है कि आजादी के केवल 50 वर्षों में हम गांधी से माइकल जैक्सन और टैगोर से मैडोना तक पहुंच गए। जो व्यक्ति अपने सामने खड़ी चुनौतियों को नहीं देखता, उनका सामना करने के लिए नीतियां परिवर्तित नहीं करता, चुनौतियां उसे निगल जाती हैं। आज भी देश के सामने जो चुनौतियां हैं, शिक्षा-प्रणाली के नीति-निर्धारक उनसे बेखबर हैं। इसे कौन देख रहा है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने हिन्दुस्तान के मानव-संसाधन के सामने एक प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। हम यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की चर्चा करते हैं लेकिन वह चर्चा केवल अर्थ जगत और उद्योग तक सीमित होकर रह जाती है। कोई नहीं देख रहा कि ये बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां मोटी तनख्वाहें और अनेक सुविधाएं देकर देश की प्रतिभा को जिस तरह आकृष्ट कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज हमारे अधिकाधिक नौजवान मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं। कोई मेधावी छात्र साईंस पढ़ना नहीं चाहता, आर्ट और कल्चर में आज कोई बच्चा रुचि नहीं लेता। मैडिकल और इंजीनियरिंग की ग्राहकी भी कम हो रही है। आज दौड़ लगी है कॉमर्स पढ़ने की और मैनेजमेंट पढ़ने की। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हमारे नीति-निर्धारकों ने कभी इसके बारे में सोचा है। यदि हमारी सारी की सारी प्रतिभा और मेधा व्यापार जगत में चली जाएगी, कौमर्स और मैनेजमेंट में चली जाएगी तो देश में वैज्ञानिक कहां से पैदा होंगे, साहित्यकार कहां से पैदा होंगे, शिक्षक कहां से पैदा होंगे—यह एक बड़ा प्रश्न है। इसी कारण हमारी आर्मी और एयर फोर्स में भारी संख्या में पद खाली पड़े हैं।

यहां जसवन्त सिंह जी बैठे हैं, वे स्टैडिंग कमेटी ऑन डिफैंस में मैम्बर हैं और मैं स्वयं उसकी एक मैम्बर हूं। उपेन्द्र जी भी यहां मौजूद हैं। इनके सामने डिफैंस कमेटी की एक मीटिंग में अधिकारियों ने यह चौंकाने वाला आंकड़ा दिया कि एक समय था जब आर्मी और एयरफोर्स में 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले नौजवान आते थे लेकिन आज 45 प्रतिशत से ज्यादा अंक लेने वाला लड़का हमें आवेदन भी नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा कि जब आर्मी में 70 प्रतिशत अंक लेने वाले नौजवान आते थे, उस समय एयरोप्लेन इतना जटिल नहीं था, कॉम्पलिकेटिड नहीं था लेकिन आज जब हमें कम्प्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत है, कम्प्यूटर पढ़े-लिखे लड़कों की जरूरत है तो 45 परसेंट से ज्यादा अंक लेने वाला लड़का हमें आवेदन भी नहीं देता। आज आर्मी और एयरफोर्स में अनेकों पद इसलिए रिक्त पड़े हैं क्योंकि हमारे यहां उपयुक्त प्रतिभा उपलब्ध नहीं है। उसका कारण है कि एक समय आर्मी में नौकरी के साथ ग्लोरी जुड़ी हुई थी। मुझे मालूम है 1965 से 1975 के दशक में लड़कियों की पहली पसन्द आर्मी ऑफिसर होती थी, उनका मैट्रीमोनियल बाजार भी गर्म था इसलिए लोग फौज में जाते थे। उन्हें पैसा भी ठीक मिल जाता था और शानो-शौकत भी थी, प्रतिष्ठा भी थी, लेकिन आज न पैसा है, न प्रतिष्ठा।

उपाध्यक्ष जी, आप हरियाणा से आते हैं, मुझे मालूम है कि पंजाब और हरियाणा के लोग अपने लड़के को आर्मी में भेजने में गर्व महसूस करते थे और जो परिवार अपने बच्चे को फौज में नहीं भेज पाता था, उनके नाम करनैल सिंह, जरनैल सिंह, सूबेदार सिंह, मेजर सिंह, हवलदार सिंह रख दिये जाते थे। सदन में मेजर सिंह जी उबोक बैठे हैं। उन्हें एक फौजी का नाम रखने में गर्व महसूस होता था लेकिन आज फौज में न प्रतिष्ठा है, न पैसा है फिर कोई क्यों इस कैरियर को अपनाए? क्या हमारे नीति-निर्धारकों ने कभी इस बारे में सोचा है, क्या पे कमीशन की रिपोर्ट देने वालों में इस बारे में सोचा है। अगर आप पैसा नहीं दे सकते कम से कम प्रतिष्ठा तो दे सकते हैं। यदि आप वारंट ऑफ प्रीसिडैंस उठाकर देखें तो हमारा माथा शर्म से झुक जाता है-जान देने वालों का नाम नीचे है और फाइलों पर हुक्म देने वालों का नाम ऊपर। ऐसा क्यों है, वह मुझे मालूम है।

इन चीजों को बदलने के लिए हमें कुछ अप्रिय निर्णय लेने होंगे, कुछ अधिकारियों को नाराज करना होगा लेकिन इच्छा-शक्ति रखकर आप वे अप्रिय निर्णय लीजिए क्योंकि लाल नीली पैंसिल चलाकर अगर देश बनता तो बन गया होता, अगर फाइलों की मोटाई ऊंची रखकर देश बनता तो बन गया होता, लाल फीते को लम्बा, चौड़ा और दुगना करके अगर देश बनता तो बन गया होता—देश बनता है प्रतिभाओं की कद्र करके, देश बनता है परिश्रम का सम्मान करके, देश बनता है नायकों की प्रतिष्ठा बनाकर। यही हाल हमारे वैज्ञानिकों का भी है। क्या आप समझते हैं कि फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाकर आप देश में वैज्ञानिक तैयार कर सकते हैं? अपनी पूरी जिन्दगी प्रयोगशालाओं में शोध और अनुसंधान करने में बिता देने वाले लोग भी कुछ सामाजिक सम्मान के हकदार भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वे कुछ नागरिक प्रतिष्ठा के भी अधिकारी हैं, लेकिन इस देश में हरगोविंद खुराना एक छोटी सी नौकरी के लिए भटकते रहे। निराश होकर विदेश चले जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि सी.वी. रमन और चन्द्र शेखर जैसे आविष्कारक आज इस दुनिया से चले गए। क्या इस देश के नीति निर्धारकों ने कभी उन्हें बैठाकर पूछा कि देश में अच्छे वैज्ञानिक तैयार करने के लिए किस तरह की मेधा की जरूरत है, नीतियों में किस तरह के परिवर्तन की जरूरत है? हां, आज एक निर्णय हुआ है जिसके लिए मैं इस सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि डा. राजा रामन्ना को राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। इस तरह के निर्णय की आवश्यकता है। इस तरह के निर्णय उस प्रतिष्ठा को बहाल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का बहुत बड़ा मानव संसाधन और देश की कुल जनसंख्या का 50 फीसदी भाग महिलाएं हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नारी जागरण का एक अनुष्ठान चला था। हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। आजादी के बाद की जन्मी हुई पीढ़ी हैं इसलिए उस अनुष्ठान को आंखों से नहीं देखा, लेकिन पढ़ते हैं कि उस समय महिलाएं गांधी जी के आह्वान पर चूल्हा-चौका छोड़कर अंग्रेजों के

राज के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए मैदान में आ गई थी। राजा राम मोहन राय ने सती-प्रथा के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। नारी जागरण अनुष्ठान की वह महिला, एक गरिमामयी महिला था। अपने चौके-चूल्हे में, खादी में लिपटी, चर्खा कातती वह महिला गरिमा की एक मूर्ति थी। आज 50 वर्ष के बाद जब देखते हैं तो उस गरिमामयी नारी को विज्ञापन की वस्तु बनाकर, उपभोग की वस्तु बनाकर, सजावट की वस्तु बनाकर, बाजार में होर्डिंग और विज्ञापनों के रूप में टांग दिया गया है। आज बिना नारी की अर्धनग्न देह का प्रदर्शन किये कोई चीज बिकती नहीं। आज उसे लाभ की वस्तु का माध्यम बना दिया गया है। क्या हमारे सामने यह चुनौती नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय, आज नारी-शिक्षा का आंकड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस दस्तावेज में जब हम मेल और फिमेल लिटरेसी का रेश्यो पढ़ते हैं, तो एक बार तो चौंक जाते हैं। आज भी इस देश में ऐसे-ऐसे जिले हैं जहां कन्या के जन्म पर मातमी छा जाती है। जहां आसपास की महिलाएं आकर शोक मनाती हैं और सिर पर हाथ रख कर कहती हैं कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। कोई बात नहीं इस बार लड़की आई है, तो अगली बार ईश्वर लड़का भी देगा। पहले तो कहीं-कहीं कन्या को जन्म लेते ही मार देने की प्रथा थी, लेकिन अब विज्ञान की तरक्की उसके लिए अभिशाप बन गई है। अब तो गर्भ में ही लिंग का पता चल जाता है। इसलिए भ्रूण हत्या हो जाती है। जनसंख्या-नियंत्रण की जब हम चर्चा करते हैं, तो जरा एक तरफ हम इन आंकड़ों पर भी निगाह डाल लें। यह जनसंख्या नियंत्रण नहीं बल्कि कन्या-संख्या नियंत्रण हो रहा है। इससे मेल-फिमेल रेश्यो कितना घट रहा है, उसमें कितनी बड़ी खाई बन रही है, यह देखने वाली बात है। जनसंख्या नियंत्रण महिलाओं की सेहत के आधार पर हो रहा है। इसमें पुरुषों की टोटल भागीदारी साढ़े तीन प्रतिशत है, लेकिन महिला बार-बार गर्भपात के लिए कभी अल्ट्रासाउंड के सामने लिटायी जाती है और कभी आपरेशन टेबल पर लिटाई जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि जिस देश में यह कहा जाता है कि एक लड़के को पढ़ाने का मतलब एक व्यक्ति को पढ़ाना होता है। एक लड़की को पढ़ाने का मतलब दो परिवारों को पढ़ाना होता है। एक पढ़ी-लिखी बहन, कभी भी अपने भाई-बहन को अनपढ़ नहीं रहने देती। एक पढ़ी-लिखी मां कभी भी अपने बच्चे को बेपढ़ा नहीं रहने देती। उस देश के अंदर नारी शिक्षा की इतनी बुरी हालत क्यों है? आज भी मेरे देश की महिलाओं का ईंधन बीनने, लकड़ी बटोरने और चौका-चूल्हा फूंकने में सारा समय निकल जाता है।

उपाध्यक्ष जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत से ज्यादा परिश्रमी महिलाएं शायद विश्व में कहीं और नहीं हैं जो बाहर और घर दोनों का मेल बैठाती हैं। घर के अंदर वह परिवार की धुरी होती हैं। घर के अंदर वह संस्कार देने वाली जननी होती है, मां होती है और बाहर वह अर्निंग मैम्बर बनकर पुरुष का कंधे से कंधा मिलाकर घर का आर्थिक भार ढ़ोती हैं। लेकिन महिलाओं की भागीदारी आज राष्ट्र निर्माण में कितने प्रतिशत है? यह एक चुनौती भरा सवाल है और मैं चाहूंगी कि देश की आजादी की इस पचासवीं वर्षगांठ के अवसर जब यह संसद एक एजेंडा तैयार करे, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए। हमने शिक्षा दी, महिला शिक्षा के थोड़े आंकड़े बढ़े। हमने स्वावलंबन दिया, नौकरियां दी। नौकरियों में उसका प्रतिशत बढ़ा, लेकिन नौकरी के स्थान पर होने वाले यौन-शोषण को रोकने के लिए हमने क्या किया?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहूंगी कि महिलाओं के यौन-शोषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक जजमेंट आया है, लेकिन वह निर्देश है। वे सुप्रीमकोर्ट की डायरैक्शंस है। मैं चाहूंगी कि संसद उन निर्देशों का समावेश करते हुए एक एक्ट पास करे। एक विधेयक लेकर आए ताकि यौन-शोषण के निर्देश कानूनी मान्यता प्राप्त कर सकें। जिसके कारण कम से कम यौन शोषण को समाप्त करने की दिशा में इस 50वीं वर्षगांठ में यह एक बड़ा मील का पत्थर हो।

उपाध्यक्ष जी, हमारे देश का एक बड़ा मानव संसाधन हमारे दस्तकार हैं। कला और हुनर के मालिक ये दस्तकार केवल इस देश की आर्थिक प्रगति में ही योगदान नहीं देते बल्कि इस देश की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाते भी हैं। लेकिन यदि आप उनके रहनसहन और उनकी दुर्दशा को देखें तो रोना आता है। मैं राज्य सभा की पिटीशन कमेटी की चेयरमैन थी। मेरे सामने हैंडलूम वीवर्स की दुर्दशा, हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा के संबंध में एक याचिका प्रस्तुत की गयी। उनकी हालत देखने के लिए हम लोग देश के दूर-दूर के कोने-कोने में स्थित उनके घरों में गये। मैं हैरान थी कि जब उनकी बनायी गयी साड़ी हाथ में दी जाती थी तो आदमी अचंभित रह जाता है। यह हाथ किस तरह से सधे हुए पूरे कपड़े पर अपनी कला बिखेर देते हैं। लेकिन जब हम उनके घर पर जाते थे तो उनका रहनसहन देखते तो देखेंगे, सुनने में फर्क है। 12-14 घंटे पूरा परिवार काम करने के बाद दो जून की रोटी भी अपने लिए जुटा नहीं पाता। छांद की छत है जो कि बारिश में टपकती है। वह कपड़ा भी एक तरफ रख देते हैं। उन दिनों वे अपनी रोजी का साधन भी पूरा नहीं कर पाते। आज समय है जब देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ में उन दस्तकारों की दशा सुधारने के लिए एक एजेंडा अपने सामने लायें।

उपाध्यक्ष जी, इस देश का दूसरा ह्यूमन रिसोर्सिस इस देश का किसान है। जो कि सरदी में ठिठुर कर, गर्मी में झुलसकर इस देश के लिए खाद्यान्न पैदा करता है। लेकिन वही किसान जब देखता है कि उससे ज्यादा महंगा मोल देकर बाहर के देशों से अनाज आयात किया जा रहा है तो उसकी छाती पर सांप लोटता है। उसकी आत्मा विद्रोह करती है। उसे लगता है कि वह छला गया है। उसका परिश्रम बेकार गया है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह के निर्णय लेने से पहले कम से कम एक बार उस किसान की तरफ देखें जो अपना पसीना बहाता है, जो खेत में रात-रात जाग कर पानी लगाता है और

इस देश की उदर पूर्ति करता है। जब मैं किसान के कठिन परिश्रम को याद करती हूं तो मुझे श्री लाल बहादुर शास्त्री की याद आती है। इस किसान के बल पर उन्होंने खाद्यान्न की समस्या का समाधान किया था। मुझे याद है उस समय हम छोटे छोटे थे तब निबंध आया करता था कि देश में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। जिस पर हम प्रस्ताव लिखा करते थे। लेकिन उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक तरफ किसान की जयकार करके उसको उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर दिया और दूसरी तरफ उस खाद्यान्न की समस्या से लड़ने के लिए एक शुद्ध भारतीय तरीका अपनाया। समूचे देश को सोमवार का व्रत रखवा कर इस खाद्यान्न की कमी से लड़ने का एक स्वाभिमानी रास्ता अपनाया। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हर समस्या से जूझने के लिए भारतीय तरीके में फर्क है और यदि हम उन भारतीय तरीकों का इस्तेमाल करने लगें तो स्वाभिमान के साथ हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष जी, इसके बाद एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्सिस हमारे नौजवान हैं। यह दस्तावेज कहता है कि इस सदी के अंत तक 35 करोड़ 60 लाख नौजवान इस देश में हो जायेंगे। तरुणाई का ज्वार लिए 36 करोड़ का यौवन जिस देश में मौजूद हो, उस देश को तो किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि वह हमारी गलत नीतियों के कारण अविकसित रह जाये, अर्द्ध-विकसित रह जाये या गलत दिशा में विकसित हो जाये तो वही यौवन हमारे लिये सिरदर्द बन सकता है। आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान में जितनी समस्यायें आयीं, उनका यदि आप विश्लेषण करेंगे तो उसकी जड़ में मेल डेवलपमेंट आफ ह्यूमन रिसोर्सिस पाएंगे। भले ही वह कश्मीर की इमरजेंसी हो, भले ही पंजाब का आतंकवाद हो, भले ही वह पूर्वोत्तर की बगावत हो, भले ही देश में फैला हुआ भ्रष्टाचार हो। आज किसी भी समस्या के साथ देखिये आपको मेल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस दिखाई देगा और आज जो संस्कृति प्रदूषण का हमला हमारे देश में हो रहा है, उसका सबसे पहला शिकार हमारे देश के युवक और युवतियां हो रही हैं। अभी कहा जा रहा था कि सिविलाइजेशन के क्राइसिस के बारे में मुझे मालूम है कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि अगला युद्ध सामरिक नहीं होगा, शस्त्रों से नहीं होगा। वह युद्ध संस्कृतियों के बीच में होगा। होगा नहीं बल्कि वह युद्ध तो शुरू हो गया है। जिस समय "एम" टी.वी. खोलकर बेरोजगारी की चक्की में पिसता हुआ मेरे देश का नौजवान "मेनहट्टन और लिमोजिन" की चकाचौंध देखता है तो संपन्ना की चकाचौंध से चुंधियाकर उसको पाने की ललक प्राप्त करता है। पाने के लिए साधन नहीं हैं। उसके पास शिक्षा है, तो भी डिग्री नहीं है क्योंकि डिग्री छापने के लिए कागज नहीं है। यदि डिग्री है तो उसके साथ रोजगार नहीं। लेकिन बेरोजगारी की चक्की में पिसने वाला वह नौजवान जब अपनी इच्छाओं का दमन नहीं कर पाता तो साधन जुटाने के लिए उल्टे-सीधे रास्ते अपनाता है। युवक अपराध का रास्ता पकड़ता है, युवती देह व्यापार का रास्ता पकड़ती है। मैं पूछना चाहती हूं क्या इस चुनौती से बेखबर हम बैठे रहेंगे? क्या यह इतनी बड़ी चुनौती, जिसके कारण यह अथाह पूंजी बर्बाद हो जायेगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं सोचेंगे।

हमारे अध्यक्ष पूर्वोत्तर से आते हैं। पूर्वोत्तर में जिस तरह एड्स और ड्रग्स का आक्रमण हुआ, उसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इसमें हमारी प्रशासनिक नीतियों का, हमारी शिक्षा प्रणाली का कोई योगदान नहीं है? जिस तरह एक अमीर बाप अपने बच्चों को मनीआर्डर भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है, समझता है कि सारा कन्सर्न केवल इस मनीआर्डर के पैसे के अंदर आ गया, हमने वह रास्ता पूर्वोत्तर के साथ अपनाया। केवल पैसा देकर अपने फर्ज को अदा कर दिया। लेकिन उन्हें किसी तरह के स्नेह की जरूरत है, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें किसी तरह की नीति की जरूरत है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मुझे पता है, विन्ध्याचल से इधर के लोग कुछ वर्ष पहले तक केवल चौड़े मस्तक और उठी हुई नाक वालों को ही भारतीय समझते थे। पूर्वोत्तर से आया हुआ व्यक्ति जब रेलवे स्टेशन पर उतरता था तो उन्हें लगता था कि कोई कोरियाई या जापानी आया है। यह तो इस संसद के एक निर्णय ने पूर्वोत्तर को देश के साथ एकाकार कर दिया। जब संसद की पीठ पर आसीन होकर पूर्वोत्तर से आए हुए हमारे अध्यक्ष महोदय पूरे देश के जनप्रतिनिधियों को उठाते-बिठाते हैं, जब पूरा देश उनकी अनुमति लेकर बोलता है तो टी.वी. पर जीवंत कार्यवाही देखकर पूर्वोत्तर का हर नागरिक अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता है और समूचा देश भी अपने आपको पूर्वोत्तर के साथ एकाकार करता है। जरूरत है ऐसे निर्णय लेने की, जरूरत है ऐसे मानव संसाधन के विकास की, जरूरत है इस यौवन को चरित्रवान और अनुशासित बनाने की। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, चरित्र और अनुशासन किताबों से नहीं सिखाए जा सकते, चरित्र और अनुशासन भाषणों से भी नहीं सिखाये जा सकते, चरित्र और अनुशासन के लिए आचरण की आवश्यकता होती है। हमने अपनी युवा पीढ़ी के सामने कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया है, कौन से आदर्श को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आज यह एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने है। मैं कहना चाहती हूं, कल यहां कहा जा रहा था कि देश के 95 फीसदी लोग तो ईमानदार हैं, केवल 5 फीसदी भ्रष्ट हो सकते हैं इसलिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि उन 5 फीसदी लोगों को 95 फीसदी वालों ने अपना आदर्श माना है। ये 5 फीसदी लोग वे हैं जिनसे लोग विभिन्न आचरण की अपेक्षा करते हैं, ये 5 फीसदी वे लोग हैं जिनके हाथ में लोगों ने राजसत्ता सौंपी है, जो राजकरण से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं, ये 5 फीसदी वे लोग हैं जो संसद में बैठकर उस जनता का भाग्य लिखते हैं, ये 5 फीसदी वे लोग हैं जो कार्यालयों में बैठकर निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं और ये 5 फीसदी वे लोग हैं जो न्यायालय की कुर्सी पर बैठकर उनको न्याय देते हैं। यह नहीं है कि दूसरे देशों में भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन दूसरे देशों की एक राष्ट्रीय चरित्र की छवि है। हमने अपनी छवि भी इन 5 फीसदी के आधार पर बनाई है। मैं आपको जापान का एक उदाहरण देना चाहूंगी, प्रत्यक्ष मेरे साथ बीती हुई घटना। जापान के राजनेता कोई कम भ्रष्ट नहीं हैं। जापान की राजनीति में अस्थिरता हमसे कम नहीं है। लेकिन जापान के आदमी ने अपनी छवि बनाई है और देश की छवि

उस आदमी से बनी है, एक कठिन परिश्रमी की छवि, एक राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत स्वाभिमानी जापानी की छवि और एक ईमानदर जापानी की छवि। मैं जापान में एक चीज खरीदकर लौटाए हुए पैसे गिन रही थी। मेरे साथ जो जापानी महिला खड़ी थी, मेरे साथ गई थी, उसने मुझसे प्रश्न कर लिया आप पैसे क्यों गिन रही हैं? मैंने कहा देख रही हूं कि पूरे मिले हैं या नहीं। उसने कहा यह हमारे लिए शर्म की बात है। सुषमा जी, ऐसा मत करिए। जापान में कोई लौटाए हुए पैसे गिनता नहीं है। यदि आप उसे अपना पर्स भी दे देती तो वह उसमें से उतने ही पैसे लेता जितने की यह चीज है। लेकिन इसके विपरीत जब वही जापानी लड़की मेरे साथ भारत आई और जब टिकट की खिड़की के सामने खड़ी थी तो बाहर एक पट्टी लगी थी 'जेबकतरों से सावधान'। जब वह जयपुर की ट्रेन में बैठी तो वहां कम्पार्टमेंट में पट्टी लगी थी 'सवारी अपने सामान की आप जिम्मेदार है'। मैं दोनों में तुलना कर रही थी, यह है राष्ट्रीय छवि, यह राष्ट्रीय चरित्र जिसकी आवश्यकता है। हम पश्चिम की चकाचौंध की बात करते हैं लेकिन हम शायद जानते नहीं पश्चिम में तो पैसे और सत्ता का प्रदर्शन बुरा माना जाता है।

. उपाध्यक्ष जी, पता नहीं आपका जाना हुआ या नहीं, मैं अभी स्वीडन से लौटकर आई हूं। स्कैंडिनेवियन के दो देशों का दौरा करके आई हूं। स्वीडन में मोनार्की है, राजतंत्र है। लेकिन आप हैरान होंगे कि स्वीडन का राजा साईकिल पर चलता है। आते-जाते लोग उसको हैलो करते हैं। वहां की स्पीकर मिसेज ढल हैं। हमारे स्पीकर साहब स्वीडन गए थे। वहां पर राजा के बाद स्पीकर का नम्बर आता है और प्रधान मंत्री अथोरिटी के लिहाज से तीसरे नम्बर पर आता है। 60 साल की वह महिला अपने कार्यालय साईकिल पर चलकर जाती हैं।

मैं नार्वे गई। वहां के मंत्री हाथ में ब्रीफकेस पकड़कर पैदल चलते हैं। मैंने कहा उन लोगों से कि क्या बात है, उन्होंने कहा कि हमारे यहां पावर को फ्लांट करना वल्गर माना जाता है। एक वह आदर्श है, एक वह उदाहरण प्रस्तुत किया गया जहां सत्ता और पैसे का प्रदर्शन भौंडा, घिनौना और वल्गर माना जाता है। उनकी युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा साईकिल की आकांक्षा करेगी। लेकिन हमारे यहां जब सरपट गाड़ियां दौड़ती हैं, पैसे और सत्ता का प्रदर्शन होता है तो हमारा यौवन उसकी चकाचौंध में चुंधिया जाता है और उसको प्राप्त करने का साधन ढूंढता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमें इंसान बनाना है, चरित्रवान और अनुशासित इंसान बनाना है, तो वह भारतीय शैली से बनेगा, पुरानी शैली से बनेगा, आज की वर्तमान शैली से नहीं।

भारत में मानवीय विकास की अवधारणा का अपना एक दर्शन है। पश्चिम में मानवीय विकास की अवधारणा मकायवली से ली जाती है, लेकिन हम मानवीय विकास की अवधारणा चाणक्य से लेते हैं। हमें मकायवली की शैली नहीं चाहिए, हमें चाणक्य का दर्शन चाहिए। क्योंकि मकायवली की शैली में प्रमुख है व्यक्ति, मकायवली की शैली में प्रधान है स्वार्थ, मकायवली की शैली में लक्ष्य है व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा और चाणक्य के दर्शन में प्रमुख है देश, चाणक्य के दर्शन में प्रधान है निष्ठा और चाणक्य के दर्शन में लक्ष्य है राष्ट्र निर्माण। हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी केवल कोरे राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं करना है। हमें एक संवेदनशील राष्ट्र का निर्माण करना है। ऐसे संवेदनशील राष्ट्र का जो गरीब, शोषित और उपेक्षित जनता के प्रति ममता रख सके। यह कल्पना नई नहीं है।

हमारे यहां स्वामी विवेकानंद ने ऐसे संवेदनशील राष्ट्र की कल्पना की थी। अपने नागरिकों से आह्वान करके पूछा था, मैं उसे आपके सामने कोट करना चाहूंगी, उन्होंने इसको पूरे देश के नागरिकों के सम्मुख रखते हुए प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न मैं आज संसद के सामने रखना चाहती हूं:

> ''क्या तुम्हें इस बात पर दु:ख होता है कि लाखों मनुष्य आज भूख की ज्वाला से तड़प रहे हैं, क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञानता देश पर सघन मेघों की तरह छा गई है, क्या तुम इससे छटपटाते हो, क्या इससे तुम्हारी नींद उचटती है और क्या तुम्हें इसने लगभग पागल-सा बना दिया है, यदि ऐसा है तो यह देशभक्ति की प्रथम सीढ़ी है, केवल प्रथम सीढ़ी।''

मैं कहना चाहती हूं हमें यह संवेदनशील राष्ट्र चाहिए, यह संवेदनशील इन्सान चाहिए। जिसके मन में गरीब के प्रति ममता उपजे। यह काम मुश्किल है, नहीं, हां परिश्रम की आवश्यकता है, कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। इसीलिए पंडित नेहरू का वह एक वाक्य याद आता है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद उन्होंने कहा था।

[अनुवाद]

काम का कोई समय होता है; परिश्रम का कोई समय होता है परन्तु हमारी पीढ़ी कठिन परिश्रम करती आई है।

[हिन्दी]

यह उक्ति स्वतंत्रता के पहले दिन जितनी प्रासंगिक थी, स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। आराम की आवश्यकता नहीं है। कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। लेकिन यदि लक्ष्य निश्चित हो, दिशा सही हो और इरादा मजबूत हो तो किसी भी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मैं विवेकानन्द के उसी वाक्य के साथ जो उनका बहुचर्चित वाक्य है, कहना चाहूंगी, आज आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर बुलाए गए इस विशेष अधिवेशन में, यदि हम वाकई में नव-भारत के निर्माण का संकल्प लेना चाहते हैं तो आइए, उसी एक वाक्य से हम सभी संसद सदस्य अपने आप को बांधे-उतिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान्निबोधत्।

[अनुवाद]

जागो, उठो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये।

श्री मुलायम सिंह यादव

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हम आजादी के स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर इस विशेष अधिवेशन के बुलाने पर भी आदरणीय अध्यक्ष जी को आपके माध्यम से बधाई देते हैं और स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का भी नमन करते हैं जिनकी कुर्बानियों के कारण आज हमें इस महान सदन में चर्चा करने का मौका मिल रहा है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, राम प्रसाद बिस्मिल, उस्मानउल्ला, सरदार भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, डा. राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण और आचार्य नरेन्द्र देव जी तक जितने हमारे इस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबका इस सदन के माध्यम से हम नमन करते हैं और यहां पर आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जिन कुर्बानियों पर यह आजादी हमको मिली, 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली तो उस वक्त हिन्दुस्तान के सामने एक तस्वीर पेश की गई थी, एक सपना जगाया गया था। वह तस्वीर क्या थी? वह तस्वीर जो हिन्दुस्तान की आजादी के समय जो सपना था, जो लक्ष्य था, उसके पीछे एक गहन चिंतन था कि जब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी आएगी तो हमारे देश की गरीबी मिटेगी। हमारे देश के गांव और किसान खुशहाल होंगे। हर किसान के खेत पर पानी पहुंचेगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। निरक्षरता का कलंक मिट जाएगा। ये बहुत सारे सपने संजोए गए थे और हिन्दुस्तान के सामने एक तस्वीर पेश की गई थी। यह तस्वीर जरूर मिली है कि हम कहां पर खड़े थे, हमारे जाने की मंजिल क्या थी और आज हम कहां खड़े हैं?

इस विशेष अधिवेशन के माध्यम से मुझे खुशी है कि सभी दल के नेताओं ने अपनी पार्टी से ऊपर उठकर इस महान सदन में चर्चा करने का प्रयास किया है। हम ऐसे अवसर पर बोलने जा रहे हैं जब बहुत सारे नेता बोल चुके हैं और आदरणीय पी.वी. नरसिंह राव जी ने जिस गंभीर विषय को उठाया, वह इस सदन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही और यह सही है कि हमारे हिन्दुस्तान के जितने बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। .... *(व्यवधान)*

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): करोड़ों की जनता का क्या होगा?

श्री मुलायम सिंह यादव: करोड़ों की जनता की बात छोड़िए। जहां निरक्षरता का विषय था, जब नहीं समझे होंगे, यह सच्चाई है लेकिन किसी न किसी माध्यम से वे भी समझेंगे। उन्होंने एक गंभीर विचार सदन में ला दिया। हम और आप इस निशस्त्रीकरण पर हथियारों की होड़ को बंद करने पर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में हम लोग बहुत बोले हैं लेकिन वह एक अलग विषय है। सारे नेता बोल चुके हैं। उन बातों को दोहराने से बचने की मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है कि कुछ बातें उदाहरणस्वरूप दोहरा दें, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लगाना चाहूंगा।

हम यही कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के बारे में जो दो दिनों से लगातार महात्मा गांधी जी का नाम बराबर लिया जाता रहा है, उनका चिंतन था कि हमारा देश कैसे महान बनेगा? उनका सपना था कि हमारा देश इतना महान बने कि हिमालय की चोटी छोटी रह जाए और विश्व में हमारा देश सबसे महान देश बने। उसके लिए उन्होंने हमारे देश की जनता के सामने, देश के नेताओं के सामने एक तस्वीर पेश की थी और उसका समाधान और रास्ता बताया था। उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान हमारे गांव में बसा हुआ है। सरदार पटेल ने कहा था कि हमारे देश की संस्कृति हमारी खेती है, एग्रीकल्चर है।

गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव नहीं उठेंगे, तब तक किसान समृद्धिशाली नहीं होगा और तब तक हमारी आजादी अधूरी है। अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में भी कहा है और उन्होंने भी कहा था कि जब तक हर नेत्र के आसूं नहीं पोछेंगे, तब तक देश आजाद नहीं माना जाएगा। क्या इस पर हम अमल कर रहे हैं? मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, किसी दल का सवाल नहीं है, किसी नेता का सवाल नहीं है, हम लोगों ने जो-जो भी राजनीतिक और सामाजिक भूलें की हैं, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम भूलें स्वीकार करेंगे, तो जनता के सामने हमें कोई शर्म नहीं लगेगी और जनता के सामने हम लज्जित नहीं होंगे। इसलिए हमने जो राजनीतिक और सामाजिक भूलें की हैं, इस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर विशेषरूप से कहना चाहते हैं कि उन भूलों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यह किसी दल का सवाल नहीं है और किसी नेता का सवाल नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त, 1947 को जो तस्वीर देश की पेश की गई थी, अगर उस समय सत्ता में बैठे लोग कोई पूर्ति नहीं कर पाए हैं, तो क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर इसको स्वीकार कर लें? अगर हम सत्ता में हैं, तो आज यह हमारी जिम्मेदारी है कि उन सपनों को पूरा किया जाए। जो तस्वीर बनी थी, उस हिन्दुस्तान की तस्वीर को बनाया जाए।

महोदय, बार-बार कहा जाता है कि हिन्दुस्तान गरीब है। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कैसे कहा जाता है। इस सदन के माध्यम से आज इस अवसर पर हम कहना चाहते हैं और पूरे हिन्दुस्तान की जनता के सामने कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान के लोग पिछड़ गए हैं, हिन्दुस्तान के लोग गरीब हैं, लेकिन विश्व में सबसे सम्पन्न अगर कोई देश है, तो दूसरा कोई नहीं वह हिन्दुस्तान ही है। इससे ज्यादा सम्पन्नता किसी देश में नहीं है। हिन्दुस्तान में पानी की कमी नहीं है। आसमान

में भी पानी, पाताल में भी पानी, मैदान में भी पानी, नदियों की कमी नहीं है, लकड़ी की कमी नहीं है, कोयले की कमी नहीं है, सीमेंट की कमी नहीं है और जनशक्ति की कमी नहीं है। कृषि जितनी हमारे पास है और जितनी बढ़िया जलवायु हमारे देश में है, उतनी शायद विश्व के किसी भी देश में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, फिर हम क्यों पिछड़े हैं, क्यों गरीब हैं और गरीबी कहां तक पहुंची है? हम गरीब इसलिए हैं कि हमने हिन्दुस्तान के किसानों को आगे नहीं उठाया है। हम कारखानों के विरोधी नहीं हैं और न शहरों के विरोधी हैं, मैं यहां पर यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसानों के बगैर शहर खुशहाल नहीं हो सकते हैं, लेकिन शहरों के बिना गांव खुशहाल हो सकते हैं। उद्योग और खेती में कोई टकराव नहीं है, लेकिन खेती के बिना, कृषि के बिना, उत्पादन के बिना कारखाने नहीं चल सकते हैं, लेकिन कारखानों के बिना खेती हो सकती है। आज ट्रैक्टर बन्द कर दिए जायें, तो भी किसान अपनी कुदाली से, फावड़े से और हल से या किसी भी तरह से मेहनत करके अपनी जमीन को जोत सकता है। पाताल से पानी को निकालना है, तो निकाल ही लेगा। 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं और अगर किसानों की जेब में पैसा नहीं है, उनकी क्रयशक्ति कमजोर है, तो ये कारखाने नहीं चलेंगे। इसलिए कारखाने और खेती में कोई टकराव नहीं है। शहर और गांवों में भी कोई टकराव नहीं है, लेकिन शहरों की खुशहाली गांवों में छिपी हुई है। गांव गरीब होंगे और किसान गरीब होगा, तो दिल्ली में ये अट्टालिकायें और महल दिखायी नहीं देंगे। अगर आप गांवों में घूमेंगे, देहातों में घूमेंगे, तो पायेंगे कि जहां भी गांव सम्पन्न हैं, वहीं तिजारत बढ़ती है और लोग मालदार होते हैं। मेरे विचार से यही बुनियादी गरीबी है और बुनियादी कमजोरी है। यदि आप 1951 की पहली योजना को देखें, तो पायेंगे कि उस योजना में खेती पर पैसा ज्यादा दिया गया और 1956 में जो योजना बनीं, उस योजना में बड़े कारखाने स्थापित करने पर पैसा ज्यादा दिया गया। दुनिया के हर देश में खेती पर पैसा बढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान में घटा है और बड़े कारखानों पर बढ़ा है। हम चाहते हैं कि बड़े कारखाने लगे तथा वे रेल बनायें, बम बनायें और जो काम हाथ से नहीं हो सकते हैं, उनको करें।

कपड़े से लेकर माचिस, साबुन, दियासलाई, छोटे-छोटे बिस्कुट, डबलरोटी, इसके लिए मशीन की कौन सी आवश्यकता है? जब कि हमारे देश में जनशक्ति ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है और उसके मुकाबले में खेती कम है। हमने जिनकी नकल की है, हमने अमेरिका की नकल की है वहां पर खेती ज्यादा है और लोगों की तादाद कम है, लेकिन हिन्दुस्तान में खेती कम है और लोगों की तादाद ज्यादा है। अगर आप हर चीज का मशीनीकरण करेंगे तो हाथ का काम छूटेगा, बेकारी फैलेगी, गरीबी बढ़ेगी। हम यही कहना चाहते हैं कि बेकारी से गरीबी बढ़ती है, गरीबी से बेकारी नहीं बढ़ती है। इसलिए यह भी नारा दिया गया, पता नहीं यह नारा कैसे दिया गया। नारा लगना चाहिए था बेरोजगारी हटाओ क्योंकि बेरोजगारी हटेगी तो गरीबी हटेगी। हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन इसकी जगह यह नारा होना चाहिए था कि बेरोजगारी हटाओ तो शायद हम आगे बढ़ सकते थे। इसलिए हमने देश की प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग नहीं किया। हमने किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। हम किसानों को ये सब जानबूझ कर बोल रहे हैं। हिन्दुस्तान का किसान जितना परिश्रमी है, चतुर है उतना विश्व में कहीं नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका आपके सामने एक उदाहरण दे देता हूं। इज्राइल से एक टीम आई, उस समय हम मुख्य मंत्री थे। उन्होंने हमारे सामने फाइव स्टार होटल में एक प्रजेंटेशन किया, यह सही है कि इज्राइल के लोगों ने बहुत महान काम किया है। उन्होंने नारा दिया कि "चलो रेगिस्तान की ओर," यह ठीक है। हमने देखा कि खेत की बुवाई, जुताई कब होगी, उसको मशीन से नापा जाता था कि टेम्परेचर क्या है। आज आप किसान की हालत जानते हैं, हिन्दुस्तान का किसान इतना चतुर है वह अपने पैर के अंगूठे से बता देगा कि खेत की बुवाई, जुताई कब की जाएगी। अब आप बताइए कि दुनिया में कौन से देश में ऐसा किसान है जो इतनी मेहनत करता है? उस किसान की आज उपेक्षा की गई है। मुझे याद है छह साल से लगातार हम यह कहते रहे कि लड़ाई सैकड़ा में 95 बनाम पांच है। मुझे खुशी है मैं शरद पवार जी, चन्द्रशेखर जी और भारतीय जनता पार्टी के उन दो महान माननीय सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज कम से कम हमारी बात को स्वीकार किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हम कब से बोल रहे हैं कि यह लड़ाई सैकड़ा में 95 बनाम पांच है तो ये सैकड़ा में पांच कौन हैं? ये वे लोग हैं जो विदेशी हुकूमत के समय सम्पन्न थे, विदेशी हुकूमत के समय पढ़े-लिखे वही लोग थे, विदेशी हुकूमत के समय सबसे ज्यादा शोषण करते थे। उन्हीं को इज्जत, उन्हीं को सम्मान, आज भी वही अंग्रेजी हुकूमत की दलाली और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ षड्यंत्र, वही पांच परसेंट आज भी हिन्दुस्तान की इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर सारी सुख-सुविधा उन्हीं के पास है। आज भी 95 प्रतिशत अपने जीवन की सुख-सुविधाओं से पूरे के पूरे उपेक्षित एवं वंचित हैं, यह स्थिति है। अब इसके लिए क्या करना है? वे पांच फीसदी कौन लोग हैं, ये वे लोग हैं, आप बुरा नहीं मानेंगे हम भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि महारी राष्ट्रभाषा बढ़े, हमारी भाषा अभी तक गूंगी है। हम चाहते हैं कि मराठी, तेलगु, तमिल, मलयालम चले। कन्नड़ चले, गुजराती, गुरुमुखी, उर्दू चले और इसलिए जब हम सरकार में थे तो हमने दक्षिण की चारों भाषाओं को तथा और भी भाषाओं को पढ़ाने का इंतजाम किया था। हम केवल हिन्दी के ही समर्थक नहीं हैं, बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं के समर्थक है। हम अंग्रेजी के खिलाफ हैं, इसलिए हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम जनता के बीच में मातृभाषा में वोट मांगते हैं और लोक सभा में अपना भाषण विदेशी भाषा में देते हैं। अगर हिम्मत है तो विदेशी भाषा में वोट मांग करके जीत कर दिखाइए, क्यों कथनी और करनी में भेद करते हैं? इसलिए लोक सभा में इस अवसर पर हम अपने महान नेता विरोधियों से चाहेंगे क्योंकि इस मामले में हमारा और आपका एका है। आप इस अवसर पर संकल्प लें कि यह लोक सभा बहुभाषी बने, सुप्रीम कोर्ट बहुभाषी बने, हम चाहते हैं कि तमिलनाडु के मा. सांसद तमिल में बोलें तो मुझे खुशी होगी।

आज हम अंग्रेजी-हिन्दी के अनुवाद के लिए तो मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन तमिल, तेलगु से लेकर पूरे भारत की भाषाओं को

गांधी जी ने कहा था कि यदि एक मातृभाषा के जानने वाले दो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में बात करें और अगर हमारा बस चले तो उन्हें 6 महीने की जेल कर देनी चाहिये। तो क्या गांधी जी को हमने पहचाना है? गांधी जी का कद कोई छोटा नहीं कर सकता है। उनकी विचारधारा इतनी बड़ी है कि आज भारत के लोग ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी उन्हें मानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जब शपथ लेते है और शपथ लेने के बाद उन्होंने जो नाम लिया वह गांधी है। अगर गांधी की कोई 10-20 मूर्तियों को हिन्दुस्तान में तोड़ भी दे तो भी भारत के बाहर के 48 देशों में गांधी जी की मूर्तियां लगी हैं। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि भारत का यह दुर्भाग्य है कि आजादी के 50 सालों के बाद भी हमारी भारतमाता गूंगी है। हम अपनी राष्ट्रभाषा को नहीं बना पाए हैं। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हम फिर दोहराना चाहते हैं कि इस लोक सभा को बहुभाषी बनाओ, सुप्रीम-कोर्ट को बहुभाषी बनाओ।

वे पांच फीसदी लोग कौन है? वे अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में गाली देते हैं, अंग्रेजी शराब पीते हैं, अंग्रेजी में नाचते हैं, अंग्रेजी में सबसे ज्यादा मुलायम सिंह को गाली देते हैं। यह सच्चाई है, सच है। मैं कह रहा हूं कि अगर सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में किसी को गाली दी जा रही है तो वे पांच प्रतिशत लोग मुलायम सिंह को गाली देते हैं। हमने यह कई बार देखा है। लेकिन 95 प्रतिशत की उपेक्षा को हम और हमारे साथी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जागृति आई है। जिसको कभी हम जातिवाद के नाम पर कहते हैं, यह जातिवाद नहीं है, यह जागृति है और जागृति इस बात की है कि आजादी के समय हमने गरीबों एवं उपेक्षितों को खुशहाल बनाने का नारा दिया था लेकिन पड़ोस में हमने देखा कि अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा कपड़े पहने जा रहे हैं, मकान बढ़िया है। लेकिन आज गरीबी किस सीमा तक है। हमारे सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि देश में 35 प्रतिशत लोग कैसे हैं? अगर एक परिवार में पांच सदस्य हैं तो पांचो सदस्यों को एक साथ खाना खाने के लिए थाली नहीं है, पांच चारपाई नहीं हैं, पांच कमरे नहीं हैं। मजदूर और किसान का बाप-मां, बेटा-बेटी और पत्नी तथा दो बैल भी एक ही कमरे में रहते हैं और वहीं पर कभी जरूरत पड़ती है तो लड़का लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता है। अभी तक यह स्थिति है। दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हमारे बारे में कहा गया, बड़ी तेजी से प्रचार किया गया और यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम विवादास्पद ज्यादा हो जाते हैं कि हम महिला विरोधी है, महिलाओं का मुलायम सिंह आरक्षण नहीं चाहते। पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आजादी के बाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद, सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए अगर किसी पार्टी ने संघर्ष किया है तो वह समाजवादी पार्टी है। डा. लोहिया ने जब अपना 60 सैकड़ा का नारा देते हुये कहा था, संसोपा ने बांधी गांठ, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ। वह नीति, कार्यक्रम, सिद्धांत और चुनाव-घोषणा पत्र आप पढ़ेंगे तो 60 प्रतिशत में महिलाएं, अल्पसंख्यक, जिनको सब भूल जाते हैं और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का आरक्षण कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? अल्पसंख्यकों का आरक्षण क्यों नहीं होगा। जब आप सबको विशेष अवसर दे रहे हैं तो हिन्दुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों को भी विशेष अवसर देना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हिन्दुस्तान के अंदर मुसलमान, सिख, इसाई को भी विशेष अवसर देना पड़ेगा। यह बात मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं। हमारी नीति सामाजिक न्याय की नहीं है, हमारी नीति सामाजिक परिवर्तन की है। अपने दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं, शरद यादव जी से भी कहना चाहता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

सामाजिक न्याय का नारा देना बंद करो। सामाजिक नहीं अब, सामाजिक परिवर्तन चाहिए। हमें पूरी व्यवस्था बदलनी है। यहां सामाजिक न्याय मिला है, पिछड़ों को अवसर मिला है, दलितों को आरक्षण मिला है लेकिन हमको ख्याल करना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में जो ऊंची जाति के गरीब हैं, उनको भी 10 परसैंट आरक्षण संविधान में संशोधन करके देना पड़ेगा। इसलिए कि जहां आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वहां सामाजिक परिवर्तन सामाजिक न्याय का एक अंग है। आज आप देख रहे हैं कि हम सरकार में हैं। हम पहले भी सरकार में रहे, दो-दो बार मिनिस्टर भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, ऑपोजिशन लीडर भी साढ़े पांच साल लगातार रहे लेकिन हमने देखा है कि अगर कहीं दलितों की संख्या ज्यादा हैं, वहां वे शक्तिशाली हो गए। जहां पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, वहां वे भी शक्तिशाली हो गए। वहां ऊंची जाति पर दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने और पिछड़ी जाति के लोगों ने जुल्म किया है। उनकी नाली भी रोकी है, उनका रास्ता भी रोका है और उनके खेत पर कब्जा भी किया है। क्या यह सच्चाई नहीं है? आज सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए हम आज सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। सामाजिक न्याय तो इसका एक अंग है। सम्पूर्ण व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। ऊंची जाति के 10 पीसदी लोगों के आरक्षण की हमने मांग की थी, एक प्रस्ताव पास किया था और मुख्यमंत्री रहते हुए एक कमेटी बनायी थी। मैंने यहां इसके लिए संविधान में संशोधन करने की भी मांग की थी और कहा था कि ऊंची जाति का भी 10 परसैंट आरक्षण होना चाहिए। गरीब लोगों और अल्पसंख्यक लोगों का भी आरक्षण होना चाहिए चाहे वह ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो। हम यह बात खुल कर कहना चाहत हैं कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए जाति जहां टूटी, वहां वह शक्तिशाली हुई। जहां जाति टूटी है और वहां जाति व धर्म के नाम पर पहचान मिटी है, वहीं देश शक्तिशाली हुआ है। मैं इस सवाल पर बाद में आऊंगा।

हमने जो तरक्की की है, क्या हम उससे खुश हो जाएं? हम जैसे लोग उस तरक्की से खुश नहीं होंगे। हिन्दुस्तान ने तरक्की की है। यहां संचार का प्रसार हुआ है। अगर हिन्दुस्तान अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो सरकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हम किसान हैं। मैं जब पहली बार एम.एल.ए. था उस समय से खेती कर रहा हूं। कुछ हमारे साथी अभी भी खेती कर रहे हैं। अब हम टेलीफोन से अपने खेतों के बारे में पूछ लेते हैं। हम किसान है लेकिन हमें सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है। हमारे परिवार के लोगों ने उन खेतों में पैदावार बढ़ायी है जहां खेती नहीं होती थी। किसानों ने अपनी मेहनत से पैदावार बढ़ायी है। आज किसानों को पानी, सस्ती खाद,

अच्छा बीज नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी हिन्दुस्तान के किसानों ने विशेष कर पंजाब के किसानों ने मेहनत करके पैदावर बढ़ायी है। पंजाब के किसान जब हमारे प्रदेश में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक आदर्श पेश कर दिया। उन्होंने खेती की पैदावार बढ़ायी तो उनकी खेती पर नजर लग गई। इसके लिए क्या बहाना ढूँढा जा रहा है? कहा गया कि इन्होंने अनावश्यक रूप से खेती पर ज्यादा कब्जा कर लिया है। कब्जे के नाम पर तराई के सिखों को बराबर धमकाया जा रहा है और उनकी खेती पर कब्जा करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। अगर हम वहां होते तो सिख भाई आजाद हो जाते। उनकी खेती पर कोई कब्जा नहीं करता। बरनाला साहब आप घूम कर देखिए। आपके साथियों के बहुत से खेती के फार्म वहां पर हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर उनके खेतों को नजर लग गई है। उन्होंने खेती की पैदावार बढ़ा कर एक आदर्श प्रस्तुत किया है। हमने खेती के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में उन्नति की है। हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अगर हम इस पर संतोष कर लेंगे कि हिन्दुस्तान ने तरक्की की है तो हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हैं? उन देशों के मुकाबले क्या हैं? जिन देशों ने तरक्की की है, उनके हम दो ही उदाहरण दे सकते हैं। तीसरे की जरूरत नहीं है। 1945 में जापान दूसरे विश्व महायुद्ध की वजह से पूरी तरह बरबाद हो गया था। वहां की रेल, पटरी, अस्पताल से लेकर बाकी दूसरी बड़ी चीजें बरबाद हो गई थी। एटम बम चलाने से उनकी जमीन बरबाद हो गई थी। वहां रोग फैल गया था। 1945 में उसका सब कुछ बरबाद हो गया था। आज जापान कहां है? 1949 में चीन में क्रांति हुई। आज चीन कहां है और हिन्दुस्तान कहां है? इन दो देशों से मुकाबला करने पर हम समझ जाएंगे कि हिन्दुस्तान की तरक्की हुई है या नहीं? हम अपने घर में बैठ कर कहते हैं कि साइकिल में चलते थे, मोटर साइकिल बना दी, बढ़िया कार बना दी। हमने सुई नहीं बनाई थी और मिसाइल बना दी। क्या इस पर हम संतोष करेंगे? आप जरा चीन की तरफ नजर डालें। 1947 में आप आजाद हुए थे तो आप कहां थे और चीन कहां था? चीन कुछ भी नहीं था। चीन तो बरबाद था। चीन भूखा था और अफीमची कहलाता था, लेकिन आज आप देखेंगे कि आपकी जनसंख्या करीब 100 करोड़ है और चीन की लगभग 125 करोड़ है। चीन की आबादी हमसे सवा गुना है लेकिन हिन्दुस्तान करीब 25 करोड़ टन कोयला पैदा करता है और चीन भारत से पांच गुना ज्यादा 125 करोड़ टन पैदा करता है। इस पर हमें तुलना करनी चाहिए कि हमने कितनी तरक्की की है। अगर हम अपने घर में बैठकर कहेंगे कि हम सुई भी नहीं बनाते थे और हम मिसाइल बनाने लगे हैं और हमने तरक्की की है तो वह ठीक नहीं है। इसी तरह से हिन्दुस्तान 2 करोड़ 60 लाख टन लोहा और स्टील का उत्पादन कर रहा है जबकि चीन का 10 करोड़ 50 लाख टन उत्पादन कर रहा है। हम अन्न पैदा कर रहे हैं करीब 20 करोड़ टन और चीन पैदा कर रहा है 55-60 करोड़ टन, जबकि उनके पास कृषि योग्य भूमि कम है और भारत के पास ज्यादा है। चीन की जनसंख्या हमसे सवा गुनी है और अन्न पैदा कर रहा है हमसे तीन गुना ज्यादा। जनसंख्या हमसे सवा गुनी है और कोयला पैदा कर रहा है पांच गुना। जनसंख्या हमसे सवा गुनी है और लोहा और स्टील पैदा कर रहा है पांच गुना। इसके मुकाबले में जब हम तुल करेंगे तो सही समीक्षा होगी। यह समीक्षा हमको करनी पड़ेगी तब हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम यह इसलिए कहना चाहते हैं कि जिन देशों ने खेती पर जोर दिया है, वे देश ही तरक्की कर सके हैं। आप चार-पांच सौ साल पुराना इतिहास पढ़े कि अमेरिका क्या था। यहां हमसे ज्यादा विद्वान लोग बैठे हैं, लोगों को अनुभव है। विदेश जाने का जितना अनुभव हमारी बहिन सुषमा स्वराज जी को है, मैं तो एक बार लंदन गया था। अब तो मुझे जाना पड़ सकता है, मजबूरी है, सरकार में हैं। मैंने अपने देश की एक-एक इंच जमीन नहीं देखी है तो दुनिया को क्या देखना? पहले हमें अपना देश देखना है और यह देश देखने लायक है। इससे सुन्दर, संपन्न, प्राकृतिक संपदा दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। इससे सुन्दर देश कौन हो सकता है?

हमें याद करना चाहिए कि जब चीन में क्रांति हुई तो माओत्से-तुंग ने वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों तथा सभी को बुलाया और सबसे पूछा कि बताओ चीन कैसे आगे बढ़ेगा। वहां पर जवाब दिया गया कि रूस से बात करेंगे, फलां से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बता दो कि रूस ने किससे सीखा है? इस पर वहां के वैज्ञानिक, वहां के शिक्षाविद्, वहां के बुद्धिजीवी, वहां के सारे लोग चुप रह गए। उन्होंने कहा कि हमें किसी की तरफ नहीं देखना है। चीन में बैठकर वैज्ञानिक और शिक्षाविद अपने देश के लिए नीति बनाएं। हम दुनिया के किसी देश की तरफ नहीं देखना है। देश को बनाओ। यह देशभक्ति की भावना वहां जागृत हुई। हमारे यहां देशभक्ति की भावना जागृत क्यों नहीं हुई? श्री नरसिम्हा राव जी ने बताया कि वैज्ञानिक बाहर जा रहे हैं और ऊंचे-ऊंचे पदों पर हैं। आज हिन्दुस्तान से डाक्टर दिल का आपरेशन करने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर आपरेशन करने वाला हिन्दुस्तान का डाक्टर होता है लेकिन हिन्दुस्तान में आ जाएगा तो उसकी कोई कद्र नहीं है। इंजीनियर हिन्दुस्तान के सबसे बढ़िया हैं। उत्तर प्रदेश का ब्रिज कार्पोरेशन दुनिया के सबसे बड़िया ब्रिज बनाने वाली संस्थाओं में से एक है। हमने उनको क्या बढ़ावा दिया है? आज वह पूरी तरह से बरबाद हैं। उत्तर प्रदेश का ब्रिज कार्पोरेशन विदेशों में पुल बनाता था। उससे मोटी आमदनी मिलती थी। हमने अपनी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं किया। हमने अपने लोगों को नहीं सुना, उनको सम्मान नहीं दिया। उसी का नतीजा है कि धीरे-धीरे हमारे हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी प्रतिभाएं पलायन करके विदेशों में गई। वहाँ उनको सुविधाएं हैं। हम लोगों को कम से कम अगर अपने देश की प्रतिभाओं को बचाना है तो हमें प्रतिभाओं का सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए आज हम आपके सामने इन बातों को रखना चाहते हैं। हमारे इस देश को आजाद हुए 50 साल हो गये हैं। हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस देश के कुछ लोगों को अपने देश को अपनी बपौती नहीं समझना चाहिए। मैं 95 फीसदी की बात कर रहा था। इसलिए कर रहा था कि आज जिम्मेदारी किसकी है। हल चलाने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको यह अहसास नहीं करा पाये। हम एक मजदूर को, फावड़ा चलाने वाले को एहसास नहीं करा पाये कि यह हमारा देश है। जो राजनीतिज्ञ हैं, एम.एल.ए. हैं, एम. पी. हैं

मिनिस्टर हैं या जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गये हैं या मेयर बन गये हैं और उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी या उद्योगपति हैं। ये तीनों मिलकर हिंदुस्तान को अपनी बपौती समझते हैं। ये लोग केवल एक करोड़ के आसपास होंगे। पहले 50-60 लाख थे, लेकिन अब एक करोड़ हैं और आज बाकी 97-98 करोड़ को देश से कोई मतलब नहीं है। उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनका सहयोग नहीं लिया गया, उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है। उसी का यह नतीजा है। इसलिए हमें आज उनको जाग्रत करना पड़ेगा, हमें उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, हमें उन 95 फीसदी लोगों को जगाना पड़ेगा। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह लड़ाई ऐसी है कि जो 95 फीसदी लोग उपेक्षित हैं, उदासीन हैं, निराश हैं, गुस्से में भी हैं, तकलीफ में भी हैं, नंगे व भूखे हैं उनको भागीदार बनाना होगा। मुख्यधारा से मुसलमानों को क्या जोड़ना है। हम मुसलमानो को मुख्यधारा से जोड़ने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के विकास में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो अल्पसंख्यकों और किसानों का है। बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं। लेकिन हिन्दुस्तान के विकास में सबसे बड़ा योगदान हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों और किसानों का है। लेकिन यही दोनों दुखी हैं। बताओ, सबसे ज्यादा किसको मुख्यधारा से जोड़ोगे? सबसे बढ़िया शेव बनाने वाला नाई मुसलमान है, हम मुसलमान से शेव बनवायेंगे। कपड़ा मुसलमान से सिलवायेंगे, बाल मुसलमान से कटवायेंगे, अपनी बेटी की शादी में बनारसी साड़ी लायेंगे तो वह मुसलमान की बनाई हुई है, कारपेट बिछायेंगे, भदोही के कारपेट सबसे बढ़िया बनते हैं, वे मुसलमान बनाते हैं। मुरादाबाद में पीतल, तांबे के बर्तन, अलीगढ़ के ताले मुसलमान बनाते हैं। इससे ज्यादा बढ़िया रिक्शा से लेकर साइकिल और जितने भी पार्ट्स हैं, आज परमाणु शक्ति से लेकर जितने, सिख और मुसलमानों ने आविष्कार करके योगदान दिया है और सबसे ज्यादा विकास किया है, बताओ मुख्यधारा से कहाँ अलग हैं। अपनी बेटी, पत्नी को सबसे बढ़िया जेवर पहनाने के लिए मुसलमान को ढूंढते हैं। वही सबसे बढ़िया कारीगर है। लेकिन आज चर्चा चल रही है कि मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ो। जिस हिन्दुस्तान के मुसलमान और किसान के विकास में योगदान सबसे ज्यादा किया है, वे आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं, पीछे नहीं हटे हैं। 1965 में भी अगर पाकिस्तान की जमीन पर हिन्दुस्तान की फौजों को पहुंचने का मौका मिला तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अब्दुल हमीद का था और फिर भी शक करते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि शक करना बंद करो। अगर अल्पसंख्यकों और सिखों पर शक किया जायेगा तो देश का मामला बिगड़ जायेगा। सिख उग्रवादी मुश्किल से एक परसेंट होंगे और सारे सिखों, सारे मुसलमानों पर शक किया जाता है और कहेंगे कि आई.एस.आई. के एजेंट हैं। पुरुलिया कांड के हथियार मुलायम सिंह ने गिरा दिये। पूरे हिन्दुस्तान में जहां-तहां चर्चा हुई। पुरुलिया कांड के हथियार गिराने वाला आई.एस.आई. के एजेंट मुलायम सिंह का पर्दाफाश किया जायेगा। आपने सुना होगा, हिन्दुस्तान का कोई अखबार बचा है। हम मौन, नेता विरोधी दल ने कहा, हम मौन। पुरुलिया कांड के हथियार किसने गिराये, क्या मुसलमानों ने गिराये, आई.एस.आई. ने गिराये और जब मुल्जिम निकला तो कोई मुसलमान निकला? मैं बताना चाहता हूं कि कोई मुसलमान नहीं निकला और मैं कहीं भी उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं ऐसी संस्था में, ऐसे संगठन में अनुशासनहीनता और विदेशों से सम्पर्क बनाये रखना और अपने देश की गुप्त सूचनाएं देने वाले कई बड़े अधिकारी निकले, हम उस संस्था का नाम नहीं लेंगे, क्या उनमें एक भी मुसलमान था? उसमें सब हिंदू थे। तो आज मुख्यधारा में उनको जोड़ने की बात कही जाती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इन मुसलमानों पर शक मत करो। अगर हम शक करेंगे तो वह देश के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। हमें उनकी तरफ प्यार और मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उनसे बढ़कर अपनी जान कुर्बान करने वाला कोई दूसरी कौम नहीं मिलेगी। इसलिए उन पर शक करना बंद करिए और प्यार-मोहब्बत भरा हात उनकी तरफ बढ़ाइए क्योंकि इस देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा योगदान उनका रहा है।

यहां देशभक्ति की भावना के बारे में हमारे साथियों ने कहा और अच्छी बात कही। हममें देशभक्ति की भावना क्यों कम हुई, क्यों कम होती जा रही है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे दो वर्ग आज मौन हैं। आजादी की लड़ाई में हमारे छात्र अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर, कूद पड़े थे। आज जब हम अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ या स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इसे भूल जाए, इसलिए उन बातों की चर्चा करना जरूरी है। उस समय स्कूल कालेज जाने वाले छात्रों ने स्कूल-कालेज छोड़कर घंटी बजा दी थी, लेकिन आज वे खामोश क्यों हैं? हिन्दुस्तान के बुद्धिजीवी खामोश क्यों हैं, जिन्होंने उस समय पूरे हिन्दुस्तान को जगाने का काम किया था।

अध्यक्ष महोदय ने ठीक कहा कि अब हमें आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है। इसके लिए हमें अपने देश के छात्र और बुद्धिजीवी, जो आज खामोश बैठे हैं, उन्हें जगाना होगा। यह ठीक है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा जन-जागरण किया था लेकिन उस समय अगर हिन्दुस्तान के बुद्धिजीवियों, कवियों, साहित्यकारों, लेखकों और पत्रकारों का योगदान न होता तो जितना जागरण हुआ था, वह न हुआ होता। आज मुझे अफसोस है कि हिन्दुस्तान के नौजवान, छात्र, बुद्धिजीवी, पत्रकार भाई खामोश क्यों हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं इसकी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे लोगों की है। वे ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। हमें इन लोगों को फिर से जगाना होगा और सभी को एकराय होकर, सभी नेताओं को मिलकर, ऐसा करना पड़ेगा।

जहां तक महिलाओं के आरक्षण संबंधी बिल के विरोध का प्रश्न है, हम महिलाओं के आरक्षण के विरोधी नहीं हैं लेकिन वर्तमान बिल का जो स्वरूप है, उसके विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि आरक्षण हो। उसके लिए सभी पार्टियों को मिलकर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों को तय करना पड़ेगा कि हम कितना आरक्षण देना चाहते हैं। कभी यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता-क्यों नहीं हो सकता? संविधान में संशोधन करने का हमें पूरा

अधिकार है और इस काम को कानून के तहत चुनाव आयोग भी कर सकता है। चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि हर पार्टी को इतने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देना होगा, यदि कोई पार्टी ऐसा नहीं करती तो उसकी मान्यता और चिन्ह जब्त हो जाएगा।

मैं सच्चाई से कहता हूं कि यहां जितने मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, चाहे वे इधर के हों या उधर के, मैं यहां किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई ऐसा एम.पी. नहीं है जिसने मुझे बधाई न दी हो लेकिन दिल से कमजोर हैं, दिल की बात निकलती नहीं लेकिन कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने सबसे बढ़िया सुझाव दिया। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट ने हमसे सम्पर्क न किया हो और कहा हो कि मैं आपसे सहमत हूं। सभी मुझसे सहमत हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बिल का जो वर्तमान स्वरूप है, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए।

अभी नरसिंह राव जी ने कहा कि लोगों का दोहरा चरित्र है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। हमारे पास आकर माननीय सदस्य कहते हैं कि हम आरक्षण नहीं चाहते और मुलायम सिंह का सुझाव सबसे बढ़िया है। मैं चाहता हूं कि हर मैम्बर अपने दिल को टटोल कर कहे। वर्तमान बिल के समर्थक, उनकी पार्टी के नेता कुछ भी कहें, हम जो कहते हैं, क्या उसमें कुछ गलत है। महिला आरक्षण विधेयक के हम कभी भी विरोधी नहीं हो सकते। 'संसोपा ने बांधी गांठ' पिछड़े पावे सौ में साठ तब से लेकर आज तक हम महिलाओं के लिए लड़े हैं। मैं आपके सामने दो उदाहरण देता हूं।

हमें गरीबी का चित्रण भी करना चाहिए और महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति जो जुल्म हो रहे हैं, वे भी हमारे सामने हैं। गरीबी का यह आलम है कि डेढ़ साल पहले कानपुर में तीन लड़कियां थीं–नीलम जो एम.ए. की छात्रा थी, वीना जो बी.ए. की छात्रा थी और आरती जो हाई स्कूल की छात्रा थी। उनके पिता दीक्षित जी एक मामूली शिक्षक थे, जिनका निधन हो गया। अब उनके परिवार में एक बेटा और पत्नी बचे हैं। बेटा और पत्नी उन लड़कियों की शादी के लिए कभी योजना बनाते थे, कभी लड़ते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, तीनों लड़कियां रोजाना सुनती थीं, मेरा भाई मेरी मां हमारी शादी को लेकर चिन्तित हैं, दुखी हैं और कभी-कभी खाना भी नहीं बन पाता है। तीनों लड़कियों ने बैठकर के कानपुर में जहर खा लिया. इस बात को सभी लोग जानते हैं। डाक्टरों ने सबसे छोटी लड़की आरती को बचा लिया और नीलम और बीना जो एम.ए. और बी.ए. पास थी, दोनों जहर खाकर मर गई। ''हमारी शादी की वजह से हमारा भाई और हमारी मां दुखी हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।'' इसलिए उन्होंने जहर खा लिया। मैं उनके घर गया, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे कद के आदमी को भी उनके घर में झुक कर जाना पड़ा। जब मैंने घर में इधर-उधर देखा, तो मुझे बहुत आश्चर्य एवं दुख हुआ कि कुछ भी उनके घर में नहीं था। शायद ही पांच किलो अन्न हो। चारपाई देखी, तो दो चारपाई थीं। जो लड़की जिंदा बची और अस्पताल से लौटकर आई थी, मैंने उससे पूछा कि बेटी जहर क्यों खा लिया, तो वह मुंह से कुछ नहीं बोल सकी। उसके नेत्रों में आसूं आ गए। मैंने कहा कि बेटी जहर मत खाना। मेरी पार्टी के पास खजाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक लाख रुपया शादी के लिए देता हूं, लेकिन जहर कभी मत खाना। यह हालत है इस देश के गरीबों और महिलाओं की। यह चित्रण है, जिसको मैंने यहां खींचने का काम किया है। उन लड़कियों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने कोई नेता नहीं गया। इतने नेता कानपुर और आसपास में बैठे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नेता नहीं है जो उनके घर, उनका हाल पूछने गया हो या संवेदना व्यक्त करने गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी की बात है एक सुमन तिवारी नाम की होमगार्ड में काम करने वाली लड़की थी और थाने में टारचर करने के बाद उसके ऊपर एक ऐसा कानून लगाया गया जिसकी मैं यहां चर्चा करना नहीं चाहता हूं। वह होमगार्ड में थी, तीन दिन थाने में रखा गया। थाने से निकलते ही उसने जहर खा लिया। उसके 11 साल की एक लड़की और सात साल का एक लड़का है। न मां है न बाप है। घर में कोई नहीं है। थाने से निकलते ही उसने जहर खा लिया और मर गई। कोई भी नेता, कोई भी सांसद उसके यहां संवेदना प्रकट करने नहीं गया।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर मेरा संसदीय चुनाव क्षेत्र है। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र के बार में बात कर रहे हैं। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको मौका अवश्य दिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव: पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप अपना स्पष्टीकरण भी दे लेना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भ्रमण पर था। जब मैंने अखबार में यह समाचार पढ़ा, तो मैं सारा कार्यक्रम रद्द कर के वहां गया। जब मैंने पूछा कि कहां घर है, तो मुझे बताया गया कि घर तो है ही नहीं। एक बेटा है और एक बेटी है। जहां लोग बैठे थे, उन्हीं के पास वे दोनों बच्चे बैठे थे। जब मैंने उनकी ऐसी दुर्दशा देखी, तो मैंने 50 हजार रुपये देकर उनके खाने का इंतजाम किया। हम यह कहना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि इस देश में महिलाओं और लड़कियों की इतनी दयनीय स्थिति है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम महिला और लड़कियों के विरोधी नहीं हैं। हम महिलाओं के पक्षधर हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा उनसे यह अनुरोध है कि उनको सदन को गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। आप उस घटना के एक महीने के बाद गए और वह भी तब जब आप वहां किसी अन्य कार्यक्रम में आए थे। जिस दिन उस लड़की की मृत्यु हुई थी, उसके एक महीने बाद आप वहां गए थे। वह मेरा संसदीय क्षेत्र है। मेरा क्षेत्रीय विधायक और मैं स्वयं उसके दाहसंस्कार में शामिल हुए थे। उसके परिवार के साथ हम लोग बराबर जुड़े रहे।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप मुझसे कुछ कहलवाइए मत। आप 5000/- रुपए की घोषणा कर के आए थे। वे भी नहीं दिए। ... *(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण: चलिए, आपने यह तो स्वीकार किया कि हम लोग वहां गए थे।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): इस समय यहां इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा रही है। हमें इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आपको बोलते हुए 44 मिनट हो गए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं और बोलना चाहता हूं। वहां से 45-45 मिनट लोग बोले हैं। आप मेरी पार्टी का सारा टाइम मुझे दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उमा भारती जी, आप वहां बैठकर कुछ और बोलती हैं और हमसे अकेले में कुछ और कहती हैं। इसलिए मेहरबानी करके मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

हम महिलाओं के पक्षधर हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। यह हमारा कहना है। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं। मैं यह जरूर कह रहा हूं कि हम वहां गए। हमने उन बच्चों के खाने का इंतजाम किया है, वह हम बता रहे हैं।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बार-बार भाषणों में यह कहा गया है और निर्णय लिया गया है कि किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं होगा, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी स्वयं अपनी पार्टी का प्रचार करने में लग गए हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: चमन लाल जी आप बैठ जाएं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: मान्यवर, हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और हमें आत्मनिर्भर बनाना होगा। हिन्दुस्तान की संपदा, हिन्दुस्तान की जलवायु, हिन्दुस्तान के किसान, हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यक, हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यहां के बुद्धिजीवी, यहां की हीनता भावना से ऊपर उठकर आदि सब को जोड़कर इस हिन्दुस्तान को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कोरे भाषण से नहीं बनाया जा सकता है। ...*(व्यवधान)* इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि भेदभाव भी मिटाना है और गरीबी और अमीरी की खाई को भी मिटाना है। हम किसी तरह की विषमता को नहीं रखना चाहते हैं। चाहे आर्थिक विषमता हो, चाहे सामाजिक गैर-बराबरी हो, राजनीतिक हिस्सेदारी हो, क्षेत्रीयता का सवाल हो, भाषा का सवाल हो या औरत-मर्द का सवाल हो, हम किसी भी तरह से किसी स्तर पर भेदभाव समाप्त करने के पक्षधर हैं। पूरे सदन के समक्ष कहना चाहता हूँ कि समता संपन्नता मूलक समाज बनाने की जरूरत है और अगर हमने राजनीति में नफा नुकसान देखा तो वह ठीक नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि यदि कोई राजनीति या सार्वजनिक क्षेत्र में नफा नुकसान जोड़ेगा तो वह देश की रचना नहीं कर सकता है। देश का निर्माण नहीं कर सकता है। लेकिन आज नफा नुकसान देखा जा रहा है। सच्ची बात कहने की हिम्मत नहीं है। हमने जोखिम उठाये हैं। हमने राजनीति में नफा नुकसान नहीं देखा है। हम आगे भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे दल के लोग नफा नुकसान नहीं देखेंगे। हम देश का निर्माण कैसे कर सकते हैं, देश की रचना कैसे कर सकते हैं, यह हमारी प्राथमिकता होगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। माननीय अटल जी के तीन सुझावों से हम पूरी तरह से सहमत हैं। अटल जी, आपकी चिट्ठी भी हमें मिली और आपने भाषण भी दिया कि संसदीय आचरण के तहत प्रश्न काल में बाधा न पड़े, संसद सदस्य वेल में न जायें और राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन में कोई बाधा नहीं पड़े। हम इन तीनों बातों के समर्थक हैं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो पीछे की बैंचों पर बैठने वाले लोग हैं, उनकी तरफ भी चेयर का ख्याल रखना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* आज जो पीछे की सीटों पर बैठे हुए लोग हैं और जो छोटे दल के लोग हैं, उनकी गंभीरता से कही हुई चाहे कितनी अच्छी बात हो, उनको न छापना, न सुनना, क्या यह जिम्मेवारी नेताओं की नहीं है। अगर पीछे की सीटों पर बैठने वाले और छोटे दलों के लोगो को बोलने का अवसर दिया जाये और नेता कम बोले तो यह जो कोरम की घंटी बजती है, वह कोरम की घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ...*(व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय: छापने की जिम्मेदारी हाउस की नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: हम सुझाव देना चाहते हैं कि चेयर से कहा जाये। चेयर से निर्देश दिया जाये कि जो व्यक्ति चेयर की अनुमति के बिना कोई भाषण देता है या वेल में आता है तो उसके भाषण, उसकी बात को कार्यवाही में दर्ज नहीं किया जायेगा। आप मीडिया और अखबार वालों को भी निर्देश दे दें कि इसकी बात को, इसके भाषण को छापा नहीं जायगा। आज यहां टी.वी. लगे हुए हैं जिसके कारण पूरे हिन्दुस्तान के लोग हमें देख रहे हैं। ये अपना चेहरा दिखाने के लिए आ जायेंगे और यहां आकर शोर मचायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह निर्देश दीजिए कि प्रश्न काल में कोई भी बाधा नहीं डालेगा। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए नेताओं की जरूरत नहीं है। नेता खुद बोलते हैं। लेकिन वह अपने पीछे बैठे हुए साथियों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की भी गलती है। अगर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग माननीय सदस्यों का जवाब ठीक से दें और अपनी प्रतिक्रिया सही जाहिर करें तो भी हम कह सकते हैं कि सदन सही रूप से चल सकता है। लेकिन सरकार भी प्रश्न का जवाब घुमा-फिराकर देती है, ठीक नहीं देती है। इसके लिए हमें अपने को जिम्मेदार मानकर इसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम सत्ता पक्ष में हैं लेकिन कोई भी सत्ता पक्ष में हो, अगर मिनिस्टर माननीय सदस्यों के प्रश्नों का सही जवाब दें तो शोर नहीं होगा।

दूसरा, आपने अपराधीकरण के बारे में कहा। मैं इसको भी मानता हूं और इसके लिए अटल जी, आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत मजबूती के साथ राजनीति में अपराधीकरण का सवाल उठाया है। उसका मैं स्वागत करता हूं। यह स्वागत मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी मैं हूं। अपने जमाने का, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा डकैत 1991 के विधान सभा चुनाव में हमारे खिलाफ लड़ा और 1996 में ....*(व्यवधान)* मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं आपका ख्याल रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी, माफिया 1996 के लोक सभा के चुनाव में मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से मेरे खिलाफ लड़ा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा अपने-अपने दिलों पर हाथ रख लेंगे। ...*(व्यवधान)* ज्यादा मत बोलिए, फिर आपको बहुत बुरा लग जाएगा और आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।

उसी अपराधी ने उत्तर प्रदेश एक बड़े नेता की हत्या की। आज वह मुजरिम है। अपराधीकरण नियम कानून से नहीं, कौन नहीं जानता कि यह अपराधी है, कौन सी पार्टी नहीं जानती कि यह अपराधी है, नेता यदि सही हैं, अपनी नीयत सही है तो नेताओं को उसको टिकट नहीं देना चाहिए, हिम्मत के साथ यह काम करना चाहिए। हम एक मंच पर बैठकर, बातचीत करके संकल्प करें कि हम अपराधी किस्म के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। एक ही पार्टी को बारबार कहने की आवश्यकता क्यों है। यह सब नेता जानते हैं, सब पार्टियां जानती हैं।

इसी तरह से आप कहते हैं, अपराधीकरण के बारे में वोहरा कमेटी की रिपोर्ट आई है। उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र को बड़ा खतरा हो जाएगा। आज जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता है। लेकिन आज जनप्रतिनिधियों को कहा जा रहा है कि वही सबसे ज्यादा अपराधियों से मिले हुये हैं। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को जरा विस्तार से पढ़कर देखें कि उसमें क्या है। राजनीतिज्ञों का गठजोड़ उसमें है। कुछ जजों का गठजोड़ है और कुछ उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों का गठजोड़ है। लेकिन कुछ जजों और अधिकारियों को छोड़ दिया गया है, केवल राजनीतिज्ञों की चर्चा चल रही है और अपराधियों के गठजोड़ की बात है। यह है सच्चाई। यदि इस तरह के राजनीतिज्ञों पर उंगली उठती रही तो हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा।

गांधी जी की शताब्दी मनाई गई और हम आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। बहुत से नौजवानों को तो सौभाग्य मिलेगा, जब सौ साल वाली आजादी मनाई जायेगी तो हम लोगों में से बहुतों को मौका नहीं मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि हाउस पसंद करे तो लंच छोड़ सकते हैं।

कई माननीय सदस्य: नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: लंच रखना है। ठीक है, रातभर बैठना है तो लंच करिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: जहाँ तक बात चुनाव सुधार की है–केवल पद्धति में परिवर्तन कर कुछ सुधार नहीं हो सकता। जनता से लेकर नेता तक को मानसिकता बदलनी होगी। इसी पद्धति से 1952 से लेकर 1967 तक अच्छे परिणाम निकले। हम लोग मिलकर सब काम करें। कानून से नहीं, यदि कानून बनाएंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पास बहुत उदाहरण हैं लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सदन के सब लोग जानते हैं, मैं चौधरी शंकर सिंह का नाम लेना चाहता हूं। वे जालौन के रहने वाले हैं। सभी जानते हैं, मैं हिन्दुस्तान की बात नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश में ही यदि सौ ईमानदार और शरीफ लोग छांटे जाएं तो उसमें चौधरी शंकर सिंह का नाम आ जाएगा। लेकिन उन्होंने 1980 से लेकर 1982 तक फर्जी एनकाउंटर का विरोध किया। एक अधिकारी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। उनको पता लगा तो दो साल बाद उनको हिस्ट्रीशीटर बना दिया। चौधरी शंकर सिंह जो दो बार भारतीय जनता पार्टी से एम.एल.ए. रहे, उसके बाद हमारी पार्टी में आए। यह कानून से नहीं होगा। यदि अपराधियों को टिकट न दिया जाए जिनके बयान आ रहे हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोग अपने स्वार्थों के कारण किसी को भी अपराधी बनाकर उसे चुनाव से रोक देंगे। यह काम कानून से नहीं होगा, यह तो हम और आप बैठें और एक मंच पर सारे हिन्दुस्तान के बुद्धिजीवियों को बुला लें, एक दिन बहस हो जाए, हर पार्टी का एक-एक नेता बोले, एक-दूसरे के खिलाफ बोले, कोई बुरा नहीं माने तो कम से कम देश की जनता भी समझेगी कि किस पार्टी के कितने अपराधी हैं और कौन किसका समर्थन कर रहा है। हम कई बार कह चुके हैं, इस बात पर बहस होनी चाहिए।

यह सही है कि हमारी पचास साल की उपलब्धियां हैं। लोकतंत्र मजबूत हुआ है। लेकिन यदि हम इस सुंदर लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपस में बैठकर बातचीत करें। नफा-नुकसान देखेंगे तो यह जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। एक बार आपको मजबूती से कदम उठाना पड़ेगा।

मैं थोड़ा समय और लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आजकल शहरों की तरफ इतनी भगदड़ मची हुई है क्योंकि गांवों से लोग वहां पहुंच रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप देखिए कि बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हैं, लेकिन कहीं-कहीं झुग्गी-झोपड़ियां भी नजर आएंगी। उन गरीबों की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा और उनके बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर देशभक्ति की भावना जगेगी। जैसी आजादी के वक्त देशभक्ति की भावना जगी थी। आज हमारे बीच कई स्वतंत्रता सेनानी बैठे हुए हैं। उनका बहुत बड़ा आंदोलन था और वह गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। हम आज फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी बहुत बड़ी है। गांव-गांव में आपके कार्यकर्ता हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी आपके साथ हैं। जो 80-90 साल के हो गए हैं लेकिन आज भी वे लोग डंडा लेकर आपको समर्थन देते हैं। इसलिए दोहरा चरित्र अपनाना बंद करें और समाज के बीच पड़ी खाई को पाटने का काम कीजिए।

मैं भाषा नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस बारे में मैं साफ कहना चाहता हूं कि क्या रूस ने अंग्रेजी के साथ तरक्की की, क्या चीन ने अंग्रेजी के सहारे तरक्की की, नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम प्रोफेसरों को बढ़ावा दें। जो दो-तीन महीने छुट्टी रहती हैं, हम प्रोफेसरों को उस अवधि में दो-तीन गुना अधिक वेतन

दें और कहें कि हर भारतीय भाषा में किताबों का अनुवाद करो। आज लोग कहते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई बिना अंग्रेजी के नहीं हो सकती। अगर ऐसा ही होता तो क्या चीन, जर्मनी, जापान या रूस आदि देश अंग्रेजी के सहारे ही तरक्की कर गए हैं? राम मनोहर लोहिया जी जब जर्मनी में गए तो उन्होंने अंग्रेजी में बात की। वहां के प्रोफेसर ने कहा कि अगर हमसे पढ़ना चाहते हो तो जर्मनी सीखकर आओ। इस पर उन्होंने छः महीने में जर्मनी भाषा सीखी और फिर पढ़ाई की। बाद में प्रोफेसर ने उनसे कहा कि मैं अच्छी तरह अंग्रेजी जानता हूं, लेकिन हम आपको जर्मनी भाषा सिखाना चाहते थे। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बरबाद हुआ जर्मनी बाद में एक महाशक्ति बन गया। इसलिए प्रोफेसरों को तीन गुना अधिक तनख्वाह दो, पढ़े-लिखों को दो और कहो कि हिंदुस्तान की जितनी क्षेत्रीय भाषाओं की किताबें हैं, उनका अनुवाद हमारी सब भाषाओं में होना चाहिए। तब यह नहीं कह सकेंगे कि मेडिकल की पढ़ाई बिना अंग्रेजी के नहीं हो सकती। आज सम्पर्क भाषा के रूप में सारे देश में हिन्दी जानी जाती है। दक्षिण से हमारे भाई-बहन जब बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं तो क्या वे अंग्रेजी सीखकर आते हैं, इसी तरह से जब उत्तर भारत के लोग आंध्र प्रदेश में तिरुपति या रामेश्वरम जाते हैं तो क्या वे अंग्रेजी सीखकर जाते हैं? इसी तरह से जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो क्या हम सम्पर्क भाषा का प्रयोग नहीं करते, करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यहां गलत प्रचार किया जाता है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जब यह कहा जाता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है।

मैं एक वाकया बताना चाहता हूं। एक उद्योगपति के स्कूल का उद्घाटन करने मैं गया। सबने कहा कि अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है, आप क्या करने जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि हमें वहां अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने खुद बताया कि 7-8 देशों को छोड़कर सब जगह अंग्रेजी नहीं है। इसलिए अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जो देश अंग्रेजों के गुलाम रहे, केवल वहीं अंग्रेजी है। आज 190 के करीब मान्यता प्राप्त देश हैं, उनमें सात-आठ देशों को छोड़कर कहीं अंग्रेजी नहीं है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा। मैं अपने दक्षिण के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप यहां तमिल में, तेलुगू में, मलयालम में और कन्नड़ में बोलिए, हम लखनऊ जाकर आपका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे।

इसी तरह से मैं खेलों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हम खेलों में क्यों पीछे रह गए, इसलिए रह गए क्योंकि हमने केवल क्रिकेट को ही बढ़ावा दिया और क्रिकेट ही खेली। यह खेल गुलाम देशों का खेल है। हमारे अपने कई राष्ट्रीय खेल हैं। आज हमने हाकी को, कबड्डी को, खो-खो को, हाई जम्प और लांग जम्प को छोड़ दिया है। आज भी हमारे यहां ऐसे लोग हैं कि आप उनको धकेल दो तो वे तैरने लग जाते हैं। मैंने स्वयं कुश्ती लड़ी और मेरा उत्तर प्रदेश टीम में चयन हुआ।

आगरा मंडल का चैम्पियन बनाया गया। यू.पी. में हम सलेक्ट हो गए। देश के लिए सलेक्ट हो गए लेकिन हमें किसी ने कभी सम्मानित नहीं किया। खेलों में तैरने वाले कौन पसंद किये जा रहे हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे उनको आज मल्लाह कहते हैं, केवट कहते हैं। क्या कभी हिन्दुस्तान के लोगों ने सोचा कि बारह साल का निषाद का बेटा, केवट का बेटा छः कि.मी. समुद्र में तैरता है, छः कि.मी. लौटकर आता है और केवल सोलह साल का लड़का बारह कि.मी. समुद्र में तैरता है। क्या उनको यदि दुनिया में कहीं तैरने की प्रतिस्पर्धा है तो क्या कभी निषाद के बेटे को, मल्लाह के बेटे को क्या उस खेल में सलेक्ट किया जाता है? क्या कभी चुनाव हुआ है? चुनाव किसका होता है? तालाब में फेंक दो, अपने आप तैर जाएगा। तैरने के अतिरिक्त, खेल के हर क्षेत्र में हम पीछे हैं। आत्महीनता की भावना हममें है। इस आत्मविश्वास के साथ हमें कौन पसंद करता है। इसका सवाल नहीं है।

आज किसी ने रक्षा मंत्रालय के बारे में कहा कि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, वह मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी मिसाइल सीमा पर क्यों नहीं लगा देते? इसकी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। दो घंटे का काम है। ढाई घंटे का काम है, इससे ज्यादा नहीं है। रक्षा मंत्री हमारे पूर्व प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी रह चुके हैं, शरद पवार जी भी रह चुके हैं। कितने घंटे लगते हैं? क्या ये म्यूजियम में रखने के लिए है? क्या ये दिखाने के लिए है? जरूरत पड़ेगी तब इनका इस्तेमाल करेंगे, यह सच्चाई है। मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी से सहमत हूं। हम समाजवादी लोग हथियारों की इस होड़ को कभी पसंद नहीं करते लेकिन जिस वक्त हम लोग भाषण देते थे तब स्थिति दूसरी थी। लेकिन आज हिन्दुस्तान के पड़ौसी देशों के आसपास जो गतिविधियां हैं, उनको देखते हुए हमें अपनी सेना को मजबूत करना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ा अनुभव है कि अगर विदेश नीति का स्वतंत्र स्वरूप रखना है, विदेश नीति को आत्म-निर्भर रखना है, किसी विदेशी शक्ति के दवाब में नहीं आना है तो हमें अपनी सैन्य-शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। सैन्य-शक्ति मजबूत होगी तो देश का विकास होगा और फिर कोई कश्मीर में दखल नहीं देगा।

अगर ये पांच देश जो दादागिरी कर रहे हैं, ये समुद्र में सारी परमाणु शक्ति को फेंक दें तो हिन्दुस्तान भी फेंकने के लिए तैयार है। सबसे पहले फेंक देगा लेकिन जब तक ये पांच देश अपनी परमाणु-शक्ति का विनाश नहीं करेंगे तब तक अपने देश की रक्षा के लिए, उसके विकास के लिए सैन्य-शक्ति को मजबूत करने के लिए जितना करना पड़ेगा, उतना हम करेंगे। पड़ौसी देशों से यह पूछे जाने पर कि आप क्यों हथियारों की होड़ में जा रहे हैं तो उन्होंने साफ कहा कि हमने अपने देश को ऐसा बना दिया है जिससे कोई दखल नहीं देगा। हम अपने आप शांतिपूर्ण वातावरण में अपने देश का विकास करेंगे। उन्होंने बयान दे दिया। इतना आगे निकल गए हैं। अभी ऐसे देश हैं। हमें अभी केवल पाकिस्तान नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हमारी नजर जानी चाहिए। पाकिस्तान तो इतना छोटा देश है कि अगर वह चीन की दी हुई 84 मिसाइलें इस्तेमाल कर देगा तब भी हिन्दुस्तान कुछ न कुछ बच जाएगा। लेकिन हम पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान और श्रीलंका तथा पूरी विश्व शांति के पक्षधर हैं। लेकिन यदि कोई इस तरह की हरकतें करेगा तो इन हरकतों का जवाब देने के लिए अपनी सेना को सबसे ज्यादा मजबूत बनाने का हमारा इरादा है और पूरे सदन का इरादा

है। लेकिन परमाणु शक्ति के हम पक्षधर नहीं हैं। हथियारों की होड़ में हम पड़ना नहीं चाहते हैं, यह सच्चाई है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, तो हमें पंडित नेहरू जी का 1963 का भाषण याद करना चाहिए। जब पंचवर्षीय योजना पर बहस हुई थी तो स्वर्गीय राम सेवक यादव ने कहा कि यह आपकी योजना है और इसके चलते भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। इस पर नेहरू जी जैसे विशाल हृदय वाले नेता ने कहा कि आज हमें गांधी जी की रह-रहकर याद आती है। हमारे हिन्दुस्तान का विकास खेती से होगा। बड़े कारखानों से नहीं होगा। पंडित नेहरू जी अगली योजना तक जीवित रहे होते तो मुझे विश्वास है कि अपनी नीतियों को बदल देते।

पंडित नेहरू जी द्वारा दिए भाषण को, जो उन्होंने 1963 में दिया था, उसको संसद की लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इस बात को स्वीकार किया था। इसलिए हमने आगे बढ़ कर कहा कि अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, देश के नफे और नुकसान का ध्यान करते हुए, राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई गलती हुई है, अगर उसको स्वीकार करते हैं, तो उससे देश महान बनेगा। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को ध्यान में रखकर अगर हम इस काम को करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आगे आने वाली पीढ़ी हम लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेगी और जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की है, उसका सम्मान होगा तथा स्वतंत्रता सैनानियों का सम्मान होगा। 1969 में हमने गांधी जी की जयन्ती मनायी और 1992 में हमने क्रान्ति जयन्ती मनाई। इसलिए आजादी की 50वीं वर्षगांठ एक औपचारिकता मात्र न रह जाए, यह सदन विशेष चार दिनों के लिए बैठा है, वह केवल औपचारिक मात्र न हो। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव करेंगे, कोई संकल्प करेंगे, तो उस संकल्प पर कितने चलेंगे? इसलिए मैं यहीं पर करना चाहता हूं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे चलाना है, देश को महान बनाना है, तो कम से कम एक ही संकल्प करें कि कथनी और करनी में भेद न हो। जिन लोगों की कथनी और करनी में भेद होगा, वे देश की कभी सच्ची सेवा नहीं कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.46 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.50 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.57 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.57 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

श्री सुरेन्द्र सिंह

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): सभापति महोदय, इस सदन का स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में एक अधिवेशन बुलाया गया है। सदन के सभी पक्षों की तरफ से पचास साल की उपलब्धियां, हमारी कमजोरियां, इन सब के ऊपर विशेष चर्चा हुई। पहले दिन सदन का जो चर्चा का स्तर था, वह नॉन पॉलिटिकल था। किसी पर कोई प्रहार नहीं हुआ। सभी बोलने वाले नेता मोर एंड लैस कन्सैंट्रेट कर रहे थे कि हमारी कहां खामियां रहीं और हमें उन्हें दूर करने के लिए क्या करना है लेकिन आज जब मुलायम सिंह जी सदन में बोल रहे थे तो उनकी तकरीर पॉलिटिकली मोटिवेटिड थी। वह इस कद्र थी कि मानो अगले चुनाव की तैयारी हो। कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से एक-आध बात ऐसी आई। हमारे तमाम पार्लियामैंटेरियन्स चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हम फील्ड या निर्वाचन क्षेत्र में जाकर क्या बात कहें, उन्हें मद्देनजर रखना पड़ता है। मैं चुनाव के दौरान कहीं जाता हूं तो अपने मतदाताओं से कहता हूं कि मैंने सदन में आपके हकों की रक्षा की बात की, मैंने वीकर सैक्शन, बैकवर्ड क्लासिज की बात की। यहां बाई ऐंड लार्ज अपने मतदाताओं की प्रवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए सभी चैम्पियन होते हैं। मैं सभी साथियों से वास्तविकता कहना चाहता हूं। वास्तविकता क्या है? हमारे फोरफादर्स ने इस मुल्क को आजाद कराया। गांधी जी ने तमाम संसार के सामने एक उदाहरण पेश किया कि अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए किस तरह इतने बड़े मुल्क को आजाद कराया जा सकता है? हमारे जो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए बहुत योगदान दिया। आजादी के बाद जितने भी

राजनीतिक दल हैं, उनमें से किसी ने कम और किसी ने ज्यादा देश के निर्माण के लिए बेहद योगदान दिया।

अपराह्न 3.00 बजे

अब जो सत्ता में ज्यादा रहे, उन्होंने ज्यादा योगदान दिया देश की तरक्की में। जो कम रहे उनको कम मौका मिला और इसके अलावा बहुत से नेता ऐसे हैं जो वक्तन-फक्तन या तो सरकार में रहे या विरोध में इस पार्लियामेंट में घूमते रहे। उनका योगदान भी रहा। लेकिन माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस की तरफ से डिबेट करते हुए हमारे जो इस तरफ साथी बैठे हैं, जहां उनके प्रांतों में सरकारें हैं, उनको कोई पासिंग रेफरेन्स देकर कटाक्ष के तौर से कुछ कहकर चले गए। मैं बराबर इस बात को मानता हूं कि सभी राजनीतिक दलों का इस देश के निर्माण में बराबर हाथ रहा है और अगर कोई कमी रही है तो भी उसमें सभी पार्टियों का बराबर योगदान रहा है। हम कई बार चर्चा करते-करते सदन में यह कह देते हैं, मैं किसी एक नेता या पार्टी का नाम नहीं लेता, एक पार्टी का नाम लेकर कह देते हैं कि यह तो कम्यूनल पार्टी है और वह इस बात को भूल जाते हैं कि यही कम्यूनल पार्टी 1977 में उनके साथ सरकार में भागीदारी रखती थी। हमारे जो साथी बीच में बैठते हैं, इनका रोल भी कई बार बदलता रहा है। मैं भी इनमें बहुत लंबे अरसे तक बैठा हूं। राज्य सभा में मैं कांग्रेस का एम.पी. था। पहला चुनाव मैंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा। कुछ हमारे जो लेफ्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने अपनी जगह नहीं बदली है सिद्धांतों की वजह से और अगर वह कंप्रोमाइज करते हैं तो यह सोच सकते हैं कि उन परिस्थितियों में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। जहां हमारे राजनीतिक दलों का योगदान देश के निर्माण में रहा है, प्रजातंत्र शासन प्रणाली को कामयाब करने में रहा है, वहां हमारे मतदाताओं ने भी बहुत समझ-बूझ से काम लिया है। कई मौके इस मुल्क में ऐसे आए कि अगर राजनेता और राजनीतिक पार्टी गलत कर दें, ठीक काम न कर सकें तो हमारे मतदाताओं ने उनको ठीक कर दिया। 1977 में सारे हिन्दुस्तान में कांग्रेस पार्टी का शासन बदल दिया और 1977 में जो सरकार यहां बनी, लोगों को उससे बेहद उम्मीदें थीं। लेकिन चूंकि यह बहुत सी पार्टियां उसमें मिली-जुली थी, वह नहीं चल पाई। 1980 में लोगों ने दूसरा बहुमत सामने रख दिया।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले तीन दिन से चर्चा है कि एक कौमन कोड ऑफ कंडक्ट हर दल के लिए, हर राजनेता के लिए हो और वह देश के निर्माण के लिए रखा जाए तो हम भूल नहीं करेंगे। पोलिटिकल पार्टियों के सिद्धांत भी बदलते रहते हं। शरद जी ने कल सिद्धांत की बहुत अच्छी बातें कहीं। मैं भी पोलिटिकल परिवार से संबंध रखता हूं। देश के जो हुक्मरान थे, जो दिल्ली में सरकार चलाते थे, मेरा सौभाग्य रहा उनके नजदीक बैठने का। जो आपसी छीटाकशी और कैरेक्टर असेसिनेशन की कोशिश पार्टियों के लोग करते हैं, उसको हमें खत्म करना होगा। यहां बैठे हुए किसी भी दल के सदस्य नहीं कह सकते कि हमें वीकर सैक्शन का वोट नहीं चाहिए। मतदाता चाहे हरिजन हो, बैकवर्ड हो, आज किसी न किसी समय हर राजनीतिक दल यह कोशिश करता है कि सत्ता में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई न कोई ऐसा नारा मिल जाए जिससे हम सरकार बना लें।

इंदिरा जी इस मुल्क की बहुत लंबे अरसे तक प्रधान मंत्री रहीं। उन्होंने सरकार की तरफ से एक नारा दिया 'गरीबी हटाओ'। सभापति जी, मैं व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं लेता, मगर कोई कांग्रेस का साथी दिल से यह बात बता दे कि उस नारे को देने के बाद गरीबी इस मुल्क में बड़ी है या घटी है। इसका दोष किसी एक आदमी को नहीं जाता। हमारे कुछ राजनीतिक दलों ने जो दिशा इस देश को देने की कोशिश की कि देश के लोग वास्तविकता से हटकर सोचने लगे। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी इस मुल्क को और इस प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए उन लोगों की थी जो लम्बे अरसे तक वहां बैठे रहे और हमारे जो साथी इस तरफ बैठे हुए हैं शरत् चंद्र पटनायक जी कह रहे थे, उन्होंने रेफरेंस दिया कि मैं तो पुराना कांग्रेसी हूं। हमारी इस कांग्रेस पार्टी में मैं जब तक रहा, मैं अपने सीनियर साथियों से लाइक माइंडेड लोगों से चर्चा करता रहा कि आज पार्टी तरक्की कर सकती है, मुल्क तरक्की कर सकता है, अगर आप साइकोफेन्सी को छोड़ दे। सभापति जी, यहां पर पाटील साहब बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के दूसरे सीनियर सदस्य बैठे हुए हैं। एक वक्त ऐसा था जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े पदाधिकारी ने यह कह दिया कि इन्दिरा भारत है, भारत इन्दिरा है और भगवान की करनी ऐसी हुई कि 1977 में हम सब चुनाव हार गये। लोक सभा में हमारी सरकार नहीं रही। वही लोग शाह कमीशन में और दूसरे कमीशनों जाकर यह कहने लगे कि हम तो मजबूत थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम पोलीटिकल आदमियों का करेक्टर कहां है। 1975-76 में यह कहा इन्दिरा भारत है, भारत इन्दिरा है। 1977 में यह कहा कि भूल थी और कांग्रेस की जो हार हुई है या कांग्रेस सरकार की जो हार हुई है उसको इंदिरा जी के नाम मत दो और स्वभाव यही नहीं कमीशन में गवाही देने चले गये। 1980 में भगवान की करनी ऐसी हुई कि लोगों ने दोबारा इंदिरा जी को मैनडेट दे दिया। वही लोग जो गवाही देते थे वे जाकर यह कहने लगे कि हमारी तो मजबूरी थी। मेरे फादर को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया था।

हर आदमी यह सोचने लगा कि चौधरी बंसीलाल के घर तुम चले गये तो तुम्हारा नाम लिखा जायेगा। जब इस देश में हालात बदलते हैं तो हमारे पोलीटिकल आदमियों के स्वभाव बहुत नरम हो जाते हैं। श्री नरसिंहराव जी यहां नहीं बैठे हैं, जब सत्ता में होते हैं तो इस देश में इतनी व्यक्ति पूजा होती है कि इतनी मूर्ति पूजा भी नहीं होती और सत्ता से बाहर जो आदमी पावर से बाहर होता है उसके घर के आगे से गुजरना गुनाह समझते हैं। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम अगर सारी पोलीटिकल पार्टीज मिलकर यह तय करें कि हमने मेनिफेस्टों पर करेक्टर असेसीनेशन नहीं करना है, मेनिफेस्टो पर चुनाव लड़ना है और मेनिफेस्टो क्या हम सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले एक मेनिफेस्टो को पूरा नहीं पढ़ते हैं। आप सभी पार्टियों के साथी यहां बैठे हुए हैं आप बता दें किसी पार्टी के पहले चुनाव घोषणा-पत्र में क्या मुद्दा था। मैं 1982 में कांग्रेस का उम्मीदवार था, विधान सभा का चुनाव लड़ रहा था, तो पार्टी की तरफ से दिल्ली से इलेक्शन पब्लिसिटी के लिए बहुत सा मैटीरियल जाता है। हमारे यहां एक ट्रक आया तो उसने दो बोरियां मेनिफेस्टो की उतार दी और कहा कि इनमें मेनिफेस्टो है तो जो आदमी दफ्तर में मेरे कागज--पत्र देखता था, उसने कहा कि इसमें क्या है, तो उसने कहा कि इसमें चुनाव घोषणा-पत्र है। उसने कहा कि घोषणा पत्र तो ले जाओ, दो बोरी झंडे दे दो, गांव में झंडे बहुत मांगते हैं, घोषणा पत्र की कोई जरूरत नहीं है। घोषणा पत्र तो हम सब जानते हैं। श्री मुलायम सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, मैं उनसे माफी चाहूंगा, इस सदन में और भी इतने नेता बैठे हुए हैं। हमारी तो छोड़ दीजिए, हम तो नेता नहीं है। जो आदमी चुनाव लड़ता है वह चुनाव से पहले कास्ट कंबीनेशन की लिस्ट देखता है कि किस हल्के में कितने जाट हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने अहीर हैं, कितने यादव हैं, कितने बैकवर्ड हैं और कोई न कोई एक लीडर इनकी कास्ट का चैम्पियन हो जाता है और वह दूसरी जातियों के खिलाफ बोलकर एक जाति का लीडर बन जाता है। चाहे उस जाति के लिए उसने कुछ न किया हो। हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की है। हमारे मतदाता बहुत अच्छे फैसले करते रहे हैं। बड़े-बड़े लोगों को हरा दिया, जिता दिया। पहले दिन इमरजेंसी के बारे में सदन में चर्चा आई। हमारे विरोधी दल के नेता श्री वाजपेयी कह रहे थे कि कभी किसी ने इस पर खेद प्रकट नहीं किया। मैं मानता हूं कि वह खेदजनक बात थी। लेकिन सभापति जी उस वक्त 1977 में ऐसा माहौल था कि तमाम के तमाम हम जो कांग्रेस के आदमी थे, उनको खेद प्रकट करने का मौका नहीं मिला। सब अदालतों में खड़े थे। कोई किसी कमीशन में खड़ा था। सबसे बड़ा खेद तब होता है जब कोई पोलीटिकल आदमी हारकर घर बैठ जाए।

इस देश में भेड़चाल है। हर पोलिटिकल पार्टी का आदमी यह टोह लेता है कि इस बार सरकार की खामियां क्या हैं, सरकार कैसे आगे चल सकती है। पिछले से पिछले सैशन में बहुत जोरों से चर्चा उठी कि महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए—मैं इसके हक में हूं। मैं कहता हूं कि आरक्षण को 33 परसेंट से बढ़ाकर 50 परसेंट कर दो लेकिन यह भी देखो कि हमारा मुल्क कहां जा रहा है? आज से 5-7 साल पहले ग्राम-पंचायत एक्ट में अमैंडमेंट की गई कि अब ग्राम पंचायतों में महिलाएं सरपंच और मैम्बर बन सकती हैं। आज अनेकों महिलाएं सरपंच और मैम्बर के रूप में काम करती हैं। पिछले दिनों में अपनी कांस्टीटूऐंसी के दौरे पर था, मैंने गांव के एक व्यक्ति से पूछा कि इस गांव का सरपंच कौन है। एक आदमी मेरे साथ बैठा था, वह बोला कि मुझे ही सरपंच कह देते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास जो दरख्वास्त आई है, उस पर किसी महिला ने सरपंच की हैसियत से दस्तखत किए हैं, किसी महिला का नाम है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक सील निकाली और कहा कि यह सरपंच है। मैंने पूछा कि वह महिला सरपंच कौन है तो वह बोला कि यही सरपंच है। फिर मैंने पूछा कि इस पर दस्तखत किसने किए तो वह बोला कि मैंने किए, मैं उसका पति हूं। मैंने फिर पूछा कि तुमने दस्तखत क्यों किए तो उसने उत्तर दिया कि वह भी मेरे जैसे दस्तखत करती है क्योंकि मैंने ही उसे दस्तखत करना सिखाया है।

इसलिए जब तक हम हर महिला को पोलिटिकली एजूकेट नहीं करेंगे, हर महिला को हक है कि वह अपने हक-हकूक की रक्षा करते हुए, अपना काम करे। ...*(व्यवधान)* बहन जी, मैंने हरियाणा की बात की है। मैं महिलाओं के आरक्षण के हक में हूं। महिलाओं को इस सदन में और विधान सभाओं में 33 परसेंट आरक्षण मिलना जरूरी है। इलैक्शन लॉ, भ्रष्टाचार, प्रजातंत्र और शासन प्रणाली को मद्देनजर रखते हुए, मैं आपके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। जब हम संविधान में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देने संबंधी तरमीम करेंगे, उसके बाद हर महिला चुनाव लड़ सकती है लेकिन उन्हें पूरे हक मिलने चाहिए। हमारे मुल्क में इंदिरा जी ने बहुत लम्बे समय तक राज किया। ...*(व्यवधान)*

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमने पार्टीज के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट रखा है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसे पौपूलेशन कंट्रोल को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब 1975-76 में, इस देश में जबर्दस्ती नसबंदी हुई थी, वह भी एक कारण था कि हम सब चुनाव हार गए लेकिन आज उसकी जरूरत है। यदि हम सब एम.पीज. सोच लें और पिछली लोक सभा में यह चर्चा चली थी कि जिस व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे होंगे वह विधान सभा का यो लोक सभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं दो बच्चों को भी ज्यादा मानता हूं लेकिन इस देश की तरक्की को हमारी बढ़ती हुई पौपूलेशन खाए जा रही है। चाहे रेल

मंत्री जी कितनी ही नई रेलगाड़ियां चला दे, नौवहन मंत्री कितने ही हवाई जहाज चला दें लेकिन रेलों में भी टिकट नहीं मिलता, वहां भी वेटिंग है, हवाई जहाजों में भी टिकट नहीं मिलता, वहां भी वेटिंग है, टेलीफोन कनैक्शन में भी वेटिंग है, एल.पी.जी. के लिए अप्लाई करें तो वहां भी वेटिंग है। जिस आदमी के दो से ज्यादा बच्चे हों, उसे इलैक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए ...*(व्यवधान)* आओ, सब मिलकर ऐसा फैसला करें। जिसने शादी न की हो, उसे बगैर चुनाव लड़े नौमिनेट कर दो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके दो से ज्यादा बच्चे हों और वह कहीं ऑफिसर है तो उसे प्रोमोशन नहीं मिलनी चाहिए।

सभापति जी, अंत में मेरी अर्ज है कि जो ब्यूरोक्रेसी इस देश में है, आज भी उसके ऊपर कोलोनियल हैंग-ओवर हैं।

सभापति महोदय, कोई भी पालीटिकल आदमी पावर में हो, ब्यूरोक्रेसी उसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। देवेगौड़ा जी ने इसके बारे में ठीक कहा था। आज यहां इतने एम.पीज. बैठे हुए हैं। संविधान के मुताबिक इनका बहुत बड़ा स्टेटस है, लेकिन यदि कोई सांसद किसी सैक्रेट्री से बात करना चाहे, तो वह बहुत समय तक लाइन पर ही नहीं आते हैं और जब आते हैं और बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जाने इनके ऊपर कितना बोझ है। पहले तो ये मिलते नहीं। कभी बाथरूम में और कभी मीटिंग में जाने की बात कह देते हैं। किचन में तो ये जाते नहीं। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ऐसे बहुत कम आफीसर्स सरदार मनमोहन सिंह की तरह के हैं जिनका जनता और देश के प्रति कमिटमेंट है। इसलिए यदि हम पालीटिकल पार्टी वाले लोग ध्यान से देखें, तो हमें पहले ऊपर उठना होगा। यहां पर कई बार चर्चा आई और कभी इधर से प्रहार हुआ और कभी उधर से प्रहार हुआ। कहीं किसी राजनीतिक दल का किसी एक आदमी के खिलाफ कामन इंटरैस्ट होता है।

सभापति जी, देवेगौड़ा जी जब इस हाउस में वोट आफ कान्फीडेंस लेने के लिए आए और जब उन्होंने अपनी तकरीर की, तो तकरीर करने के बाद वे नरसिंहराव जी से ऐसे गले मिले आकर मिले जैसे कोई हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय का बिछुड़ा एक भाई किसी दूसरे भाई से गले मिल रहा हो क्योंकि दोनों ही एक व्यक्ति से परेशान थे। हम पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठते हैं, लेकिन अपने स्वार्थों के मद्देनजर रखते हुए उठते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपने इलैक्शन-ला में तरमीम करें। हम अपने कोड आफ कंडक्ट में ऐसी व्यवस्था करें जिससे करैक्टर एसैसीनेशन न हो। जो हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें जब ओरिएंटेड एजूकेशन हो, जिससे उनको कुछ सहारा मिले। जहां तक चुनाव का सवाल है, उसके कानूनों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री शिवराज वी. पाटिल

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर): महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को लोक सभा के इस विशेष सत्र को बुलाने की व्यवस्था करने, इस अवसर पर एक ग्रंथ का प्रकाशन करने और माननीय सदस्यों को सहज रूप से वाद-विवाद में शामिल होने के लिए इस ग्रंथ की प्रति उपलब्ध कराने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस वाद-विवाद में, मेरे विचार में एक अथवा दो सदस्यों और एक अथवा दो मुद्दों को छोड़कर सभी सदस्यों ने दलगत भावना से उठकर अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने विश्व और देश की बदलती परिस्थितियों और लोगों के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं। और इस सभा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भी यही है।

मैं संविधान में किए गए संशोधनों और दो या तीन मुद्दों के बारे में कुछ क्षण के लिए बोलना चाहूंगा। तत्पश्चात् मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। कुछ सदस्यों ने कहा है कि सभा में शिष्टाचार उचित रूप से बनाए नहीं रखा जाता है और हमें इसका कोई समाधान ढूंढ़ना होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे कि सभा की कार्यवाही का संचालन संसद की गरिमा के अनुरूप किया जाये उन्होंने कुछेक सुधाव भी दिए हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि उन सुझावों के बारे में सहमति हो गई प्रतीत होती है।

मैं अपनी लोक सभा और संसद के कार्यकरण के संबंध में तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि माननीय सदस्य जो यहां आए हैं, उन को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। हर समय, वे और अधिक समय प्राप्त करने और अपनी-अपनी बात कहने के लिए जोर लगाते रहते हैं।

क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इन माननीय सदस्यों को और अधिक समय मिले। हमारे पास एक दिन में 24 घंटे से अधिक का समय नहीं हो सकता। अत: हमें अच्छी तरह सोच विचार कर यह सुनिश्चित करना होगा कि सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए और अधिक समय देने के लिए कोई युक्ति निकाली जाये। मेरी राय में, हमें समिति प्रणाली को सुदृढ़ बनाना चाहिए और समितियों को और अधिक व्यापक अधिकार क्षेत्र प्रदान करना चाहिए और यदि और अधिक समितियां गठित की जायें और उन्हें सदस्यों के उन मामलों पर विचार

करने की अनुमति दी जाये जिन्हें वे उठाना चाहते हैं तो शायद इस कठिनाई का कुछ हद तक समाधान किया जा सकता है।

हमने यह देखा है कि इस संसद में हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र, हमारे राज्य और वर्तमान हालात से संबंधित होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हम उन महत्वपूर्ण मामलों की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं जो विश्व की स्थिति की दृष्टि से संगत है, जो राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं और जिनका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। अब यदि यह कठिनाई है तो क्या किया जा सकता है?

हमारे लिए यह पर्याप्त नहीं है कि हम समस्या खड़ी कर दें और इसे अछूता छोड़ दें। इस सत्र में हमने देखा है कि हम सभी छुटपुट मुद्दों पर विचार नहीं कर रहे हैं अपितु अति महत्वपूर्ण मामलों पर अपनी-अपनी बातें कर रहे हैं। क्या यह हमारे लिए संभव है कि हम प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के दौरान बड़े मुद्दों, राष्ट्रीय मुद्दों और दीर्घकालीन मुद्दों के लिए चार दिन सुरक्षित रखें जैसाकि हमने इस सत्र में किया है। इस बारे में हमें विचार करना है।

यह हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के महासचिव श्री आर्थर डनहो को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है कि इस विशेष सत्र में हम क्या कर रहे हैं और उन्होंने सदन की कार्यवाही को नियमित रूप से देखना सहर्ष स्वीकार कर लिया है। कल मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि सभा में कल जिस प्रकार से विचार-विमर्श किया गया, वह उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए और उस स्थिति में जबकि वाद-विवाद के लिए कोई निर्धारित कार्यसूची नहीं थी फिर भी वाद-विवाद का स्तर बहुत अच्छा था और वाद-विवाद आलोचनात्मक न होकर और छोटे छोटे मुद्दों पर सीमित न होकर दीर्घकालीन मुद्दों और बड़े मुद्दों पर किया गया। माननीय महासचिव महोदय राष्ट्रमंडल की दूसरी संसदों को सुझाव देना चाहेंगे कि भी वे इस तरह के सत्र अपने यहां बुलाएं।

यह उस व्यक्ति के शब्द हैं जिन्होंने विश्व की कई संसदों की कार्यवाही देखी है। यदि इस संबंध में आम सहमति हो तो यह हमारे लिए संभव होगा और इससे सरकार पर दबाव भी कम होगा।

इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। लोक सभा के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े हैं। लोक सभा का यह सदस्य कभी कभी 15 लाख मतदाताओं, कभी उससे कम और कभी उससे ज्यादा मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े हैं। ब्रिटेन में, एक संसद सदस्य मुश्किल से 60,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है और अपने देश में हम 15 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या यह हमारे लिए यह संभव है कि हम संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि करें। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि सन 2002 तक सदस्यों की संख्या में वृद्धि न की जाए। यदि आगामी चुनाव समय से पूर्व न होकर समय पर होते हैं तो अगले चुनाव सन 2000 के बाद ही होंगे। अत: हम लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के बारे में तैयारी कर सकते हैं।

यदि हम यह कर सकें तो सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी और इससे हमारी कुछेक जटिल समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। मैं बाद में उन समस्याओं के बारे में उल्लेख करूंगा जो संसद और विधान सभाओं आदि में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करने से संबंधित है।

कुछेक देशों में तृतीय सदन हैं जहां बड़ी संख्या में सदस्य बैठते हैं। तृतीय सदन में लगभग 3000 से 4000 सदस्य बैठते हैं। ये सदस्य वर्ष में एक बार और वह भी कई वर्षों के बाद 15 से 20 दिनों के लिए मिलते हैं और केवल बड़े और दीर्घकालीन मुद्दों पर ही विचार-विमर्श करते हैं। वे नीति की रूपरेखा तैयार करते हैं। उसके पश्चात् वह नीति संबंधी रूपरेखा नियमित संसद को प्रस्तुत की जाती है जो उस रूपरेखा के भीतर विधान बनाती है वे उन नीतियों के भीतर जो उन्हें सौंपी जाती हैं, बजट पारित करती है और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार की भी आलोचना करते हैं। यदि हमें देश में लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली को विकसित करना है और यदि हमें केवल उस सब का अनुकरण नहीं करना है जो कि विश्व के दूसरे देशों में घटित हो रहा है, तो मेरे विचार में हमें इस प्रकार का कोई काम करने की आवश्यकता है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): क्या यह एक निर्वाचित संस्था है?

श्री शिवराज वी. पाटिल: जी हां, यह एक निर्वाचित संस्था है। इसी तरह का कोई कार्य किया जाना चाहिए। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण सुझाव है और मुझे विश्वास है कि इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जायेगा। यह एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी लोगों को विचार करना होगा। यदि हम संसदीय लोकतंत्र को बनाये रखना चाहते हैं तो इसमें फेरबदल करके इसे और सदृढ़ बनाना होगा। इसी तरह का कोई कार्य निश्चित रूप से करना होगा। इस समस्या का यह अंतिम समाधान नहीं है। इस संबंध में कई अन्य सुझाव हो सकते हैं। हम इन सुझावों को भी स्वीकार कर सकते हैं।

मैं यह पता करने की कोशिश कर रहा था कि हमारी आजादी के पचासवें वर्ष में किसी ने भारतीय संविधान पर अपने विचार रखे हैं अथवा नहीं। निस्संदेह कुछ माननीय सदस्यों ने संविधान के उपबंधों का उल्लेख किया है परन्तु समग्र रूप से पूरे संविधान पर विचार नहीं किया गया है। सम्भवत: यह इस विषय पर विचार करने का उपयुक्त अवसर नहीं है। संभवत: सन 2000 ईस्वी में भारतीय संविधान की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर इस मुद्दे पर पुन: चर्चा की जायेगी। इस अवसर पर कम से कम इस विषय पर चर्चा करना अनुचित नहीं होगा कि क्या हमारा संविधान सफल रहा है और इससे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। मेरा यह विचार है कि भारत का संविधान आज विश्व में विद्यमान सर्वोत्तम मूल कानून है। मेरे विचार से यह सफल रहा है। इससे हमारी कई समस्याओं का समाधान हुआ है। हमारे देश में लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली और ऐसी अन्य संस्थाओं को सफलतापूर्वक चलाने में इसका योगदान रहा है। इसके साथ ही मेरा यह मत है कि यह संविधान त्रुटि रहित नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ

त्रुटियां हैं जो हमें दृष्टिगोचर हुई हैं। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इन त्रुटियों, खामियों को दूर करें ताकि संविधान को अधिक कारगर और शक्तिशाली बनाया जा सके। मैं इस संदर्भ में किये जाने वाले कार्य का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। मैं इस संबंध में विस्तारपूर्वक नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है।

मैंने विश्व के कई संविधानों का परिशीलन किया है जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और आध्यात्मिकता पर बल दिया गया है। ये सभी संविधान निश्चित रूप से वर्तमान समय में ही तैयार किए गए हैं। हमारे संविधान में भी ऐसे कुछ विषयों का उल्लेख किया गया है परन्तु इन पर विशेष बल नहीं दिया गया है। इस बल को प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए हमें इन विषयों को संविधान में और इसकी प्रस्तावना में शामिल करना होगा। संविधान में मूल अधिकारों पर एक अध्याय है और सभा में कुछ सदस्यों द्वारा काम के अधिकार को मूल अधिकारों वाले इस अध्याय में शामिल करने की मांग की गई है।

ऐसे भी कुछ सदस्य हैं जिन्होंने काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार और आवास के अधिकार जैसे आधारभूत अधिकारों को मूल अधिकारों में शामिल करने की बात कही है। यदि ये अधिकार हमारे देशवासियों को नहीं मिलेंगे तो यात्रा अथवा वाक्-स्वातंत्र्य के अधिकार की क्या उपयोगिता है जोकि ऐसे भूखे व्यक्ति को भी मिले हुए हैं जिसको खाने के लिए रोटी तक मयस्सर नहीं है और जिसको रोजगार नहीं मिल सकता? अतएव यह सुझाव है कि इन अधिकारों को मूल अधिकारों के अध्याय में शामिल किया जाए। परन्तु संविधान के प्रारूपण के समय और वर्तमान में यह आपत्ति उठाई गई है कि हम काम का अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों को इस अध्याय में शामिल नहीं कर पायेंगे क्योंकि इन्हें लागू करना और इनका प्रयोग करना संभव नहीं होगा।

मेरी अपनी यह राय है कि सर्वप्रथम हमें काम के अधिकार का अर्थ समझना होगा। काम के अधिकार का यह आशय नहीं है कि किसी व्यक्ति को उसकी अपनी इच्छानुसार अथवा सामर्थ्य के अनुसार काम करने का अधिकार प्राप्त हो जाएं। यदि किसी व्यक्ति ने पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर ली है तो हमारे लिए आवश्यक नहीं कि उसे प्रोफेसर बना दिया जाए। बल्कि यदि आप उसे कोई ऐसी नौकरी देते हैं जिससे उसे कुछ धनराशि अर्थात् 500 रुपये प्राप्त हो जाएं जिससे उसे जीवन यापन में सहायता मिलती हो तो समझिए कि उसे काम का अधिकार दे दिया गया है। राज्य का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि उसे रोजगार से इतनी आय प्राप्त हो जाये कि वह जीवनयापन कर सके। यदि किसी के पास कोई उद्योग अथवा रोजगार अथवा भूमि नहीं है परन्तु वह कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है, यदि वह व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और यदि समाज तथा राज्य उसे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं देता है तो उसके लिए क्या विकल्प रह जाता है? उसके पास एक विकल्प होता है भिक्षावृत्ति का। दूसरा विकल्प चोरी अथवा आत्महत्या का है। तीसरा विकल्प भूखों मरने का है। देश में इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए।

मेरा यह विचार है कि यदि देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार गारंटी योजनाओं पर खर्च की जा रही धनराशि में थोड़ी और धनराशि जोड़ दी जाये तो उससे काम के अधिकार को लागू करना संभव हो जायेगा। अतएव मैं यह महसूस करता हूं कि इस पर विचार करने का अब उचित समय आ गया है। सौभाग्य से सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के अधिकार की बात कही गई है। यदि हम शिक्षा का अधिकार, पूरी शिक्षा नहीं बल्कि केवल प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए देश के नागरिकों को काम का अधिकार और ऐसे अन्य अधिकार भी देना संभव हो सकता है।

हमारे संविधान में एक अध्याय कर्त्तव्यों से संबंधित है। यह आवश्यक है कि हम इस बात पर विचार करें कि इस अध्याय के द्वारा नागरिकों को किन कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया है। जो कार्य किये जाने हैं उनमें से एक यह है कि काम के अधिकार के साथ ही नागरिकों का कर्तव्य काम करना भी होना चाहिए। इस बारे में जापान का संविधान बहुत ही स्पष्ट है। जापान के संविधान के एक ही अनुच्छेद में यह कहा गया कि "काम करना नागरिक का कर्त्तव्य और अधिकार है" यदि आप उसे अधिकार देकर कर्त्तव्य करने के लिए कहते हैं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही देश के नागरिकों को काम का अधिकार भी मिल जायेगा। परन्तु यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सदस्यों का एक मत होना काफी कठिन है। तथापि इस समय हमें निश्चय ही इस पर विचार करना चाहिए।

अपराह्न 3.34 बजे

[**श्री नीतीश कुमार** *पीठासीन हुए*]

सदस्यों में से एक सदस्य ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि देश में नीति निदेशक तत्वों की क्या भूमिका रही है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को नीतियां तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए निदेशक तत्व दिये गये हैं। परन्तु अब समझ आ गया है कि हम स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात्, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए गए निदेशों और उनके क्रियान्वयन का आकलन करें। यह काम हम किसी समिति से या किसी अन्य पद्धति से कराएं, यह बात हम पर छोड़ दी गयी है। पर अब वह समय आ गया है जबकि हमें इस पर विचार करना ही होगा।

जहां तक राज्य का सवाल है, इसके तीन अंग होते हैं–कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूं। कार्यपालिका में स्थिरता नहीं है। मैंने देखा है कि इस सभा के कुछेक सदस्यों ने ही कार्यपालिका की जवाबदेही और स्थायित्व पर कुछ कहा है। लेकिन यह सच है कि जब जब कार्यपालिका में अस्थिरता रही है तब तब देश का सोना बाहर बेचा गया।

आप इस बात पर जरा गौर करके तो देखें। देश में अस्थिरता की स्थिति से आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और जब भी देश में सुदृढ़ कार्यपालिका का अभाव रहा है तभी देश का सोना बाहर बेचा गया। मैं यह सिर्फ दोषारोपण करने के लिए ही नहीं कह रहा हूं यह सच

है कि ऐसी स्थिति में सुदृढ़ता के अभाव में आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और इसलिए हमारे लिए यह देखना जरूरी हो जाता है कि कार्यपालिका यदि पूरी तरह से नहीं तो कम से कम पर्याप्त रूप से स्थिर तो हो। ऐसा किस तरह किया जा सकता है। कुछ लोगों का सुझाव है कि हम लोगों को इस ढंग से वोट डालने की अनुमति दें कि स्थिर कार्यपालिका आ सके। ठीक है। यदि ऐसा संभव है तो हमें यह करने दिया जाए। कुछ लोग यह सुझाव देते हैं कि हमें स्थायित्व प्रदान कर सकने वाला नेतृत्व चाहिए। यदि ऐसा सही नेतृत्व हमें मिल सकता है तो उसे अपना लेना चाहिए। परन्तु इसे प्राप्त करने का एक सुनिश्चित तरीका है संविधान में संशोधन करना। अब संविधान में किस तरह संशोधन किया जा सकता है यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर विचार करना होगा। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हमें राष्ट्रपति प्रणाली अर्ध-राष्ट्रपतिय और अर्ध-संसदीय प्रणाली अपनानी होगी। मेरा सुझाव यह है कि हमें संसदीय प्रणाली को जारी रखना चाहिए और इसके साथ ही ऐसा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि संसद को उचित स्थायित्व मिल सके। मैं पूर्ण स्थायित्व की नहीं बल्कि पर्याप्त स्थायित्व की बात कर रहा हूं। मैं इस पर और चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिया गया समय इसकी अनुमति नहीं दे रहा है।

न्यायपालिका हमारे देश की शासन प्रणाली का सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण अंग है और इसका देश में आदर किया जाता है। मेरे विचार से लोगों को न्यायपालिका का आदर करना चाहिए और लोगों को न्यायपालिका की सुदृढ़ता के लिए किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि मामले उस समय-सीमा के भीतर नहीं निबटाये जाते हैं जिसमें कि उन्हें निबटा दिया जाना चाहिए। न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और यह और भी दुखदायी बात है कि अपने मामले के निपटान के लिए कुछ लोग 20, 30 वर्षों से प्रतीक्षा करते आ रहे हैं। क्या इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते? मेरा सुझाव है कि हमें न्यायपालिका का आधुनिकीकरण कर देना चाहिए, माध्यस्थम (आर्बीट्रेशन) होना चाहिए, न्यायाधिकरण होने चाहिएं, हमें और न्यायालयों का गठन करना चाहिए तथा न्यायालयों में और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्तियां करनी चाहिएं। हमें मामलों को निपटाने की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए और देश के न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को जल्दी निपटाया जाना चाहिए।

न्यायपालिका आजकल अनेकों मुद्दों पर विचार कर रही है और उसे करना भी चाहिए। परन्तु इसके साथ ही मेरा मानना है कि राज्य के इन तीनों अंगों को इस ढंग से कार्य करना आवश्यक है कि कोई विवाद उत्पन्न न हो। हमारे शरीर में पाचन तंत्र भोजन पचाने का कार्य करता है उसी तरह इसमें रक्तवहन प्रणाली है, मस्तिष्क है, सुषुम्ना है तथा और नाड़ियां है। ये सभी हमारे शरीर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग हैं। मान लो, हमारे पाचन तंत्र के कार्य का शरीर की रक्तवहन प्रणाली या मस्तिष्क के साथ समन्वय न हो तो यह शरीर ही नहीं बचेगा। राज्य हमारे शरीर की तरह एक समग्र जैविक इकाई है और कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका इसके अंग हैं। अब यदि उन तीनों अंगों के कार्यकरण में समन्वय न हो तो हमें वह लाना होगा और वह समन्वय हमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की इच्छा, विवेकाधिकार या मनमर्जी के अनुसार नहीं बल्कि भारत के संविधान के अनुसार लाना होगा। यदि राज्य में कोई परेशानी आती है तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को इसे महसूस करना होगा।

जहां तक मूल अधिकारों का सवाल है, कार्य करने का अधिकार विधायिका द्वारा दिया जाना चाहिए था। परन्तु विधायिका ने ऐसा नहीं किया तब न्यायालय को कहना पड़ा कि जीने के अधिकार में काम का अधिकार भी समाहित है। अब ऐसे में यदि विधायिका अपना कर्त्तव्य न निभाए और उसका कर्त्तव्य न्यायाधीश पूरा करे तो हम उसके खिलाफ शिकायत कैसे कर सकते हैं। परन्तु मान लीजिए कि न्यायपालिका वह निर्णय लेती है जो कार्यपालिका या विधायिका को लेना चाहिए, उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन किये बिना संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब संविधान में ऐसा उपबंध करने संबंधी निर्णय न्यायपालिका द्वारा लिया जा रहा है इसके दूरगामी प्रभाव होंगे और हमने तो इसे निर्णय पुस्तिका में देखा है परन्तु हमने इस पर विचार नहीं किया। या तो हमें यह कहना चाहिए कि यह ठीक है और इसको समावेश करने के लिए कानून में संशोधन किया जाना चाहिए और हम यह कहें कि केवल संविधान सभा की संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करेगी या फिर हम यह कहें कि यह ठीक नहीं है। परन्तु हम इस बात को यूं ही बीच में नहीं छोड़ सकते। इसलिए राज्य के तीनों अंगों को कार्य करना होगा और वह भी प्रभावी ढंग से और समन्वयपूर्वक ताकि उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

संविधान के अनुसार केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। एक सुझाव दिया गया था कि हमें राज्यों को अधिक शक्तियां देनी चाहिए। यदि राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां देना अनिवार्य है तो हमें ऐसा करने दें। लेकिन एक सिद्धांत, जिसका हमें केन्द्र और राज्य की शक्तियों के संदर्भ में निर्णय करते समय, पालन करना चाहिए कि किस प्रकार की शक्तियां केन्द्र के पास होनी चाहिए और किस प्रकार की शक्तियां राज्यों के पास होनी चाहिए इसमें यह देखना है कि राज्यों की स्थिति सुदृढ़ हो और केन्द्र कमजोर न हो। यही मूल सिद्धांत है जिसका राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां देते समय पालन किया जाना चाहिए। एक सिद्धान्त जो हमारे दिमाग में है उससे यह देखना है कि केन्द्र कमजोर न हो और राज्य मजबूत हों। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं इसका पता लगाया जा सकता है क्यों न हम इसका तरीका निकालें। मैं समझता हूं कि संविधान के संबंध में इतना कहना पर्याप्त है।

दो या तीन मुद्दे जो माननीय सदस्यों ने यहां रखे हैं मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उनसे सहमत हूं तो इन मुद्दों पर मेरा भाषण पूरा हो जाएगा। जो मुद्दे उठाए गए हैं वे यह हैं कि राजनीतिक प्रजातंत्र स्वयं में पर्याप्त नहीं है। हमें आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रजातंत्र, आर्थिक प्रजातंत्र और सामाजिक प्रजातंत्र साथ-साथ चलने चाहिए। मैं एक बात और शामिल कर रहा हूं और कहना चाहता हूं कि यहां राजनीतिक प्रजातंत्र, आर्थिक प्रजातंत्र, सामाजिक प्रजातंत्र और सांस्कृतिक

प्रजातंत्र भी होना चाहिए। यहां देश में नागरिकों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें नुकसान होगा।

लेकिन हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि आप सबके साथ राजनैतिक प्रजातंत्र और न्याय चाहते हैं तो राजनीति को प्रथमत: मूल्यों पर और तत्पश्चात् विचारधारा पर आधारित होना चाहिए। यदि राजनीति में मूल्यों और विचारधारा का अभाव है तो यह अस्थिर राजनीति होगी जिससे देश में अस्थिरता पैदा होगी और हमें कष्ट उठाना पड़ेगा।

आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी हमें पुन: मूल्यों, विचारधारा और योजना की ही जरूरत पड़ेगी। नि:संदेह योजना का आधार विचारधारा ही होगी परन्तु कई बार हम योजना को महत्व नहीं दे पाते और काफी हद तक हम इससे दूर होते जा रहे हैं। यदि किसी अकेले व्यक्ति, किसी कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए योजना बनाना आवश्यक है तो क्या हम यह कहें कि किसी समाज या किसी देश के विकास के लिए किसी योजना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। योजना से प्राथमिकता निश्चित होती है, असमानता दूर होती है, समय, कच्चे माल और ऊर्जा की बचत होती है जो कि विकास के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। यदि हम इस प्रकार योजना का त्याग कर रहे हैं तो हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं बाजार का भी दबाव है। परन्तु बाजार का दबाव बाजार के मामले में ही लागू होता है न कि अन्य अनेक क्षेत्रों में भी। हम बाजार के दबावों के मामले पर मात्र विचार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि यदि आप योजना पर गहन विचार नहीं करते हैं तो इससे किसी अकेले व्यक्ति को तो लाभ होगा परन्तु उससे देश का नुकसान होगा। योजना की संकल्पना कोई साम्यवादी संकल्पना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक साम्यवादी संकल्पना है कि यह साम्यवादी विचारधारा का निष्कर्ष रूप है। यह सच है कि इसे साम्यवादी देशों ने अपनाया परन्तु यह संकल्पना साम्यवादी नहीं है, यह तो एक वैज्ञानिक संकल्पना है। इसको अपनाकर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। यदि हम इसे नहीं अपनाते हैं तो हमें नुकसान होने की संभावना है।

जहां तक सामाजिक प्रजातंत्र और न्याय, सांस्कृतिक प्रजातंत्र और न्याय का संबंध है, हमें पुन: खुले दिमाग और मूल्यों को अपनाना होगा। यदि हमारी मानसिकता संकीर्ण है और आप महिलाओं को अधिकार पाने की अनुमति नहीं देते हैं, यदि हम उन लोगों को सत्ता में आने से रोकते हैं जो कुछ सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, यदि हम पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं करना चाहते हैं तो इससे कोई सहायता मिलने वाली नहीं है।

यदि हम चाहते हैं कि देश में गरीबी यथावत रहे और देश की प्रगति हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यदि हम नहीं चाहते कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अधुनातन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, हम नहीं चाहते कि योजना का उपयोग किया जाए। यदि हम उन लोगों को कार्य करने का अवसर नहीं देते हैं जिसे कि वे सक्षमतापूर्वक कर सकते हैं तो इस प्रकार से कुछ नहीं होने वाला है। यह मेरे वक्तव्य का पहला चरण है।

अब मैं अपने वक्तव्य के दूसरे चरण पर आता हूं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यह जरूरी नहीं कि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर व्यापक चर्चा करूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव ने अपने भाषण में कहा था कि आर्थिक विकास के लिए बहुत उन्नत तथा मध्यम स्तर की तथा उपयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी आवश्यक है।

परन्तु एक कदम आगे बढ़कर मैं यह कहूंगा कि सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता लिए बिना हम समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। जो आधुनिक प्रौद्योगिकी आज उपलब्ध है उस पर निर्भर हुए बिना हम विश्व में सर्वमान्य प्रौद्योगिकी से अलग किसी भी प्रौद्योगिकी को विकसित नहीं कर सकते। अत: आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, रक्षा प्रयोजन, भविष्य के प्रयोजन और इस समय जिन क्षेत्रों का उपयोग नहीं हो रहा है, उनके उपयोग के लिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। हम यह पायेंगे कि हम कृषि से उद्योग, उद्योग से सेवा, सेवा से ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन का ज्ञान प्राप्त करने की तरफ बढ़े हैं।

अब ज्ञान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। हमें देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा। आजादी के बाद हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या किया है?

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास किया है। माननीय नेता, प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांवों में जाकर परमाणु ऊर्जा आदि विषयों पर व्याख्यान देते थे। उनके मित्र कहा करते थे, ''आप ये सब बातें क्यों करते हैं? गांव के लोग ये सब नहीं समझते हैं।'' तो वे कहते थे, ''वे नहीं समझते हैं इसीलिए मुझे उन्हें यह सब बताना पड़ता है, ताकि वे समझ सकें।'' उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास किया। यह तो हुई एक बात।

दूसरी बात यह है कि हमने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विज्ञान के पाठ्यक्रम आरम्भ किये हैं। आज सौभाग्य से, हमारे पास 5000 से अधिक विज्ञान महाविद्यालयों में और 300 से अधिक विश्वविद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई हो रही है।

तीसरी बात यह है कि हमने विभिन्न विभागों की स्थापना की है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे पास अनेक विभाग हैं। हमारे पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, इलेक्ट्रानिक्स विभाग, सामुद्रिक विकास विभाग, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, आनुवंशिकी विभाग और रक्षा से संबंधित अनुसंधान और विकास विभाग हैं।

हमारे पास ये विभाग हैं। हमने इस आधारभूत संरचना का सृजन किया है। हमारे इन विभागों और इन आयोगों के माध्यम से एक संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, दूसरा आई.सी.एम.आर. और तीसरा आई.सी.ए.आर. गठित किये हैं। इन संरक्षक संगठनों के

अंतर्गत लगभग 300 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और वे कार्य कर रही हैं। हमने इस आधारभूत संरचना का निर्माण किया है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़): महोदय, चर्चा में हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि पूर्व प्रधान मंत्री का उल्लेख किया गया है और संयोगवश सभा को देने के लिए मेरे पास कुछ जानकारी भी है। मेरे पास अप्रैल, 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उद्घाटन भाषण का वह अंश है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इसके बाद मेरा एक प्रश्न है जिसे मैं रखना चाहता हूं। तत्कालीन प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने यह कहा था:

> ''मैं दूसरा शब्द ''विज्ञान'' का प्रयोग करना चाहूंगा। जीवन की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक चीज को जांचना, परखना, त्रुटि ढूंढकर और प्रयोग के द्वारा सत्य की खोज करना तथा ऐसा कदापि नहीं कहना कि यही होगा, अपितु यह समझने का प्रयास करना कि यह ऐसा क्यों है और कोई उक्त बात से आश्वस्त है अथवा इसे स्वीकार कर संतुष्ट है अथवा कोई अन्य प्रमाण मिलते ही अपना विचार बदलने के लिए तत्पर है, अथवा जहां भी सत्य दिखायी दे उसे खुले दिल से स्वीकार करने का प्रयास करता हो।''

यह बिल्कुल संयोग की बात है कि यह उद्धरण मेरे पास है। अब मेरा प्रश्न है: सदन जिस राजनीति से अवगत है उससे व्यवहार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार अपनाया जाए।

श्री शिवराज वी. पाटिल: मैं उसी पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: वह पहले बोल चुके हैं आप नहीं, वे पहले डील कर चुके हैं, मैं सैकिंड पार्ट हूं उनकी स्पीच का।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटिल: मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। मैं उस संबंध में भी बोलूंगा। मैं उस संबंध में कहने जा रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: एक व्यक्ति ज्योतिष विभाग की स्थापना करना चाहते हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल: यदि अध्यक्षपीठ मुझे अनुमति दे तो मैं इस मुद्दे की भी चर्चा करूंगा। मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं। मुझे कुछ अधिक समय की आवश्यकता है।

इस प्रकार संरचना तैयार हो गयी है। इस संरचना का परिणाम क्या है? इस संरचना का परिणाम यह है कि हमने दो अति महत्वपूर्ण नीतियां तैयार की हैं। एक तो विज्ञान संबंधी नीति थी जो 1958 में तैयार की गयी थी और दूसरी प्रौद्योगिकी संबंधी नीति थी। इन दोनों नीतियों के अंतर्गत सभी विभागों और सभी क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यकलाप आते हैं। ये विभागों द्वारा पृथक रूप से उपयोग में लाए गए किसी एक खंड का उल्लेख नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त इन विभागों ने अपनी योजनाओं, अपनी नीतियों और जिन क्षत्रों में जोर दिया जाना है, का विकास किया है और इसके आधार पर उन्होंने विकास करना आरम्भ किया।

उदाहरण के लिए अंतरिक्ष विभाग की अपनी नीति है। मैंने अंतरिक्ष विभाग द्वारा तैयार की गई योजना से बेहतर कोई योजना नहीं देखी है। केवल यही नहीं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी योजना तैयार की है बल्कि वे बहुत ही सावधानीपूर्वक उस योजना का पालन कर रहे हैं तथा समय पर उन्हें परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं और उन्हें लक्ष्यों की प्राप्ति भी हो रही है।

हमारे पास पर्याप्त श्रम शक्ति है। भारत में 3.5 मिलियन वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीविद् हैं। मैं चीन की विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा था और मैं अपने देश की रिपोर्ट के साथ उसकी तुलना कर रहा था। चीन की रिपोर्ट में क्या कहा गया था? *.....(व्यवधान)* चूंकि मैंने चीन का उल्लेख किया है, श्री चटर्जी इस विषय में शायद कुछ कहना चाहेंगे और यह प्रशंसात्मक होगा न कि आलोचनात्मक।

चीन की रिपोर्ट में बहुत ही रोचक बातें कही गयी हैं। इसका अध्ययन बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होगा। चीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि आवश्यक हुआ तो हम विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात करेंगे तथा हम विशेषज्ञों को विदेशों से आयातित प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने की अनुमति देंगे। यह उनका वक्तव्य है।

भारत में हमने यह कभी नहीं कहा है कि हम विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात करेंगे और इसके साथ ही विशेषज्ञों को भी आने की अनुमति देंगे। जो बात हमने कभी नहीं कही है वह यह है कि यदि आवश्यक हुआ तो हम विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात करेंगे परन्तु हमने यह कभी नहीं कहा कि उस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए हमें बाहर से विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी और हम उन्हें यहां आने की अनुमति देंगे। दोनों रिपोर्ट में यही अन्तर है। यहां श्रमशक्ति, प्रौद्योगिकीय तथा वैज्ञानिक संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। आज भारत सरकार के विज्ञान विभाग के विरुद्ध शिकायत यह है कि यहां से प्रतिभा पलायन क्यों होता है? इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त प्रौद्योगिकीविद तथा वैज्ञानिक नहीं हैं। वे पूछते हैं कि लोग यहां से अन्य देशों में क्यों जा रहे हैं? भारत सरकार यह कह रही है कि हम अपने छात्रों को कुछ सीखने हेतु विदेश जाने की अनुमति दे सकते हैं और यदि वे वापस आना चाहें तो वे अधिक ज्ञान अर्जित कर वापस आ सकते हैं। हम उन्हें विदेश जाने और वापस लौटने से भी मना करना नहीं चाहते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारे देश में पर्याप्त वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय श्रम शक्ति उपलब्ध है। हमें किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस क्षेत्र की इस उपलब्धि की तुलना उस उपलब्धि के साथ की जा सकती है जो हमने अपने देशवासियों के लिए खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त की है।

हमें विदेशों से खाद्यान्न नहीं लेना पड़ता है। हमें विदेशों से विशेषज्ञों को नहीं बुलाना पड़ता है। इस क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। हम अपने आप पर भरोसा कर रहे हैं।

हमारे युवा और प्रतिभावान वैज्ञानिक अपना और साथ ही देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। वे विकसित देशों में उद्योगों और प्रयोगशालाओं में जा रहे हैं तथा वे न केवल अपना नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि देश के लिए विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* मैं मुख्य रूप से यह कह रहा हूं कि इस क्षेत्र में हमने उपलब्धि प्राप्त की है।

दूसरी उपलब्धि हमने क्या प्राप्त की है? अनेक ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। हम इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं कि उन्नत बीजों की विभिन्न किस्मों के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से खेती की जा सकती है, हमने पशुपालन के क्षेत्र में विकास किया है, हमारे देश में श्वेत क्रांति हुई है और भी अन्य बातों की हम चर्चा कर सकते हैं।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्रों का संबंध है हम आज इस स्थिति में हैं कि हम कपड़े का इतना उत्पादन कर सकते हैं जिनकी खपत न तो देश में हो सकती है और न ही विदेशों में। आज भारत में समस्या यह नहीं है कि हमारे देश की जनता जिनकी संख्या 33 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ हो गयी है, के लिए पर्याप्त कपड़ा उपलब्ध नहीं है बल्कि आज समस्या यह है कि हम उन कपड़ों का क्या करें जो हमारे पास हैं। इसकी बिक्री न तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और न ही देश में हो रही है। यह आवश्यकता से अधिक वस्त्र उत्पादन का परिणाम है। अब इस क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं।

फिर विकसित क्षेत्रों में भी हमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उपग्रह छोड़े गये हैं और इन उपग्रहों का निर्माण हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने न केवल उपग्रहों में कलपुर्जों को जोड़ा है बल्कि उपग्रहों के 80 प्रतिशत उपकरणों का निर्माण भी हमारे देश में ही किया गया है। हमने प्रक्षेपण यान का भी निर्माण किया है। निश्चित रूप से हमें अग्नि, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्रों तथा अन्य बातों की जानकारी है। मैं इन क्षेत्रों का उल्लेख करने नहीं जा रहा हूं। ये विशेष प्रकार के क्षेत्र हैं और हमें हमेशा विश्व को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ''हमारे पास इस प्रकार की चीजें हैं।'' यदि हमारे पास यह है तो हमारे पास है, यदि हमें इसकी आवश्यकता है तो हम इसे प्राप्त कर लेंगे।

अब हम पनडुब्बियों का निर्माण कर पाने की स्थिति में हैं, हम ''फ्रिगेट्स'' जहाज का निर्माण कर पाने की स्थिति में हैं। हम इस स्थिति में हैं कि कम से कम हम देश में किसी भी प्रकार के विमान के कलपुर्जों को जोड़ सकें और हम परमाणु रिएक्टरों की स्थापना कर पाने की स्थिति में भी हैं। हमारे पास हेवीवाटर, लाईटवाटर, फास्ट-ब्रीडर रिएक्टर आदि जैसे विभिन्न प्रकार के रिएक्टर हैं। परमाणु ऊर्जा के संबंध में एक बहुत ही प्रासंगिक बात ईंधन चक्र (फ्यूल साइकल) की है। हमें अयस्क की खानों से इसे प्राप्त करना पड़ता है और इसे ईंधन में परिणत करना पड़ता है और इसके उपयोग के पश्चात उस ईंधन को इस प्रकार से रखना पड़ता है कि उससे किसी जीवित प्राणी को कोई नुकसान न पहुंचे। यह चक्र हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है।

इस प्रकार की अन्य अनेक बातें हैं। तथापि मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पर हम अपना प्रयास छोड़ दें। हमें और भी अधिक कार्य करना होगा। कौन-कौन सी कठिनाइयां सामने आ रही हैं। हमें उन कठिनाइयों को समझना होगा और हमें इनके निराकरण का उपाय भी सुझाने का प्रयास करना होगा। ये कठिनाइयां क्या हैं? पहली कठिनाई धनराशि की है। हमें अधिक धनराशि की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार 2000 से 3000 करोड़ रुपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर खर्च कर रही है। मैं सरकार की मुश्किल समझता हूं। धन जुटाना आसान कार्य नहीं है। उपलब्ध धन में से भी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों हेतु धन की मांग की जा रही है और हमें यह महसूस करना चाहिए कि इसके लिए और अधिक धन जुटाना होगा। आप तो इस प्रकार की व्यवस्था की बात करते हैं कि एक रुपया हम कमायें और उसमें एक रुपया का योगदान आप करेंगे परन्तु इससे हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में कोई सहायता नहीं मिलेगी। यह वर्तमान और भावी निवेश है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सरकार को अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना होगा तथा और अधिक धन जुटाने के लिए संसाधनों का पता लगाना होगा।

अपराह्न 4.00 बजे

निधियों से संबंधित दूसरी समस्या यह है कि राज्य सरकारें पर्याप्त धन खर्च नहीं कर रही हैं। केवल केन्द्र सरकार ही व्यय कर रही है। राज्य सरकारें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर बहुत कम धनराशि खर्च कर रही है। उन्हें इस पर और अधिक खर्च करना होगा।

तीसरा पहलू यह है कि उद्योग भी अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उद्योग इस पर बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि हम उद्योगों से जुड़े अपने मित्रों से यह कहने से क्यों डरते हैं कि उन्हें इस पर अधिक धनराशि खर्च करनी चाहिए क्योंकि अंतत: यह उनके ही हित में होगा। परन्तु सच तो यह है कि सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्योग इस पर पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें इस प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि खर्च करने के लिए कहा जाना चाहिए। मैं हमेशा से ही उनसे आपस में सहयोग करने तथा और अधिक धन जुटाने का अनुरोध करता रहा हूं। यदि कोई एक उद्योग इस स्थिति में नहीं है तो इलेक्ट्रानिक क्षेत्र के अन्य सभी उद्योगपतियों को सहयोग करना चाहिए तथा अपने यहां अनुसंधान और विकास की सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए। आटोमोबाइल क्षेत्र के उद्योगपतियों का सहयोग करके धन जुटाना चाहिए।

दूसरी कठिनाई यह है कि हम केवल प्रयोगशाला तक सीमित विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं परन्तु उसे उपभोक्ता उन्मुखी नहीं बना रहे हैं। हमें प्रयोगशाला सीमित विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करके उसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाना होगा जिसके लिए इंजीनियरी दक्षता की आवश्यकता है। मेरे विचार से हम इस क्षेत्र में सक्षम नहीं हैं इसलिए हमें इस क्षेत्र में सक्षम होने के लिए विचार करना होगा। साथ ही इसके लिए आवश्यक इंजीनियरी दक्षता को सुदृढ़ करना होगा।

तीसरा पहलू यह है कि इस संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं। मुझे इन भ्रांतियों के बारे में कुछ कहना है। मैं यह जानता हूं कि जब भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया था तो उसके बारे में किस प्रकार से आलोचना की गई थी। मुझे यह भी मालूम है कि जब उपग्रह आकाश में छोड़ा गया था तो हमें यह बताया गया था कि पीने के लिए पानी नहीं है तब ऐसी स्थिति में आप उपग्रह क्यों छोड़ रहे हैं। श्री राजीव गांधी यह चाहते थे कि प्रशासन सशक्त हो।

अपराह्न 4.02 बजे

[प्रो. रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

मेरा विचार है कि प्रो. रीता वर्मा जी से भी मुझे इतना ही सहयोग मिलेगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी: मुझे आशा है कि आप इससे अधिक कुछ भी नहीं चाहेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वी. पाटिल: मैं उनसे केवल निवेदन कर रहा था।

सभापति महोदय: ठीक है, मैंने उनसे सीख ली है।

श्री शिवराज वी. पाटिल: धन्यवाद, आपकी कृपा है।

मैं यह कह रहा था कि इस संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं। जब उपग्रह छोड़ा गया था तो उसकी आलोचना की गई थी। जब हमने उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया तो हमें यह कहा गया था कि इससे रोजगार की सम्भावना समाप्त हो जाएगी इसलिए हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि हम कम्प्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आलोचना की जाती है और तब हमसे पूछा जाता है कि हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी और विज्ञान का उपयोग करने के बारे में अनेक भ्रांतियां हैं। इनमें से एक अति महत्वपूर्ण भ्रांति यह है कि उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने से रोजगार की सम्भावना कम हो जाएगी। इस भ्रांति को दूर करना होगा।

बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। आप जापान का उदाहरण लीजिए वह घनी आबादी वाला देश है। जापान रोबोट और अति उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। जापान में वस्तुओं की कीमत कम और मानवीय सेवाएं महंगी हैं। ऐसा कैसे और क्यों हुआ? हमारे देश में ऐसा क्यों और कैसे होने जा रहा है? यदि आपके पास उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और यदि आप किसी उद्योग में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस उद्योग अथवा उस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या शायद कम हो जाएगी। परन्तु उस स्थिति में उस मशीन और उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा अधिक उत्पादन होगा। इसके लिए और अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होगी और आपको उस मशीन व उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए और अधिक कच्चे माल का उत्पादन करना होगा। जब हम अधिक कच्चे माल का उत्पादन करते हैं तो और अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं। हमें कच्चे माल को उसके उत्पादन स्थल से उद्योगों तक पहुंचाना होगा। कच्चे माल को उस स्थान पर ले जाने के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जहां पर उससे माल तैयार किया जाता है। जब उसे उद्योग से बाहर अर्थात् बाजार तक ले जाएंगे तो हमें पुन: उसके परिवहन के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। उसे बेचने के लिए हमें और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जब उपभोक्ता उनका उपयोग अनुरक्षण हेतु करेंगे तो हमें और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यदि हम जो उत्पादन हो रहा है अथवा आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके किया जाना है उसके प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का हिसाब लगायें तो यह बात समझ में आ जायेगी कि रोजगार की सम्भावना कम नहीं हुई बल्कि उसमें वृद्धि हुई है। यही कारण है कि जापान में जो कि एक घनी आबादी वाला देश है, में मानवीय सेवाएं महंगी हैं जबकि वस्तुएं बहुत सस्ती हैं।

उदाहरणस्वरूप कृषि को लें। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूं। महाराष्ट्र में कृषि मंत्री का पदभार मेरे पास था। सिंचाई विभाग के मेरे अभियन्ता मित्र ने मुझे बताया कि महाराष्ट्र में जितना जल उपलब्ध है, उससे कृषि योग्य भूमि के केवल 18 प्रतिशत भूमि में ही सिंचाई हो सकती है तथा बाद में उन्होंने मुझे बताया कि यदि हमने नहरों का निर्माण किया तो यह 35 प्रतिशत तक हो सकती है। तृतीय चरण में उन्होंने मुझे बताया कि यदि हम इजरायल द्वारा उपयोग में लायी जा रही प्रौद्योगिकी जिसमें कम्प्यूटर और ट्यूब शामिल हैं, का उपयोग करें तो 75 प्रतिशत भूमि सिंचित की जा सकती है। अब आप स्वयं उन्नत प्रौद्योगिकी लागू किये जाने के परिणाम के संबंध में सोचें। कम्प्यूटर का अर्थ मशीन में लगा चिप्स होता है। फ्लैपों के साथ मशीन लगी होती है जिसकी सहायता से जल बाहर से खेतों में जाता है तथा यह बंद हो जाती है तो जल का प्रवाह रुक जाता है तथा इससे और ज्यादा भूमि सिंचित हो सकती है। यहां पर उपस्थित लोग जिन्हें खेती का अनुभव है वे जानते हैं कि बिना सिंचाई की एक एकड़ भूमि एक व्यक्ति का भरण-पोषण नहीं कर सकती है परन्तु एक एकड़ सिंचित भूमि पांच से दस व्यक्तियों का भरण-पोषण कर सकती है। अतएव हमें यह सोचना चाहिए कि प्रौद्योगिकी की शुरुआत रोजगार वृद्धि कर रही है अथवा रोजगार में कमी ला रही है।

मैं अपने खेत में बीज पैदा कर रहा था तथा दस गुंटा जमीन के लिए मैंने सौ व्यक्तियों को लगाया हुआ था ताकि मादा फूलों से नर फूलों तक पराग पहुंच सके। अतएव, हमें इस तथ्य को समझना पड़ेगा तथा हमें अपने दिमाग में काफी स्पष्ट होना पड़ेगा।

श्री जसवंत सिंह यह पूछ रहे थे कि हम इस भ्रांति को किस प्रकार दूर करें तथा जागरूकता किस प्रकार लाएं। हमें लोगों से बातें करनी चाहिए। हम इसे समझें तथा तब लोगों से बात करें। जब हम लोगों से बातें करेंगे तो वह इसे समझेंगे और जब वह यह समझ जाएंगे तब वे इसे अपनाएंगे। इस समय हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के संबंध में फैली भ्रांति का निराकरण किया जाए। कभी-कभी हम आश्चर्यचकित होते हैं जब काफी बुद्धिमान व्यक्ति भी यह कहते पाये जाते हैं कि यदि आप इस प्रौद्योगिकी को अपनाएंगे तो यह गलत होगा। मुझे यह जानकर कभी-कभी काफी दुख होता है कि तथाकथित प्रगतिशील दल आधुनिक प्रौद्योगिकी के इसलिए विरुद्ध हैं कि इससे संभावित रोजगार के अवसरों में कमी आएगी। वास्तव में संभावित रोजगार में कमी नहीं आएगी।

सभापति महोदय: आप पचास मिनट पहले ही बोल चुके हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल: मैं आपकी अनुमति चाहूंगा। मैं अगले सत्र में कोई समय नहीं लूंगा। लेकिन कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय: अब आपको और कितने समय की आवश्यकता है?

श्री शिवराज वी. पाटिल: बहुत कम समय।

एक बात जो हमें समझनी है वह यह कि हम क्या कर सकते हैं। यह मेरा अंतिम मुद्दा है तथा आप समझ सकते हैं कि मैं कितना समय लूंगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए जो अगली शताब्दी तथा अगली सहस्राब्दि में सचमुच फायदेमंद हो। यही एक मुद्दा है जिस पर मैं बोलना चाहता हूं। मेरे अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रथमत: हमें अपनी विज्ञान नीति में परिवर्तन करना चाहिए तथा इसका विस्तार करना चाहिए। पचास वर्षों तक हमने विज्ञान नीति का अनुसरण किया है। यह मानव संसाधन को विकसित करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा प्रयोगशालाएं स्थापित करने तक सीमित है। हमें उससे आगे जाना होगा। हमें उसे अन्य कार्यक्षेत्रों यथा अंतरिक्ष, समुद्र, सूचना, कृषि इत्यादि क्षेत्रों तक ले जाना चाहिए। कृषि के लिए अवश्य ही हमारे पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है तथा उनकी अपनी नीति है। लेकिन अब समय आ गया है जब विज्ञान नीति संबंधी उस वक्तव्य पर हमें फिर से विचार करना होगा जो काफी संक्षेप में तथा स्पष्ट रूप से दिया गया एक अच्छा वक्तव्य है। दूसरी बात यह कि हमें उन क्षेत्रों का चयन करना चाहिए जिनमें हमें कार्य करना है। हमारे लिए सभी क्षेत्रों में काम करना संभव नहीं है। वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनका चयन किया जाना चाहिए? मेरे विचार में एक क्षेत्र जिसमें हम बेहतर काम कर सकते हैं, वह आनुवांशिकी का क्षेत्र है। सौभाग्यवश, भारत इस मामले में काफी सम्पन्न है।

लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के पास ऐसा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नहीं है जो जैव सम्पदा का उपयोग करने में हमारी सहायता कर सके। आज के विश्व में यह विसंगति उत्पन्न हो गई है कि एक तरफ वे देश हैं जहां आनुवंशिकी विज्ञान तथा आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी है लेकिन जैव संपदा नहीं है तथा दूसरी तरफ वे देश हैं जहां जैव सम्पदा है परन्तु आनुवांशिकी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें वृद्धि के लिए जलवायु काफी उत्तम है। इसीलिए हमारे पास काफी ज्यादा संख्या में मानव हैं, काफी ज्यादा संख्या में पालतू जानवर तथा काफी ज्यादा विविधताओं वाली वनस्पति हैं। इसने हमारी उस जैव सम्पदा को उत्पन्न करने में काफी मदद की है जो लाखों वर्षों से हमें विरासत के रूप में मिली है। वह सम्पदा यहां है तथा हमें इसका उपयोग अपनी क्षमता को करने के लिए विकसित करना चाहिए।

दूसरा क्षेत्र जिसमें हमें कार्य करना चाहिए, वह है इलेक्ट्रानिक्स का। यह ठीक है कि इलेक्ट्रानिक्स नये युग की नई तकनीक तथा विज्ञान है। हमें उसे विकसित करना चाहिए।

तीसरा क्षेत्र ऊर्जा का है। श्री शरद यादव ने जल शक्ति के विषय में कहा है तथा श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने इसका उल्लेख किया है। उन्होंने सौर ऊर्जा तथा अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा फोटोवोल्टीय ऊर्जा या फोटो केमिकल ऊर्जा के लिए आवश्यक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकसित करें जो सूर्य से उपलब्ध है तो हमें अन्य स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन यह तुरन्त या कम अवधि में होने वाला नहीं है। विश्व में ऐसी शक्तियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं तथा इसके विरोध में हर तरह के तर्क दे रही हैं। मेरे विचार में शुरुआत में सभी कुछ महंगा होता है। अगर आप इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करें तो इस पर कम लागत आयेगी। भारत एक ऐसा देश है जहां सूर्य का प्रचुर प्रकाश है और मैं समझता हूं हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और महासागर में से तरंग ऊर्जा तथा बायो-गैस का उपयोग करते हैं तो कम से कम भारत की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति इससे हो जायेगी। इस प्रकार बची ऊर्जा का उपयोग उद्योग के लिए किया जा सकता है।

अगली बात मैं फ्यूजन प्रौद्योगिकी के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे अनुसार फ्यूजन प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है। वस्तुत: सूर्य में परमाणुओं के फ्यूजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर यह प्रौद्योगिकी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध हो जाती है तो ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किये ज़ा रहे हैं कि ऊर्जा की कमी होने वाली है इसलिए उद्योगों का विकास एक सीमा तक ही हो सकेगा। मेरा विचार है कि ऊर्जा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा दोनों हैं। पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को पदार्थ में। हमें केवल यह देखना है कि हम उपलब्ध ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकें। मैं कह रहा हूं कि इस ब्रह्मांड में विश्व है। यदि हम आयोजना कर अगली सहस्राब्दी के बारे में सोच रहे हैं तो हमें इसी तरह की किसी चीज के बारे में सोचना होगा और उसके लिए जो कुछ आवश्यक हो उसे प्राप्त करना होगा।

इसके बाद अन्य मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण का है। वे कह रहे हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए और इस बारे में बहुत अच्छे भाषण दिये गये हैं। हमें उन्हें भी बधाई देनी चाहिए परन्तु जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, औषध और विज्ञान का उन देशों में विकास नहीं हो रहा है जहां की जनसंख्या बढ़ रही है; न चीन में, न ही भारत में। यह पश्चिमी देशों से आ रही है। क्या हमें इस बड़ी समस्या की ओर से आंखें मूंद लेनी चाहिए? क्यों न हम इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आवश्यक धन व्यय करें? मेरा विचार है, यदि हम ऐसा करें तो हम जनसंख्या पर नियंत्रण रख सकेंगे।

तीन और ऐसे क्षेत्र हैं जो आगामी शताब्दी से तो नहीं परन्तु अगली सहस्राब्दी की दृष्टि से प्रासंगिक हैं। हमें उन पर विचार करना होगा। हम यहां केवल एक वर्ष या पांच वर्ष या पचास वर्ष या सौ वर्ष की योजना बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। परन्तु हमें उसके आगे भी देखना चाहिए। ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं। मेरे विचार से महासागर और अंतरिक्ष ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधनों और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। इसीलिए हिन्दू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि संपत्ति की देवी लक्ष्मीजी की उत्पत्ति महासागर से हुई है। ये संसाधन अप्रयुक्त और अछूते पड़े हैं। वे वहां अपनी मूल अवस्था में अवस्थित हैं। महासागर में हमारे लिए खाद्य, तेल, खनिज और ऊर्जा है। जो कुछ भी जमीन पर, जमीन के नीचे और जमीन से ऊपर उपलब्ध है, वह महासागर में भी उपलब्ध है। समस्त भूमंडल का दो-तिहाई भाग समुद्र है जबकि केवल एक-तिहाई भाग समुद्र है जबकि केवल एक-तिहाई भाग भूमि है।

यह मानवता के लिए सौभाग्य की बात है कि किसी भी देश ने समुद्र पर अपने देश की संप्रभुता स्थापित नहीं की है। यह सभी के लिए खुला है और सभी को उपलब्ध है। इसलिए, अगर हम अगली सहस्त्राब्दी के बारे में विचार करें तो हमारे लिए संसाधनों के उपयोग के लिए आवश्यक ज्ञान का अर्जन करना और तदन्तर उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना जरूरी हो जाता है। इस प्रयोजन हेतु हमारे लिए, भारत सरकार के लिए तथा यहां बैठे हम सभी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अधिक से अधिक ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करें जो महासागरीय संसाधनों के संबंध में ज्ञान का विकास कर सकें।

मेरा अगला मुद्दा अंतरिक्ष के संबंध में है। एक वैज्ञानिक से यह सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया कि अंतरिक्ष से विशाल कुछ भी नहीं है। यह असीमित है और अंतरिक्ष में उपलब्ध क्षमता भी असीमित है। अगले ही क्षण वैज्ञानिक ने कहा ''संभवत: मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष से भी विशाल है। इसलिए ये दो क्षेत्र है—अंतरिक्ष और मानव मस्तिष्क, जिनकी सम्भावनाओं का पता लगाकर उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं यह दोहरा रहा हूं कि यह कार्य अगले एक सौ वर्षों में तो नहीं परन्तु अगले सहस्त्राब्दी में कर लिया जायेगा। हमें वह दिशा अपनानी चाहिए। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अंतरिक्ष में क्या उपलब्ध है? वहां सब कुछ उपलब्ध है। हम कहते हैं कि ज्ञान और अन्य सभी चीजें स्वर्ग से आती हैं। अब, जानकारी भी अंतरिक्ष में से आ रही है।''

अंतरिक्ष का उपयोग कई प्रयोजनों के लिए किया जायेगा। इसके लिए हमें केवल अपने मस्तिष्क का उपयोग करना है। यह असीमित है। इसकी सम्भावनायें असीमित है। हमें उसके लिए आवश्यकता है ज्ञान और प्रौद्योगिकी की। महासागर या जमीन की तुलना में अंतरिक्ष का अन्वेषण करना आसान है। भूकम्प को नियंत्रित करने वाली प्रौद्योगिकी विकसित करना आसान नहीं है परन्तु हम महासागर में जाकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अंतरिक्ष में जाकर यह काम करना और भी आसान है। हमें इसका विकास करना होगा।

अगला क्षेत्र मस्तिष्क और ज्ञान की दुनिया का है। श्रीमती सुषमा स्वराज बोल रही थीं और उनका भाषण सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग हैं अर्थात् बहुत सारे मस्तिष्क और अंग हैं। प्रत्येक मस्तिष्क एक फैक्टरी है जो ज्ञान का उत्पादन कर सकती है। इसके लिए केवल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मैंने कहा था कि अगली शताब्दी में ज्ञान अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान, प्रबंधन का ज्ञान और आसूचना का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक होगा और इसे अर्जित करना अत्यंत व्ययसाध्य होगा। यह ज्ञान मानव-मस्तिष्क में उत्पन्न किया जा सकता है। विज्ञान बाहरी दुनिया से संबंधित है। हमें ऐसे विज्ञान का विकास करना होगा जो हमारी आंतरिक दुनिया से भी संबंधित हो।

सभापति महोदय: आप पहले ही एक घंटा बोल चुके हैं। आपसे मुझे यही ज्ञात हुआ है।

श्री शिवराज वी. पाटिल: मैं क्षमा चाहता हूं। मैं एक मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करता हूं। महत्वपूर्ण बात समय नहीं, बल्कि अंतरिक्ष है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री शिवराज वी. पाटिल: हमारी दुनिया में दो बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा दूसरी आध्यात्मिकता। आज, जब श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी बोल रहे थे तो वे अध्यात्म की ओर इशारा कर रहे थे। मेरे विचार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अध्यात्म अभिन्न है। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहीं अध्यात्म आरंभ होता है। अध्यात्म के अनुसार कुछ भी बनाया नहीं जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। पदार्थ और ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अध्यात्म के अनुसार भगवान सर्वत्र विद्यमान है। विज्ञान के अविनाशत्व के सिद्धांत के अनुसार, कुछ भी बनाया नहीं जाता और कुछ भी नष्ट नहीं किया जाता है और अंतिम विश्लेषण में, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में एक वही तत्व व्याप्त है। अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अध्यात्म को साथ-साथ लेकर चलें तो वह एक नई संस्कृति का विकास होगा। वह संस्कृति भारत की संस्कृति होगी, विश्व की संस्कृति होगी और ब्रह्मांड की संस्कृति होगी। यह संस्कृति हमारी बाहरी और भीतरी दुनिया का विकास करेगी। यह हमारे अन्दर उस समस्या के प्रति एक समग्र दृष्टि विकसित करेगी जिसका सामना आज मानवता और अन्य प्रजातियाँ कर रही हैं। इसीलिए विज्ञान पर विचार करते समय हमें अध्यात्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी साथ-साथ चलनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि अध्यात्म के बिना विज्ञान अमानवीय है और विज्ञान के बिना अध्यात्म पंगु है। हम न तो अमानवीय और न ही पंगु बनना चाहते हैं। हम समग्र दृष्टियुक्त तथा मानवीय बनना चाहते हैं। हमें वही दृष्टि अपनानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बहुत अच्छा फैसला किया गया कि संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। पिछले तीन दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि बहस बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। ऐसा वातावरण इस सदन में पहले कभी देखने को नहीं मिला। बहुत अच्छी स्पीचेज हुई हैं और बहुत ध्यान से सुना गया है। हाजिरी भी काफी रहती है। लोगों की कोशिश है कि मुझे भी बोलने का मौका मिले। इसलिए काफी हाजिरी रहती है। कल से लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको आज समय मिल रहा है, आज जो कोशिश कर रहे हैं हो सकता है उनको रात को या कल मौका मिले। बहुत अच्छे ढंग से कार्यवाही चल रही है, ऐसी चलनी भी चाहिए।

कुछ दिन हुए वाजपेयी साहब ने एक चिट्ठी सभी सदस्यों को लिखी। मुझे भी यह मिली। उसमें सदन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। एक सुझाव यह था कि प्रश्न काल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरा यह था कि हमें वैल में नहीं जाना चाहिए। लोग इकट्ठे होकर वैल में चले जाते हैं, शोरगुल होता है, कोई काम नहीं हो पाता। तीसरा यह था कि जब राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों को सम्बोधित करें तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शरद पवार जी ने बोलते हुए इसकी सराहना की थी और कहा कि हम और हमारी पार्टी इस पर सहयोग देंगे और हम इसे मानने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं और मेरा दल भी इन तीनों सुझावों को मानने के लिए तैयार है और सहयोग देने के लिए तैयार है। हम भी सदन में अच्छा वातावरण रखना चाहते हैं।

सभापति जी, मैं अपनी ओर से चौथा सुझाव देना चाहता हूं, इसे भी शामिल किया जाए। वह यह है कि सभी लोग देखते हैं कि कई बार सदन में नारेबाजी शुरू हो जाती है। जैसे हम गलियों-बाजारों में या सार्वजनिक धरने के समय करते हैं, यह नहीं होना चाहिए।

हमें आजाद हुए 50 साल हो गए हैं। यह जो हमें किताब मिली है, अच्छी तरह से तैयार की हुई है। इसमें इसका जिक्र भी है कि हमें आजाद हुए 50 साल हो गए हैं। लेकिन इसमें महज तीन लाइनें लिखी गई हैं। भारत को विदेशी शासन से स्वतंत्रता अहिंसा की लड़ाई के द्वारा मिली। इतना ही जिक्र करके छोड़ दिया। इसमें उन कुर्बानियों का जिक्र नहीं है जो लोगों ने आजादी के लिए दी थीं। बहुत-बहुत लोग शहीद हो गए थे। आज ही सुषमा स्वराज बोल रही थीं और कह रही थीं कि अगर किसी विद्यार्थी से यह पूछा जाए कि वह दस उन आदमियों का नाम ले जिन्होंने कुर्बानी दी तो वह नहीं ले सकेगा। वह सही बात कह रही थीं। इसका ज्ञान कम होता जा रहा है। इस बात को 50 साल हो गए हैं। इस सदन में बहुत से सदस्य होंगे जो उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे। जिनकी उम्र 55 साल की है, उनको भी पता नहीं है कि स्लेवरी क्या होती है। गुलामी किसे कहते हैं और गुलामी कैसी होती है, यह इस नई पीढ़ी को पता नहीं है। उन लोगों को पता है जिन्होंने गुलामी बर्दाश्त की है। कुछ ऐसे लोग भी थे देश में जिनको दोहरी गुलामी बर्दाश्त करनी पड़ी थी। पहली अंग्रेजों की थी और दूसरी रियासतों के राजाओं की गुलामी थी। ऐसे इलाके देश में बहुत से थे। जिन्होंने गुलामी देखी नहीं, उनको कुछ पता नहीं है। मैं इस बात को गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आजादी हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनका थोड़ा बहुत जिक्र आते रहना चाहिए। जो आंकड़े मिलते हैं, उनसे ऐसा लगता है कि 121 लोगों को फांसी दी गई है। इसका मतलब है, उन्होंने देश के लिए कुछ किया होगा, जिसकी वजह से उन पर मुकदमें चलाए गए और उनको फांसी की सजा हुई। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि उन लोगों में से 87 लोग पंजाब के थे, सिख थे। 1200 लोगों को उम्र कैद हुई। उम्र कैद बहुत लम्बी होती है, सारी उम्र गुजर जाती है। लोगों को अंडमान की सैलुलर जेल में बन्द करने का तो एक इतिहास बन गया है। 1200 लोगों को उम्र कैद हुई और उनमें से भी 76 प्रतिशत लोग पंजाब के थे, सिख लोग थे। मैं इस बात को भी गर्व के साथ कहता हूं। हमारा बहुत बड़ा कन्ट्रीब्यूशन है, जिसको देश के लोग जानते नहीं हैं। मैं इसलिए कह रहा था ....*(व्यवधान)* उस वक्त हरियाणा भी हमारा हिस्सा था और ये भी हमारे साथ हिस्सेदार थे। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि बहुत बड़ी-बड़ी कुर्बानियां हुई हैं। देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर नॉन-कोआपरेशन की चली थी, जिसको कूका मूवमेंट, नामधारी कहते थे। सीधी पगड़ी बांधते हैं और राज्य सभा के मैम्बर भी रहे हैं। नामधारी मूवमेंट चला और 80 नामधारी तोपों के आगे खड़े करके उड़ा दिए गए। ऐसी कुर्बानियां हुई हैं, जिसका इतिहास में जिक्र होना चाहिए था, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई है। हमने नॉन-वायलेंट स्ट्रगल चलाई थी और उसकी वजह से झट से अंग्रेज चले गए और हमें आजादी मिल गई, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं इन बातों का यहां पर जिक्र कर रहा हूं। इसी प्रकार बंगाल में एक बजबज घाट था। वहां पर एक जहाज आया, जो कनाडा गया। उस जहाज का नाम कामागाटा था। पंजाब के लोग जापानी जहाज को ले गए। वह जहाज जब कनाडा पहुंचा, तो उनको वहां उतरने नहीं दिया गया। वे वापिस आए और कलकत्ता के नजदीक बजबज घाट पर उतरे तो अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हो गए। इसमें भी 37 आदमी, जो कि सारे के सारे पंजाब के थे, मारे गए। बंगाल में जो शहादत हुई, वह भी उन्होंने की। जलियावाला बाग की घटना को तो देश के लोग जानते हैं। वह एक इतनी बड़ी घटना

थी कि 1919 के बाद फिर देश में आजादी के लिए बहुत बड़ी लहर चली। इसके साथ ही लोग अकाली मोर्चे में चले गए। 400 लोग अकाली मोर्चे में शहीद हो गए और जेलों में तो हजारों लोग गए थे। देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। 400 लोगों के करीब शहीद हुए, जिसका जिक्र महात्मा गांधी ने किया था और कहा था "आजादी की पहली लड़ाई जीत ली गई" इसको महात्मा गांधी ने खुद लिखा है और बधाई दी थी।

महोदय, हमारे पंजाब में एक नाभा रियासत हुआ करती थी। देश की आजादी में प्रजा तो हिस्सा लिया ही करती थी, लेकिन वहां के महाराजा ऋपुदमन सिंह ने भी हिस्सा लिया। जब ताजपोशी हो रही थी, जब ब्रिटिश एजेन्ट ताज देने के लिए आए, तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि इस ताज पर मेरा हक है। चूंकि यह मेरे बाप का ताज है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगा। नतीजा यह हुआ कि उनको ताज छोड़ना पड़ा और वे कैद कर लिए गए। कैद होकर वे दक्षिण में भेज दिए गए। कोडईकनाल की जेल में 18 साल बिताने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर एक मोर्चा लगा, जिसको जैतों का मोर्चा बोलते हैं और इस मोर्चे में शामिल होने के लिए दूर-दूर से लोग आए। इस मोर्चे में स्वयं पंडित नेहरू जी भी गए थे और फिर उनको जैतों में गिरफ्तार करके नाभा की जेल में बन्द कर दिया गया था। इसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। महात्मा गांधी और नेहरू उन मोर्चों में शामिल होते रहे हैं और महात्मा गांधी ने इसकी तारीफ की कि बड़ी कुर्बानियों के बाद देश आजाद हुआ। इसलिए मैं कह रहा था कि इसका थोड़ा बहुत जिक्र आते रहना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि कैसे-कैसे क्या-क्या होता रहा है।

इसी प्रकार हमारे विधान को भी बने हुए पचास साल हो गए हैं। अभी पाटिल साहब जिक्र कर रहे थे कि विधान में तरमीम करने की जरूरत पड़ जाती है। विधान हमेशा सही नहीं रहता है, इसको थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ता है।

मैडम, अभी दो साल हुए थे विधान बने कि पंजाब में पहली एंटी कांग्रेस सरकार बनी, जिसमें कुछ अकाली थे, कुछ और थे। यूनाइटिड फ्रंट बनाकर उन्होंने सरकार बना ली लेकिन दो साल के अंदर-अंदर ही वह सरकार तोड़ दी गयी। पहली दफा आर्टिकल 356 का प्रयोग वहां हुआ। इसके खिलाफ आवाजें उठने लगीं कि यह नहीं होना चाहिए था। सरकार ने सारी ताकत सेंटर में ले ली है। जब संविधान तैयार किया गया था तो बात की जा रही थी कि इसका फैडरल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन आहिस्ते-आहिस्ते आपने इसको सेंट्रलाइज कर दिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्पीकर साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा कि ऐसा कर लिया गया। स्पीकर साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा:

[अनुवाद]

हमारे प्रशासन की प्रबंधन प्रणाली काफी त्रुटिपूर्ण है। हमारी प्रशासन व्यवस्था बहुत ही केन्द्रीकृत है और जनता से दूर है। एक अरब की आबादी वाले इस उपमहाद्वीप में हमारे सामने सिर्फ प्रशासनिक प्रबंधन का सार्थक विकेन्द्रीकरण करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है।

[हिन्दी]

सारी ताकत, सारी सत्ता जब सेंटर के हाथ में आ गयी और सेंटर उसका मिसयूज करने लगा और पहले पंजाब में और बाद में केरल में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हुआ, तो आवाजें उठने लगीं और सेंटर-स्टेट रिलेशन की बात उस वक्त से उठने लगी। रिजनल पार्टीज जिनकी आज ताकत बनने लगी है और आज सेंटर में आकर, अपनी सरकार बनाकर सत्ता में भागीदार हो रही हैं, ये आवाजें उठने लगीं। पंजाब में अकाली दल ने आवाज उठाई, तमिलनाडु में डी.एम.के. ने आवाज उठाई। उनके मैम्बर यहां बैठे हैं। बाद में असम गण परिषद ने और तेलुगूदेशम ने आवाज उठाई कि ये सारी ताकत जो आपने कंसेट्रेट कर ली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आहिस्ते-आहिस्ते यह आवाज जोर पकड़ने लगी और सरकार को मजबूर होकर सरकारिया कमीशन बनाना पड़ा। उसका जिक्र यहां आया है।

[अनुवाद]

"सरकारिया आयोग ने केन्द्र राज्य संबंधों की व्यापक समीक्षा की थी। इस आयोग ने, जिसकी रिपोर्ट 1988 में प्रकाशित हुई थी, तनाव के क्षेत्रों को कम करके संघात्मक सरकार के कार्य को सामंजस्यपूर्ण रूप से चलाने के लिए कई सिफारिशें कीं। किन्तु देश में बदलते हुए राजनैतिक परिपेक्ष्य में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करना कठिन है।"

[हिन्दी]

इस बात को यह कह कर छोड़ दिया। कल मैं डी.एम.के. के मिनिस्टर सोमू की तकरीर सुन रहा था। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि आर्टिकल 356 खत्म होना चाहिए क्योंकि उनको भी इससे चोट लगी है। उन्होंने सेंटर-स्टेट के संबंधों का भी जिक्र किया। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट से बेशक पूरा काम तो नहीं चलता लेकिन इसको लागू कर देना चाहिए था। यूनाइटिड फ्रंट की जो सरकार बनी थी और इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसमें आर्टिकल 356 का भी इन्होंने जिक्र किया है और यह भी जिक्र किया है कि सरकारिया कमीशन का मोडिफिकेशन करके उसको लागू किया जाएगा। अब क्यों नहीं कर सके, इनके अपने मिनिस्टर यहां तकरीर करते हुए गिला कर रहे हैं। इनको काफी समय मिल गया इस बात के लिए। इनको कर देना चाहिए था, मौका था। राज्यों की जो इच्छा है उसको देखते हुए संविधान में संशोधन होना चाहिए। इसके बारे में मैं यह भी कहूंगा कि विधान हमारा क्या हो, उसके लिए पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्शन रेजोल्यूशन मूव किया था संविधान सभा में, और उससे पहले यह हुआ।

[अनुवाद]

"संविधान का मूलभूत दर्शन पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने निर्धारित किया था। जिन्होंने उद्देश्यों का संकल्प प्रस्तुत किया था,

जो उनकी दृष्टि में एक घोषणा, एक सुदृढ़ संकल्प, एक शपथ, एक वचनबद्धता और हम सभी के लिए एक निष्ठापूर्ण संकल्प था।''

[हिन्दी]

यह रैजोल्यूशन पेश करते हुए उन्होंने इतनी बात कही। यह रैजोल्यूशन पेश करते हुए इतना भरोसा देशवासियों और कौम को दिया। ऑबजैक्टिव रैजोल्यूशन में क्या बातें थीं? उसमें अटॉनमी की बात कही गई थी? उसमें कहा गया था कि

[अनुवाद]

''अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजाति के लोगों, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।''

[हिन्दी]

ये सारी बातें उसमें आई हैं। देखना है कि इसमें कुछ किया गया? उसके बाद सेफगार्ड आफ दी माइनॉरिटीज कुछ प्रोवाइड भी किए गए। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद माइनॉरिटी से हूं। माइनॉरिटीज की बात यहां होती नहीं है। इसलिए मैं उसे कहना चाहता हूं। मैं इस बारे में कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ रहा है। आज उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है? धार्मिक स्थान तक सुरक्षित नहीं है।

अमृतसर में हमारा धर्म स्थान है। वह बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। उसमें फौज घुस गई और उन्होंने उसे डीमॉलिश कर दिया। जहां देश की बड़ी जनसंख्या है, वहां उन्होंने हमारे पवित्र स्थान को डीमॉलिश कर दिया। माइनॉरिटीज के धार्मिक स्थान आज सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में माइनॉरिटीज क्या सेफ होंगे? इसकी वजह से सहम का वातावरण बन गया। चन्द्रशेखर जी ने ठीक कहा कि माइनॉरिटीज जब बोलती हैं तो उनके सुर तीखे हो जाते हैं क्योंकि थोड़े लोग होते हैं और उन्हें दूर तक आवाज सुनानी होती है। उनके मन की आवाज को खुले मन से सुनना चाहिए। जब हमारे धार्मिक स्थान सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोगों को सुरक्षित रखने का भरोसा कैसे दिलाया जा सकता है। वह हमें पैदा करना पड़ेगा। संविधान के बेसिक फीचर्स क्या थे? उसमें कहा कि रूल आफ लॉ होगा और इक्विल जस्टिस होगा। लेकिन मैं देखता हूं कि ये दोनों चीजें फेल हो गई हैं। रूल आफ लॉ की बात सब के सामने आई और उसे आप सब ने देखा। नवम्बर 1984 में देश के एक बड़े नेता की हत्या हो गई। वह बहुत बुरी बात थी। उनका एक अंगरक्षक जो सिख था, उसने हत्या कर दी। यह बहुत घिनौनी बात थी। जितनी इसकी मजम्मत हो, उतनी कम है। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद सिखों के खिलाफ क्या हुआ? कहा गया कि सिखों को मारो। वे जहां मिलें वहां उन्हें मारो। जो प्रचार सैकुलरिज्म का करते रहे, जो आज भी सैकुलरिज्म की बात करते हैं और बात करते-करते थकते नहीं हैं, वे खड़े हो गए। उन्होंने सैकुलरिज्म के नाम पर सिखों को मारना शुरू किया। दिल्ली में सिखों के मकानों पर, मैं बाहर की बात तो बाद में करूंगा, दिल्ली में सिखों के मकानों में निशान लगा दिए गए कि यह सिख का घर है, यह सिख की फैक्ट्री है, यह सिख का ट्रक है। उनका सब कुछ जला डाला और उन्हें मार डाला। इस शहर में, देश की राजधानी में तीन हजार से ऊपर सिख लोग खत्म कर दिए गए। हमने ऐसा कत्ले आम देखा नहीं था, दिल्ली में नादिरशाह के शासन के बाद ऐसा हुआ। दिल्ली में तीन दिन यह कत्ल चलता रहा। लोग, पुलिस देखती रही। वह तमाशायी बन कर देखती रही। न फौज बुलायी गयी और न इसे बंद करने की कोशिश की गई।

दूसरी बात इक्वल जस्टिस की है। 10-12 साल हो गए, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं चलाए गए। बहुत कोशिशें की गईं कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाए जाएं जिन के खिलाफ रपट दर्ज हो गई है, जिन के खिलाफ एफिडैविट दिये गये हैं। हमें पता लगा था कि बहुतों के पास से लूटा हुआ सामान बरामद हुआ था। मैं तो उन दिनों में मध्य प्रदेश की पंचमणी जेल में बंद था। ब्लू स्टार आपरेशन के बाद से मैं वहां बंद था। मैं 10 महीने पंचमणी में रहा। मेरे साथी मेरे साथ तो नहीं थे। सॉलिटरी कनफाइनमैंट में एक-एक आदमी रखा हुआ था। बादल साहब, तोहड़ा साहब और संत लौंगोवाल साहब सब को जेलों में रखा था। लेकिन हमें तीन-चार रोज के बाद जो समाचार मिलता था, उससे खबर मिलती थी कि कुछ लोगों के पास से सामान बरामद भी हो गया। दिल्ली में किसी के यहां से टेलीविजन बरामद हो गया, किसी से रैफ्रिजरेटर बरामद हुआ, किसी से स्कूटर मिला और किसी से कार मिली। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक किसी के खिलाफ रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रापर्टी एंड लूटेड प्रॉपर्टी का केस नहीं चला। जहां सबके सामने रिकवरीज हुईं, लेकिन एक भी केस अदालत में नहीं आया। कानून तो यह कहता है कि जिसके पास से लूटा हुआ माल मिल जाए, जिसके पास चोरी का माल मिल जाए, उसको चोर समझा जाता है, उसके खिलाफ चोरी या लूट का मुकदमा चल जाता है, लेकिन सैकड़ों ऐसे लोग थे जिनके पास से माल बरामद हुआ लेकिन किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चला। दस साल बाद बहुत कोशिशों के बाद मुकदमे चलने लगे हैं। उनमें कुछ दो-तीन केसेज में सजा हुई है। इतनी देर के बाद क्या मुकदमे चलेंगे और क्या सजा होगी? मुझे इस बात की खुशी है कि दो बड़े लीडर जो सैक्यूलरिज्म के नाम पर दनदनाते उन दिनों में कत्लों में शामिल थे, उनके खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं। एक-डेढ़ साल से उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे। एक तीसरे सज्जन थे जो सेक्यूलरिज्म के नाम पर यही कुछ करते रहे थे। उनके खिलाफ भी दिल्ली की हाई कोर्ट ने हुक्म किया है कि उन पर मुकदमा चलाया जाए।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालय ने 1984 के दंगों में जगदीश टाइटलर की भूमिका की फिर जांच करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आदेश दिया है।

[हिन्दी]

कैसी-कैसी घिनौनी हरकतें हुई हैं। यह कोर्ट के फैसले में लिखा है—

[अनुवाद]

याचिका दायर करने वाली विधवाओं—जसवंत कौर, प्रीतम कौर, बलविंदर कौर—ने आरोप लगाया है कि यद्यपि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर मामले दर्ज किए हैं कि श्री टाइटलर ने मलकागंज स्थित कबीर बस्ती में 1 नवम्बर, 1984 को आकर भीड़ को उकसाया और भीड़ ने आठ सिख लोगों को जिन्दा जला दिया तथा अन्य दर्जनों लोगों को घायल कर दिया, उसे अभी तक न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही मामले पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

ये आठ लोग जला डाले गए। ऐसी-ऐसी घटनाएँ दिल्ली में हुई हैं। अफसोस इस बात का रहा है और आगे भी रहेगा कि इतनी घटनाएं यहां दिल्ली में हुईं, दिल्ली में इतना बड़ा कत्ले-आम हुआ लेकिन इस सदन में उसके बारे में एक लफ्ज भी शोक का नहीं कहा गया। एक शोक-प्रस्ताव यहां आना चाहिए था। मैं आपसे और सदन से अब भी विनती करूंगा कि मौका ढूंढ़कर हमें एक शोक प्रस्ताव पास करना चाहिए। तीन-चार हजार आदमी दिल्ली में कत्ल कर दिये गये, हजारों मकान लूट लिये गए, जला दिए गए, टैक्सियां और ट्रक जला दिये गये, उसका थोड़ा बहुत शोक तो इस संसद में होना चाहिए था। इस संसद की परंपरा को उन दिनों में चलाया नहीं गया। दो मिनट का अफसोस हमें अवश्य करना चाहिए क्योंकि हम छोटी-छोटी बात पर यहां अफसोस करते हैं। मै फिर आपसे और सदन के सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि कोई मौका ढूंढ़कर यहां अफसोस होना चाहिए कि दिल्ली में जो कत्ले-आम हुआ था, इस बारे में हमें बहुत अफसोस है और हम उस पर शोक करते हैं। ऐसी बात जरूर होनी चाहिए।

जो इक्वल जस्टिस की बात है, उस पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारे साथ इक्वल जस्टिस हुआ? 13 साल हो गए हैं और 13 साल बाद हाई कोर्ट को इस बात का फैसला करना पड़ा कि सीबीआई इसकी तफ्तीश करे। अब तो इन्वेस्टिगेशन 13 साल बाद शुरू हो गई। वह कितने दिन चलती है, साल चले, दो साल चले, फिर उसके बारे में क्या होता है पता नहीं। पता नहीं केस अदालत में कब तक चले और कौन गवाह जिन्दा रहे या कौन मर जाए। इसलिए कांस्टीट्यूशन में जो बेसिक फीचर इक्वल जस्टिस का था, वह हमें नहीं मिला। इसलिए लोगों को बहुत दुख रहता है और बहुत तकलीफ रहती है। ऐसा माहौल बना दिया गया देश में कि सिखों को आतंकवादी कहकर पुकारा जाने लगा और वह एक जगह नहीं, जगह-जगह होने लगा। जैसे एक तहरीक चला दी गई जिससे हर सिख को आतंकवादी कहा जाने लगा।

जो किताब हमें मिली है उसको पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि बड़ी मेहनत से यह किताब लिखी गई, लेकिन इसमें भी ऐसे ही जिक्र आ गया। इसमें एक चैप्टर है वायलेन्स एंड टैररिज्म। यह फेज 17-18 पर है। उसमें जिक्र आया कि कश्मीर में दस हजार लोग वायलेन्स में मारे गए हैं।

1992 से अब तक जम्मू-कश्मीर में हुई हिंसा की घटनाओं में 10,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं फिर आ गया कि 1996 में आसाम में ऐसा-ऐसा हुआ, फिर नागालैंड का जिक्र आया, मणिपुर का जिक्र आया, त्रिपुरा का जिक्र आया, मेघालय का जिक्र आया, नैक्सलाइट वॉयलेंस का जिक्र आया। लेकिन किसी का ऐसे नाम नहीं आया कि कश्मीर में मुसलमान टैररिस्ट्स ने लोगों को मार डाला, मुसलमान आतंकवादियों ने मार डाला, लेकिन उनका जिक्र नहीं आया। नागालैंड का जिक्र आया लेकिन कहीं नहीं लिखा कि क्रिश्चियन टैररिस्ट्स थे या वहां के क्रिश्चियन मिलिटेंट्स मारने वाले लोग थे, इसका जिक्र नहीं आया। बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद का जिक्र आया, लेकिन वहां भी यह जिक्र नहीं आया कि कोई हिंदू टैररिस्ट था, उसने मारा। किसी का जिक्र नहीं आया। लेकिन जब जिक्र आया तो इस किताब में सिख मिलिटेंट्स का जिक्र आया। मुझे इस बात का अफसोस है कि इस बात का जिक्र आया—पंजाब में शांति स्थापित किये जाने के बावजूद वहां के आतंकवादी फिर आतंकवादी गतिविधियां शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिख मिलिटेंट्स क्यों लिखा है, क्यों इनको बदनाम किया जाता है? उस सिख को जिसने देश के लिए इतनी कुरबानी की, देश की आजादी के लिए कुरबानी की, देश की आजादी को कायम रखने के लिए कुरबानी की, देश की आजादी को कायम रखने के लिए कुरबानी की। उस सिख को आप सिख मिलिटेंट कहकर पुकारते हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह हमारे देश में एक ट्रेंड बन गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसको इस तरफ ले जाते हैं। यह किताब दूर-दूर तक जायेगी, बाहर भी जायेगी, सारे देशों के लोग भी इसको पढ़ेंगे। क्या प्रत्येक सिख आतंकवादी समझा जाता है, वे सिख आतंकवादी का उल्लेख क्यों करते हैं, आतंकवादी तो आतंकवादी है, चाहे वह हिन्दू, सिख और ईसाई किसी भी धर्म का हो, वह सिर्फ आतंकवादी है, ऐसा क्यों किया जाता है। मेरा इस बात पर एतराज है। अब भी ऐसी बातें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इक्वल जस्टिस और माइनोरिटीज की मैं बात कर रहा था। मैं अपनी अकेली बात नहीं कर रहा था। माइनोरिटीज में और भी लोग आते हैं। सबसे बड़ी माइनोरिटीज मुसलमानों की है। उनकी बड़ी तादाद है। शायद 15-16 परसेंट है, वह 12 परसेंट है। ऐसे ही ईसाई भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं। मिल-मिलाकर बहुत तादाद हो जाती है। इनको हम छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि हां इनको छोड़ो, बाकी हम चलेंगे। इनके बिना देश नहीं चल सकेगा। कभी देश इनके बिना चला भी नहीं है, चल भी नहीं सकेगा। इसलिए कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन किया गया था कि माइनोरिटीज को सेफगार्ड मिलना चाहिए। उनको भरोसा होना चाहिए कि वे इस देश में ठीक से रह सकेंगे। इस देश में उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर नहीं रखा जायेगा। अफसोस इस बात का है कि आज ऐसा होता जा रहा है। अभी कोई उधर से बोल रहा था। उसने इस बात का जिक्र किया कि मुसलमानों को जो अब नौकरियां मिल रही हैं यह एक परसेंट

मिल रही हैं। अगर इनके हिसाब से 12, 14 या 15 परसेंट या जो भी कुछ है, तादाद तो बढ़ी है। अगर उस करोड़ों की तादाद को एक परसेंट नौकरी देश में मिलेगी तो फिर वे कहां जायेंगे, क्या करेंगे, यह बर्ताव ठीक नहीं है। यही हमारे साथ फौज में हुआ। जब देश आजाद हुआ तो हम 21 परसेंट थे। हमारी फौज में 21 परसेंट नौकरियां हुआ करती थीं। आज घटते-घटते पांच परसेंट पर आ गई हैं और अब उसको घटाकर दो परसेंट पर लाने की कोशिश हो रही है। आपकी आबादी तो दो परसेंट है इसलिए आपको तो दो परसेंट ही मिलेगी। जहां देश के लिए खून गिराना है, खून बहाना है, वहां भी आबादी गिनी जा रही है। लेकिन जब खून बहाने का मौका होता है तो फिर कहते हैं कि आगे जाओ, ठीक है, सामने लग जाओ। चाहे चीन के खिलाफ हो या पाकिस्तान के खिलाफ हो। फिर तो कहते हैं कि शाबाश, बहुत अच्छे, आगे लगो। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ऐसी जो भावना है, वह हमारे मन से निकलनी चाहिए। यह विधान में तो दिया है। लेकिन उस पर असर नहीं हुआ है। विधान में सेफगार्ड प्रोवाइड किये, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। उस पर असर होना चाहिए। हमारे दिमाग में से ये बातें निकलनी चाहिए कि हम बहुत बड़ी तादाद के लोग हैं। सभी पार्टियों में है, ठीक है, होना भी चाहिए। ठीक है, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। लेकिन जो थोड़ी तादाद वाले लोग हैं, वे देश के लिए उतने ही जरूरी हैं, जितना कि बड़ी तादाद वाले हैं। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि जो माइनोरिटीज हैं उनके राइट्स सेफगार्ड करने चाहिए। उनको ऐसा महसूस हो कि वे इस देश में ठीक तरह से रह सकें।

जम्हूरियत की बहाली की बात हुई कि जम्हूरियत बहुत अच्छी चली है और इसको बहाल किया गया है। जम्हूरियत बहाल रही है। चंद्रशेखर जी ने जिक्र किया कि थोड़ा समय ऐसा आया था जब देश में इमरजेंसी लग गई थी और जम्हूरियत को खतरा पैदा हो गया था। जम्हूरियत को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। पूरे देश में काली रात आ गई थी। हम ऐसे समय से गुजरे हैं। देश में 19 महीने तक इमरजेंसी रही और 19 महीने तक हम जेलों में रहे। चन्द्रशेखर जी भी हमारे साथ पटियाला जेल में थे लेकिन उन्हें अलग सैल में रखा गया था, बादल साहब को अलग सैल में रखा गया था, हमारे लीडरों को अलग सैल में रखा गया था। जब 19 महीने बाद चन्द्रशेखर जी की रिहाई हुई, तब हमने उन्हें पहली बार देखा, तब हम इकट्ठे हो सके, उससे पहले हमने उन्हें नहीं देखा था। हम सबको 19 महीने तक जेल में रहना पड़ा। जब यहां डैमोक्रेसी की बहाली की बातें की जाती हैं, कहा जाता है कि हमारे समय में डैमोक्रेसी अच्छी चली, वह ऐसे नहीं चली, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी। मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं हूं लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को, देश आजाद होने के बाद, साढ़े तीन साल तक जेल में रहना पड़ा, जबकि हमने कोई क्राइम नहीं किया था, किसी की कोई चीज नहीं उठाई थी, किसी को मारा नहीं था बल्कि महज पोलिटिकल रीजन्स पर हमें जेल में रखा गया। देश में डैमोक्रेसी कायम करने के लिए हमें सौलिटरी कैन्फाइनमैंट में रखा गया। इमरजेंसी के दौरान भी हमें सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। पंचमढ़ी में हमें बंद कर दिया गया था जहां 10 महीने हम सौलिटरी कन्फाइनमेंट में पड़े रहे, जबकि हमने कोई गुनाह नहीं किया था।

अब मैं इन बातों को छोड़कर पौपूलेशन की तरफ आता हूं। पौपूलेशन कंट्रोल को मैं बहुत जरूरी मानता हूं क्योंकि आज यह समस्या हमारे लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है। देश की पौपूलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। आजादी के बाद से हम तीन गुना बढ़ गए हैं, पौपूलेशन बढ़ाने पर हमने बहुत जोर दिया है, किसी दूसरी बात पर जोर दिया हो या न दिया हो, पोपूलेशन बढ़ाने की तरफ हमने सबसे ज्यादा तवज्जह दी और उसमें कामयाब भी हुए। किसी दूसरे फील्ड में हमें कामयाबी नहीं मिली लेकिन पौपूलेशन के मामले में कामयाबी जरूर मिली। कल यहां कोई कह रहा था कि सन् 2001 में हम चाइना से भी आगे बढ़ जाएंगे, हमारी आबादी 100 करोड़ हो जाएगी यानी चाइना से भी आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। कम से कम एक बात में तो हम दुनिया में नम्बर एक पर आ जाएं लेकिन जहां हमारी आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, वही मुझे अफसोस होता है कि जब हम इंटरनेशनल ओलम्पिक्स में जाते हैं तो वहां से सिर नीचा करके चले आते हैं, हमें एक ब्रौंज मैडल भी नहीं मिलता। सौ करोड़ की आबादी पर फख्र करने वाले लोग, वहां से एक ब्रौंज मैडल भी नहीं ला सकते जबकि छोटे-छोटे देश, जिनकी आबादी लाखों में है, कई स्वर्ण पदक, चांदी के मैडल और ब्रौंज मैडल ले जाते हैं, हमें एक ब्रौंज मैडल भी नहीं मिलता। ऐसी हमारी दशा हो गई है। इसलिए मैं समझता हूं कि पौपूलेशन पर कंट्रोल होना चाहिए।

कल कोई कह रहा था कि इस काम में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए लेकिन जबरदस्ती के बिना कंट्रोल नहीं हो सकता। हमारी आबादी कहां जाकर रुकेगी, समझ में नहीं आता। हमारे देश का रकबा नहीं बढ़ रहा है, रकबा उतना ही है लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। उसी का नतीजा है कि चाहे हम साइंस टैक्नोलोजी में कितनी ही तरक्की कर लें, कितनी ही कोशिश कर लें, सब कुछ खाक हो जाता है। जैसे मुर्गियों के चूजे होते हैं, वे सब कुछ खा जाते हैं, जो कुछ होता है सब समेट लेते हैं, वैसी ही स्थिति हमारी हो गई है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान हमें पौपूलेशन कंट्रोल पर देना होगा। आप दो बच्चों के बाद फैसला कर लीजिए, मैं दो या तीन की बात नहीं करता, दो बच्चों के बाद, थोड़ी कड़ाई हो जाए। जो लोग चाइना की बात करते हैं, चाइना ने हाथ जोड़कर पौपूलेशन कंट्रोल नहीं की लेकिन कानून बना दिया और उसे स्ट्रिक्टली एन्फोर्स किया। उन्होंने कह दिया कि एक ही बच्चा होगा, उसके बाद हम नहीं होने देंगे। जब उन्होंने ऐसा कर दिया, तब से वहां एक ही बच्चा होता है और तभी वे पौपूलेशन पर काबू पा सके अन्यथा आज उनकी जनसंख्या डेढ़ सौ करोड़ से ज्यादा हो जाती। इसलिए हमें इस पर जबरदस्ती पाबंदी लगानी पड़ेगी। मैं इस संबंध में एक दो सुझाव देना चाहता हूं।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा): मेरा निवेदन है कि हमारे एक माननीय सदस्य ओवेसी साहब ने इस सदन की स्थाई समिति को एक पत्र लिखकर कहा है कि यदि हिन्दुस्तान में कानून बनाकर परिवार नियोजन किया गया, रोका गया तो मुसलमान पहले ही राम मन्दिर के इश्यू पर जले बैठे हैं, उससे देश में बगावत की स्थिति पैदा हो जाएगी।

उनका यह पत्र स्थायी समिति के पास मौजूद है, इस सदन में विद्यमान है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: इस बात पर फिर कभी बहस करेंगे, समय थोड़ा है, मैं अपना पाइंट कहकर खत्म करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि जब दो हो जाएं, तो बंद कर देना चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सदन में शांति रखिए। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय): सभापति महोदया, पहले भेदभाव तो खत्म कीजिए। समय तो निश्चित कीजिए। हम लोग भी इस सदन के मैम्बर हैं। हम लोग भी जीत कर आए हैं। क्या हम लोगों को समय नहीं मिलेगा। मैंने आसन से निवेदन किया है कि किसी को 60 मिनट किसी को 70 मिनट भाषण के लिए समय मिल रहा है और हम लोगों का नंबर भी नहीं आ रहा है। पहले समय तो निश्चित कीजिए। *(व्यवधान)*

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): महोदया, हर आदमी एक ही विषय पर बात कर रहा है। जैसे पौपुलेशन है, तो हर आदमी इस पर बोल रहा है, तो क्या यहां सिर्फ बोलने की बात है या सदन इसके बारे में कुछ निर्णय भी लेगा? *(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि जब किसी के दो बच्चे हो जाएं, तो उसे मालूम होना चाहिए कि अब आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं है। तीसरा बच्चा होने पर उसकी पढ़ाई की फीस माफ नहीं होगी। उसको स्कालरशिप नहीं मिलेगी। उसको किसी किस्म की रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। बच्चे को सरकारी जाब नहीं मिलेगा। उसे पता होना चाहिए कि उसे कोई इंसेटिव नहीं मिलेगा। यह बात प्रचार-प्रसार के माध्यम से देश की जनता के सामने जाएगी तब इसका कुछ फायदा होने वाला है। जब आदमी को यह लगेगा कि तीसरा बच्चा होने से उसको नुकसान हो जाएगा, तो ही पौपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। यदि कहीं थोड़ी बहुत जबरदस्ती भी करनी पड़े, तो वह भी देश के भले के लिए करने में कोताही नहीं करनी चाहिए। यह देश के सामने बहुत बड़ा और अहम मसला है। इसको हल करने के लिए हमें जरूर कुछ करना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपा करके आपस में बात करना बंद कीजिए और सदन में शांति बनाए रखिए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सभापति महोदया, अब मैं राजनीति के अपराधीकरण के बारे में कहना चाहूंगा। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा है। श्री वीरप्पन ने अब कोई नई शर्त रखी है और वे चाहते हैं कि मुझे दो साल जेल में रखा जाए और उसके बाद मैं सीधा राजनीति में आ जाऊं। यानी दो साल तक वे रैस्ट करें और फिर उसके बाद सीधे राजनीति में आ जाएं। यहां हम बात कर रहे हैं कि पालिटिक्स से कैसे क्रिमिनलाइजेशन को दूर किया जाए और वे इतनी ऊंची उड़ान भर रहे हैं कि दो साल किसी अच्छे रैस्ट हाउस में आराम करें और उसके बाद सीधे पालिटिक्स में आ जाएं।

सभापति महोदया, फूलन देवी सियासत में आई हैं। वे यहां आने से पहले 11 साल जेल में रही हैं। उन्होंने बहुत कठिन समय में सरैंडर किया था। उन दिनों मैं भी जेल में था। वे ग्वालियर की जेल में थी और मैं पंचमढ़ी की जेल में था। जेलर लोग मिलकर मीटिंग किया करते थे। मुझे उनके बारे में मालूम पड़ता रहता था। ग्वालियर के जेलर पंचमढ़ी में आया जाया करते थे। मैं समझता हूं कि बहुत समय जेल में गुजारने के बाद अब वे यहां आई हैं। इस सदन के सभी सदस्यों को पता होगा, उन्होंने इस सदन में भी एक दिन अपील की थी और यहां भी सभी से माफी मांगी थी और कहा था कि मैं जनता से माफी मांग कर आई हूं और जो कुछ हो गया, उसे छोड़िए। देश और उनके क्षेत्र की जनता ने उन्हें माफ कर दिया तभी वे यहां आई हैं। यह रियासत का जो क्रिमिनलाइजेशन चल रहा है इसे बंद करना पड़ेगा। हम सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। इसके ऊपर मुद्दा बनाकर एक बहुत बड़ी बहस करनी पड़ेगी।

सभापति महोदया, यहां पर करप्शन की बात बहुत कही गई है। आज सारे देश में करप्शन चल रहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

जो हाल हुआ है, वह आपने देखा है। करप्शन कहां से शुरू हुआ और कहां चला गया, यह भी आपने देखा है। यह दिखायी देने लग गया कि कोई बिना करप्शन के है ही नहीं। इतने बड़े-बड़े स्कैंडल हो गये और दुनिया देखने लग गयी कि यहां कौन-कौन और कितने बड़े-बड़े लोग इसमें शामिल हो गये। कितने बड़े लोगों पर इल्जाम लग गये हैं और कितनों के खिलाफ चार्जशीट हो गयी हैं। यह सब दुनिया ने देखा लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बाद रेड फोर्ट पर इसका ऐलान नहीं होना चाहिए कि हमारे यहां करप्शन बहुत है। रेड फोर्ट से जो ऐलान हुआ, वह लोगों ने ठीक नहीं समझा। वे कह रहे थे कि साहब ऐसी जरूरत क्या पड़ गयी कि झंडा फहराते हुए आप वहां से ऐलान कर रहे हैं कि सारा देश करप्ट हो गया है, हम क्या करें, ऐसी बात वहां पर नहीं कहनी चाहिए थी। इसको लोगों ने ठीक नहीं समझा।

दूसरा सैंट्रल हाल में जब दोनों सदन इकट्ठे होते हैं तो वहां भी ऐसी बातें चलती हैं। राज्य सभा, लोक सभा के सभी मैम्बर्स सैंट्रल हाल में इकट्ठे हों तो सैंट्रल हाल से यह मैसेज जाये कि करप्शन बहुत है। स्पीच्स में भी ऐसा दिखाई दे कि यहां करप्शन बहुत है, ठीक नहीं है। इससे हमारे देश में तो मैसेज जाता ही है, हमारे देशवासी जानते हैं कि करप्शन बहुत है लेकिन बाहर भी यह मैसेज जाता है कि इनकी आजादी के दिन के मौके पर करप्शन की बात सबसे ज्यादा हो रही है और यहां पर भी यह बात होती है कि करप्शन बहुत होता है। दुनिया में यह मैसेज गया कि यह देश सबसे करप्ट देश है। यहां के लोगों ने, यहां के लीडर्स ने यह स्वीकार कर लिया है कि हम तो बहुत करप्ट हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमें पता है कि करप्शन है। हमको

बैठकर सोचना चाहिए कि यह दूर कैसे होगा, उसके लिए कोई प्रबंध करना चाहिए था लेकिन ऐलान नहीं करना चाहिए था कि हमारा देश करप्ट है। हमारे देशवासी करप्ट हैं। उसके लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, यह तो अभी बता नहीं सके हैं लेकिन यह देश के लिए खतरे की बात है। देश की 50 साल की आजादी के बाद हमारी दशा यह हो गयी कि हमें ऊपर को जाना चाहिए था लेकिन हम नीचे की ओर जा रहे हैं।

अभी एक बात आयी कि देश ने बहुत तरक्की की है। कुछ बातों की गिनती गिनायी गयी कि यह देखिये, यहां तो सुई नहीं बनती थी, यहां फाउंटेन पेन नहीं बनता था लेकिन अब बनने लगा है आदि ऐसा बहुत कुछ हो गया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब अभी बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमें उन लोगों से मुकाबला करना है, जो हमारे साथ आजाद हुए हैं। तकरीबन साल पहले, साल बाद आजाद हुए थे। उनसे हमें मुकाबला करना है, फिर देखना है। वह भी हमारे साथ के बड़े देश हैं, उन्हीं से मुकाबला कर लीजिए। उन्होंने चीन का जिक्र किया था, जापान का जिक्र किया था। आप उन लोगों से मुकाबला करिये तो हम बहुत पीछे रह गये हैं। हर बात में उन्होंने आंकड़े देकर बताया था कि हम मुकाबले में पिछड़ गये हैं। जो छोटे देश हैं चाहे मलेशिया हो, चाहे ताइवान हो, चाहे छोटा सा शहर सिंगापुर हो, उनसे मुकाबला करेंगे तो हम बहुत पीछे रह गये हैं। इसलिए हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। 50 साल हो गये हैं और हमने भी कुछ किया है लेकिन कुछ करने से तो हमारा काम नहीं चलेगा। हमें तो कम्पीट करना है।

एक बहुत बढ़िया बात यह रही है कि हमारी डेमोक्रेसी कायम रही है। कई देशों में हम देखते हैं कि वहां पर डिक्टेटरशिप आ गयी। कहीं कैसा राज आ गया, कहीं कैसा राज आ गया लेकिन हमारा यह सिस्टम कायम रहा। हालात बिगड़ते गये लेकिन फिर भी यह कायम रहा। डांवाडोल रहा लेकिन फिर भी खड़ा हो गया। वह कायम रहा, सरकारें बदलती रहीं और थोड़े-थोड़े समय के बाद बदलती रहीं। ऐसे मौके बनते रहे लेकिन हमारा सिस्टम, हमारी डेमोक्रेसी कायम रही। दूसरी बात भी देखिये। एक नया तजुर्बा हुआ है। इस तजुर्बे में बहुत सी पार्टियां इकट्ठी हो गयीं। यह तो होता है कि दो पार्टियां इकट्ठी होकर या तीन पार्टियां इकट्ठी होकर सरकार बना लें लेकिन 14-14 पार्टियां इकट्ठी होकर सरकार चला रही हैं और वह चल रही है। चाहे कोई मजबूरी हो लेकिन वह चल रही है। यह भी एक तजुर्बा है। यह तजुर्बा भी कामयाब हुआ है। बहुत से स्टेट्स में भी भांति-भांति से तजुर्बे हुए हैं। कभी किसी के साथ कोल्यूशन, कभी किसी के साथ कोल्यूशन जहां फिट होता है वहां कोल्यूशन बन जाता है। वे सब जगह चल रही हैं और शायद कई और जगह पर चलेंगी।

मैं कहता हूं कि हमारा जो डेमोक्रेसी का तजुर्बा है, वह ठीक है। इसमें यह कहना कि हमारा फार्मर सिस्टम हो जाये, दूसरा हो जाये, मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो है, उसी को चलाना चाहिए। यह ठीक चल रहा है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सेरमपुर): मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा।

सभापति महोदय: आपको कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य: बात बहुत सीधी सी है। मैं किसी को कोई दोष नहीं देना चाहता। क्या यह नेताओं के लिए विशेष सत्र है अथवा संसद के सभी सदस्यों के लिए विशेष सत्र है। सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नेताओं के लिए 20 मिनट का समय रखा गया है और शेष सदस्यों के लिए 10 मिनट का समय रखा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? यह एक सीधी सी बात है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* इन बातों को कौन नियंत्रित करेगा *...(व्यवधान)*। यह नेताओं के लिए विशेष सत्र है अथवा संसद के सभी सदस्यों के लिए विशेष सत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि कुछ नेताओं को 40 मिनट का समय दिया जायेगा, कुछ को 20 मिनट का समय दिया जायेगा। और अन्य सभी को 10 मिनट का समय दिया जायेगा। इस शिष्टता का पालन क्यों नहीं किया गया है? एक विद्यार्थी के रूप में, मैं नेताओं को सुनने के लिए तैयार हूं। मैं यह भी समझता हूं कि वे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन हमें भी कुछ कहना है। हमें अपनी बात कहने का कब अवसर मिलेगा? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभी दलों को उनके लिए निर्धारित समय का पालन करना चाहिए। इस प्रकार नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि हममें से प्रत्येक को अपने सदस्यों से उनके लिए निर्धारित समय का पालन करने के लिए निवेदन करना चाहिए। इससे मेरा काम आसान हो जायेगा। *(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय मेरा नाम नहीं पुकारा गया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कमरुल इस्लाम (गुलबर्गा): हम भी देश की बात करना चाहते हैं *...(व्यवधान)* हम तीन रोज से इंतजार कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप लोग शांति से बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: महोदय, मेरा नाम पुकारा नहीं गया है। अत: छोटे दलों की क्या अहमियत है यदि उन्हें कभी भी चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए बुलाया नहीं जाता? सभी प्रमुख दलों के सदस्यों को लगातार बुलाया जा रहा है और छोटे दल के किसी सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने के लिए नहीं बुलाया गया है। अत: संसद के इस विशेष सत्र में सभा के छोटे दलों की क्या अहमियत है? *...(व्यवधान)*

अपराह्न 5.06 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री कमरूल इस्लाम: हम बोलने के लिए आए हैं और हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत महाजन (कांगड़ा): महोदय जिन सदस्यों को सभा में बोलने का अवसर नहीं मिला है, उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। सभी नेता बोल चुके हैं *...(व्यवधान)* हम हमेशा उन्हें सुनते हैं। हर चीज की सीमा होती है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी एक बात तो सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य: महोदय, क्या हो रहा है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप यही बात गुस्से की बजाए शांति से कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्लीज, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सत महाजन: हम भी अपने यहां के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अधीर क्यों हो रहे हैं जिस प्रकार यहां हो रहा है, इसके लिए मुझे खेद है। कृपया एक समय पर एक सदस्य बोले।

...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, आप सभी सदस्यों से लिखित भाषण ले लें और उन्हें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर दें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि एक समय पर एक सदस्य बोले तभी मैं उनकी बात सुन सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, आपको हमें समय की पाबंदी के लिए नहीं कहना चाहिए जबकि नेतागण हमारा समय ले चुके हैं। वे बार-बार कह रहे हैं कि हर बात समयबद्ध होनी चाहिए और बातों को दोहराना नहीं जाना चाहिए। लेकिन नेतागण उन्हीं बातों को दो-दो, तीन-तीन बार दोहरा रहे हैं और एक घंटे से भी अधिक समय ले रहे हैं। अब आप अन्य सदस्यों के समय को सीमित नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब मेरी बात सुनिये।

[हिन्दी]

एक मिनट सत्यदेव सिंह जी। यह डिसीजन हुआ था, जब पार्टी लीडर्स बैठे थे,

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात तो सुनिये। आप पीठासीन अधिकारी की बात भी क्यों नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

यह डिसीजन हुआ था कि स्पीकर्स की तीन कैटेगरीज होंगी, एक दस मिनट बोलने वाले, एक बीस मिनट बोलने वाले और एक 40 मिनट बोलने वाले।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिये। आप अधीर क्यों हो रहे हैं? कृपया मेरी बात सुनिये।

[हिन्दी]

आपको यह जानकारी नहीं थी, कम से कम मैं आपको जानकारी तो दे रहा हूं और यह कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बोलेंगे तो वे 45-50 मिनट तक बोल लेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप मुझे क्यों नहीं कहने दे रहे हैं? वह केवल 30 मिनट तक बोले हैं।

[हिन्दी]

लेकिन उसके बाद कुछ लोग एक घंटे से ज्यादा भी बोले हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। आप उन तीन कैटेगरीज में....

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार: आप यह सब क्या बोलते हो।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सुन तो लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि आपमें मेरी बात सुनने का भी धैर्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार: पेशेंस है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बोलते रहिये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: हाउस सुप्रीम है। मैं जानना चाहता हूं कि इन तीन कैटेगरीज को आप रखना चाहते हैं या नहीं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ): केवल दो श्रेणियां होनी चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: सबसे जरूरी बात तो यह है कि सबको चांस मिल जाये।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सब लोगों को 10-10 मिनट बुलवा दिया जाये। बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यही तो कह रहा हूं।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी: तीन बार आपको मौका दिया और तीनों बार आप बोलते रहे।

श्री राम कृपाल यादव: 15 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री कमरुल इस्लाम: कल आखिर तक हम बैठे रहे। हमने स्पीच स्टार्ट की और प्रोसीजर यह है कि मुझे ही आज कन्टीन्यू करना था, हमने रैस्पैक्ट दिया फोर्मर प्राइम मिनिस्टर को

[अनुवाद]

और मेरा नाम सूची में था। मैंने अपना भाषण कल शुरू किया था। मैं कल बोल रहा था। मुझे आज भाषण जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई है। यह अन्याय है। हम पीठासीन अधिकारी का आदर करते हैं। कम से कम मुझे बताएं कि मुझे कब बोलने का मौका दिया जाएगा। यह कहा गया था कि नेताओं को अंत में बोलना चाहिए और अन्य सदस्यों को पहले बोलने देना चाहिए। इस प्रकार से सभा में कुछ शिष्टता बनी रहेगी *...(व्यवधान)* ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। हम नेताओं से ऐसे त्याग की आशा करते हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात हो गई, आप बैठिए। ऑनरेबिल मैम्बर्स, मैं यह चाहता हूं कि जितने ऑनरेबिल मैम्बर्स बोलना चाहते हैं, उनको चांस मिल जाये। बैक बैंचर्स को भी मिल जाये, आगे बैठने वालों को भी मिल जाये और इसके लिए अच्छा तो यह है कि 10 मिनट से ज्यादा कोई न बोले, तभी चांस मिलेगा। आप 15 मिनट बोलना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर सबको चांस नहीं मिल पाएगा।

श्री बासवाराज रायारेड्डी (कोप्पल): आप सैटरडे को एक्सटेंड करवा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: महोदय, नेतागण 20 मिनट तक बोल सकते हैं लेकिन अन्य को बोलने के लिए 10 मिनट की अनुमति दी जानी चाहिए अन्यथा सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी राय मुझे मिल गई है। मुझे आपकी राय की जानकारी हो गई। कृपया बैठ जाइए। अब हमें काम की बात करनी चाहिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यदेव सिंह

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी को और अपने सभी नेताओं को, जिन्होंने आजादी की इस 50वीं वर्षगांठ को, जिसको हम देश में स्वर्ण जयन्ती के रूप में मना रहे हैं, उसका लेखा-जोखा करने के लिए इन 50 वर्षों में हमारी क्या उपलब्धियां हुई हैं, क्या हमारी कमियां रह गई हैं, इस बात का विचार करने के लिए चार दिन का एक विशेष सत्र सदन का हमने आहूत किया है।

माननीय अटल जी ने सदन के सामने जो विषय रखे थे, वे चर्चा से विषय निकले थे। वे विषय हैं और वह प्रस्ताव है कि:

> ''यह सभा देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है।''

इसमें मैं यह समझता हूं कि अंतिम शब्द मानव विकास है, यह सारे विषयों का सार है, निचोड़ है। हमने सफलताएं भी बहुत पाई हैं और हमें अपनी असफलताओं पर चिंता करने का भी आज अवसर मिला है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस पर चर्चा की है। मैं माननीय बरनाला जी को सुन रहा था। जिन्होंने इन समस्याओं का जिक्र करने का प्रयास किया। माननीय अटल जी ने शुरुआती भाषण में कहा था कि इस विशेष सत्र में कोई प्रश्न काल नहीं होगा, कोई प्रस्ताव भी पास नहीं होगा। लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज देश हमें देख रहा है, इस सदन को देख रहा है कि आजादी के 50 वर्ष बाद यह सदन दलगत सीमाओं को छोड़कर, व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर देश की समस्याओं गरीबी, भुखमरी, लाचारी और सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में चर्चा करके कोई न कोई प्रस्ताव या सर्वसम्मत विचार हम तय कर पाएंगे। जिससे हम आगे की नीति निर्धारित करेंगे। मैं समझता हूं कि चूंकि हम अपने दल की सीमाओं में नहीं बंध सकते। मैं समझता हूं सदन मेरे इस मत से सहमत होगा।

मैं यथासम्भव समय की सीमा में रहने का प्रयास करूंगा। लेकिन बहुत देर के बाद पिछली बैंचों पर बैठे हुए लोगों में से किसी एक सदस्य को अवसर मिला है इसलिए मुझ पर आप कृपा दृष्टि बनाए रखें।

मैं आपका ध्यान 14 नवम्बर, 1962 के उस प्रस्ताव की तरफ ले जाना चाहता हूं, जब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे। देश एक बड़े संकट से गुजरा था। 26 अक्तूबर, 1962 को पहला संकट था जब इमर्जेंसी लागू की गई थी। 14 नवम्बर, 1962 के सत्र में इसको स्वीकार किया गया था। इसके साथ-साथ चीन के द्वारा हमारे ऊपर हमला किया गया था। उस पर भी यहां प्रस्ताव पास हुआ था। उसकी शब्दावली आज हम भूल गए हैं, उसको स्मरण नहीं कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, कई महत्वपूर्ण संकल्प इस सदन में लिए गए, लेकिन वे आज भी धूल खा रहे हैं। मुझे गौरव होगा कि चार दिनों के मंथन के बाद कोई चीज निकलती है और उसको हम कहां तक जाकर स्वीकार करने वाले हैं, अगर इस पर ध्यान दिया जाए।

14 नवम्बर, 1962 को जो प्रस्ताव स्वीकार हुआ था उसमें हमने अपनी सेनाओं के शौर्य और बलिदानों को स्वीकारा था। उस प्रस्ताव को देश की जनता ने सराहा था। 95 प्रतिशत जनता की बात निकली है जिसके बारे में सदन में बार-बार चिल्ला कर कहा गया है। हमारे नेता कह रहे हैं कि यह 95 फीसदी भुखमरी के शिकार गरीब लोग हैं, जिन्होंने देश की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, यही वे लोग थे जो चीन के आक्रमण के समय सबसे ज्यादा कुर्बान हुए। हमारे इसी सदन में उन कुर्बानियों को और देश की जनता की एकता को याद किया गया। मैं उस प्रस्ताव से कुछ बातें यहां पढ़ना चाहता हूं जो उस प्रस्ताव का कंक्लुजन है।

[अनुवाद]

> ''यह सभा आशा और विश्वास रखती है कि भारतवासी भारत की पवित्र भूमि से आक्रमणकारियों को निकाल बाहर करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं चाहे इसके लिए कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े।''

[हिन्दी]

यह प्रस्ताव कहां है, मैं नहीं समझता हूं कि इस पर शायद पहले किसी भी सत्र में, इस चर्चा से पहले या इस लोक सभा में पहले हमने कभी जनता के साथ किये गये इस वादे पर चर्चा की हो।

अभी हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष पाटिल जी बोल रहे थे। उनके समय में इस आसन से एक प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव पर बहस नहीं हुई थी। 1962 वाले प्रस्ताव पर 15 दिन बहस चली, कई संशोधन आए, अनेक लोगों ने वाद-विवाद में हिस्सा लिया। लेकिन फरवरी 1994, दसवीं लोक सभा के सत्र में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, वह बिना बहस के किया गया था। वह प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा हमारे देश को तोड़ने की साजिश के बारे में था। उस प्रस्ताव के पास किये जाने के बाद भी हमने कभी उस पर चर्चा नहीं की। उसके दो अंश मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। उससे लगता था जैसे पाकिस्तान हमें कुछ मांगने पर देने वाला है।

[अनुवाद]

"और मांग करते हैं कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्र को जो उसने आक्रमण कर हथिया रखे हैं खाली कर दे।"

अंत में निष्कर्ष यह है:

"*कि यह सभा भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के सभी प्रयासों को सुलझाने के लिए दृढ़संकल्प होगी।*"

[हिन्दी]

यह दो प्रस्ताव मैंने इसलिए यहां पर रखे हैं ताकि हम इस सदन के अंदर जब कोई चीज तय करने में सफल होते हैं तो इस प्रस्ताव को भी हम विस्मित न करें और कोई तीसरा प्रस्ताव इस सदन से निकले जो बाद में सदन के दस्तावेजों में सिमटकर रह जाए।

मान्यवर, एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है। उसके अंदर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा पचास वर्षों का इतिहास रहा है, वह संघर्ष का इतिहास रहा है, आजादी का इतिहास रहा है। उसे कुछ पत्रों में समेटकर हम देश के सामने तो नहीं रख सकते हैं लेकिन फिर भी लोक सभा सचिवालय का एक अच्छा प्रयास रहा है। लेकिन उन प्रयासों में भी कुछ त्रुटियां हुई हैं। मैं माननीय बरनाला जी से बिल्कुल सहमत हूं कि आतंकवादी या देशद्रोही जाति से नहीं होता है। कोई भी देशद्राही या आतंकवादी हो सकता है। उनको सिख मिलिटेंट कहने से उनकी भावनाओं पर जो चोट लगी है, उससे मैं सहमत हूं लेकिन मैं जानता हूं कि यह जानबूझकर की गई गलती नहीं है। स्वाभाविक स्तर पर यह नाम आ गया है। इस देश की मानव संसाधन विकास की स्थिति पर इस पुस्तिका में प्रारंभ में पंडित नेहरू जी का एक उल्लेख है:

[अनुवाद]

"हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा प्रत्येक आंख के प्रत्येक आँसू को पोंछने की है। यह हमारे लिए कठिन हो सकता है लेकिन जब तक यह दुख और आंसू मौजूद हैं, हमारा कार्य पूरा नहीं होगा।"

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि यहां उद्धृत इस महानतम व्यक्ति का संबंध महात्मा गांधी जी से था। क्या आज सभी आंसू पुछ गए हैं? क्या हमारा उद्देश्य पचास साल के बाद पूरा हो गया? आज इसको देखने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि जब हम इस पर विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि अभी हम लोक तंत्र का, आजादी के मायने नहीं समझ पाए हैं। आजादी का अर्थ बराबरी होता है। आजादी का अर्थ देश की सम्पत्ति में बराबरी, साझेदारी, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य के लिए दवाओं की उपलब्धता, देश के अर्थतंत्र में बराबरी, साझेदारी, ममता भरी समता और अपनी संस्कृति और राष्ट्र पर गौरव और राष्ट्र स्वाभिमान, यह आजादी की परिभाषा उन भूखे, नंगे और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के गले नहीं उतर रही है। अगर यह सदन इसी दिशा में कदम बढ़ाता है तो भी हम समझते हैं कि इस चार दिन की बहस का कोई अर्थ होगा, कुछ मायने होंगे।

आत्म-स्वाभिमान कहां से आएगा? यह अच्छी भावनाओं से नहीं आएगा, अच्छी टैक्नॉलोजी से भी नहीं आएगा। जब तक इस देश की अधिकांश आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और इस गरीबी रेखा की भी परिभाषाएं अलग-अलग है। अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग परिभाषाएं हैं और हमारे देश में समय-समय पर इसकी परिभाषा जो हम लोगों ने तय की है, उसके अनुसार हम यह मानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं जिनकी आबादी लगभग 330 मिलियन है। यदि हम पूरी आबादी 80 करोड़ मान लें तो उसमें से 32 करोड़ आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है।

अपराह्न 5.23 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

इसकी आबादी का अगर हम प्रतिशत लें तो 36 प्रतिशत आता है।

उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, आज आबादी के मामले में इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और भौगोलिक स्थिति के मायने में मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा भू-भाग है। लेकिन आबादी उत्तर प्रदेश के पास ज्यादा है। आज 1993-94 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गरीबी लगभग 41 प्रतिशत है।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): कितनी आबादी है?

श्री सत्यदेव सिंह: वहां लगभग 13 करोड़ है। आबादी लगातार बढ़ रही है। देश की आबादी दो प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ती है। 18 मिलियन लोग प्रतिवर्ष हमारी आबादी में जुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश इसमें कम योगदान नहीं कर रहा है। यह मैं कल्पनाथ रायजी, आपको विश्वास दिलाता हूं।

इस देश के अंदर अनेकों गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का परिणाम यह है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस समय आप 11 मिनट बोल चुके हैं।

श्री सत्यदेव सिंह: अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत अधिक समय लिया है। मैं समझता हूं कि यह मेरे साथ अन्याय है ...*(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): भा.ज.पा. के लिए 7 घंटे और 32 मिनट का समय दिया गया; कांग्रेस के लिए 5 घंटे और 7 मिनट

का समय दिया गया है। हमने एक घंटे का भी समय नहीं लिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारा विचार सभी राजनैतिक दलों से अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर प्रदान करने का है। हमारा विचार सभी को अवसर प्रदान करने का है।

श्री सत्यदेव सिंह: यहां तक हमारे नेता भी बहुत थोड़े समय के लिए बोले हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे खुशी है कि सभी इस विषय पर बोलना चाहते हैं। लेकिन हमें समय बांटकर चलना है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह: आजादी की लड़ाई में भी प्रमुख हिस्सा गरीबी उन्मूलन का रहा है। आजादी की लड़ाई के पहले और आजाद होने के बाद भी हम गरीबी से लड़ने के संकल्प दोहराते रहे हैं और कार्यक्रम बनाते रहे हैं। आज स्थिति यह है कि हमारे संविधान के अन्दर इन गरीबों के बारे में बहुत चिन्ता की गई है। धारा 29 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए उपयुक्त जीविकोपार्जन के उपाय करे। धारा 41 में काम के अधिकार को राज्य सुरक्षित करे। बेरोजगारी, लाचारी में सरकार सहायक बने। धारा 43 में राज्य से अपेक्षा रहती है कि वह अपने सभी नागरिकों को रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु उपयुक्त वेतन तथा सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराए। ये सारी बातें हमारे संविधान निर्माताओं ने कही है, लेकिन आज चिन्ता कुछ लोगों के लिए हो रही है। बार-बार नाम लिया जा रहा है, 95 प्रतिशत आबादी का, लेकिन जो व्यवस्था यहां दी जा रही है, जो चर्चा हो रही है, वह उन्हीं पांच प्रतिशत लोगों को छुएगी, जिनके पास सब कुछ है। जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए कोई भी चर्चा इस सदन में करने के लिए तैयार नहीं है। महोदय, आपके भाषण का लिखित रूप हम लोगों को मिला है। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि वेतन आयोग में बहुत विसंगतियां हैं। पहले तो लोगों को वेतन ठीक से मिलता नहीं है और महंगाई तथा आवश्यकता के हिसाब से किसी को वेतन नहीं मिल रहा है। जहां तक बोनस की बात है, तो बोनस बेमानी है, क्योंकि जब आप वेतन तो देते नहीं है, तो बोनस कहां से देंगे। आपने अपने ही भाषण में कहा है कि 17 मंत्रालयों के जो उपक्रम चल रहे हैं, उनमें 31 जुलाई, 1997 तक 650 करोड़ रुपया बकाया है। यह स्थिति बरदाश्त करने के लायक नहीं है। स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। आप स्वयं लेबर मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए आपकी पीड़ा इन लाइनों में व्यक्त हुई है। लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार के काम करने से हम देश में किसका भला करना चाहते हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम, गरीबी हटाओ के नारे और हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। इस उपक्रम को करने के लिए बड़े जोर-शोर से चर्चा हुई। पिछली बार ग्लोबलाइजेशन और लिब्रलाइजेशन इकोनोमी का नारा दिया गया, तो हमने एक नई थ्योरी ट्रिकलडाउन को स्वीकार किया। व्यवस्था बनेगी, अच्छी बनेगी, बड़े उद्योग चलेंगे, मोटरें, कारें और सड़कें होंगी और इसका स्वाभाविक परिणाम धीरे-धीरे गरीबों तक जाएगा। ये लोग 50 वर्षों से हम लोगों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, लेकिन आज तक उनके पास कुछ नहीं पहुंचा। जो पहुंचाने की व्यवस्था होती है, तो अनेक उपक्रम करने के बाद भी गरीबी बढ़ी है, गरीब बढ़े हैं। अमीरी और गरीबी का अंतर कम नहीं हुआ है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है।

महोदय, थोड़ी देर पहले हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष जी बोल रहे थे और मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बहुत लम्बी बातें रखी हैं और कहा कि जितनी ज्यादा तकनीक होती है, जैसे जापान बहुत घनी आबादी वाला देश है, तो वहां उतने ही ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। अगर आबादी के हिसाब से रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगते, तो सन् 2000 तक हमारा देश प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगा और हम समझते हैं कि हमारी सरकार को किसी प्रकार की स्थिति से चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। अपने आप बढ़ती आबादी को रोजगार मिलने लगेगा। रोजगार और बढ़ती हुई आबादी एक दूसरे के पूरक हैं और गरीबी इसमें से निकली है। यह काम इतना सरल नहीं हैं। हर हाथ को रोजगार और हर खेत को पानी देना आसान नहीं है। यह संकल्प हम लोग बहुत पहले लेकर चले थे, लेकिन इस दिशा में कदम बहुत कम बढ़ पाए।

आज भी उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और इस नई अर्थव्यवस्था से पिछले पांच वर्षों में अर्थ तन्त्र कुछ लोगों के हाथ में बहुत तेजी से सिमट कर रह गया है। क्या हम लोग इस सत्र में इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे? गरीब और गरीबी की बात हम लोग कह रहे हैं, लेकिन इस सत्ता की दौड़ में, इस मैटीरियलिज्म के युग में मैं महात्मा गांधीजी को कोट करना चाहता हूं:—

> ''पृथ्वी पर सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन वह एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है।''

आज इन परिस्थितियों में हम चल रहे हैं। सदन में भूमि सुधार की बहुत बातें हुई हैं। इस देश में भूमि पर आधारित अर्थ-व्यवस्था रही है। अब भूमि बांटने की स्थिति नहीं रह गई है। जब यह स्थिति है, तो हम उन लोगों को कैसे देख पायेंगे, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं। हम हरितक्रान्ति की बात भी कहते हैं।

आज हम बड़े जोर से इस बात को कह रहे हैं कि हम पीएल 480 का जो गेहूं लाते थे, अनाज इम्पोर्ट करते थे उसमें आज हम सेल्फ

सफिशियेंट हैं। इसके लिए हमें किसानों को धन्यवाद देना पड़ेगा और विशेषरूप से उन भूमिहीन किसानों को देना पड़ेगा जिनके पास जमीन नहीं है, जो इस खेत की छाती चीर-चीर कर इस भारत को उन्नतशील बना रहे हैं। उन कृषि वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना पड़ेगा जिन्होंने अपने परिश्रम से, मेहनत से आज उन्नतशील बीज से, जो हमारे भारत की जमीन के लिए उपयोगी हैं उनको देने का उन्होंने काम किया है। मैं माननीय कल्पनाथ जी का आभारी हूं कि वे मेरी बीच-बीच में सहायता कर रहे हैं। एनवल ल्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 को मैं उद्धृत करना चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत सारी बातें हो रही हैं, विदेश से पूंजी आए, विदेश से व्यवस्था आए, विदेश से टैक्नोलॉजी आए। इस रिपोर्ट में कहा गया है—

[अनुवाद]

"जब तक विश्व की अर्थव्यवस्था को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित नहीं बनाया जाता, गरीब देश और गरीब लोग अधिक से अधिक दर-किनार होते जायेंगे।

व्यापार की असमान परिसम्पत्तियों, श्रम और वित्त से विकासशील देशों को होने वाली वार्षिक हानि 500 बिलियन डालर अनुमानित की गई है। यह विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता की दस गुनी है।" यही स्थिति हमारी है।

[हिन्दी]

यह आज हमारे विश्व का सीन है। माननीय चन्द्रशेखर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो न्यूयार्क में पारलैंस में रहने वाले हैं उस देश के एक करोड़ दस लाख लोग भीख मांगना बंद नहीं कर सकते। उनको व्यवस्था नहीं दे सकते, उनका ठीक प्रकार से रहन-सहन ऊंचा नहीं कर सकते, ये हमारे देश की 39-40 प्रतिशत आबादी को ठीक करने के लिए यहां नहीं आएंगे। इसलिए हमें अपना आत्मबल जगाना होगा। हमें अपना आत्मचिन्तन करना पड़ेगा, हमें रिट्रोस्पेक्शन में जाना पड़ेगा।

महोदय, आज देश में 40 से ज्यादा पावर्टी एलियिएशन प्रोग्राम चल रहे हैं। जिले-जिले में डी.आर.डी.ए. बना हुआ है, लेकिन इसका लाभ किस को जा रहा है? बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं जो विभिन्न स्तरों पर फाइनेंसेस कर रहे हैं। लेकिन यह सारा फाइनेंस बिचौलियों के बीच में जा रहा है। क्या हमने बिचौलियों को समाप्त करने की बात की है? केन्द्र सरकार में जब भी केन्द्रीय योजनाओं की चर्चा होती है तो बार-बार यहां के मंत्री बड़े जोर से खड़े होकर कहते हैं कि हम तो प्रांतों को रुपया भेज देते हैं, हमसे कुछ लेना-देना नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम मोनिटरिंग नहीं कर सकते, यह जिम्मेदारी स्टेट की है। पैसा देने की जिम्मेदारी आपकी है तो क्या मोनिटरिंग करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, गरीबी खत्म हो रही है या बढ़ रही है इसको देखने की जिम्मेदारी क्या यह सदन नहीं लेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी देर में समाप्त कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के 24 माननीय सदस्यों की सूची है, जो बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह: महोदय, गरीबी से जुड़ी हुई चीज है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप दूसरे माननीय सदस्य हैं।

श्री सत्यदेव सिंह: मैं विषय तक सीमित रहूँगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों को मौका देना चाहता हूँ।

श्री सत्यदेव सिंह: मैं आपकी कृपादृष्टि चाहता हूं। मैं अपने दल द्वारा मुझे सौंपे गए विषय पर ही बोल रहा हूँ। मैं बहुत विस्तार में नहीं बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम है। मेरा कहना यह है कि मुझे भा.ज.पा. के 24 माननीय सदस्यों के नामों की सूची प्राप्त हुई है जो बोलना चाहते हैं। आप भा.ज.पा. के बोलने वाले मात्र दूसरे माननीय सदस्य हैं।

श्री सत्यदेव सिंह: जी हां, मैं भी इससे सहमत हूं लेकिन यह मेरा दोष नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं। इसमें किसी का दोष नहीं है। यह समय का दोष है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह: महोदय, अभी पाटील जी स्पेस में थे, मैं भी टाइम में नहीं आया हूं। *...(व्यवधान)* वह स्पेस की बात कर रहे थे।

मान्यवर, मेरा गरीबी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है और वह शिक्षा का है। आज देश की क्या स्थिति है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट

पॉलिसी में धारा 45 को हम बार-बार उद्धृत करते हैं। धारा 45 यह कहती है—

[अनुवाद]

"राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगी।" अब 50 वर्ष बीत गए हैं।

[हिन्दी]

मान्यवर, यहीं तक नहीं रह गया, सन् 1990 में आचार्य रामामूर्ति की कमेटी बनी। उन्होंने पहली बार माना कि यह प्राइमरी एजूकेशन को, शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल करना चाहिए। अब इस सरकार का और इस पार्लियामेंट का एहसान नहीं रह गया है। अभी इस देश में संयुक्त राष्ट्र का एक दस्तावेज प्रकाशित हुआ है और वह दस्तावेज बच्चों के अधिकारों के बारे में था कि बच्चों के अधिकारों में यह देश सिगनेटरी है। उसमें क्या कहा गया, उसमें भी यही है कि कम्प्लसरी एजूकेशन को शिक्षित करने की जिम्मेदारी राष्ट्र की बनती है, इस बात को आपने अंतरराष्ट्रीय फोरम पर स्वीकार किया है। श्री जे. पी. कृष्णामूर्ति आंध्र प्रदेश राज्य से थे इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में सन् 1993 में हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 वर्ष तक इस शिक्षा को मौलिक अधिकार माना जाए। राज्य सभा में बिल भी पड़ा हुआ है, वह इस सदन में कब पास किया जाएगा। जब तक आप अपने लोगों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, आप उनको पढ़ा-लिखा नहीं पाएंगे तब तक उनके अधिकारों को पाने की उनकी जो लालसा है, आजादी का जो अर्थ है वह उनके मन में नहीं जाएगा। वे हीनता की भावना से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आत्मविश्वास, जो इस देश का मूलभूत मंत्र है, जो इस देश को आगे ले जाने में सबसे बड़ा सहायक है, आज उस आत्मविश्वास के सृजन का हम कुछ नहीं करने वाले हैं।

और इन सारे आंकड़ों से पेट नहीं भर सकता है। सरकारी आंकड़े कितना भी कह दें कि गरीबी उन्मूलन हो गयी, हम विकास कर रहे हैं। हमारे पास तेज रफ्तार की गाड़ियां आ रही हैं, बड़े-बड़े जहाज हम ले रहे हैं। यह केवल पांच प्रतिशत लोगों की सुविधा के लिए होगा। लेकिन 95 प्रतिशत लोगों के लिए क्या है? सभी जानते हैं कि यह देश गांव में बसता है। उन लोगों के चेहरों पर गरीबी के कितने धब्बे हैं, उनके चेहरे गरीबी से कितने झुलसे हैं, उनको देखने का काम हम नहीं कर पाते हैं। हमने अपने आप को यहां बैठा रखा है।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजूकेशन ने यह बात कह दी कि प्राइमरी एजूकेशन को कंप्लसरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। सन् 1968 में जो एजूकेशन पॉलिसी स्वीकार की और उसके बाद सन् 1986 में हमने उसमें अमेंडमेंट किया और इसमें भी हम आर्टिकल 45 को भूल गये कि 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कम्प्लसरी और फ्री एजूकेशन होगी। इसके बाद कुछ करना हमने इसमें स्वीकार नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज बच्चों की कैसी दुर्दशा हो रही है। आज 4-6-10 वर्ष की आयु के 105 मिलियन बच्चों में से 33 मिलियन बच्चे ड्रॉप-आउट हो जाते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं और काम में लग जाते हैं। उनका बचपन अंधकारमय हो जाता है। उनके बचपन को इस अंधकार से बाहर लाने के लिए शासन के पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। संविधान की बात करना तो हम अब छोड़ दें। मेरा मानना है कि ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट के ऊपर आज सबसे कम खर्च हो रहा है। मेरा मानना है कि कम से कम इस पर आठ प्रतिशत खर्च करने का विधान होना चाहिए और पांच प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा के लिए होना चाहिए। राज्य सरकारों को भी कहना पड़ेगा कि यह कम्प्लसरी फ्री एजूकेशन के लिए है क्योंकि यह शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में हैं, इसलिए वहां भी कानून बने।

मान्यवर, शिक्षा के बाद रोजगारी का सवाल आता है। बेरोजगारी आज विश्व-स्तर की समस्या है। यह ठीक है कि वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान बढ़ने, और आबादी बढ़ने के साथ-साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आज प्लॉनिंग कमीशन ने माना है कि भारत में कुल आबादी का 37.4 प्रतिशत लेबर-फोर्स है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने इसे स्वीकार किया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में आंकड़े सन् 1952-57 के बीच के हैं। लाइव-रजिस्टर ऑफ एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में बेरोजगारों की संख्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में 23 मिलियन थी जो अब 58 मिलियन पर पहुंच गयी है। मैं सदन में जब इस बेरोजगारी की चर्चा कर रहा हूं तो मैं यह मानता हूं कि यह फिगर्स अब और बढ़ चुकी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज हम सरकारी क्षेत्रों में, सहकारी क्षेत्रों में, प्राइवेट और पब्लिक एंटप्राइजिज में रोजगार कम करते जा रहे हैं। यह बात हमें आंकड़े बता रहे हैं। जहां सन् 1981 में 9 लाख लोगों को रोजगार मिलता था वहीं वह घटकर सन् 1991 में चार लाख और सन् 1994 में तीन लाख हो गया है।

मैं सदन से एक अपील करना चाहता हूं। गरीबी की मार इतनी भयंकर है कि आज देश में 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल की बच्चियां वेश्यावृत्ति में झोंकी जा रही हैं। अशिक्षा और बेरोजगारी आज इन छोटी-छोटी बच्चियों को इस अंधेरे में, इस पाप में धकेल रही है और हम इसे चुपचाप देख रहे हैं। आजादी के 50 वर्षों के बाद भी इनकी तरफ हमारी नजर नहीं जाती है। इस भयंकर कोढ़ को दूर करने का काम हम नहीं करते हैं। इस पर हम विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वह कौन सा दिन होगा जब भारत इस पाप से अपने को बाहर निकाल पाएगा। यहां महिलाओं का सम्मान है।

हम झांसी की रानी का नाम लेते हैं, हम नवदुर्गा की प्रतिष्ठा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आज उस देश के अंदर 6-8-14 साल की बच्चियां वेश्यावृत्ति में जाएं और लोग उनसे मुंह-काला करें, तो इससे बड़ी शर्म और बेगैरत की बात कुछ नहीं हो सकती। आज सदन को इस पर विचार करना चाहिए। आबादी का पक्ष गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आज हमारे देश के अंदर आबादी बढ़ती जा रही है। हम सौ वर्ष पहले 25 करोड़ थे। सन् 1951 में 35 करोड़, सन् 1991 में 80 करोड़ और सन् दो हजार में आशा है कि हम 100 करोड़ से ऊपर चले जाएंगे।

हमने मृत्यु पर भी थोड़ी सी विजय पाई है। हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बुजुर्गों का बनता जा रहा है। आबादी के नियंत्रण पर बड़ा हल्ला मचा। एक माननीय सदस्य ने एक पत्र का जिक्र किया है। आबादी पर नियंत्रण आप सरकार की इच्छा-शक्ति पर भी कर पाएंगे। आखिर इस देश की आवश्यकता के अनुसार ही तो आप करेंगे।

अगर इस देश की आवश्यकता के अनुसार करेंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सत्यदेव सिंह जी, कृपया समाप्त करें।

श्री सत्यदेव सिंह: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय: आप 26 मिनट ले चुके हैं।

श्री सत्यदेव सिंह: मैं चार मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं।

[हिन्दी]

इसमें राजनीति और धर्म आ रहा है। वोट की राजनीति के सहारे फैमिली प्लानिंग के बारे में अपनी दृष्टि को सीमित कर लिया जाता है। इसका परिणाम देश भुगतता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 18 लाख की आबादी बढ़ती जा रही है। जैसे शुतुर्मुर्ग बालू में गर्दन डाल लेता है और सोचता है कि मुसीबत चली जाएगी, इसी प्रकार हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में हर बार चर्चा करते हैं और शान्त हो जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीबी गांवों में है। गांव का आदमी जब तक भूखा, नंगा और लाचार रहेगा वह फैमिली प्लानिंग नहीं करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे गरीबों के घर में पैदा होते हैं। उनके छः बच्चों में से एक बच्चा बचता है। उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। गांव का गरीब चाहता है कि उसका एक बेटा हो जाए जो कम से कम बुढ़ापे में उसे रोटी दे। जब उसकी शक्ति चली जाएगी, नेत्र देखने से बेकार हो जाएंगे, उस समय लड़का उसका सहारा बनेगा। इस लाचारी के लिए वह बच्चे ज्यादा पैदा करता है। आप जब तक गांवों के जीवन स्तर को नहीं उठाएंगे, गरीबी और आबादी एक दूसरे से जुड़े प्रश्न हैं, वह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तब तक हम इस पर नियंत्रण नहीं पा सकेंगे। आज सभी देशों के पास अच्छे-अच्छे हथियार हैं। सेनाओं की साज-सज्जा पर देश और दुनिया को समाप्त करने के लिए प्रतिवर्ष हथियारों की होड़ में सभी देशों द्वारा कुल मिलाकर 450 बिलियन डालर खर्च किये जा रहे हैं।

यह हो रहा है लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। यह इतिहास बताता है कि मनुष्य के विकास पर धन लगाया जाता है तो विकास की गति अपने आप तेज होती है।

मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं। हम यहां चार दिन के लिए बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय की यह इच्छा थी कि सदन से कोई भावना निकले। मूलभूत समस्याओं पर, इन्सान की तकलीफों पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर इस तरह का कोई भाव निकले, कोई एक कार्यक्रम बने, आम सहमति से बने। आज सरकार का कोई पक्ष नहीं है कोई विपक्ष का पक्ष नहीं है।

4 फरवरी 1968 को बरेली में हमारे मार्गदर्शक और महामानव के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनका यानी पंडित दीन दयाल जी ने जो अंतिम भाषण कार्यकर्त्ताओं के बीच दिया था, मैं आज वही संदेश देना चाहता हूं। आप उसे ध्यान से सुनें। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं:

> ''सच बात यह है कि देश के लिए सदैव कुछ भी करने को हम तत्पर हो सकें, यह बात सहज साध्य नहीं। इसके लिए मन पर सतत् संस्कार पड़ने की आवश्यकता है। चार लोग मिल कर एक निर्णय से कार्य करें यह बात सहज साध्य नहीं। इसके लिए संस्कार, शिक्षण व आदत की जरूरत होगी। यदि राष्ट्र भाव सामने रहेगा तो हम सब मिल कर काम कर सकेंगे।''

मैं इस सदन में आपके माध्यम से इसी राष्ट्र भाव को, इसी आत्म-स्वाभिमान को जागृत करके इस विशेष सत्र में यह आह्वान करता हूं। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने नहीं दिया है। आपने लिया है।

[अनुवाद]

क्या मैं आप सबसे अनुरोध कर सकता हूं? जो भी समय उपलब्ध है उसे आपस में बांटकर अपनी बात कहें। सभी बोलना चाहते हैं। दस मिनट का समय काफी होता है। विपक्ष के नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने प्रस्ताव रखा था, उन्होंने ठीक 29 मिनट लिए हैं। इन 29 मिनटों में उन्होंने सभी कुछ राष्ट्र के समक्ष कह दिया है। अन्य 30 मिनट से 1 घंटे तक का समय ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका सहयोग चाहता हूं। अब श्री कमरुल इस्लाम आप ठीक 10 मिनट का समय ही लीजिएगा।

...(व्यवधान)

श्री सौम्य रंजन (भुवनेश्वर): महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सदस्य अपना भाषण समय पर समाप्त करे और सभी को बोलने का अवसर मिले तो कृपया दूरदर्शन से रिले बंद करवा दीजिए। आप देखेंगे कि भाषण संक्षिप्त हो जाएंगे। आप स्थिति पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो पाएंगे।

श्री कमरुल इस्लाम: यह बात नहीं है।

श्री सौम्य रंजन: मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ *...(व्यवधान)* मैं पिछले ग्यारह महीनों में पहली बार बोल रहा हूँ। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें अधिक समय खराब नहीं करना चाहिए।

श्री कमरुल इस्लाम

[हिन्दी]

श्री कमरुल इस्लाम (गुलबर्गा): स्पीकर साहब, मुझे खुशी है कि आपने आजादी के पचासवें जश्न के सिलसिले में यह स्पेशल सेशन बुलाया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आज तीन दिन के इंतजार के बाद बोलने का मौका दिया। मैं समझता हूं कि यह समय बहुत ही कीमती है और इसका मुझे सही ढंग से उपयोग करना चाहिए।

यहां पर मैं उन इश्यूज पर नहीं जाऊंगा जिन पर चर्चा हो चुकी है। यह देश जब आजाद हुआ, उसके साथ ही इस देश का विभाजन भी हुआ। लेकिन क्या वजह है कि इस देश में करोड़ों की जनसंख्या में रहने वाली अकलियात बाजू में इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान में नहीं गई बल्कि यहीं पर मरना-जीना और रहना सीखी। इसकी वजह यह है कि इस देश में जो दस्तूर, जो प्रिएम्बल बना, उसकी बुनियाद सेक्यूलरिज्म थी, उसकी बुनियाद जम्हूरियत थी, उसकी बुनियाद सोशलिस्ट पैटर्न थी। हम समझते थे कि यह जो देश का दस्तूर बन रहा है, इसमें हम एक हिन्दुस्तानी के नाते अपनी आजादी-ए-मजहब के साथ जी सकते हैं, हमें भी ईक्वल अपौर्चुनिटी, ईक्वल राइट्स मिले हैं। जब हम प्रिएम्बल पर देखते हैं और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पर देखते हैं तो हमें खुशी होती है जब हम आर्टिकल 25 को पढ़ते हैं कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को अपने मजहब की आजादी है, किसी भी मजहब को चॉयस करने की, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट करने की आजादी है।

जब कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में दस्तूर बन रहा था तब मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि वहां पर एक चीज ऐसी लाद दी गई और वह थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 को जोड़ दिया गया और उसमें कहा गया कि एक कामन सिविल कोड भी होगा। इस देश में इस पर बहुत बहस हुई है। मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि एक साल से ज्यादा समय से कई प्राइवेट मेम्बर्स बिल इस पर आए और कुछ सदस्यों ने कॉमन सिविल कोड की बात की। तब सभी पार्टियों के लोगों ने कहा कि इस देश की एकता और अखंडता कॉमन सिविल कोड में नहीं है, बल्कि इस देश की एकता और अखंडता उन रसूमात को बरकरार रखने में है जिनको उन मजहब के मानने वालों को इजाजत मिलती है।

[अनुवाद]

यहां ईश्वर प्रदत्त कानून को मानने वाले मौजूद हैं। यहाँ वर्ण व्यवस्था के अनुयायी हैं। यहां मैं एक सुझाव देना चाहूंगा।

[हिन्दी]

आर्टिकल 44 एक लटकती हुई तलवार है। उस कौमन सिविल कोड की तलवार को आप डिलीट कर दें। इसलिए कि कोई मुसलमान जो शरियत पर ईमान रखता है, कोई हिन्दू या कोई जैन मत के मानने वाले या बुद्ध मत के मानने वाले, शिव के मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, वीर शैव के मानने वालों के दिलों को ऐसे किसी कामन सिविल कोड की बहस से दुख पहुंचता है। हमारा दिल डोलता है कि इस धरती में जिसमें हम पैदा हुए हैं और जिसमें हम मरेंगे और जिसकी आजादी के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी, क्या उन कुर्बानियों के बाद हम अपने मजहब की आजादी के साथ जी सकते हैं? वह दस्तूर जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 इजाजत देता है, हम उस पर कायम रह सकते हैं या नहीं? वह हमें मशकूक कर देता है इसलिए इस स्पेशल सेशन में उस आर्टिकल 44 को डिलीट किया जाए।

फसादात का जिक्र भी यहां हुआ। इस देश में जहां हमने आजादी की पचास साल तारीख की महासभा की, इस देश के रिकार्ड गवाह हैं कि यहां पर एक-दो नहीं, 20,000 से ज्यादा फसादात हुए। हिन्दू-मुसलमान के दरम्यान हुए, हिन्दू-सिख के दरम्यान हुए और दलित-हिन्दू के दरम्यान हुए और आपस में शिया-सुन्नी में भी फसादात हुए। यह जो फैसला हुआ, आखिर इसकी बुनियाद क्या है? पंडित जवाहर

लाल नेहरू हिन्दुस्तान के सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर थे। जब वह चलते थे तो महसूस होता था कि हिन्दुस्तान चल रहा है। जब वह बोलते थे तो महसूस होता था कि सारा हिन्दुस्तान बोल रहा है। उस प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। और जिस डैमोक्रेटिक सैक्यूलर कंट्री में माइनौरिटी अपने आपको सेक्योर फील नहीं करती, माइनौरिटी की भलाई और उसकी तरक्की नहीं होती, वह देश सोशली, एजुकेशनली और इकोनोमिकली प्रौसपेरस नहीं हो सकता। यही वजह है कि माइनौरिटीज के लिए आर्टिकल 30-31 में गुंजाइश रखी गई कि वह अपने इंस्टीट्यूशन्स खुद एस्टैबलिश करे, खुद लोगों को एकजुट करें। अगर आप इकोनोमिकली परकैपिटा इनकम लेंगे तो जो एवरेज परकैपिटा इनकम है उससे भी कम परकैपिटा इनकम दलितों और मुसलमानों की है जो बराबर है।

यहां पर बैठने वाले लोगों के द्वारा कई बातें कही गई हैं। सिंधिया जी ने भी कही थी। माइनोरिटीज, 15 प्वाइंट प्रोग्राम और 20 प्वाइंट प्रोग्राम पर और फसादाद पर लम्बी-लम्बी बहसें हुईं। रेपिड एक्शन और पुलिस की भर्ती के बारे में भी कहा गया। लेकिन सवाल यह है कि जो बातें कही गई हैं उस पर अमल किया गया है या नहीं। अगर अमल किया जाता तो आज स्थिति वह नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं बड़े एहतराम के साथ हमारे अपोजीशन के लीडर श्री वाजपेयी ने एक बात कही थी कि माफी मांगने से कुछ नहीं होता। इमरजेंसी का उन्होंने रेफरेंस दिया था। मैं यहां पर चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी का हूं इसलिए मुसलमानों को खुश करने की कोई बात नहीं कर रहा हूं। यानी मैं किसी हिंदू भाई या सिख भाई का दिल दुखाना नहीं चाहता हूं। पिछले पचास सालों में जैसा कि मिश्रा जी ने कहा था कि हम आज पूरे वर्ल्ड में यह कहने जा रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ने कुछ दिया है तो यहां की डेमोक्रेसी को और यहां की जम्हूरियत को मजबूत किया है और यह लोकतंत्र जो हमने दिया है, इसको मजबूत किया है। यहां पर कुछ चीजें हुई हैं जिसका जिक्र बरनाला जी ने किया, ब्लू स्टार आपरेशन हुआ है, यहां पर बाबरी मस्जिद या उसके स्ट्रक्चर कहिये, डिस्प्यूटिड स्ट्रक्चर कहिये, वह भी शहीद हुआ है और ऐसे मौके पर अगर हम अपनी गलतियों का अजाला कर लें और हम यह महसूस करें तो इससे हम छोटे नहीं हो जाते हैं कि यह गलती हुई है कि जज्बात से इमोशनल होकर एक जमे गफीर गया और फिर अगर उसने मस्जिद को तोड़ा है या स्ट्रक्चर को तोड़ा है। उस अदालत में कानून ने उसका एहतराम नहीं किया है तो उससे आने वाली नस्लें यह कहेंगी कि जम्हूरियत जिसकी बुनियाद पर हम लड़ रहे हैं उसकी शान और उसकी आन और शान में कहीं कोई कमी न आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो स्ट्रक्चर है उसको वैसा ही बना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट जो हिन्दुस्तान की अदालते-आलिया है, फैसला करे। अगर वह यह कहे कि यह डिस्प्यूटिड स्ट्रक्चर मस्जिद नहीं थी तो हम अपने हाथों से तोड़ लेते हैं, तो कोई बात नहीं है। इसलिए कि हम अदालत के आदेश की बुनियाद पर और हिंदुस्तान में जो जूडिशियरी है, उसके फैसले की बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, आपस में हैं भाई-भाई। यह हम कहते हैं। लेकिन मैं जरा इसे बदलकर यूं कहूंगा, क्योंकि यह स्पेशल सैशन हो रहा है, यह गौर-ओ-फिक्र करने के लिए हो रहा है, यह सोच के लिए हो रहा है।

हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई,
सब हैं साथी, सब हैं भाई,
आये कहां से जुल्म के खंजर,
मैं भी सोचूं, तू भी सोच,
शहरे वफा में आग लगी है,
जलती हुई वह लाश पड़ी है,
किसने दिखलाया है यह मंजर,
मैं भी सोचूं, तू भी सोच।

यह जो पचास साला तारीख है जिसका हम मुहासबा कर रहे हैं और जिसके ऊपर गौर-ओ-फिक्र करने के लिए आज बैठे हैं, यहां पर सोचना है कि अगर हम अपनी उन गलतियों का अजाला कर लें तो यकीन मानिये। मैं समझता हूं कि जब सौवां जश्न मनाया जायेगा तो आने वाली नस्लें हमें याद करेंगी। आज का एडवांस जमाना है, टी.वी. पर बैठकर और देखकर आने वाली नस्लें यह कहेंगी कि हमारे पुरखे थे, जिन्होंने महात्मा गांधी की बातों को थोड़ा बहुत नहीं मानकर जो गलतियां कर ली थीं, एक समय आया तो उन्होंने फिर से उन गलतियों को सही कर लिया है। वरना सारे लोग कहेंगे कि दिल जलता है। मैं उस कम्युनिटी का हूं, जिसने हजारों फसादात सहे हैं।

कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी,
खंजर आजाद हैं सीनों में उतरने के लिए,
मौत आजाद है लाशों पर गुजरने के लिए,

फिर सियासतदानों के ताल्लुक शायर कहता है:

ऐवाने अदालत में लगा लो लाशें,
गुलदाने सियासत में सजा लो लाशें,
चंद मिलों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर,
तुमने नामूसे शहीदाने वतन बेच दिया,
अरे बागवां बन के उठे और चमन बेच दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसी बात न हो, अब मैं जरा उस पर आ रहा हूं। यह सोच कि मैं माइनौरिटी का रिप्रजेंटेटिव हूं इसलिए मैंने यह बात कही है।

अध्यक्ष महोदय: आपका एक मिनट बाकी है।

श्री कमरुल इस्लाम: शरद जी ने जो बात कही कि यह हमारा देश है इसमें नदी पानी जिसकी बात उन्होंने कही, फिर हमारे पाटील साहब और श्री नरसिंहराव जी ने कहा। अध्यक्ष महोदय, हम साउथ के हैं, यहां नॉर्थ के लोग जहां गंगा बहती है, हिमालय से निकलती

है और जब धूप अपने शबाब पर होती है, गर्मी होती है तो बर्फ पिघलकर उस गंगा के पानी में तेजी से आती है। लेकिन हम जुनूब कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के रहने वाले हमारी नदियों के पानी में वह बहाव नहीं रहता। हमारी एक ख्वाहिश है जिसे मैं इस सदन के सामने कहता हूं कि अगर हम पानी की एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में जोड़ना चाहते हैं तो हिमालय से निकलने वाली तमाम नदियों का बहाव हमें साउथ की तरफ मोड़ना होगा, गंगा को कावेरी और कृष्णा से जोड़ना होगा तभी हम अपने मंसूबे में कामयाब होंगे कि कहीं फ्लड न आए, कहीं सूखा न पड़े। गंगा को कावेरी और कृष्णा से जोड़कर, पानी की ताकत का सही इस्तेमाल करके, हम देश को प्रौस्पर कर सकते हैं।

यहां सोलर एनर्जी की बात कही गई, विंड एनर्जी की बात कही गई, मैं उस पर पूरा यकीन रखता हूं। अगर हम डिटरमिनेशन के साथ उस पर अमल करें तो देश को यकीनन प्रौस्पर कर पाएंगे।

यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब भी इस सदन में इंटर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट की चर्चा होती है, नदियों पर जितने बांध बने हैं, कभी यहां कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा उठता है, कभी आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक का झगड़ा उठता है, इस मामले में हमारी नेशनल पालिसी है लेकिन मुझे शर्म आती है, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है कि आजादी के बाद आज तक इंटर-स्टेट डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए हम कोई गाइडलाइन नहीं बना पाए। हम गंगा को कावेरी से जोड़ने की बात करते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन आज तक कोई गाइडलाइन नहीं बना पाए। आज कई मामले अदालतों में पड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

मैं कर्नाटक राज्य से हूँ। वहाँ यह मामला विवादग्रस्त है। कोई न्यायालय इस मामले को नहीं सुलझा सकता। मैं जानता हूँ कि हम इसे मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटा सकते हैं। हमें एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारों को एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए।

[हिन्दी]

पूरे देश को ईक्वल जस्टिस मिले इसकी डिमांड मैं यहां करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

यहां प्राइस हाइक की बात की जा रही है। जितना ज्यादा कोस्टल एरिया हिन्दुस्तान में हैं और हम जानते हैं कि यदि आप अन्य परिवहन के साधनों से तुलना करें तो जल परिवहन सबसे सस्ता पड़ता है। इसलिए जब प्राइस-राइस की बात होती है, हमारे यहां अपनी जरूरत का 40 से 50 परसेंट पैट्रोल निकलता है, बाकी पैट्रोल हम बाहर से मंगाते हैं। हम जल परिवहन को विकसित क्यों नहीं करते जो कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? अगर हम अपने कोस्टल एरिया का इस्तेमाल करें, उन्हें डेवलप करके वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाए तो मैं समझता हूं कि प्राइस राइस से हम जितना घबरा रहे हैं, उसे बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है।

विरोधी दल के नेता ने यहां तीन सुझाव दिए। उनका पहला सुझाव था कि हम वैल में न जाएं, बहुत अच्छी बात है, असैम्बली में रहने के कारण हमारी कुछ आदत खराब हो गई है, आप बुजुर्ग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और इस सदन के सीनियर मैम्बर हैं, आपके सुझाव पर सभी ने वैलकम किया है और हम भी आपके तीनों सुझावों को मानते हैं कि हमें वैल में नहीं जाना चाहिए, क्वैश्चन ऑवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और प्रेजीडैन्शियल एड्रेस पर कुछ नहीं कहना चाहिए लेकिन इसके साथ मैं अपने एक-दो सुझाव ऐड करना चाहता हूं।

आजादी की 50वीं सालगिरह इस साल हम मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना जोश है, कितना जज्बा है और यहां कितने अच्छे डिस्कशन्स हो रहे हैं। कल बहस के बाद यहां जो फैसले लिए जाएंगे, उन पर कितना अमल हुआ है, उसे देखने के लिए, अगर हर साल 4-5 दिन का स्पेशल सैशन हम बुलाएं तो वह हमारे इंटरैस्ट में रहेगा एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं।

मेरा दूसरा सुझाव है कि हमने यहां ब्रिटिश पार्लियामेंटरी सिस्टम को एडौप्ट किया है, ब्रिटिश डैमोक्रेटिक सिस्टम को फालो किया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई मैम्बर अपनी बात कहना चाहे, वहां स्पीकर के बाजू में एक खाना बना होता है, वह अपनी बात वहां जाकर कह सकता है, उसी बात को वह हाउस में भी मैंशन कर दे, जिस तरह बहुत सी बातें कह दी जाती हैं, उन सबको पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बना लिया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारी बातें भी सरकार तक पहुंच जाएंगी, उन्हें प्रैस में भी दे दिया जाए ताकि जो मैम्बर अपनी बातें कहना चाहें, जैसे पेपर्स को टेबल पर ले करते हैं, उसी तरह से सबको मौका मिल जाए, मैम्बर्स ने जो बातें वहां कहीं हैं, उन्हें पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बना दिया जाए ताकि सभी मैम्बर्स की बातें रिकार्ड पर आ सकें।

अपराह्न 6.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, एक-दो बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। यूनिवर्सिटी आफ आर्टीजन्स की बात है जिसके लिए श्री शरद जी और बहुत से लोगों ने कहा है, उसकी तरफ गौर करें। इसके साथ-साथ जुडीशियल एक्टीविज्म यहां चल रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। जैसे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. और हमारी फारेन सर्विस है, उसी प्रकार से हमें अपने देश में एक जुडीशियल अपाइंटमेंट आफ जजेज भी बनानी चाहिए। जैसे हमारे यहां यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसी प्रकार से हम एक कमीशन बनाकर इंडियन जुडीशियल सर्विस (आई.जे.एस.) शुरू कर दें और इसका संविधान में भी बाजाप्ता उल्लेख किया गया है, तो यह जुडीशियल एक्टीविज्म नहीं रह सकता है। ये वही आई.ए.एस. और आई.पी.एस. आफीसर हैं। आज बड़े से बड़ा वकील भी जज बनने से घबड़ाता है। यह समस्या को प्रारंभिक अवस्था में दवा देने के समान है। 26, 27 और 28 साल में इस देश में अधिकांश बुद्धिजीवी न्यायिक सेवा में भी जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह एक सजैशन दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा सजैशन है।

श्री कमरुल इस्लाम: अध्यक्ष महोदय, यहां जो कुछ भी भुखमरी और गरीबी को दूर करने के लिए टाइम-बाउंड प्रोग्राम की बात कही गई है उसके साथ ही मैं अंत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं:

''फुटपाथ पर पड़ा था
वह भूख से मरा था
कपड़ा उठाकर देखा
पेट पर लिखा था
सारे जहां से अच्छा
हिन्दोस्तां हमारा''

श्री ई. अहमद

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): माननीय अध्यक्ष महोदय इस समय मुझे अपने विचार व्यक्त किये जाने की अनुमति दिये जाने पर मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। कृपया संबंधित विषय पर बोलिए।

श्री ई. अहमद: सबसे पहले इस देश की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान करने वाले देशवासियों के प्रति अपनी तथा अपने दल अर्थात् ''भारतीय मुस्लिम लीग'' की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संसद के इस विशेष सत्र में, हम सभी इस विषय पर चर्चा करते हुए एकत्र हुए हैं कि गत 50 वर्षों में क्या हुआ तथा आने वाले 50 वर्षों में हमें क्या करना होगा, मैं महात्मा गांधी के सपनों के भारत का उल्लेख करना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था:

''एक ऐसा भारत जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करे कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में भी उनकी आवाज प्रभावी है; एक ऐसा भारत जहां लोगों का कोई उच्च अथवा निम्न वर्ग नहीं होगा; एक ऐसा भारत जहां सभी समुदायों के लोग पूर्ण सद्भावना के साथ रहेंगे।''

संसद के इस विशेष सत्र में हमें यह सोचना होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के पश्चात् जब हम इसकी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, हमारी क्या उपलब्धि रही तथा हम भारत को इन 50 वर्षों के पश्चात् विश्व परिदृश्य में कहां देख रहे हैं। वस्तुत: देश ने अर्थव्यवस्था तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे अन्य क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। तथापि इसमें भी कुछ सच्चाई है कि इस देश में जो वास्तविक स्थिति है वह अत्युक्तिपूर्ण भाषणों से सामने नहीं आ सकती।

यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान भारत का आर्थिक विकास बढ़कर 6 अथवा 7 प्रतिशत हो गया है। यह सच है कि उदारीकरण की प्रक्रिया तथा ढांचागत सुधारों से एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है तथा अर्थव्यवस्था त्वरित विकास की ओर उन्मुख है। भारत ने गत 50 वर्षों के दौरान अभाव की व्यापक स्थिति के बावजूद भी काफी प्रगति की है।

तथापि, इस देश की गरीबी में निश्चित रूप से कमी आयी है। भारत ने गरीबी उन्मूलन में कुछ हद तक सफलता पायी है लेक्रिन इसमें इतनी कमी नहीं आयी है जैसाकि हमें अनुमान था।

हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जैसाकि गांधीजी ने कहा था, कि भारत की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। हमारी आबादी का सत्तर प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इसका बासठ प्रतिशत कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। यहां 5,70,000 गांव है। यदि हम इन गांवों में जाएं तो हम पायेंगे कि वहां कोई जल आपूर्ति योजनाएं, विद्युत, सड़क तथा उचित आवास योजना नहीं है। यह निर्विवाद सच है कि अभी भी हमारे ग्रामीण वासी ऐसे घरों में रह रहे हैं जहां उन्हें अपने सर को छिपाने की जगह नहीं है।

बीसवीं शताब्दी के अंत अथवा इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पाश्चात्य देशों में मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आवास में जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारे लाखों लोग इन घरों में रह रहे हैं। यह सच्चाई है।

ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति के एक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि 87 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार यदि किसी गांव की राजस्व सीमा के अंतर्गत एक विद्युत कनेक्शन है तो इसे विद्युतीकृत माना जायेगा। लेकिन घरेलू उपयोग की 31 प्रतिशत वस्तुओं को ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल पर निर्भर रहना पड़ता है।

सायं 6.07 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

महोदय, हमारी जलापूर्ति योजना क्या है? पैंतालीस प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम ऐसे भारत में जी रहे हैं। अत: हमें अपने ग्रामीण व्यक्तियों के लिए एक नया नारा देना होगा। हम **रोटी, कपड़ा और मकान** जैसे नारे देते रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इसे बदलकर **पानी, बिजली और मकान** कर दिया जाए। लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध नहीं है। गांवों में लोगों के लिए विद्युत तथा आवास नहीं है। अत: जब तक हम स्थिति को नहीं बदलते हैं तब तक यह कहना अर्थहीन होगा कि भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है। लेकिन ये ऐसे कारण हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते।

मुझे समय सीमा की जानकारी है अत: मैं इसी में रहना चाहूंगा तथा मैं इस सदन का और अधिक अति बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। तथापि मैं एक महत्वपूर्ण विषय अर्थात् इस देश की एकता और अखंडता के प्रति प्रत्येक भारतीय की प्रतिबद्धता का उल्लेख करना चाहूंगा। अल्पसंख्यक समिति का सदस्य होने के नाते मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि जब तक प्रत्येक नागरिक को देश के कार्यों में उचित भागीदारी नहीं दी जाती है तब तक हम देश की एकता और अखंडता का विश्वास नहीं दिला सकते हैं।

भारत का संविधान, विशेष रूप से संविधान का तीसरा भाग, भारत के, विशेष रूप से वंचित वर्गों, जैसे अल्पसंख्यकों का मानवाधिकारों का मैग्नाकार्टा है। जैसाकि मेरे बहुत से माननीय मित्रों ने यहां पर बताया और मैं भी यही कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1947 में सोद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किए जाने के बाद और उस नीति के अनुसरण में संविधान की प्रस्तावना में विश्व को यह बताया गया है कि भारत क्या है और भारत को क्या होना चाहिए। जिन मौलिक सिद्धान्तों के आधार पर यह राष्ट्र चल रहा है या इस राष्ट्र की एकजुटता बनाए रखने के लिए यहां के नागरिक कार्य कर रहे हैं उसकी किसी दूसरे देश से तुलना नहीं की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हैसियत (स्टेटस) और अवसर की समानता का संबंध है, इस महत्वपूर्ण समय में मैं सभा के अपने माननीय सहयोगियों से इस पर विचार करने और आत्मविवेचन करने का अनुरोध करता हूं कि क्या यह देश सभी लोगों को हैसियत (स्टेटस) और अवसरों की समानता उपलब्ध करा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी हमारी जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को विकास का लाभ नहीं मिला है। उन्हें देश के कार्यों में उचित भागीदारी नहीं दी गई है। इन्हीं परिस्थितियों में हमारी महान नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी।

1947 में संविधान सभा के समक्ष सोद्देश्य संकल्प के बाद और संविधान बन जाने के बाद भी श्रीमती गांधी ने इस देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग, बड़े भाग या मुख्य धारा वाले वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच की बाधाओं को दूर किया था। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी को नमस्कार करता हूं, क्योंकि वे पहली प्रधान मंत्री थीं जिन्होंने अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं करने और उन्हें निश्चित रूप से भागीदारी देने के लिए देश का आह्वान किया था।

मैं सरकार से, उन सरकारों से जो श्रीमती गांधी और श्री राजीव गांधी के बाद सत्ता में रही हैं, पूछना चाहता हूं कि क्या ये कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 15 सूत्री कार्यक्रम को केवल सक्षम ही नहीं बनाया जाना चाहिए बल्कि इसका परिमाण भी निर्धारित किया जाना चाहिए। सरकार ने घोषणा की है कि वह इस कार्यक्रम की समीक्षा करेगी। क्या सरकार इसकी समीक्षा करेगी? सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक सदस्य को इसका लाभ मिलना चाहिए। उनमें केवल तभी यह भावना पनपेगी कि वे भी इस देश के नागरिक हैं।

जब मैं विदेश में था, जब हमारी प्यारी मातृभूमि के विरुद्ध हमारे लोगों के मन में दुर्भावना बैठाने का प्रयास किया जा रहा था तो उस समय एक विदेशी मुसलमान ने हमारे देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में मुझसे पूछा था। उसने कहा था "क्या वे हिंसक है? क्या वहां पर कोई नरसंहार हुआ है? क्या वहां पर इस तरह का कुछ हुआ है? मैंने उसे बताया कि हमारे देश की आबादी 960 मिलियन है। वहां पर अनेक समुदाय हैं। वहां पर अनेक जातियां, सम्प्रदाय और धर्म हैं। हमारा समाज बहुधर्मी, बहुजातीय और बहुसंस्कृति युक्त समाज है लेकिन हमारे देश में कुछ बातों की गारन्टी है और वह है हमारा संविधान। इस संविधान में अनुच्छेद 25, 29 और 30 के अंतर्गत हमें कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। यहां पर संवैधानिक संरक्षण है। मैं इन प्रावधानों का कार्यान्वयन न्यायालयों द्वारा करवा सकता हूं। मैं यह बात यहां पर पूछना चाहता हूं कि जब कार्यपालिका को कोई प्रावधान कार्यान्वित करना होता है तो क्या हम अपने दिल पर हाथ रख कर यह कह सकते हैं कि हमने अनुच्छेद 25, 29 और 30 में प्रावधानों को कार्यान्वित कर लिया है। अभी तक उनका पूर्ण रूप से कार्यान्वयन नहीं किया गया है। यही हमारी समस्या है।

मैं इस संबंध में मेरे विद्वान मित्र सरदार श्री सुरजीत सिंह बरनाला द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। आज भी अलगाव, उपेक्षा और पिछड़ेपन की भावना विद्यमान है।

हम महिलाओं को अधिकार देने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र मालापुरम में एक जिला परिषद है।

एक मुसलमान युवती श्रीमती मरियम्मा उस जिला परिषद की सभापति हैं। उनके कठोर परिश्रम और कार्यकुशलता के कारण सब

उन्हें सम्मान देते हैं। ऐसे लोग हैं। परन्तु अवसर कहां हैं? मुसलमानों को बराबर के अधिकार नहीं दिए गए हैं। नि:संदेह संविधान में इसकी व्यवस्था है। परन्तु क्या इसे व्यावहारिक रूप दिया गया है? अल्पसंख्यकों को अधिकार देना मात्र एक धोखा है। उन्हें विकास का लाभ उठाने और सत्ता में भागीदारी का अवसर नहीं दिया गया है। उदाहरणस्वरूप देश की जनसंख्या के 12 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व मात्र 27 सदस्यों द्वारा किया जाता है जो कि लगभग 5 प्रतिशत बैठता है। जब श्री राजीव गांधी वर्ष 1984 में सत्ता में आए तो यह नौ प्रतिशत था। मध्य प्रदेश, में मुसलमानों की जनसंख्या 4.96 प्रतिशत है, लेकिन वहां की विधान सभा में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। गुजरात में मुस्लिम जनसंख्या 8.73 प्रतिशत है और उनका मात्र एक प्रतिनिधि है। क्या यह धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से शर्मनाक बात नहीं है? क्या यह हमारी प्रणाली के लिए शर्मनाक नहीं है? देश की प्रगति के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार देना अति आवश्यक है और यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप भी है। इसलिए, हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अल्पसंख्यकों को विकास का लाभ दिया जाना चाहिए। परन्तु उनके लिए शैक्षिक संस्थाएं नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि मुस्लिम महिलाओं में 62 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं। तथापि, केरल में ऐसा नहीं है। वहां पर यह संख्या केवल 20 प्रतिशत है क्योंकि यह स्वैच्छिक कार्य के कारण भी है। अत: इस संबंध में राज्य का दायित्व है। हमारे पास तकनीकी शिक्षा के कोई संस्थान नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश के विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करने में कोई भी योजना आयोग, कोई भी प्रशासन अथवा कोई भी सरकार जनसमुदाय के इन प्रमुख वर्गों की उपेक्षा नहीं कर सकती। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों में घृणा पैदा कर रहे हैं। हमें उन्हें यह बता देना होगा कि इस देश में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाइयों में पूर्ण सामंजस्य है। राजनीतिक लोकतंत्र केवल तभी बना रह सकता है यदि एकता के साथ-साथ पूर्ण भाई-चारा हो, जैसी कि संविधान में परिकल्पना की गई है। अत: जहां तक मुसलमानों का सवाल है, 15 करोड़ लोगों की भागीदारी की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मैं तो आपको केवल ऐतिहासिक तथ्य पेश कर रहा हूं। इस्लामी सभ्यता भारत की राष्ट्रीय सभ्यता का एक हिस्सा है। अनेकता में एकता हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

उदाहरणत: यदि आप भारत का नक्शा लें और विभिन्न राज्यों में विभिन्न रंग भरें—एक रंग उत्तर प्रदेश में, दूसरा बिहार में, तीसरा कर्नाटक में और इसी प्रकार अन्य राज्यों में। इस प्रकार रंग भरने से विभिन्न रंगों वाले भारत का संपूर्ण नक्शा एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत करेगा।

भारत में इस्लामी सभ्यता, जो कि भारतीय सभ्यता का एक अंग है, लाल किले के समान सुदृढ़, कुतुबमीनार के समान ऊंची और ताज महल के समान सुन्दर और जिसे इस देश में कोई नहीं मिटा सकता। मुझे विश्वास है कि कोई भी सूझबूझ वाला व्यक्ति, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, सिक्ख हो या ईसाई, भारत की इस महान सभ्यता को कभी भी नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं होने देगा। समय की आवश्यकता है कि देश में विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष का समाधान किया जाए न कि इसे बढ़ाया या स्थायी बनाया जाए।

हाल ही के कुछ वर्षों में विभिन्न समुदायों द्वारा कुछ ऐसी भूल चूक हुई है जिनसे हमें दु:ख पहुंचा है। इस देश के दो प्रमुख समुदाय हैं—हिन्दू और मुसलमान। ये दोनों समुदाय एक शरीर के दो हाथों के समान हैं। यदि शरीर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जायेगा तो व्यक्ति पंगु और विकलांग हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए, प्रत्येक भारतीय को इस महत्वपूर्ण घड़ी में यह प्रण करना चाहिए कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे भ्रातृत्व की भावना, जिसे हमने भारतीयों के रूप में कायम रखा है, को कोई भी क्षति पहुंचे। इसके साथ-साथ वैर-भाव, कट्टरता और प्रतिस्पर्द्धा की भावनाओं को सामने रखने की जगह सभी स्तर पर बेहतर आपसी समझ, सद्भाव, सहनशीलता और सहयोग का प्रयास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ई. अहमद: महोदय, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप 18 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री ई. अहमद: महोदय, मैं एक मिनट लूंगा।

मैं आपको इस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द के कारण बताना चाहता हूं। हमारे देश में विशेषकर उत्तरी भारत में लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला काटने की बात कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे राज्य केरल में क्या हुआ। मैं 'दि वीक' पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट का एक अंश पढ़ना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

> ''हाल ही की दो घटनाओं ने मनकड़ा में साम्प्रदायिक सौहार्द की उत्कृष्ट परम्परा को साबित किया है।''

महोदय मनकड़ा मेरे जिला मल्लापुर में है। इसमें आगे कहा गया है:

> ''एक ब्राह्मण, वासुदेवन नामपूतिरि ने मस्जिद के विस्तार हेतु अपनी जमीन का एक टुकड़ा दान दिया, एक मुस्लिम स्त्री, मरियम्मा हाजीयम्मा, ने पुराने मंदिर के पुनरुद्धार के लिए अपनी संपत्ति दी। मौजूदा मस्जिद इतनी छोटी थी कि इसमें सभी स्थानीय श्रद्धालु नहीं आ पाते थे और यहां के बहुत लोगों ने दूर की मस्जिद में जाना शुरू नहीं कर दिया था।''

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मैं अब आपका धन्यवाद कर सकता हूं?

श्री ई. अहमद: महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि आप मुझे कृपया और समय दें। इसमें आगे कहा गया है:

> ''जब कर्कीदाम बिलाल जामा मस्जिद की पुनरुद्धार समिति ने मुथेदाथ वासुदेवन नामपूतिरी से मस्जिद से सटी उसकी जमीन की तीन सेंट के लिए आग्रह किया तो वह शीघ्र ही इसके लिए तैयार हो गया। समिति जमीन का मौजूदा मूल्य देने की इच्छुक थी, लेकिन इस बारे में नामपूतिरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। नामपूतिरी को यह जमीन देने में झिझक नहीं हुई।''

मैं यह बताना चाहता हूं कि ठीक इसी समय क्या हुआ। एक स्त्री, मरियम्मा हाजीयम्मा ने अपनी पारिवारिक संपत्ति एक मंदिर के लिए दे दी।

महोदय आप मुझे मात्र एक मिनट का समय दीजिए। इसमें आगे कहा गया है:

> ''जब मुसलमानों को इस उदारता का प्रत्युत्तर देने का अवसर मिला तो उन्होंने निराश नहीं किया। बहुत समय से ग्रामवासियों को यह पता था कि थायिल परिवार की जायदाद में झाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राचीन मंदिर है। लोग ईश्वरीय प्रकोप के भय से इस स्थान के निकट नहीं जाते थे। वास्तव में मरियम्मा के पति अब्दु रहीमन हाजी ने उसे और अपने पांच बच्चों से इससे दूर रहने को कहा था।''

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप कह रहे थे कि दस मिनट से ज्यादा किसी को न दो।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: अतएव, मुसलमान स्त्री ने मंदिर के लिए अपनी जमीन दे दी। एक हिंदू ने मुस्लिम मस्जिद के लिए जमीन दी।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठिए।

श्री ई. अहमद: महोदय, मुझे एक सेकण्ड दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने 21 मिनट लिए हैं।

श्री ई. अहमद: महोदय आप मुझे और एक मिनट दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं।

अतएव इस साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता को साम्प्रदायिक सद्भाव और साम्प्रदायिक सौहार्द के जरिए प्राप्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अब तो तालियां बज गईं, अब तो बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यही कहा था। उन्होंने कहा कि इस देश में विकास इसी से हो सकता है। अत: हमें भारतीय के रूप में, सबसे पहले भारतीय, उसके बाद फिर भारतीय और अंत तक भारतीय के रूप में ही आगे बढ़ना होगा।

श्री शिबु सोरेन

[हिन्दी]

श्री शिबु सोरेन (दुमका): माननीय उपाध्यक्ष जी, चार दिन के इस विशेष अधिवेशन में हो रहे वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमने यह अधिवेशन आजादी के पचास साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बुलाया है। इन पचास सालों में हमें जो कमियां महसूस हुईं जिन पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। यह कमी तो ऐसी कमी है जिसकी चर्चा करनी बड़ी मुश्किल है। माननीय सदस्यों का मामला, जैसे अभी बोले कि हम लोग तड़क-भड़क करते हैं। पीछे वाले लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। उसमें सुधार लाने की बात हम लोग करते हैं और पचास साल तक देश चलाया है। कोई पांच-दस साल नहीं और क्या कोई भी यह दावे के साथ कह सकता है कि अपने इलाके में आपने क्या किया? पचास साल जो सत्ताधारियों ने सत्ता चलाई, उनको और ज्यादा कमी महसूस हो रही है। वह कहते हैं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। वे घंटों समय ले रहे हैं तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? अगर इतना जानते हैं तो आपको कुछ तो करना चाहिए।

मैं झारखंड इलाके से आने वाला आदिवासी हूं और हमारा इलाका खनिजों से भरा हुआ है। हमारे यहां बिजली का खंभा खड़ा है और पानी का डैम भी है। हमारे यहां कोयला भरा हुआ है। हमारे यहां लोहा, सोना, चांदी, यूरेनियम, अभ्रक भरा हुआ है। अभी संसार में तीसरी जगह बोकारो जिले में मिथाइल गैस निकली है। यह दुनिया में तीसरी जगह और एशिया में पहली जगह है। धन की कमी नहीं है लेकिन हम लोग भिखारियों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। इस सरकार ने जिसने इतने दिन तक काम चलाया है, कई पॉलिसी बनाई हैं। गांव उजाड़ दो लेकिन उनके विस्थापन की कोई नीति सरकार के पास नहीं है। गांव उजड़ जाने के बाद उनको क्या रोजगार या जमीन देंगे, इस बारे में सरकार के पास कोई नीति नहीं है। पुलिस की ताकत लगाकर घास-फूंस की कीमत देकर गांव के लोगों को हटा दिया जाता है। हमारे यहां भी सैकड़ों वर्ष से झरिया में कोयला निकल रहा है। अभी-अभी एक दुर्घटना हुई जिसमें एक बच्ची अंदर चली गई और वापस नहीं आई। इसके पहले भी ऐसा हुआ और ऐसा बराबर होता रहा है। कितने वर्षों से आग लगी हुई है, पता नहीं है। वहां इतनी ज्यादा सम्पत्ति है। अमरीकन लोगों ने कहा था कि वह हमें दे दो, हम कोयला निकालकर आपको पैसा भी देंगे लेकिन पता नहीं, हमारे देश के शासक और ऊर्जा

मंत्रालय के लोगों ने इस पर कोई विचार नहीं किया। वहां की स्थिति में किसी भी समय कई हजार लोग मर सकते हैं।

ये हमारे इलाके के लिए महत्वपूर्ण बाते हैं। जंगल में बहुत सारी चीजें जड़ी-बूटी, फल-फूल मिलते हैं, उसको लेकर जंगल के लोगों को क्या हिस्सेदारी मिलेगी, इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। हमारा जंगल ही खत्म हो गया। हम गरीब हो गए। ये मल्टी मिलियन लोग कारखाने वाले लोग बड़े लोग हो गए। हमारे देश के लिए वैद्यनाथ, डॉबर और हिमालय ये सब जंगलों का पदार्पण पहले हुआ। यह कैसी विडम्बना है? कैसा कानून है? कैसा विधान बनता है कि हमारा होते हुए भी कुछ भी नहीं है। आज इस संदर्भ में मेरा कहना है कि हम अलग राज्य के रहने वाले लोग हैं। यहां कभी-कभी सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की चर्चा भी होती थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की बात तो उठी लेकिन छोटे-छोटे राज्यों की आवाज सदन में किसी ने नहीं उठाई क्योंकि सभी को मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री बने रहने से बड़ा प्यार है। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। यहां तो कई पार्टीज को मिलाकर प्रधान मंत्री बनेंगे। यह परम्परा काफी समय तक चलेगी, इसलिए छोटे राज्यों का निर्माण होने से ही हम समुचित विकास कर सकते हैं। इस पर भारत सरकार हमेशा अड़ंगा लगा देती है। प्रधान मंत्री लाल किले से घोषणा करते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य बनेगा, लेकिन उत्तराखण्ड राज्य बनाने के बारे में कोई विचार नहीं होता है। आज बिहार राज्य में भी यही स्थिति है कि झारखण्ड राज्य का निर्माण होना चाहिए। इस बारे में प्रस्ताव पारित होकर केन्द्र को भेज दिया गया है, लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। केन्द्र के आफिसर फाइलों को उलट-पुलट कर रहे हैं। देश के भीतर इस तरह के कामों की जिम्मेदारी हम ही लोगों पर है, कोई इसमें विदेशी आदमी नहीं है। इसलिए यह चिन्ता की बात है कि आखिर क्या होगा।

जहां तक पब्लिक सैक्टर की बात है, बोकारो कारखाना, एच.ई.सी. और सिन्दरी सब बरबाद करके रख दिए हैं। ये सारे उद्योग हजारों-करोड़ों रुपयों के घाटे में चल रहे हैं। कोयला हमारी धरती से निकल रहा है, लेकिन कोयला निकालने के बाद भी हम लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। कोयले से बिजली बनती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। यह स्थिति सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है, सभी जगहों की यही हालत है। इसलिए जब राज्यों की व्यवस्था को चलाना है, तो विकेन्द्रीकरण पर विचार करना होगा, लेकिन इस विषय पर कोई बोलना नहीं चाहता है। पता नहीं क्या तकलीफ है। घर में जब पांच भाई होते हैं, तो किसी न किसी दिन ऐसी स्थिति होती है कि अलग होना पड़ता है, बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने के लिए। इसमें देश के विभाजन होने का कोई सवाल नहीं है। इसमें कोई विदेशी ताकत भी नहीं है। कोई कांड होता था, तो कह दिया जाता था कि विदेशी ताकत हैं, लेकिन जो स्थिति देश में हो रही है, जो आग लग रही है, उसमें इन्हीं लोगों का हाथ है। यह समझने की बात है कि देश की इस स्थिति के बारे में आखिर क्या होगा? हम लोगों की सोच गड़बड़ है। हम लोग कहीं-न-कहीं जनता को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। हम जानते हैं कि भाषण तो यहां पर कर दिया, लेकिन काम कुछ नहीं होगा। पचास सालों तक भाषण ही देते रहे हैं। इसलिए अब जमीन पर कुछ काम होना चाहिए। अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वह समझने लगी है। हम लोग यहां पर भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। यह भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। प्रधान मंत्री एक सैल बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भ्रष्टाचार क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सब लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार की पहचान नहीं है। लेकिन हम लोग चिल्लाए जा रहे हैं–भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार।

महोदय, बेरोजगारी की भी बहुत चर्चा हुई है। हमारे देश में बहुत बंजर भूमि है। हमारे देश के नौजवान नौकरी के लिए लाइन लगाते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए, तो यह खाने का धन्धा है, क्योंकि वास्तव में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। आज हम लोग पंजाब और हरियाणा के बारे में बोलते हैं कि अनाज उपजा कर वह देश को खिलाता है। यदि मेहनत की जाए, तो मेहनत करके धन को पैदा किया जा सकता है। दूसरी तरफ पानी की समस्या है। विभिन्न योजनाओं के द्वारा पानी को ले जाया जा सकता है। लेकिन इस बारे में एक मीटिंग करके कह दिया गया कि यह योजना कामयाब नहीं होगी और योजना पर 5-10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है। हर गांव में पचासों चापाकल लगा दिए गए, लेकिन मुंडी नहीं लगाई। सारे चापाकल बिना मुंडी के चल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि यह कैसी योजना है।

अब हमारे यहां विशेषकर पठारी विकास के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है। वर्ल्ड बैंक के लोग देख रहे हैं कि आदिवासी, गिरिजन-हरिजन, दुखी लोगों का विकास करना चाहिए। हमारे बिहार में वर्ल्ड बैंक का मामला चलता है। वर्ल्ड बैंक वाले जंगल में 18 फुट का सड़क बना रहे हैं तो हमने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक से पैसा आया है और दिल्ली से आया है तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे पता नहीं है। ...*(व्यवधान)* हमने आफिसरों से बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पायजामा-कुर्ता हमारे लिए बन रहा है तो हमारा नाप होना चाहिए या नहीं? कमिश्नर अपने नाप से बनाए जा रहा है, मंत्री अपना नाम दिये जा रहा है तो कैसे चलेगा? वर्ल्ड बैंक की यह हालत है। जिस आदिवासी के शरीर पर कपड़ा नहीं उसके नाप का कुर्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सब लोग अपना नाप दिये जा रहे हैं तो इसलिए यह काम कैसे होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर इस बात का आक्रोश है। हम नहीं समझते कि इन भाषणों से कुछ होने वाला है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ करना होगा। आज गांव में कोई नहीं जानता कि आजादी किस चिड़िया का नाम है। जब कहते हैं कि आप कोर्ट चलिए तो कहते हैं कि वहां तो बहुत पैसा लगता है। जिसके पास पैसा है उसी के लिए कोर्ट है। हम लोग 95 बनाम पांच चिल्लाते रह जाएंगे। जब तक अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।

हरिजन गरीब लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। इसलिए कौन सी व्यवस्था होगी, इस बात को सोचना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 12-14 साल तक के बच्चों को आप फ्री एजूकेशन दें, हमारे यहां तो ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो समानता नहीं आएगी। ...*(व्यवधान)* हम लोग जहां के तहां रहेंगे और लुटते रहेंगे। इसलिए हमारे यहां आक्रोश है और हमारी तरफ तो पूरी आग लगी हुई है, कहीं उग्रवादी हैं, कहीं बम चल रहे हैं। रोज 10-20 लोग मारे जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शिक्षा पर थोड़ा सा कहना है। यह केन्द्रीय सरकार को पूरे देश में एक कानून बना देना चाहिए। अभी तो सब जगह प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं दे सकते। इसलिए एक किस्म की पढ़ाई हो और वह पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए न हो। आज के युग में टैक्नीकल पढ़ाई होनी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। देश में लोगों को रोजगार मिले तथा पशुपालन की तरफ भी ध्यान दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. अरविन्द शर्मा

डा. अरविन्द शर्मा (सोनीपत): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उन शहीदों को नमन करूंगा जिनके बलिदान से आज हमें यह दिन देखने को मिला है। सबसे पहले आज जरूरत इस बात की है कि आने वाली पीढ़ी में और वर्तमान पीढ़ी में धर्म, जाति-पाति, राज और परिवारवाद से उठ कर देशभक्ति की भावना भरी जाए। आज जो सबसे बड़ी चीज है वह यह है कि आने वाली और वर्तमान पीढ़ी में किस तरह से देशभक्ति भरी जाए, यह बहुत ही विचारने की और सोचने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जरूरत है उन नौजवान साथियों को, उस वर्तमान पीढ़ी को बताने की कि किस तरह से कुर्बानी से और बलिदान से हमें यह आजादी मिली। आज यह बताने की जरूरत है कि शहीद भगत सिंह ने किस तरह से फांसी के फंदे को चुना था। मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो उनकी मां ने एक दिन जाकर अंग्रेजों के बहकावे में आकर कहा कि आप अंग्रेजों से माफी मांगो, आपकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी।

लेकिन शहीद भगतसिंह ने अपनी मां को क्या कहा कि अगर आप ऐसी बात कहती हैं तो आप मेरी मां ही नहीं हो, क्योंकि मेरी असली मां तो भारतमाता है। आज हमें ऐसी बातें अपनी आने वाली पीढ़ी को बतानी होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण, सामाजिक न्याय पर विचार करने की जरूरत है। पिछले 50 सालों से जो गरीबों का हक था, जो उन्हें नहीं मिला, जो उन्हें मिलना चाहिए था, आज उस पर विचार करने की जरूरत है। पिछले 50 सालों से रोटी-कपड़ा और मकान पर चर्चा चल रही है, उस पर विचार करने की जरूरत है। आज विचार करने की जरूरत है कि जनसंख्या को किस प्रकार से रोका जाए। आज जरूरत है पंचायती राज, पीने के पानी, शिक्षा, किसानों को सिंचाई की सुविधा, उनकी फसल का उचित समर्थन मूल्य किस प्रकार दिया जाए-इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है। आज जरूरत है कि कानून और व्यवस्था कैसे रहे, महिलाओं का सर्वांगीण विकास कैसे हो, सैनिकों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और आज भी बार्डर पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं हम कैसे उनका मनोबल ऊंचा रख सकें।

आज जो देश में भ्रष्टाचार और राजनीति में अपराधीकरण चल रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। आज जरूरत है इस बात पर चर्चा करने की कि जो सदन की गरिमा पिछले कई सालों में कम हुई है उसको बहाल कैसे किया जाए। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज राजनीतिज्ञों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। उनकी गरिमा को बहाल करने की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन भ्रष्टाचार को दूर करने की पहल कौन करेगा।

लोकतंत्र के चार स्तम्भ होते हैं-न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस। मैं कहना चाहता हूं कि आज सदन को, राजनीतिज्ञों को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के घेरे में घेर लिया गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सदन और राजनीतिज्ञ सबसे बाद में आते हैं। इनकी गरिमा को कैसे ऊपर उठाया जाए। आम आदमी के दिल और आत्मा में एक विचार घुस गया है कि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान तब मिलेगा जब इन राजनीतिज्ञों का पेट भरा जाएगा। यह धारणा आम आदमी के मन में घर कर गयी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस धारणा को कैसे दूर किया जाए।

हमारे प्रधान मंत्री ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक सैल का गठन किया है। मैं कहना चाहता हूं कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। यह एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन शुरुआत कौन करेगा? मैं सबसे पहले पहल कर रहा हूं। होना तो इस तरफ से चाहिए था कि अपने पूरे रुपये-पैसे का हिसाब इस सदन के सामने, प्रधान मंत्री सैल में देते। लेकिन मैं एक हफ्ते के अंदर अपनी पूरी प्रोपर्टी का ब्यौरा प्रधान मंत्री कार्यालय में और स्पीकर के कार्यालय में जमा कराऊंगा। मैं यह पहल करता हूं। इसके साथ ही अपना इस्तीफा भी जमा कराऊंगा कि अगर मेरे द्वारा

जमा ब्यौरे में एक सुई की नौक के बराबर भी गलती हो तो मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें मेरा साथ दें। सदन की गरिमा जो गिरती जा रही है इसको किसी न किसी तरह से बहाल किया जाए।

उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात आई। आज भी हरिजन और बाल्मीकी समाज के लोग मंदिरों में नहीं जा सकते हैं। जात-पात की बात कौन करता है। हमारे हिन्दुस्तान के लोग इतने गरीब हैं। इतने अच्छे दिल के हैं। उनको किसी तरह से भी समझा लो। जब तक जाति-पाति की बात नेताओं में खत्म नहीं होगी, तब तक वह यहां से खत्म नहीं होगी। इसमें पहल करनी होगी। नेता लोग अपना दिल और दिमाग साफ करें। कई साथियों ने कहा कि अगर खुद के अन्दर जाति-पाति नहीं है तो दुनिया के चाहे किसी कोने में चले जाओ कहीं वह नजर नहीं आएगी। अगर किसी कोने में जात-पात है तो हर जगह जात-पात नजर आएगी। अपने आप को साफ करने की जरूरत है और नेताओं को साफ करने की जरूरत है। इस पर सोचने की आवश्यकता है।

एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन की बात होती है। अगर एक परिवार में दस सदस्य हैं तो वे सभी नौकरी करते हैं, अगर 15 हैं तो वे सभी नौकरी करते हैं। एक परिवार में मोची का काम शुरू से होता आया है तो वही काम चलता रहता है। ऐसे ही बढ़ई और लौहार का काम चलता रहता है। जिस परिवार में कोई सदस्य नौकरी में नहीं है उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि हर गरीब के परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाए। रिजर्वेशन पालिसी पर ध्यान दिया जाए। जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं करता, उसको प्रेफ्रेंस दी जाए।

भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ था। हमारी उस समय जितनी आबादी थी, उससे ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। जो लोग विधान बनाते हैं उन लोगों की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है। इस कारण उन्हें गरीबों के बारे में पता नहीं है। गरीबों को वही इन्सान जान सकता है जिसके खून में, दिमाग, दिल में और नस-नस में गरीबों की सेवा और चिन्ता हो। हम 50 साल पहले रोटी, कपड़ा और मकान की बात कहते थे और आज भी वही बात कहते हैं। सैंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है। हमने इन्दिरा आवास योजना और दूसरी कई योजनाएं बनायी हुई हैं। लेकिन वह पैसा कहां जाता है और किस तरह यूटिलाइज होता है? उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। कहीं न कहीं मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पैसे का ठीक से यूटिलाइजेशन हो सके।

यहां पंचायती राज की बात हुई। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन हुआ। चार साल हो गए हैं लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, श्री जवाहर लाल नेहरू, श्री राजीव गांधी का सपना था कि किस तरह से नीचे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन इस पर किसी तरह की चिन्ता नहीं की गई। इंटरस्टेट कौंसिल की मीटिंग प्रधान मंत्री जी की पहल पर हुई थी। उसमें कहा गया कि स्टेट्स को, पंचायतों और जिला परिषदों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं। एक मुख्यमंत्री ने ऑबजैक्शन लगाया कि स्टेट्स जितना चाहें पंचायतों को अधिकार दें। यदि पंचायतों को सीधा पैसा जाएगा, गलियां हैं, चौपालें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पीने का पानी है, वे उनको अपने तरीके से देख सकेंगे। पंचायती राज को लागू करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर पूरा ध्यान दिया जाए और इसे अच्छी तरह लागू किया जाए।

आदरणीय शरद यादव जी ने पानी की बात कही। अगर किसान, मजदूर और हिन्दुस्तान रूपी पेड़ को मजबूत करना है तो इनकी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। इसकी जड़ें किसान है। गरीब आदमी और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है अगर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो जाए तो कई स्टेट्स की पानी की समस्या हल हो सकती है।

हरियाणा की छोटी-छोटी समस्याएं हैं। एल.वाई.एल. केनाल के बारे में कोई सोचता नहीं है। अगर वह पूरी हो जाए तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को बहुत फायदा होगा। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

कुमारी उमा भारती

कुमारी उमा भारती (खजुराहो): उपाध्यक्ष महोदय, संसद की चार दिन की यह बहस सार्थक हो सकती है और जैसा कि यहां निर्णय लिया गया है कि अंतिम दिन हम संसद की चार दिन की बहस का कुछ निष्कर्ष निकालकर कुछ संकल्प लेंगे। अगर कल के दिन ऐसा होता है कि हम चार दिन की बहस का निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उसके बाद हम संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने आचरण और अपने लक्ष्यों के संबंध में कोई संकल्प लेते हैं तो चार दिन की बहस बहुत सार्थक होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे बिन्दु यहां पर उठाए गए हैं लेकिन हमारी पार्टी ने जो बात तय की है कि विषय जिनके हिसाब से तय किये गये थे, हमारी पार्टी के वक्ता ने विषय की मर्यादा में उसी विषय के ऊपर अपनी बात पर एकाग्र करेंगे।

मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सदन से आग्रह करना चाहती हूं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा संसाधन है जो पूरी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देश के विकास में और देश की तरक्की में नहीं कर पा रहा है। वह संसाधन है इस देश की महिलाएं। अभी महिला आरक्षण की

बात चल रही है। आडवाणी जी ने सबसे पहले 1995 में बड़ौदा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी में निर्विरोध रूप से यह प्रस्ताव पास कराया था कि महिलाओं को राजनीति में, विधायिका में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद यह बात लगातार सदन में भी आई। महिलाओं को आरक्षण देने वाली बात क्यों आई? मैं मानती हूं कि अगर हमारे देश में महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास हुआ होता और सभी महिलाओं को लेकर हम लोग योजनाबद्ध तरीके से चले होते तो हम उनको शिक्षित कर चुके होते और निश्चित रूप से वह अपनी प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र की तरक्की और विकास में कर पाती। जब हम ऐसा नहीं कर पाए तब आरक्षण जैसी स्थिति पैदा हुई। इस बात को बार-बार टाला जा रहा है। चूंकि सदन में जो बहस हो रही है, इस बहस के बिन्दु बड़े महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए मैं तो संपूर्ण सदन से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर देश को तरक्की करनी है तो महिला आरक्षण के बारे में और उसके साथ-साथ महिला शिक्षा के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए।

अभी भी हम देख रहे हैं कि जितनी महिलाएं आगे आ पाई हैं, वह कहीं भी किसी से पीछे नहीं हैं। आई.ए.एस. में जितनी भी महिलाएं कंपीटीशन में आती हैं, आई.पी.एस. बनती हैं या डाक्टर, इंजीनियर, लायर्स के रूप में देखें, महिलाएं कहीं भी किसी से पीछे नहीं हैं। आजकल स्कूल्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें भी लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। इसके बाद भी महिलाओं को जिस प्रकार से कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता है। इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए और दूसरा कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, वही लोग अपने मन में झांकें कि इसके अलावा रास्ता क्या है। इस देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए इसके अलावा और क्या रास्ता है जो ये कहते हैं कि इस देश में समान अवसर का सिद्धांत लागू करना चाहिए। मैं सिर्फ दो बातें इस पर कहना चाहूंगी।

पहली बात यह है कि आरक्षण की नीति पर पुनर्विचार हो, लेकिन आरक्षण की आवश्यकता क्या है और आरक्षण की आवश्यकता क्यों रहेगी, इस बात पर भी चिन्तन हो। जब से हमारा यह देश आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक आरक्षण का लाभ कितने लोग उठा पाए हैं, और यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि आरक्षण के मामले में जो सिद्धांत एस.सी./एस.टी. या ओबीसी के लिए लागू होता है, वही सिद्धांत महिलाओं के लिए भी लागू होता है। हमने आरक्षण के लिए क्राइटीरिया क्या तय किया? आरक्षण के लिए हमने क्राइटीरिया तय किया कि जो शैक्षणिक दृष्टि से पीछे हैं, जो सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं और जो आर्थिक दृष्टि से पीछे हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें हमने पहले दलितों को लिया और इसके बाद मंडल के द्वारा ओबीसी को भी लिया। जिस आधार पर हम एस.सी., एस.टी. और ओबीसी को आरक्षण दे रहे हैं, वही आधार महिलाओं के लिए भी लागू होता है। वे शैक्षणिक दृष्टि से भी पीछे हैं, आर्थिक दृष्टि से भी पीछे हैं, सामाजिक दृष्टि से भी पीछे हैं और वह भेदभाव की नीति का शिकार भी हैं। जन्म से लेकर मरण तक महिला भेदभाव की नीति का शिकार होती है। और अब तो जन्म ही न होने दिया जाए। मतलब गर्भ में ही वे भेदभाव की नीति का शिकार हो जाती हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि यह काम पढ़े-लिखे लोग ज्यादा करवा रहे हैं। जो क्लीनिक के बाहर लड़की को गर्भ से बाहर फिंकवाने के लिए लाइन लगी होती है, अगर हम उनकी डिग्रियां पूछें तो उसमें बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं। गांव के गरीब लोग अभी भी कन्याओं का सम्मान करते हैं, अभी भी कन्याओं को पूजनीय समझते हैं। लेकिन जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो महानगरों, शहरों और कस्बों के लोग हैं, वे ज्यादा हैं जो इस प्रकार की लाइन लगाकर बैठे हैं कि हम अपने घरों में कन्याओं को जन्म नहीं लेने देंगे। तो जन्म से लेकर मरण तक स्त्रियां भेदभाव का शिकार रहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं की त्रयोदशी भी नहीं होती। हमारे देश में कई राज्यों में महिलाओं की द्वादशी होती है, त्रयोदशी नहीं होती है। पुरुषों की त्रयोदशी होती है। यानी तेरहवें दिन उसकी परिवार से मुक्ति मानी जाती है। महिलाओं की बारहवें दिन ही छुट्टी कर दी जाती है। मरने के बाद ज्यादा दिन तक उसकी आत्मा घर में क्यों रहे, इसलिए बारहवें दिन पर भी उसको घर से छुट्टी दे दो और घर से उसकी विदाई कर दो। यानी कि मरने के बाद भी उसके साथ में भेदभाव और जन्म के पहले भी उसके साथ में भेदभाव होता है। दूसरी तरफ हमारा इतिहास ऐसा है गार्गी के पांडित्य के बारे में उपनिषदों में एक कथा है कि राजा जनक की सभा में गार्गी को इस बात के लिए चुना गया था कि वह तय करेगी कि ब्रह्मज्ञानी कौन है। संसार के सारे पंडित राजा जनक की सभा में यह बात तय करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि ब्रह्मज्ञानी कौन है और उस समय सबने यह सोचा कि यह तय कौन करेगा कि ब्रह्मज्ञानी कौन है क्योंकि अलग-अलग लोग अगर प्रश्न करेंगे तो वर्षों निकल जायेंगे, तो इसके लिए उस समय पर सारे धरती के पंडितों ने राजा जनक की सभा में गार्गी को तय किया था कि गार्गी शास्त्रार्थ करेगी यह वह निश्चित करे इनमें से यह ब्रह्मज्ञानी है तो पूरी धरती के विद्वान लोग उसको ब्रह्मज्ञानी स्वीकार करेंगे और गार्गी ने याज्ञवल्क्य को ब्रह्मज्ञानी घोषित किया था और पूरी धरती के पंडितों ने गार्गी की स्वीकृति के बाद में याज्ञवल्क्य को ब्रह्मज्ञानी के रूप में स्वीकार किया था। गार्गी का पांडित्य, कैकेयी का रणकौशल, कैकेयी महाराज दशरथ के साथ युद्ध करने के लिए गई थी और जब उसने देखा कि उनके रथ के चक्के की तीली टूट गई है तो उसमें उसने अपनी उंगली लगा दी। उसके पास में कितना रणकौशल था। युद्ध करने की कला में वह इतनी सक्षम थी। आज कैकेयी का रणकौशल और गार्गी के पांडित्य की गाथा कहानियों की बातें बन गई हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि देश में महिलाओं की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। मेट्रीकुलेशन महिलाओं के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए और जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तब तक महिलाओं के लिए राजनीति में विधायिका में आरक्षण अवश्य होना चाहिए। इसलिए मैं पूरी संसद से निवेदन करती हूं कि ओ.बी.सी. की बात सामने आई थी और ओ.बी.सी. की आड़ लेकर पूरा का पूरा बिल ही रुक गया। मेरी तो समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब अमेंडमेंट हो रहा था तो अमेंडमेंट में एक और अमेंडमेंट हो जाता। महिलाओं को अभी तक पचास सालों तक आरक्षण नहीं मिला। अब महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान में एक विशेष जस्टिस हुआ लेकिन वह जस्टिस देर से आया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बोलती हूं कि आज पचास सालों के बाद रियलाइज हुआ कि महिलाएं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं। इसलिए महिलाओं को आरक्षण दो और अगर इसमें ओ.बी.सी. को इंक्लूड नहीं किया गया तो पचास साल के बाद फिर रियलाइज होगा कि यह तो गलती हो गई थी। जस्टिस आता

है लेकिन डीलेड जस्टिस आता है, देर से आता है। इसलिए इतनी देर से जस्टिस दे रहे हैं उसमें इतने इफ्स एंड बट्स लगा रहे हैं। सदन में जितने भी गिने-चुने लोग यहां पर मौजूद हैं मैं उन सबसे आग्रह करूंगी कि हृदय से उदाहरता का परिचय दीजिए। अगर सदन अपने हृदय की उदारता का परिचय दे तो नवम्बर से दिसम्बर के महीने के बीच में जो सत्र यहां पर होगा, अगर गुजराल सरकार की अकाल मृत्यु होने की नौबत नहीं आई और अगर नवम्बर से दिसम्बर में सत्र लगेगा तो मेरा पूरी संसद से यह निवेदन है कि इस आने वाले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक बहुमत से पास होना चहिए। पार्टियों को इस बात को लेकर व्हिप इश्यू करना चाहिए कि वे उस दिन यहां पर उपस्थित रहें और उसमें पिछड़ी जातियों की महिलाओं को जोड़कर उस आरक्षण को पास करने की व्यवस्था इस सदन के अंदर होना चाहिए। यह निवेदन मैं आपसे जरूर करूंगी और इसके साथ-साथ महिलाओं की शिक्षा भी अनिवार्य करनी चाहिए। दूसरी बात महिलाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा, तीसरा निवेदन यह है कि हमें आरक्षण की सम्पूर्ण नीति पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि आरक्षण जरूरी क्यों था और अभी तक जरूरी रह गया है या नहीं रह गया है। मैं इसके लिए परम पूजनीय बालासाहेब देवरस का एक उदाहरण देना चाहूंगी। मैं यह बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि संघ के बारे में यह कहा जाता है कि संघ दलितों का विरोधी है, संघ गरीबों का विरोधी है। संघ तो खाली सवर्णों को संरक्षण देना चाहता है। संघ का जो हिंदूवाद है, वह खाली सवर्णों का हिंदूवाद है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 1983 में संघ की प्रतिनिधि सभा जो नागपुर में हुई थी उसमें बालासाहेब देवरस ने आग्रहपूर्वक यह प्रस्ताव पास करवाया था।

सायं 7.00 बजे

उन्होंने एक बात कही थी कि जातिगत आरक्षण और दलितों के लिए आरक्षण इस देश में इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, जिनकी अगल-बगल में सुअर घूमते हैं, उनकी तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता। जब तक उनका उत्थान नहीं होगा, तब तक हिन्दू राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव नहीं है। इसलिए जो सूअरों के बीच में सोते हैं, उनका उत्थान करना जरूरी है। जब तक उनका उत्थान नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कोरी कल्पना रह जाएगी।

जब बाला साहेब देवरस बिहार गए तो वहां भी जातिगत आरक्षण का समर्थन करते हुए उन्होंने एक बात कही थी, जिसका उद्धरण मैं यहां देना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जाति के आधार पर जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं वे जातिवादी कहे जाएंगे और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वे इस देश के सदियों के दुखद अतीत की अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि यहां लाखों लोग हजारों सालों से सिर्फ जाति के कारण मानवाधिकारों से वंचित किए गए थे। वे उस दुखद अतीत की अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें उस अतीत का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जातिगत आधार पर आरक्षण से इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन आर्थिक पाबंदी भी उसके ऊपर जरूर होनी चाहिए। जब मंडल कमीशन का मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रीमी लेयर को हटाने की बात कही थी। श्रीकान्त जेना जी यहां बैठे हैं, क्या उन्हें आरक्षण की जरूरत है? क्या शरद यादव जी को आरक्षण की जरूरत है या राम विलास जी को आरक्षण की जरूरत है? मेरा परिवार नहीं है लेकिन मेरे भाइयों के बच्चे हैं, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वे आरक्षण का लाभ उठाएं। मैं चाहूंगी कि मेरे परिवार के लोगों को क्रीमी लेयर के अंतर्गत आप आरक्षण की सीमा से बाहर कर दीजिए। मैं चाहूंगी कि आरक्षण की नीति पर फिर से विचार हो क्योंकि अभी भी इस देश का पूरा विकास, देश की समृद्धि, देश की सत्ता, देश की इकोनोमी सिर्फ 15 परसेंट लोगों तक कन्फाइन्ड होकर रह गई है, 85 परसेंट लोग उससे वंचित रहे हैं जिनमें दलित भी हैं, एस.सी. तथा एस.टी. के लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं और ओ.बी.सी. के लोग भी हैं। ...*(व्यवधान)* मैं उस पर भी आ रही हूं। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. तीनों को जब से आरक्षण मिलना शुरू हुआ, मंडल कमीशन के बाद ओ.बी.सी. को, एस.सी., एस.टी. को विधायिका में, सरकारी नौकरियों में तथा अन्य उपक्रमों में आरक्षण मिलना शुरू हुआ, तब से दलितों में नया 15 परसेंट वर्ग तैयार हो गया और 85 परसेंट दलित उससे वंचित हो गए, सिर्फ 15 परसेंट मलाई खा रहे हैं। मुझे यह डर लग रहा है कि जब महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है, उनमें 15 परसेंट महिलाएं ही ऐसी होंगी जिन्हें इसका लाभ मिलेगा, 85 परसेंट महिलाओं के बारे में, जैसा निराला ने कहा है-

मैंने देखा उसको इलाहाबाद के पथ पर,
वह तोड़ती थी पत्थर।

मैंने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती महिला को देखा-उस महिला के दर्द को समझने वाला कोई संसद में होना चाहिए। जो स्वयं भुक्तभोगी न हो, उसकी व्यथा-कथा यहां पर कही न जा सकती हो, जिनकी जोरदार तरीके से वकालत न की जा सकती हो, जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत क्या है, पार्टियों में आरक्षण करा लो, मैं उनसे पूछती हूं कि पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने पर आज तक क्यों विचार नहीं किया गया। जब मैं 11 महीने की थी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी मां ने लाल-पोसकर मुझे बड़ा किया, मेरे भाइयों को बड़ा किया। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम लगाऊं, मैं अपनी मां को सम्मान देना चाहती हूं, मेरी इच्छा है कि मैं अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम लगाऊं, जो कालम मुझे भरने को मिलता है, उसमें मैं अपनी मां का नाम लिखना चाहती हूं, मुझे क्यों संसद की ओर से इसकी स्वीकृति नहीं मिलती क्योंकि आज तक महिलाओं की समस्याओं को महिलाओं की दृष्टि से देखा नहीं गया। महिलाओं की समस्याओं की महिलाओं की दृष्टि से तभी देखा जा सकता है जब महिलाओं का यहां संसद में उचित प्रतिनिधित्व मौजूद होगा।

इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो समाज विषमतायुक्त हो, उस समाज में समान अवसर का सिद्धांत लागू नहीं होता बल्कि विषमतायुक्त समाज को समता में एकात्मकता की ओर ले जाने के लिए विशेष अवसर का सिद्धांत लागू करना पड़ता है, चाहे वह एस.सी. के लिए हो, एस.टी. के लिए हो, ओ.बी.सी के लिए हो या महिलाओं के लिए हो। जो समाज विषमताओं से भरा हो, उसमें समान अवसर का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे गांव में एक कल्ला है जो कि आदिवासी परिवार का है और मेरे गांव में ही एक बाल किशन तिवारी हैं। मैंने बचपन में जो देखा है। मैं उसको कैसे भूल सकती हूं। कल्ला दिनभर खेती में काम करता था और बाल किशन तिवारी आराम से स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। कल्ला को जितना टाईम मिलता था उतने टाईम वह स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। बाकी समय खेत

पर काम करता था। सबेरे चार बजे उठकर कल्ला अपनी मां के साथ पत्थर की चक्की पर चक्की के हत्थे को पकड़ कर आटा पिसवाता था। जब परीक्षा का टाइम आता था, तो कल्ला दिन में तो पढ़ नहीं सकता था। इसलिए रात में पढ़ता था और रात में पढ़ने के लिए मिट्टी के तेल की आवश्यकता पड़ती थी जिससे डिबिया जलती थी और मिट्टी का तेल खरीदने के लिए कल्ला के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन बाल किशन तिवारी के यहां डिबिया थी। यह बात मैं आज 25-30 साल पहले की कह रही हूं। वह पढ़ने के लिए बाल किशन तिवारी के घर जाता था और बाल किशन तिवारी चूंकि दिन में पढ़ चुके होते थे, इसलिए वे चाहते थे कि डिबिया बंद हो, लेकिन कल्ला चूंकि दिन में खेत में काम करता था इसलिए वह चाहता था कि थोड़ी देर के लिए डिबिया और जले ताकि वह पढ़ सके। इसलिए वह बाल किशन तिवारी से कहता, हाथ जोड़ता, पांव पड़ता कि महाराज थोड़ी देर के लिए डिबिया को और जलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर वे परीक्षा देने गए। कल्ला के 40 प्रतिशत अंक आए और बाल किशन तिवारी के 80 प्रतिशत अंक आए। अब एक काम करना पड़ेगा कि कल्ला के 40 प्रतिशत अंकों को तिवारी के 80 प्रतिशत अंकों के बराबर माना जाये या फिर कल्ला और बाल किशन तिवारी को पढ़ने की बराबर की सुविधा दी जाए। यानी राष्ट्रपति का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ने जाए जिस स्कूल में राष्ट्रपति के चपरासी का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। यानी स्कूल की एक समान व्यवस्था हो। शिक्षा की व्यवस्था एक जैसी हो। लेकिन एक तरफ तो दिल्ली पब्लिक स्कूल है जिसमें बच्चे को लेने के लिए कार आती है, छोड़ने के लिए कार जाती है। बीच में "आया" फ्रैश जूस पिलाने के लिए जाती है और स्कूल खत्म होते ही जैसे बच्चा बाहर आता है, तो उसे फ्रैश जूस पीने के लिए मिलता है और दूसरी तरफ वह स्कूल है जिसकी छत टपकती है। स्लेटी टूटी है। पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। रात में बाप शराब पीकर आता है और रात भर मां को मारता है। मां रात भर चिल्लाती है और बच्चा मां का चिल्लाना सुनता है और फिर सबेरे उठकर स्कूल भाग जाता है। बताइए ऐसा बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का कैसे मुकाबला करेगा? शिक्षा की सुविधा या शिक्षा की व्यवस्था एक समान होनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक विषमता युक्त और विभक्त समाज को एकात्मकता की ओर ले जाने के लिए समान अवसर की जगह पर विशेष अवसर का सिद्धांत इस देश में चलता रहेगा। लेकिन आरक्षण की नीति पर इस देश में चर्चा जरूर होनी चाहिए। जब मैं स्वयं यहां पर आई थी, तो मैंने भी सोचा था कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि हम मुसलमानों की देशभक्ति पर शक नहीं करते। हमारे मन में मुसलमानों की देशभक्ति के प्रति कोई शंका नहीं है। जो बार-बार इधर अंगुली उठाकर माननीय सदस्यों द्वारा भाषण दिए गए, मैं संसद की मर्यादा का पालन कर रही हूं, इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रही हूं। इसी सदन में जिन नेताओं ने भाषण दिए और बोला कि हम मुसलमानों की देशभक्ति पर शंका क्यों करते हैं, मैं उनसे कहा चाहती हूं कि हम मुसलमानों की देशभक्ति पर शंका नहीं करते। हमारी नजरों में मुसलमान देशभक्त हैं। आजादी के बाद का अब्दुल हमीद का उदाहरण हमें याद है। 1857 के गदर में रोटी और कमल की लड़ाई हिन्दू और मुसलमान ने साथ मिलकर शुरू की थी और उस समय कोशिश करके भी अंग्रेज फूट नहीं डाल पाए थे। अगर अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था, तो इसी देश के नेताओं का इस्तेमाल किया था। 1857 की लड़ाई में चाहे बहादुरशाह जफर हों, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे नाना साहब पेशवा हो और चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, सब एक थे। किसी के मन में भेदभाव की कोई बात नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, हमें अशफाक उल्ला खां का बलिदान याद है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद याद हैं। लेकिन हमें यह भी याद है कि हमारे भी देश के कुछ नेताओं की नीति के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण, वोट-परस्ती की नीति के कारण मोहम्मद अली जिन्ना जैसा उदारवादी नेता भी कट्टरपंथी नेता बना और अन्त में उसी के कारण भारत का विभाजन हुआ और ऐसे लोग आज भी इस देश में मौजूद हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना को जन्म देना चाहेंगे। इसलिए जब यह बात यहां पर आती है, तो हम कहते हैं कि हम मुसलमानों की देश भक्ति पर शंका नहीं करते। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं हमारे जितने मुसलमान भाई यहां बैठे हैं उनको मैं बताना चाहती हूं कि हम मुसलमानों की देशभक्ति पर कभी शंका नहीं करते। हम राष्ट्र के प्रति आपके कंट्रीब्यूशन पर कोई शंका नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय, शंका देश के दूसरे लोग करते हैं। देश की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर जब आडवाणी जी की रथ यात्रा बंगाल में पहुंची, तो बंगाल गवर्नमेंट के कम्युनिस्ट पार्टी के एक मंत्री ने, जो वहां की सरकार में बैठे हैं, उनका बयान आया कि अगर आडवाणी जी की रथ यात्रा बंगाल में आएगी, तो साम्प्रदायिक तनाव हो जाएगा। वैसे मैं पार्टी का भी नाम नहीं लेती, लेकिन यह खबर अखबारों में आई है। इसलिए मैंने पार्टी का नाम ले लिया है। जब मैं वहां गई, तो मैंने पूछा कि इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को देश की आजादी पसंद नहीं है क्योंकि वे देश की आजादी की स्वर्ण जयंती नहीं मनाना चाहते? जिस प्रकार से यहां दिल्ली में ए.आर. रहमान ने वंदे मातरम् गाया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यहां दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, उसको देखकर मुझे लगा कि मुसलमानों को वंदे मातरम् कहने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी और यदि मैं यह कहूं कि राम इस राष्ट्र के पूर्वज हैं, तो मुसलमानों को यह बात मानने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

मैं इकबाल की गजल की दो लाइनें आपको सुनाना चाहती हूं:

मीरे अरब को आयी ठंडी हवा जहां से,
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।

उसने कहा था कि मीरे अरब को यानी हजरत मुहम्मद को भारत से शांति और प्रेम की ठंडी हवा मिलती थी इसलिए मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर भाजपा को शंका नहीं है लेकिन दूसरे दलों के लोग उनकी राष्ट्रभक्ति पर शंका करते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि श्री आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक दो, नहीं तो साम्प्रदायिक तनाव हो जायेगा। श्री जोशी जी की एकता यात्रा को कश्मीर में जाने से रोक दो, नहीं तो साम्प्रदायिक तनाव हो जायेगा। क्यों होगा? क्या हिन्दुस्तान के मुसलमान कश्मीरी आतंकवाद के खिलाफ नहीं थे? क्या हिन्दुस्तान का मुसलमान आजादी की 50वीं वर्षगांठ का आनंद नहीं मनाना चाहता था? हमें मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर शंका नहीं है। हमें मुसलमानों की देशभक्ति पर शंका नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब बात यह आयी कि क्या मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भी धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, तो हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश का संविधान धर्म निरपेक्ष है और यह बातें हमसे ज्यादा हमारे जो विरोधी भाई हैं, उन्होंने कहा है। हमने तो बार-बार कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ

सर्वधर्म समभाव होता है लेकिन उन्होंने बार-बार यह कहा कि नहीं धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता है। हमारा कहना है कि जो मतभेद है, वह सेक्युलरिज्म को लेकर नहीं है बल्कि सेक्युलरिज्म के मायने को लेकर है। आपके लिए सेक्युलरिज्म के मायने धर्मनिरपेक्ष है और हमारे लिए सेक्युलरिज्म के मायने सर्वधर्म समभाव है। बस यही है। सेक्युलर के मीनिंग को लेकर डिफरेंस है लेकिन सेक्युलरिज्म को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि जब किसी देश का संविधान, किसी देश का कांस्टीट्यूशन सेक्युलर होता है, जब किसी देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष होता है, जब धर्म के ऊपर आधारित आरक्षण की मांग जब होती है, तो यहां पर जितने लोग धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मुझे पता है कि मेरी इस बात पर अचानक बवाल उठ सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि आप शांति से मेरे वाक्य को सुन लें। जो धर्म के नाम पर इस देश में आरक्षण की मांग करेंगे, इसका मतलब है कि वह इस देश को धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि धर्म पर आधारित राज्य बनाना चाहेंगे। अगर वह यह चाहते हैं कि यह देश धर्म पर आधारित राज्य हो जाये तो यह बात तय है कि इस देश में हिन्दुओं की मैजोरिटी है, तो यह राष्ट्र हिन्दू राज्य होगा। इसलिए जो धर्म आधारित आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वे हिन्दू राज्य की थ्योरी को मजबूत कर रहे हैं। हम हिन्दू राज्य की जड़ों मे पानी नहीं डाल रहे हैं बल्कि जो धर्म आधारित आरक्षण की मांग कर रहे हैं वही हिन्दू राज्य की जड़ों में पानी डाल रहे हैं। इस प्रकार से हिन्दू राज्य की थ्योरी को भारत में अपने तरीके से लाना चाहते हैं क्योंकि धर्म के आधार पर तो आरक्षण तब तक मिल ही नहीं सकता जब तक इस देश का संविधान सेक्युलर होगा। हां, मंडल कमीशन में बहुत सारी मुस्लिम जातियां हैं जो कि पिछड़ों में आती हैं और पिछड़ी जातियों की महिलाओं के नाम पर जो सीटें आरक्षित हों, उसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम कैंडीडेट को खड़ा कर दे। एक बहुत अच्छे मुस्लिम नेता ने यहां पर आपत्ति की थी कि कोई नहीं खड़ा करेगा। क्यों जी, आपको उनकी नीयत पर शक क्यों है? आप हमारी नीयत पर शक करो। आप उनकी नीयत पर क्यों शक करते हैं। यह वे लोग हैं कि मुसलमानों ने बाबर का नाम लेना बंद कर दिया। इस देश का मुसलमान बाबरी मस्जिद भूल गया। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं जैसे मंदोदरी ने रावण का नाम भले ही उसके मरने के बाद लेना बंद कर दिया हो, लेकिन उन्होंने आज तक बंद नहीं किया। वे आज तक उसे छाती से लगाये हुए हैं और जब भी मौका पड़ता है बाबरी मस्जिद को याद करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बाबरी मस्जिद के मामले में हमारे देश के जो कथित सेक्यूलर हैं, वे बुरी तरह से बेनकाब हुए हैं। भगवान का चमत्कार है। मैं भगवान की भक्त हूं इसलिए मुझे हर चीज में भगवान का चमत्कार दिखता है। आप भगवान का चमत्कार देखिये कि सरकार हमारी नहीं बनी। सरकार हमारे विरोधियों की बनी। सरकार बाबर के नाम पर रोने वालों की बनी। सरकार बाबरी मस्जिद के लिए छाती कूट-कूटकर विलाप करने वालों की बनी और कमाल यह देखिये कि दिल्ली का प्रधान मंत्री भी बाबरी मस्जिद के लिए रोने वाला था और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बाबरी मस्जिद के लिए विलाप करने वाला था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में उनको मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला तो दिल्ली का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री, दोनों जो बाबरी मस्जिद के नाम पर छाती कूट-कूटकर रोने वाले लोग थे, यह भूल गये। उन्होंने क्यों नहीं बाबरी मस्जिद के निर्माण में एक भी ईंट वहां पर रखने की कोशिश की? इसका कारण यह है कि हिन्दुओं से टकराने की हिम्मत वह भी नहीं कर सकते हैं। वे तो बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा करायें रहेंगे। कोई न कोई इश्यू ऐसा निकालते रहेंगे। खून की नदियां बहाते रहेंगे और खून की नदियों पर नाव चलाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठने का प्रयास करते रहेंगे। हमें मुसलमानों की राष्ट्र भक्ति पर शंका नहीं है। मैं तो मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण के लिए धरने पर बैठने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरे साथ सभी मुस्लिम भाई तलाक, विवाह और विरासत का जो कानून है जिसमें मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला के बीच में भेद है, पहले उस भेद को वह समाप्त कर दें और यह स्वीकार कर लें कि निकाह के मामले में, तलाक के मामले में और विरासत के कानून के मामले में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होगा क्योंकि महिला आरक्षण सोशल रिफोर्मेशन की थ्योरी के अंतर्गत आ रहा है और सोशल रिफोर्मेशन तो कम्पलीट होगा। अब यह तो नहीं होगा कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसके पीछे एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। यदि आप रीफॉर्मेशन लाएंगे तो आपको कम्पलीट रीफोर्मेशन लाना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आरक्षण की थ्योरी पर पुनर्विचार किया जाए। क्रीमी लेयर चाहे एस.सी. में हो, चाहे एस.टी. में हो, चाहे ओ.बी.सी. में हो, उसके बारे में विचार किया जाए।

दूसरा निवेदन है कि आने वाले सत्र में महिला आरक्षण बिल को निश्चित रूप से लाया जो। तीसरा निवेदन है कि उसमें निश्चित रूप से पिछड़ी जाति की महिलाओं को जोड़कर यहां लाना चाहिए। मैं यह बता दूं कि यदि आप उस सत्र में उसे नहीं लाए, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि क्या होना है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसके बाद यह होना है कि हमें वापिस सड़कों पर वोट मागने के लिए जाना है। ऐसी स्थिति में मैं पूरे हिन्दुस्तान की महिलाओं का आह्वान करूँगी कि ये वे लोग हैं जिन्होंने आपके आरक्षण लाने में बाधा खड़ी की। इसलिए पहले इनसे पूछिए कि महिला आरक्षण क्यों नहीं आ पाया। इसलिए मैं निवेदन करूँगी कि आप सभी लोग आने वाले सत्र में महिला आरक्षण और उसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं को और यदि मुस्लिम सांसद हमारी बात मान जाएं तो मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़कर जब तलाक, विवाह और विरासत के कानून का अंतर खत्म, पर्दा खत्म, बुर्का खत्म, दो महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर, ये सब बातें यदि खत्म हो जाएं तो फिर निश्चित रूप से मुस्लिम महिलाओं को भी उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस देश में महिलाओं को शिक्षित करना अनिवार्य कर देना चाहिए। इस देश में शिक्षा नीति पर भी हमें पुनर्विचार करना चाहिए। हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम ऐजूकेशन में क्या दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह मेरी समझ में आज नहीं आ पाया है कि हम इतिहास की किताबों में दो विरोधी बातें क्यों पढ़ा रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि अकबर महान् था तो राणा प्रताप महान् नहीं हो सकते और अगर हम कहेंगे कि राणा प्रताप महान् थे तो अकबर महान् नहीं हो सकता। अब दोनों महान् एक-दूसरे से टकरा गए और दोनों महान् थे, यह बात समझ में नहीं आती। हमने अपने हमलावरों को भी महान् कह दिया, हमने अपने आपको रोंदने वालों को भी महान् कह दिया। यह तो वैसे ही हो गया जैसे कोई थाने में रिपोर्ट कराने जाए और कहे दरोगा जी, जल्दी रिपोर्ट लिखो, मेरे घर में एक महान् चोर आया, उसने मेरी खूब बेइज्जती की, उसने बड़ी महानता से मुझे लूटा, उसने मेरी खूब पिटाई लगाई और वह इतनी महानता के साथ मेरा सारा खजाना लूटकर चला गया, बहुत महान् चोर आया था। हमने अपने हमलावरों को भी महान् कह दिया, हमने अपना अपमान करने वालों को भी महान् कह दिया और यह हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसी का रिजल्ट है कि हमारे देश के

फाइनैंस मिनिस्टर को यह भी पता नहीं है, वे कहते हैं कि हजारों साल पहले भारत में बहुत गरीबी थी, लोगों को खाने को नहीं मिलता था। मैं कई बार सोचती हूं कि तमिलनाडु के बिना पढ़े-लिखे कामराज और तमिलनाडु के पढ़े-लिखे पी. चिदम्बरम, तमिलनाडु के लोगों को शर्म आएगी ऐसे लोगों पर जिन्हें भारत का अतीत नहीं मालूम है, जिन्हें यह नहीं मालूम है कि अजन्ता, ऐलोरा, तक्षशिला, नालन्दा और खजुराहो इसी देश की धरती पर थे। कला वैभव के बिना नहीं पनपती। हमारे कला के जो स्मारक खड़े हैं, वे बता रहे हैं कि यह राष्ट्र कितना वैभवशाली था, घी-दूध की नदियां बहती थीं। मैं तो इस देश के वित्त मंत्री को कहूंगी कि दून स्कूल, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड को पढ़ने की जगह पर चीन यात्रियों को ही पढ़ लो। अगर इनफीरियॉरिटी कौम्प्लैक्स है कि भारत के लोग तो गलत लिखते हैं तो विदेशी यात्रियों को ही वे पढ़ लें। इसलिए शिक्षा में राष्ट्रवाद, शिक्षा में आर्थिक स्वावलंबन और शिक्षा में व्यक्तित्व विकास, ये तीन चीजें भी एक साथ हों जिसमें लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी आए, राष्ट्र के प्रति गौरव करने की इच्छा भी लोगों के अंदर आए और साथ ही व्यक्तित्व का विकास भी हो और आर्थिक स्वावलंबन भी जिस शिक्षा से प्राप्त हो क्योंकि मैकाले ने तो कहा था कि मैं अब काली चमड़ी के अंग्रेज यहां पर छोड़ जाऊंगा। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज हमारे देश पर तब तक राज नहीं कर पाए जब तक वे हमारे देश में रहे, जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए, उसके बाद इस देश में अंग्रेजों का राज्य शुरू हुआ है क्योंकि उसके बाद यहां अंग्रेजियत का राज शुरू हुआ है, उसके बाद इस देश में अंग्रेजी मानसिकता का राज्य शुरू हुआ है। इसलिए महात्मा गांधी जी की यह तस्वीर जो संसद के सामने है, मुझे लगता है कि जैसे वे अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं क्योंकि वे जिस ढंग से बैठे हुए हैं, मुझे लगता है जैसे वे उपवास में बैठे होंगे। मैं कभी उनकी तरफ देखती हूं तो मेरा मन होता है कि हम तो गांधी के विरोधी कहे जाते हैं, वह अलग बात है कि गांधी का काम सिर्फ हम लोग ही कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आज तक गांधी के नाम पर वोट मांगे हैं और राजनीति की है, वो कभी इधर देखकर सोचते हैं कि स्वदेशी कहां चली गई, गांधी का चरखा कहां चला गया, गांधी की खादी कहां चली गई, कृषि कहां चली गई, जो गांधी ने कहा था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, वह कहां चला गया, पंचायती राज्य के नाम पर जो मजाक आया, क्या महात्मा गांधी को इस बात का दुख नहीं होता होगा, पंचायती राज्य तो है लेकिन पंचायतों के लिए बजट कहीं भी नहीं है। हर राज्य का यही रोना है कि पंचायतों के लिए बजट नहीं है। लाईसैंस तो मिल गया है लेकिन बंदूक किसी के पास नहीं है और लाईसैंस देखकर शेर नहीं भागते, बंदूक को देखकर शेर भागते हैं। अब कोई शेर को लाइसेंस दिखाएगा कि मुझे मत मारो, देखो मेरे पास बन्दूक का लाइसेंस है तो उससे क्या हो जायेगा। पंचायती राज में यही हुआ है। लोगों को लाइसेंस तो मिल गया है लेकिन लोगों को बन्दूक नहीं मिली है। इसलिए अगर इस देश का विकास करना है तो गांवों का, ग्रामीण का, स्वदेशी का और शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन का, महिलाओं का, दलित का, एस.टी. का, एस.सी. का, ओ.बी.सी. का, ये राष्ट्र शरीर के सभी अंग हैं और राष्ट्र जीवन की विकास यात्रा में इन सब की बराबरी की भागीदारी हो सके, इसके लिए हमें एक बार बैठकर पुनर्विचार करना चाहिए। जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया था कि एक निष्कर्ष निकालकर और उसका संकल्प करके कि हम अपने आपमें परिवर्तन करेंगे, यह काम हमें जरूर करके जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, चूंकि आज सभा देर रात तक बैठेगी इसलिए माननीय सदस्यों, प्रेस और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों को रात्रि भोजन उपलब्ध कराने का प्रबंध किया गया है। माननीय सदस्यों और प्रेस के लोगों के लिए रात्रि भोज का प्रबंध कमरा संख्या 70 में तथा कर्मचारियों के लिए कमरा संख्या 73 में रात्रि 8.15 के पश्चात् किया जाएगा।

श्रीमती संध्या बौरी

***श्रीमती संध्या बौरी** (विष्णुपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित संसद के इस विशेष सत्र के दौरान चर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूं। सर्वप्रथम, मैं उन बहादुर देश भक्तों के प्रति सम्मान और आदर व्यक्त करती हूं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अंग्रेजों के द्वारा दो सौ वर्ष के शासन काल की समाप्ति के पश्चात्, हमारे मन में काफी आशायें थीं। लेकिन स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान हमें आत्म निरीक्षण करना चाहिए। यह खेद जनक और अत्यधिक दुख की बात है कि हमारी उपलब्धियां हमारी उम्मीदों से बहुत कम रही हैं। जब हम आस पास नजर डालते हैं और कटु यथार्थ का सामना करते हैं तो हमें अत्यधिक निराशा होती है। यह दुख की बात है किन्तु एक कटु सत्य है। आम लोगों की दयनीय स्थिति इस बात की परिचायक है कि हमारी उपलब्धियाँ हमारी उम्मीदों से बहुत ही कम रही हैं। एक ओर तो लोग भूखे, गरीब, बेरोजगार, बेघर हैं वहीं दूसरी ओर अत्यधिक लालच, असीमित धन के संग्रह, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और राजनीति के अपराधीकरण का बोलबाला है। आज हमारे देश में 15 करोड़ उपभोक्ता हैं और 38 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। देश को यह कैसी आजादी मिली है? अनेक बहादुर देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन यह दुख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद भी हम जनता की रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत आवश्यकतायें भी पूरी नहीं कर पाये हैं।

*मूलत: बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सायं 7.23 बजे

[श्री पी.सी. चाक्को *पीठासीन हुए*]

जिस दल ने देश की बागडोर लगातार 40 वर्षों तक अपने हाथों में रखी, वह जनता को इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कराने में असफल रहा है। जब हम चारों तरफ भूख और गरीबी देखते हैं तो हमें क्षोभ होता है। क्या इसी स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे? 1951 से प्रारंभ हुई पहली पंचवर्षीय योजना के बाद के वर्षों में अनेक पंचवर्षीय योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। लेकिन दूरदर्शिता और यथार्थवादी दृष्टिकोण के अभाव में हमारे नेतागण असफल रहे हैं। कोई भी सुसमन्वित कार्यक्रम शुरू नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप हमारे नेतागण जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कराने में असफल रहे।

निरन्तर बढ़ती जनसंख्या की समस्या को इस राजनीतिक नेताओं की अक्षमता और असफलताओं का मुख्य कारण बताया जाता रहा है। सभी अविकसित देशों में जनसंख्या विस्फोट की गम्भीर समस्या है। हमने देश के अनेक भागों में 11 जुलाई जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया। 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। 1991 में यह बढ़कर 84.63 करोड़ हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष आंकड़ों के अनुसार हमारी वर्तमान जनसंख्या 96.02 करोड़ है जो 1997 में बढ़कर 97 करोड़ हो गई है। इसका मतलब यह है कि इसमें 6.10 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन इसके अनुरूप अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन संभव नहीं हो सकता था। यद्यपि आंकड़ों से यह पता चलता है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में चार गुना वृद्धि हुई है लेकिन खाद्यान्न की आवश्यकता की दृष्टि से यह पर्याप्त नहीं है। न केवल खाद्यान्न, ज्यादातर लोगों को मकान, कपड़ा अथवा शिक्षा भी उपलब्ध नहीं है।

जनसंख्या की यह विस्फोटक स्थिति विगत 40 से 50 वर्षों के दौरान हुई है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु हमने किसी समन्वित परिवार नियोजन कार्यक्रम को नहीं अपनाया। यदि हमने कोई सुव्यवस्थित परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया होता तो हम अनेक संकटों और समस्याओं का समाधान कर चुके होते। विगत सरकार जिसने इस देश पर 40 वर्ष तक शासन किया, अपनी इस विफलता से इनकार नहीं कर सकती।

हमारे, पड़ोसी देश चीन ने हम से दो वर्ष पश्चात्, अर्थात 1949 में स्वतंत्रता प्राप्त की। आज उसकी जनसंख्या 124.37 करोड़ है जो विश्व में सबसे अधिक है। लेकिन उन्होंने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया है। इस सफलता के पीछे क्या राज है? अपने नेताओं की दूरदर्शिता और उनके यथार्थपरक सोच तथा गरीबों के प्रति उनकी गहरी चिंता के कारण सफल रहे। वहां स्वतंत्रता के पश्चात् कृषि तथा औद्योगिक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गई। यदि आज हम भारत में जनसंख्या नियंत्रण को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देंगे तो वर्ष 2000 तक हमारी जनसंख्या 100 करोड़ हो जाएगी और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में हमारी जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। कम से कम जनसंख्या की दृष्टि से तो हम विश्व में पहले स्थान पर होंगे।

भारत में जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अनेक कारण हैं, भारत में साक्षरता का दर 50 प्रतिशत है। उच्च निरक्षरता दर तथा अज्ञानता जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण है। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तत्पश्चात् तमिलनाडु का स्थान आता है। 1993 में भारत में कुल प्रजनन क्षमता दर 3.5 थी जबकि केरल में यह 1.7 और तमिलनाडु में 2.1 थी। जहां तक साक्षरता का संबंध है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश काफी पीछे हैं। लेकिन उनकी जनसंख्या देश की जनसंख्या की वृद्धि का 42 प्रतिशत है। अत: यह स्पष्ट है कि अशिक्षा तथा गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई है। शिशु मृत्यु दर अधिक होने के परिणामस्वरूप निर्धन माता-पिता सुरक्षा की दृष्टि से अधिक बच्चे पैदा करते हैं। किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर माता-पिता अपनी आय में वृद्धि के लिए अपने छोटे बच्चों पर भी निर्भर करते हैं। अत: परिवार की आय में वृद्धि के लिए ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं जिसके कारण बाल श्रम जैसी अवांछनीय सामाजिक कुप्रथा फैलती है। इन गरीब बच्चों का कोई बचपन नहीं होता। ये अल्पायु में ही परिवार के लिए धन कमाने लगते हैं। ज्यादातर बच्चे बंधुआ मजदूर या विभिन्न कंपनियों में कम मजदूरी पर कार्यरत रहते हैं। यह शर्म की बात है कि ये छोटे बच्चे, जिनकी उम्र खेलने और पढ़ने की होती है, वे अपना समय अपने परिवार के लिए पैसा कमाने में व्यतीत करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उन गरीबों को अच्छी सुविधायें नहीं दे पाये। हम ने जनता को जनसंख्या वृद्धि के गम्भीर परिणामों से अवगत नहीं कराया। उन्हें परिवार नियोजन के फायदे नहीं समझाये गये। उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गईं। उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात् भी जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है।

बहुत पहले से ही हमारे समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव की भावना व्याप्त है। यदि हम अपनी उपलब्धियों का लेखा-जोखा देखते हैं तो हमें एक परेशान करने वाला परिदृश्य दिखायी देता है। हमारी जनसंख्या में लिंग-अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर 927 महिलाएं हैं। 1981 में यह प्रति हजार पर 934 था। लिंग-अनुपात में गिरावट वास्तव में खतरे का सूचक है और इसके पीछे सामाजिक परिदृश्य है। हम जानते हैं कि हमारी सामाजिक प्रणाली में किस प्रकार प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण "अमनिओसेनटेसिस" की अंत:कारण की प्रेरणा के प्रतिकूल प्रथा व्याप्त है। हमारी सामाजिक रीति के अनुसार पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी और बूढ़े मां-बाप की देख-रेख करने वाला माना जाता है। इसी कारण भारत में बालिका भ्रूण हत्या और शिशु हत्या बहुत बढ़

गई है। मुम्बई में ही 40,000 बालिका भ्रूणों की हत्या की गई है। संसद के इस विशेष सत्र में जब हम स्वतंत्रता के 50वें वर्ष को मना रहे हैं मैं एक सकारात्मक-पूर्णत: विकसित योजना की मांग करती हूं जिससे कि बालिका भ्रूण हत्या की अनैतिक प्रथा को समाप्त किया जा सके। कुछ लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम को न अपनाने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं। इनमें से कुछ तो पुत्र के जन्म तक लगातार सन्तानोत्पत्ति किये चले जाते हैं। इस प्रकार यह मनोवृत्ति भी जनसंख्या में भारी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।

अब मैं जनसंख्या की महत्वपूर्ण समस्या से निपटने के लिए सुझाव देना चाहूंगी। शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और स्त्री शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। यदि वे शिक्षित होंगी तो जागरूक हो जायेंगी और परिवार नियोजन कार्यक्रम का अनुपालन करेंगी। हमारे देश में शिशु और माता मृत्युदर क्रमश: एक हजार में 74 और एक लाख में 570 है। इस समस्या से, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, मातृ स्वास्थ्य, जो कि शिशु उत्तरजीविता के लिए अत्यंत आवश्यक है, को आरम्भ कर निपटा जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्यप्रद वातावरण के प्रति जागरूकता और पूर्ण संरक्षण जनसंख्या की वृद्धि को रोकने में प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। मैं कह सकती हूं कि इन सभी घटकों का एकीकृत प्रबन्ध हमारी जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान की कुंजी है।

नीति निर्धारण संबंधी निर्णय लेने के मामले में महिलाओं को शक्ति प्रदान किया जाना आरम्भ किया जाना चाहिए। प्राचीन काल से ही हमारे समाज ने कभी भी नीति निर्धारण संबंधी निर्णय लेने के मामले में महिलाओं को अधिकार प्रदान नहीं किये। अब हम महिलाओं को शक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में समाज के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन देखते हैं। हम लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को लाये हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश इस सत्र में भी यह विधेयक पारित नहीं हो सका। हम अपनी पंचायत प्रणाली में भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण देते हैं। ऐसी महिलाएं विभिन्न ब्लाकों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को पारित करें। महिलाओं को अपने पुरुष साथियों के साथ में भागीदारी करने दीजिए। तभी महिलाओं के विरुद्ध काफी लम्बे समय से चल रहे भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा और कुछ हद तक उनके साथ न्याय किया जा सकेगा।

हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष सत्र में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

सायं 07.34 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

श्रीमती मीरा कुमार

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार (करोलबाग-दिल्ली): सभापति महोदय, मैं कृतज्ञ हूं, लोक सभा के अध्यक्ष महोदय की कि आजादी की स्वर्ण जयन्ती पर उन्होंने यह विशेष सत्र बुलाया है, वरना इस जीवन की आपा-धापी में मुश्किल ही है कि हमें वक्त मिलता और हम बैठते कुछ सोचने के लिए। अध्यक्ष जी ने चार दिन का यह अधिवेशन बुलाया है, ताकि हम पीछे मुड़कर देखें कि हमने क्या-क्या किया और कहां चूक गए, कौन-कौन सी मंजिलें तय कीं और कौन-सी भूल गए। समता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हम सब आपस में बैठकर तय करें एक नया एजेन्डा लें एक नया संकल्प, हमारे आगे हो एक नया विजन और हम निकल पड़े अगले पचास साल के सफर पर, क्योंकि 21वीं सदी अपना दरवाजा खोलकर हमारे स्वागत के लिए खड़ी है।

महोदय, इस सभा में विभिन्न पार्टी के लोग बैठे हैं। हम सबके आपस में मतभेद हैं, लेकिन हम सबके बहुत गहरे रिश्ते भी हैं। इतना गहरा रिश्ता है कि इतना गाढ़ा रिश्ता और हो नहीं सकता और वह रिश्ता है सपनों की साझेदारी का। हम सब की आंखों में एक ही स्वप्न तैर रहा है कि कैसे हम अगले 50 सालों में अपने इस भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखें? कैसे हम अपने भारत को गौरव के शिखर पर बैठायें। कैसे हम गंगा के इस देश को आकाशगंगा से भी ज्यादा ऊपर उठायें। मैं नतमस्तक हूं, स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों के चरणों में, जिन्होंने 1857 से 1947 तक सिर पर कफन बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया।

"मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक।"

लेकिन एक गलत धारणा भी है कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों में अधिकांश उच्च वर्ग के थे। ऐसा नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है, बड़ा अभिमान है, बड़ा नाज है कि हजारों साल से जिन्हें अपमानित किया गया था, जिन पर अमानुषिक अत्याचार किया गया था वे हरिजन आदिवासी भी जब देश की पुकार आई तो टोलियां बना-बना कर आजादी के महायज्ञ में अपनी आहूति देने के लिए दौड़ पड़े।

सभापति महोदय, सच्चाई तो यह है कि इस देश को दबे-कुचले लोगों की आह ने गुलाम बनाया था और इस देश को दबे-कुचले लोगों के पुरुषार्थ ने आजाद कराया। यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत दिनों तक समाज के एक बहुत बड़े अंग को जाति-पाति के नाम पर पददलित कर दिया गया था। उनके मन में यह भावना उठ गई थी कि-

"कोउ नृप होय हमें का हानी, दासी छोड़ न हो अब रानी।"

जब समाज के बहुत बड़े वर्ग में ऐसी तटस्थता, उदासीनता आ जाए तो कालांतर में वह समाज गुलाम हो जाता है, वह देश गुलाम हो जाता है। मगर आजादी की लड़ाई में यही वर्ग, जिसे काट कर, तिरस्कार करके अलग कर दिया गया था, वो अपनी कुर्बानी देने के लिए दौड़ा आया था। मुझे पीड़ा होती है जब स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख होता है तो कभी भी इन हरिजन आदिवासी सेनानियों का उल्लेख नहीं होता है। इतिहास के पन्नों पर इनके लिए जगह नहीं होती। इनका जिक्र सरकारी दस्तावेजों में नहीं होता है। यहां तक कि अभी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर सरकार ने जो स्मारिका बांटी है उसमें भी इनका जिक्र नहीं है, उल्टे उनका जिक्र है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। जो 1942 से 1946 तक वाइसराय की कौंसिल में थे उनकी फोटो छपी है।

सभापति महोदय, मैं इस बिन्दु पर सरकार की भर्त्सना करती हूं और आपसे आश्वासन चाहती हूं कि इस भूल का सुधार होगा।

इन 50 सालों में 46 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश की बागडोर संभाली। इसलिए जो भी नफा-नुकसान है वह कांग्रेस के खाते में दर्ज होगा। कल जब यहां चन्द्रशेखर जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत और उसके बाद जितने मुल्क आजाद हुए उन सब ने अपने यहां जम्हूरियत का चिराग जलाया। लेकिन रफ्ता-रफ्ता और सब मुल्कों में वे चिराग गुल हो गए परन्तु हमारे यहां वह रोशन है। कहते हैं कि जम्हूरियत अवाम के दम पर चलती है तो क्या उन मुल्कों की अवाम नकारा थी कि वहां जम्हूरियत का दम घोटा गया या नहीं, वहां की सरकारें नकारा थीं। हमने अपने यहां जनतंत्र को मरने नहीं दिया। यह बहुत चुनौती का काम था क्योंकि हमारे देश में तरह-तरह के धर्म, जातियां, उप-जातियां, भाषाएं, क्षेत्र, प्रांत हैं और किस्म-किस्म के रहन-सहन, रस्मो-रिवाज हैं तथा बांटने वाली और बिखेरने वाली बहुत सी चीजें हैं। इन सबको एक सूत्र में पिरोकर रखना, सबको साथ लेकर चलना, हर समय यह सतर्कता बरतना कि कौन-सा नारा कब असंतुलन ला देगा और सब कुछ जमीन पर टूटता नजर आयेगा, बड़ा कठिन काम था। लेकिन हमने जनतंत्र को मरने नहीं दिया। जनतंत्र और धर्म-निरपेक्षता की बलिवेदी पर महात्मा गांधी शहीद हो गये लेकिन हमने जनतंत्र को मरने नहीं दिया। आप कहेंगे और बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है और मैं इसको स्वीकार करती हूं कि हमारा जनतंत्र उतना मजबूत नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं कि मजबूत होगा कैसे? जनतंत्र और जातिवाद साथ-साथ नहीं चल सकते। दोनों में से एक को चुनना होगा। हमारे इतिहास के किस चौराहे पर पता नहीं कब यह दुर्घटना घट गयी। जिसने हमारे समाज को जात-पात के नाम पर टुकड़े-टुकड़े कर दिया।

कुछ लोगों ने कहा कि दलित दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं। गरीबी की मार शरीर पर चोट करती है कपड़ा नहीं, दवा-दारू नहीं, रहने के लिए छत नहीं एक बात है। मैं यह कहना चाहती हूं कि गरीबी की मार शरीर पर चोट करती है लेकिन जात की मार सीधे आत्मा पर चोट करती है और उसको पंगू बना डालती है। पिछले 50 सालों में हमें चाहिए था कि हम जात को पीछे छोड़ आते, दूर कहीं पीछे छोड़ आते। लकिन यह हो नहीं पाया। आज स्थिति यह है कि जाति आगे-आगे है और जनतंत्र पीछे-पीछे घिसटता हुआ चलता है। हमारे मस्तिष्क में जनतंत्र है और भावनाएं जाति में उलझी हुई हैं। हमें यह दोहरापन बंद करना होगा। जनतंत्र और लोकतंत्र की दुहाई करने वालों को यह दोहरापन बंद करना होगा, नहीं तो लोकतंत्र टूट जाएगा। जाति को हमें खत्म करना होगा।

यह विशेष सत्र दिल पर हाथ रखकर बात करने के लिए बुलाया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि आप जाति को कैसे तोड़ेंगे? बड़ा मुश्किल काम है। कहते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन समय ने जात को नहीं बदला है। कैसे खत्म करें, बड़ा मुश्किल है। एक तरीका समझ में आता है कि अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए। हम सभी यहां पर संकल्प लें। सभी पार्टियां संकल्प लें कि जो अन्तर्जातीय विवाह करेंगे उन दम्पत्तियों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, पदोन्नति में, टिकट के वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे यहां तो विशेष अधिकार देने का अनुभव है। कुछ करना होगा और केवल यही करने से पूरा नहीं होगा। अभी उमा भारती जी जिक्र कर रही थीं उन्हीं की तरह लोग दो-चार ठीक-ठाक हरिजनों को देखकर कह देते हैं कि इनकी हालत सुधर गयी है। मैं कहना चाहती हूं कि आप गांव में जाकर देखें कि इनकी क्या हालत है। खेतिहर मजदूर, भूमिहीन किसान आज भी अंजली भर चावल और दस रुपए की दिहाड़ी पर काम करता है। अगर आवाज उठती है कि हमारी मजदूरी बढ़ा दो तो हो सकता है दूसरी रात को उसे गोलियों से भून कर रख दिया जाए।

मैं जब से राजनीति में आई हूं, कोई महीना ऐसा नहीं जाता, जब हरिजन अत्याचार के मामले के लिए मुझे सुदूर गांव में न जाना पड़े। कोई सुबह ऐसी नहीं होती, जब मैं अखबार खोलती हूं तो भगवान से मन्नत मांगती हूं कि आज हरिजन अत्याचार का कोई मामला मुझे पढ़ने को नहीं मिले। यह बीसवीं सदी का उत्तरार्द्ध है। हम 21वीं सदी की चौखट पर खड़े हैं। आज अगर हमारे समाज और देश में एक भी हत्या हरिजन अत्याचार के नाम पर होती है तो पूरे देश को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। हम जनतन्त्र की दुहाई देते हैं। पहले हमें इन भूमिहीनों को जमीन देनी होगी। हम यह संकल्प लें। आरक्षण अभी भी आठ परसैंट से ज्यादा लागू नहीं हुआ है। नौकरियों में बेहिसाब बैकलॉग है। मंडल का गुस्सा एस.सी. और एस.टी. पर उतारा जा रहा है। आवाज उठ रही है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। हजारों साल से हर तरह का अपमान सह कर यह लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। अपने हाथों को मिट्टी में सान कर, अनाज पैदा करके पूरे देश को खिला रहे है, इमारतें बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, जूता बना रहे हैं, सिर के ऊपर मैले की टोकरी उठा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। हिन्दुस्तान को चमकता हुआ चमन बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लोहे का, लकड़ी का, मिट्टी का और धातु का काम करके उनका सामान बना कर दे रहे है। वे पशु धन पाल रहे हैं। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह उन लोगों के परिश्रम के कारण कहा गया है। यह उन लोगों की हस्तकला है जो कि विश्व में विख्यात है। इन्हीं लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित करके सम्पदा, शिक्षा, सम्मान और सत्ता से वंचित रखा गया है।

सभापति महोदय, जब समुद्र मंथन हुआ था तो बड़ा भयंकर विष कालकूट निकला था। जब उसे शिव ने पी लिया था तो कहलाए-नीलकंठ। ये लोग तो हजारों सालों से दिन में कई बार जहर पीते हैं और कहलाते है-अछूत। समाज इनके कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इन्हें जो आरक्षण दिया गया है, उसका अभी सूत भी अदा नहीं हुआ

है, मूल की बात छोड़ दीजिए। हम लोकंत्र की दुहाई देते हैं। अगर नीयत है तो इन लोगों को सत्ता में भागीदारी देने की बात करिए।

गांधी जी के बारे में कहा गया कि आजकल एक रिवाज चला है कि कंगूरे में जो पत्थर रखे जाते हैं वे नींव के पत्थर की ओर बड़ी नफरत से देखा करते हैं और यह भूल जाता है कि उस नींव के पत्थर के कारण वे कंगूरा बने हैं। वर्ना उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। गांधी जी के बारे में कल यहां कहा गया और मैं गांधी जी को डिफेण्ड नहीं कर रही हूं। गांधी जी को डिफेण्ड करने की जरूरत नहीं है। गांधी जैसी महान विभूति को मीरा कुमार जैसी तुच्छ के डिफेन्स की जरूरत नहीं है लेकिन मैं अपने आत्मसंतोष के लिए कर रही हूं। यहां कहा गया कि गांधी ने हरिजनों और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। मैं पूछती हूं कि 1930 में, 1920 में किसने काम किया? दिल्ली आते थे तो वे किसी राजभवन में ठहर सकते थे, लेकिन वे जाकर किसी वाल्मीकि बस्ती में रहा करते थे। गांधी ने निर्देश दिया था कांग्रेसजनों को कि जाओ, और उनके निर्देश पर कांग्रेसजनों ने इस शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गांव-गांव में घूमकर छुआछूत मिटाने का काम किया। गांव-गांव में घूमकर हरिजनों को शिक्षा देने का, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। गांव-गांव में घूमकर सामाजिक न्याय का अलख जगाया। ये गांधी है जिन्होंने सामाजिक न्याय का अंकुर बोया था, जो आज एक वृक्ष बनकर यहां पर खड़ा है। ...*(व्यवधान)* अगर आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाती हूं।

सभापति महोदय: आप बोलिये।

[अनुवाद]

श्रीमती मीरा कुमार: यदि आप समय नहीं देते हैं, तो मैं बैठ जाती हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ठीक है। आप बोलिये मगर थोड़ा समय का ध्यान रखिए।

श्रीमती मीरा कुमार: गांधी ने अंकुर बोया था सामजिक न्याय का जो आज वृक्ष बना है और उसमें फल-फूल लगे हैं, साथ-साथ कांटे भी लगे हैं और ये वह कांटे हैं जो आज बढ़कर गांधी के खिलाफ बोला करते हैं।

जब हमारे यहां का सोना गिरवी रख दिया गया, जब हमारा विदेशी मुद्राकोष सूख गया तो हमारी अर्थव्यवस्था मृत्युशैया पर अंतिम सांसे ले रही थी। उस समय कांग्रेस ने उसे जीवनदायिनी औषधि दी थी और उस समय आर्थिक सुधार, विदेशी पूंजी निवेश, निजीकरण, उदारीकरण किया था। आज उसी के फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। आज उसे जीवनदायिनी औषधि देने की जरूरत नहीं है। आज हमें फिर से बैठकर सोचना है कि पूंजी निवेश हम कंज्यूमर सैक्टर से हटाकर सोशल सैक्टर में करें, इनफ्रास्ट्रक्चर के सैक्टर में करें। इस मामले में हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। हम चीन की बात बार-बार करते हैं। चीन अपने यहां विदेशी पूंजी का निवेश अपनी शर्तों पर करता है। हमें भी विदेशी पूंजी का निवेश भारत में अपनी शर्तों पर करना होगा। इसके लिए झुकने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक माननीय सदस्य को दस मिनट का समय दिया जाएगा ...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.00 बजे

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: मैं आपसे नहीं कह रहा हूं ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात पूरी करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री राम नाईक: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि दलों को समय दिया गया था। इस प्रक्रिया में, अब यह हो रहा है कि हमारे सदस्यों को उचित और हमेशा की तरह अवसर नहीं मिल पा रहा है। सुबह हमने इस बारे में अध्यक्ष महोदय से चर्चा की थी। हमें दुख की अनुभूति हो रही है। मैं एक पहलू की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इस बात पर सहमति हुई थी कि प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा। महोदय यह आपकी इच्छा थी। आप स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। परन्तु अभी भी भाजपा के पास पर्याप्त समय है। हमारे पास वक्ताओं की सूची है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं जानता हूं। आपको पांच घंटे और सात मिनट का प्रचुर समय मिला है।

श्री राम नाईक: इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। इस बात को दृष्टि में रखकर ही मैं यह कह रहा हूं कि आप कृपया इसे इस प्रकार विनियमित कीजिए कि हमारे सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिले ...*(व्यवधान)* श्रीमती मीरा कुमार, मैं आशा करता हूं आप इसे अन्यथा न लेंगी। मुझे आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना है ...*(व्यवधान)* हमने आपको परेशान नहीं किया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मीरा कुमार जी, अगर आप जल्दी खत्म कर लें तो अच्छा होगा।

श्रीमती मीरा कुमार: सभापति महोदय, यह बोलने ही नहीं देते हैं। आपने और लोगों को तो नहीं कहा, उस समय आपने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया। एक शृंखला बनती है, आप बीच में खड़े हो जाते हैं, आप बैठ जाएं।

सभापति महोदय: आप बोलिये, लेकिन थोड़ा समय को ख्याल में रखकर बोलिये।

श्रीमती मीरा कुमार: सभापति महोदय, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यहां आ रही हैं और मेरे मन में बाल मजदूरों की एक चिंता है जिसे मैं व्यक्त करना चाहती हूं। हमारे देश में सबसे ज्यादा बाल मजदूर हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर हमारे देश में हैं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश में या किसी भी विकासशील देश में सस्ती मजदूरी के आकर्षण में बंधकर जाती हैं। बाल मजदूरी से सस्ती और कोई मजदूरी नहीं है और खास करके अभी यह रिपोर्ट आ रही है कि पश्चिम के जो उन्नत देश हैं वहां पर भी अश्वेतों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे फिर से मजदूरी करने लगे हैं, जहां बाल मजदूरी बंद हो गई थी। इसलिए यह पार्टी की बात नहीं है। मैं हमारे बच्चों के भविष्य की बात कर रही हूं, बाल मजदूरों की बात कर रही हूं। हमें बहुत सजग रहना होगा, बहुत सतर्क रहना होगा और आज इस सत्र में हम जो संकल्प लेने जा रहे हैं, उनमें एक संकल्प यह भी लेना होगा कि हम अपने देश से बाल मजदूरी की प्रथा को समाप्त करेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि समय कम है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक चिन्ह चरखा और खादी है। दुनिया के और इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जिसमें सूर्य अस्त नहीं होता था, उस साम्राज्य की जड़ें उखाड़कर फेंक दी थी उस चरखे और खादी ने। आज जो बुनकर हैं, वे बेकार हैं, भुखमरी के शिकार हैं। रिक्शा चलाते हैं। चरखे कबाड़ी के यहां बिक गये हैं। आज हमारी स्वतंत्रता की इस स्वर्ण जयंती पर हमें यह भी संकल्प लेना है, यह हमारे एजेंडा का एक काम रहेगा कि हम फिर से उन बुनकरों को काम दें। चरखे, हथकरघे और खादी को फिर से गरिमा मंडित करे।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि एक प्रश्न एक बात यहां अटल जी ने उठाई थी।

जब माफी का सिलसिला चला है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी आ रही हैं, उसकी चर्चा हो रही है, अटल जी ने उसी संदर्भ में एमरजेंसी के लिए माफी की चर्चा की। हम भी आरम्भ से उसकी शुरूआत करना चाहते हैं। हमारे यहां महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके लिए भी संबंधित लोगों को माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपिता ने इस देश में रामराज्य की परिकल्पना की थी, उनकी आखिरी सांस में राम बसे हुए थे, फिर स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती पर, हम वे क्यों न उसके लिए प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें।

अंत में, हमारे जो सांझे सपने हैं कि हम इस देश को महान बनाएंगे, उसके लिए हमसे पहले वाली पीढ़ी ने कुर्बानी दी लेकिन हमारी पीढ़ी ने अभी तक कोई कुर्बानी नहीं दी है। आज जब भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं, अगर कुर्बानी देने का संकल्प हम कर लें, लोक सभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई छेड़ने की बात कही, यदि स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई के लिए हम भी कुर्बानी देने की होड़ लगा दें, फिर यह जो चिन्ता है कि सफेद खादी कुर्ता देखकर लोगों में घृणा करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, वह अपने आप धुल जाएगी।

सन् 2047 में पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे लेकिन जो महान सपना हमने देखा है कि हम अपने राष्ट्र को महान बनाएं, मुझे विश्वास है कि वह साकार होगा, उसके लिए हम कुर्बानियां करेंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मुझे लम्बा भाषण नहीं देना है। मैं कोशिश करूंगी कि जितना समय आपने मुझे दिया है उतने मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं एक ऐसे विषय को उठा रही हूं जिसे मैं मानव संसाधन विकास शीर्ष के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण मानती हूं। इस पर सभी उपलब्ध प्रतिष्ठ वक्ताओं ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। परन्तु मैं समझती हूँ कि इसे उतना महत्व प्रदान नहीं किया गया है जितना कि आज की स्थिति में इसे दिया जाना चाहिए था। यह विषय है जनसंख्या।

मैं नहीं जानती कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाहर लगी जनसंख्या घड़ी को कितने लोगों ने देखा होगा। वह अब वहां पर नहीं है। परन्तु जब यह घड़ी लगी हुई थी तो हमें प्रति सेकिंड जनसंख्या विस्तृत आंकड़े पता चलते थे। उसके अनुसार, प्रति सेकण्ड 40 बालक जन्म लेते थे, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर दो प्रतिशत थी और प्रति वर्ष जनसंख्या में लगभग 18 मिलियन लोगों की बढ़ोत्तरी हो जाती थी। यह आंकड़े चौकाने वाले और पूर्णत: अस्वीकार्य थे फिर भी इस अत्यधिक गम्भीर समस्या पर हम सबने बिना किसी गम्भीरता और उत्साह से चर्चा की। यदि हम एक मिनट के लिए सोंचे कि हम किस प्रकार 18 मलियन अतिरिक्त पालनों, 18 मिलियन अतिरिक्त शिशुगृहों, 18 मिलियन अतिरिक्त विद्यालयों, 18 मिलियन अतिरिक्त कमरों और मकानों और 18 मिलियन अतिरिक्त पेट भरने की व्यवस्था करेंगे। 2040 में हमारी जनसंख्या वर्तमान से दुगुनी हो जायेगी। हमारे पास चलने फिरने के लिए जगह कहां होगी? सड़कों के लिए स्थान कहां होगा? हम इन सब लोगों को आवास कहां प्रदान करेंगे? मेरे विचार से इस समय या पचासवें वर्ष में, यदि हम बैठकर सोचें कि यदि आज स्थिति इतनी बदतर है तो आगामी दो वर्षों में स्थिति क्या होगी? इस संबंध में हम क्या करने जा रहे हैं? 2040 में क्या स्थिति होगी?

यदि हम शहरीकरण की ओर देखते हैं, जितना ज्यादा शहरीकरण होगा, उतनी ही कृषि योग्य भूमि कम होगी और इस प्रकार इन शहरियों को खिलाने के लिए भोजन कम होगा। इसका अर्थ होगा और ज्यादा प्रवजन और ज्यादा लोग घटिया घरों, झुग्गियों और झोपड़ियों में रहने लगेंगे और अपराधों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। क्या हम भावी पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं?

यह बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति है। इससे हमारे योजनाकारों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। क्या हम हमारे समक्ष उपस्थित अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं? वर्ष 1952 में भारत परिवार नियोजन के दृष्टिकोण को अपनाने वाला एक अग्रणी देश था। पचास वर्ष बाद, यदि हम इसका लेखा जोखा करें तो पायेंगे कि हम इसके कार्यान्वयन में बहुत पीछे हैं।

वर्ष 1991 में योजना आयोग द्वारा एक प्रयास किया गया था जिन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष पृष्ठभूमि के दस्तावेज रखे, जिसमें जनसंख्या के विस्तार की समस्या पर विचार-विमर्श किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री के अंतर्गत एक उप समिति भी नियुक्त की गई थी और राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री भैरो सिंह शेखावत समेत अनेक विशिष्ट व्यक्ति उस बोर्ड में शामिल थे।

उस दल के विचार-विमर्श से प्रेरणा प्राप्त कर, श्री शेखावत के मुख्यमंत्रित्व में राजस्थान सरकार ने, दस्तावेज के जारी होने से पहले 17 जून, 1992 के अध्यादेश के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करने की पहल की और उन्हें स्वीकृत किया और इनको 28 नवम्बर, 1992 के नगरपालिकाओं (द्वितीय संशोधन) के साथ राजस्थान विधान सभा द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी प्रतिनिधि जो चुनाव जीतता है और चुनाव के बाद उसके एक वर्ष में दो से अधिक बच्चे होते हैं तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप नगरपालिकाओं और पंचायतों के लगभग 700 लोगों को अयोग्य ठहराया गया। इसी तरह की पहल अन्य राज्यों जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और हाल ही में दिल्ली में भी की गई जिन्होंने अपनी नगरपालिकाओं में ऐसे विधेयकों को पुर:स्थापित किया है।

लक्षद्वीप सहित अंडमान और निकोबार द्वीपों ने भी इस योजना को लागू किया और बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की संकल्पना पर मुख्य रूप से जोर दिया।

एक गलत संकल्पना है, मैं महसूस करती हूं कि जनसंख्या वृद्धि का कारण अपनाए गए मानदंडों की असफलता है। यह पूर्णत: सही नहीं है क्योंकि 1951 और 1990 के बीच मृत्यु दर में काफी कमी आई थी जोकि 27.4 प्रतिशत गिरकर 9.7 प्रतिशत रह गई है जबकि जन्म-दर में उतनी कमी नहीं आई है और जन्म दर 39.9 प्रतिशत से 30 प्रतिशत ही हुई है। आपातकाल की अलोकप्रिय अवधि के दौरान इस कार्यक्रम को भारी क्षति पहुंची थी जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

यह अनुसंधान द्वारा सिद्ध आर्थिक तथ्य है कि प्रसव दर में कमी के कारण वित्तीय तथा आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। प्रसव दर अनेक कारकों पर निर्भर करती है। उनमें महिलाओं में साक्षरता, महिलाओं का जीवन-स्तर उनकी कमाने की क्षमता, उनकी सामाजिक स्वीकार्यता और महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों में भाग लेने की उनकी योग्यता जैसे कारक भी शामिल हैं।

यह बात महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को अधिकार सौंपे जाने चाहिए क्योंकि इसके बिना वह यह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पायेंगी जब तक कि उन्हें अधिकार न सौंपे जाये। वे इस विशिष्ट नीति के प्रति अपने आपको पूर्णत: समर्पित नहीं कर पायेंगी कि आने वाले वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना है।

यह विडम्बनापूर्ण है कि उत्तरोत्तर केन्द्रीय सरकारों ने आर्थिक सुधार के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है क्योंकि यह विकास के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जनसंख्या तथा अर्थव्यवस्था उसके खतरनाक प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विचार में इस समय इस बात की आवश्यकता है कि इस अच्छे काम के लिए निरंतर तथा संयुक्त प्रयास किये जाएं क्योंकि अंतत: यह समस्या हम सबसे तथा हम सबके जीवन से संबंधित है।

प्रत्येक राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में जनसंख्या के प्रश्न पर ऊपरी तौर पर ही कहा जाता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बाद, भी मैं समझती हूँ कि स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय को मुख्य मंत्रालय के रूप में विधिवत स्वीकार नहीं किया गया है। यदि हम इसे सफल बनाना चाहते हैं तो इस समय सारी योजना इस महत्वपूर्ण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय पर केन्द्रित रखनी चाहिए।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के साथ हमें इस तथ्य को मानना स्वीकार करना तथा संगठित करना चाहिए और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा यही मुख्य उत्तरदायित्व है।

यदि हम इस विस्फोटक जनसंख्या में हर वर्ष एक आस्ट्रेलिया और जोड़ ले तो क्या हम कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? एक केन्द्रित तथा सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए और भारत को प्रगति की राह पर लाने के लिए आखिरी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से काम लेना होगा चाहे वह सिद्धांतकार, राय बनाने वाले, मीडिया के लोग अथवा राजनीतिज्ञ क्यों न हो।

राजस्थान सरकार के 1992 के अधिनियम से प्रेरणा लेकर उस समय भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय 1992 में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जिसे 1992 का संविधान (उन्नासीवां संशोधन) विधेयक कहा जाता है। यह राज्य सभा में हुआ था। इसे भिन्न तरीके से भी प्रस्तुत किया जा सकता था लेकिन, मैं समझती हूं कि इसे अपेक्षित महत्व देने के लिए भी संविधान (संशोधन) विधेयक द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें नेताओं की भूमिका को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि प्रत्येक नेता की इस कार्यक्रम में कुछ कर दिखाने की जिम्मेदारी है। सबसे पहले दो बच्चों के मानदंड वाले विधेयक को जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य कदम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मेरे विचार में वर्तमान स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री को इस विशिष्ट मुद्दे को राष्ट्रीय कार्यसूची में सबसे पहले रखने के लिए बधाई देनी चाहिए ताकि इस पर चर्चा की जा सके और इसे यहां बैठे अधिकतर सदस्यों के ध्यान में लाया जा सके। यह बहुत शर्मनाक बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद हमारे ''निर्यात से मिलन'' की परिणति हुई है कि विश्व बैंक यह कह रहा है कि भारत में 63 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह शर्मनाक बात है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि सफलता मेहनत से ही प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि कहा जाता है कि पहले अपने फिर पराए, इसी तरह से हमें पहले

यही पर यह कार्य आरंभ करना चाहिए। हम सबको इन कठिन परिस्थितियों में भारतीय मतदाताओं के पथप्रदर्शन का ही चयन करना चाहिए और इस कार्य को हम केवल विकास तथा बेहतर जीवन के आश्वासन देकर ही पूरे नहीं कर सकते हैं। हमें अपना उदाहरण देकर मार्गदर्शन करना है। मेरे विचार में हम सबको यह छोटी सी कोशिश करनी चाहिए। इससे जनता को सही संकेत मिलेंगे और पता चलेगा कि आपातकाल के दुष्प्रभाव हमारे पीछे है और हम भविष्य के लिए इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाना चाहते हैं।

इस विधेयक को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया और स्वीकार किया जाना चाहिए। राजस्थान की तरह इसके अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। जैसा कि विधेयक में विनिर्दिष्ट है, एक वर्ष का समय दिया जायेगा ताकि इससे किसी व्यक्ति विशेष के वर्तमान स्तर पर प्रभाव न पड़े। किसी को इस विषय में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, उस अवधि के पश्चात् जन्म लेने वाले बच्चों के कारण उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस संबंध में बढ़ावा न देने तथा बढ़ावा देने के लिए कुछ धनराशि भी जोड़नी होगी ताकि अधिक लोग इसमें शामिल हों। इस विधेयक को वास्तविक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए जनता के प्रतिनिधियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करना होगा। मेरा विचार है कि यदि हम सब इस प्रयत्न में अपने आपको शामिल कर लें तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जब तक हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे और विकास तथा आर्थिक सुधार के बारे में बात करते रहेंगे, तब तक जो लक्ष्य हम अपने देश के लिए प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चार दिन के ऐतिहासिक सत्र के दौरान, जबकि अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई है कार्यसूची में यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है। अगले सत्र में उन समस्याओं पर गहराई से विचार करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए जो कि भारत में ठहराव का कारण बन रही है। इस पृष्ठभूमि के साथ, यदि हम बैठकर चर्चा करें और स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शीर्ष मंत्रालय के रूप में लेकर ठोस हल तथा विचारों के साथ आगे आयें तो हम अपने देश को संपन्न बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

इस समय हमें यह छोटा सा कदम उठा लेना चाहिए ताकि यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक महान कार्य बन जाये। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सही अर्थों में ''नियति से मिलन'' होगा जिसके बारे में नेहरू जी ने कहा था और जिसके बारे में पिछले पचास वर्षों से बार-बार यही कहा जा रहा है जबकि हमने कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है।

मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न को लोगों के ध्यान में लाने का अवसर प्रदान किया और मुझे उम्मीद है कि जब हम बैठकर इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे तब हम इस गंभीर समस्या को समुचित महत्व देंगे क्योंकि हमने कई मुद्दों पर बातचीत में बहुत-सा समय व्यतीत कर दिया है लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है और इस मामले को युद्ध-स्तर पर उठाये जाने की आवश्यकता है।

श्री पीताम्बर पासवान

[हिन्दी]

श्री पीताम्बर पासवान (रोसेड़ा): माननीय सभापति जी, आपने आजादी की 50वीं वर्षगांठ के इस विशेष अधिवेशन में मेरे जैसे नये सदस्य को बोलने का, अपने सुझाव रखने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

महोदय, आजादी के 50 साल बाद हम आज चर्चा कर रहे हैं कि विगत 50 सालों में हमने किस क्षेत्र में उन्नति की और कहां हमारी अवनति हुई। आगे आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, देश का चौमुखी विकास हो, इस सोच से हमारे सदन के अध्यक्ष महोदय ने विशेष अधिवेशन बुलाया है। इससे लगता है कि 50 वर्षों में जिनका विकास नहीं हुआ है, जो उपेक्षित रह गए, उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका यह पहला प्रयास है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तीन दिन से इस सदन में चर्चा चल रही है। इस सदन के बड़े-बड़े नेता, बुजुर्ग नेता, अनुभवी नेता अपने-अपने अनुभव रख रहे हैं। उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 50 वर्षों में सत्ता की बागडोर सबसे अधिक समय तक संभालने का काम किया है। आज उनको भी सुझाव देने का मौका मिल रहा है। मेरे जैसा नया सदस्य, जो देहात और गांव से चुनकर आया है, वहां जो मेरी सोच थी कि देश क्यों नहीं उन्नति कर रहा है, क्यों नहीं गरीबों का विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से मानना पड़ता था कि जो लोग सत्ता में हैं, कहीं न कहीं उनकी सोच मे गड़बड़ी है जिसके चलते देश का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि देश ने विकास नहीं किया है, आजादी के बाद 50 वर्षों में निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों में देश ने विकास किया है लेकिन वैसा विकास नहीं हुआ है। हम इसे विकास करना नहीं कहेंगे कि हमसे पीछे जिन-जिन देशों को आजादी मिली, वे हमसे अगली पंक्ति में हैं। वहां के लोग खुशहाल हैं, वहां हर तरह की सुविधा है और दुनिया के विकसित देशों में उनका नाम है। देखने से पता चलता है कि वास्तव में किनका विकास हुआ है, किनको आजादी मिली है। उन्हीं लोगों को आजादी मिली है जो अंग्रेजों के समय में भी स्वतंत्र थे, जिनकी बात चलती थी, जिनको सम्मान मिलता था, जिनके पास पूंजी थी, जिनकी प्रतिष्ठा थी। उन्हीं लोगों को आज भी आजादी मिली है। शहरों में जहां बिजली थी, जहां सड़कें थी, जहां जगमगाहट थी, आज आजादी के बाद भी वही चमक आई है, चकाचौंध आई है,

बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं। लेकिन अफसोस होता है कि इस देश को आजाद कराने के लिए लाखों शहीदों ने अपनी बलि दी, अपने को मिटा दिया। उनका सपना था। पूज्य बापू महात्मा गांधी का सपना था कि भारत गांवों का देश है, 80 फीसदी लोग गांवों में बसते हैं। भारत का जो गांव गरीब हैं, गांव के रहने वाले किसान, मजदूर गरीब हैं, वे अप्रतिष्ठित हैं, जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, देशी भाषा का विकास नहीं होगा, देशी वस्त्र का विकास नहीं होगा, देशी छोटे-छोटे कल-कारखाने नहीं लगेंगे, तब तक हिन्दुस्तान आजाद नहीं माना जायेगा। हिन्दुस्तान की आजादी इन्हीं सब कामों में निहित है। लेकिन महात्मा गांधी का हिन्दुस्तान नहीं बन सका। महात्मा गांधी के रास्ते पर जो लोग सत्ता में रहे, वे नहीं चले, उनकी सोच बड़े-बड़े कल-कारखानों की तरफ चली गई, बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज की तरफ चली गई, जबकि गांधी जी की सोच थी कि जो हाथ गांवों में बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम देना होगा, छोटे-छोटे कल-कारखाने देने होंगे, उद्योग-धन्धे लगाने होंगे, हथकरघा चलाना होगा। यह गांधी जी की सोच थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी की सोच थी कि हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, चौतरफा विकास की बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि गांधी जी ने किन-किन मुद्दों पर, किन-किन लोगों के लिए यह सारा किया था। किनके लिए आन्दोलन करने की बात उन्होंने की थी।

आज क्या हो रहा है, आजादी के 50 वर्ष बाद भी उन्होंने कहा था, देखा था, परतंत्रता के समय गांधी जी को चोट लगी थी, कि दलितों के, हरिजनों के साथ क्या अन्याय और जुल्म हो रहा था, उनको कैसे अपमानित किया जा रहा था, कैसे छुआछूत के जंजाल में फंसे हुए थे, उनसे हड्डी छुआया करते थे, लोग उनसे घृणा करते थे, पशुओं से भी बदतर स्थिति दलितों की थी, शूद्रों की थी, अछूतों की थी। गांधी जी ने क्या कहा था कि आजादी के बाद छुआछूत निवारण होगा, दलितों को सम्मान मिलेगा। अछूतों का नाम उन्होंने हरिजन रखा, आदिवासी रखा। आज हमारी संविधान की किताब में दलित शूद्र का नाम हरिजन है, आदिवासी के नाम से जाना जाता है। कानून भी बने कि हरिजनों पर अत्याचार नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, उसके लिए हरिजन एट्रासिटीज एक्ट बना, लेकिन क्या हो रहा है, उसका कितना पालन हो रहा है? कौन पालन करेगा, जो लोग अत्याचार करने वाले हैं, सदियों से जिन्होंने अत्याचार किया है, वे उनको सम्मान नहीं दे सकते हैं, उनको न्याय नहीं दे सकते हैं। न्याय तो बड़े-बड़े पैसे वालों के लिए है, गरीब, हरिजनों के लिए, दलितों के लिए, अछूतों के लिए न्याय नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि न्यायालय में न्याय तो आज बिकता है, दलितों के पास पैसा नहीं है, हरिजनों के पास पैसा नही है कि वे न्याय को खरीद सकें। उनकी महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, हरिजनों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, केस होता है, कोर्ट में जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो जुल्म करने वाला है, अत्याचार करने वाला है, वह बच जाता है, उसकी रिहाई होती है और ये बेचारे हरिजन अपमानित होते हैं, कोर्ट में जाकर के भी अपमानित होते हैं। न्यायपालिका में जाकर भी अपमानित होते हैं और समाज में तो अपमानित होते ही हैं। यह विचार करने की बात है कि 50 वर्ष में हम छुआछूत को नहीं मिटा सके। हम बड़ी लम्बी-लम्बी बात तो करते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन वह किताबों में रह जाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। आज कोई बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आज छुआछूत नहीं है। आज मंदिर में उनके लिए प्रवेश निषेध नहीं है तो मैं उदाहरण देने के लिए तैयार हूं कि आज भी समाज में छुआछूत व्याप्त है, आज भी हरिजनों से हड्डी छुआते हैं। आज हरिजनों से पत्थर की मूर्ति छुआई जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि किसका विकास होगा, किस भारत का विकास होगा। मैं अपने साथियों की बात सुन रहा था। कई मित्रों ने कहा कि इंडिया का विकास हुआ है, यह ठीक है, लेकिन भारत का विकास नहीं हुआ है, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी।

मैं जिस दलित वर्ग से आता हूं, मेरे हृदय में दर्द है। उस दिन से दर्द है जब से मैं पैदा हुआ हूं। उस दिन से दिल में दर्द छिपाए हुआ हूं। आज इस सदन में आकर, इस महान सभा में बोलने का मौका मुझे मिला है। यह किसने दिया, सरकार ने नहीं दिया, समाज ने नहीं दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर अगर नहीं होते, संविधान में अगर आरक्षण का प्रावधान नहीं होता तो पीताम्बर पासवान जैस लोग इस सर्वोच्च सभा में आकर अपनी बात नहीं कह सकते थे, दलितों के कल्याण की बात नहीं कह सकते थे। उन पर जो अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है उसकी बात नहीं कह सकते थे। लेकिन यह व्यवस्था अभी भी नहीं बनी है। चाहे जो हम बोल लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे निचली पंक्ति में कौन लोग हैं, वे लोग हैं जो झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं, वे लोग ही गांव से पलायन कर रहे हैं। आज गांवों में इतना अपमान है, इतनी पीड़ा है कि उसके चलते कोई काम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इसलिए वे लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, मुम्बई हो, कलकत्ता हो या चेन्नई हो, सभी जगह यह चिंता जताई जा रही है कि झुग्गी-झोपड़ियां सारी जगहों पर फैलती जा रही हैं। जगह संकुचित होती जा रही है। लेकिन उनके बारे में सोचने का काम किसी ने नहीं किया।

सभापति महोदय: समाप्त कीजिए।

श्री पीताम्बर पासवान: मैं प्रथम बार बोल रहा हूं। मैंने कहा भी है कि मैं उस वर्ग से आता हूँ जो दिल में दर्द छिपाए है। थोड़ा दुनिया और देश के सामने मेरी भावना को, मेरे दिल की पीड़ा को जाने दीजिए।

सभापति महोदय: अपने दिल की बात आप बोल चुके हैं।

श्री पीताम्बर पासवान: आज झुग्गी-झोपड़ियों में कौन लोग रह रहे हैं, इसका सर्वे होना चाहिए। वे लोग दलित हैं, शोषित हैं जो देश की जनसंख्या का 80 प्रतिशत हैं। इस देश का विकास करना चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन लोगों को पीछे छोड़कर नहीं हो सकता। ये लोग रोड बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, कपड़ा सीते हैं, आपको सम्मान देने का काम करते हैं और आपको माथे पर उठाने का काम करते हैं, आपको साफ-सुथरा रखने का काम करते हैं, उनको अपमानित करके, मिटाकर कोई यह कहे कि हम उन्नति के रास्ते पर जा रहे हैं, तो यह उन्नति कभी होने वाली नहीं है।

मैं अंत में एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज हमें अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचने की जरूरत है, चाहे सत्ता में बैठने वाले लोग हैं, चाहे इस सदन में बैठने वाले सम्मानित सदस्य हैं

या देश के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे तबकों को विकास की दिशा में, इस देश के सम्मान में, इस देश की मुख्य धारा में हम जोड़ने का काम करें, तभी असली आजादी मिलेगी और यह देश आगे बढ़ेगा।

यह कहावत है।

कथनी मीठी खांडसी, करनी विष की लोए,
कथनी तजि करनी करे, तो विष से अमृत होए।

मैं आशा करता हूं कि यह सदन निश्चित रूप से अपनी कथनी को छोड़कर करनी को आगे रखकर देश के विकास को आगे बढ़ाने में गरीब दलित वर्गों को ऊपर उठाने का काम करेगा।

श्री एल. बालारमन

[अनुवाद]

***श्री एल. बालारमन** (वन्डावासी): माननीय सभापति महोदय, अब हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं। इस सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई पहल के फलस्वरूप बुलाए गए एक विशेष स्मारक सत्र के इस अवसर पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे पीठसीन अधिकारी ने अपने सम्बोधन में कहा कि हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनके मद्देनजर आगे हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी, इस विषय पर हम आत्मावलोकन करें। इस क्षण लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम इस देश की जनता को रास्ता दिखाने के लिए नीति तैयार करें। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम लोगों को उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति शिक्षित करें। हमें इस देश के युवाओं को एक उज्जवल रास्ता अवश्य दिखाना होगा। भावी पीढ़ी को एक उद्देश्य और दिशा दिखाने के लिए हमें तरीके ढूंढने चाहिए। इस सत्र में हमें इन दायित्वों के संबंध में विचार विमर्श करना है। इस कार्य-सूची पर विचार करने हेतु इस ऐतिहासिक सत्र में भाग लेने के लिए हमें गर्व है। कोई भी व्यक्ति इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकता कि यह सत्र निश्चित रूप से एक सफल सत्र सिद्ध होगा जिसके दौरान एक गहन अध्ययन किया जाएगा और ऐसे विचार व्यक्त किए जाएंगे जो भविष्य में भारत के लिए अमूल्य होंगे। हम सबके विचार और अनुभूतियां भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। परन्तु पिछले तीन दिनों के दौरान एक अन्तर दिखाई पड़ा है और वह यह है कि बहुत से माननीय सदस्य दलगत विचारों से ऊपर उठ कर बोले हैं। हम अपनी जनता की भलाई हेतु पूर्णत: तत्पर हैं। विशेष सत्र बुलाने का यह प्रयास स्वागतयोग्य और प्रशंसनीय कदम है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इसमें भाग ले रहा हूं।

हमारी भारतीय संस्कृति और परम्परा बहुत प्राचीन है और इसे हम काफी लम्बे समय से संजोए हुए हैं। इतिहास यह बताता है कि हमने विश्व को सबसे पुरानी सभ्यता दी जो लगभग 5000 वर्ष से भी पहले से विद्यमान थी। आज तक हम इस सभ्यता को संभाल कर रखे हुए है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं का अंग है। रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्यों में हमारी सभ्यता के बारे में बताया गया है। इन्हीं के माध्यम से हम दूसरे देशों को अपनी सभ्यता के बारे में बताते हैं। हमें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व है और हम यह भी देख रहे हैं कि सम्पूर्ण विश्व हमें उसी दृष्टि से देख रहा है और शानदार अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले देश के रूप में हमारा सम्मान करता है। सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता जैसे सभी अच्छे गुण हमारे रोम-रोम में हैं। अपनी इसी समृद्ध परम्परा के लिए हमारा सम्मान होता है।

हमने इस विशेष सत्र का आयोजन इसलिए भी किया है कि हम अपनी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली पर एक दृष्टिपात करें और इसे सुरक्षित रखने के लिए तरीके खोजें। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारा देश विविधताओं से भरपूर था। हमारे यहां बहुत सी भाषाएं हैं। हमारे यहां विविध प्रकार की संस्कृतियां हैं। अनेक धर्म हैं। अनेक जातियां हैं। इन सब विविधताओं से यह संदेह पैदा होता था कि क्या हमारा लोकतंत्र ज्यादा देर टिक पाएगा। हमारे उन शत्रु पूंजीवादियों ने जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था और अन्य लोगों ने हमारे बीच दीवार खड़ी करने का प्रयास किया। उन्होंने हमें इन विविधताओं के जरिए बांटना चाहा। हमने इन आशंकाओं का निर्मूल सिद्ध कर दिया है। हमने इस संशय को दूर कर दिया है और इन पचास वर्षों के दौरान हम संगठित रूप में एक लोकतांत्रिक देश के रूप में खड़े रहे हैं। हमने महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया है और हमने लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार की स्थापना की। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि हम पचास वर्ष के दौरान हमने यह प्रमाणित कर दिया है कि हमारे यहां लोकतंत्र लम्बे समय तक टिक सकता है।

इस बात पर तो हम वास्तव में गर्व कर सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता के सिद्धान्तों पर आधारित है और हमें इन पर चलते रहना होगा। भारत की एकता और अखण्डता के प्रतीक महात्मा गांधी जी और औद्योगिक विकास के प्रणेता श्री जवाहर लाल नेहरू और भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले और उसे विशाल रूप देने वाले सरदार वल्लभ भाई जिन्होंने बहुत सी रियासतों को भारत से जोड़ा और कन्याकुमारी से हिमालय तक भारत को एक विशाल देश के रूप में संगठित किया, के दृष्टान्त हमारे सामने मौजूद हैं। सुभाष चन्द्र बोस जो साम्राज्यवादी ताकतों के लिए एक आतंक थे, यह कहा था "भारत मेरा देश है। मैं अपने देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा।" ऐसे समर्पित महान नेताओं के कारण ही हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। हमें श्री कामराज जैसे

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समर्पित व्यक्ति जिनको काला गांधी के नाम से पुकारा जाता था और उनके गुरु सत्यमूर्ति जैसे नेताओं के प्रयत्नों से ही हमें स्वतंत्रता मिली। अत: इस स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा करना और उसे बनाए रखना कोई आसान कार्य नहीं है।

हमारे देश को गरीबी और विसंगतियों से परिपूर्ण देश के रूप में दर्शाया जाता था। हमें हर तरह से गरीब समझा जाता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। हमें अपनी भूत, भविष्य और वर्तमान को सामने रखकर कार्य करना है। अब हम बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए दोराहे पर खड़े हैं।

जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था के विकास का सवाल है, वह बहुत से चरणों से गुजरी है। जब हम उसे देखते हैं, तो पाते हैं कि देश का समान विकास नहीं हुआ है। जिस ढंग से शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उस ढंग से नहीं हुआ है। देश की सत्तर प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। वहां को मूलभूत सुविधाओं नहीं दी गई है। ग्रामीण लोगों के पास पीने के पानी तथा समुचित आवास नहीं है। इस असमान विकास की समस्या को कैसे हल किया जाए। जब हम गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करते हैं, तो पता चलता है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु धनराशि का समुचित आबंटन नहीं किया गया है। इस असमान प्रगति को ठीक करना हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है।

स्वतंत्रता के पश्चात् शहरों और नगरों का कई तरह से विकास हुआ है शहरी जनसंख्या की ओर ध्यान दिया जाता रहा है। जब शहरी इलाकों का दिन प्रतिदिन हर तरह से विकास हो रहा है, ग्रामीण इलाकों की स्थिति प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। गांवों में जन-जीवन को सुधारने के लिए ग्रामीणों को पर्याप्त सहायता नहीं दी जा रही। चीन में एक समय ऐसा था कि ग्रामीणों के शहर की ओर पलायन को रोकने के लिए गंभीर उपाय किए गए। ऐसी स्थिति उस देश में भी पैदा हुई थी। हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। इस आशंका का निराकरण तभी किया जा सकता है जब हम ग्रामीण जनता का जीवन-स्तर सुधारने के लिए उचित उपाय करें। लोकतंत्र में हमारा यह कर्तव्य बन जात है। गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया है। गांधी जी द्वारा दिखाए गए रास्ते से हम गांवों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमें उन ग्रामीण लोगों की अवश्य सहायता करनी चाहिए जो वहां पैदा हुए हैं ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर सकें। हमें ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें आदर्श विकास हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों और कृषि कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए।

जब हम कृषि की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें किए गए निवेश की तुलना में प्राप्ति बहुत ही कम होती है। यद्यपि कृषि उद्योग नहीं है इसकी हालत एक रुग्ण उद्योग जैसी ही है। कृषि में निवेश करने वाले लोग धनी नहीं होते और इसके साथ-साथ उस निवेश से पूरा लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता। यह मात्र एक आजीविका बन कर रह गया है। हमने खाद्य उत्पादन चाहे सामान्यत: बढ़ा लिया है फिर भी फसल से होने वाली आय इतनी लाभकारी नहीं होती। चाहे वह धान हो या गन्ना, कृषि मजदूरों को तदनुसार मजदूरी नहीं मिलती और उत्पादकों को पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं होता और इससे ग्रामीण-जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमें एक अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि कृषकों का मनोबल बढ़े और उन्हें निराश होने से बचाएं। नई वैज्ञानिक तकनीक विकसित हुई है। नई नीतियां भी तैयार की गई है। वे ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। जो विस्तार के रूप में वहां पहुंचता है वह काफी नहीं है। जल प्रबन्धन तकनीकों के बारे में उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए। जल की निरंतर आपूर्ति के अभाव में इसकी सतत् आवश्यकता है। परन्तु हमारे पास इन जल तकनीकों को गांव तक ले जाने वाले प्रभावशाली साधनों का अभाव है। कम से कम पानी से अधिक से अधिक फसल उपजाना आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति है। इसका अन्य स्थानों पर उपयोग हुआ है। परन्तु इन वैज्ञानिक पद्धतियों को अभी भी हमारे अधिकतर गांवों में पहुंचाया जाना शेष है।

नदियों का पानी स्थायी समस्या बन गया है, केन्द्र और राज्य दोनों के लिए नदियों के जल का बंटवारा समस्याएं बन गया है और इससे लोगों में दरार पड़नी शुरू हो गई है। यह एक भावना प्रधान मसला बन गया है जिससे राज्यों के बीच विवाद लड़ाई की स्थिति पैदा हो गई है। सदियों से जो कावेरी का पानी तमिलनाडु में बहता आ रहा था अब कम हो गया है। इसके प्रवाह को कम कर दिया गया है। यह बहुत विकराल समस्या का रूप धारण करने जा रहा है। हमारी लोकतांत्रिक शासन पद्धति में ऐसी समस्याएं सुलझनी चाहिए। नदियों के पानी का राष्ट्रीयकरण एक तरीका हो सकता है। विगत कई वर्षों से हम गंगा को कावेरी से जोड़ने की बातें करते आ रहे हैं। अत: कम से कम अब हमें शीघ्र ही ऐसी योजना तैयार करने में तत्पर हो जाना चाहिए जिससे इन स्कीमों को लागू किया जा सके।

स्वतंत्रता के पश्चात् नेहरू जी ने गहन परिश्रम किया और राष्ट्र निर्माण में अथक परिश्रम द्वारा इस देश की एकता को बनाए रखा। सादगी के साकार रूप श्री लाल बहादुर शास्त्री ने हमें 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया। अब हमारी वृहद आर्थिक पुनर्संरचना में कृषकों तथा किसानों के कल्याण कार्यक्रमों को राष्ट्रीय आर्थिक विकास में एक अवरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक शंका है जिसे दूर किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास, कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों को सुनिश्चित करने के लिए कृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जैसा कि भारत के आधुनिक निर्माताओं द्वारा किया गया है। जिस मौसम में कृषि कार्य न होता हो उस दौरान ग्रामीण कृषि मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि देश में विदेशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में कितनी भिन्नता है। भारत के भविष्य हेतु हमें अधिक उत्पादन सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए आधुनिक वैज्ञानिक कृषि प्रक्रियाओं को अपनाकर उन्हें अपने किसानों को उपलब्ध कराने के लिए योजना बनानी होगी।

प्राथमिकता शिक्षा हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहां अनेक ऐसे गांव है जहां कोई विद्यालय नहीं है। गांवों में जहां विद्यालय होते हैं वहां शिक्षक नहीं होते। जहां कहीं विद्यालय और शिक्षक दोनों होते हैं वहां शिक्षक ऐसे ग्रामीण विद्यालयों से अनुपस्थित

होते हैं। हमें प्राथमिक शिक्षा पर और अधिक व्यय करना होगा। हमें बिना किसी लिंग भेदभाव के लड़के तथा लड़कियों, दोनों, को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानी होंगी। हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत सरकार को उच्च शिक्षा पर ज्यादा व्यय करना पड़ता है। इस स्थिति को बदलना होगा। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। हमें निरक्षरता को समाप्त करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने चाहिए।

जहां तक गरीबी का संबंध है तो हमारे योजना आयोग के दावों और विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में काफी अंतर है। योजना आयोग जब यह दावा करता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता 25% से घटकर 21% हो गयी है, वहीं विश्व बैंक का कहना है कि भारत में 25% लोग सदैव गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जारी है। क्या ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वास्तव में गरीब लोगों तक पहुंच रहा है? इस माननीय सभा में मुझसे पूर्व बोलते हुए अनेक सदस्यों ने यह कहा है कि कुल आवंटित राशि का 50% ही जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे वह योजना अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित हो, उन्हें इस रूप में तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि उसका लाभ सभी जरूरतमंद लोगों को मिले।

जहां तक जनसंख्या वृद्धि का संबंध है तो भारत में यह वृद्धि विकराल समस्या का रूप धारण कर रही है। हमने देखा है कि गरीबी और जनसंख्या वृद्धि आपस में जुड़ी हुई है। हमने यह भी देखा है कि गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों में अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। उन राज्यो में जहां निरक्षरता की दर ज्यादा है वहां जनसंख्या भी काफी है। हमारे आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत में प्रति सेकेन्ड पांच बच्चे पैदा होते हैं। हमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।

हमने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। पर्यावरण संबंधी उपायों को क्रियान्वित करने के लिए हमें एक प्रभावी तंत्र बनाना चाहिए।

प्रशासन में लोगों की भागीदारी के दायरे बढ़ाने के लिए उन्हें अनुक्रियाशील बनाये जाने की आवश्यकता है। जहां तक भ्रष्टाचार को मिटाने का संबंध है तो हमें भारत में दूसरे स्वतंत्रता संग्राम हेतु आह्वान किया गया है। देश में छिट-पुट रूप से होने वाले साम्प्रदायिक और जातीय संघर्ष एक आवर्तक और स्थायी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। हमें लोकतंत्र, सत्य, अहिंसा और सहनशीलता के नाम पर लोगों को एकजुट करना चाहिए। हमें इन झगड़ों को समाप्त करना होगा। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम क्या आदर्श स्थापित करते हैं। भारतीय संस्कृति का सार अनेकता में एकता है। विभिन्न संस्कृति, भाषायें, धर्म और प्रजाति के बावजूद हमारे देश का एकजुट रहना हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छे भविष्य के लिए हमें ईमानदारी, कठोर परिश्रम और उम्मीद को बरकरार रखना होगा। ऐसा करना हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए अच्छा होगा।

इस देश के लाखों युवक बेरोजगार हैं और यह कहा गया है कि इस कारण कुछ मामलों में वे आतंकवादी बन रहे हैं। हमें इस समस्या का समाधान उत्तरदायी ढंग से करना होगा। हमें ऐसी योजनायें और कार्यक्रम बनाने होंगे जिससे ज्यादा रोजगार का सृजन हो सके और युवकों को निराश होने से बचाया जा सके। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को इस बेरोजगारी की समस्या से जोरदार ढंग से निपटना होगा जिससे कि सामाजिक तनाव और उथल-पुथल से बचा जा सके।

मैं एक बार पुन: अध्यक्षपीठ को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

भारत का अस्तित्व बना रहे, भारत विजयीभव:।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सभापति महोदय, ये जो चार रोज का इजलास बुलाया है यह इसलिए बुलाया है कि 50 वर्ष के अरसे में मुल्क ने क्या पाया और क्या कमजोरियां रहीं तथा उसका हल क्या होगा, यह पेश करने के लिए बुलाया। लेकिन यहां ऐसा मालूम हो रहा है कि जनरल डिसकशन हो रहा है, हर शख्स अपने-अपने हल्के के मसाइल बयान कर रहा है।

लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर मुल्क में किसी मसले का हल हो तो सबसे पहले उसकी सही तफ्शीश होनी चाहिए। जैसे डाक्टर के पास जब मरीज जाता है तो वह पहले सही तफ्शीश करता है कि मर्ज किस चीज से पैदा हुआ और उसके बाद इलाज करता है तब इलाज करना आसान हो जाता है यहां की फिजा कुछ इस तरह की चल रही है कि मुझे उस पर ज्यादा कहना नहीं है। इंसाफ की बात जब आती है तो मुझे यह कहना पड़ता है कि जब किसी को 20 मिनट हो रहे हैं और किसी को एक घंटा हो रहा है और कुछ ऐसे भी हैं जो पांच बरस हुकूमत में रहे लेकिन कुछ न कर सके, आज एक घंटा पांच मिनट तक बोले चले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उनसे क्या तवक्को की जा सकती है।

50 बरस पहले हम आजाद हुए। यहां की अक्लियतों की दीगर मसाईल में क्या हाल था। सन् 1947 में 30 फीसदी मुसलमान सरकारी

شری سلطان صلاح الدین اُویسی (حیدرآباد):

اسپیکر صاحب، یہ جو چار روز کا اجلاس بلایا گیا ہے یہ اسلئے بلایا گیا ہے کہ ۵۰ برس کے عرصے میں ملک نے کیا پایا اور کیا کمزوریاں رہیں اور اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ پیش کرنے کے لئے بلایا لیکن یہاں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جنرل ڈسکشن ہو رہا ہے، ہر شخص اپنے اپنے حلقے کے مسائل بیان کر رہا ہے۔

لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ملک میں کسی مسئلے کا حل ہو تو سب سے پہلے اسکی تشخیص ہونی چاہئیے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے تو وہ پہلے صحیح تشخیص کرتا ہے کہ مرض کس چیز سے پیدا ہوا اور اس کے بعد علاج کرتا ہے۔ تب علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں کی فضا کچھ اس طرح چل رہی ہے کہ مجھے اس پر زیادہ کہنا نہیں ہے۔ انصاف کی بات جب آتی ہے تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب کسی کو ۲۰ منٹ ہو رہے ہیں اور کسی کو ایک گھنٹہ ہو رہا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پانچ برس حکومت میں رہے لیکن کچھ نہ کر سکے، آج ایک گھنٹہ پانچ منٹ تک بولے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔

۵۰ برس پہلے ہم آزاد ہوئے۔ یہاں کے اقلیتوں کے دیگر مسائل میں کیا حال تھا۔ ۱۹۴۷ء میں ۳۰ فیصدی مسلمان سرکاری ملازمتوں میں تھے لیکن آج ایک فیصدی سے ڈیڑھ فیصدی وہ رہ گئے۔ تجارت کے اندر کہوں تو ۱۹۸۰ء میں ہندوستان میں چھوٹی صنعتیں ۶۰ لاکھ تھیں، ان میں ۱۴ ہزار مسلمانوں کے پاس تھیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انکو رفتہ رفتہ ختم کیا گیا۔ ایک طرف تو انکو فسادات کے ذریعے آگ اور خون کے حوالے کیا گیا، دوسری طرف انکی معاشی حالت ختم کر دی گئی۔ برنالہ صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ سکھوں کا جب فساد ہوا تو انکا مال بھی برآمد ہوا تھا۔ ٹی۔وی۔ وغیرہ اور سالوں سے کیس بھی چل رہے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ ہندوستان میں ۳۰ ہزار سے زیادہ فساد ہوئے۔ لیکن آج تک لوٹا ہوا مال بھی ہمارا برآمد نہیں ہوا۔ آپ شکر کیجئے کہ آپ کا مال تو برآمد ہوا ہے۔ یہاں تو مقدمہ بھی نہیں چلا اور ایک آدمی کو سزا بھی نہیں ہوئی۔ آپ بتائیں کہ آخر انصافِ حکومت کیا ہے؟ لیگ آف نیشن نے اقلیتوں کیلئے کام کیا اور پھر ۱۹۶۶ء میں اقوامِ متحدہ نے منشور شروع کیا، جس کے آرٹیکل ۲۷ کے تحت اقلیتوں کیلئے، انکے حقوق کی حفاظت کیلئے بات کی گئی اور جس پر ہندوستان نے بھی دستخط کئے۔ لیکن آج تک آپ بتائیں کہ کیا کیا گیا؟ آج اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں۔ پولیس فورس کے اندر مسلمانوں کو رکھنا چاہئیے۔ ہمارا مال لوٹا جاتا ہے، جان بھی ہماری جاتی ہے اور گرفتار بھی ہم ہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اوپر مقدمے چلائے جاتے ہیں۔ اگر پولیس فورس کے اندر مسلمانوں کو بھرتی کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آج ہندوستان میں کتنے آئی۔اے۔ایس۔ آفیسرز ہیں اور ان میں کتنے مسلمان ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر جو انکم ٹیکس کا محکمہ ہے اس میں صرف تین فیصدی مسلمان ہیں، ریلوے جہاں پر سب سے زیادہ ملازمتیں ملتی ہیں وہاں چار فیصدی ہیں۔ آج منسٹر صاحب نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو ان سے میں کہتا۔ ہمارے وزیر اعظم نے لال قلعے سے یہ بھی کہا کہ کرپشن کے لئے ایک سیل قائم کیا گیا ہے۔ بہتر ہوتا وزیر اعظم صاحب، جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کے لئے بھی ایک سیل پرائم منسٹر ہاؤس میں قائم ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ آپ نے ہمیں تعلیم میں پیچھے کیا۔ ہماری آبادی کو اُجاڑہ، ہماری نسلوں کو ختم کیا۔ اس کے باوجود ہم اپنے پیسے سے، اپنے ادارے چلاتے ہیں۔ اپنے پیسے سے اسپتال چلاتے ہیں۔ آپ کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہم انجینئرنگ کالج چلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کو ۵۰ فیصد دے دیجئے۔ کیا یہ سامراجی اور انگریزوں کی پالیسی ہے یا نہیں؟ ہم غریب ہیں۔ ہم مفلس ہو کر بھی کام کرتے ہیں تو آپ ہم سے ۵۰ فیصدی لے لینا چاہتے ہیں۔ آپ سرمائے دار ہیں۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ سپریم کورٹ کی آپ نے ۱۱ ججیز کی بینچ بنائی لیکن کس طریقے سے اس بینچ کی سماعت کو ختم کر دیا گیا۔ وہ آج ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ آرٹیکل ۳۱۔اے کی کیا تعریف ہے لیکن وہ بھی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے اعداد و شمار ہیں۔ ہمارا حق چھیننے والا قوم پرست اور میں اپنے حق کے لئے پکارنے والا فرقہ پرست۔ یہ عجیب و غریب قوم پرستی اور فرقہ پرستی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہے۔ پولیس میں ہماری تعداد ۲٫۵ فیصدی، انکم ٹیکس میں تین فیصدی، ریلوے میں ۲٫۵ فیصدی، بینک میں دو فیصدی، مرکزی ملازمت میں ۴ فیصدی، صنعت کے بارے میں میں نے پہلے ہی کہا کہ چھوٹی چھوٹی صنعتیں ہیں جس میں سے صرف ۱۴ ہزار ہمارے پاس ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے

کہ آج سے ۴۔ ۳ برس پہلے جب کیسری صاحب وزیر تھے، آپ "انقلاب" دیکھئے کہ اس وقت جے پال ریڈی جی نے سوال کیا تھا کہ مسلمان کے تعلق سے سوال کیا تھا۔ کیسری صاحب نے کہا تھا کہ ان کا مکمل خیال کیا جائیگا۔ آج کیسری صاحب اپوزیشن میں ہیں اور جے پال ریڈی صاحب منسٹر ہیں۔ گوپال کرشن رپورٹ کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا۔ وہ رپورٹ برف دان میں پڑی ہے۔

آج ٹاڈا میں ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں جس قانون کے لئے ہم نے جدوجہد کی تھی کہ نہیں ہونا چاہیئے، آج اسی قانون کے تحت کئی لوگ ۴۔ ۴ برس سے پھنسے ہوئے ہیں، وہ قید ہیں۔ قید کی معیاد زور ہے اور زور کی فریاد نہیں۔ آج یہ عالم ہو چکا ہے انکا کوئی پُرسانِ حال نہیں ہے۔ آج ان کے بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، مر چکے ہیں، انکا سہاگ لُٹ چکا ہے۔ ہم یہاں آزادی کی پچاسویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ غور کریں جن کے گھروں میں فاقہ کشی ہو رہی ہے، جن کے بچے دواؤں سے محروم ہیں وہ آج ٹاڈا میں پھنسے پڑے ہیں۔ معصوم ہائی اسکول میں پڑنے والے بچے کو جا کر میں نے دیکھا۔ وہ کیا کر سکتا ہے لیکن ٹاڈا میں پھنسا پڑا ہے۔ انکے تعلق سے کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ آج جو ناانصافی ہو رہی ہے اسے آپ دور کریں۔ رالا صاحب نے ایک گھنٹہ پانچ منٹ تقریر کی۔ کہاں گیا ۵۰۰ کروڑ روپیہ جو کہ وزیر اعظم کے رہتے کیا تھا؟ وہ آج تک نظر نہیں آتا۔

آج یونائیٹڈ فرنٹ کی حکومت ہے آپ اپنے ایجنڈے میں بتایئے۔ کیا آپ ایک بھی مسئلہ حل کر پائے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ صرف وعدے ہی وعدے ہیں۔ آپ کم سے کم سن کا تعین کر دیں کہ وعدہ کون سے سن میں مکمل کیا جائیگا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آئندہ ۱۰۰ برس کی جو جوبلی ہوگی، اس میں وعدے پورے ہونگے۔ ۵۰ برس تو گذر گئے، اب اور کیا ۵۰ برس گذارنا چاہتے ہیں؟ آپ بتایئے وعدہ ہی وعدہ ہے اور جب ہم پکارتے ہیں آج تو بہر حال جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بلّی تھیلے سے باہر آ ہی جاتی ہے، کتنا ہی اچھا نقاب اوڑھ کر آئیں لیکن بلّی تھیلے سے باہر آ ہی جاتی ہے یہ اردو مثل ہے۔ بڑی اچھی بات کہی اوما بھارتی صاحبہ نے کہ مسلمانوں کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن آپ نے بعد میں یہ کہہ دیا کہ تم اگر چاہتے ہو تو بُرقعہ چھوڑ کر آجاؤ، نکاح اور طلاق کے مسائل چھوڑ کر آجاؤ۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم وہاں رہ کر جو مانگ رہے ہو، اِدھر آجاؤ، یہاں سب کچھ مل جائیگا۔ تم کیوں پکار رہے ہو کہ دلتوں کو حق نہیں مل رہا ہے؟ ہمارے یہاں پورے مساوات ہیں۔ اِدھر آجایئے خانہ آبادی بھی تمہاری ہو جائیگی۔ بہر حال مجھے بھی جواب دینا آتا ہے۔ ہم بھی منہ میں زباں رکھتے ہیں۔ اتنے الفاظ کا ذخیرہ ہے کہ پوری بی جے پی بھی میری آتش نوازی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ جنابِ عالی، آپ یہ بتایئے کہ آخر ہماری اوقافی جائیدادوں کے تعلق سے جو ناجائز قبضے ہیں، وہ اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں۔ آج تک اس کے لئے قانون نہیں ہیں۔ آپ گھنٹی بجا رہے ہیں تو مجھے پھر کہنے دیجئے۔ معافی چاہتے ہوئے عرض کرونگا کہ جب آپ سے پہلے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تب اعلان دس منٹ کا کیا لیکن ۲۵ منٹ تک تقریر اُدھر والے کرتے رہے اور مُنڈی اِدھر رہی اور اب ہم کر رہیں ہیں تو اب آپ بتایئے کہ آپ ہمارے ساتھ کم سے کم اتنی ناانصافی کے لئے بولے۔ اس کے بعد بھی دس منٹ پر گھنٹی اور ۲۵ منٹ کے بعد بھی وہاں گھنٹی نہیں بجتی۔ یہ عجیب گھنٹیاں ہمارے لئے بج رہی ہیں۔ تو ان گھنٹیوں کا ذرا خیال کریئے۔ بہر حال اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ ہمارے اوقاف کے مسائل، ہمارے دیگر مسائل پر آپ غور کریں اور جلد سے جلد قانون لیکر آئیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں اور مجھے توقع ہے کہ کمیٹی کے اندر ملائم سنگھ یادو صاحب بھی ذرا اپنے تعلق سے اپنی کمیٹی میں یہ مسائل رکھیں کیونکہ آپ سے بھی لوگ اُمید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو بھی ہماری مظلوموں کی تائید کرنے کے نتیجے میں آپ کو مختلف خطاب سے نوازہ گیا۔ بہر حال، توقع ہے کی ہمارے ان مسائل کو آپ حل کریں گے اور ہمارے تعلق سے بھی جب آپ کو ریزرویشن دیا جا رہا ہے، اگر ریزرویشن کی فہرست بنائیں تو ۸۳ فیصدی ریزرویشن میں چلا گیا۔ اس کے بعد اوپن معاملہ ہے اور اس میں بھی آپ موجود ہیں۔ تو ہم کہاں پر رہیں گے؟ ہمارا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ میں اتنا ہی آپ سے کہوں گا اور میں اُپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیر سے صحیح، لیکن وقت تو ملا۔ دس منٹ ہی ملا، ناانصافی ہوئی، لیکن یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ دس منٹ تو مل گئے۔ آپ کا شکریہ کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔

मुलाजिमतों में थे लेकिन आज सिर्फ एक से डेढ़ फीसदी वे रह गये हैं। तिजारत के अंदर कहूं तो 1980 में हिंदुस्तान में छोटी सनअतें 60 लाख थीं, उनमें 14 हजार मुसलमानों के पास थीं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरीके से उनको रफ्ता-रफ्ता खत्म किया गया। एक तरफ तो उनको फसादात के जरिये आग और खून के हवाले किया गया, दूसरी तरफ उनकी मुआशी हालत खत्म कर दी गयी। बरनाला साहब जब तकरीर कर रहे थे तो कह रहे थे कि सिखों का जब फसाद हुआ तो उनका माल भी बरामद हुआ था—टी.वी. वगैरह और वर्षों से केस भी चल रहे हैं। लेकिन मैं कहूगा कि हिंदुस्तान में 30 हजार से ज्यादा फसाद हुए। लेकिन आज तक लूटा हुआ माल भी हमारा बरामद नहीं हुआ। आप शुक्र कीजिए कि आपका माल तो बरामद हुआ है। यहां तो मुकदमा भी नहीं चला और एक आदमी को सजा भी नहीं हुई। आप बताएं कि आखिर इंसाफी हुकूमत क्या है? लीग ऑफ नेशन ने अक्लियतों के लिए काम किया और फिर 1966 में अकवामें मुत्तहदा ने मंसूर शुरू किया, जिसके आर्टिकल 27 के तहत अक्लियतों के लिए, उनके हूकूकों की हिफाजत की बात की गयी और जिस पर हिंदुस्तान ने भी दस्तखत किए। लेकिन आज तक आप बताएं कि क्या किया गया? आज आदाद-व-शुमार हमारे सामने हैं। पुलिस फोर्स के अंदर मुसलमानों को रखना चाहिए। हमारा माल लूटा जाता है, जान भी हमारी जाती है और गिरफ्तार भी हम ही होते हैं। और उसके बाद हमारे ऊपर ही मुकदमे चलाए जाते हैं। अगर पुलिस फोर्स के अंदर मुसलमानों को भर्ती किया जाए तो मैं समझता हूं कि यह जो नाइंसाफी हो रही है वह खत्म हो सकती है। आपको यह भी देखना होगा कि आज हिन्दुस्तान में कितने आई.ए.एस. ऑफिसर्स हैं और उनमें कितने मुसलमान हैं। इसी तरह से आप देखें कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो इनकम टैक्स का महकमा है, इसमें केवल तीन फीसदी मुसलमान हैं, रेलवे जहां पर सबसे ज्यादा मुलाजिमतें मिलती हैं वहां चार फीसदी हैं। आज मिनिस्टर साहब नहीं हैं, अगर वे होते तो मैं उनसे कहता। हमारे वजीरे-आजम ने लाल-किले से यह भी कहा कि करप्शन के लिए एक सैल कायम किया गया है। बेहतर होता वजीरे-आजम साहब, जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है उसके लिए भी एक सैल प्राइम-मिनिस्टर हाउस में कायम होता तो बहुत अच्छा था। आपने हमें तालीम में पीछे किया। हमारी आबादी को उजाड़ा, हमारी नस्लों को खत्म किया। इसके बावजूद हम अपने पैसे से, अपने इजारे चलाते हैं। अपने पैसे से अस्पताल चलाते हैं। आपको यह भी अच्छा नहीं लगता। हम इंजीनियरिंग कालेज चलाते हैं तो कहते हैं कि हम को 50 परसैंट दे दीजिए। क्या यह साम्राज्यी और अंग्रेजों की पालिसी है या नहीं? हम गरीब हैं। हम मुफलिस होकर भी काम करते हैं तो आप हमसे 50 फीसदी ले लेना चाहते हैं। आप सरमायेदार हैं। आप क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट की आपने 11 जजेस की बैंच बनायी लेकिन किस तरीके से उस बैंच को खत्म कर दिया गया। वह आज ठप्प होकर रह गई है। आर्टिकल 31ए की क्या तारीफ है लेकिन वह भी खत्म होकर रह गया। जब हम हकूक की बात करते हैं तो हमारे ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम फिरका-परस्ती की बात कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि यह मेरे आदाद-व-शुमार है। हमारा हक छीनने वाला कौम परस्त और मैं अपने हक के लिए पुकारने वाला फिरका-परस्त। फिरका-परस्त यह अजीबो गरीब कौम-परस्ती और फिरका-परस्ती होती चली जा रही है। हमें इस बात के ऊपर गौर करना है। पुलिस में हमारी तादाद 2.5, इनकम टैक्स में तीन फीसदी, रेलवे में 2.5 फीसदी, बैंक में दो फीसदी, मरकजी मुलाजमत में 4 फीसदी, सनत के बारे में मैंने पहले ही कहा कि छोटी-छोटी सनते हैं जिसमें से सिर्फ 14 हजार हमारे पास हैं। मुझे याद आता है कि आज से 3-4 बरस पहले जब केसरी साहब वजीर थे, आज इंकलाब देखिए कि उस समय जयपाल रेड्डी जी ने सवाल किया था कि मुसलमान के ताल्लुक से सवाल किया था। केसरी साहब ने कहा कि उनका मुकम्मल खयाल किया जाएगा। आज केसरी साहब अपोजिशन में हैं और जयपाल रेड्डी साहब मिनिस्टर हैं। गोपाल कृष्ण रिपोर्ट के ताल्लुक से उन्होंने सवाल किया था। वह रिपोर्ट बर्फदान में पड़ी है।

आज टाडा में हजारों लोग फंसे हुए हैं। अंग्रेजों के जमाने में जिस कानून के लिए हमने जद्दो-जहद की थी कि यह नहीं होना चाहिए, आज उसी कानून के तहत कई लोग 4-4 बरस से फंसे हुए हैं, वे कैद हैं। कैद की मियाद जोर है और जोर की फरियाद नहीं। आज यह आलम हो चुका है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज उनके बच्चे बिलख-बिलख कर रो रहे हैं, मर चुके हैं, उनका सुहाग लुट चुका है। हम यहां आजादी की पचासवीं सालगिरह मना रहे हैं। गौर करें जिन के घरों में फाकाकशी हो रही है, जिन के बच्चे दवाओं से महरूम हैं, वे आज टाडा में फंसे पड़े हैं। मासूम हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को जाकर मैंने देखा। वह क्या कर सकता है लेकिन टाडा में फंसा पड़ा है। उनके ताल्लुक से कोई कहने वाला नहीं है। आज जो नाइंसाफी हो रही है उसे आप दूर करें। राव साहब ने एक घंटा पांच मिनट तकरीर की। कहां गया 500 करोड़ रुपया जो कि प्रधान मंत्री के रहते किया था? वह आज तक नजर नहीं आता।

आज यूनाइटिड फ्रंट की हुकूमत है। आप अपने एजेंडे में बताइए। क्या आप एक भी मसला हल कर पाए हैं? आप कुछ भी नहीं कर पाए। केवल वायदे ही वायदे हैं। आप कम से कम सन का ताअय्यून कर दें कि वायदा कौन से सन् में मुकम्मल किया जाएगा ताकि हमें मालूम हो जाए कि आईंदा 100 बरस की जो जुबली होगी, उसमें वायदे पूरे होंगे।

रात्रि 9.00 बजे

50 बरस तो गुजर गए, अब और क्या 50 बरस गुजारना चाहते हैं? आप बताइए वादा ही वादा है और जब हम पुकारते हैं तो आज बहरहाल जिस तरीके से कहा जाता है कि बिल्ली थैले से बाहर आ ही जाती है, कितना ही अच्छा नकाब ओढ़कर आए लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आ ही जाती है यह उर्दू मसल है। बड़ी अच्छी बात कही उमा भारती साहिबा ने कि मुसलमानों के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपने बाद में यह कह दिया कि तुम अगर चाहते हो तो बुरका छोड़कर आ जाओ, निकाह और तलाक के मसाइल छोड़कर आ जाओ। तो मैं कहता हूं कि तुम वहां रहकर जो कुछ मांग रहे हैं, इधर आ जाओ, यहां सब कुछ मिल जाएगा। तुम क्यों पुकार रहे हो कि दलितों को हक नहीं मिल रहा है? हमारे यहां पूरे मसावात हैं। इधर आ जाइए। खाना आबादी भी तुम्हारी हो जाएगी। बहरहाल मुझे भी जवाब देना आता है। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। इतने अल्फाज का जखीरा है कि पूरी बीजेपी भी मेरी आतिशनवाजी का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जनाबे आली, आप यह बताइए कि आखिर हमारी औकाफी जायदादों के ताल्लुक से जो नाजायज कब्जे हैं, वे अरबों रुपये की जायदादें हैं। आज तक उसके लिए कानून नहीं है। आप घंटी बजा रहे हैं तो मुझे फिर कहने दीजिए। माफी चाहते हुए अर्ज करूंगा कि जब आपसे पहले एक साहब बैठे हुए थे, तब ऐलान दस मिनट का किया लेकिन 25 मिनट तक तकरीर उधर वाले करते

रहे और मुण्डी इधर रही और अब हम कर रहे हैं तो अब आप बताइए कि आप हमारे साथ कम से कम इतनी नाइंसाफी के लिए बोलें। उसके बाद भी दस मिनट पर घंटी और 25 मिनट के बाद भी वहां घंटी नहीं बजती। ये अजीब घंटियां हमारे लिए बज रही हैं। तो इन घंटियों का जरा ख्याल करिये। बहरहाल इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि हमारे औकाफ के मसाइल, हमारे दीगर मसाइल पर आप गौर करें और जल्द से जल्द कानून लेकर आएं ताकि हमारे मसाइल हल हों और मुझे तवक्को है कि कमेटी के अंदर मुलायम सिंह साहब भी जरा अपने ताल्लुक से अपनी कमेटी में यह मसाइल रखें क्योंकि आपसे भी लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि आपको भी हमारी मजलूमों की साईद करने के नतीजे में आपको मुख्तलिफ खिताब से नवाजा गया। बहरहाल, तवक्को है कि हमारे इन मिसाइल को आप हल करेंगे और हमारे ताल्लुक से भी जब सबको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, अगर रिजर्वेशन की फेहरिस्त बनाएं तो 83 परसेंट रिजर्वेशन में चला गया। उसके बाद ओपन मामला है और उसमें भी आप मौजूद हैं। तो हम कहां पर रहेंगे? हमारा कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। मैं इतना ही आपसे कहूंगा और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि देर से सही, लेकिन वक्त तो मिला। दस मिनट ही मिला, नाइंसाफी हुई, लेकिन यह भी खुशी की बात है कि दस मिनट तो मिल गए। आपका शुक्रिया करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्रीमती रजनी पाटिल

[हिन्दी]

श्रीमती रजनी पाटिल (बीड): सभापति महोदय, भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर यह जो संसद का विशेष अधिवेशन लोकसभाध्यक्ष जी ने संयोजित किया है, उसमें अनेक सांसदों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और सुझाव दिये हैं, इस राष्ट्र के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अपना चिन्तन प्रकट किया है।

मेरे लिए इस विशेष अधिवेशन में हिस्सा बंटाना बहुत ही अहमियत रखता है। न केवल एक सांसद के नाते बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते हुए मैं मानता हूं कि यह विशेष अधिवेशन मेरे लिए एक ऐतिहासिक घटना है, एक इत्तिफाक की बात है। हुतात्मा विष्णु गणेश जी जिन्होंने गदर संगठन में हिस्सा लिया था और 1915 में जिनको लाहौर में फांसी पर चढ़ा दिया था, वह मेरे नाना थे और 1932 के सत्याग्रह से लेकर गोवा मुक्ति संग्राम तक जिनको कई बार अनेक साल कारावास की सजा भुगतनी पड़ी, कैलाशवासी आत्माराम पाटिल की मैं लड़की हूं। और इसीलिए इस स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते हुए यहां भारत के प्रजातंत्र का जो सर्वोच्च सभागृह है, उसमें मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, यह मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली और सौभाग्यपूर्ण बात है, मैं ऐसा मानती हूं। हम तो खुद स्वतंत्रता के सूर्य प्रकाश में जन्मे हैं। हमने पहली सांस ली है तो आजादी की खुली हवा में ली है। लेकिन आजादी की 50वीं स्वर्ण जयन्ती मनाते हुए जब हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैं उनके बारे में कई मुद्दे इस सत्र में उठाना चाहती हूं। वैसे भी युवा पीढ़ी का सहभाग हर समय हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में रहा है। हमने स्वतंत्रता आंदोलन का भी जिक्र किया तो खुदीराम बोस, भगत सिंह, स्वतंत्रता वीर सावरकर और अनेकों नाम हैं जो इस आंदोलन में कूद पड़े। उस वक्त की युवा पीढ़ी के सामने बहुत ही ऊंचे आदर्श थे, ऊंचे ध्येय थे, जिनको प्राप्त करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी वह तैयार थे। हर वक्त युवा पीढ़ी ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई है। फिर भी आज अगर देखा जाए तो जो हमारे पूरे देश की युवा पीढ़ी है वह अस्वस्थ, अशांत, त्रस्त और दिशाहीन है। वे अपनी आइडेंटिटी खोजना चाहते हैं, वे अपने स्वत्व को खोजना चाहते हैं। हर घर में अगर आप थोड़ा झांककर देखें तो जो सामान्य घर होता है उसमें अगर देखें तो मां-बाप आधे पेट रहकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी हर खुशी उनके लिए न्यौछावर करते हैं, उनके लिए जब वे बच्चे पढ़कर ग्रेजुएट बनते हैं तो उनके मन में एक सपना आता है कि मेरा बेटा या बेटी जो भी हो वह ग्रेजुएट बनेगा, डिग्री हाथ में आयेगी, उसकी अच्छी नौकरी लगेगी, वह आत्मनिर्भर होगा, वह कमाने लगेगा। वही नौजवान जब खुली दुनिया में कदम रखता है तो उसके सामने क्या आता है अगर मैंने उसको डिस्क्राइव करना शुरू कर दिया तो आंख में आंसू आ जायेंगे। उसको कदम-कदम पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, उससे हर जगह पैसा मांगा जाता है। नौकरी चाहिए तो एक बड़ी जान-पहचान तो चाहिए। नहीं तो पैसा चाहिए। अगर उसको बैंक से लोन चाहिए, उसको कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए भी वही तरीका है। सुशिक्षित बेरोजगार ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। कई ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट ऐसे हैं कि जिनको मजबूरी में मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। यह हमारे यहां का कड़वा सच है जो मैं बता रही हूं और ऐसे युवक और युवतियां हैं जो अपनी आइडेंटिटी की खोज रहे हैं, अपने स्वत्व को खोज रहे हैं।

सभापति महोदय, हाल ही में हमारे प्रदेश में जिला परिषद के चुनाव हुए जिसमें एक प्रसंग हुआ जिसका असर मेरे मन पर बहुत गहरा हुआ। जब हम कन्वेसिंग के लिए घूमते थे तो एक जीप में 15, 16 या 17 लड़के पूरी तरह से दारू के नशे में चूर किसी को जिंदाबाद किसी को मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि अपनी युवा पीढ़ी के प्रति अपनी राजनीति के लिए हम इतना गिर सकते हैं कि एक पूरी युवा पीढ़ी को हम दांव पर लगा रहे हैं। इस देश की युवा पीढ़ी की हत्या करने का अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया है और युवा पीढ़ी को हम ऐसी आदतें लगा रहे हैं उनका राजनीति में एक हथियार के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं। उनके भविष्य का क्या होगा। यह बात मेरे मन पर एक गहरा असर कर गई। हमारे भारत देश की एक महान

परम्परा है। इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियां इस भूमि में पैदा हुई हैं कि उनका नाम भी अगर हम लें तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्रता वीर सावरकर, डा. अम्बेडकर अनेकों नाम हैं। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि जिन नामों के ऊपर पूरे देश को अभिमान है, जो पूरे देश की गौरवशाली परम्परा के उत्तराधिकारी हैं, उन नामों का भी हमने बंटवारा करना नहीं छोड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र तक सीमित करना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बंगाल में रखने के लिए प्रयास करना, डा. अम्बेडकर को दलितों की चौखट लगाने की कोशिश करना, इतनी बड़ी आकाश को छूने वाली हस्तियों को हमने कभी प्रदेश के नाम पर बांटा है, कभी जाति के नाम पर बांटा है तो कभी धर्म के नाम पर बांटा है। इस देश की युवा पीढ़ी के बारे में जब मैं सोचती हूं तो इस देश की महिला वर्ग का उल्लेख करना भी अनिवार्य हो जाता है। आज की स्त्री भी अपने अस्तित्व की तलाश में है। वैसे हम महिला स्वातंत्र्य की बात बोलते हैं लेकिन सही मानों में अगर देखा जाए तो महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। एक घर में वह मां होती है, किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी बनकर काम करती है। घर के बाहर वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खूब काम करती है। चाहे वह खेतों में काम करने वाली महिला हो, किसान परिवार की महिला हो, नौकरी करने वाली महिला हो, शहर में रहने वाले परिवारों की महिला हो या संसद में आपके सामने बैठने वाली कोई महिला हो—सभी महिलाओं की समस्याएं एक समान हैं, हर जगह उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जन्म लेने के साथ ही उसकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं।

वैसे तो हम गर्व से कहते हैं कि हमने साइंस एण्ड टैक्नोलोजी में बहुत प्रगति की है लेकिन आज उसका प्रयोग हम गर्भ स्थित भ्रूण परीक्षण के लिए कर रहे हैं। अगर गर्भ में स्त्री-लिंगी बच्चा है तो आरंभ में ही उसका एबोर्शन कर दिया जाता है। मैं चाहती हूं कि इस स्थिति से निपटने के लिए हमें कानूनों को सख्त से सख्त बनाना होगा क्योंकि काफी लोग अब इस परीक्षण को कराते हैं।

परिवार नियोजन के बारे में भी बहुत सी समस्याएं हैं। अभी हमारी बहन वसुन्धरा राजे जी ने परिवार नियोजन के बारे में बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। मैं पूछना चाहती हूं कि भारत में कितनी महिलाओं को परिवार-नियोजन का निर्णय लेने का अधिकार है? यदि परिवार नियोजन के लिए पति-पत्नी तैयार भी हों तो एबोर्शन क्रिया का दुख महिला को ही सहन करना पड़ता है। इत्तफाक से हमारी स्वास्थ्य मंत्री, रेणुका जी स्वयं एक महिला हैं। उन्होंने पिछले सैशन में कहा था कि हिन्दुस्तान में सिर्फ तीन प्रतिशत पुरुषों को ही परिवार नियोजन का कष्ट सहना पड़ता है, बाकी कष्ट महिलाओं को सहना पड़ता है—महिलाओं की हमारे देश में यह अवस्था है।

यदि हम परिवार नियोजन कार्यक्रम को आरम्भ करना चाहते हैं तो हमें खुद से उसे शुरू करना चाहिए। यहां कई सुझाव आए, जिनमें से एक सुझाव यह है कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हों, उन्हें लोक सभा या विधान सभाओं के चुनावों में टिकट न दिया जाए, प्रत्याशी न बनाया जाए। यदि उन्हें प्रतिनिधित्व करना है तो उसके लिए दो बच्चों का क्राइटेरिया होना चाहिए—इस सुझाव को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए।

जब महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देने की बात आती है तो उससे संबंधित बिल पर यहां काफी चर्चा हो चुकी है और देश-विदेश सभी लोगों की नजरें हमारी लोक सभा की तरफ लगी हुई थी, जिसका यहां जिक्र करना मैं जरूरी समझती हूं। उस बिल के पास न होने से ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि कई सदस्यों ने अपने खाने के दांत और, दिखाने के और प्रदर्शित किए।

अंत में, मैं इतना जरूर कहूंगी कि यहां महात्मा गांधी का नाम सुबह से शाम तक लिया जाता है लेकिन उन्होंने एक नारा—चलो गांव की ओर—दिया था और कल्पना की थी कि जब तक हमारे गांव आत्म-निर्भर नहीं बनेंगे, हमारा देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता। यहां अनेक सदस्यों ने पिछले 50 सालों में हुई प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और आलोचना की, समालोचना की। हमारे देश में 75 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। हमारी फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है कि नायिका गाना गाते हुए आती है, गांवों का वातावरण बहुत अच्छा होता है लेकिन हकीकत में देखें तो गांवों में वैसा वातावरण कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। आजादी के 50 साल बाद भी, सही मानों में, यदि आप सुबह-सुबह देखें तो गांवों में शौचालय की सुविधा भी हम उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। जिस नारी के बारे में कहा जाता है—यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता—आज वही नारी प्रातःकाल अपने हाथ में डिब्बा लेकर, बस्ती से दूर, तातर-विधि के लिए जाती दिखाई देती है जो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, जिसे देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इस बात को मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है कि आजादी के 50 साल बाद भी आज हमारी माता-बहनों को दो-तीन किलोमीटर दूर, सिर पर बर्तन रखकर, पानी लाने जाना पड़ता है। यदि गांवों में जाएं तो वहां आपको कोई पक्की सड़क नहीं मिलेगी। जहां बिजली होती है, वहां खेतों में पानी मिल जाता है, किसान अपनी फसलों को पानी दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता। हमारे जैसे क्षेत्र में, जो मराठवाड़ा का बहुत पिछड़ा इलाका है, बैकवर्ड एरिया है, वहां तो रेलवे लाइन भी नहीं है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में तो रेलवे लाइन भी नहीं है। यदि मेरे क्षेत्र में किसी व्यक्ति को रेल देखनी हो, तो उसके लिए भी काफी दूर जाना होगा। यातायात की कोई सुविधा नहीं है। अस्पताल नहीं हैं। जहां अस्पताल हैं, वहां भवन नहीं हैं। जहां भवन हैं, वहां डाक्टर नहीं हैं। दुकान में खाद मिलता है, लेकिन समय पर नहीं मिलता है। जब किसान का अनाज उग जाता है और कटने की स्थिति में होता है, तो खाद मिलता है। इसका किसान को कोई फायदा नहीं होता है। किसान बीज लाता है, तो कभी-कभी बीज उगने के बाद पता चलता है कि वह बहुत ही निकृष्ट किस्म का बीज है।

गांवों के छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो स्कूल का भवन नहीं है। जहां स्कूल का भवन है, वहां शिक्षक नहीं हैं। जहां शिक्षक होते हैं, वहां पढ़ाई नहीं होती है। जहां पढ़ाई होती है वहां पेपर्स लीक हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा इसी साल आई.ए.एस. की परीक्षा के पेपर्स लीक हो गए। अब स्वयं अनुमान लगाइए कि हमारे देश की युवा पीढ़ी का क्या हाल होगा। एक नहीं, लाखों समस्याएं हमारी पीढ़ी के सामने खड़ी हैं।

सभापति महोदय, हम साइंस एंड टैक्नालोजी की बात कर रहे हैं। हम इक्कीसवीं सदी में जाने की बात कर रहे हैं। हम कंप्यूटर एज की बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसके विकास की बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम अपने देश को बुनियादी ढांचा विकसित करके नहीं दे सके, तो हमारे लिए यह खुशी की बात नहीं होगी। इस आजादी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं होगा। हम अपने स्वराज की परिकल्पना का, हम अपने स्वातंत्र्य का, हम अपने बुजुर्गों की कुरबानी के बाद प्राप्त इस आजादी का आदर करना चाहते हैं, तो हमें मूलभूत सिद्धान्त को अपनाना पड़ेगा। इस देश का जो सबसे उपेक्षित व्यक्ति है उसके आंसू को पोंछना होगा। उनके आंसू को यदि हम पोंछ सके, उनके दुख का यदि हम निवारण कर सके, तो हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। यदि हमें इसके लिए दुबारा भी लड़ाई लड़नी पड़े, तो हमें वह अवश्य लड़नी है।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों की वंदना करते हुए और आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर बोलने का जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए और इस सदन के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देते हुए मैं आपका पुन: आभार व्यक्त करती हूं।

श्री इलियास आजमी

श्री इलियास आजमी (शाहबाद): धन्यवाद सभापति महोदय, आज तीन दिनों से कुछ खास बिंदुओं पर बहस होनी थी वह चल रही है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस समुद्र मंथन से मुझे कुछ अमृत निकलने की उम्मीद थी कि कुछ अमृत निकलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ और हमारे ज्यादातर दोस्तों ने फ्रीस्टाइल तकरीरें की हैं, लेकिन मैं इन बातों को नहीं दोहराऊंगा और न ही मैं यहां किसी का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सिर्फ उन्हीं बिन्दुओं पर बात करूंगा जो तय किए गए थे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तय किया था कि इन चार-पांच बिन्दुओं पर संसद का स्पैशल सैशन बुलाया जाए। हम पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी से ऊपर उठकर अगर कोई रास्ता तलाश कर सकें, तो यह ग्यारहवीं लोक सभा एक तारीख बना सकती है, चाहे उसकी उम्र कितनी ही कम क्यों न हो। इस लोक सभा की कम उम्र की लोगों में शंकाएं हैं।

सभापति महोदय, जब हम अपनी आजादी की पचासवीं सालगिरह मना रहे हैं, तो मुझे अपने बचपन की यादें इस तरह ताजा हो रही हैं जैसे मेरे सामने कोई फिल्म चल रही हो। सन् 1942 मुझे याद है। मुझे याद है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मनीपुर तक आ गए थे। मुझे याद है कि 5 अगस्त को हिरोशिमा पर और 6 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराए गए और 10 अगस्त को जापान ने हथियार डाल दिए। मुझसे ज्यादा उम्र के सारे लोगों को याद होगा कि बरतानिया की जंग की वजह से चुनाव नहीं हुआ था। सन् 1945 में चुनाव हुआ था। उस समय लार्ड क्लैवेंट एटली जो लेबर पार्टी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा कि अगर हम चुनाव जीते, तो हम सारी दुनिया से सिमटकर बरतानिया वापस आ जाएंगे। उस समय कंजरवेटिव पार्टी सत्ता में थी। उसने इसका विरोध किया था और एक मुद्दे पर चुनाव हुआ था। जब लेबर पार्टी जीत गई, तो बी.बी.सी. से लार्ड क्लैवेंट एटली ने पूरी दुनिया को खुश-खबरी सुना दी कि हम सारी दुनिया से लौट रहे हैं। यह बरतानिया जिसके राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था आज उस हालत में पहुंच गया कि खुद उसके राज्य में साल में पांच महीने सूरज नहीं निकलता।

सभापति महोदय, हम नहीं कहते कि 50 साल हमने जाया किये। 50 साल में हमने बहुत से अच्छे काम भी किये हैं। 50 साल में हमने जमूहरी निजाम को मजबूत किया है और आजादी के तजादात मुल्क की एकता को मजबूत किया है। हम चुनाव कमीशन की तारीफ किये बगैर नहीं रह सकते कि चुनाव कमीशन ने कम से कम ऐसी चुनाव व्यवस्था की जिससे हमारे चुनाव पर चाहे कुछ गड़बड़ियां होती हों, बूथ केपचरिंग होती हो लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी विश्वसनीयता को कायम रखा। हमने बुनियादी आर्थिक ढांचे की तशकील की। फौलाद के कारखाने भी लगाये, रिफाइनरियां भी बड़ी-बड़ी कायम कीं, रेलवे के निजाम को और ज्यादा औसाद दी। सड़कें हमने बड़ी-बड़ी बना लीं, बंदरगाहों की तौसी की और हमने सबसे बड़ी हमारी कामयाबी यह है कि तजादात से विभिन्नताओं से भरे हुए इस देश को हमने न सिर्फ एक रखा बल्कि हमने पूरे देश में एक ऐसी भावना पैदा कर दी कि मैं पूरे एतमाद और दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी की 100वीं सालगिरह मनाते वक्त तक हमको ऐसा कोई खतरा नहीं है कि हमारा देश बिखर जायेगा। लेकिन बावजूद इसके कुछ छोटे इलाकों में अलीहदगी पसंदाना रूजहानात हैं। लेकिन कुछ तारीखी पहलू ऐसे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर गये, तो शायद इस विशेष सत्र का कोई फायदा हमको नहीं पहुंचेगा।

15 अगस्त 1947 को हमें आजादी इस शक्ल में मिली थी जैसे कोई ट्रेन चलती जा रही हो। ट्रेन की मंजिल वही हो, ट्रेन के स्टेशन, ट्रेन के स्टापेज वही हों। चलती गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर बदला गया हो। इसका नाम आप वाकई मुकम्मिल आजादी कहते हैं, हम मानते हैं कि हमको आजादी मिली, वह इसलिए कि बालिगराय दहिन्दगी की बुनियाद पर जब चुनाव होते हैं। लेकिन जो विरासत थी, बरतानिया ने जनता को गुलाम बनाने के लिए जो प्रशासनिक निजाम यहां कायम किया था, बरतानिया जब गया, गोरे अंग्रेज जब गये और काले अंग्रेजों को जब राज सत्ता दी गयी तो उनके अंदर अवाम को गुलाम बनाकर रखने की भावना बरतानिया के गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा शहीद थी। यही वजह है कि उन्होंने बरतानिया के बनाये हुए प्रशासनिक निजाम को और ज्यादा मजबूत किया। वह इसलिए क्योंकि जो लोग पावर में आये, उन्हीं का मकसद हजारों साल से जो लोग आजादी के नीचे रखे हुए थे, वही लोग पावर में आयें। इसलिए उन्होंने उस प्रशासनिक निजाम को ऐसा बना दिया कि जो जनता के नौकर थे, वह जनता के हाकिम बन गये।

आज हम कहते हैं कि लोकतंत्र है लेकिन अगर ईमानदारी से हम तजजीया करें तो लोकतंत्र नहीं है बल्कि तंत्र लोक है। तंत्र आज लोक को पलट कर उसकी छाती पर सवार है। उसका खून चूस रहा है। कहने को तो लोकतंत्र है। निर्वाचन सदन में लोकतंत्र है, लोक सभा में लोकतंत्र है, विधान सभा में लोकतंत्र है लेकिन गांवों में, जिलों में, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टरों में, ब्लाकों में, थानों में कहीं नहीं है। हर जगह तंत्र लोक है। तंत्र लोक की छाती पर सवार है और हमने जानबूझकर अपनी हजारों साल पुरानी मानसिकता के तहत इसको मजबूती दी है।

सभापति महोदय, आज तंत्र इतना मजबूत है कि लोग गांव से उठकर सुबह-सुबह अगर तंत्र के दरवाजे पर सजदा न करें, उसको दक्षिणा न दें तो उनका जीना भी मुश्किल है। तंत्र की हाकमियत का अंदाजा शायद वह लोग न रख सकें जो लम्बे समय से सदन में या सत्ता में रहे हैं। शायद वह भूल गये हैं कि तंत्र को उन्होंने बना रखा है। आज हालत निचले सतह पर जहां 85 फीसदी आबादी रहती है, उसकी एक हलकी सी झलक इस मिसाल से मिलती है कि जब ब्लाकों का निजाम यहां कायम हुआ, मुझको याद है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पहला ब्लाक रतनापुरा का उद्घाटन करते हुए जो तकरीर की थी, वह यह थी कि यह ब्लाक हम गांव के विकास के मंदिर के आधार पर बना रहे हैं। अगर इसमें भ्रष्टाचार आ जाये तो आज ही जनता से कहते हैं, आवाहन करते हैं कि इनको उठाकर गंदे नाले में डुबोकर मार डालो। लेकिन आज ब्लाक की क्या हालत है? ब्लाकों में उस वक्त जो ग्राम सेवक नियुक्त किये गये थे, हाकमियत की भावना इस तरह बढ़ी कि वह ग्राम सेवक जो थे, वे ग्राम अधिकारी बना दिये गये। पंचायतों में सैक्रेट्री मुकर्रर किये गये थे, वह राज अधिकारी बना दिये गये। हर तरफ अधिकारियत की भावना, हाकमियत की भावना छोटे-छोटे कर्मचारियों तक फैल गयी। जानबूझकर फैल गयी। जाहिर है कि ग्राम सेवक को ग्राम अधिकारी बनाने वाले हमी लोग थे। जो अवाम को दबाकर रखना चाहते हैं, उन्हीं के जरिये उनका शोषण करना चाहते थे।

सभापति महोदय, हमें अख्तियार है कि हम अंग्रेजों को जालिम कहें, जाबीर कहें, कुछ भी कहें। अंग्रेजों ने यहां राज किया है। 1862 में दुबारा कब्जा करने के बाद कम से कम 90 साल तक उन्होंने कम्पलीट राज किया है। हम उनको जालिम भी कहते हैं, जाबीर भी कहते हैं। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में भी यह हाउस था, यह अलग बात है कि उस समय 100 मैम्बर यहां बैठते थे जिनमें से 55 हिन्दू के नाम पर आते थे, 30 मुसलमान के नाम पर आते थे और 15 सिख-इसाई और रजवाड़े के नुमाइंदे की हैसियत से आते थे। अंग्रेजों ने एक डी.आई.आर. जैसा काला कानून बनाया था। उसने जितने काले कानून बनाये थे, हमारे लिए यह शर्म की बात है, हमको उसका मुहासिबा करना पड़ा कि अंग्रेजों ने तो 1-2 काले कानून बनाये थे, हमने उनको बरकरार रखा। लेकिन अंग्रेजों ने कभी 'मीसा', गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट जैसे कानूनों की बात सोची भी नहीं थी। मुझे जिक्र करने दीजिए कि हमने टाडा जैसा काला कानून बनाया, दुनिया के बड़े से बड़े शैतान ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कानून कभी सोचा नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि यदि हमें कुछ सबक सीखना है तो एक ऐवार्ड की तशकील करनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए शैतानी ऐवार्ड। जिसने टाडा का कानून ड्राफ्ट किया था, जिसने आइडिया सोचा था, पहला शैतानी ऐवार्ड उसे देना चाहिए और दुनिया में जितने हिटलर या इस तरह के लोग हैं जो अवाम को टाडा जैसे कानूनों से प्रताड़ित करने की बात सोचते हैं, सबको हर साल एक शैतानी ऐवार्ड देना चाहिए ताकि कुछ लोग शर्म करें, कुछ लोग यह महसूस करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग टाडा जैसा कानून बनाएंगे, उनको शैतान की उपाधि मिलेगी। टाडा इस नाम पर बनाया गया था कि उसके जरिए टैरोरिज्म खत्म होगा। आज वक्त ने साबित कर दिया है कि जब तक टाडा था तब तक टैरोरिज्म ज्यादा मजबूत था और जब से टाडा मर गया है तब से टैरोरिज्म कम हुआ है। टाडा टैरोरिज्म को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, यदि टैरोरिज्म को खत्म करने के लिए बनाया गया होता तो टाडा जब पूरी ताकत से यहां लागू था तब टैरोरिज्म खत्म हुआ होता। लेकिन टाडा खत्म हुआ, टैरोरिज्म मरने लगा, टाडा टैरोरिज्म को बढ़ाने का एक हथियार था और जिन लोगों ने उसे बनाया था, मैं अपने आप पर काबू नहीं पा सकता, मैं उनकी निन्दा किए बिना नहीं रह सकता।

इन 50 सालों में हमने सैकुलरिज्म और साम्प्रदायिकता के नारे गला फाड़-फाड़कर लगाए। जो धर्मनिर्पेक्ष थे, वे दूसरों को साम्प्रदायिक कहते थे, जो साम्प्रदायिक कहे जाते थे, वे छदम धर्मनिर्पेक्ष कहे जाते थे। मैं कहता हूं कि क्या हम आज इस पर गौर करने के लिए तैयार हैं कि 50 साल सैकुलर कहे जाने वाले लोगों की यहां हुकूमत रही है। उन सैकुलर कहे जाने वाले लोगों में अकलियत का तबका, जो 15 अगस्त, 1947 तक इतना काबिल था कि हर कम्पीटिशन में 33 प्रतिशत आता था, क्या 16 अगस्त के बाद वह बिल्कुल नालायक हो गया कि किसी कम्पीटिशन में 1 प्रतिशत भी नहीं आने लगा? यह बात

मानी नहीं जा सकती। मैं मानता हूं कि उनके साथ बेईमानी होती रही, जानबूझकर ब्राह्मणवादी मानसिकता से त्रस्त होकर एक ने शूद्र बनाने की यहां स्थापना की। 50 साल सैकुलरिज्म का नारा लगाकर कोशिश की गई। मैं पूछता हूं कि क्या उन लोगों को सैकुलरिज्म का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती जो यहां सत्ता में थे और हिटलर के बाद दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार एक सभ्य कही जाने वाली हुकुमत में मेरठ से अपने साथियों को घरों से निकलवाया, थाने में बंद रख, ट्रकों में भरा और नदियों-नहरों के किनारों पर गोली मारकर लाशें बहा दीं। क्या वे लोग सैकुलर कहे जा सकते हैं? जिनके थाने में हाथ-पांव नहीं तोड़ सके थे, 300 लोगों को फतेहगढ़ जेल में भेजा और उसके बाद बाहर से पुलिस गई, जेल को जबरदस्ती खुलवाकर उनकी काफी पिटाई की गई। वे एक ही वर्ग के लोग थे। सैकुलरिज्म का मतलब होता है कि अकसरियत का गलबा अकलियत पर इस तरह न होने पाए। मैं नहीं मानता कि सैकुलरिज्म का नारा बिल्कुल गलत नारा था। उनके हाथ-पांव तोड़े गए, 7 आदमियों की पिटाई करते-करते जेल में मार डाला गया। जेल के कैदियों से कुछ नहीं हुआ था, बाहर से पुलिस के लोग भेजे गए थे। क्या वे लोग सैकुलर हैं? उनको सैकुलर कहा जा सकता है, जिन्होंने भागलपुर में 1800 इन्सानों का सरकारी मशीनरी के सहयोग से कत्ल करके खेतों में लाशें गाड़कर गोभी और सरसों के पौधे उन पर लगा दिये थे और सैकुलरिज्म का नारा लगाते हैं। मैं कहता हूं, शर्म आनी चाहिए, सैकुलरिज्म के लफ्ज पर, उस वक्त एक शायर ने कहा था, हमारे आजमगढ़ जिले के शायर है:

ये राख मकानों की, जाया न करो सागर,
ये अहले सियासत के रुखसार के गाज़ो हैं।

रुखसार की, उनके चेहरे की सुरखी पाउडर हैं। यह सियासत के लोगों की है। 40 साल तक सैकुलरिज्म के नाम पर यहां पर तारीकियां और अंधकार फैलाया गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और भारत की जनता का कि वे तारीकियां 40 साल के बाद छंटीं। आज फिर वे छटपटा रही हैं कि हम फिर वही अंधकार ला दें, लेकिन मुझे पूरा एतमाद है कि इस देश की जनता उन लोगों को, जिनके कौल और फेल में इतना तजाद हो, उस अंधकार को दोबारा इस देश पर मुसल्लत नहीं करेंगे। आप लोग, भाजपा के लोग छद्म धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ये कहते हैं कि छद्म धर्मनिरपेक्षता है, आप भाजपा के लोगों का यह शब्द गलत है। मैं कहता हूं कि यहां पर कुछ लोग सैकुलर फ्राड हैं, उनको सैकुलर फ्राड का नाम देना चाहिए। जो लोग सैकुलरिज्म की बात करते हैं, एक साहब बहुत बड़े नेता हैं ....*(व्यवधान)* अभी तो कुछ नहीं हुआ, लोग 50-50 मिनट बोले हैं, एक-एक घंटा बोले हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ तजवीज रखूंगा। दो-चार मिनट के बाद में क्या होना चाहिए, यह रखूंगा। एक साहब हैं, बहुत बड़े सैकुलर आजकल बन रहे हैं, जब ये वैलफेयर मिनिस्टर थे, तो रोज बयान देते थे कि मुसलमानों का आरक्षण होना चाहिए। रोज बयान देते थे, आज वे शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी उंगली के इशारे पर यह सरकार चल रही है, चाहे मुलायम सिंह यादव जैसे बहादुर लोग उस सरकार में हों, चाहे और दूसरे लोग हों, उनके इशारे पर सरकार चल रही है। वे मुसलमानों के रिजर्वेशन को कहां भूल गये। यह सिर्फ धोखा देने के लिए, फरेब देने के लिए और नफरत पैदा करने के लिए ऐसे नारे देते रहे हैं। आज तो मैं कहता हूं कि असल प्राइम मिनिस्टर वही है, क्यों नहीं मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात लाते, जो वैलफेयर मिनिस्टर की हैसियत से रोज कहा करते थे। सैकुलरिज्म हमारा उचित है, लेकिन सैकुलरिज्म की कसौटी क्या होती है। सैकुलरिज्म की कसौटी होती है, माइनोरिटी का इत्मिनान है, अगर माइनोरिटी के लिए मुतमईन हैं तो वह सैकुलरिज्म है, वही कसौटी है। उस कसौटी पर जो खरा उतरेगा, वही सैकुलर कहा जायेगा।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं अब यह बात खत्म करके उस बात पर आता हूं कि सुधार कैसे हो सकता है, जो बुराइयां पैदा हुई, उन बुराइयों को दूर कैसे किया जा सकता है। मेरी पहली तजवीज है कि जब तक आई.ए.एस. का निजाम हम खत्म नहीं करेंगे, जब तक डायरैक्ट आई.ए.एस. की भर्ती, मैं सुरक्षित हूं उसका असल फार्म आजकल बन गया है। उसको जब तक हम यह नहीं करेंगे कि हर आदमी बाबू भर्ती हो या सिपाही भर्ती हो, वह अपने कर्तव्य, मेहनत, ईमानदारी और लगन, सख्त मेहनत के बल पर वह एक सिपाही जो भर्ती हो, वह डी.जी.पी. तक पहुंचे और वहां पहुंच कर, एस.पी. की जगह पहुंचकर अगर वह बेईमान और सुस्त पड़ जाये तो उसको बैक करना शुरू कर दिया जाये। अगर ऐसा निजाम हम बनाएंगे कि बाबू कैबिनेट सैक्रेटरी तक पहुंच जाये, अपनी मेहनत, ईमानदारी, लगन और तेज रफ्तार काम से और जहां चलकर वह सुस्त पड़ जाये, वहां उसको वापस कर दिया जाये। अगर हम इस निजाम को लागू करेंगे तो हम इस देश का बहुत बड़ा भला करेंगे।

सभापति महोदय: कृपया, समाप्त कीजिए। आपका समय खत्म हो गया।

श्री इलियास आजमी: मेरी तजवीज यह है कि हर उस स्कीम को, जो केन्द्र सरकार से जाती है, जो पैसा जाता है और उन स्कीमों में यह खुली हुई बात है, जैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पैसा मेरे जिले में तीन करोड़ रुपया गया है, मैं चुनौती देता हूं कि अगर पूरी ब्यूरोक्रेसी मिलकर तीन साक्षर आदमी हरदोई जिले में दिखा दे तो मैं लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर तीन करोड़ रुपये में तीन आदमी भी साक्षर नहीं हों, तो इस प्रकार की जितनी भी स्कीमें केन्द्र सरकार की हैं, मैं कहता हूं कि उनको बन्द कर दो और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पैसा माध्यमिक स्कूलों को दे दो, जो 12 साल से उत्तर प्रदेश में एड लिस्ट पर नहीं आये हैं।

चुनाव सुधार बहुत जरूरी है। चुनाव सुधार की मेरे पास एक तजवीज है, मैंने चुनाव आयोग को भेजी है, किसी मौके पर मैं उसको रखूंगा। जम्हूरियत की मजबूती की बात जहां तक होती है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका टाइम खत्म हो गया।

श्री इलियास आजमी: मैं खत्म कर रहा हूं। अभी तो मुझे दस मिनट ही हुए हैं।

सभापति महोदय: दस मिनट क्यों, आप 16 मिनट बोल चुके हैं। आपका टाइम 17 मिनट हो गया।

श्री इलियास आजमी: मैं तो फ्री स्टाइल तकरीर नहीं कर रहा हूं, जिस मुद्दे पर आपने बुलाया है, उसी पर बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है।

श्री इलियास आजमी: फ्रीस्टाइल वाले एक घंटा बोले हैं। जहां तक लोकतंत्र की बात है, वह तब मजबूत होगा, जो हमारा दल-बदल विरोधी कानून है, उसमें कुछ सुधार हो।

सभापति महोदय: कृपया बैठें।

श्री इलियास आजमी: दो-चार मिनट की बात है, मैं खत्म कर रहा हूं।

सभापति महोदय: दो-चार मिनट नहीं, आप 16 मिनट ले चुके हैं। काफी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री इलियास आजमी: मैं खत्म कर रहा हूं। फिजूलखर्ची खत्म करने के लिए बाकायदा मुहिम चलानी चाहिए। हर गांव को एक इकाई मानकर उसका विकास करेंगे तब यह देश बन सकता है। सूचना का मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। जब तक यह नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता।

मैं आखिरी सुझाव देना चाहता हूं। कई लोगों ने प्रतिभा पलायन का जिक्र किया। मै जाती जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि अमेरिका का जो 'नासा' है, जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक केन्द्र है, वहां 25 फीसदी हिंदुस्तानी वैज्ञानिक हैं। यह सही है कि हमने माजी में गलतियां की हैं। अमेरिका के टॉप वैज्ञानिकों में हिन्दुस्तानी हैं, शायद उन्होंने अपनी नागरिकता खोई नहीं है। इसलिए मुल्क को कोई ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वे अपने वतन लौटकर आएं।

सभापति महोदय: ठीक है, हो गया।

श्री इलियास आजमी: ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 150 साल तक इस देश को लूटकर जितना पैसा विदेश में भेजा था, उससे ज्यादा पैसा हमारे नेताओं ने, ब्यूरोक्रैसी ने और व्यापारियों ने लूटकर विदेशों में जमा किया है। ऐसी मशीनरी बनाई जाए कि वह पैसा वापस अपने देश आ सके। इससे जो हमारा सारा कर्जा है, जिसके लिए सब चिंतित हैं, वह समाप्त हो जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री नवीन पटनायक

[अनुवाद]

श्री नवीन पटनायक (आस्का): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में सांसद बना हूं।

आज, स्वतंत्रता की आधी शताब्दी पश्चात् हमें अपने राष्ट्र की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। हमें भारत की अनेक उपलब्धियों पर गर्व है परन्तु इसके साथ-साथ देश की असफलताओं को दूर करने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे माता-पिता जब नौजवान थे तब वे स्वतंत्र राष्ट्र का सपना देखा करते थे और उनमें से अधिकतर लोगों ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध संग्राम किया जिसके फलस्वरूप भारत स्वतंत्र हुआ।

प्रारंभ में मैं अपने देश की कतिपय उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूंगा। हमें इस तथ्य को जानकर गर्व महसूस होता है कि भारत प्रति वर्ष 50 लाख से अधिक स्नातक तैयार करता है। हम विश्व के 10 अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों में से एक हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं।

सिक्के के दूसरे पहलू पर जब हम नजर डालते हैं तो पाते हैं कि हम स्नातकों को उतनी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्र में अभी भी बिजली और सिंचाई व्यवस्था का अभाव है और खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के बावजूद हम सभी को भोजन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं।

महोदय, यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी हम भारत के अनेक लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। पेयजल की कमी भारत के अनेक भागों में हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र आस्का के अनेक गांवों में भी पेयजल का भारी संकट है। बहुत बड़े क्षेत्रों में सिंचाई का भी अभाव है।

गंजम जिला, जिसके अन्तर्गत मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आता है, में जल मुख्यत: रुशीकुल्या प्रणाली से आता है जिससे जिले के कुल

कृषि योग्य क्षेत्र का 15% भाग सिंचित होता है। इसके अतिरिक्त इससे अनेक शहरों और गांवों को भी पेयजल उपलब्ध होता है।

वर्तमान में यह वर्षों पुरानी शुरू की गई उत्तम प्रणाली अब गाद से भर गयी है और रख-रखाव के अभाव में जर्जर स्थिति में है। इसके लिए वही पुराना बहाना बताया जाता है कि धन का अभाव है।

रात्रि 9.41 बजे

[**प्रो. रीता वर्मा** *पीठासीन हुई*]

महोदया, गंजम को उड़ीसा का चावल क्षेत्र कहा जाता है और यह रुशीकुल्या प्रणाली से ही संभव हो पाया है। महोदया, वहां किसानों के कुशल और अथक प्रयासों से भी ऐसा हुआ। इस मुख्य प्रणाली, जिस पर कृषि समुदाय के 20 लाख लोगों का जीवन निर्भर है, पर गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

इस जल प्रणाली की उपेक्षा के कारण कई सबल व्यक्तियों को अपने बड़े-बड़े घर छोड़ने पड़े। छोड़ आए अपने परिवारों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें उड़ीसा से दूर जो भी काम मिलता है वे करते हैं।

महोदया, पानी की कमी के कारण बीमारियां पनपती हैं और लोगों को उसी पानी में नहाना पड़ता है और उसी पानी को पीना पड़ता है जिसमें उनके पशु नहाते हैं और जिसको वे पीते हैं। इससे पेट के रोग और चर्मरोग फैलते हैं। इस पूरे इलाके में चिकित्सकीय सहायता या देखरेख है ही नहीं।

महोदया यह मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि रुशीकुल्या प्रणाली की खराबी की जांच कराई जाए और इसे ठीक किया जाए जिससे कि मेरे क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके और भौतिक समृद्धि बहाल की जा सके।

उड़ीसा में कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट बारहमासी सूखे की चपेट में रहते हैं। पिछले वर्ष भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने बोलांगीर, कालाहांडी और नवापाड़ा के सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्रों का 14 नवम्बर, 1996 को दौरा किया था। माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चतुरानन मिश्र ने 4 दिसम्बर को इन क्षेत्रों का दौरा किया था और उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से विस्तृत अध्ययन करने और भुखमरी के कारण होने वाली मौतों की सूचनाओं की जांच करने के लिए कहा था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एक उच्च स्तरीय दल, जिसमें अन्य सदस्यों के अलावा महासचिव और महा-निरीक्षक, जांच भी शामिल थे, वे नवापाड़ा, कालाहांडी और बोलांगीर जिलों का भ्रमण 12, 13 और 14 दिसम्बर, 1996 को किया था।

इस दल के भ्रमण के दौरान, विशेष राहत आयुक्त ने दल को कथित रूप से भुखमरी के कारण 50 मौतें जो कि बोलांगीर में और 5 मौतें कालाहांडी में हुई थी, की सूची उपलब्ध करायी। दल ने नवापाड़ा जिले में हुई तीन मौतों, बोलांगीर जिले में हुई 13 मौतों और कालाहांडी जिले में हुई पांच मौतों के मामलों की जांच की।

महोदया, विस्तृत जांच के बाद, दल ने एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया। दल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष राष्ट्र की आत्मा को झकझोर देंगे।

महोदया, मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के एक भाग को पढ़ता हूं। मैं उद्धृत करता हूं:—

"नवापाड़ा जिले के मुहुलकोट गांव के धनबुधी माझी का मामला आया था जिसकी जिला प्राधिकारियों के अनुसार स्वाभाविक मृत्यु हुई थी परन्तु ग्रामीणों के अनुसार वह पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं कर सका क्योंकि उसका पुत्र बाहर चला गया था और इसके परिणामस्वरूप वह भुखमरी से मर गया। नवापाड़ा के धनैश्वर माझी का एक दूसरा मामला है जो रायपुर में एक मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था परन्तु वापस अपने घर को लौटते समय खरियार सड़क पर 11 अक्तूबर, 1996 को मर गया था। शव परीक्षण से यह पता चला कि वह किसी फेफड़े की बीमारी से मरा जबकि शव परीक्षण के अन्य ब्यौरों से दल को पता चला कि उसके पेट में कुछ भी नहीं पाया गया।"

महोदया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दल ने अंतत: यह निष्कर्ष निकाला:—

"उपरोक्त पैरा (6) में दर्शायी गयी प्रविधि के आधार पर दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उस क्षेत्र में व्याप्त भारी उपेक्षा, फसलों की भारी क्षति, कुपोषण और अपर्याप्त आय स्तरों और राहत उपायों की अपर्याप्तता के कारण लम्बे समय तक कुपोषण की स्थिति और भूख के प्रभाव से बीमारी की चपेट में आकर कुछ मौतों के होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।"

महोदया, उच्च स्तरीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दल ने यह भी महसूस किया कि:—

"..... यदि सुधारात्मक कदम व्यापक स्तर पर शीघ्र शुरू नहीं किए गए तो आगामी इन महीनों में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी की स्थिति और गम्भीर होने की सम्भावना है।"

फरवरी, 1997 में तैयार किए गए अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दल ने अकाल की स्थिति का युद्धस्तर पर सामना करने हेतु बहुत ही उपयुक्त सिफारिशें की थीं।

महोदया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दल के प्रतिवेदन को उड़ीसा सरकार को 7 मार्च, 1997 को उपलब्ध कराया गया था। अब जबकि प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, मैं जानना चाहूंगा कि दिल्ली में केन्द्र सरकार इस भयानक स्थिति पर नजर रखने के लिए क्या कर रही है और भुवनेश्वर में राज्य सरकार इस विपत्ति के समाधान के लिए क्या कर रही है।

महोदया, भारत की दहलीज पर नई शताब्दी दस्तक दे रही है। चूंकि हम अगली शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं इसलिए भारत के बारे में ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि यद्यपि देश ने कई सभ्यताओं को पाल-पोसकर विकसित किया है परन्तु यह विशाल जन समुदाय को पेट भरने के लिए भोजन भी मुहैया नहीं करा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको इस सम्माननीय सभा को सम्बोधित करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं और मेरे भाषण को ध्यान से सुनने के लिए अपने सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री सतपाल महाराज

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): सभापति जी, आपने इस अवसर पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

जहां तक भारत में प्रजातन्त्र और प्रजातान्त्रिक संस्थाओं का प्रश्न है, वे भारत में मजबूत हैं। प्रजातंत्र की जड़े भारत में गहरी हैं और उसका श्रेय भारत की जनता को जाता है। मैं स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर, आपके माध्यम से, भारत की जनता को प्रजातन्त्र की सफलता पर बधाई देना चाहता हूं। पिछले पचास वर्षों में भारत के इतिहास में अनेक उतार-चढ़ाव आए, लेकिन भारत की जनता ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि वह प्रजातन्त्र में विश्वास रखती है। चाहे बाहरी शक्तियां हों या आंतरिक शक्तियां हों, वे भारत के प्रजातंत्र और प्रजातान्त्रिक संस्थाओं को तोड़ नहीं सकती हैं। जातिवाद साम्प्रदायवाद या क्षेत्रवाद के झगड़े के बावजूद, भारतीय जनता ने अशिक्षित और गरीब रहने के बावजूद यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि वह अपने वोट का प्रयोग बड़ी बुद्धिमानी और सही ढंग से कर सकती है। इस पचासवीं वर्षगांठ पर हम भारतीय जनता का अभिवादन और अभिनन्दन करते हैं। कहा है—"कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी"— भारत में प्रजातन्त्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, मजबूत हैं। हम आशावादी हैं कि भारत एक आदर्श धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक राज्य के रूप में उभरेगा।

आज राष्ट्र उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जो शहीद हुए हैं उन्हें विश्वास दिलाता है कि उनके मूल्यों को सदैव जीवित रखेगा। प्रजातांत्रिक संस्थाएं भारत में लगभग ठीक से काम कर रही हैं और न्यायपालिका ने संविधान के प्रहरी के रूप में काम किया है। यद्यपि आज ज्यूडिशियल एक्टीविजम की आलोचना हो रही है लेकिन यदि हम सभी लोग लोक सभा के सदस्य आत्मचिन्तन करें तो इसमें दोष हमारा ही है। यदि हम संसद की गौरवगरिमा और परम्पराओं का ठीक से निर्वहन करें तो हम ज्यूडिशियल एक्टीविजम को कम कर सकते हैं। मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाते हुए आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे देश में अनेक संसाधन हैं, जिनका हम बड़े अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हिमालय से हमारी पतित पावनी गंगा बहती है और उस पर एलांग द रीवर टरबाइंस लगा कर हम प्रचुर मात्रा में बिजली पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी नदियों से विद्युत पैदा हो सकती है, जिससे हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के अंदर सुदृढ़ तरीके से कायम हो, उद्योग बढ़ते जाएं। इसके लिए हमारे देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो हमारी शक्तियां हैं, सम्पदा है उसके बारे में हमें विचार करना होगा। पहाड़ों पर विंड टरबाइंस लगाई जा सकती हैं जिससे बहुत अधिक मात्रा में बिजली प्राप्त हो सकती है।

महोदया, सौर उर्जा में हमारा भारत पिछड़ा हुआ नहीं है। इससे हम काफी गांवों में पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली पैदा कर सकते हैं और हम गांवों की आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा कर सकते हैं। जहां पर हमारे समुद्र के किनारे हैं वहां पर लहरों के उतार और चढ़ाव से, (सी वेव) से हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं। सिलेंडर्स के ऊपर-नीचे जाने से जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उससे भी बिजली के जेनरेटर चलाए जा सकते हैं और बिजली पैदा हो सकती है। इसी प्रकार से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वे दुनिया में कहीं से भी पिछड़े हुए नहीं हैं। उनको अगर हम पूरे संसाधन और अपोरचुनिटी उपलब्ध कराएं तो वे निश्चित रूप से दुनिया के वैज्ञानिकों में और भी आगे होंगे। आज हम पाश्चात्य जगत में देखते हैं कि भारत के कई वैज्ञानिक, कई डाक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर उनको वैसी ही व्यवस्था, वैसा ही वातावरण अपने देश में उपलब्ध करा पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप

से वे हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार से विदेशों के अंदर, विशेषकर अमेरिका में सिलिकॉन वेली बनी है और वहां पर सिलिकॉन के ऊपर, कम्प्युटर के ऊपर रिसर्च होता है उसी प्रकार से हमारे देश में भी सिलिकॉन वेली को एस्टेब्लिश करके हम अपने छात्रों को, अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

महोदया, जब हम राष्ट्र के बारे में चिन्तन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि हमारे राष्ट्र में अनेक विद्यालय खुले हैं, शिक्षा के केन्द्र खुले हैं, शिक्षा का प्रसार हो रहा है परन्तु क्या कारण है कि इतने विद्यालय खुलने के बाद, इतने शिक्षा के केन्द्र खुलने के बाद, इतने इंस्टीट्यूशंस खुलने के बाद भी आज हम अपने राष्ट्र के अंदर विवेकानन्द नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि आज हम अपने समाज के अंदर छत्रपति शिवाजी को नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि आज हम अपने समाज के अंदर वीर लक्ष्मी बाई को नहीं पैदा कर पा रहे हैं? इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे बीच में से अध्यात्म समाप्त हो गया, आत्मिक शक्ति समाप्त हो गई और जिस राष्ट्र के अंदर आत्मिक शक्ति नहीं होती है वह राष्ट्र मुर्दा हो जाता है।

मैं राष्ट्रीयता की बात करते हुए आपसे कहूंगा कि जब स्वामी विवेकानंद जापान में गए तो वहां पहुंचने के बाद वह एक कक्षा में गए और वहां एक विद्यार्थी के पास जाकर पूछते हैं कि बेटा, तुम किस का वंदन करते हो, किस की पूजा करते हो तो विद्यार्थी ने बड़े गर्व से कहा कि मेरे ईष्ट महात्मा बुद्ध है। तब विवेकानंद ने कहा कि अगर महात्मा बुद्ध तलवार लेकर तुम्हारे राष्ट्र पर आक्रमण करेंगे तो बेटा तुम क्या करोगे? उस लड़के का मुंह तमतमाने लगा और वह कहने लगा कि अगर महात्मा बुद्ध मेरे राष्ट्र पर आक्रमण करेंगे तो मैं भी तलवार ले करके उनका जवाब दूंगा। विवेकानंद कहते हैं कि वह राष्ट्र धन्य है, जिस राष्ट्र के बच्चों के अंदर ऐसी राष्ट्रीयता की भावना ओतप्रोत है ऐसा राष्ट्र कभी गुलाम नहीं हो सकता। आज हमारे देश को ऐसी ही राष्ट्रीयता की आवश्यकता है, देश प्रेम की आवश्यकता है। महात्मा गांधी की जो स्पिरिट है, उसकी आवश्यकता है।

महोदया, मैं आपसे यह कहूंगा कि हमें अतीत को सम्मान देना है, वर्तमान के लिए समाधान ढूंढना है और भविष्य के लिए दिशा-निर्देश करना है। महात्मा गांधी कहते थे कि जब मानव अपने को बदलेगा, तो मानव-समाज बदलेगा, वातावरण बदलेगा। अगर हम चाहते हैं कि युग-परिवर्तन हो, समाज बदले, तो हमें अपने को बदलना होगा। परिवर्तन आवश्यक है। ज्यादा न कहते हुए मैं संक्षिप्त मैं अपनी बात कहूंगा।

"रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा,
गर शौक में जोश रहा तेरे, तस्वीर का जामा बदलेगा,
बेजार न हो, बेजार न हो, ये सारा फसाना बदलेगा,
कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा।

महोदया, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

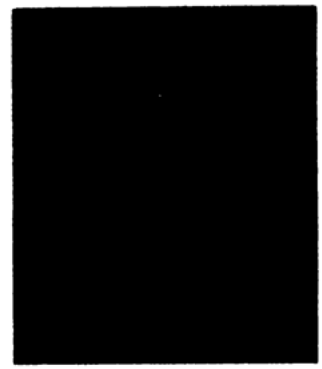

श्री चमन लाल गुप्त

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): पिछले तीन दिनों से लगातार पिछले 50 वर्षों में देश ने क्या पाया और क्या खोया, इस पर चर्चा हो रही है। हमारे श्रेष्ठ नेताओं ने देश के सामने जो समस्याएं हैं उनको भी उजागर किया है और उनके कुछ समाधान भी सामने आए हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं वह कश्मीर आज देश की सबसे ज्वलंत समस्या बना हुआ है। उसका जिक्र इस चर्चा में न आए तो यह चर्चा अधूरी रह जाएगी।

पिछले 50 वर्षों में कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने तीन बार आक्रमण किया है। सबसे पहला आक्रमण 1947 में हुआ। उस पहली लड़ाई के अन्दर बहुत कम, मुट्ठी भर सैनिक लेकर जिन वीरों ने पाकिस्तान के दरिंदों का सामना किया, उनमें ब्रिगेडियर राजिन्द्र सिंह, ब्रिगेडियर उस्मान, शेरवानी ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनको मैं आज नमन करना चाहता हूं। महोदया, पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में है कि वह भारत की एकता और अखंडता को तोड़े। इसी कारण से वह बार-बार कश्मीर के ऊपर आक्रमण करता है। हमारी इस बुकलैट में जिक्र आया है कि वहां वायलेंस के कारण दस हजार के करीब लोग मारे गये हैं। मैं इसमें कुछ और चीजें जोड़ना चाहता हूं।

आज भी कश्मीर के चार लाख लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपने पैतृक घरों से निकाल दिए गए हैं। कितनी ही मां-बहनों की इज्जत लूटी गयी, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, कितने ही बूढ़े मां-बाप का सहारा छीना गया है। आज वहां विचित्र स्थिति बनी हुई है। एक तरफा पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर हमला करता है और दूसरी तरफ हमारा देश पाकिस्तान के साथ वार्तालाप कर रहा है, सैक्रेट्री लेवल पर चर्चा हो रही है। बार-बार उनका आह्वान कर रहे हैं कि पीस-ट्रीटी की जाए। अजीब स्थिति है कि पाकिस्तान लगातार हथियार भेजता चला जाए, सीमा पर आक्रमण करता चला जाए, पैसा भेजता चला जाए, सब तरह के लोगों को ट्रेंड करके कश्मीर के अंदर भेजता चला जाए और हम उसके साथ सुलह की संधि करने के लिए तैयार बैठे रहें।

रात्रि 10.00 बजे

पिछले दिनों प्रधान मंत्री कश्मीर गए थे। उस समय उन्होंने वहां पर एक भाषण दिया था और लोगों से कहा था और उन उग्रवादियों का आह्वान किया था कि मैं आपसे अनकंडीशनल बात करना चाहता हूं। वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब तक ये लोग हथियार नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनसे बात नहीं होनी चाहिए। आखिर ये कितनी कंट्राडिक्शन्स हैं

जिनके बारे में हमें सावधान होने की जरूरत है। आज भी कश्मीर के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, सारे सदन में सारी बहनें महिलाओं के अधिकारों के लिए बाकायदा एक युद्ध लड़ रही है परन्तु वहां क्या स्थिति है? कश्मीर की कोई महिला यदि दिल्ली के किसी नवयुवक के साथ विवाह कर लेती है तो वह अपने स्टेट के सारे अधिकार खो देती है। कश्मीर का नौजवान यदि पंजाब की किसी लड़की के साथ विवाह करता है तो उसके अधिकार सुरक्षित हैं। जो फंडामेंटल डिप्रेन्सिएशन कहें, डिसक्रिमिनेशन कहें, वह आज भी वहां पर दिखायी दे रहा है। हमारा संविधान किसी तरह से इन सब चीजों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। जो पचास वर्षों से जम्मू में रह रहे हैं, उनको आज वहां की असेम्बली में वोट देने का अधिकार नहीं है। आज भी वहां पर अजीब परिस्थिति बनी हुई है। आखिर ये किस कारण? तीन बार पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है और यह चौथी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमें सोच-विचार करना पड़ेगा। सिर्फ शब्दों में यह कह देने से कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, कश्मीर देश का अटूट अंग है, इतने से काम नहीं चलेगा। आखिर यह जो सब कुरीतियां पैदा करने वाले अनेक नौजवान खड़े हो गए हैं, इन्होंने देश के खिलाफ एक तरह से विद्रोह किया है। प्रधान मंत्री दो बार श्रीनगर गए हैं। पहली बार 2500 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट देने के लिए गये थे और दूसरी बार वहां व्हिप्स कौनफ्रेन्स में गए, परन्तु दोनों बार सारी की सारी वादी हड़ताल पर रही। कहीं पर एक रेहड़ी नहीं चलती है। क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि आखिर ये सब किस कारण से होता है? मेरा निवेदन है कि जहां पर हम अन्य चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहां हमें इस चीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि कश्मीर और बाकी देश के बीच में हमने जो दीवार खड़ी करके रखी है धारा 370 की, जब तक उसको नहीं हटाएंगे, तब तक जो ख्वामख्वाह की चर्चा हम करते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। कश्मीर सही मानों में अगर देश का अटूट अंग है तो फिर इस तरह की धारा की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। उसको समाप्त किये बिना हमारा काम नहीं चलेगा।

महोदया, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 15 अगस्त को हमने सारे देश के अंदर आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाई। लद्दाख में दो फंक्शन्स स्वर्ण जयन्ती के हुए। एक वहां की आटोनौमस काउंसिल ने मनाया और दूसरा फंक्शन कश्मीर के मिनिस्टर अजातशत्रु साहब जाकर मनाते हैं। रीजनल डिफरेन्सेज किस हद तक चले गए हैं इसका अंदाजा आप करिये कि एक नेशनल फंक्शन भी हम इकट्ठा नहीं मना सकते हैं। वहां की सरकार आज भी आटोनौमी की चर्चा करती है। किस तरह की आटोनौमी वह देनी चाहती है? 370 के रहते यहां की पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है तो वह उस प्रदेश में लागू नहीं होता है। इससे बड़ी आटोनौमी किसी प्रदेश को क्या मिल सकती है, लेकिन फिर भी वहां पर चर्चा है कि स्टेट को आटोनौमी मिलनी चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि वास्तव में जो वहां की समस्या है, वह इस तरह की है। लद्दाख आज इस बात की मांग करता है कि वह केन्द्र शासित हो जाए। जम्मू के अंदर तो डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेकर एक आवाज खड़ी हो रही है कि जम्मू को पूर्णतया हिन्दुस्तान के साथ विलीन किया जाए।

कश्मीर के अंदर अलगाववाद है। तो हमने उसके लिए यह सुझाव दिया था कि तीनों रीजन्स में रीजनल कौंसिल बन जानी चाहिए। जितना भी पैसा देश के अंदर से जाता है, वह सारा का सारा इस तरीके से वहां पर खर्च हो कि तीनों रीजन्स में से किसी को एक दूसरे से शिकायत न रहे और यह जो रीजनल टेंशन वहां पर बनी हुई है इसको हम किसी न किसी तरीके से दूर कर सकें। सभापति महोदय, मैंने जैसा कहा कि मेरा विषय वास्तव में एजूकेशन पर था। उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कश्मीर को तो मैंने इसलिए जोड़ा कि कश्मीर के बिना मुझे लगता था कि यह चर्चा ही अधूरी रह जायेगी। इसमें सिर्फ एक ही प्वाइंट को बताकर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। प्रारम्भ में फर्स्ट प्लान में हमने एजूकेशन पर 153 करोड़ रुपया खर्च किया था। आठवीं योजना में 19,600 करोड़ रुपया खर्च किया। यानी पहले प्लान में 1.2 परसेंट खर्चा था और आठवीं योजना में 3.9 परसेंट है। लेकिन 1951 की सेंसज यह बताती है कि आज देश के अंदर दो सौ मिलियन इल्लीट्रेट्स हैं और जो विश्व बैंक की रिपोर्ट्स है, वे यह कह रही है कि हमारे यहां यूनीवर्सलाइजेशन ऑफ एजूकेशन हम कोरिया से तीन डिकेड्स के बाद कर पायेंगे। जब कि हमारे संविधान के अंदर धारा 45 थी, उसमें बाकायदा हमने यह डिक्लेयर किया था कि दस वर्षों में हम सारे देश के अंदर एजूकेशन को यूनीवर्सल कर देंगे। मैं सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य उद्धृत करके अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। उन्होंने कहा था—

[अनुवाद]

"मस्तिष्क की एकाग्रता शिक्षा का सार है। शिक्षा तुम्हारे मस्तिष्क में डाली जाने वाली सूचना की मात्रा नहीं है और जो आपको दिमाग में खलबली मचाती रहे और जिसे आप जीवन भर आत्मसात न कर पाएं। हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे निर्माण हो और वह मनुष्य को संवारने वाला हो और हमें विचारों को आत्मसात करना चाहिए।

[हिन्दी]

इसी के साथ उन्होंने एक और वाक्य कहा है—

[अनुवाद]

"जब तक कि लाखों लोग भूख और अज्ञानता में जीते हैं, मैं प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उनके बूते पर शिक्षित होकर उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मेरा इस विषय में इतना ही कहना है। विवेकानंद जी को मैंने इसलिए उद्धृत किया है कि जो हमारे बेसिक एजूकेशन के बारे में विचार हैं और आज जो हमारा ढांचा चल रहा है, जो मैकाले ने हमें दिया था, वही चल रहा है। जब तक इसके अंदर स्प्रिचुअल स्पिरिट जो हमारे देश की धरती के साथ जुड़ी हुई बात है, जब तक इस देश के साथ जो संबंधित चीजें हैं, उनको हम अपनी एजूकेशन में नहीं लायेंगे। तब तक किसी भी तरह से जो हमारी एजूकेशन का स्तर है, वह ऊंचा नहीं होगा और इन स्कूलों और यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं कहता हूं कि 1950-51 में 50 यूनिवर्सिटीज थी। आज ये 207 हैं। परंतु सारा धन उन पर खर्च होने के बाद भी कहीं पर हमें कोई एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी तय करनी चाहिए। जिस तरह से नालंदा और तक्षशिला में

सारी दुनिया भर से लोग आकर अपने यहां के विचार लेकर जाते थे। उसी तरह से कुछ एक चंद चीजें हम अपनी यूनिवर्सिटीज में जब तक तय न करें और उनको हर साल में मानो 15 यूनिवर्सिटीज ही क्यों न हों, चाहें 10 यूनिवर्सिटीज ही क्यों न हों, ऐसी एक बना दें जहां से दुनिया शिक्षा ग्रहण कर सके। इस तरह के प्रयत्न जब तक हम नहीं करेंगे तो जो यह हमारा सपना है कि भारत जगतगुरु बने, सारी दुनिया भारत से शिक्षा ग्रहण करे, वह पूर्ण नहीं होगा। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सुरेश प्रभु

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर): महोदया धन्यवाद। जब मुझे बोलने को कहा गया है हम इस विषय पर लगभग तीन दिन और तीन रात चर्चा कर चुके हैं यह क्या संयोग नहीं है कि हम विशेष सत्र में चर्चा रात्रि में कर रहे हैं क्योंकि जब हमें स्वतंत्रता मिली थी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वे चाहते हैं कि देश नियति से की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करे। वह भी 1947 की मध्यरात्रि थी। परन्तु सम्भवत: वह मध्यरात्रि आशाओं से प्रफुल्लित थी, यद्यपि हमारे समक्ष अनेक समस्याएं थी। 1997 में जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद उस पर चर्चा हेतु एकत्र हुए हैं, फिर से हमारे समक्ष अनेक समस्याएं हैं परन्तु आशाएं बहुत ही कम हैं। यही अन्तर है। जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, चूंकि आशा थी, हमने सोचा है कि सारी समस्याएं हल हो जाएगी क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिल गई है। परन्तु 50 वर्षों के पश्चात् जब हम 1997 में एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, हम अनुभव करते हैं कि हमारी समस्याएं अभी सुलझायी जानी हैं। केवल यही नहीं कि उन्हें हमें सुलझाना है परन्तु वे बुरी तरह से कई रूपों में बढ़ गई है।

जो सामान्यत: बिगड़ती हुई स्थिति हम देखते हैं वह हर क्षेत्र में हैं। उदाहरण के लिए 1947 में हमारा पड़ोसी देश, श्रीलंका जो कभी एक छोटा सा द्वीप था और टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलता था आज वह 1997 में गर्व से यह कहता है कि हमने भारत को हराया है अपितु भारत के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में अत्यधिक रन भी बनाए हैं। इसी कारण यह सामान्य ह्रास हमें आत्म विश्लेषण करने के लिए और यह पता लगाने के लिए बाध्य करता है कि वास्तव में क्या गलत हुआ और कहां हम चूक कर गए।

जब हम मानव जीवन से संबंधित कतिपय सूचकांकों की तुलना हमारे पड़ोसी एशिया के देशों से ही नहीं परन्तु उप-सहारा देशों के साथ करते हैं तो उस हिसाब से भी हमने कोई खास प्रगति नहीं की है। वास्तव में 'टाइम' पत्रिका जिसने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता के पचास वर्षों के स्मरणोत्सव के संदर्भ में एक विशेषांक निकाला था, मानव जीवन सूचकांकों के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं। हमने वास्तव में ही कोई प्रगति नहीं की है। उस अवधि के दौरान, कतिपय उप-सहारा देशों ने भारत की अपेक्षा ज्यादा प्रगति की है। यहां पर, हम उन क्षेत्रों में भी पिछड़ गए हैं।

इस सबका परिणाम यह है कि हमारा युवा वर्ग वास्तव में हताश हो रहा है। उनके विचार से एक राजनैतिक दल को बदलना और दूसरे के लिए मतदान करना ही उस समस्या का समाधान बनकर रह गया है जिसका सामना देश कर रहा था। हमने कुछ विकल्पों को अपनाने की कोशिश की परन्तु समस्या अभी तक सुलझी नहीं है। जिस दौर से हम अब गुजर रहे हैं यह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। कई युवा कथित माफिया का सहारा इस आशा से ले रहे हैं कि न्याय केवल उस प्रणाली से नहीं मिलेगा जिसे हम प्रजातांत्रिक समझते हैं बल्कि अब यह प्रणाली वह न्याय देगी जो हम चाहते हैं।

देश की उपलब्धियों और कमियों के मध्य तुलना करने का यही सही समय है। मेरे विचार से हमारे ऊपर उत्तरदायित्वों का भार प्राप्तियों से कहीं अधिक है, फिर भी मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि हमारी प्राप्तियां कुछ नहीं हैं। जिस मुद्दे पर हमें वास्तव में चिन्ता करनी चाहिए वह है हमारे देश पर अत्यधिक ऋण भार। जब हम आजाद हुए तो हमारी प्राप्तियां अधिक नहीं थीं परन्तु देश पर ऋण का इतना अधिक भार भी नहीं था। आज हमारा विदेशी ऋण 92 बिलियन डालर तथा घरेलू ऋण 3,64,000 करोड़ रुपये है जोकि वास्तव में बहुत अधिक है। इसलिए जो भी भारतीय पैदा होता है वह अपने ऊपर ऋण का एक बड़ा बोझ लेकर पैदा होता है। अब वह कहता है कि "मैं स्वतंत्रता भारत में पैदा हुआ हूं परन्तु मेरे कंधों पर ऋण का बोझ है जो मुझे अगली पीढ़ी तक वहन करना होगा।"

इस ऋण भार के कारण देश को अत्यधिक ब्याज अदा करना पड़ता है। चालू वर्ष में, हम ब्याज के कारण वित्तीय घाटे का 103.9 प्रतिशत भुगतान करेंगे। इसलिए, अब पूरी राशि ब्याज के रूप में अदा की जाने वाली राशि से अधिक सरकार द्वारा उधार ली जा रही है। इसलिए, ब्याज अदा करने के लिए जो राशि हम उधार ले रहे हैं वह बहुत गंभीर मामला है।

दूसरी तरफ, एक और चिंताजनक स्थिति यह है कि उच्च आय वर्ग की हमारी जनसंख्या का 30 प्रतिशत हमारी निजी क्षेत्र की खपत का 53 प्रतिशत का उपभोग कर रहा है तथा निचले आय स्तर वाले 30 प्रतिशत केवल 42 प्रतिशत से अधिक नहीं पा सकते। मैं समझता हूं कि यह ऐसी स्थिति है जो काफी हैरान करने वाली है। आजादी के पिछले 50 वर्षों में हमें यही मिला है। किसी अन्य क्षेत्र से हमें खुशी हो सकती थी। परन्तु स्वास्थ्य के संबंध में भी वही कहानी है। हमने सोचा कि हमने बीमारियों पर काबू पा लिया है। परन्तु वे पुरानी

बीमारियां, जिनके बारे में हमने सोचा कि हमने उन पर काबू पा लिया, अब स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में अपना सिर उठा रही हैं। यह भी एक बहुत परेशान करने वाली बात है। शिक्षा हमें डिग्रियां तो प्रदान कर रही है परन्तु रोजगार नहीं। यह बेकार का ज्ञान है प्रकाश नहीं उस क्षेत्र में भी स्थिति बहुत निराशजनक है।

महोदया, हमें यह कहते हुए हमेशा गर्व होता है कि हमारे पास भारत में विश्व में दूसरे नम्बर पर सबसे बड़ी प्रशिक्षित जनशक्ति है और यह हमारे लिए संसाधन का सबसे बड़ा स्रोत समूह है। परन्तु यह बड़ा स्रोत काफी हद तक बेरोजगार है। रोजगार की तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। देश के निर्माण के लिए इनकी सृजनशीलता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। परन्तु इन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में यह बहुत ही दुख की बात है।

उस समय मुझे बहुत खुशी हुई सत्ता पक्ष के जब हमारे माननीय साथी बोल रहे थे। वे कह रहे थे कि यह समय कई समस्याओं के समाधान करने का है। मैं महाराष्ट्र से संबंधित हूं। मुझे आजादी से पहले पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं आजादी मिलती हुई देख सकता। मैं उस पीढ़ी से हूं जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई थी। हमारी पीढ़ी सदा ही कुछ समस्याओं के समाधान के लिए इंतजार करती रही है।

मैं यह बताने के लिए एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार कई दशकों से लंबित पड़ी कुछ समस्याएं सुलझायी नहीं गई हैं। कर्नाटक के हमारे मित्र नदियों को जोड़ने की बात कर रहे थे, जो उनके अनुसार काफी महत्वपूर्ण मामला है। मैं इसका दोबारा उल्लेख करना चाहता हूं। परन्तु मैं यहां एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सीमाओं को क्यों नहीं मिलाते? हम लोगों की उस जमीन को भी साथ क्यों नहीं मिलाते जिसे वे उस राज्य के साथ जोड़ना चाहते हैं जिसे वे अपना राज्य समझते हैं? पिछले पचास वर्षों से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद सुलझाया नहीं जा सका है। अगर हम एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो मैं नहीं जानता कि हम सीमा रहित विश्व कैसे बनायेंगे। हम कहते हैं कि विश्व एक बड़ा बाजार बन रहा है। पर सीमा के पार कुछ गांवों को इसका मौका नहीं दिया जा रहा कि वे अपनी पसंद के राज्य के साथ मिल जायें। हमें यह पता करना चाहिए कि पिछले पचास वर्षों में किस प्रकार के समाधान ढूंढे जा सकते थे।

जो बात हमें समझनी और याद रखनी चाहिए वह है हमारी संस्कृति। मैं आगे कहने से पहले एक बात पर बल देना चाहता हूं। मैं खुश हूं कि इस पर इसी सदन में मेरे कई माननीय मित्रों ने प्रकाश डाला है। हम जड़विहीन समाज नहीं बन सकते। हमें ऐसा नहीं बनना और न ही हम यह भूल सकते हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक सदस्य जो आज बोले हैं सभी ने काफी समय हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में बोला है। मैं बहुत खुश हूं कि जब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं फिर भी हम अपने अतीत को नहीं भूले। हम अपनी संस्कृति को न भूलें और न ही संसद में बोलते समय केवल बहस के लिए इसका प्रयोग करें। हमारी सभी राष्ट्रीय नीतियां और पूरी राजनीति इसी प्राचीन संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए। अगर हम यह कह कर कि ''अतीत तो अतीत है इसे भूल जाते हैं'' तो भविष्य हमें माफ नहीं करेगा क्योंकि भविष्य भी अतीत बनने वाला है।

जब हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने दूसरे स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हुए हम 1947 से पहले सभी एक थे। मैं नहीं समझता कि हम 1947 से पहले सभी एक थे। मैं नहीं समझता कि हम 1947 के पहले इस तरह विभाजित थे। उस समय विभिन्न पार्टियों, विभिन्न लोगों, विभिन्न जातियों और विभिन्न संस्कृतियों के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं थी क्योंकि तब हमारा एक साझा उद्देश्य था कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है।

वर्ष 1962 में फिर, जब हमारी सीमाओं को खतरा उत्पन्न हुआ, जब हमारे तथाकथित मित्र ने हम पर आक्रमण किया तब हम सब एकजुट थे। 1965 और 1971 में भी यही बात हुई थी जब हम एक साथ खड़े हुए थे। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के समय या जब युद्ध का समय था, हमारा यही विश्वास था कि जब तक हम एकजुट नहीं होते हम यह लड़ाई नहीं लड़ सकते। जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की बात की तो क्या हम पुन: ऐसा करने के इच्छुक हैं क्या हम फिर से भेदभाव भूलकर इस स्वतंत्रता की लड़ाई तथा बुराईयों के खिलाफ एकजुट होंगे जिनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मैं समझता हूं कि जबसे उन्होंने उल्लेख किया है तब से ये अब भी राष्ट्रीय कार्यसूची पर है।

क्या हम इस देश की एकता के बारे सोच सकते हैं और युद्ध के लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। जब भी हम कोई लड़ाई लड़ते हैं हम हमेशा युद्ध के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जब हमने 1971 की लड़ाई लड़ी थी तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी युद्ध के लक्ष्य निर्धारित किए थे कि जो शरणार्थी सीमा पार से आए थे वे वापस चले जाएं और बंगलादेश के लोगों को आजादी दी जानी चाहिए। युद्ध के वे लक्ष्य जो हम अब निर्धारित करना चाहते हैं वे यह निर्धारित करेंगे कि हम इस नई लड़ाई में कहां तक सफल होंगे।

महोदया, हम सभी ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात देखी है। केरल के मेरे बहुत अच्छे और माननीय मित्र इस बारे में मेरा साथ देंगे। जब कोई भारतीय व्यक्ति विदेश जाता है तो वह सफल हो जाता है, और जब वही व्यक्ति भारत वापस आता है तो उसे असफल व्यक्ति कहा जाता है। हम इस पर आज आत्मनिरीक्षण क्यों नहीं कर सकते? कोई व्यक्ति देश के बाहर क्यों सफल हो जाता है परन्तु अपने ही देश में अच्छा कार्य क्यों नहीं कर सकता है।

गलती कहां है? जो व्यक्ति 'नासा' प्रचालन को संभाल सकता था वापस आता है और 'इसरो' में काम करने की कोशिश करता है तो पाता है कि काम पाना कठिन है। हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी प्रणाली में क्या कमी है।

मैं समझता हूं कि इस स्वतंत्रता की लड़ाई को जीतना आम आदमी की इच्छा है। उसे ताकत की आवश्यकता है और वह ताकत सरकार से इस संसद से तथा हम सभी से मिलनी चाहिए। अगर उसे यह ताकत

मिल जाती है तो मैं समझता हूं कि अपनी इच्छाशक्ति तथा अपने स्पष्ट निर्धारित युद्ध लक्ष्यों जिनको मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट उल्लेख किया है—द्वारा वह यह युद्ध जीत सकने में समर्थ होगा।

मैं हमेशा सोचता हूं कि क्या हम ऐसे कुछ विषय नहीं रख सकते जिन पर हम कभी बहस नहीं करते, कभी विचार-विमर्श नहीं करते। हम हमेशा विचार-विमर्श कर सकते हैं। हम जिस बात पर सहमत होंगे उसमें फेर-बदल नहीं कर सकेंगे। हमारे पास एक अच्छा उदाहरण है कि संविधान के मूल ढांचे को छेड़ा नहीं जा सकता है। देश के सबसे बड़े न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने अनेक अवसरों पर हमेशा कहा है कि संसद द्वारा भी मूल ढांचे को छुआ नहीं जा सकता है। क्या हम जनसंख्या जैसे कुछ मुद्दों का हल नहीं निकाल सकते जिनका शिक्षा तथा आर्थिक नीति के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। क्या हम कुछ सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित तथा विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जिन पर एक बार सहमति हुई थी और चर्चा हुई थी और जिन पर हमेशा आम राय रहती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम आज के सत्र में चर्चा करने की कोशिश कर सकते हैं, यह सत्र कल समाप्त होना है। यदि आप ऐसा करने में असफल रहते हैं, यहां तक कि यदि आप यह लड़ाई लड़ना चाहते हैं तब भी लक्ष्यों को उपयुक्त तरीके से विनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा और लक्ष्यों को विनिर्दिष्ट करने के बाद यदि आप हमें उस पर सही तरीके से केन्द्रित नहीं करते, तो भी हमें वह प्राप्त नहीं हो सकेगा जोकि हम वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया मुझे वह सब बताने दीजिए जिसे मेरे विचार से राष्ट्रीय कार्यसूची में भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि मुझे समय सीमा की जानकारी है।

मैं इन सब बातों को पुन: परिभाषित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय तथा विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनुभवी सांसदों द्वारा पहले कही गई बातों की ही व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें प्रशासन की लागत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जो नई योजनाएं आरंभ की जाती हैं जो नए विचार सामने आते हैं, उनको लागू करने की लागत बहुत आती है। नए राज्य बनाए गए हैं, अफसरशाही बढ़ रही है, सरकार का आकार बढ़ रहा है और उसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक लागत बढ़ रही है। इन कार्यक्रमों के परिणाम, जिनको हम कार्यान्वित कर रहे हैं वह आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे हैं। मेरे विचार में वास्तव में हमें इस पर भी एक मुद्दे के रूप में विचार करना चाहिए।

मैं कर्नाटक के अपने मित्र से असहमत हूं जब उन्होंने सीमा विवाद के बारे में बात की थी वे इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जोकि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कहा था। हमारे पास क्या है? हम एक स्मारिका निकाल सकते हैं। हमें माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अच्छे स्मारक चिह्न के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था। क्या देश के लिए केवल इसी तरह से ही स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई जायेगी। क्या हम राष्ट्रीय परियोजना के बारे में विचार नहीं कर सकते जिसे आगामी 100 वर्षों तक याद किया जा सकेगा?

जब हम चीन जाते हैं तो हम चीन की विशाल दीवार देखते हैं इसी 'ग्रेट वाल आफ चाइना' ने प्राचीन समय में चीन की रक्षा की। हम और किसी दीवार के बारे में नहीं जानते क्योंकि हम कई दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में हमें देश में सभी नदियों को जोड़ने की कोशिश करने की आवश्यकता है और इसे राष्ट्रीय एकता तथा स्वतंत्रता की 50वीं जयंती का चिह्न बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम एक समयबद्ध कार्यक्रम में इस संकल्प को स्वीकार कर सकते हैं और इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में बना सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप सृजित बेरोजगार के अवसरों की संख्या की कल्पना कीजिए। आज केवल 30 प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है और उस 30 प्रतिशत भूमि से हम उन लाखों लोगों को भोजन देने की कोशिश करते हैं जो प्रतिदिन जन्म लेते हैं। क्या हम रोजगार के नए अवसरों तथा सिंचाई के लिए भूमि का सृजन करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं जोकि अनेक आने वाली पीढ़ियों को भोजन देगी, जोकि अगले कुछ वर्षों में पैदा होंगे।

यह समय यह सोचने का भी नहीं है कि हमने पिछले 50 वर्षों में कितना धन असम में बाढ़ राहत कार्यों में तथा राजस्थान में सूखा राहत कार्यों के लिए खर्च किया है। क्या हम इस धन, जोकि हमने पिछले 50 वर्षों में बर्बाद किया है, नई राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। इससे नदियों की एक बड़ी श्रृंखला बन जायेगी और इससे कस्बों से शहरों और गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन भी बंद हो जायेगा।

एक अन्य मुद्दा जिस पर मैं समझता हूं हम सब को विचार-विमर्श करना चाहिए, वह यह है कि हमें यह याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे संविधान में राज्य के तीन भिन्न अंगों विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

महोदया, शक्तियों का पृथक्करण प्रति-संतुलन बनाये रखने के लिए आवश्यक था ताकि कोई एक अंग सत्ता को अपने हाथ में न ले ले। इसके परिणामस्वरूप हमने देखा कि संसद द्वारा विधान पारित किया गया और कार्यपालिका द्वारा भिन्न तरीके में अपनाया गया और न्यायपालिका ने उसकी भिन्न तरीके से व्याख्या करने की कोशिश की। क्या इन तीनों भिन्न अंगों के कार्य में एकता नहीं लाई जा सकती है। जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय समस्याओं को हल कर सकते हैं? हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं जिनमें कुछ सार्थक निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका, अंतत: यह कानून की नजर में खरे नहीं उतरे, केवल इसलिए क्योंकि सभी तीन अंग मिलकर कार्य नहीं कर पाए। यदि 1947 में हमने इन तीन भिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया होता तो क्या वर्ष 1997 में हम इन तीनों भिन्न अंगों के बीच कार्य की एकता के बारे में नहीं सोच सकते ताकि अंतत: यह तीनों अंग आम आदमी के लिए कार्य कर सकें जिनके लाभ के लिए इन तीन अंगों को कार्य करना होता है न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे के काम में दोष निकालने के लिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर): बैक बैंचर्स का भी ध्यान रखिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभी का ध्यान रख रही हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु: हमें अपने कानून की बहुलता तथा विविधता की तर्कसंगत व्याख्या करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्यापार आरंभ करना चाहता है तो उसे भिन्न तरीके के 100 कानूनों से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए क्या हम एक व्यापारिक कानून पर विचार नहीं कर सकते जिसमें सभी भिन्न कानून शामिल हो। यदि कोई मजदूर वास्तव में अपने मामले के लिए लड़ना चाहता है तो उसे सभी कानूनों से निपटना पड़ता है। उन सभी कानूनों को एक किया जा सकता है और उस तरह से हम वास्तव में कानूनों की विविधताओं को कम करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वास्तव में कानून का पालन करने वाला नागरिक कानून की एक किताब का ही उपयोग कर सके जिसमें सभी समान कानून शामिल हों। वह उसे यह देखने के लिए कि किस कानून का किस तरह से पालन किया जा सकता है, हमेशा इस्तेमाल कर सकता है।

सभापति महोदय: आप पहले ही 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री सुरेश प्रभु: महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

मैंने भी स्वामी विवेकानंद के एक छोटे से किस्से से प्रेरणा प्राप्त की है। मेरे पूर्व वक्ता ने भी अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले इस किस्से का उल्लेख किया है।

हमारे तत्कालीन, महान नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि वे नियति से मिलन को पूरा करना चाहते हैं। हमारी नियति ने वास्तव में हमें 50 वर्ष बाद इस स्थिति पर ला खड़ा किया है। लेकिन अब यदि हम नियति बनाना चाहते हैं तो अब समय है कर्म से नियति बनाने का। अब समय है कि हम अपनी पूरी श्रम शक्ति, सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करें और अपने राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करें और लोगों को ऐसा बना दें जैसा उन्हें वास्तव में होना चाहिए न कि उन्हें गरीबी में सड़ने के लिए छोड़ दें। उसके लिए हमें कर्म को अपना वास्तविक केन्द्र बिन्दु बनाना होगा। महोदया, जब हम हमेशा कर्म के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं, कर्म से वे लोग इन्सान बन जाते हैं जो वास्तव में काम करना चाहते हैं और दूसरी ओर लोगों का यह मत है कि काम मत करो क्योंकि वे लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया: क्या हिन्दू पौराणिक कथाओं अथवा दर्शन शास्त्र में जो कहा जाता है कि कर्म आपको वहां ले जाता है जहां आपको जाना होता है तो कार्य करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा "एक भेड़ चर रही है। उसका गला एक लम्बी रस्सी के साथ पेड़ से बंधा है। यदि भेड़ यह सोच ले कि उसका गला पहले से ही रस्सी से बंधा हुआ है और वह कुछ नहीं कर सकती तो वह केवल एक फुट की दूरी तक ही घास खाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन यदि वह उठना चाहे तो वह बहुत दूर तक जा सकती है और अधिक घास तक पहुंच सकती है लेकिन मैदान से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसकी गर्दन पहले से ही बंधी है लेकिन वह रस्सी की लम्बाई जितनी दूरी तक जा सकती है।" हमें स्वतंत्रता की 50वीं जयंती में यही खोज करनी है। हमारी प्रतिभा, हमारे संसाधन, हमें कहां तक ले जायेंगे, यह अभी हमने नहीं सोचा है। अत: इसलिए यह किस्मत से बाजी लगाने का नहीं बल्कि कर्म से बाजी लगाने का समय है।

श्री सनत मेहता

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर): सभापति महोदया, मैंने बोलने के लिए आग्रह न किया होता क्योंकि समय बहुत कम है और मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। परन्तु महोदया, यह मामला मेरे लिए बहुत भावनात्मक है। इसीलिए मैं इस पर बोलना चाहता हूं। 1942 में जब मैं पन्द्रह साल का बच्चा था मैं अपने घर से 9 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ग्वालियर में हुई बैठक में नेताओं का भाषण सुनने गया था। मैंने नेताओं के भाषण सुने और फिर मैं कभी अपने घर वापस नहीं गया। मैं 1942 में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया और नेताओं के आदेशानुसार मैंने स्वयं को गिरफ्तार नहीं करवाया, मैं भूमिगत हो गया और चार वर्षों के पश्चात् ही मैं अपने घर जा पाया तब मैंने यह नहीं सोचा था कि पचास वर्षों के पश्चात् जब यह समारोह हो रहे होंगे तब मैं इस सदन में बोल सकूंगा। इसीलिए अस्वस्थ होने के बावजूद केवल इसी कारण मैंने बोलने पर जोर दिया। मैंने अपनी बारी की कई घंटे प्रतीक्षा की।

मेरे दिमाग में इस समय दो ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक आर्थिक व्यवस्था और दूसरा है—मानव संसाधन विकास। समस्याएं अनेक हैं। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि हमारी कोई उपलब्धि नहीं रही और बहुत से मित्रों ने कहा कि हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने बहुत कुछ पाया है। हमारे जीवनकाल की अवधि में वृद्धि हुई है।

मैं अपने उस समय को कभी नहीं भूल पाता, जब मैं युवा छात्र था बंगाल में पड़े सूखे के दौरान 20 लाख लोग मरे। मैं चीन में पड़े उस अकाल को भी नहीं भूल पाता जिसमें दो करोड़ लोग मरे। उस समय मेरे युवा मन में भी यह विचार पैदा हुआ कि भारत इस विपदा से कैसे उबर पायेगा।

हमने 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित एक चित्र को देखा, जिसमें एक औरत फुटपाथ पर मरी पड़ी थी और उसका बच्चा उसका दूध पीने की आशा में स्तनपान कर रहा था। मैंने तो ऐसे-ऐसे दर्दनाक दृश्य देखे हैं। 1947 के बाद जन्मे हमारे युवा और मेरे बहुत से मित्र यह अन्दाजा नहीं लगा सकते कि भारत और चीन उस समय अकाल से कितनी बुरी तरह से ग्रसित थे।

चीन और भारत दोनों ही उन परिस्थितियों से उबरे। जहां तक कृषि उत्पादन का सवाल है भारत और चीन दोनों ही आत्मनिर्भर हैं। परन्तु कई अन्य क्षेत्रों में हम पिछड़ गए हैं।

आर्थिक विकास की ओर पीछे मुड़ कर देखें तो हमने केन्द्रीय योजनाकरण जो कि उस समय की आवश्यकता थी से शुरुआत कर लम्बा रास्ता किया है। सार्वजनिक संस्थानों का गठन उस समय की आवश्यकता थी क्योंकि कोई भी निजी क्षेत्र उन क्षेत्रों में आगे आने को तैयार नहीं था वहां जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम चल रहे थे। छः वर्ष पूर्व ही आर्थिक संकट पैदा हुआ और उस स्थिति से निकलने हेतु हमारे पास उदारीकरण के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं था, अतः हमने उदारीकरण को स्वीकार कर लिया। परन्तु अब मुझे लगने लगा है कि देश में ऐसा समय आ गया है जब हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के उदारीकरण को स्वीकार करना है।

हम यह पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उदारीकरण हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं होता। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह के विश्वव्यापीकरण से हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र के कई भाग प्रभावित हुए हैं उसी से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

कुछ दिन पहले, विश्व आर्थिक मंच के प्रबन्ध निदेशक हमारे देश में आये। तो मैंने उद्योगपतियों के एक सदन के सम्मुख भाषण दिया। यह हमारा मत नहीं अपितु ये उनके शब्द हैं। मैं उनके मत को इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश में ऐसा वातावरण तैयार किया गया कि उदारीकरण अपनाने मात्र से ही सभी प्रकार की समस्याएं सुलझ जाएंगी।

प्रतिदिन मेरे आदरणीय वित्त मंत्री यही कह रहे हैं कि एक बार यदि भारत की विकास दर 7 प्रतिशत या इससे अधिक हो जाए तो गरीबी का मामला अपने आप सुलझ जाएगा। ऐसा कहा गया है कि विकसित अर्थव्यवस्था में इस तरह के विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण का क्या अनुभव है? विश्व अर्थव्यवस्था मंच के प्रबंध निदेशक के. सी. क्लाड ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सम्मुख बोलते हुए कहा "विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की सुरक्षा नहीं है। उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है। आगे उन्होंने कहा "आपको कम वेतन में उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी मिल सकती है। इसलिए लोग इनसे स्वयं को पूरी तरह से जोड़ नहीं पाते हैं और इसलिए उदारीकरण का विरोध हो रहा है। विकसित अर्थव्यवस्था का इस तरह विरोध हो रहा है।

हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में बहुत अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। संभवतः विश्व में गरीबी-रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों में से पचास प्रतिशत लोग भारत में ही हैं।

इस समय यदि हम उदारीकरण की नकल करते हुए यह आशा करेंगे कि विदेशी पूंजी से हमारी सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी तो मुझे लगता है कि हम गलती पर होंगे। अतः मुझे लगता है कि देश में आपसी बातचीत की आवश्यकता है। वर्तमान वित्त मंत्री या भूतपूर्व वित्तमंत्री जिस उदारीकरण की प्रशंसा कर रहे हैं, हमें इसका उल्लेख अब नहीं करना चाहिए। हमें इस पर बहस करानी चाहिए।

चीन में भी उदारीकरण है परन्तु वह बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। अन्य कई देशों में उदारीकरण भी है और विश्वव्यापीकरण भी। परन्तु वे भी देखते भी हैं और बताते भी हैं। और चीन ने कहा है कि हम सम्पूर्ण विश्व को अपनाएंगे। हम सम्पूर्ण विश्व के देशों से हमारे यहां विदेशी पूंजी लगाने के लिए कहेंगे। परन्तु हम अपनी आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। हमें भी इसी तरह के दिशानिर्देश तैयार करने हैं और फिर इस मुद्दे पर चर्चा करनी है कि किन क्षेत्रों में किस हद तक उदारीकरण अपनाने की अनुमति हमें देनी है। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस की आवश्यकता है।

कल उद्योग संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री अशोक मिश्र ने उद्योग के नेताओं को आमंत्रित किया था। श्री केशव महन्त भी वहां उपस्थित थे और श्री थापर सहित कई अन्य उद्योगपति वहां उपस्थित थे। हमने उनसे पूछा कि उनकी क्या राय है? मैंने उनसे एक बेबाक प्रश्न पूछा "जब आप उदारीकरण की शिकायत कर रहे हैं। आप ही लोगों ने कहा था कि यह हमारे सपनों का बजट है। आप इतने नाखुश क्यों हैं? उन सबने कहा कि उन्होंने उसी तरह के उदारीकरण को स्वीकार किया था और वे भी अभी भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह जरूरी हो गया है कि हम इस पर विचार करें कि उदारीकरण कितना और किन क्षेत्रों में किया जाये? खुला उदारीकरण तो अब उन लोगों को भी स्वीकार्य नहीं जो पिछले बजट को "स्वप्निल बजट" मान रहे थे जबकि उन्होंने ही उस तरह के उदारीकरण की प्रशंसा की थी। स्थिति यह है। क्या हो रहा है मुम्बई के एक औद्योगिक घराने के मुखी श्री अरविन्द मफतलाल का घराना ही कमजोर पड़ रहा है। केवल यही नहीं कि वह नष्ट हो रहा। यह गुजरात गैस की मुख्य इकाई भी है। गुजरात में इसकी स्थापना पूरे राज्य में गैस आपूर्ति के लिए की गयी थी। यह अरविन्द मफतलाल और गुजरात सरकार की संयुक्त कम्पनी थी। गुजरात सरकार ने उसे इसलिए श्रेयस्कर समझा क्योंकि वह मुम्बई का सबसे मजबूत घराना था।

ऐसा समय आ गया जबकि मफतलाल घराने ने अपनी सारी शेयर पूंजी ब्रिटिश गैस को बेच दी। एक प्रमुख आधारभूत कम्पनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में चली गई। क्या इस समस्या पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है? यदि मफतलाल घराने का पतन हो सकता है तो किसी भी घराने का पतन हो सकता है। हमारे देश में इस तरह के खुले उदारीकरण पर पुनर्विचार करने उस पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है।

मैं उदारीकरण का विरोधी नहीं हूं। मैं गुजरात वित्त आयोग का अध्यक्ष था। और मैंने कई क्षेत्रों में उदारीकरण की सिफारिश भी की। परन्तु खुले उदारीकरण में मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि किसी भी

प्रक्रिया पर कोई रोक-टोक नहीं रह गई। जैसे इसी से हमें सब कुछ मिलेगा। यदि हम इसका अनुकरण करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे उन गरीब लोगों को और अधिक नुकसान पहुंचेगा जिनकी हम सब बात कर रहे हैं। लगभग 90 प्रतिशत लोगों को नुकसान पहुंचेगा।

अत: इसमें कोई दो मत नहीं। हमें इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए। श्री जसवंत सिंह भी उदारीकरण में विश्वास रखते हैं। डा. मनमोहन सिंह भी उदारीकरण में ही विश्वास करते हैं, श्री पी. चिदम्बरम भी इसी में विश्वास रखते हैं परन्तु कितने उदारीकरण की आवश्यकता है? हमें किन क्षेत्रों में उदारीकरण करना चाहिए और किन में नहीं। हमें इस पर एक बहस करानी चाहिए। अब जबकि हमारी आजादी के पचास वर्ष पूरे हो रहे हैं हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। हमने छ: वर्ष पूर्व जब इसे अपनाया था तब ठीक था क्योंकि उस समय अपनी आर्थिक व्यवस्था को बचाने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था।

दूसरा और अन्तिम मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह मानव संसाधन विकास के संबंध में है। मेरे बहुत से मित्रों ने शिक्षा की स्थिति के बारे में गहन चिन्ता अभिव्यक्त की है, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के बारे में, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के बारे में, स्कूलों के भवनों के बारे और अध्यापकों की कमी के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। इन क्षेत्रों में हम असफल क्यों हुए? यदि मैं आंकड़े बताऊं तो सदन को बहुत आश्चर्य होगा। इससे क्या संकेत मिलता है। उदाहरणार्थ साक्षरता को ही लें। जहां तक भारत का संबंध है यहां महिलाओं की साक्षरता दर 39 प्रतिशत है और पुरुषों की 64 प्रतिशत। राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर 20 प्रतिशत है, पुरुषों की 55 प्रतिशत है। बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 20 प्रतिशत और पुरुषों की 52 प्रतिशत है। कृपया निरक्षरता की ओर ध्यान दें। राजस्थान के बाड़मेर में महिलाओं की साक्षरता 8 प्रतिशत और पुरुषों की साक्षरता 37 प्रतिशत है। किशनगंज, बिहार में महिलाओं की साक्षरता 10 प्रतिशत और पुरुषों की साक्षरता 33 प्रतिशत है, बेहराइच, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता 11 प्रतिशत और पुरुषों की साक्षरता 36 प्रतिशत है। क्या आप जानते हैं कि ये आंकड़े सहारा मरुस्थल के आसपास के उपदेशों से भी कम है? यह सियरालियोन से भी कम है, यह बर्किनोफासो से भी कम है। ऐसा क्यों है?

क्या संसाधनों की कमी के कारण ऐसा है? यदि साक्षरता का आधार संसाधन ही होता तो हरियाणा और पंजाब में प्रति व्यक्ति आय केरल से कहीं ज्यादा है। लेकिन केरल की साक्षरता दर और प्राथमिक शिक्षा विश्व के कई उन्नत देशों से अधिक है। यह सिद्ध हो चुका है कि उच्च आय और प्रति व्यक्ति आय में उच्च विकास दर से ही साक्षरता की दर को बढ़ाया नहीं जा सकता है। हमने एक जगह गलती की है। अपनी सभी योजनाओं में हमने गरीबी को एक अलग रूप में आंका है, साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा को अर्थव्यवस्था से अलग माना है। अत: जो भी व्यक्ति अर्थव्यवस्था को देख रहा था वह अपने आप को मात्र अर्थव्यवस्था तक ही सीमित रखे और मानव संसाधन विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप सोच सकते हैं कि यह देश बच्चों के सौ प्रतिशत साक्षरता की दर प्राप्त करना चाहता है।

विस्तृत संगणनाओं से पता चलता है कि देश को इसके लिए 27000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यदि मैं राज्यों के आंकड़ों को दर्शाऊं तो उनमें कई ऐसे राज्य हैं जो कभी भी स्वत: इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप मध्य प्रदेश को लें। यदि हम आगामी पांच वर्षों में मध्य प्रदेश में सौ प्रतिशत साक्षरता चाहते हैं तो इसके लिए हमें पांच वर्षों में 2,431 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह हुआ कि मध्य प्रदेश को मात्र प्राथमिक शिक्षा के लिए ही प्रति वर्ष 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जो कि किसी राज्य के लिए संभव नहीं है। यदि आप राजस्थान को लें तो उसे इस कार्य के 1,697 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश को पांच वर्षों में 5,314 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसका आशय यह है कि प्रतिवर्ष हजारों करोड़ों रुपये की आवश्यकता होगी। यह धन कहां से आएगा?

मेरे प्रिय मित्र श्री सुरेश प्रभु ने इस मुद्दे पर एकमत बनाने की बात कही है।

यहां एक मुद्दा है। क्या यह सभा, कल वाद-विवाद समाप्त होने के पश्चात् प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री सहित विभिन्न राजनैतिक दल के नेतागण आपस में मिल-बैठकर यह संकल्प करेंगे कि देश के प्रत्येक बालक तथा बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु, किसी भी रूप में ये 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगी? यदि हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा ...*(व्यवधान)* महोदया, मैं दो या तीन मिनट और लूंगा। मैंने बाकी सदस्यों की तुलना में बहुत कम समय लिया है।

सभापति महोदय: श्री मेहता, आपने पूरे 15 मिनट बोला है।

श्री सनत मेहता: मैं कभी नहीं बोलूंगा।

[हिन्दी]

ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय: मेरा सिग्नल है कि आप खत्म कर लीजिए, इसमें नाराज होने की क्या बात है?

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता: मैं सुबह से देख रहा हूं। मैंने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा नाम उसमें है या नहीं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैंने सिर्फ यह इंगित किया है कि आप 15 मिनट का टाइम ले चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता: मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरे भाषण से कोई भी समझ सकता है कि मैं समाप्त करने वाला हूं।

क्या यह सभा सर्वसम्मति से यह निर्णय कर सकती है? मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी से अनुरोध करता हूं कि वह आगे आएं।

आज सुबह जब श्री पी.वी. नरसिंहराव ने बोला तो मैंने उन्हें एक नोट लिखा क्योंकि उन्होंने प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा की थी। मैंने कहा था कि प्रौद्योगिकी तैयार की जा सकती है। इस देश में ऐसे लोग हैं, जो यह प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा सकते हैं। गुजरात में हम अम्बरचरखा के माध्यम से यह कोशिश कर रहे हैं कि घर में बैठे ही लोगों को पावर उपयोग से 60 रुपये से 70 रुपए प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन इसके लिए कोई आगे नहीं आया।

गुजरात में एक गांधीवादी लीग शिक्षाविद है। वह जन्म से ही गांधीवादी रहे हैं। उनका नाम श्री मणुभाई पंचोली है और उन्होंने अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। एक बार उन्होंने खादी श्रमिकों को सम्बोधित किया था। आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था? श्री मणुभाई पंचोली ने खादी श्रमिकों को कहा था "आप महात्मा गांधी की विधवायें हैं, क्योंकि आप इसे बदल नहीं सकते हैं।" श्री मणुभाई ने कहा था आप खादी में पोलिस्टर तो स्वीकार कर रहे हैं किंतु पावर को नहीं अपना रहे हैं। उन्होंने कहा था आप प्रौद्योगिकी संबंधी इतिहास को जानते हैं विश्व प्रौद्योगिकी में पोलिस्टर पावर के बहुत बाद आया। आप उस चीज को तो स्वीकार कर रहे हैं जो हाल ही में आया है परन्तु पावर को नहीं कर रहे हैं।

प्रौद्योगिकी संभव है। हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन यदि हम उद्योगों के पीछे बिना सोचे समझे भागें, जैसा कि उदारीकरण के बाद हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरे गुजरात राज्य में अधिकतर औद्योगिकीकरण हुआ है। प्रत्येक उद्योगपति गुजरात को अपना स्वर्ग समझते हैं। लेकिन विकास के पश्चात स्थिति क्या है? हमने दो रास्ते बनाये हैं। एक रास्ता तो यह है जिसे देश के सभी अर्थशास्त्रियों ने "स्वर्ण रास्ता" का नाम दिया है। यह अहमदाबाद से वापी तक है। उस रास्ते से 60 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन की आवाजाही होती है। मैं इन रास्तों हेतु संघर्ष कर रहा हूं और वह रास्ता गरीबी का रास्ता है। यह हमारे पश्चिमी क्षेत्र हैं जहां जनजातीय लोग रहते हैं। लेकिन हममें से कितने लोग इस पुनर्परीक्षा के लिए तैयार है? जब आठवीं योजना के कार्यकारी दल का गठन किया गया और जब उन्हें जनजातीय उपयोजना की जांच के लिए कहा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब जनजातीय उप योजना में पूरी तरह परिवर्तन करने का समय आ गया है। हम समस्या को जड़ से समाप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम जनजातीय लोगों में व्याप्त विद्रोह के प्रति चिंतित हैं। हम जनजातीय लोगों से संबंधित अन्य समस्याओं के प्रति चिंतित हैं।

सभापति महोदय: श्री मेहता, आपको और कितना वक्त चाहिए।

श्री सनत मेहता: मेरा अनुरोध है कि हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि भारत को किस तरह की उदारीकरण की आवश्यकता है और दूसरी बात यह है कि हमें 27000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। यदि वह निर्णय लेने के बाद हम कल सभा से बाहर जाएंगे तो देश का प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करेगा कि 1997 में संसद द्वारा स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में गरीबों को ज्ञान और शक्ति प्रदान की गयी।

शिक्षा और साक्षरता के अभाव में हम गरीबों को सशक्त नहीं बना सकते हैं। गरीबों को सशक्त बनाने का यही एक तरीका है।

मुझे स्मरण है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में, जब श्री बोरडिया जो कि शिक्षा सचिव थे, एक अमेरिका के विशेषज्ञ के साथ उपस्थित थे तो अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने आलोचना करते हुए कहा था कि भारत में शिक्षित वर्ग का एक ऐसा पक्ष है जो अशिक्षित लोगों को हमेशा अशिक्षित रखना चाहते हैं जो कि भारत के साथ एक षडयंत्र है। मैंने 10 वर्ष पूर्व यह टिप्पणी सुनी थी।

मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां उपस्थित हैं, कि हमें हर संभव प्रयास करके 27000 करोड़ रुपये आवंटित करवाने चाहिए।

मेरा मानना है कि एक बार शिक्षा मिल जाने पर भूमिहीन मजदूरों की आय में भी स्वत: बढ़ोत्तरी हो जाएगी क्योंकि तब वह यह जान सकेगा कि वह कितने रुपए का हकदार है और उसे कितने रुपए मिलने चाहिए।

महोदय, मुझे दुख है कि मैंने कुछ ज्यादा वक्त लिया। लेकिन मेरे लिए यह एक भावनात्मक मुद्दा था। आज मेरे बोलने का यही कारण है: अन्यथा, मैं बोलने के लिए इच्छुक नहीं रहता।

श्री नील एलायसियस ओ' ब्रायन

श्री नील एलायसियस ओ' ब्रायन (नामनिर्दिष्ट): सभापति महोदया, मैं आपको मात्र यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं समय सीमा का पालन करूंगा या एक या दो मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा।

भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी मैं बाल्यावस्था में था। इसलिए यह मेरे लिए व्यक्तिगत सपना और स्वप्नातीत सम्मान है कि मैं आंग्ल-भारतीय समाज की आवाज के रूप में, भारत की स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में इस प्रतिष्ठित सभा के अंग के रूप में इसे सम्बोधित कर रहा हूं।

भारत की कुल जनसंख्या में बहुत ही छोटा समुदाय, आंग्ल-भारतीय समुदाय जो कि कांटों भरे इतिहास में पनपा है। एशिया में जिस प्रकार उपनिवेशवाद समाप्त हुआ वैसे ही एक विशेष पहचान के रूप में मिश्रित वंशक्रम के लोग भी राजनीति और सामाजिक परिदृश्य से लुप्त हो गए। भारत में ही केवल ऐसी बात है कि ऐसा समुदाय देश की शासन व्यवस्था में मान्यता प्राप्त अस्तित्व के रूप में अभी भी उपस्थित है।

पचास वर्ष पूर्व यह समुदाय भारतीय इतिहास के पृष्ठों से लुप्त हो गया होता। वे अंग्रेजों के आगे चलने वाले थे और इसीलिए उन पर भारतीय राष्ट्रीयता की ताकतें अविश्वास और उनका विरोध कर सकती थीं। इस आशंका के कारण हजारों लोगों ने देश को छोड़ दिया, कि उनका नए भारत में कोई भविष्य नहीं है। परन्तु कई लोग रुक गए-दूसरे विकल्प के रूप में, एक ऐसा विकल्प जिसने समुदाय के भीतर एक नई देशभक्ति की भावना का संचार किया, जिसने भारत के नए नेताओं में संवेदनशीलता और सौहार्द की भावनाएं पायीं। आंग्ल-भारतीय नेताओं ने संविधान को बनाने के कार्य में भी हाथ बंटाया।

स्वातन्त्र्योत्तर भारत में उल्लेखनीय सेवा, विशेषकर सशस्त्र सेनाओं और खेलकूद में, उल्लेखनीय सेवा का रिकार्ड रहा है। हम आजकल महिला मुक्ति की बात कर रहे हैं। मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि आंग्ल-भारतीय महिलाओं की मुक्ति के लिए अग्रणी भूमिका निभाई थी। वे कार्य स्थल में भी महिलाओं में अग्रणी रही। जब बहुत कम महिलाएं कार्य करने के लिए बाहर निकलती थीं तब से वे व्यावसायिक संगठनों, नर्सिंग, अध्यापन और एयरलाइनों में कार्य कर रही हैं और ऐसे कार्य में जिन्हें समाज में हीन भाव से देखा जाता था, में भी कार्यरत हैं। वास्तव में आंग्ल-भारतीय महिलाओं ने आंग्ल-भारतीय पुरुषों के साथ मिलकर काफी कार्य किया, जिससे पुरुषों को काफी सहारा मिला।

परन्तु मैं समझता हूं कि इस समुदाय का देश में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा और स्कूलों में रहा है। ऐतिहासिक रूप से विद्यालय इस समुदाय और क्रिश्चियन धर्म से जुड़े रहे हैं परन्तु आजकल वे सभी धर्म जाति वाले विद्यार्थियों के लिए खुले हैं। अब इन स्कूलों के आचार संरक्षित एकाधिकार नहीं रहे हैं। यह सभी धर्मों और सामुदायिक बंधनों से मुक्त एक स्वतंत्र आचार प्रणाली है।

अपने उद्घाटन भाषण में माननीय अध्यक्ष ने बताया "शिक्षा को कार्य से संबंधित होना चाहिए।" छत को धारण करने के लिए स्तम्भ समान आकार और शक्ति के होने चाहिए। यह चार स्तम्भ क्या हैं। एक विशेष क्रम में, पहली "विद्वता" है या ज्ञान को प्राप्त करना जो कि स्वयं सिद्ध है। दूसरी बात "अभिधारणाएं" हैं सोचने की शक्ति, अनुभव की शक्ति, निर्णय की क्षमता और न केवल रटकर सीखना। तीसरी बात कौशल है जिसके कई रूप हैं चाहे वो आधुनिक रूप में कम्प्यूटर, खेलकूद, कला, संगीत या व्यावसायिक प्रशिक्षण हो और एक विस्तृत परिक्षेत्र जिसे विद्यालयीन स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट और विकसित करने की आवश्यकता है।

अंतत: मूल्य जिन्हें भुला दिया गया है...

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात खत्म करें।

श्री नील एलायसियस ओ' ब्रायन: मैंने आने से पहले अपने भाषण को समयबद्ध किया था।

सभापति महोदय: यह तो बड़ी अच्छी बात है।

श्री नील एलायसियस ओ' ब्रायन: मैं डेढ़ मिनट में दो बातें कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या आपका समुदाय मुख्यधारा में समाहित हो गया है। मेरा एक प्रश्न होता है "यह मुख्यधारा क्या है: भारतीय समाज कई भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों, जिसमें से कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, से बना है। हमारा समुदाय इस विशाल भारतीय चित्र का एक छोटा सा पत्थर है।"

सदृशीकरण डूबना नहीं है और स्वतंत्रता के पचास वर्षों में कई उतार-चढ़ावों के बावजूद हम धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र को बनाए रखे हैं जिसमें बहुसंख्यकों और सभी अल्पसंख्यकों ने विविधता में सम्मिलित होने के लिए काफी प्रयत्न किया है, यही भारत है। भारतीयता को किसी विशेष समूह, भाषा, परिधान, धर्म या आदतों से विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद, महोदया यदि मैंने आपका अधिक समय लिया है तो क्षमा चाहता हूं। शायद समय के बारे में मेरी अवधारणा आइन्सटाइन के समान सापेक्ष है।

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी-गढ़वाल): योजना आयोग द्वारा दिया गया दृष्टिकोण पत्र यह दर्शाता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना उतनी सफल नहीं हुई है जितनी कि इसे होना चाहिए था। उन्होंने कार्यकारिणी पत्र में कहा है कि प्रतिकूल आर्थिक स्थिति या तो हमारी नीति या ऐसे कारणों जिस पर किसी का नियंत्रण न हो, के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए वे कहते हैं कि इस कारण संसाधनों की कमी उत्पन्न हुई है।

[हिन्दी]

यह मैं मानता हूं, इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पर मैं इसका दूसरा पहलू कहूंगा, वह पहलू यह है कि जो भी इंडैक्स बनते हैं, वह ऑल इंडिया बेसिस पर बनते हैं और वे इंडैक्स सही तस्वीर नहीं दिखाते।

भारत बहुत बड़ा देश है, प्रदेश-प्रदेश में भिन्नता है, क्षेत्र-क्षेत्र में भिन्नता है और उस भिन्नता को मद्देनजर हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि

हम सारे देश के एवरेज इंडैक्स को लेते हैं। इसलिए अगर नाइंथ फाइव ईयर प्लान को अगर उनको सक्सेसफुल बनाना है तो क्षेत्र-क्षेत्र का इंडैक्स बनाना पड़ेगा और क्षेत्र-क्षेत्र में जो कमजोरियां हैं, उनके समाधान के रास्ते सोचने पड़ेंगे और निकालने पड़ेंगे, तभी जाकर नाइंथ फाइव ईयर प्लान सक्सेसफुल हो सकता है।

इसके अलावा अगर मैं यह भी मान लूं कि इंडैक्स सही है पर हमको यह ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने तीन दर्जे बना रखे हैं, प्रोसपरस, सेमी प्रोसपरस और बिलो पावर्टी लाइन। अगर हमारी उन्नति हो रही है और जरूर हो रही है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। पर तीनों ही दर्जों में जो फर्क है, प्रोसपरस, सेमी प्रोसपरस और बिलो पावर्टी लाइन में, वह फर्क हट नहीं रहा है। तीनों के बीच में वह जो फासला है, वह फासला वैसे का वैसा चलता आ रहा है, भले ही हमारी उन्नति होती जाये, लेकिन फासला कम नहीं हो रहा है, जब तक कि बिलो पावर्टी लाइन का फासला और कम न हो जाये तो उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्येय यह होना चाहिए कि बिलो पावर्टी लाइन की योजना तीव्र गति से बने, जिससे कि एक समय ऐसा आये कि सब प्रोसपरस हो जायें और जब तक वह नहीं होता है, आप कितनी भी योजनाएं बना दें, वह फासला उसी रेश्यो में बढ़ता रहेगा और फर्क नहीं मिटेगा। इसलिए इस संबंध में मेरा यही अनुरोध है कि प्लानिंग कमीशन को क्षेत्र की योजनाएं बनानी पड़ेंगी और जो बिलो पावर्टी लाइन है, उनके लिए योजनाएं ज्यादा तीव्र गति से बनें तभी जाकर इसमें कुछ फायदा हो सकता है। इसमें मैं ज्यादा मिसाल नहीं देना चाहूंगा, एक मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा और वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेन्ट है।

रात्रि 11.00 बजे

उससे यह जाहिर हो जाएगा कि जो योजनाएं बन रही हैं वह गलत बन रही हैं।

[अनुवाद]

उत्तराखंड में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के मामले में उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय को उद्धृत किया है। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को उद्धृत किया है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

> ''संचार और तकनीकी प्रक्रिया के साधनों के अभाव में जब प्रभावी प्रादेशिक विशिष्टीकरण सम्भव नहीं है, जैसा कि पहाड़ी और उत्तराखंड क्षेत्रों में है, ऐसी स्थिति में सुदूर क्षेत्रों में लोगों और अवसरों की उपेक्षा के कारण सामाजिक पिछड़ेपन की खाई और ज्यादा गहरी हो जाती है।''

पहाड़ों और उत्तराखंड क्षेत्रों पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। वहां पर शैक्षणिक संस्थाओं और शैक्षणिक सुविधाओं की कमी है। पहाड़ों और उत्तराखंड के क्षेत्रों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं क्योंकि शैक्षणिक सुविधाओं की कमी इन्हें प्रगतिविहीन बनाए रखती हैं और उन्हें न तो शिक्षा का अर्थ ही मालूम है न ही इसका संस्कार है और न ही इसके प्रति उनमें जागरूकता है।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को यह आदेश देते हुए समाप्त किया कि गढ़वाल और कुमायूं डिवीजनों में स्थिति वही बनी रहेगी जो 20 जुलाई, 1994 को अधिसूचना जारी होने के पहले थी।

तत्पश्चात् न्यायालय ने एक और निर्णय पारित किया जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी लोग 27 प्रतिशत एस सी कोटा के हकदार बनेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और उत्तराखंड के निवासियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिक माना जाए।

[हिन्दी]

यह मैं इसलिए कोट कर रहा हूं इससे यह साबित होता है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में मद्देनजर नहीं रखा गया इसलिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसे मद्देनजर रखा जाए। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा असर हो रहा है वह है पर्यावरण का। पर्यावरण पहाड़ों में सुरक्षित है। सारे हिमालय में जंगलों का पर्यावरण पर ज्यादा महत्व रहता है। उससे भी ज्यादा वहां के निवासियों का उसमें योगदान रहता है। जहां पर जंगल नहीं होंगे तो हमारे पास काम नहीं होता। माफ कीजिए, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे केन्द्र हो या राज्य हो या अदालतें हों, सबमें पर्यावरण फोबिया फैला हुआ है।

रात्रि 11.02 बजे

[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुईं*]

उसका नतीजा यह हो रहा है कि यहां जितनी भी योजनाएं हैं, वह ठप्प पड़ी हैं। चाहे सड़क की योजना हो, चाहे कैनाल की या पीने के पानी की योजना हो और चाहे पर्यावरण आदि की योजना हो। वे सब वहां असफल हो रही हैं। मैं मिसाल के लिए आपको टिहरी गढ़वाल के बारे में कहना चाहता हूं। पहले वह रियासत थी। उसका एक तिहाई भाग बर्फानी क्षेत्र था, एक तिहाई भाग जंगल था और बाकी का एक तिहाई भाग आबादी क्षेत्र हो यानि वहां बर्फानी और जंगल के भाग को मिलाकर दो तिहाई भाग जंगल है। उस क्षेत्र में जंगल है तो भी पर्यावरण के बहाने वहां पर जंगलों के काटने पर रोक है जिससे हमारी सारी योजनाएं ठप्प पड़ी हैं। हमें सड़कों के लिए कहीं न कहीं जंगल तो काटने ही पड़ेंगे। इसलिए अगर हमें इन जैसे को बनाना है तो इन दोनों का मिलान कि जंगल और योजनाएं साथ-साथ चलें, यह नहीं हो सकता। आपको योजनाओं को भी क्रियान्वित करना पड़ेगा और जंगल को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा उद्धार होगा, वरना नहीं होगा।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक नियम बना है कि अगर सड़क के लिए जंगल काट रहे हैं तो पेड़ों को कहीं और उगाना पड़ेगा। जब टिहरी डैम बन रहा था, गंगा और मिलगेना के घाट खत्म हो गए, तो उसके बदले झांसी में पेड़ लगा दिए गए। अजीब बात है कि पेड़ कहीं कटे और लगाए कहीं और जाएं। इसलिए जिस जिले में पेड़ कटते हैं उसी जिले में लगाने का संशोधन है।

हमारे यहां एक तिहाई आबादी है और बाकी का कुल मिलाकर जंगल है। वे कहते हैं कि आबादी वाले क्षेत्र में ही पेड़ लगाओ। क्या हम अपने गांव को हटा दें, क्या खेतों को खत्म कर दें और पेड़ लगाएं। अगर पेड़ लगाएंगे तो हम ये योजनाएं नहीं चाहेंगे।

तब न हम अस्पताल चाहेंगे। वहां जंगल ही जंगल होगा। सरकार की जो सोच है वह समझ में नहीं आती है। बात केवल इतनी है कि काम ठीक से हो, यह सोचना चाहिए। जंगलों को अलग रखिये, हमारी योजनाओं को अलग रखिये, दोनों को मिलने न दीजिए। जिस दिन से आपने इन दोनों को मिलाया है, तो फल गंभीर हुआ है और इस बात को आपको सोचना होगा। जंगलों के कारण हमारे हकूकों पर असर पड़ रहा है। टिहरी-गढ़वाल रियासत पहले हमारी थी। हमें जो बदनाम करना चाहें वे करे। लेकिन हमने जनता के लिए हक-हकूक रखे हुए हैं। मुफ्त में लकड़ी देते थे, सस्ते दामों में पेड़ देते थे, गाय-भैसों के लिए पत्ते काटने की छूट थी। उनको पत्थर और पठाल मकानों की छतों के लिए माइन करके निकालने का हक दिये थे। ये सब हक हमने दे रखे थे। जब रियासत केन्द्र को सौंपा तो मेरी शर्त थी कि ये हक-हकूक कायम रहेंगे और सरकार ने कायम रखे और वह कायम रहे। वह जो फोबिया आ गया उसके कारण रुक गया। उसके अलावा हाई-कोर्ट ने कहा कि 1863 में अंग्रेजों का कानून था उसे कहा कि इससे ज्यादा स्ट्रिक्टली लगाओ। रियासत में अंग्रेजों का कानून जहां नहीं लगता था और आज तक नहीं लग रहा था उस कानून को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमारे न मकान बन पा रहे हैं न हल बन पा रहे हैं, न पन-चक्कियां बन पा रही हैं, न मवेशियों के लिए खाना है, हमारे पन-चक्की नहीं रहे, हमें ईंधन नहीं मिल रहे हैं। हमारे पहाड़ी इलाकों के लिए इस तरह से करना है तो आप कालोनी बना दें। हम कालोनी बनना नहीं चाहते। हम आजाद भारत में आए हैं, कालोनी बनने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए मैं इसकी खिलाफत करता हूं। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। सरकार को संयम से, सोचकर चलना पड़ेगा। क्षेत्र की भिन्नता को मद्देनजर रखते हुए योजनाएं बनानी होंगी, पर्यावरण-अभियान और योजनाओं का अभियान अलग से करना होगा। वृक्षारोपण को रखना पड़ेगा। हमारे हक-हकूकों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसका एक ही जवाब है कि हमें उत्तराखण्ड में ही ये मिले। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ...*(व्यवधान)* स्पीकर महोदय ने रास्ता दिखा दिया है।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं:

> "हमारे संघीय ढांचे की एक और विशेषता यह है कि संघ की संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत से राज्यों को पुनर्गठित उनकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। वास्तव में कई नए राज्यों को उपरोक्त रूप से बनाए जाते समय संसद की यह शक्ति प्रदर्शित हुई थी।"

[हिन्दी]

यह हमारे स्पीकर साहब ने अपनी पुस्तक में दिया है कि कैसे हमें उत्तराखण्ड मिल सकता है। महाराज ग्वालियर कुछ दरारों के बारे में कह रहे थे। हमारी तरफ संकेत करके कह रहे थे कि 40 साल से दरारें पैदा हो रही हैं। दरारें तो उनकी सरकारों ने पैदा की हैं, हमने पैदा नहीं की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर प्रदेश बनेंगे तो देश खत्म हो जाएगा। पंजाब के टुकड़े, मुम्बई के टुकड़े, असम के टुकड़े हमने नहीं किये। न हमने दार्जिलिंग दी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम उत्तराखंड की मांग करते हैं। यह एक सेक्यूलर मांग है। यह मांग सेक्यूलर इसलिए है कि यह न धर्म के कारण, न भाषा के कारण, न जात के कारण है। ...*(व्यवधान)*

सभी स्थानीय लोग चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, क्रिश्चियन हों या सिख, इसका समर्थन कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को बीजेपी आगे लाई है। ग्वालियर महाराज साहब कहते हैं कि आप टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं। यह एक नमूना है कि यह फेडरल मांग है और इसलिए इस मांग का सभी पार्टियां समर्थन कर रही हैं। सोमनाथ जी शायद समर्थन न कर रहे हों लेकिन सारी लोक सभा इस फेडरल मांग का समर्थन कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारा समाधान भी उत्तराखंड से ही होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. देवी प्रसाद पाल

[अनुवाद]

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय को, लोक प्रतिनिधियों को इस मंच पर सरल और निष्कपट चर्चा का अवसर प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं। हमारी स्वतंत्रता के पचास वर्षों के उपलक्ष्य में हमें इन बातों का जायजा लेना होगा कि हमारी क्या उपलब्धियां रहीं और अभी हमें क्या प्राप्त करना है। हमारे द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन और आकलन करते समय हमें यह विश्लेषण करना होगा कि हम विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में आर्थिक प्रगति के संबंध में कितना पिछड़ गए हैं। जब 14 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में यह घोषणा की थी, जब सारा विश्व गहन निद्रा में लीन है भारत नयी स्वतंत्रता में जाग रहा है। हमारे संघर्ष का एक अध्याय देश की राजनीतिक स्वतंत्रता पूरा हो गया है। परन्तु दूसरा अध्याय आरम्भ होना है और यह कार्य तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि हम भारतीय परिवार के प्रत्येक घर में से गरीबी को समाप्त नहीं कर देते हैं। यह स्वतंत्रता का संघर्ष होगा जिसके लिए अध्यक्ष महोदय ने आह्वान किया है। उन्होंने दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के लिए आह्वान किया है।

हम सारे देश के एवरेज इंडैक्स को लेते हैं। इसलिए अगर नाइंथ फाइव ईयर प्लान को अगर उनको सक्सेसफुल बनाना है तो क्षेत्र-क्षेत्र का इंडैक्स बनाना पड़ेगा और क्षेत्र-क्षेत्र में जो कमजोरियां हैं, उनके समाधान के रास्ते सोचने पड़ेंगे और निकालने पड़ेंगे, तभी जाकर नाइंथ फाइव ईयर प्लान सक्सेसफुल हो सकता है।

इसके अलावा अगर मैं यह भी मान लूं कि इंडैक्स सही है पर हमको यह ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने तीन दर्जे बना रखे हैं, प्रोसपरस, सेमी प्रोसपरस और बिलो पावर्टी लाइन। अगर हमारी उन्नति हो रही है और जरूर हो रही है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। पर तीनों ही दर्जों में जो फर्क है, प्रोसपरस, सेमी प्रोसपरस और बिलो पावर्टी लाइन में, वह फर्क हट नहीं रहा है। तीनों के बीच में वह जो फासला है, वह फासला वैसे का वैसा चलता आ रहा है, भले ही हमारी उन्नति होती जाये, लेकिन फासला कम नहीं हो रहा है, जब तक कि बिलो पावर्टी लाइन का फासला और कम न हो जाये तो उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्येय यह होना चाहिए कि बिलो पावर्टी लाइन की योजना तीव्र गति से बने, जिससे कि एक समय ऐसा आये कि सब प्रोसपरस हो जायें और जब तक वह नहीं होता है, आप कितनी भी योजनाएं बना दें, वह फासला उसी रेश्यो में बढ़ता रहेगा और फर्क नहीं मिटेगा। इसलिए इस संबंध में मेरा यही अनुरोध है कि प्लानिंग कमीशन को क्षेत्र की योजनाएं बनानी पड़ेंगी और जो बिलो पावर्टी लाइन है, उनके लिए योजनाएं ज्यादा तीव्र गति से बनें तभी जाकर इसमें कुछ फायदा हो सकता है। इसमें मैं ज्यादा मिसाल नहीं देना चाहूंगा, एक मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा और वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेन्ट है।

रात्रि 11.00 बजे

उससे यह जाहिर हो जाएगा कि जो योजनाएं बन रही हैं वह गलत बन रही हैं।

[अनुवाद]

उत्तराखंड में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के मामले में उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय को उद्धृत किया है। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को उद्धृत किया है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

> "संचार और तकनीकी प्रक्रिया के साधनों के अभाव में जब प्रभावी प्रादेशिक विशिष्टीकरण सम्भव नहीं है, जैसा कि पहाड़ी और उत्तराखंड क्षेत्रों में है, ऐसी स्थिति में सुदूर क्षेत्रों में लोगों और अवसरों की उपेक्षा के कारण सामाजिक पिछड़ेपन की खाई और ज्यादा गहरी हो जाती है।"

पहाड़ों और उत्तराखंड क्षेत्रों पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। वहां पर शैक्षणिक संस्थाओं और शैक्षणिक सुविधाओं की कमी है। पहाड़ों और उत्तराखंड के क्षेत्रों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं क्योंकि शैक्षणिक सुविधाओं की कमी इन्हें प्रगतिविहीन बनाए रखती हैं और उन्हें न तो शिक्षा का अर्थ ही मालूम है न ही इसका संस्कार है और न ही इसके प्रति उनमें [illegible]रूकता है।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को यह आदेश देते हुए समाप्त किया कि गढ़वाल और कुमायूं डिवीजनों में स्थिति वही बनी रहेगी जो 20 जुलाई, 1994 को अधिसूचना जारी होने के पहले थी।

तत्पश्चात् न्यायालय ने एक और निर्णय पारित किया जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी लोग 27 प्रतिशत एस सी कोटा के हकदार बनेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और उत्तराखंड के निवासियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिक माना जाए।

[हिन्दी]

यह मैं इसलिए कोट कर रहा हूं इससे यह साबित होता है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में मद्देनजर नहीं रखा गया इसलिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसे मद्देनजर रखा जाए। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा असर हो रहा है वह है पर्यावरण का। पर्यावरण पहाड़ों में सुरक्षित है। सारे हिमालय में जंगलों का पर्यावरण पर ज्यादा महत्व रहता है। उससे भी ज्यादा वहां के निवासियों का उसमें योगदान रहता है। जहां पर जंगल नहीं होंगे तो हमारे पास काम नहीं होता। माफ कीजिए, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे केन्द्र हो या राज्य हो या अदालतें हों, सबमें पर्यावरण फोबिया फैला हुआ है।

रात्रि 11.02 बजे

[**श्रीमती गीता मुखर्जी** *पीठासीन हुईं*]

उसका नतीजा यह हो रहा है कि यहां जितनी भी योजनाएं हैं, वह ठप्प पड़ी हैं। चाहे सड़क की योजना हो, चाहे कैनाल की या पीने के पानी की योजना हो और चाहे पर्यावरण आदि की योजना हो। वे सब वहां असफल हो रही हैं। मैं मिसाल के लिए आपको टिहरी गढ़वाल के बारे में कहना चाहता हूं। पहले वह रियासत थी। उसका एक तिहाई भाग बर्फानी क्षेत्र था, एक तिहाई भाग जंगल था और बाकी का एक तिहाई भाग आबादी क्षेत्र हो यानि वहां बर्फानी और जंगल के भाग को मिलाकर दो तिहाई भाग जंगल है। उस क्षेत्र में जंगल है तो भी पर्यावरण के बहाने वहां पर जंगलों के काटने पर रोक है जिससे हमारी सारी योजनाएं ठप्प पड़ी हैं। हमें सड़कों के लिए कहीं न कहीं जंगल तो काटने ही पड़ेंगे। इसलिए अगर हमें इन जैसे को बनाना है तो इन दोनों का मिलान कि जंगल और योजनाएं साथ-साथ चलें, यह नहीं हो सकता। आपको योजनाओं को भी क्रियान्वित करना पड़ेगा और जंगल को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा उद्धार होगा, वरना नहीं होगा।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक नियम बना है कि अगर सड़क के लिए जंगल काट रहे हैं तो पेड़ों को कहीं और उगाना पड़ेगा। जब टिहरी डैम बन रहा था, गंगा और मिलगेना के घाट खत्म हो गए, तो उसके बदले झांसी में पेड़ लगा दिए गए। अजीब बात है कि पेड़ कहीं कटे और लगाए कहीं और जाएं। इसलिए जिस जिले में पेड़ कटते हैं उसी जिले में लगाने का संशोधन है।

हमारे यहां एक तिहाई आबादी है और बाकी का कुल मिलाकर जंगल है। वे कहते हैं कि आबादी वाले क्षेत्र में ही पेड़ लगाओ। क्या हम अपने गांव को हटा दें, क्या खेतों को खत्म कर दें और पेड़ लगाएं। अगर पेड़ लगाएंगे तो हम ये योजनाएं नहीं चाहेंगे।

तब न हम अस्पताल चाहेंगे। वहां जंगल ही जंगल होगा। सरकार की जो सोच है वह समझ में नहीं आती है। बात केवल इतनी है कि काम ठीक से हो, यह सोचना चाहिए। जंगलों को अलग रखिये, हमारी योजनाओं को अलग रखिये, दोनों को मिलने न दीजिए। जिस दिन से आपने इन दोनों को मिलाया है, तो फल गंभीर हुआ है और इस बात को आपको सोचना होगा। जंगलों के कारण हमारे हकूकों पर असर पड़ रहा है। टिहरी-गढ़वाल रियासत पहले हमारी थी। हमें जो बदनाम करना चाहें वे करे। लेकिन हमने जनता के लिए हक-हकूक रखे हुए हैं। मुफ्त में लकड़ी देते थे, सस्ते दामों में पेड़ देते थे, गाय-भैसों के लिए पत्ते काटने की छूट थी। उनको पत्थर और पठाल मकानों की छतों के लिए माइन करके निकालने का हक दिये थे। ये सब हक हमने दे रखे थे। जब रियासत केन्द्र को सौंपा तो मेरी शर्त थी कि ये हक-हकूक कायम रहेंगे और सरकार ने कायम रखे और वह कायम रहे। वह जो फोबिया आ गया उसके कारण रुक गया। उसके अलावा हाई-कोर्ट ने कहा कि 1863 में अंग्रेजों का कानून था उसे कहा कि इससे ज्यादा स्ट्रिक्टिली लगाओ। रियासत में अंग्रेजों का कानून जहां नहीं लगता था और आज तक नहीं लग रहा था उस कानून को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमारे न मकान बन पा रहे हैं न हल बन पा रहे हैं, न पन-चक्कियां बन पा रही हैं, न मवेशियों के लिए खाना है, हमारे पन-चक्की नहीं रहे, हमें ईंधन नहीं मिल रहे हैं। हमारे पहाड़ी इलाकों के लिए इस तरह से करना है तो आप कालोनी बना दें। हम कालोनी बनना नहीं चाहते। हम आजाद भारत में आए हैं, कालोनी बनने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए मैं इसकी खिलाफत करता हूं। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। सरकार को संयम से, सोचकर चलना पड़ेगा। क्षेत्र की भिन्नता को मद्देनजर रखते हुए योजनाएं बनानी होंगी, पर्यावरण-अभियान और योजनाओं का अभियान अलग से करना होगा। वृक्षारोपण को रखना पड़ेगा। हमारे हक-हकूकों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसका एक ही जवाब है कि हमें उत्तराखण्ड में ही ये मिले। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ...*(व्यवधान)* स्पीकर महोदय ने रास्ता दिखा दिया है।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं:

> ''हमारे संघीय ढांचे की एक और विशेषता यह है कि संघ की संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत से राज्यों को पुनर्गठित उनकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। वास्तव में कई नए राज्यों को उपरोक्त रूप से बनाए जाते समय संसद की यह शक्ति प्रदर्शित हुई थी।''

[हिन्दी]

यह हमारे स्पीकर साहब ने अपनी पुस्तक में दिया है कि कैसे हमें उत्तराखण्ड मिल सकता है। महाराज ग्वालियर कुछ दरारों के बारे में कह रहे थे। हमारी तरफ संकेत करके कह रहे थे कि 40 साल से दरारें पैदा हो रही हैं। दरारें तो उनकी सरकारों ने पैदा की हैं, हमने

पैदा नहीं की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर प्रदेश बनेंगे तो देश खत्म हो जाएगा। पंजाब के टुकड़े, मुम्बई के टुकड़े, असम के टुकड़े हमने नहीं किये। न हमने दार्जिलिंग दी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम उत्तराखंड की मांग करते हैं। यह एक सेक्यूलर मांग है। यह मांग सेक्यूलर इसलिए है कि यह न धर्म के कारण, न भाषा के कारण, न जात के कारण है। ...*(व्यवधान)*

सभी स्थानीय लोग चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, क्रिश्चियन हों या सिख, इसका समर्थन कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को बीजेपी आगे लाई है। ग्वालियर महाराज साहब कहते हैं कि आप टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं। यह एक नमूना है कि यह फेडरल मांग है और इसलिए इस मांग का सभी पार्टियां समर्थन कर रही हैं। सोमनाथ जी शायद समर्थन न कर रहे हों लेकिन सारी लोक सभा इस फेडरल मांग का समर्थन कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारा समाधान भी उत्तराखंड से ही होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. देवी प्रसाद पाल

[अनुवाद]

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय को, लोक प्रतिनिधियों को इस मंच पर सरल और निष्कपट चर्चा का अवसर प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं। हमारी स्वतंत्रता के पचास वर्षों के उपलक्ष्य में हमें इन बातों का जायजा लेना होगा कि हमारी क्या उपलब्धियां रहीं और अभी हमें क्या प्राप्त करना है। हमारे द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन और आकलन करते समय हमें यह विश्लेषण करना होगा कि हम विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में आर्थिक प्रगति के संबंध में कितना पिछड़ गए हैं। जब 14 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में यह घोषणा की थी, जब सारा विश्व गहन निद्रा में लीन है भारत नयी स्वतंत्रता में जाग रहा है। हमारे संघर्ष का एक अध्याय देश की राजनीतिक स्वतंत्रता पूरा हो गया है। परन्तु दूसरा अध्याय आरम्भ होना है और यह कार्य तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि हम भारतीय परिवार के प्रत्येक घर में से गरीबी को समाप्त नहीं कर देते हैं। यह स्वतंत्रता का संघर्ष होगा जिसके लिए अध्यक्ष महोदय ने आह्वान किया है। उन्होंने दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के लिए आह्वान किया है।

जब तक कि स्वतंत्रता के लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचते हैं तब तक यह आर्थिक स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है। प्राकृतिक और मानव संसाधनों की कोई कमी नहीं है। परन्तु इसके बावजूद भी एक समान प्रगति नहीं हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगभग बयालीस साल अर्थव्यवस्था के विकास में लगाए हैं। हमारी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी जिसे हमने राष्ट्रीय संसाधनों को जुटाने के लिए शुरू किया था। हमने आठ पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा किया। हम नौवीं योजना पर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि आर्थिक प्रगति की गति धीमी रही है। काफी हद तक गरीबी को कम किया गया, कई क्षेत्रों में औद्योगीकरण के लक्ष्यों को पूरा किया गया, विशेषकर बुनियादी उद्योगों के क्षेत्र में, और कृषि का विकास उल्लेखनीय रहा है। परन्तु यह प्रगति गैर कांग्रेसी सरकारों, जो कि 1977-79 और 1989-91 (मई) को सत्ता में आई थी, के कारण बाधित हुई। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को विशेषकर मई, 1991 में भयानक विपत्ति का सामना करना पड़ा था। देश को अपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा क्योंकि कृषि उत्पादन पूर्णत: सामान्य रेखा से नीचे गिर गया था, औद्योगिक उत्पादन भी लगभग शून्य था, मूल्यों में लगभग सत्रह प्रतिशत की वृद्धि हुई और उपलब्ध विदेशी मुद्रा इतनी थी जो केवल 14 दिनों के लिए पर्याप्त थी। जून, 1991 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के समय यह स्थिति थी।

हमें आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कुछ अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय करने चाहिएं। हम आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं जो कि पूर्व सरकार द्वारा शुरू की गई थी। आर्थिक उदारीकरण सर्वसहमति से किया गया है। देश की जिस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं उसके कारण लगभग सभी राजनैतिक दलों ने इसे स्वीकृति दी है। उस समय भारत विश्व में और देश में दोनों जगह ही बहुत अधिक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। यह संकट विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण पैदा हुआ। इसका कारण आर्थिक क्षेत्र में चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रादुर्भाव से सोवियत संघ का शिथिल हो जाना है।

भारत को औद्योगिक और कृषि उत्पादन दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना है। यह आत्मनिर्भरता केवल उदारीकरण की नीति द्वारा ही लाई जा सकती है। इस उदारीकरण का क्या अभिप्राय है? हम इसका अभिप्राय समझ गए हैं। इसका अभिप्राय है, अर्थव्यवस्था को नौकरशाहों के नियंत्रण के चंगुल से मुक्त करना, नियम और लाइसेंसिंग प्रक्रिया यथासंभव सरल होनी चाहिए और साथ ही हमें निर्यात उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए और विदेशी मुद्रा को बढ़ावा देना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए।

अत: यह आर्थिक उदारीकरण वर्तमान स्थिति के कारण आवश्यक हो गया था। इस नीति के परिणामस्वरूप भारत ने जून, 1996 के अंत तक 20 बिलियन डालर से भी अधिक विदेशी मुद्रा जमा कर ली है जो कि मई 1991 में केवल दो बिलियन डालर थी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सकल घरेलू उत्पादन में 12 प्रतिशत से भी अधिक की आर्थिक प्रगति हुई है और इसी बीच जून, 1996 के अंत तक मूल्यों में पांच प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके बावजूद जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई, उसे कुछ विरासत में मिला था, वह विरासत निश्चित रूप से बहुत ही आशाजनक है। लेकिन फिर भी बहुत से काले धब्बे हैं जिन्होंने लोगों के मन में यह आशंका पैदा कर दी है कि यह आर्थिक उदारीकरण देश की प्रगति में कहां तक सक्षम होगा।

कभी-कभी इसकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बंद हो जायेंगे। ऐसा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्रों ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1956 में जब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इस आर्थिक नीति को अपनाया इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति कहा गया था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि प्राप्त होने वाली अनुवर्ती पूंजी को लगांया जाता है और जिसमें जोखिम रहता है। मूल उद्योगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र मूल उद्योगों के विकास के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंडित नेहरू का सपना था कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग अर्थव्यवस्था और लाभ की दृष्टि से बहुत प्रभावशाली होने चाहिए क्योंकि इनसे होने वाली आय विभिन्न विकास कार्यों में लगेगी और इससे गरीब जनता का विकास होगा।

दुर्भाग्यवश वर्षों के अनुभव से हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लोगों के अनुरोधों और आकांक्षाओं को उस सीमा तक पूरा करने में समर्थ नहीं हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। वहां अकुशलता है, उत्पाद कम है और साथ ही प्रबन्ध में स्पष्टता नहीं है, यह वहां की स्थिति है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को हानि उठानी पड़ी है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होगी। यह उदारीकरण की नीति को अपनाने के साथ-साथ हमारी नीति यही रही है। अर्थात् इसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों का आधुनिकीकरण कर उसमें तकनीकी सुधार किया जाएगा और साथ ही उन्हें निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता दी जाएगी ताकि वह मूल्य निर्धारित कर सकें, ताकि वे प्रबन्धकीय स्तर पर निर्णय ले सकें और इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास हो।

इसलिए यह सुझाव देना गलत है जैसा कि अनेक स्थानों पर कहा गया है कि उदारीकरण की नीति से सार्वजनिक क्षेत्रों को घाटा उठाना पड़ा है। इसमें कोई शंका नहीं कि हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। लेकिन हमें कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है यह अधिक से अधिक 27 प्रतिशत चाहिए और शेष यह देश में बचत, देश में पूंजी की बढ़ोतरी से प्राप्त हो सकती है। देश में विदेशी निवेश हमारे कुल पूंजी निवेश का केवल एक छोटा सा भाग है। चीन में यह 27 मिलियन डालर है। तो भी कोई यह नहीं कह सकता कि चीन ने अपना आर्थिक प्रभुत्व खो दिया है। इसमें कोई शंका नहीं है कि विदेशी निवेश को आमंत्रित करने का यह अर्थ नहीं है कि भारत भी अपना आर्थिक प्रभुत्व खो देगा। लेकिन साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि उदारीकरण की

नीति का किसी भी तरह हमारे देशी उद्योगों के विकास पर प्रभाव न पड़े। उदारीकरण के परिणामस्वरूप हमने पाया है कि लघु पैमाने के उद्योगों को भारी क्षति हुई है। यहां तक कि भारतीय उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जो कि आगे आ रही हैं, के साथ अच्छी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है। वर्तमान स्थिति में उदारीकरण की नीति में पुन: समंजन और पुन:समायोजन की आवश्यकता है। विदेशी निवेश, मूल उद्योग जिनमें बुनियादी उद्योग जैसे कोयला, विद्युत ऊर्जा और ग्रामीण विकास शामिल हैं और जो कि निर्यातोन्मुख और उद्योगों को बढ़ाने वाले हैं, के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसका उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए ताकि आम आदमी पर भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश का प्रभाव न पड़े। जैसा कि श्री सनत मेहता ने बताया है कि हमें स्थिति का पुन: अवलोकन करना चाहिए जो कि आवश्यक है लेकिन साथ ही हमें देखना चाहिए कि आर्थिक उदारीकरण का उन उद्योगों पर प्रभाव न पड़े जो कि पहले से विकसित हैं। साथ ही उत्पादन कार्यकुशलता और आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह आर्थिक उदारीकरण का संदेश है।

महोदय, हम देख रहे हैं कि 50 वर्षों के बाद भी भारत ने यह महत्ता प्राप्त नहीं की है जो कि चीन और दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों जो कि बहुत तेजी से विकसित हुए हैं, को प्राप्त है। इसलिए ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिससे बहुत कम समय में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आर्थिक विकास हो सके लेकिन भारत जैसे देश में स्वत: आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है। आर्थिक विकास, विकास के प्रकार और ढंग पर आंका जाना चाहिए। हमें सामाजिक सेवाओं में विकास कर आर्थिक विकास करना चाहिए जिसकी आम आदमी को बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिए हमें देखना है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक न्याय भी हो। कांग्रेस सरकार जो कि 1991 और 1996 के बीच सत्ता में थी और पूर्व कांग्रेस सरकार का भी यह विचार था कि आर्थिक विकास ही केवल लक्ष्य नहीं है। इसके साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक सेवाओं का भी विकास होना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

डा. देवी प्रसाद पाल: मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं लेकिन कृपया मुझे थोड़ा समय दें।

सभापति महोदय: नहीं, अनेक बोलने वाले अभी हैं। कृपया क्षमा करें। अभी 60 सदस्यों को बोलना है।

डा. देवी प्रसाद पाल: आर्थिक नीति का सुधार एक मिनट में नहीं किया जा सकता। मुझे कुछ और मिनट का समय दीजिए। मैं बहुत ही जल्दी समाप्त कर दूंगा।

अब आम आदमी को सामाजिक-आर्थिक न्याय चाहिए जिसके लिए कोई लोकतांत्रिक सरकार वचनबद्ध है और उनकी आवश्यकताएं और अपेक्षाएं पूरी की जानी चाहिएं। भारत जैसे देश में 90 प्रतिशत लोग जो कि गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं, की आय 8.7 प्रतिशत है और 20 प्रतिशत लोग जो समृद्ध हैं और जिनका स्तर बहुत ऊंचा है वे राष्ट्रीय आय के 47 प्रतिशत से भी अधिक भाग का आनन्द ले रहे हैं। अत: सरकार को ग्रामीण शिक्षा के विकास और सफाई पर पर्याप्त राशि खर्च करनी चाहिए। हमारे देश में ग्रमीण लोगों के लिए मल निकासी व्यवस्था और आवास योजना की आवश्यकता है। वर्ष 1991 और 1996 के बीच जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी उसने अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सेवाएं उपलब्ध कराईं। एक राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम चलाया गया जिसके अनुसार देश में प्रत्येक 3175 गांवों में परिवार के दो सदस्यों को 1000 रुपये प्रति माह दिए गए। ऐसे तीन कार्यक्रम चलाए गए। एक कार्यक्रम के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को पेंशन दी गई और दुर्घटना के लिए 10,000 रु. बीमे की राशि और स्वाभाविक मृत्यु पर 5,000 रु. दिए गए।

गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले तीन महीने और प्रसव के बाद तीन महीने वेतन दिया गया। हमने देश में गरीब लोगों को दस लाख घर देने के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू की। दुर्भाग्यवश, हमने पाया है कि आर्थिक सुधारों और सामाजिक सेवाओं की गति धीमी रही है। अत: इस बात पर विचार किये जाने की आवश्यकता है कि हम भारत जैसे लोकतंत्रात्मक देश में आम लोगों की स्थिति में कब तक सुधार कर सकेंगे। इसके लिए, अनेक कार्यक्रमों की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो अन्तत: आम आदमी के आर्थिक उद्धार के लिए संघर्ष समाप्त नहीं होगा। इसलिए, हम आज यह महसूस करते हैं कि जबकि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पचासवें वर्ष में हैं, हमें अपने आपसे प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम सक्षम हैं? क्या हमने वह काम किया है जिसका संकेत पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया था और जिसके बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र में यह आम आदमी ही है जिसके लिए लोकतंत्र को कार्य करना है? जैसा कि कई बार अनेक सदस्यों ने कहा है यदि आम आदमी या इन जैसे दूसरे लोगों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है, यदि हम इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर सकते तो स्वतंत्रता के परिणाम बेकार होंगे .....*(व्यवधान)* मैं इन सब बातों से अधिक प्रभावित नहीं हूं ....*(व्यवधान)*

इस माननीय सभा से मेरी यह अपील है। आज, जब हम आम आदमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमें और विचार करना चाहिए। केवल आम आदमी की स्थिति में सुधार करने के लिए हमें आर्थिक विकास पर भी विचार करना होगा। सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में भी सरकार को आगे आना होगा। यह सेवा लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जानी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि लार्ड केन्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक ने कहा था "एक अनियमित अर्थव्यवस्था में हमें जब अनाज की आवश्यकता होती है, तो हम बन्दूकों का उत्पादन करते हैं।"

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा. देवी प्रसाद पाल: महोदया, अब मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। यदि हमें इस स्वतंत्रता को आम आदमी के लिए फलदायक बनाना है तो हमें आर्थिक सुधार पर जोर देना होगा। इसके साथ ही, सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में सुधार पर भी जोर देना चाहिए। अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि वर्षों से निर्बल हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है और जो इस घोर निर्धनता का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि आज भी 20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। यदि हम उनकी आंखों के आंसू नहीं पोंछ सकते तो आर्थिक विकास के किसी कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं होगा।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए। कृपया और नहीं।

डा. देवी प्रसाद पाल: कृपया मुझे दो मिनट दीजिए।

सभापति महोदय: श्री बादल चौधरी, कृपया बोलना आरम्भ कीजिए।

डा. देवी प्रसाद पाल: सरकार ने उद्योग तथा कृषि दोनों में आर्थिक सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कृषि के लिए विशेष उपाय किये जाने की आवश्यकता है, विशेषकर कि कृषि संबंधी सेवाएं जिनका विकास किया जाना है। उद्योगों की ओर भी और ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ....*(व्यवधान)* आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो यह चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए।

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अभी 60 और सदस्य हैं जिनको अभी बोलना है और नाम भी आ रहे हैं। जो कोई भी पीठासीन अधिकारी हो, जब तक आप सब सहयोग नहीं देंगे तब तक पीठासीन के लिए आप सबको अवसर देना असम्भव होगा। ऐसा कहने के लिए मुझे माफ कीजिए, अधिक देर तक बोलने से ही भाषण आकर्षक नहीं बन जाता है। इसलिए, कृपया संक्षेप में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश आर. जाधव (परभनी): हमें फर्स्ट इलैक्टिड को चांस देना चाहिए, सीनियर मैम्बर तो रोज ही बोलते हैं, लेकिन जूनियर मैम्बर्स की तरफ कोई नहीं देखता। यहां तीन दिन से बैठे हैं, हमको भी तो सदन में कुछ बोलने दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए जैसे ही मैं आया मैंने एक कनिष्ठ सदस्य को बुलाया। मैंने एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य, भूतपूर्व मंत्री को बोलने से रोकने की कोशिश की। आपको यह देखना चाहिए।

श्री बादल चौधरी

श्री बादल चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम): सभापति, महोदया मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे संसद के चार दिन के विशेष सत्र के दौरान सभा को सम्बोधित करने का अवसर प्रदान किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हमें केवल प्रसन्न ही नहीं होना है बल्कि स्वतंत्रता के इस आधे शतक के दौरान हम क्या-क्या उपलब्धियां हासिल कर सके और कहां-कहां हम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में असफल रहे, इसका जायजा भी लेना है।

पांच दशक पहले और एक लम्बे संघर्ष के बाद, इस राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इस राष्ट्र ने भविष्य के लिए आशा तथा उत्साह के साथ आगे देखना शुरू किया। हमें यह स्वतंत्रता विभाजन के दु:ख के साथ खून बहाकर और आंसुओं को पीकर मिली है। फिर भी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, उन्हें अपने ऊपर विश्वास है कि उनमें नया भारत बनाने की योग्यता है।

वर्ष बीतते गए और यह सपना एक दु:स्वप्न में बदल गया, आदर्शवाद, भोग-विलास में बदल गया और सत्ता प्राप्त करने के प्रयत्न ने राजनीतिकों के एक बड़े वर्ग को अंधा बना दिया, लोक जीवन के मूल्यों के प्रति जिनका अनादर उतना ही घटिया है जितना कि लालच और अतृप्त आकांक्षाएं। अनेक असफलताएं हैं। सरकारी दृढ़ निश्चय के किसी भी उपाय द्वारा गरीबी, अशिक्षा और जनसंख्या वृद्धि की किसी भी समस्या को हल नहीं किया गया। राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार द्वारा अच्छा प्रशासन चलाना असम्भव हो गया है। कृत्रिम दलों और छोटी-छोटी जातियों के दलों ने 1947 की राष्ट्रीयता की भावना को कम कर दिया है।

पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएं चर्चा का मेरा पहला मुद्दा है। जो लोग देश के कर्णधार थे, उन्होंने पिछले पचास वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जबकि वे पूरे समय इस क्षेत्र के लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थे। हालांकि उस समय सत्ता में रहने

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के लिए मतदाताओं को अपने हाथों में रखने के लिए कुछ लम्बे वायदे किये गये थे। इस क्षेत्र की भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया जबकि उनके नियोजित तथा उपयुक्त उपयोग द्वारा न केवल इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के सृजन से न केवल यह क्षेत्र समृद्ध होता बल्कि यह पूरा देश भी समृद्ध होता। यह कहना अनावश्यक है कि आई.एस.आई. सहित साम्राज्यवादी एजेंसियों ने इस क्षेत्र के लोगों की निराशा का पूरा लाभ उठाया है। अगर दो दशक पहले केन्द्र ने जल संसाधनों के विकास तथा उत्तरोत्तर क्षेत्रों की पन बिजली क्षमता के लिए निवेश को अनावश्यक बनाने का निर्णय लिया होता तो आज इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भिन्न होती जिसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्ततः भारत संघ को अस्त-व्यस्त करने के लिए साम्राज्यवादी ताकतों का उनके "आप्रेशन ब्रह्मपुत्र" परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केन्द्र में तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस (आई) सरकार इतनी अधिक अनैतिक हो गई कि उसने उन राज्यों में निर्वाचित विपक्ष की सरकार को केवल अस्थिर बनाने तथा उन्हें सत्ता से बाहर करने के उद्देश्य से विस्फोटकों के इस्तेमाल में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए रॉ का सहारा लिया। आज स्थिति यह हो गई है कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा वास्तव में तत्काल कदम न उठाए गए तो देश के इस क्षेत्र को भारत के अभिन्न अंग के रूप में बनाए रखना लगभग असम्भव हो जाएगा।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार केन्द्र में पहली सरकार थी जिसने इस क्षेत्र की समस्याओं की गहराई में जाने की कोशिश की और इस क्षेत्र के तत्काल विकास के लिए एक पैकेज की घोषणा की। देवेगौड़ा सरकार द्वारा गठित शुक्ला आयोग तथा बापाराई आयोग ने पहले ही पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगा लिया है जो कि देश के विकास की मुख्य धारा से बहुत पीछे हैं। अब यह आवश्यक है कि वास्तव में इन कार्यक्रमों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए ताकि पूर्वोत्तर राज्य शेष देश की बराबरी पर आ जायें और अलग-थलग तथा उपेक्षित महसूस न करें।

यदि संयुक्त मोर्चा सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को दिये अपने वचनों को पूरा करने में असफल रही तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं और साम्राज्यवादी तथा अलगाववादी अपने इरादों में सफल हो सकते हैं।

मेरी चर्चा का दूसरा मुद्दा है, जनजाति का प्रश्न। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के दौरान केन्द्र में किसी भी सरकार ने जनजातीय समुदाय के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाने तथा स्वीकृत करने की कोशिश नहीं की जिनकी संख्या देश में 6.5 करोड़ से भी अधिक है। जनजातीय लोग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे विभिन्न राज्यों में कुछ सघन क्षेत्र में रहते हैं। उनकी पहचान बचाने, उनकी भूमि और सम्पत्ति बचाने तथा उनकी भाषाओं तथा संस्कृति के विकास के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की गई थी। हजारों जनजातीय लोग प्रतिवर्ष भूख और संक्रामक बीमारियों से मर रहे हैं और इस प्रकार उनका अस्तित्व और बचाव को चुनौती दी गई है। साम्राज्यवादी एजेंसियां उनके अलगाव का असहायपन का पूरा लाभ उठा रही हैं जिससे उनमें अलगाववाद की प्रवृत्ति जन्म ले रही है।

मैं नहीं समझता और यह ठीक भी नहीं होगा कि इन जनजातीय लोगों को या जनजातीय समूहों को असम में अलग राज्य का दर्जा देना इस समस्या का कोई समाधान है। परन्तु मैं सिफारिश कर रहा हूं कि त्रिपुरा तथा कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा पश्चिम बंगाल और बिहार की तरह प्रत्येक जनजातीय सघन क्षेत्रों के लिए छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद का गठन होना चाहिए। यह जितना जल्दी हो, उतना अच्छा है। अन्यथा, साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा उत्तेजित जनजातीय लोग तथा अलगाववाद ताकतें पूरे देश को अस्थिर कर देंगी।

तीसरी जिस बात पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वह है जम्मू और कश्मीर। यह मुद्दा तब से महत्वपूर्ण है जबकि रियासतें भारत का एक अंग बनी थी। राज्यों के लोगों का विश्वास पाने के लिए राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 370 को 1953 में भारत के संविधान में शामिल किया गया था। परन्तु दुर्भाग्य से इस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करने के लिए इन वर्षों में केन्द्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। नतीजा यह हुआ कि स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई और साम्राज्यवादी ताकतों ने लोगों के अविश्वास का पूरा फायदा उठाया। अब आवश्यकता यह है कि भारतीय संविधान के दायरे में राज्य के लिए अधिकतम स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए तथा उन लोगों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति की जाए जिन्हें राज्य से विस्थापित किया गया है। रोजगार के अवसर पैदा करके राज्य के तीव्र विकास के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा तुरन्त की जानी चाहिए। अगर केन्द्र सरकार अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को लागू करने में असफल हो जाती है तो यह देश की राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक चुनौती है।

कई माननीय नेताओं ने साम्प्रदायिकता पर चर्चा की है। मैं केवल इस सदन तथा नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि किसी मुद्दे पर सहमत हों। धर्मनिरपेक्षवाद को मजबूत करने के लिए मेरे कुछ प्रस्ताव हैं कि धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए तुरन्त कानून बनाया जाए। 15 अगस्त, 1947 तक धार्मिक स्थानों की यथावत स्थिति को बनाए रखने के लिए कड़ाई से कानून लागू किया जाए, अल्पसंख्यकों के सही अधिकारों की रक्षा, भेदभाव दूर करने के लिए संविधान के प्रावधानों को लागू किया जाए, अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत पिछड़े लोगों को आरक्षण और उर्दू भाषा को संरक्षण प्रदान किया जाए।

मैं संयुक्त मोर्चा सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि पिछले तीन दिनों में सदस्यों ने जो भी कहा है उसके 50 प्रतिशत काम पहले ही पूरे हो जाते हैं। अगर संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सभी कार्यक्रम क्रियान्वित किये होते।

अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं समझता हूं कि मुझे केन्द्र राज्य संबंधों की समस्या पर कुछ कहना चाहिए। यह समस्या भाषाई राज्यों के गठन के समय से थी तथा 1967 में आठ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार के गठन के बाद एक बड़ा मुद्दा बन गई थी।

तदन्तर, सरकार सरकारिया आयोग का गठन करने के लिए बाध्य हो गई थी। यद्यपि इसकी सिफारिशें पूरी तरह से संतोषजनक नहीं हैं फिर भी आयोग ने समस्या का समाधान करने की कोशिश की थी। परन्तु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी सिफारिशें लागू नहीं की जा सकी। देश में असंतुलित विकास तथा विभिन्न राज्यों में पिछड़ेपन से उबरने की इच्छा पैदा होने के कारण देश के कुछ भागों में अलगाववादी आंदोलन में वृद्धि भी राज्यों के लिए स्वायत्तता में कमी का परिणाम है। इस समय सभी संसाधन केन्द्र के पास हैं और राज्य इसकी कृपा पर निर्भर हैं। उदारीकरण और नई आर्थिक नीति के साथ ही राज्यों के वर्तमान अधिकारों पर ताजा हमला हुआ है। केन्द्र सरकार के व्यय में कटौती के साथ ही राज्यों के पास विकास के लिए बहुत कम संसाधन बचे हैं।

तथापि, वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार ने केन्द्र राज्य संबंध के स्तर को अंतर्राज्य परिषद का पुनरुद्धार करके, राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर तथा सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के लिए एक प्रमुख समिति का गठन करके तथा उपयुक्त सिफारिशें करके सुधारने की अपनी इच्छा जाहिर की है। इसका उल्लेख किया जाना चाहिए कि हम प्रभावी और सक्षम केन्द्र के पक्षधर हैं जो देश की रक्षा कर सकेगा, इसका आर्थिक जीवन संगठित तथा मजबूत कर सकेगा तथा पर्याप्त रूप से विदेश नीति, संचार, विदेश व्यापार इत्यादि जैसे अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होगा। परन्तु साथ ही, हम केन्द्र के निरंकुश शासन की अवधारणा के खिलाफ हैं जो अन्य क्षेत्रों में राज्य की स्वायत्तता का हरण कर लेती है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए यह आपका आखिरी भाषण नहीं है। कई बार आपको और बोलने का मौका मिलेगा।

श्री बादल चौधरी: जहां तक धारा 356 का संबंध है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा को प्रमाणित करने वाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत राज्य सरकारों को रद्द करके, कर्नाटक में बोम्मई की सरकार को असंवैधानिक ठहराना सत्ता दलों पर एक अच्छा प्रतिबंध है जो इस क्रूर शक्ति का दुरुपयोग करना चाहते हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बादल चौधरी: जहां तक त्रिस्तरीय पंचायत तथा शहरी म्यूनिसिपल संस्थाओं के संबंध में तिहत्तरवें संविधान (संशोधन) विधेयक तथा चौहत्तरवें संविधान (संशोधन) विधेयक को अपनाए जाने का प्रश्न है तो संशोधन विधेयक की इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए जो पंचायतों को नौकरशाही के अधीन करती है तथा उनके स्वायत्तता शासन की शक्तियों को कम करती है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा। मुझे अगले वक्ता को बुलाना होगा। श्री के.एस. रायुडू।

*...(व्यवधान)**

श्री के. एस. रायुडू

****श्री के. एस. रायुडू** (नरसापुर): सभापति महोदया, भारत एक महाद्वीप के समान बहुत विशाल देश है। यहां बहुधार्मिक तथा बहुभाषी समाज है। फिर भी सभी विविधताओं के बावजूद, यह राष्ट्र संयुक्त रूप से आगे बढ़ा है तथा इसने प्रगति की है जिसके लिए हम सभी को गर्व है।

वर्ष 1919-21 के दौरान, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह तथा 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन हुआ था। ये वे ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे हमें स्वतंत्रता मिली थी। उन आंदोलनों में भाग लेना मेरा सौभाग्य नहीं था क्योंकि मैं स्वतंत्रता के बाद पैदा हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में 4 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। महोदया, इस चर्चा में भाग लेकर मैं उस पीढ़ी के कुछ सुनहरे क्षणों का आनन्द अनुभव कर रहा हूं जिससे हमें स्वतंत्रता मिली।

महोदया, हम 11वीं लोक सभा के सदस्य हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, माननीय अध्यक्षों ने अपने-अपने तरीके से इस राष्ट्र की प्रगति में योगदान किया है। हमें अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। वृद्धि दर 6-7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। 50 वर्षों के बाद अब

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समय आ गया है कि हम स्थिति का जायजा लें। यह आत्म परीक्षण का समय है। यह देश को मजबूत और धनी बनाने के लिए हमारे भावी कार्यक्रमों तथा नीतियों के बारे में सोचने का समय है। हमें देखना होगा कि हमने कहां गलती की है तथा किस तरह से हम अपने भावी कार्यों को सही ढंग से क्रियान्वित करें।

महोदया, सफलता अधिकतर सही समय पर लिए निर्णय पर निर्भर करती है। देश को चलाने में निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सही समय पर निर्णय लेने में हुए विलम्ब के कारण हमें इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा है। उदाहरण के लिए जब सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की इकाइयों को जब बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित किया जाता है और जब उन्हें बी.आई.एफ.आर. द्वारा वापस सरकार के पास भेज दिया जाता है तो समय पर उचित निर्णय लेने में विलम्ब हो जाता है। निर्णय लेने में विलम्ब के कारण देश में औद्योगिक उत्पादन की काफी हानि हो रही है जिससे पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो भी सत्ता में हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि निर्णय लेने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदया, अब समय आ गया है जब हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में सोचना चाहिए। प्रधान मंत्री, पूर्व प्रधान मंत्रियों और भूतपूर्व मंत्रियों को केवल अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए अपितु अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब हमें यह देखना है कि हम अपने देश को दुनिया के अग्रणी देशों में लाने में अपना क्या योगदान कर सकते हैं। इन वर्षों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों ने देश से अधिक अपनी सत्ता और अपनी सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया। यह देश के लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रधान मंत्री बनते हैं, उन्हें दलगत विचारों से ऊपर उठकर देश को ताकतवर बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए केवल अपनी पार्टी की ओर ही नहीं देखना चाहिए। चाहे कोई सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधान मंत्री उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं कि वह कितनी देर सत्ता में रहा अपितु महत्वपूर्ण यह है कि अपने समय का उपयोग उसने देश की प्रगति में कितनी अच्छी तरह से किया। व्यक्ति को अपने कार्यकाल की अवधि की अपेक्षा अपने कार्यकाल में की गई प्रगति के बारे में अधिक सोचना चाहिए।

महोदया, चुनावी सुधारों के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपने विचार प्रकट किये। देश में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाये जाते हैं और अन्य देशों की तुलना में हमारा रिकार्ड अच्छा है। परन्तु हाल ही के वर्षों में स्थिति बदल गई है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन और बाहुबल का प्रयोग किया जाता है। इस

दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें तुरन्त कोई कार्यवाही करनी होगी। महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि और अधिक समय नष्ट किए बिना वह चुनावी सुधार लागू करे और मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार गोस्वामी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करे। सरकार को वोहरा समिति की रिपोर्ट का भी अध्ययन करना चाहिए और जल्द उचित निर्णय लेना चाहिए। विगत बीस वर्षों से हम लोकपाल विधेयक को अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक हम अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाये। मुझे नहीं पता कब तक यह कार्य सिद्ध हो पायेगा। सरकार को यह देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी बिल पास हो। इसमें और अधिक विलम्ब न हो। महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी-अभी मैंने जिन तीन उपायों का उल्लेख किया है यदि उन्हें अपना लिया जाए तो हमारी राजनीति से भ्रष्टाचार पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। चुनाव वास्तविक रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। महोदया, हम महिलाओं और पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के बारे में विचार कर रहे हैं। वे हमारे समाज के वो वर्ग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनके प्रति हमदर्दीपूर्ण रवैया होना चाहिए। साथ ही चुनाव का खर्च भी आकाश छूता जा रहा है। चुनाव लड़ना अच्छी वित्तीय स्थिति वालों के लिए भी कठिन होता जा रहा है। अब समय आ गया है जब सरकार को चुनाव का खर्च उठाना चाहिए। सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। लोकाचार संबंधी समिति बहुत से देशों में तो पहले से ही अस्तित्व में है। राज्य सभा में भी इसे शुरू किया गया है। लोक सभा में भी इसके गठन के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

महोदया, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी 60 से 70 प्रतिशत जनता इस पर निर्भर करती है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। हमें देश के किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सभी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए किसान हमारे देश के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन करते आ रहे हैं। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हीं किसानों को उनके प्रयासों के लिए पर्याप्त पुरस्कार नहीं मिलता यहां तक कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता। सरकार को यह अवश्य देखना चाहिए कि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसानों को हर समय प्रकृति के बदलते मौसमों का सामना करना होता है। मानसून के समय खड़ी फसलों को नष्ट करने के लिए बाढ़ और चक्रवात भी आते हैं और दूसरे मौसमों में सूखे से भी फसलें नष्ट होती हैं। हर हाल में प्रभावित तो किसान ही होते हैं। किसानों की दशा बहुत शोचनीय है। राष्ट्र का यह अटल कर्तव्य है कि किसानों को चुपचाप पीड़ित न होने दें क्योंकि वही राष्ट्र को भोजन उपलब्ध कराते हैं। सरकार को चाहिए कि वे किसानों की सभी सम्भव सहायता करे।

बहुत समय पूर्व डा. के.एल. राव ने देश की सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने की योजना बनाने का सुझाव दिया था। वर्तमान सरकार को इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए और इसे लागू करना चाहिए। सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने से देश को बाढ़ और सूखे के प्रकोप से बचाया जा सकेगा। पेयजल तो सभी क्षेत्रों को, विशेषकर सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों को, प्रदान किया जा सकता है। जब श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। चूंकि वर्तमान फसल बीमा योजना अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है अत: इसके लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहे। अब मण्डल को एक इकाई के रूप में गिना जा रहा है। उदाहरणार्थ यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीस गांव प्रभावित होते हैं और पांच गांव अप्रभावित रहते हैं तो पूरे मण्डल में, क्षतिग्रस्त गांव सहित कोई भी बीमे का पात्र नहीं होगा। यह बहुत पक्षपातपूर्ण है। इस योजना से कृषक समुदाय को कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे यहां तो जेवरों, साड़ियों और यहां तक कि पालतू जानवरों तक के लिए बीमा योजनाएं हैं। परन्तु खड़ी फसलों के लिए हमारे पास कोई बीमा योजना नहीं है। यह तो सरासर अन्याय है। अत: बीमा योजना के लिए मण्डल को एक इकाई गिनने की वर्तमान प्रक्रिया को छोड़ दिया जाना चाहिए।

महोदया, मुझे कुछ और मिनट बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: कृपया अब आप अपना भाषण पूरा कीजिए।

श्री के.एस. रायुडू: महोदया, बस तीन चार मिनट।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: नहीं, अब दो तीन मिनट नहीं, आपने बहुत टाइम ले लिया। अब खत्म कीजिए।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज): मैडम इन्हें कुछ टाइम दे दीजिए।

सभापति महोदय: नहीं काफी टाइम इन्होंने पहले ही ले लिया है।

श्री के.एस. रायुडू: महोदया, हमारे देश की एक लम्बी समुद्री सीमा है सम्पूर्ण तटवर्ती क्षेत्र में मछुआरा समुदाय का निवास है। वे बहुत दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सभी प्रकार के संकटों का सामना करते हुए वे भारी बरसात और तूफान में भी समुद्र, गोदावरी, उप्पतेरू नदी में चले जाने का साहस करते हैं। परन्तु उनको इसका अधिक लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी आय बहुत कम है। उस पर वे वही पुराने तरीकों का ही इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्हें उपलब्ध नहीं है। सरकार को समुद्र तटीय इलाकों में मत्स्यन के आधुनिक तरीकों को शुरू करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। चूंकि वे समुद्रतटीय इलाकों में रहते हैं अत: हर वक्त खतरे की घंटी बजती रहती है। उनके पक्के घर बना दिये जाने चाहिए। महोदया हम अपने बुनकर समुदाय की दयनीय अवस्था से भी परिचित हैं। वे इतने कुशल हैं कि वे पूरी लम्बाई वाली ऐसी साड़ी बना सकते हैं जो एक माचिस की डिब्बी में भी रखी जा सकती है। परन्तु यह बुनकर वर्ग अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। भुखमरी से होने वाली मौतें इस समुदाय में आम घटना बन कर रह गई है।

रात्रि 11.58 बजे

[**श्री पी.एम. सईद** *पीठासीन हुए*]

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह समाज के इस सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग के बचाव के लिए आगे आए। मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या पर तुरन्त ध्यान देगी। चाहे हम पचास वर्ष पूर्व आजाद हो गए थे परन्तु अभी भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ अत्याचार होते चले आ रहे हैं। इन पचास वर्षों की स्वतंत्रता का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। हमारे संविधान में मूलत: डा. बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों के फलस्वरूप कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के अन्तर्गत जिन सुविधाओं और अधिकारों की गारन्टी उनके लिए दी गई है उन्हें हर कीमत पर पूरा किया जाए। सरकार को यह देखना चाहिए कि इन सब प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए। अब तक उन्हें न्याय से वंचित किया जाता रहा है। उनके साथ अब और अधिक अन्याय नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, 18 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के युवक बेचैन हैं। उनकी कोई दिशा नहीं होती। अत: यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम अंधकार में भटक रहे हैं। इन नवयुवकों के शानदार भविष्य के लिए आवश्यक दिशा प्रदान करें। अब मैं महिलाओं के बिल के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। संसद की महिला सदस्य चाहती हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पारित किया जाए। इस देश में महिलाओं की जनसंख्या पचास प्रतिशत है। जबकि अनेक क्षेत्रों में उन्हें प्रदान किये जाने वाले अवसर बहुत कम हैं। इसका मतलब यह है कि हम पचास प्रतिशत जनसंख्या की प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकायों को आरक्षण प्रदान किया है। आन्ध्र प्रदेश इस दिशा में सबसे आगे है। हमारे प्रिय नेता श्री एन.टी. रामाराव ने 1986 में महिलाओं और पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस नीति को अपनाये और सभी राज्यों में इसे लागू करे।

आन्ध्र प्रदेश की वर्तमान सरकार, जिसके प्रमुख श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू हैं, ने "जन्म भूमि, श्रमदानम, प्रजला वादाकू पालाना" जैसे कार्यक्रम लागू किए ताकि लोगों के विशेषकर निर्धन वर्ग के, जीवन

को सुधारा जा सके। इसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। बेहतर पारदर्शिता और समन्वय के लिए अधिक सूक्ष्म प्रौद्योगिकी जैसे निकनेट इन्टरनेट आदि का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे प्रिय मुख्य मंत्री ने सम्पूर्ण प्रशासन में क्रांति ला दी है। उनकी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए और सम्पूर्ण देश में लागू किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री रायुडू, आप को अब समाप्त करना चाहिए। अब श्री रतिलाल कालीदास वर्मा बोलेंगे।

मध्यरात्रि 12.00 बजे

(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री के.एस. रायुडू: महोदय कृपया मुझे आधे मिनट का समय और दें।

सभापति महोदय: आप बस अंतिम वाक्य कह कर भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के.एस. रायुडू: महोदय अंत में, मैं इस माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि वे भावनात्मक रूप से अखण्ड और संयुक्त भारत के निर्माण के लिए, सभी आन्तरिक भेदभावों को भुलाकर, मिलकर प्रयास करें जिसका देशों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण स्थान होगा और जो कि शेष विश्व के लिए एक उदाहरण होगा, दलित और पिछड़े हुए लोगों के लिए प्रकाशस्तम्भ सिद्ध होगा और मानव जाति की गरिमा और जीवन का एक जीता जागता उदाहरण होगा।

महोदय, सभा के इस विशेष सत्र में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज): महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

डा. के.पी. रामालिंगम (तिरुचेंगोडे): महोदया, आप 33 प्रतिशत के आरक्षण की बात कर रही हैं। यहां 0.5 प्रतिशत महिलाएं भी उपस्थित नहीं हैं। आपको सभा में बैठना चाहिए।

कुमारी सुशीला तिरिया: महोदय, मेरी मांग है कि महिलाओं को सभा में बोलने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं अकेली महिला 3-4 घंटे से बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रही हूं।

सभापति महोदय: देखते हैं माननीय सदस्यगण जो भी सदस्य यहां उपस्थित हैं, सभी आज बोलना चाहते हैं। हमें चार-पांच घंटे और बैठना होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि पीठासीन अधिकारी को सहयोग दें और समय पर अपना भाषण समाप्त करें। प्रत्येक सदस्य को पूरे दस मिनट लेने चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितल्ला (कोट्टायम): महोदय, वह अकेली महिला सदस्य उपस्थित है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: मैं श्री रतिलाल कालीदास वर्मा का नाम पुकार चुका हूं। वे इनके बाद बोल सकती हैं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति जी, उनका गुस्सा मुझ पर मत निकालिए। मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, घड़ी देख रहा हूं।

सभापति जी, इस वर्ष हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, पिछले 50 वर्षों में हमने क्या पाया, क्या खोया, इसके मन-मंथन के लिए यह चार दिनों का स्पेशल सैशन बुलाया गया है और इसी क्रम में पिछले तीन दिनों से हम यहां आत्म-चिन्तन कर रहे हैं। जब भारत को आजादी मिली, वह मध्य-रात्रि का समय था और आज जब मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला है, अब भी मध्य-रात्रि है। आज के दिन हमें भारत के उन लाखों करोड़ों लोगों को नहीं भूलना है जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी शहादत दी, कुरबानी दी, हंसते-हंसते अंग्रेजों की गोलियां झेलीं और हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

रात्रि 12.03 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी को मेरी गुड मार्निंग।

कई माननीय सदस्य: गुड मार्निंग, महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको गुड-मार्निंग कहा।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुरबानी की, शहीद हुए, आज मैं उनका नमन करता हूं। आजादी से पूर्व हमारे बुजुर्गों ने सोचा था कि जब देश आजाद होगा तो यहां घी-दूध की नदियां बहेंगी, रामराज्य होगा, देश में कोई भूखा-नंगा नहीं रहेगा लेकिन 50 साल बाद हम देखते हैं कि स्थिति उसके विपरीत है। मैं कहना चाहता हूं कि वास्तविक समस्याओं पर हमने ध्यान नहीं दिया, देश की मूल समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप आज हमें आत्मचिन्तन करना पड़ रहा है।

यहां कहा गया कि हम एक साथ अनेक पहलुओं पर चलें। भारत को आजादी मिलने के बाद, हमें दो-तीन विषयों पर मुख्य जोर देना चाहिए था लेकिन हम अनेक पहलुओं पर चले जिससे हमें सफलता नहीं मिली। कहा जाता है—

एक साधे, सब सधै, सब साधे जग जाए।
माली सींचे फूल को, फूल फले अदराय॥

जिन प्रश्नों पर हमें ध्यान केन्द्रित करना चाहिए था, उन पर हमने ध्यान नहीं दिया और दूसरी समस्याओं में हम उलझे रहे जिसका परिणाम यह हुआ कि हमें किसी भी फ्रंट पर सफलता नहीं मिली। हमें आजाद देश में सबसे पहले शिक्षा पर, दूसरे नम्बर पर जनसंख्या पर और तीसरे नम्बर पर कृषि को महत्व देना चाहिए था लेकिन हमने शिक्षा को महत्व नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप आज पूरे देश की स्थिति खराब हो गई है। अगर हमने शिक्षा को महत्व दिया होता, आज देश में सभी लोग पढ़े-लिखे होते तो हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप हल हो गई होतीं तो आधे से ज्यादा सवाल वैसे ही हल हो जाते, लेकिन हमने महत्व नहीं दिया।

आज शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है, गांवों के अन्दर स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक हैं तो बैठने के लिए टेबल नहीं हैं, टेबल हैं तो बच्चों के पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं हैं, बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। आज गांवों के अन्दर 5-5 क्लास को एक शिक्षक संभाल रहा है, वह शिक्षक पढ़ा नहीं रहा, बच्चे क्लास से बाहर भाग न जायें, स्कूल से भाग न जायें, इसलिए सिर्फ उनको रोक रहा है, यह स्थिति है। क्यों नहीं प्राइमरी शिक्षा को जो महत्व देना चाहिए था, वह हमने नहीं दिया और जो कमियां थीं, वह पूरी नहीं हुईं। आज शिक्षा में सुधार के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में 153 करोड़ रुपये का बजट था और आठवीं पंचवर्षीय योजना पर 19,600 करोड़ रुपये की हो गई। फिर भी 1991 की सेंसस के मुताबिक 200 मिलियन अशिक्षित रहे, आज भी अशिक्षित हैं। इसीलिए तो हमें प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाने पड़े। प्रौढ़ शिक्षा के अन्दर करोड़ों रुपया देश का बर्बाद हो गया है। मैं प्रौढ़ शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन कागज पर सबको पढ़ाया गया। वास्तव में पूर्ण साक्षरता आज भी देश के अन्दर नहीं हुई। अगर यही खर्चा प्राइमरी स्कूल के लिए किया गया होता, यही खर्चा टीचर्स की नियुक्ति पर किया गया होता, ब्लैकबोर्ड के लिए, बैंचेज के लिए किया गया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती।

इसके साथ-साथ बहुत सी पॉलिसी बनाई गई, लेकिन उन पर सही तरीके से अमल नहीं हुआ। आर्टीकल 45 के मुताबिक शिक्षा बच्चों के लिए फ्री एण्ड कम्पलसरी मानी गई है, फिर भी बच्चों की पढ़ाई में कमी है। शिक्षा के लिए अलग-अलग कमीशन और कमेटियां बैठीं, जैसे कि 1948 में इंडियन एजुकेशन कमीशन डा. राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में बना, उसके बाद 1952 में सैकेण्डरी एजुकेशन कमीशन डा. ए.एल. मुदालियार की अध्यक्षता में, 1958 में दुर्गालाल देशमुख कमेटी फॉर वीमेंस एजुकेशन और 1964 में कोठारी कमीशन, 1986 में नेशनल पालिसी ऑन एजुकेशन की क्या स्थिति रही, आज भी गांवों के अन्दर स्कूल नहीं हैं, आज भी बच्चे पढ़ नहीं रहे और हमारा देश गांवों का देश है, आज कितनी संस्थाएं हैं, आज सारे देश के अन्दर 1987-88 के मुताबिक 5,45,677 प्राइमरी स्कूल हैं और कालेज 4329 हैं। आज भी शिक्षा के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, आज भी जो बजट हमें आबंटित करना चाहिए, वह बजट आबंटित नहीं हो रहा और परिणामस्वरूप दिन प्रतिदिन प्रश्न खड़े होते हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या आबादी की है। आबादी के लिए आज सुबह से लेकर हर नेता ने कहा है कि देश की आबादी बहुत बढ़ रही है। आबादी का सवाल पूरे देश को खोखला बना रहा है, लेकिन बातें सबने कीं, लेकिन सचमुच में कोई उपाय नहीं हो रहा है। कहां गया है कि मीठी तो बात सत्य होती है, कहा गया है, कथनी मीठी खांड सी, करनी वैसी होय, कथनी जैसी करनी करे तो विष से अमृत होय। मीठी बात तो सब ने कही, कोई तो यह कह रहा है कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आबादी को रोकने के लिए हमें क्या क़दम उठाने चाहिए, देश में फैमिली के अन्दर दो या दो से अधिक बच्चे होंगे, उसको यह सुविधा नहीं मिलेगी, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, उससे जुर्माना लिया जायेगा, ये कदम कोई नहीं उठा रहा। हर साल हम चर्चा कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, बढ़ रही है, चार दिन में हम यही कहेंगे, लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूं कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जायेगा और अन्तिम दिन ऐसा कुछ निर्णय लिया जाये कि जो अपने घर के अन्दर बढ़ायेगा, दो से, तीन से ज्यादा बच्चे जो अपने घर में पैदा करेगा, उसके ऊपर यह कदम उठाये जायेंगे, इसके लिए अलग-अलग परिणाम होंगे।

हमारे देश में 1951 में आबादी 361 मिलियन थी, जो बढ़कर 960 मिलियन हो गई है। अपने देश में दुनिया की आबादी की 16 प्रतिशत लोग हमारे देश में हैं। हम आज ऐसी स्थिति में हैं, दूसरे देशों की आज हम प्रशंसा करते हैं कि वे देश कहां पहुंच गये, लेकिन उन देश वालों ने क्या कदम उठाये, वह हमने कभी सोचा? उसके मुताबिक हम कदम नहीं उठा रहे। 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया और 1994 में रिपोर्ट ऑफ दि एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पोपुलेशन पालिसी, जिसके हैड डा. स्वामीनाथन हैं, एक्सपर्ट ग्रुप आया, एक्सपर्ट लोगों ने तो अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन एक्सपर्ट लोग क्या करें, हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे देश में बर्थ रेट टूटी नहीं है, देश में बर्थ रेट बहुत बढ़ गई है और बर्थ को न संभालने के कारण हम देश को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, फिर भी हम बर्थ रेट आज तक रोक नहीं सके। इसका एक ही कारण है, जैसा मैंने पहले बताया कि कथनी और करनी में फर्क है। यहां जो बोलते हो, वह बाहर जाकर करके दिखाओ, यहां जो बोल रहे हो, उसके मुताबिक कदम उठाओ तो इस देश को हम कुछ सुधार सकेंगे। डा. स्वामीनाथन द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें

बताया गया है कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 1981 से लेकर 1991 तक इन चार राज्यों में जो आबादी बढ़ी, वह सारे देश की आबादी वृद्धि में 42 परसेंट इसका है तो हम यहां से देख सकते हैं कि जिन राज्यों के अन्दर आबादी की बर्थ रेट कण्ट्रोल नहीं कर सकते, उस राज्य को ग्राण्ट नहीं दी जायेगी, उस राज्य की कुछ सुविधा काट दी जायेगी, उस राज्य में कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये कदम उठाने पड़ेंगे तभी यह हो सकता है।

तीसरा प्रश्न मेरा कृषि का है। कृषि का सवाल देश का सवाल है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश के अन्दर अनेक पंचवर्षीय योजनाएं अगर ऐसी बनाई गई होतीं कि देश में जितना लोहे का उत्पादन होता है, जितना सीमेण्ट का उत्पादन होता है, उस सब का उपयोग नदी पर बांध बांधने के लिए किया गया होता, उस सब का उपयोग नाले पर पानी रोकने के लिए किया गया होता, उसका उपयोग हर गांव के अन्दर जो तालाब हैं, उनको गहरा बनाने के लिए किया गया होता तो आज पानी के लिए जो लड़ाई हो रही है, नदी के पानी के बंटवारे के लिए लड़ाई हो रही है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, एक दूसरे के हम लोग दुश्मन बन रहे हैं और हर नदी पर बांध बना होता, हर गांव के अन्दर तालाब गहरा बनाया होता तो पानी तो इतना ज्यादा बहता है, लेकिन एक महीने के बाद उसी गांव में पानी की समस्या है। किसानों को पानी नहीं मिलता, किसानों को बिजली नहीं मिलती और परिणामस्वरूप क्या हुआ कि गांव खाली होते गये। गांव खाली होते गये, लोग शहर की ओर आये, शहर में भीड़-भाड़ हो गई। शहर में इतनी भीड़-भाड़ हो गई कि गांव में आने वाले लोग नदी नाले पर रहने लगे, लोग बीमारी से ग्रसित होने लगे। अगर हमने पंचवर्षीय योजना इस तरह की बनाई होती तो गांव होनहार होते। गांव होनहार होते तो वहां खेती होती। कृषि यदि होती तो उसके परिणामस्वरूप गांव के अन्दर रहने वाले गांव छोड़ने के लिए मजबूर न होते। इतना ही नहीं, गांव के रहने वाले, वहां का सुनार, वहां का लुहार, वहां का मोची, वहां का दर्जी अपने गांव में रहते, गांव में उनको उद्योग मिलता। आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरा बड़ा प्रश्न पोपुलेशन का है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग हाथ फैलाकर बोल रहे हैं कि मुझे रोजी दो, मैं परेशान हूं, मैं बेबस हूं। वही युवा आज नौकरी न मिलने के कारण भटक जाते हैं। आज गांवों के अन्दर, देश के अन्दर 60 परसेंट नौकरी गांवों में उपलब्ध है और जो गांव में खेत में काम मिल रहा है, उसमें महिलाओं को काम मिल रहा है, पुरुषों को काम मिल रहा है, साथ में उनके बच्चे भी उसमें मदद करते हैं, उस गांव के प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ध्यान करना चाहिए, वह हम नहीं करते और जो 60 परसेंट रोजगार कृषि देती है, उसकी तरफ से हमने आंख मोड़ी, इसलिए उसका यह कारण हुआ कि लोगों को सस्ते दाम पर भोजन मिल रहा है।

हमारे पास कितनी सारी जमीन है, हम ट्रेन में बैठते हैं तो 10 मिनट खेत आता है, आधा घंटा बंजर जमीन आती है। क्यों बंजर जमीन रखी है, क्यों हम सब बंजर जमीन, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको बांट देते। उससे यह कहा जाये कि तुम्हें खेत में रहना है। वह उसका मालिक ही नहीं होगा, उसको जोतने का अधिकार दिया जाये तो कोई भी व्यक्ति शहर में आने के लिए तैयार नहीं होगा, इस तरह का एक कदम उठाना चाहिए।

अंत में, अनुसूचित जाति के बारे में कहना चाहूंगा। आजादी को 50 साल हो गये, अनुसूचित जाति के बारे में महात्मा गांधी जी का नाम हर आदमी ने लिया। महात्मा गांधी ने सबसे पहला कदम छुआछूत मिटाने के लिए उठाया था। लेकिन आज 50 साल के बाद भी इस देश में क्या छुआछूत कम हुई है? आज भी गांवों में वही हालत है। आज भी गांवों में रहने वाले दलित, पीड़ित, शोषित मंदिर में नहीं जा सकते, आज भी गांव में रहने वाले दलित चारपाई पर नहीं बैठ सकते। आज भी गांव में रहने वाले दलित सिर उठाकर नहीं चल सकते, आज भी शादी करने के लिए घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकते। यहां तक कि हमारे घड़ीसाज थे, उनके गांव में एक केस बना था, पूरा गांव छोड़कर लोग चले गये, दो साल के बाद उनको पालनपुर में जगह देनी पड़ी। आज भी यह स्थिति है तो छुआछूत क्यों नहीं मिट रही है।

रिजर्वेशन के बारे में बात हुई थी कि रिजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए। रिजर्वेशन छुआछूत के कारण, स्वाभिमान के कारण दिया गया था। आज कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो उसे नौकरी नहीं मिलती। आज 50 साल हो गये, आज भी बैकलॉग पूरा नहीं हुआ। एस.सी. और एस.टी. के लिए बैकलॉग कभी पूरा नहीं हुआ और यहां पर रिजर्वेशन निकालने की बात हो रही है, क्रीमीलेयर की बात हो रही है। दो प्रतिशत लोग एम.पी. बन गये, एम.एल.ए. बन गये, कोई पंचायत का हैड बन गया तो अनुसूचित जाति के लोग आगे बढ़ गये? अभी भी उनको पूरा हक नहीं मिला, हक मिलने से पहले ही छीनने की बात हो रही है। अनारक्षण आन्दोलन हो रहा है, कहीं-कहीं उसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, आफिसों में लड़ाई हो रही है। यह प्रमोशन में रोका गया था, ठीक है, पार्लियामेंट ने सुधार करके प्रमोशन के अन्दर रिजर्वेशन का हमने सुधार कर दिया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि देश के दलित, देश के पीड़ित, इस देश के शोषित इस देश से कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने देश से मुंह नहीं मोड़ा, वे देश के साथ जुड़े रहे। देश के दलितों को बौद्ध धर्म अंगीकार करने के लिए उन्होंने आह्वान किया, न कि मुस्लिम धर्म अंगीकार करने के लिए, न कि क्रिश्चियन धर्म अंगीकार करने के लिए और इसी आह्वान के कारण आज देश के अन्दर पिछड़े हुए लोग हैं, जो इस देश के साथ जीना चाहते हैं, देश के साथ मरना चाहते हैं, देश की आबादी से कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, लेकिन आज तक भी उनके प्रश्न हल नहीं हुए हैं।

मैंने आगे अभी कहा, बुनकरों की बात आई। जो कपड़ा बुनने वाले थे वे आज कपड़ा नहीं बुन रहे हैं। आज बड़े-बड़े मिल-मालिक कपड़ा बुन रहे हैं। देश के अंदर चमार जो बूट बनाते थे, उनका धंधा बाटा ने ले लिया है। ये लोग कहां जायेंगे? आपको इनके उद्योगों को सुरक्षित रखना पड़ेगा और उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। कभी-कभी दलित लोग गरम बातें कह देते हैं। दलितों में रोष है। वे कहते हैं कि मांगने से नहीं मिला तो ताकत से हथियाओ, आंख के आंसू से पत्थर न पिघलने वाले हैं तुम लोहा बनकर टकराओ। इस देश के पीड़ित, दलित, शोषित किसी के साथ लोहा बनकर न टकराएं, बल्कि भाईचारे से, प्रेम से, आत्मीयता से, इस देश के साथ कदम मिलाना चाहते हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड): अध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता की पचासवीं वर्षगांठ संसद के इस ऐतिहासिक सत्र में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके सुझाव के अनुसार मैं एक ही विषय पर सीमित रहूंगा और यह विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। मैं अनेक विषयों पर बोलना चाहता था लेकिन समय बहुत कम है। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

हम अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर महानतम हस्तियों और शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता प्राप्त की। यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि हमने अपनी स्वतंत्रता क्यों खोई। हमने अधीनता क्यों स्वीकार की। इतनी अधिक जनशक्ति और वीर योद्धाओं के रहते हम मुट्ठीभर आक्रमणकारियों से क्यों हार गए?

रात्रि 12.16 बजे

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन* हुए]

महोदय मुझे दो कारण दिखाई पड़ते हैं। एक कारण है मिली जुली भारत आर्य संस्कृति की सामाजिकता जिसने हमारी संस्कृति को न केवल चार वर्षों में विभाजित किया बल्कि 5000 से भी अधिक जातियों और उपजातियों में विभाजित कर दिया। इससे देश विभाजित हो गया। भारत ने कभी भी संयुक्त होकर कोई लड़ाई नहीं लड़ी और इससे इसे हरा पाना संभव हो गया। दूसरा कारण था आक्रमणकारियों की बेहतर प्रौद्योगिकी। सैन्य शक्ति को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका जो तब थी वही अब भी है। हमारे लोगों में पराक्रम की कमी नहीं थी जिनके कारण हमारी हार हुई हो और हम दास बने। लेकिन फिर भी इस देश में जहां अनेक बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए, जिनकी विज्ञान और गणित में महान परम्पराएं हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्यों पिछड़ा रहा। महोदय, मैं पुन: कहूंगा पिछले 2000 वर्षों की सामाजिकता इसके लिए उत्तरदायी है। हमारी सामाजिकता जिसके कारण ज्ञान और हमारी सीख केवल कुछ तक ही सीमित रह गई, इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ खोजें जो की गईं, वह लिखित रूप में नहीं हैं क्योंकि वे उन लोगों द्वारा देखी गईं जिन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं था। इसी परम्परा को विदेशी शासकों द्वारा भी जारी रखा गया। यह देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी कि स्वतंत्रता के समय इस देश की 330 मिलियन आबादी में साक्षर लोगों की आबादी केवल 18 प्रतिशत थी और इसमें महिलाओं की संख्या 8 प्रतिशत से भी कम थी।

इसलिए जब हम अपनी उपलब्धियों पर विचार करते हैं तब यह याद रखना आवश्यक है कि हमने कहां से अपनी यात्रा आरम्भ की है और इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए। वास्तव में हमारी उपलब्धियां किसी भी प्रकार कम नहीं हैं। किसी भी देश ने अपनी विकास यात्रा इस प्रकार की विकृत सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न गंभीर बाधाओं के साथ शुरू नहीं की।

नेहरूजी देश को रुढ़िवादिता और भाग्यवादिता से मुक्त कर लोगों में वैज्ञानिक सोच लाना चाहते थे। लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा के अभाव में हम वैज्ञानिक सोच की बात कैसे कर सकते हैं। यह संभव नहीं है।

आज हमें महत्वपूर्ण कार्यों और ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़े रह जाने का खतरा है क्योंकि ज्ञान के क्षेत्रों में नए तरीकों का बहुत अधिक केन्द्रीयकरण हो गया है और वे कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए हैं। ये कुछ देशों का एकाधिकार बन गए हैं, उन्हें इतिहास में उचित समय पर मानव विकास के लिए कदम उठाने की समझ रही है। यूरोप, अमरीका, जापान और हाल ही में दक्षिण कोरिया और ताइवान इसके उदाहरण हैं।

इसलिए उपलब्धियों की बात करते समय हमारी प्राकृतिक शक्ति का विश्लेषण करने और हमारी कमजोरियों को दूर करने की भी आवश्यकता है ताकि अगले 10 से 15 वर्षों के लिए कार्यसूची तैयार की जा सके।

अर्थव्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य और अंतत: लोगों के बेहतर रहन-सहन के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को बहुत अधिक आंका नहीं जा सका। हमारी विज्ञान नीति बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सी उपयोगी बातें हैं लेकिन विज्ञान के लिए निधियों की आवश्यकता रहती है। निधियों की आज क्या स्थिति है? हम अपने सकल घरेलू उत्पादन की एक प्रतिशत से भी कम राशि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर खर्च करते हैं। यह लगभग 1.5 बिलियन डालर है। यदि चीन को लें, तो वह अपने सकल घरेलू उत्पादन के डेढ़ प्रतिशत से भी अधिक राशि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। दक्षिण कोरिया दो प्रतिशत खर्च करता है और अमरीका और जापान जैसे देश लगभग अपने अच्छे सकल घरेलू उत्पादन का लगभग तीन प्रतिशत विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर खर्च करते हैं।

एक और गलतफहमी है जिसे दूर किये जाने की आवश्यकता है। भारत के बारे में हम कहते हैं कि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। हमारे यहां अत्यधिक संख्या में इंजीनियर और वैज्ञानिक मौजूद हैं। लेकिन इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और डाक्टरों की आवश्यकता देश की जनता की सेवा के लिए होती है। प्रश्न यह है कि क्या वे भारत की जनसंख्या के लिए पर्याप्त हैं। प्रति दस लाख लोगों पर भारत में करीब 150 इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। लेकिन जब आप इसकी तुलना दक्षिण कोरिया और जापान से करेंगे तो देखेंगे कि जापान में दस लाख लोगों पर 1500 इंजीनियर हैं जो कि भारत से दस गुणा हैं तथा जापान में प्रति दस लाख लोगों पर भारत की तुलना में तीस गुणा वैज्ञानिक हैं। इसलिए, जब भी हम संख्या की बातें करते हैं तो हमें इसे सही परिदृश्य में देखना चाहिए। हमें अपने देश के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण में सुधार किये जाने की आवश्यकता है तथा अपनी जनशक्ति की योग्यता में भी सुधार किये

जाने की आवश्यकता है। जब तक हमारे पास कुशल तकनीक वाले व्यक्ति नहीं होंगे तब तक हम विश्व में स्पर्धा नहीं कर सकते हैं।

जब हम देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बातें करते हैं तो हमें सरकार और वैज्ञानिक संगठनों के बीच तालमेल के बारे में भी विचार करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, इस देश में प्रधान मंत्री द्वारा समर्थन दिए जाने के आधार पर ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने प्रगति की है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक अच्छे भारत का स्वप्न देखा था। उन्होंने देश में वैज्ञानिक परम्पराओं की नींव डाली। स्वतंत्रता के पश्चात् पंडित नेहरू ने महान वैज्ञानिकों और संस्था के निर्माताओं को प्रोत्साहित किया। एक अच्छे भारत का स्वप्न लिए पूरी राजनीतिक शक्ति के साथ संस्थाओं का निर्माण किया गया। लेकिन आज के वे संस्था निर्मातक कहां हैं? हमारे यहां डा. सी.वी. रमन थे। तदुपरान्त, वे महान वैज्ञानिक कहां गए?

यह दुर्भाग्य की बात है कि आज वे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित महान लोग यूरोप तथा अमेरिका में कार्यरत हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम यहां उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। मैं लोगों का विदेश जाने का विरोध नहीं कर रहा हूं। वे ऐसा करके विश्वीय ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। हमें उन लोगों को यहां लाने के लिए आकर्षित करना चाहिए लेकिन आज इंटरनेट के युग में उनकी शारीरिक उपस्थिति के बिना भी सहयोग संभव हैं। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े अनिवासी भारतीय समुदाय को इन में सार्थक ढंग से शामिल करना होगा।

मैं प्रधान मंत्री के संरक्षण की बात कर रहा था। पंडित नेहरू के उपरान्त आने वाले प्रधान मंत्रियों ने विज्ञान को काफी बढ़ावा दिया लेकिन हाल में यह देखा गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मिलने वाले राजनीतिक समर्थन में कमी आई है। विज्ञान को संस्थागत बनाया जाना चाहिए। इसे एक राष्ट्रीय विचारों का संग्रह बनाना चाहिए जो कि राष्ट्र को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। प्रधान मंत्री को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे संगठनों का औपचारिक प्रमुख नहीं बनाया जाना चाहिए। शासन की बढ़ती जटिलताओं, के परिणामस्वरूप प्रधान मंत्री के पास बहुत कम समय होता है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में विज्ञान की प्रगति रुकी रहेगी? अब समय आ गया है कि वैज्ञानिक विभागों हेतु संसद में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त प्रभार वाले मंत्री के स्थान पर अलग से एक कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह वैज्ञानिकों के उम्र से ताल्लुक रखती है। वैज्ञानिकों की औसत आयु में बढ़ोत्तरी हो रही है। आज नवयुवक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में नहीं आ रहे हैं। लोग विदेशों को जा रहे हैं। साथ ही हमारे कतिपय वैज्ञानिक विभागों, जैसे इलेक्ट्रानिक्स और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत को भी नौकरशाही से खतरा उत्पन्न हो गया है। इनकी शुरूआत वैज्ञानिक विभागों के रूप में की गई थी। उनके प्रमुख भी वैज्ञानिक हुआ करते थे। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग इन विभागों पर अपना कब्जा जमा रहे हैं।

सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विश्वविद्यालयों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिकारियों को इन तीनों प्रणालियों का अनुभव प्राप्त करने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्हें एक ही जगह नहीं रहने दिया जाना चाहिए। अमेरिका में वैज्ञानिक पथप्रदर्शन विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त होता है। बुनियादी विज्ञानों में भी सुधार किये जाने की आवश्यकता है। आज विज्ञान या गणित को कोई नहीं स्वीकार कर रहा है। आज हर व्यक्ति व्यापार वित्त और विपणन जैसे मोटी तनख्वाह वाले रोजगारों के पीछे भाग रहे हैं। आज गणित पढ़ाने या परमाणु अनुसंधान करने की तुलना में टूथपेस्ट और साबुन बेचना ज्यादा आकर्षक माना जाता है। इस प्रवृत्ति में बदलाव लाए जाने की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित उच्च शिक्षा को कम खर्च पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति और शिक्षा हेतु बैंक से ऋण की सुविधा शुरू की जानी चाहिए। शिक्षा संबंधी ऋण विद्यार्थियों को अधिकार के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए और ये धन विद्यार्थियों से तब वसूल किया जाना चाहिए जब उन्हें रोजगार प्राप्त हो जाये।

मेरा दूसरा मुद्दा रक्षा अनुसंधान से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आधुनिक सूचना के युद्ध में मोर्चे पर तैनात सेना या देश का अधिक क्षेत्रफल होना महत्वपूर्ण नहीं होता अपितु सैन्य बलों की वैज्ञानिक पकड़, हथियार, संचार और रडार प्रणालियों के बारे में सूचना और ज्ञान आवश्यक है। यद्यपि प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम और रासायनिक युद्ध प्रौद्योगिकी में व्यापक सफलता मिली है तथापि अनेक प्रमुख रक्षा विकास परियोजनाओं में काफी विलम्ब हुआ है। कार्यावधि में तीन या चार गुणा विलम्ब होना आम बात है। इस विलम्ब के फलस्वरूप कीमतों में होने वाली वृद्धि की बात मैं नहीं करना चाहता। जब तक यह प्रणाली रक्षा सेवा में शामिल किए जाने हेतु तैयार होती है तब तक यह पुरानी हो चुकी होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास हैं। यह हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं की कमी या जन की कमी के फलस्वरूप नहीं होता अपितु इन अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में अच्छे प्रबन्धनों के अभाव में होता है। गोपनीयता की आड़ में इन परियोजनाओं की असफलतायें भी छिपी रहती हैं। विदेशों से रक्षा कलपुर्जों की खरीद से हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसके लिए हमने भारत के निजी क्षेत्रों को इससे अलग रखा है। यह सर्वविदित है कि विज्ञान में पश्चिमी देशों की श्रेष्ठता, रक्षा और अन्तरिक्ष में उनकी उपलब्धियां हैं जिसके लिए धन मुख्यत: निजी क्षेत्रों और विश्वविद्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी।

रक्षा अनुसंधान में असैनिक निगरानी और बेहतर निगरानी किये जाने तथा अनावश्यक गोपनीयता को कम किये जाने की अविलम्ब आवश्यकता है। बेहतर जवाबदेही के लिए हमें अपने आयुद्ध निर्माणियों को सरकारी कम्पनियों में बदल देना चाहिए। यदि रक्षा संबंधी सरकारी उपक्रमों द्वारा मिग और मिराज, पन्डुब्बी और प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किया जा सकता है तो खाद्य, वर्दी, पैरासुट और छोटे-छोटे हथियारों का निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता है? अमेरिकी रक्षा अनुसंधान एजेंसी, ए.आर.पी.ए. का असैनिक निगरानी का एक सफल इतिहास है। इसका बजट 30 बिलियन डालर का है जिसे मात्र 200 लोगों द्वारा चलाया जाता है।

अब मैं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करूंगा। कम्प्यूटर सौफ्टवेयर में हमारी क्षमता जगजाहिर है लेकिन हम अभी भी उत्पाद का निर्माण सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं। हम सूचना युग में हैं। आज लोग राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना और विश्व सूचना अवसंरचना की बात

कर रहे हैं। वे इंफोबैहन्स और इंफोर्मेशन सुपर हाइवेज का निर्माण कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी में विकास की गति इतनी तीव्र है कि वह राजनीतिक निर्णय लेने की गति को भी पीछे छोड़ रही है। न केवल प्रत्येक विश्वविद्यालय अपितु प्रत्येक महाविद्यालय और उच्च विद्यालय को कम कीमत पर इस सूचना हाइवेज से जोड़ा जाना चाहिए। विश्व विद्यालयों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को भी कम कीमत पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। हमें एक ऐसी योजना शुरू करनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक महाविद्यालय के प्राध्यापक, प्रोफेसर और विद्यार्थी कम्प्यूटर के ज्ञाता बन सकें और जिनके घर में इंटरनेट की सुविधा युक्त रियायती दामों पर कम्प्यूटर उपलब्ध हो सकें।

महोदय जैव-प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमने निस्संदेह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति की है। लेकिन इस क्षेत्र में अपनी सक्षमता को बरकरार रखने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। वास्तविकता यही है कि जब तक हम 100 प्रतिशत साक्षरता को प्राप्त नहीं कर लेते तथा अति शीघ्र अनपढ़ता को दूर नहीं कर लेते तब तक हम में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न नहीं हो सकती और तब तक हम अच्छी वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली को नहीं अपना सकते। इस सत्र की समाप्ति के पूर्व सभा को एक संकल्प पारित कर यह घोषणा करनी चाहिए कि इस शताब्दी के अंत तक हम अनपढ़ता को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसा करके ही हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव मजबूत कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बृज भूषण तिवारी

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज): सभापति महोदय, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है, उस पर तीन दिनों से इस सदन में चर्चा चल रही है और आज भी आधी रात हो गई है, चर्चा जारी है। इस चर्चा में काफी विद्वान और अनुभवी लोगों ने हिस्सा लिया, परन्तु कुल मिलाकर आज जो सबसे बड़ी समस्या नजर आती है वह यह है कि आखिर रास्ता क्या है। हम भटक गए हैं। यह भी सही है कि हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, परन्तु उन उपलब्धियों की हमें इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है और आज जो समस्याएं हैं वे वैसी की वैसी हैं जो आजादी मिलने के समय थीं।

सभापति महोदय, इस समय गांधी जी का भी बड़ा नाम लिया गया। मैं सदन को केवल यही याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने कहा था कि आप मार्ग देखिए, किताब मत पढ़िए। अब जो बड़े विद्वान लोग हैं, जो बड़े तर्क देने वाले लोग हैं, जो बड़े आंकड़े इकट्ठे करने वाले लोग हैं, वे इस बात को नहीं समझते हैं। जो गांधी जी की बुद्धि सहजता से सरलता से देश की समस्या को समझने की थी, वह आदरणीय पं. जवाहर लाल नेहरू जी की, सरदार वल्लभभाई पटेल की और उस समय के नेताओं की नहीं थी। राजनीतिक आजादी के बारे में जितना आग्रह उनका था, उतना आर्थिक या मानसिक आजादी के बारे में नहीं था। जितनी गहरी समझ गांधी जी की इनके बारे में थी, बाकी नेताओं की नहीं थी। उसी का नतीजा है कि आज हम रो रहे हैं।

सभापति महोदय, आज हम रो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण। जिस प्रकार की आज टैक्नालोजी आ रही है, उस टैक्नालोजी के जो दुष्परिणाम हो रहे हैं। गांधी जी ने इसके प्रति आगाह किया था। तब गांधी जी ने कहा था कि मार्ग देखिए, तो उसका यही मतलब था कि केवल चर्खे की बात नहीं है। चर्खे के आधुनिकीकरण की बात होनी चाहिए थी। अपनी आवश्यकता, जनशक्ति, पूंजी और साधन को दृष्टि में रखकर हमें अपनी तकनीकी का, अपनी व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने भी इस बात को कहा और लोहिया जी ने भी इस बात को कहा।

सभापति महोदय, लोहिया जी ने सबसे पहले छोटी मशीनों की बात कही थी। चाहे पूंजीवाद हो या साम्यवाद हो, दोनों का जो उत्पादन का जरिया है, जो मोड आफ प्रोडक्शन है, वह एक है। बड़ी मशीनें बहुतायत में, बहुलता में उत्पादन करती हैं और यह माना गया कि उससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी होंगी। सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। परन्तु हमने आज जो विकास का ढांचा स्वीकार किया है, उसके जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, उसके कारण गरीबी बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है।

सभापति महोदय, हमारे समाज में गरीबी और विषमता बढ़ने के साथ ही साथ डील्यूमिनाइजेशन हो रहा है। संवेदनशीलता खत्म हो रही है। कहा जाता था कि गांधी जी योद्धा थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, परन्तु उन्होंने पूरे देश को खड़ा कर दिया। देश को खड़ा कैसे किया। देश को खड़ा किया उसकी भाषा से। आज भाषा के बारे में बहुत कम चर्चा है। यह कम त्रासदी की बात नहीं है कि आजादी के 50 साल के बाद भी हम इतने दुर्भाग्यपूर्ण और अभागे हैं कि आज हम अपनी कोई भाषा नहीं बना पाए। आज भाषा के प्रति हमारा जो स्वाभिमान होना चाहिए वह स्वाभिमान आज हम नहीं जगा पाए हैं। गांधी जी ने भाषा का इस्तेमाल किया था। गांधी जी ने भाषा का महत्व देश को जोड़ने के लिए बताया था, देश को तोड़ने के लिए नहीं और वे बराबर अंग्रेजी के बारे में कहते थे कि यदि मुल्क को आजाद होना है, तो इस देश से अंग्रेजी को जाना पड़ेगा। इस बारे में उनको कोई दुविधा नहीं थी। देश में अंग्रेजी की पढ़ाई की पद्धति को बदलना होगा। अंग्रेजी को जो मजबूती दी गई है उसने हमारे चिन्तन को प्रभावित किया और वही मानसिकता हमारी योजनाओं की प्रणेता बनी है। आज पूरे सदन में बहस हो रही है। सभी लोग यह मानते हैं कि यह जो

अर्थव्यवस्था है, नई अर्थनीति है, उससे कोई सार्थक नतीजा निकलने वाला नहीं है। इस बात को सारे लोग मानते हैं।

सभापति महोदय, मगर जो देश को चलाने वाले लोग हैं, वे यही बुद्धिजीवी लोग हैं। हमने चीन की बात कही, हमने जापान की बात कही। मगर चीन में, जापान में क्या हुआ। चीन के लोगों ने माओत्सेतुंग को माना। हमने गांधी जी को माना। परन्तु चीन और हम में यह फर्क है कि वहां का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो पढ़ा-लिखा वर्ग था, उसने माओ की इस बात को माना कि हमें अपने जीवन में सादगी रखनी है। हमें विलासी जीवन नहीं बिताना है। आधुनिक उपभोक्तावाद से अलग रहना है। उसका नतीजा यह हुआ कि सादगी से रहते हुए चीन ने सबसे ज्यादा बचत की। चीन की जो सेविंग थी वह सबसे अधिक थी। हमारे यहां गांधी जी ने भी इस बात को कहा था, मगर हमारे यहां के बुद्धिजीवी इस बात को नहीं समझ सके। वे यह मानते हैं कि जब तक हम पश्चिमी नकल नहीं करेंगे, जब तक हम बहुत अच्छे तरीके से आधुनिक उपभोग के साधन नहीं जुटाएंगे, तब तक हमारा जीवन ऊंचा नहीं होगा, तब तक हम आधुनिक नहीं कहे जाएंगे। यह चीन, जापान और हिन्दुस्तान में फर्क है।

सभापति महोदय, इसका एक कारण यह भी है कि चीन और जापान बहुत कम समय तक गुलाम रहा। जो देश कम समय तक गुलाम रहते हैं, वे केवल राजनीतिक आजादी खोते हैं। जो ज्यादा समय तक गुलाम रहते हैं, वे देश मानसिक दास्ता के शिकार हो जाते हैं और आज हम मानसिक दास्ता के शिकार हो गए हैं। इसलिए हमने भाषा के बारे में कोई संकल्प नहीं किया। भाषा का संबंध हमारी रोजी से है। भाषा का संबंध हमारे विकास से है। भाषा का संबंध हमारी राष्ट्रीयता से है।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ जो नियोजन की पद्धति है, उसको भी बदलना पड़ेगा। आज जो विकास है यह विकास रोजगार हनन का विकास है। यह विकास मूक विकास है। यह विकास निष्ठुर विकास है। मानवीय रिपोर्ट 1996 ने चेतावनी दी है कि पिछले 30 वर्षों का आर्थिक विकास और मानवीय विकास का रिकार्ड यह स्पष्ट करता है कि कोई भी देश लंबे समय के लिए उदार विकास का मार्ग नहीं अपना सकता। आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य हैं। अभी तक तो यह माना जाता था कि अगर आर्थिक विकास होगा, तो मानवीय विकास अपने आप होगा, परन्तु अपने देश में जैसे केरल है। तमिलनाडु है या जैसे दूसरे और भी कई सूबे हैं, जहां पर मानवीय विकास तो बहुत हुआ, निरक्षरता के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, परन्तु दूसरी तरफ हरियाणा है, पंजाब है जहां पर आर्थिक विकास बहुत हुआ, लेकिन मानवीय विकास में बहुत पीछे रह गए। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जैसे पिछड़े इलाके निम्न आर्थिक एवं निम्न मानव विकास के दुष्चक्र में फंस गए हैं। इसलिए हमें इसको तोड़ना है। यह कैसे टूटेगा। इसके लिए आवश्यक है कि विशेष रूप से अपने बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा रुपया देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, अपने बजट में ज्यादा रुपया देने के साथ-साथ हमारी जो शिक्षा है, उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। जो हमारी शिक्षा है, वह शेषनाग की तरह है जिसके ऊपर हमारी सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। उस शिक्षा को भी बदलना है। जब तक साक्षरता नहीं बढ़ेगी, तब तक न तो उत्पादकता बढ़ेगी और मृत्यु दर घटेगी। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि पूर्ण रोजगार के प्रति हमें अपनी वचनबद्धता प्रकट करनी होगी। सामाजिक विकास के साथ अधिक जनसहयोग को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी विनियोग करना होगा ताकि एक बेहतर श्रम शक्ति द्वारा उत्पादिता बढ़ सके और उत्पादकता बढ़ सके जिसके परिणामस्वरूप विकास के लाभों में श्रम को बेहतर लाभ मिल सके। अगर हम यह करें, तो सचमुच हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। एक अंधेरी गली से हम एक नए युग में नए संकल्प के साथ प्रवेश कर सकते हैं और देश का नेतृत्व कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

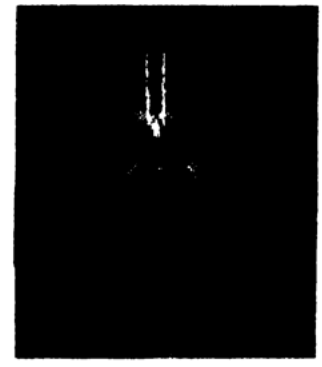

डा. राम विलास वेदांती

डा. राम विलास वेदांती (मछली शहर): सभापति महोदय, आजादी की स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर आज इस सदन में बोलने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आजादी के पचास वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस आजाद देश के लोगों ने पचास वर्षों में क्या पाया और क्या खोया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब यह देश आजाद हुआ था उसके पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि जब देश आजाद होगा तो आजादी के बाद इस देश को रामराज्य दिया जाएगा। लेकिन आजादी के पचास वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी महात्मा गांधी के सपनों को साकार नहीं किया गया।

आज इस देश के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आजादी के पचास वर्ष बाद हम आजाद हुए हैं। लेकिन जब देश की स्थिति को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि आजादी के पचास वर्ष बाद भी परतंत्रता बढ़ती जा रही है और आजादी घटती जा रही है। जब देश आजाद हुआ था तो देश में मानव की आबादी 35 करोड़ थी और पशुधन 20 करोड़ था। लेकिन आजादी के पचास वर्ष बाद इस देश में मानव की संख्या बढ़कर 96 करोड़ हो गई और पशुधन 20 करोड़ से आठ करोड़ तक पहुंच गया। आज इस देश के अंदर पांच हजार पशुधन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। जिसका परिणाम यह है कि आज विश्व में सबसे अधिक मांस इस देश से सप्लाई किया जाता है। जबकि हमारे देश के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। जब से टेक्नोलॉजी आई, विज्ञान का विकास हुआ, बहुत अच्छा हुआ। विज्ञान के द्वारा हम प्रगति की ओर गए और आगे बढ़े। हमारे देश का

विकास हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन आज ट्रैक्टर बढ़ गए, खेती का उत्पादन भी बढ़ा, लेकिन उत्पादन के साथ देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी। आज देश के अंदर जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि समाज को इस देश ने कई भागों में बांटा है।

आजादी के पचास साल बाद हमने सोचा था कि देश के सभी लोग एक होंगे। इस आजाद देश में सभी वर्गों के लिए समान कानून होगा। देश के सभी लोगों के लिए समान नियम होंगे, समान धाराएं होंगी। लेकिन आश्चर्य है विश्व का कोई ऐसा देश नहीं होगा जिस देश के लोगों के लिए अलग-अलग कानून बने हुए हों। हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए अलग-अलग कानून हैं। यहां तक कि प्रांतों में भी अलग-अलग कानून हैं। कश्मीर का कानून अलग है, नागालैंड का कानून अलग है और केरल का कानून अलग है। ये विचारधाराएं जो भिन्न-भिन्न प्रकार की बांटी गई इससे देश के लोग जुड़े नहीं, बंटे हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है इस आजादी के पचास वर्ष बाद हम शिक्षा नीति में भी पीछे हैं। हमारी शैक्षणिक योग्यता बढ़ी नहीं है, घटी है। शिक्षा का जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हुआ। आपको आश्चर्य होना चाहिए कि योग्यता के आधार पर देश के लोगों को उचित स्थान मिले, लेकिन आज इस देश के अंदर योग्यता का कोई मूल्य नहीं है। आज योग्यता का गला घोटा जा रहा है। आज पढ़े-लिखे इंजीनियर, वैज्ञानिकों को नौकरी नहीं मिलती। वे बेचारे विदेश जाते हैं और पैसा कमाते हैं।

हमारे देश के अंदर आरक्षण की नीति लागू हुई। उसकी सीमा भी बढ़ाई गई। सीमा बढ़ने के बाद देश के अंदर स्थिति यह हो गई है कि हर वर्ग चाहता है कि हम आरक्षण के आधार पर आगे बढ़ें। आरक्षण का दायरा इतना फैला कि सारे देश को इसमें बंद कर दिया गया। आरक्षण की आग में हजारों युवक-युवतियां जल कर मर गईं। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के लोगों ने इस संसद में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जिसके द्वारा योग्यता का सही मूल्य मिल सके।

आज देश की जो स्थिति है वह वर्गवार, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच-नीच में बांटने का कुचक्र रचने की है। आजादी के बाद महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक मानव को एक किया जाएगा, एक सूत्र में बांधा जाएगा, यह हमने सोचा था। लेकिन लोग बंधे नहीं, बंटते गए और बंटते-बंटते इतने दूर हो गए कि आज इस देश के अंदर एक भाई दूसरे का गला काट रहा है। आज गांवों में आपस में लड़ाई हो रही है। एक घर में जाने के लिए चार दरवाजे खोले जा रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि गांव-गांव में और शहर-शहर में लड़ाई हो रही है। आजादी के पचास साल के बाद क्या मिला, मुझे यह मिला कि देश में आपस में लोग बंट गए, कट गए। आज देश के अंदर यदि समान कानून होता, हर मानव के लिए, जो यहां पैदा हुआ है, सब एक समान रहते, जैसे अमेरिका में, चीन में और रूस में एक समान कानून है तो यह देश कभी नहीं बंटता। किसी देश का कोई एक नियम होता है, किसी देश की एक पद्धति होती है, आचार संहिता होती है। लेकिन हमारी कोई आचार संहिता नहीं है। उसको कई भागों में बांट दिया गया है। वैसे ही इस देश का मानव भी कई भागों में बंटा हुआ है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि आज देश के अंदर गली-गली में युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, एक भयानक विभीषिका वर्ग संघर्ष की पैदा हो रही है। इसलिए आजादी के पचास साल के बाद जो चर्चा करने के लिए आप सब लोग इस सदन में बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि देश के लोगों को एक साथ बैठने का कानून होना चाहिए। देश के लोग एक साथ चल सकें, बैठ सकें, सबको समान अधिकार, सबको समान कानून मिले, चाहे कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, लेकिन वह नहीं हो रहा है।

मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के पचास साल के बाद हमारी शिक्षा की जो पद्धति है, वह कहां चली गई। जब देश आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद अंग्रेजी हटा दी जाएगी। राष्ट्रभाषा हिन्दी को सम्मान दिया जाएगा। आजादी के बाद इस संसद में या राष्ट्रपति भवन में अंग्रेजी के जो भी शब्द लिखे गए थे, वे हटा दिए गए। इसमें डा. राजेन्द्र प्रसाद जी का बड़ा योगदान रहा। इसी संसद में यह प्रस्ताव पास हुआ था और आपने ही देखा होगा कि राष्ट्रपति भवन में संस्कृत के श्लोक लिखे हैं। आपकी संसद में जहां भी देखो, जिस कक्ष में देखो वहां संस्कृत में उद्गार दिए गए हैं। लेकिन आश्चर्य है संस्कृत को त्रिभाषा फार्मूला से बाहर कर दिया गया। संस्कृत को यह कहकर मृत भाषा घोषित कर दिया गया कि इसके द्वारा देश का उद्धार नहीं हो सकता। क्या इस देश का अंग्रेजी से ही उद्धार हो सकता है? मुझे आश्चर्य होता है जब मैं रेलवे कमेटी की बैठक में जाता हूं। कमेटी हाल में लिखा रहता है हिन्दी का प्रयोग करें। लेकिन वहां बैठने वाले लोग केवल अंग्रेजी में बोलते हैं। यह अंग्रेजियत इस देश को गुलाम बना गई, खा गई। आजादी के पचास साल बाद हम सोचें कि हमें क्या मिला। आजादी के पचास साल बाद जब भारत में शिशु पैदा होता है तो उसके ऊपर आठ हजार रुपये ऋण लद जाता है। आज देश के अंदर जो भी व्यक्ति है, उसके ऊपर आठ हजार रुपये का ऋण लदा हुआ है। आजादी के बाद देश को कर्जा मिला और क्या मिला, देश को यह बर्बादी मिली। आज सारा देश इस स्थिति पर सोच रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस भीषण परिस्थिति को समाप्त करने के लिए आप सबको आगे आना होगा, समाज को जोड़ना होगा।

वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा की जो स्थिति है वह लगातार बिगड़ती जा रही है। शिक्षा की जो स्थिति हमारे देश में है वह विश्व में शायद ही कहीं और होगी। आज 40 प्रतिशत छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी किये बिना ही बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद विभिन्न राज्यों में जो शहरी अथवा ग्रामीण पद्धति चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य वर्गों के बीच जो स्थितियां हैं, काफी अस्पष्ट हैं।

जहां पर साक्षरों की संख्या सन् 1951 में 52 मिलियन से बढ़कर 1991 में 350 मिलियन हो गयी। बाद में निरक्षरों की संख्या 197

मिलियन तक पहुंच गयी। प्राथमिक स्कूलों में 10 करोड़ 50 लाख बच्चों में से 3 करोड़ 5 लाख बच्चे स्कूल जाने से वंचित है। उनके लिए भवन नहीं हैं। बरसात के समय में प्राथमिक पाठशालाओं के अंदर बच्चे बरसात में छत गिरने से मर जाते हैं। उनके लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इस बात पर सदन विचार करे और निर्णय दे कि समाज को किस बात की आवश्यकता है। आज समाज में नौजवान बेरोजगारी की अवस्था में घूम रहा है। नौजवान पढ़ने-लिखने के बाद भी भटकते रहते हैं। ऐसी भीषण परिस्थिति में आजादी के 50 सालों के बाद भी हमें मिला कम है और हमने खोया ज्यादा है। हमने अपनी संस्कृति और संस्कारों को ज्यादा खोया है। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री आर. ज्ञानगुरुस्वामी

[अनुवाद]

श्री आर. ज्ञानगुरुस्वामी (पेरियाकुलम): सभापति महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमें स्वतंत्रता मिले हुए पचास वर्ष हो गए हैं। इन 50 वर्षों में, भारत ने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। भारत में लोकतंत्र निरंतर मजबूत हुआ है जबकि हमारे देश के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले कई देशों में तानाशाही स्थापित हुई तथा अन्य कुछ देश धार्मिक राज्य बन गए हैं ....कुछ देशों में मार्शल लॉ लागू है। (धन्यवाद)

सभापति महोदय: कृपया शांत रहिए।

श्री आर. ज्ञानगुरुस्वामी: भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र कायम है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां मतपत्र ही राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करता है। इतना ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी उद्योगों का विकास हुआ है, कृषि का विकास हुआ है। हमने अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विकास हुआ है और अवसंरचना के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। इन सभी विकासों के साथ क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि हम एक आजाद देश में रह रहे हैं, कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं? नहीं। हमारे देश की आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। वे गरीबी में जी रहे हैं और उनकी अवस्था काफी दयनीय है। देश में अभी भी आर्थिक गुलामी है। सामाजिक गुलामी और राजनैतिक गुलामी है। धनी और निर्धन लोगों के बीच की खाई काफी चौड़ी होती जा रही है। काम करने वाले लोगों को उचित भुगतान नहीं किया जाता जिससे कम से कम उनके घर चुल्हा जलता रहे। अभी भी शोषण जारी है। अभी भी शोषक और शोषित हैं। भारत के कई भागों में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां छुआछूत जारी है। तमिलनाडु अपवाद हो सकता है। परन्तु भारत के कई भागों में छुआछूत अभी भी है। बहुत सारे ऐसे गांव है जहां ''दलितों'' को अंदर नहीं आने दिया जाता। अभी भी सामाजिक गुलामी है। भारत में राजनैतिक गुलामी है। भारतीय राजनीति में धन शक्ति और समृद्ध लोगों का दबदबा है। उद्योगपति और प्रभावशाली लोग राजनैतिक दलों को वित्त पोषित कर रहे हैं। वे अपनी पसंद की सरकार बना रहे हैं। वे सरकार के सामने शर्तें रख रहे हैं। वे अपरोक्ष रूप से देश का शासन चला रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं? नहीं, हम स्वतंत्र राष्ट्र में नहीं रह रहे हैं। मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को कही गई इस बात को याद करता हूं कि ''प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पोंछना राष्ट्र का कर्त्तव्य है।''

जब तक हम प्रत्येक भूखे को खाना नहीं खिलाते हैं, जब तक हम प्रत्येक को रहने के लिए आश्रय नहीं देते और जब तक हम प्रत्येक लड़की और लड़के के लिए उसकी पसंद की शिक्षा प्रदान नहीं करते तब तक हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं।

स्वतंत्रता के बाद साम्प्रदायिक ताकतें न केवल राजनीति में बल्कि आम जीवन में भी सक्रिय हैं। कुछ राजनैतिक दल अपने राजनैतिक फायदे के लिए सांप्रदायिक घृणा और जातिवाद का सहारा ले रहे हैं। वे अपने राजनैतिक लाभ के लिए राजनैतिक दल साम्प्रदायिक घृणा बढ़ा रहे हैं। वे लोगों की नाजुक धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। जो राजनैतिक दल या संगठन किसी धर्म या जाति का नाम रखता है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो भी राजनैतिक दल साम्प्रदायिक समझा जाए चुनाव आयोग द्वारा उसकी मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए।

गत तीन दिनों से सभी राजनैतिक दल राजनीति में अपराधियों के बारे में बात कर रहे हैं। इस सम्माननीय सदन में विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्य हैं। परन्तु प्रत्येक राजनैतिक दल इस तरह बोल रहे हैं मानो अपराधी राजनीति में आ गए हों। इससे मुझे एक बात याद आती है कि एक चोर धन चुराकर भाग रहा होता है और स्वयं चोर-चोर चिल्लाने लगता है ताकि दूसरे लोग सोचें कि चोर कोई और व्यक्ति है। हम राजनैतिक दलों से संबंधित हैं। सभी राजनैतिक दल यहां उपस्थित हैं। परन्तु हम सभी कहते हैं कि अपराधी राजनीति में आ गए हैं। हमें एक साथ बैठकर एक रणनीति तैयार करके इसका अंत करना चाहिए। किसी भी तरह से हमें अपराधियों को राजनीति में प्रवेश नहीं

करने देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो देर सवेर इस पवित्र सदन में केवल अपराधी, गुंडे और बदमाश लोग ही होंगे।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 भारत के संविधान पर एक धब्बा है। यह मानव सभ्यता के लिए दुख की बात है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत, कानूनी रूप से चुनी गई सरकार, एक ऐसी सरकार जिसका सदन में बहुमत है, बर्खास्त कर दी जाती है। क्या यह राज्य के अधिकारों पर हमला नहीं है। क्या यह मतदाताओं के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं है। जब तक भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 रहेगा तब तक यह संविधान का संघीय स्वरूप संघीय ढांचा बरबाद करता रहेगा। इसलिए इस अनुच्छेद को शीघ्र हटाया जाना चाहिए। अगर इसे हटाया नहीं जाता तो कम से कम भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में दो अन्य सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। सदस्य राज्य का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए उनमें से एक सदस्य उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए जिसकी सिफारिश पर अनुच्छेद 356 लगाया जाए। समिति को स्थिति की जांच करनी चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि क्या अनुच्छेद 356 का प्रयोग किये जाने योग्य स्थितियां हैं, या नहीं। ऐसी समिति की सिफारिश पर ही अनुच्छेद 356 को लागू किया जाना चाहिए। अगर नहीं, तो भारत के संविधान का संघीय ढांचा, संघीय प्रकृति बेकार हो जाती है।

भारतीय संस्कृति अलग-अलग भाषाई संस्कृतियों का परिसंघ है। भारतीय लोकतंत्र की ताकत अनेकता में एकता है। प्रत्येक राज्य की अपनी सांस्कृतिक धरोहर है। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि हाल के वर्षों में गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर उनकी इच्छाओं तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू के आश्वासन के विरुद्ध हिन्दी थोपने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पंडित नेहरू ने यह आश्वासन दिया था कि गैर-हिन्दी भाषी लोगों के ऊपर तब तक हिन्दी नहीं थोपी जायेगी जब तक गैर-हिन्दी भाषी लोग इसे स्वीकार नहीं करते। अब गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी थोपे जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। किसी भी हालत में भारत के तात्कालिक प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा दिए गए आश्वासन का सम्मान किया जाना चाहिए।

रात्रि 01.00 बजे

अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसके परिणाम गंभीर होंगे।

महोदय, हमारा संविधान अर्द्धसंघीय संविधान है। आजकल हम तथाकथित सहकारी संघवाद की बात कर रहे हैं। चाहे जो स्थिति हो फिर भी शक्ति केन्द्र सरकार में ही केन्द्रित है। यह राज्यों में नहीं दी जा रही है। केन्द्र में संचित अधिकांश शक्तियां राज्यों को दे दी जानी चाहिए तथा बदले में राज्य ये शक्तियां ग्राम पंचायतों को इस तरह से दे कि सुदूर गांव में रहने वाला व्यक्ति देश के शासन में भाग ले सके।

बेरोजगारी के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि यह एक विश्वव्यापी समस्या है। भारत में 3.9 मिलियन बेरोजगार स्नातक है। यह कई कारणों से हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहस शुरू करते हुए कहा था कि भारत को स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़नी है। मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगार युवा एक टिंडर बाक्स की तरह है जो कभी भी विस्फोट कर सकता है। अगर तत्काल प्रभावी उपाय नहीं किये जाते तो भारत में बहुत जल्दी गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इसलिए, हमें इस समस्या की तरफ अधिक ध्यान देना होगा तथा इस समस्या का समाधान करना होगा।

महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो. पी. जे. कुरियन

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा): महोदय मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने हेतु धन्यवाद। यह एक ऐतिहासिक अवसर है और मैं अध्यक्ष महोदय को इस सत्र को बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूं जोकि अतीत पर विचार-विमर्श करने की एक प्रक्रिया के उद्देश्य से बुलाया गया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह केवल अतीत पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए अपितु इसमें कुछ आत्मावलोकन भी होना चाहिए। हमें इस ऐतिहासिक अवसर पर, सभी पार्टियों और प्रत्येक सदस्य को, यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारा राष्ट्र-निर्माण में क्या योगदान रहा है।

महोदय, हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। परन्तु क्या यह बात सही नहीं है कि हम इन समारोहों के साथ उस प्रकार के हर्षोल्लास का अनुभव नहीं कर रहे हैं जैसाकि इन समारोहों में होना चाहिए। कम से कम, मेरे विचार से, मैं अनुभव करता हूं कि यहां किसी चीज की कमी है, कुछ किया जाना है। हमें इसकी खोज करनी होगी और इसका पता लगाना होगा।

कल आदरणीय श्री वाजपेयी और श्री माधव राव सिंधिया ने अपने भाषण में हमारे देश की महान सांस्कृतिक परम्परा का उल्लेख किया था। यह बात सही है कि इस देश की महान सांस्कृतिक परम्परा रही है, 5000 वर्षों की सभ्यता रही है। हमें उस पर गर्व करना चाहिए। परन्तु क्या इसमें राष्ट्रीय गौरव के दर्शन होते हैं।

जब पश्चिम और शेष विश्व अंधकार में था उस समय भी यह देश ज्ञान के प्रकाश से आलोकित था। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा।

हाल ही में जब मैं ईस्थर की पुस्तक-यह ओल्ड टेस्टामेंट (पूर्व विधान) की एक पुस्तक है जो ईसा से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व लिखी गई थी अर्थात् अब से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व-को देख रहा था, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसमें भारत का उल्लेख किया गया है। मलयालम बाइबल में यह हिन्दू देश था और अंग्रेजी बाइबल में ''इण्डिया''। यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि यह भारत ही है, एक विशेषज्ञ के द्वारा मैंने मूल ग्रीक बाइबल का आश्रय लेने के लिए भेजा और उन्होंने पाया कि यह भारत ही है।

महोदय, तीन हजार वर्ष पूर्व उस सुदूर देश में लोग भारत को जानते थे। क्या मतलब है इस बात का? तत्कालीन विश्व के प्रत्येक भाग में भारत एक प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। क्या हमें इस पर गर्व नहीं है? परन्तु दुर्भाग्यवश आज उस राष्ट्रीय अभिमान की कमी है। इसका क्या कारण है?

महोदय, अब मैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम का मुद्दा उठाऊंगा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गाथा इतिहास में बेजोड़ है। यह इतना अद्वितीय है कि मानवजाति के इतिहास में पहली बार एक शक्तिशाली साम्राज्य, जिसके बारे में यह कहा जाता था ''इसमें सूर्यास्त कभी नहीं होता'', एक अधनंगा आदमी, गांधी जी के सामने झुक गया था। बन्दूकों की शक्ति अहिंसा के सिद्धान्त के सामने झुक गयी थी। क्या यह गर्व की बात नहीं है? क्या हमारे राष्ट्रीय नेताओं के बलिदान, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, पर गर्व नहीं किया जा सकता है? क्या हम इन बातों पर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं? परन्तु यह उस सीमा तक नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए था।

आज मैंने एक सदस्य को यह कहते हुए सुना कि हम हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पढ़ते या उसका अध्ययन नहीं करते हैं। महोदय, इस देश में जिस चीज की कमी है वह राष्ट्रीय अभिमान और राष्ट्रीय चरित्र है। इसे केवल हम तभी ला सकते हैं जब हम हमारे देश की महान सांस्कृतिक परम्परा को मुड़ कर देखते हैं और उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तभी हमारा राष्ट्रीय अभिमान और राष्ट्रीय चरित्र बन पायेगा। साथ ही हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पढ़ना आरम्भ करना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तभी हम राष्ट्रीय अभिमान और राष्ट्रीय चरित्र को विकसित कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

राष्ट्रीय चरित्र की बात करते हुए मुझे दुख होता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी राष्ट्रीय चरित्र को बनाने में कोई योगदान नहीं करती है यहां तक कि चरित्र प्रशिक्षण में भी नहीं। भारत के महान शिक्षाविद् डा. एस. राधाकृष्णन और स्वामी विवेकानंद ने भी व्यक्ति के चरित्र-निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। परन्तु हम शिक्षा में चारित्रिक प्रशिक्षण को कोई ज्यादा महत्व नहीं देते हैं।

आजकल हमारे युवा तथाकथित आधुनिकता और आधुनिकता के दिखावे के पीछे दौड़ रहे हैं। वे समझते हैं कि जो भी अन्यत्र दिखाई दे वह आधुनिकता है। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता आंकड़ों का प्रश्न नहीं है। आधुनिकता दृष्टिकोण का प्रश्न है। गांधीजी, आजकल के तथाकथित आधुनिक व्यक्ति से कहीं ज्यादा आधुनिक है।

आज हमने श्री पी.वी. नरसिम्हा राव को यह कहते हुए सुना कि गांधीजी आज भी प्रासंगिक.... अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से ज्यादा प्रासंगिक किस प्रकार है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में हमें ऐसे प्रसंगों को जोड़ना चाहिए जो राष्ट्रीय अभिमान, राष्ट्रीय चरित्र और चारित्रिक प्रशिक्षण को विकसित करने में सहायता प्रदान करें। यह मेरा पहला सुझाव है।

दूसरी बात, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में काफी कुछ कहा गया है। इस सभा से द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आह्वान किया गया है।

महोदय, स्वतंत्रता संग्राम क्या था? हमारे स्वतंत्रता संग्राम के विषय क्या थे? इसमें दो बाते थी। पहली बात राजनैतिक स्वतंत्रता और दूसरी बात आर्थिक मुक्ति की थी। हमें 1947 में आजादी मिली थी। उसके तुरन्त बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा दूसरे स्वतंत्रता संग्राम को आरम्भ किया था। इस प्रकार आयोजना प्रक्रिया के रूप में दूसरा स्वतंत्रता संग्राम पहले ही शुरू हो चुका है और अब यह कहना कि हमें दूसरा स्वतंत्रता संग्राम आरम्भ करना है, मैं कहूंगा कि यह हीनता अनुचित है।

मैं इसे अब स्वतंत्रता संग्राम इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यह गरीबी के विरुद्ध लड़ाई थी। यह गरीबी के विरुद्ध संघर्ष और युद्ध था तो हमने क्या उपलब्धियां हासिल की? यह आवश्यक नहीं है कि हम सभी मोर्चों पर सफल हों। फिर भी हम कुछ मोर्चों पर सफल रहे हैं; और कुछ मोर्चों पर आंशिक रूप से सफल रहे हैं। यह हमेशा सम्भव नहीं है कि प्रत्येक प्रयास में सफल रहे। सचिवालय द्वारा हमें भेजा गया दस्तावेज यह सिद्ध करता है कि मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है चाहे वह कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या उद्योग ही क्यों न हो। तब प्रश्न यह है कि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। प्रगति हुई है परन्तु अभी हमें लम्बा रास्ता तय करना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी 30 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। इसलिए हमें दूसरे स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखना है।

1947 में हमारी जनसंख्या क्या थी? यह केवल 350 मिलियन थी। आज जनसंख्या कितनी है? यह लगभग 950 मिलियन है। 1947 की कुल 350 मिलियन जनसंख्या में से ऐसे लोगों का क्या प्रतिशत था जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे? ऐसे लोग 70 प्रतिशत थे। यदि 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे तो उस समय गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या कितनी थी? ऐसे लोग 250 मिलियन थे। पिछले पचास वर्षों में जनसंख्या तिगुनी हो गई है। तो अब गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या कितनी हो सकती है? यह 250 मिलियन गुणा तीन जोकि 750 मिलियन के बराबर है। इस प्रकार देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या 750 मिलियन होती यदि पंडित जवाहर लाल नेहरू आयोजना प्रक्रिया और पंचवर्षीय योजनाओं को आरम्भ नहीं करते। जबकि केवल 350 मिलियन लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं? आज की स्थिति में हमारी जनसंख्या का मात्र 30 प्रतिशत भाग ऐसा है। इसका अर्थ है कि पिछले 50 वर्षों में 450 मिलियन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया। क्या हम अब स्वतंत्रता संग्राम को आरम्भ कर रहे हैं? इसीलिए कृपया हमारे द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को कम या नीचा मत दिखाइए। यही बात

मैं कह रहा हूं। यह मैं व्यथित हृदय से कह रहा हूं। इसी प्रकार पिछले पचास वर्षों में 450 मिलियन लोगों के जीवन स्तर को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी उपलब्धियां हासिल कर ली गई हैं। परन्तु मैं कह रहा हूं कि काफी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं।

हम देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने की बात करते हैं। देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां क्यों आ रही हैं? यह बात सभी जानते हैं कि वे 300 मिलियन मध्यम वर्ग के लोगों के बाजार को अपनाने के लिए आ रहे हैं। यह मध्यम वर्ग कहां से आया है? 1947 में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या कितनी थी? यह पांच मिलियन भी नहीं थी। 30 मिलियन मध्यम वर्ग के लोगों को, नेहरू जी द्वारा रुपायित अर्थव्यवस्था प्रणाली के द्वारा, पिछले पचास वर्षों में की गई प्रगति द्वारा, गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया।

इसलिए, यदि इस देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आती हैं तो इसकी बुनियाद नेहरू जी द्वारा रुपायित अर्थव्यवस्था की प्रणाली ने डाली थी।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. पी. जे. कुरियन: महोदय, मुझे पांच मिनट और दीजिए। मेरे मुख्य व्हिप ने मुझे ज्यादा समय का वचन दिया है। उन्होंने कहा था मुझे अधिक समय दिया जाएगा। यदि मुझे मुख्य व्हिप की भी सहमति है तो मैं समाप्त करता हूं ...*(व्यवधान)* मुझे बात पूरी करने दीजिए। फिर भी, मैं बात शुरू कर चुका हूं।

अब मैं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की स्थिति के बारे में भी बोलना चाहूंगा। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, और सभी मुझसे सहमत होंगे, कह सकता हूं कि पिछले पचास वर्षों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की भी क्रयशक्ति बढ़ गई है।

सभापति महोदय: बस, आपके पास समय नहीं है।

प्रो. पी. जे. कुरियन: महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पचास के दशक में कृषि कर्मकारों की मजदूरी दो रुपये थी और उस समय एक किलो चावल का मूल्य भी दो रुपये था। आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कृषि कर्मकार की मजदूरी 90 रुपये है। यदि वह कर्मकार 90 रुपये लेकर बाजार जाता है तो वह उससे कम से कम सात या आठ किलो चावल खरीद सकता है। एक कृषि कर्मकार की क्रय शक्ति भी आठ गुनी बढ़ी है। इसका अर्थ है कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ी है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. पी. जे. कुरियन: इसलिए यह ठीक नहीं है कि हम अपनी उपलब्धियों को कम करके आंकें। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद ही दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष प्रारम्भ कर दिया था। इसलिए, इसे दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष नहीं कहना चाहिए।

हमने यह उपलब्धि कैसे प्राप्त की? इसमें कई बाधाएं थीं। हमें विभाजन का आघात था। हमारे तीन-तीन नेताओं की हत्या हुई थी। हमें तीन-तीन युद्ध लड़ने पड़े। इन सबके बावजूद, हमने बहुत अधिक उपलब्धि हासिल की। मैंने कल सुना कि कुछ माननीय सदस्य चीन की उपलब्धियों के लिए उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन याद रखें चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है और हमारे यहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातंत्र को संरक्षित और अनुरक्षित करके हमने इतना प्राप्त किया।

हां, इस अवधि के दौरान हम कुछ समय के लिए पथ से भटक गये थे जिसके बारे में श्री वाजपेयी जी ने कहा और उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न उसके लिए माफी मांगी जाए। इस समय वे यहां उपस्थित नहीं है। मैं पूर्ण विनम्रता और आदर के साथ वाजपेयी जी से कहना चाहूंगा कि उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि इंदिरा जी ने बिना किसी से पूछे अपने आप आपातकाल समाप्त कर दिया था। अपने आप इंदिरा जी ने आपातकाल समाप्त किया और चुनावों का आदेश दिया ...*(व्यवधान)* कोई भी तानाशाह ऐसा नहीं कर सकता है। केवल एक प्रजातंत्रवादी ही ऐसा कर सकता है।

सभापति महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. पी. जे. कुरियन: महोदय, मैं अंत में साम्प्रदायिकता के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। मुझे कृपया तीन मिनट का समय दीजिए। मैंने कई अन्य मुद्दे छोड़ दिये हैं लेकिन मुझे देश की तीन बुराइयों के बारे में कहने दीजिए। मेरे मतानुसार ये बुराइयां हैं: भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और जातिवाद। भ्रष्टाचार पर हर कोई बोलता है। साम्प्रदायिकता पर कुछ लोग ही बोलते हैं लेकिन जातिवाद पर बहुत कम लोग बोलते हैं। मैं सोचता हूं इस पर कोई नहीं बोलता है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है? सभी भ्रष्ट लोगों के साथ कड़ाई के साथ निपटा जाना चाहिए। साथ ही साथ भ्रष्टाचार को कम से कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। समय की कमी के कारण मैं इस पर और अधिक प्रकाश नहीं डाल रहा हूं। लेकिन यह ध्यान रखे कि विदेशों में देश की छवि एक भ्रष्ट देश के रूप में न बनायें।

अब मैं साम्प्रदायिकता पर आता हूं। साम्प्रदायिकता की भावना क्यों है? साम्प्रदायिकता किसी व्यक्ति की अन्य धर्मों के ऊपर अपनी श्रेष्ठता की अन्तर्निष्ट भावना है। इससे कैसे निपटा जाए। केवल कहने मात्र से आप साम्प्रदायिकता से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। साम्प्रदायिकता से छुटकारा पाने के लिए एक अन्तर्मन से राष्ट्रीय प्रयास किया जाना चाहिए। साम्प्रदायिकता कहां से प्रारम्भ होती है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में उनका एक ही धर्म होने के कारण उसमें दूसरे धर्म को आदर देने के लिए प्रयास नहीं किये जाते हैं। यह बहुधर्मी देश है। इसलिए, यह एक राष्ट्रीय दायित्व है कि लोगों के मन में दूसरे धर्मों के प्रति आदर की भावना का विकास करें। यह कैसे किया जा सकता है? यह तभी हो सकता है कि जब हम स्कूल की कक्षाओं में सभी धर्मों में निहित एकता की शिक्षा दें। हम दूसरे धर्मों का आदर करना शुरू करे। यही तभी संभव है जबकि हमारे देश के विद्यार्थियों को धर्मों की आवश्यक एकता की शिक्षा दी जा रही हो अथवा अन्य स्कूलों में जहां ऐसी शिक्षा न दी जा रही हो, वहां ऐसी शिक्षा शुरू की जानी चाहिए।

सभापति महोदय: आपने अंतिम बात कह दी है। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. पी. जे. कुरियन: महोदय आप भली-भांति जानते हैं कि कुरान और ओल्ड टेस्टामेंट का एक सा ही महत्व है। सेंट जान की गॉस्पल में प्रारम्भ में जो शब्द हैं वह कुछ और नहीं बल्कि "ओम" शब्द है। लेकिन विद्यार्थियों को इस शब्द की शिक्षा देने के लिए कोई नहीं है। साम्प्रदायिकता से निपटने के लिए हमें धर्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को त्यागना होगा। लेकिन अपने स्कूलों की कक्षाओं में सभी धर्मों की आवश्यक एकता की शिक्षा प्रारम्भ करें ताकि हमारे नवयुवक साम्प्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठ सकें। साम्प्रदायिकता के संबंध में यही मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय: अब आप अपना अन्तिम वाक्य कहकर बात समाप्त करें।

प्रो. पी. जे. कुरियन: यद्यपि मुझे कुछ और बातें कहनी हैं फिर भी मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. जयन्त रंगपी

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी-जिला) (असम): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं विभिन्न दलों के नेताओं की बातों को पिछले तीन दिनों से सुन रहा हूं। इस सत्र में सामान्य संसदीय सत्र से हटकर चर्चा इस अर्थ में हुई कि ये भाषण अधिक विद्वतापूर्ण तथा कुछ दर्शन से संबंधित थे और कभी-कभी अतीत की यादों पर भी चर्चा हुई। वास्तव में मेरा संबंध एक बहुत छोटे दल से है। अधिकतर वक्ता शासन करने वाली साझा सरकार के सदस्य थे या पिछले 50 वर्षों से शासन करने वाले दल के थे। करीब 95 प्रतिशत सदस्य उन दलों के बोले जो कभी न कभी सत्ता में रहे हैं। इसलिए मैंने अपेक्षा की कि पश्चाताप करने के बजाए इसमें आत्मनिरीक्षण होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि बिना आत्मनिरीक्षण के, पूर्व कार्यों की समीक्षा किये बिना, इस सत्र का कोई अर्थ नहीं होगा। फिर भी मैं स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मनाने के लिए इस सत्र के आयोजन के लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं।

इस सदन में मैं भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने आपको दिल्ली से विलग महसूस करते हैं हमने असम राज्य की प्रजातांत्रिक पुनर्संरचना के लिए एक सफल और बहुत लोकप्रिय आन्दोलन प्रारम्भ किया है जिससे हमारी प्यारी मातृभूमि की प्रजातांत्रिक राजनीति और प्रजातांत्रिक अखण्डता को स्वत: प्रोत्साहन मिलेगा। हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वामपंथियों की क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थन करते हैं। इसलिए हम इस माननीय सदन की निर्धारित चर्चा से हट कर उग्र विरोध की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वास्तव में अक्सर मैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वाद-विवादों में भाग नहीं ले पाता हूं। इसलिए, आज यह अवसर मिलने पर धन्यवाद देता हूं।

मैं, संक्षेप में और कुछ विषयों पर ही अपनी बात कहूंगा।

पहली बात है, राजनीति का अपराधीकरण। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने 14 और 15 अगस्त की रात्रि को अपने सम्बोधन में यह बात कही थी। प्रधान मंत्री ने तो इस सीमा तक कहा कि उन्हें संसद में कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ता है जिनके साथ वे बाहर बैठने से बचना चाहेंगे। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। इस सदन में ऐसे सज्जन कौन हैं? क्या कोई ऐसे लोगों के साथ दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष प्रारम्भ कर सकता है?

मैंने अपना मित्र, जो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक बार नहीं दो-दो बार अध्यक्ष रहा, खो दिया है। मैं श्री चन्द्रशेखर जो निरन्तर दो वर्ष तक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे, के बारे में बात करना चाहता हूं। सीवान में दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गयी। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन एक संसद सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। इस सदन में इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। क्या हम अपना स्वतंत्रता संग्राम प्रारम्भ करने जा रहे हैं? क्या हम इन सभी लोगों के साथ आत्मनिरीक्षण करने जा रहे हैं? हमें आपराधिक रिकार्ड वाले लोगों के विरुद्ध मोर्चा संभालने का संकल्प लेना चाहिए। मैं सीवान में श्री चन्द्रशेखर की हत्या के मामले विशेष का उदाहरण दे रहा हूं। क्या हम में संकल्प लेने का साहस है? कल मुझे बिहार के पश्चिमी चम्पारन जिले के शिक्ता खण्ड की मुशैर समुदाय, जो सामाजिक ढांचे की सीढ़ी में सबसे नीचला समुदाय है, से एक प्रतिवेदन मिला इस गांव पर हमला हुआ और एक तीन वर्षीय बालक को उसकी मां की गोद से, छीन कर पीट-पीट कर मार डाला गया। बिहार में ऐसा हो रहा है। यह केवल बिहार में ही नहीं हो रहा है बल्कि मुम्बई और तमिलनाडु में पुलिस गोलीबारी में दलितों की हत्या की जा रही है। जिन लोगों पर अत्याचार किये गये हैं उनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं है। इसलिए हमें इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

भ्रष्टाचार के संबंध में, प्रश्न यह है कि किसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। क्या यह कार्यवाही छोटे लिपिकों अथवा चपरासियों अथवा छोटे लोगों के विरुद्ध शुरू की जाए या बड़े लोगों के विरुद्ध। जहां तक लोगों का संबंध है, वे राजनैतिज्ञों के भ्रष्ट कार्यकलापों से क्षुब्ध हैं। वह दल जिसने अधिक समय तक शासन किया और उस दल के नेताओं ने समय व्यतीत करने के लिए भ्रष्टाचार किया। यदि वे भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाने से घबराते हैं तो इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन वे सभी राजनीतिक दल जो सत्ता हथियाने के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाते हैं परन्तु जब कभी इस मुद्दे पर उन्हें कोई

कठोर निर्णय लेने के लिए कहते हैं, तो वे ढीले पड़ जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है।

पूर्वोत्तर के बारे में कहने से पहले मैं अत्यंत संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे नियति से मिलन के 50 वर्षों के बाद भी क्या हुआ है कि साम्प्रदायिकता भारतीय राजनीति के लिए एक इतना बड़ा खतरा बन गई। यदि कोई दल जिसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना-देना नहीं है, अब वह स्वतंत्रता संग्राम का थोड़ा गौरव अपने खाते में डालने का भरसक प्रयास कर रहा हो, तो इसमें हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि जहां छद्म धर्मनिरपेक्षता हो सकती है वहां छद्म देशभक्ति भी हो सकती है। परन्तु मैं राम के नाम पर उनसे कम से कम इतनी अपेक्षा करूंगा कि वे सर्वप्रथम बाबरी मस्जिद ढहाने में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्र से बिना किसी हिचकिचाहट के क्षमा मांगे।

अन्यथा इसे हम स्वर्ण जयंती यात्रा अथवा अन्य अभियान मात्र, चाहे जिस नाम से पुकारें, हिन्दू राष्ट्र के उद्देश्य को बढ़ावा देने का प्रयास बन कर रह जाएगा।

सभापति महोदय, यदि मैं पूर्वोत्तर के बारे में दो शब्द नहीं कहूंगा तो यह अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ना होगा। अत: मैं अधिक समय न लेते हुए पूर्वोत्तर के बारे में अपनी बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं इस संसद और सरकार से दो बातों की अपेक्षा करता हूं। पहली तो यह कि एक गंभीर आत्मविश्लेषण किया जाए और दूसरे पूर्वोत्तर में राजनीति के खेल को रोका जाए।

जब भी पूर्वोत्तर क्षेत्र का कोई मामला आता है तो प्रत्येक सरकार को पूर्वोत्तर की समस्या के पीछे विदेशी हाथ दिखाई देता है परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि यह समस्या दशकों से चली आ रही है और इसका कारण उपेक्षा, असमान विकास और शक्तियों का दुरुपयोग है, परन्तु इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। पूर्वोत्तर की प्रत्येक समस्या के पीछे विदेशी हाथ होने की बात कहकर उससे किनारा कर लिया जाता है। इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह सच है कि पूर्वोत्तर में कुछ असंतुष्ट युवकों द्वारा हथियार उठाने के कारण कुछ विदेशी एजेंटों का बोल-बाला रहा है जो इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं।

परन्तु महोदय, प्रमुख समस्या विदेशी हाथ होने की नहीं है। मुख्य समस्या तो यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करने दी गई है जिसका फायदा सीमा पार की शक्तियाँ उठा रही हैं। इसलिए हमें सर्वप्रथम अपने घर को ठीक करना चाहिए।

दूसरे, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी स्वतंत्रता के पांच दशकों के दौरान भारतीय सेना वहां पर शांति स्थापित करने के लिए जूझती रही है। परन्तु इसका क्या परिणाम रहा? कुछ नहीं, पचास के दशक के अंत में जब भारतीय सेना पूर्वोत्तर में विद्रोह का दमन करने के लिए तैनात की गई थी तब वहां मात्र एक विद्रोही ग्रुप सक्रिय था। परन्तु आज चार-पांच दशकों के पश्चात् ऐसे दर्जनों ग्रुप सक्रिय हैं। हां, यदि आप पंजाब में प्राप्त सफलता से प्रेरित होकर अथवा कश्मीर में सफलता की आशा में आप पूर्वोत्तर में विद्रोह की समस्या से भी सेना की सहायता से निपटना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए। परन्तु पांच दशकों में आपका रिकार्ड दर्शाता है कि आप इसमें असफल रहे हैं। जब सेना पिछले पांच दशकों में कुछ नहीं कर पाई तो निकट भविष्य में इसकी सफलता की कोई संभावना नहीं है।

अत:, इस नीति की समीक्षा की जानी चाहिए और इस समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढा जाना चाहिए। मैंने यह कभी नहीं कहा कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर की समस्या का राजनीतिक समाधान खोजने का कभी प्रयास नहीं किया है। जब कभी ऐसा किया गया तो इसके अच्छे परिणाम निकले। वर्ष 1969 और 1971 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने असंतुष्ट जनजातीय लोगों से वार्ता आरम्भ की। 1971 में संसद के अधिनियम के अन्तर्गत असम और पूर्वोत्तर का पुनर्गठन किया गया। तत्पश्चात्, कई क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई और विकास हुआ। उदाहरणार्थ, 1971 के पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा मिजोरम राज्य की स्थापना की गई और आज मिजोरम देश का दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य है। किसी समय मिजोरम हमारे देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य होता था।

इसी प्रकार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में शांति है। इसी लिए मैं कहता हूं कि जब कभी भारत सरकार ने राजनीतिक समाधान के लिए प्रयास किया तो उसके अच्छे परिणाम निकले।

सभापति महोदय: डा. रंगपी, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. जयन्त रंगपी: अभी समाप्त करता हूं, महोदय।

महोदय, पूर्वोत्तर की वर्तमान विस्फोटक स्थिति राजनीतिक वार्ता को महत्व न देकर सैनिक और पुलिस समाधान आजमाने की परिणति है। आज पूर्वोत्तर में विस्फोटक स्थिति है इसलिए मैं इस बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

संसद को सभी समझौतों को लागू करने के लिए एक संकल्प पारित करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर यह कहते हैं कि हमको एन. एस. सी. एन. और बोडो आतंकवादियों से बात करनी चाहिए। हम आतंकवादियों को बातचीत करने तथा एक समझौते और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराने में सफल रहे हैं। परन्तु ये समझौते अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं। असम समझौता 12 वर्ष पूर्व किया गया था, परन्तु यह अभी तक लागू नहीं हो पाया है। त्रिपुरा नेशनल वालंटियर के साथ भी समझौता हुआ था और श्री लालडेंगा के साथ हुए समझौते के सभी खण्डों को अब तक लागू नहीं किया जा सका है। पूर्व सरकार द्वारा किये गये बोडो समझौते को अब लागू किया जाना है और मूवमेंट आर्गेनाइजेशन आफ काबरी, एंगलोंग एंड नार्थ कचार हिल तथा वहां की जनता के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को अभी लागू किया जाना है। वे किसी भी समझौते को लागू नहीं कर रहे हैं और न ही दिये गए किसी भी वायदे को पूरा कर रहे हैं। सरकार का

कहना है कि वह राजनीतिक बातचीत के लिए तैयार हैं और उसने नागाओं तथा बोडो लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सभी समझौतों को लागू करने के लिए संकल्प पारित किया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन का कार्य अभी पूरा किया जाना है। जनजातीय समूहों को असम की सीमाओं के भीतर स्वशासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। मैं असम के विभाजन, विघटन अथवा विखंडन का पक्षधर नहीं हूं। असम में सभी जनजातीय समूहों को संविधान के उपबंधों, चाहे वे छठी अनुसूची के अंतर्गत हों अथवा अनुच्छेद 244क के अंतर्गत हों, के अंतर्गत स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

असम में सभी जनजातीय समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधान परिषद का गठित किया जाना चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में विधान परिषदें हैं। असम विधान सभा पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है। मेरा निवेदन है कि असम में जनजातीय समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संसद को वहां पर विधान परिषद का गठन करने हेतु एक विधेयक पारित करना चाहिए।

मैं अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज की बात कर आता हूं। पूर्व सरकारों ने इस संबंध में घोषणाएं की थीं और वर्तमान सरकार ने भी घोषणा की है। परन्तु ये लागू नहीं हुई हैं। मेरे द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या यह आर्थिक पैकेज अतिरिक्त पैकेज थे अथवा योजना आयोग द्वारा पांच वर्ष की अवधि के दौरान देय सामान्य अनुदान थे तो उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था। अगर यह पांच वर्ष के दौरान देय सामान्य अनुदान हैं जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री के पदभार संभालने पर की जाती है, तो यह प्राय: बंद हो रहे बैंक के नाम पर काटे गये उत्तर दिनांकित चैक की भांति है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ धोखा है। इसलिए सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या यह 6,000 करोड़ रुपये का पैकेज अतिरिक्त अनुदान है अथवा सामान्य अनुदान है जिसकी घोषणा अग्रिम गणना करके की गई थी।

मैं कहना चाहता हूं कि केवल धन देना ही काफी नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसर वहां बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। यह सीमावर्ती राज्य चीन और म्यानमार से घिरा हुआ है। हमको उस क्षेत्र की तरफ इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि कोई अन्य राष्ट्र कहीं इस पर कब्जा न कर ले। हमको इस क्षेत्र की तरफ दूसरी दृष्टि से भी देखना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र से हम सरलतापूर्वक पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच सकते हैं। इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचने हेतु प्रवेश द्वार ठीक वैसे बन सकता है। जैसे मुम्बई भारत का प्रवेश द्वार है। उसी पूर्वोत्तर क्षेत्र के माध्यम से व्यापारिक और वाणिज्यिक सम्पर्कों को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र को पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्रवेश हेतु भारत का प्रवेश द्वरा बनाया जाना चाहिए। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं परन्तु अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको पुन: धन्यवाद देता हूं।

श्री आई. डी. स्वामी

श्री आई. डी. स्वामी (करनाल): सभापति महोदय, हालांकि काफी रात हो गई है, परन्तु मैं इस ऐतिहासिक वाद-विवाद में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें याद आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति ने समाज के सबसे निचले वर्ग के लोगों में बेहतर जीवन जीने की आशाओं को जगाया था। क्योंकि इन लोगों में सर्वोदय, न्याय, अंत्योदय और न्यायोचित व्यवहार में गहरी आस्था थी।

संविधान की उद्देशिका, मौलिक अधिकारों की सूची, निदेशक तत्वों की सूची और वर्ष 1976 में जोड़ी गई मूल कर्तव्यों की सूची के अनुसार देश के गणराज्य का शासन समाजवाद, मानववाद, करुणामूलक तथा निर्मल सिद्धान्तों का आधार मान कर चलाया जाना था। इन नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह विधि बनाते समय इन सिद्धान्तों को लागू करे, परन्तु सत्ता में आसीन प्रमुख लोगों ने चाहे वे राज्य में हों अथवा केन्द्र में हों, इन मार्गनिर्देशक तत्वों का अनुकरण नहीं किया है। उद्देशिका में यह भी कहा गया था कि हम एक प्रभुत्व सम्पन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य का संकल्प करते हैं। 1976 में, अपने विवेक से हमने सोचा कि हमें उद्देशिका में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ने चाहिए जबकि हमारे पूर्व संविधान निर्माताओं ने उस समय समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का जोड़ा जाना आवश्यक नहीं समझा था। मैं नहीं जानता उस समय इस बारे में क्या शंकाएं थीं। परन्तु एक बात स्पष्ट है कि हम एक प्रजातांत्रिक गणराज्य चाहते थे जिसे हम अपने सभी नागरिकों के लिए बुनियादी इकाई सुनिश्चित कर सकें? जिनके लिए सभी नेक और अगाध प्रतिबद्धताएं की गई थीं। ये सब बातें केवल अलग-अलग नागरिकों के लिए थीं। इस प्रकार, हम इसका यह अर्थ निकालते हैं कि संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखकर जो उद्देशिका में प्रतिबिम्बित होती है, और जो संविधान की मार्ग निर्देशिका भी है, हमारी नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों के लिए अलग-अलग नागरिक एक इकाई होने चाहिए न कि उसका धर्म या उसकी जाति जिससे वह संबंध रखता है, होना चाहिए। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी एक धर्म समूह या संगठन को कुछ भी ऐसी छूट या रियायत नहीं दी जानी चाहिए जो किसी अन्य धर्म के समूहों या संगठनों को नहीं दी गई हों या उपलब्ध नहीं कराई गई हों। इस प्रकार, हमारे संविधान में यथाउल्लिखित उद्देशिका व्यक्ति को मूल इकाई मानने के लिए स्पष्टतौर पर कहती है। आजादी के पचास वर्षों पश्चात्, तो हमें कम से कम स्पष्ट रूप से कार्य करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, जो कि धार्मिक

स्वतंत्रता से संबंध रखते हैं और कतिपय अन्य अनुच्छेद जैसे 29 और 30 जो कि अल्पसंख्यक संस्थाओं के बारे में हैं, क्या किया जाना चाहिए।

अध्याय 4, जिसमें राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त निहित हैं, में कतिपय अनुच्छेद दिए गए हैं। नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं जो कि न्यायोचित हैं और जिन्हें अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। राज्य, स्थानीय निकायों, केन्द्र, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के लिए नीति-निदेशक तत्वों पर संविधान निर्माताओं ने एक पूरा अध्याय लिखा है। उन निदेशक तत्व को क्या हो गया है? उनमें से कुछ तत्वों का संबंध अर्थव्यवस्था से था, कुछ का समाज से और कुछ का संबंध संस्कृति और इतिहास से था। यह कहा गया था कि राज्य, आय की विषमताओं को न्यूनतम करने और जीवन स्तर, न केवल व्यक्तियों के अपितु विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे अथवा विभिन्न व्यवसायों से संबद्ध व्यक्ति समूहों के बीच जीवन-स्तर, सुविधाओं और अवसरों की दृष्टि से व्याप्त असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और बच्चों को ऐसे अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी कि उनका विकास स्वस्थ रूप से तथा स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के परिवेश में हो सके और देश में मद्यनिषेध को लागू कर बच्चों और युवाओं को शोषण से तथा नैतिक और भौतिक रूप से त्यागे जाने की स्थिति से बचाया जा सके। और भी कई अन्य बातें हैं जैसे निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, सुसभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए मद्यनिषेध आदि।

यह सभी बातें समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए की गई थीं; ये सभी बातें नीति निदेशक तत्वों में दी गई है, और यह निदेश दिया गया था कि जब कानून बनाए जाएं, जब कार्यपालिका नियम बनाए या देश का प्रशासन चलाए या जब विधायिका विधान पारित करें तो उस समय इन बातों को ध्यान में रखा जाये। एकमात्र बाधा या एकमात्र उपबंध या एकमात्र प्रतिबंध यह था कि हम उनकी प्राप्ति के लिए अदालतों में जा सकते। दुर्भाग्यवश, इन नीति-निदेशक तत्वों की अवहेलना के कारण आय की असमानताएं बढ़ीं और कई अन्य दुर्बलताएं उत्पन्न हुई।

कई बार हम विश्वास करते हैं कि जब कभी भी हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो हम फिर से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के मुद्दे पर लौट आते हैं। हम व्यक्तियों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, हम नीति-निदेशक तत्वों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम हमेशा से उनकी उपेक्षा करते आ रहे हैं। 50 वर्ष बाद कम से कम अब हमें स्वयं को यह याद दिलाना चाहिए और हमें एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद संविधान में यथाउल्लिखित नीति-निदेशक तत्वों को चाहे उन पर अदालती कार्यवाही न की जा सकती हो मूलभूत शासन सिद्धान्तों के रूप में अपनाया जाए जिससे कि समाज की सारी दुर्बलताओं को दूर किया जा सके, आर्थिक और सामाजिक प्रगति की जा सके और देशवासियों के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक लक्ष्यों और आदर्शों को भी प्राप्त किया जा सके।

जब हम संविधान की धारा 44 की बात करते हैं तो हम तत्काल यह सोचना आरम्भ कर देते हैं कि यह इस समय स्वतंत्रता के पचास वर्षों बाद भी व्यवहार्य नहीं हो सकता है क्योंकि समाज का एक वर्ग इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होगा या इस पर सरलता से राजी नहीं होगा। परन्तु प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि संविधान निर्माताओं ने क्या दिशा-निर्देश दिये हैं? उच्चतम न्यायालय ने केवल मात्र शाहबानो के मामले में ही नहीं अपितु इससे पूर्व और पश्चात् भी बार-बार यही कहा है कि देश की एकता और अखंडता सर्वाधिक आवश्यक है। मुझे इन नीति-निदेशक तत्वों के किसी अनुच्छेद विशेष से कोई विरोध नहीं परंतु हमें सभी नीति-निदेशक तत्वों यथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्वों को समग्र रूप से देखना चाहिए। तभी हम एक कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना कर सकेंगे और देश को एक समानता वाला समाज दे पायेंगे। इसके बिना वह संभव नहीं है; किसी भी बात में हस्तक्षेप न करने की नीति वाले राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं; एक पूंजीवादी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

1976 में जब हमने "सोशलिस्ट" शब्द जोड़ा तब का हाल देखिए। उससे पूर्व हम समाजवादी किस्म के समाज के बारे में बात करते थे। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की भी बात करते थे। परन्तु 1976 में हमने सोचा कि यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि हमारा देश एक समाजवादी राज्य होगा। परन्तु 1991 के बाद हमने क्या किया? 1991 के बाद हम पीछे चले गए अथवा बहुत आगे चले गए परन्तु दूसरी दिशा में यानी पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अहस्तक्षेप की नीति की दिशा में हमने समाजवाद का परित्याग कर दिया और हम उदारीकरण और विश्व्यापीकरण की ओर उन्मुख हो गये हैं। मेरे बहुत से माननीय मित्र इसकी चर्चा कर चुके हैं अत: मुझे इस विषय पर बोलने की जरूरत नहीं है। परन्तु यह एक गलती थी और यहीं हम गलती पर थे।

इसी तरह, सभा में बहुत बार हमने इस पर विचार-विमर्श किया है और इस पर सहमति भी हुई है, कई बार विवाद भी हुआ है और कई बार पूरी ईमानदारी से भी बात हुई है कि हमें इस देश में धर्म निरपेक्षता पर विचार-विमर्श करना चाहिए क्योंकि हर रोज यही होता चला आ रहा है कि धर्म निरपेक्षता की यह परिभाषा बन गई है, एक द्वारा दूसरे को साम्प्रदायिक कहा जाना। छद्म धर्म निरपेक्षता इस देश में स्थान पाने लगी है। मुझे नहीं पता कि संयोगवश हमारा ध्यान इस ओर जाने से चूक गया है परन्तु मुझे लगता है उन्हें धर्म निरपेक्षता को विचार-विमर्श का एक मुद्दा अवश्य बनाना चाहिए था। हमें धर्म निरपेक्षता को परिभाषित करना चाहिए था क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने, उस युग की महान विभूतियों ने धर्म निरपेक्षता को जोड़ने की आवश्यकता नहीं समझी क्योंकि इस देश ने स्वतंत्रता के समय धर्म तंत्र को कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम यह जानते थे कि यह देश स्वभाव से ही 5000 वर्ष पुराने अपने इतिहास से, अपने शास्त्रों से, अपने सूफीवाद, संतों, ऋषियों के उपदेशों द्वारा सनातन काल से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है।

अत: धर्मनिरपेक्ष शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु हमें यह अवश्य पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? मैं इस विषय पर अधिक नहीं बोलूंगा। मैं केवल एक बात कहूंगा। हम अब न्यायपालिका के सक्रिय होने की बात कर रहे हैं। कुछ विद्वान और वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने सम्प्रभुता संपन्न संसद के बारे में चर्चा की और कहा कि वह हमारे अधिकारों और संप्रभुता का अतिक्रमण कर रहे हैं।

सभापति महोदय: अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री आई. डी. स्वामी: तीन दिन से हम 7.00 बजे तक इंतजार करते आ रहे हैं। अब रात के दो ही बजे हैं। कृपया हमारे साथ सहन करिए। मैं केवल एक-दो मुद्दों पर बोलूंगा। दो से अधिक, मुद्दों पर नहीं बोलूंगा।

जब हम समतावादी समाज की बात करते हैं अथवा जब हम नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं और जब हम प्रजातंत्र को कार्यात्मक रूप देने की बात करते हैं तो हमें इस बात का गर्व होता है कि हम इस देश में प्रजातांत्रिक ढांचे को बनाए रख सके हैं। जबकि हमारे आसपास के देशों में परिवर्तन हुए हैं। हम अपने यहां लोकतंत्र को बनाए हुए हैं। परन्तु जब हम प्रजातंत्र को चलाने की बात करते हैं, तो हम किस तरह का लोकतंत्र चला रहे हैं? हमें न्यायपालिका को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि न्यायपालिका की सक्रियता हम पर हावी हो रही है परन्तु हमें आत्मालोचन करना चाहिए। अपने अंदर झांकना चाहिए, हमें वोट बैंक, राजनीति और जातिगत राजनीति के बारे में सोचना चाहिए ...*(व्यवधान)* न्यायपालिका की सक्रियता या आप उसे कुछ भी कहें, चलिए इस पर विचार करें कि न्यायपालिका को हमारे क्षेत्र में घुसने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और उन्हें यह निष्कर्ष क्यों देने पड़े? जब वोट की राजनीति शुरू हो जाती है, जब जाति और उप-जाति की राजनीति शुरू हो जाती है, जब अपने हितों की राजनीति, 'मैं और मेरा' की राजनीति होती है, जब राजनीति विचारधारा पर आधारित नहीं होती, जब वह नीतियों पर आधारित नहीं होती, जब वह ईमानदार राजनीति नहीं होती, जब राजनीतिक शक्ति का केवल आत्मतुष्टि के साधन के रूप में इस्तेमाल होता है और वह देश और समाज की सेवा के लिए नहीं होती तो निश्चित रूप से कोई तो हमें यह बतायेगा कि हम गलती कर रहे हैं।

मुझे उर्दू का एक शेर याद आ रहा है। जब हम राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं, जब हम अपराधियों के राजनीतिकरण की बात करते हैं, उपभोक्तावाद की बात करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, जब हम विश्व में घोर प्रतियोगिता और उदारीकरण की बात करते हैं, जब हम तीन ईश अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि इस देश में बरबादी के अलावा और कुछ नहीं होगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि इस विशाल देश में, हमारा ह्रास हो सकता है, समाज का ह्रास हो सकता है और उसका अपकर्ष हो सकता है लेकिन फिर भी यह देश रहेगा और प्रगति करेगा। मैं निराशावादी नहीं हूं। मैं विनाश का भविष्यवक्ता नहीं हूं लेकिन जब इन सब का प्रवेश होगा तो ऐसा ही होगा, तब

[हिन्दी]

जरायम की सियासत दौलत की बरायमी
तबाही लाकर रहेगी, तबाही रुक नहीं सकती।

[अनुवाद]

हम देखते हैं कि अपराधी आ रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि हममें से 40 अपराधी हैं। वे कहते हैं कि विधानसभाओं में 700 विधायक अपराधी हैं उनका कहना है कि इनकी संख्या 1500 थी लेकिन भगवान का शुक्र है कि वे हार गए अन्यथा इनकी संख्या यहां 40 की बजाय 200 होती ...*(व्यवधान)* मैं बहुत सी बातें छोड़ रहा हूँ।

लेकिन अंत में नाम की बात आती है। मैं पुन: अनुच्छेद 1 पर आता हूं। अनुच्छेद 1 में मानसिक दासता व सोच प्रतिबिम्बित होती है। हम आज अनुच्छेद 1 में संशोधन नहीं कर पाए हैं। अनुच्छेद 1 के संबंध में मेरा सुझाव है कि हमें इसमें संशोधन करना चाहिए और कम से कम देश का नाम ऐसा रखा जाना चाहिए जोकि अपेक्षित है। राष्ट्रीय पहचान के लिए देश के नाम का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश का इतिहास मानवता, सभ्यता और संस्कृति का प्राचीनतम इतिहास है और उसका महत्व किसी भी अन्य देश के इतिहास की तुलना में कहीं अधिक है। कोई भी कह सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन गुलाब को तो गुलाब ही कहा जाएगा।''....*(व्यवधान)*

इस देश को एक बहुत ही सीधा-सादा सा नाम (भारत) दिया गया था। यह नाम आज या 5000 वर्ष पहले नहीं दिया गया बल्कि उससे भी बहुत पहले दिया गया था, अथर्ववेद में। हमारे चार वेदों में अंतिम यह वेद इस मंत्र से शुरू होता है जिसका आज संपूर्ण देश में गान किया जाता है और शताब्दियों से अब तक जिसका गान होता रहा है। जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारतखंड और मेरू दक्षिण पूर्व में इस देश की स्थिति बताई गई है। यह सब जम्बू महाद्वीप है, भारत भूमि है, महाराजा भरत का राज्य है, पर्वत के दक्षिण में है। यह पर्याप्त है। भारत अर्थात इंडिया लिखने की आवश्यकता नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से इस सभा से निवेदन है कि कम से कम 50 वर्ष के बाद हमें अनुच्छेद 1 की इस गलती में सुधार कर लेना चाहिए। यह केवल पश्चिम की निकटदर्शिता थी जिसे दुर्भाग्यवश हमारे अनेक शिक्षित लोगों ने स्वीकार कर लिया था। इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में हमें अनुच्छेद 1 में संशोधन करना चाहिए। इस महान देश को भारत कहा जाए, इंडिया नहीं। यह इंडिया है यह कहे जाने की आवश्यकता नहीं।

सभापति महोदय: अब, श्री नारायण आठवले बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं जब रीता वर्मा जी आसन पर विराजमान थीं उस वक्त मेरा नाम आना था, लेकिन अब फिर चेंज हो गया। हमें मजबूर होकर विरोध जताना पड़ रहा है।

सभापति महोदय: क्या आप हमारी जजमेंट पर कुछ कहना चाहते हैं?

श्री सुकदेव पासवान: बिल्कुल बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय: क्या बोलना चाहते हैं, क्या हमारा डिस्क्रीशन नहीं है। आप बैठिये, मैंने नारायण आठवले जी का नाम पुकार लिया है।

श्री नारायण आठवले

रात्रि 2.00 बजे

[अनुवाद]

***श्री नारायण आठवले** (मुंबई उत्तर-मध्य): सभापति महोदय, सभा में की जा रही चर्चा का मैं स्वागत करता हूं। यद्यपि मैं हिन्दी में बोल सकता हूं तथापि मैं अपनी मातृभाषा मराठी में बोलूंगा क्योंकि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ध्यान दिलाया है कि लोकसभा में बहुत भाषाएं बोली जाने चाहिए। मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी की बात का समर्थन करता हूं। अत: मैं अपने विचार मराठी में व्यक्त करना चाहूंगा।

सभापति महोदय: श्री आठवले जी क्या आपने इसकी सूचना दी है?

श्री नारायण आठवले: जी हां, मैंने सूचना दी है।

जैसाकि मैंने कहा, सभा में की जा रही चर्चा का मैं स्वागत करता हूं। इस बारे में बुजुर्गों की भावनाओं को जानना जरूरी है लेकिन हमें युवकों की आकांक्षाओं को भी जानना चाहिए। अत: जिन विषयों पर सभा में चर्चा की जा रही है, उन पर देश में सभी स्तरों पर चर्चा की जानी चाहिए। इस चर्चा में युवकों को भी चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह देश स्वतंत्र हुआ। हम अपने देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यद्यपि देश स्वतंत्र हो गया है लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता आम आदमी तक नहीं पहुंची। स्वतंत्र देश में जो उत्साह रहता है वह हमारे देश में विशाल जनशक्ति के बावजूद भी नहीं है। हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रणाली है फिर भी यहां के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति कोई उत्साह नजर नहीं आता। लोगों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति नहीं है। उनमें स्वाभिमान नहीं है।

इसे शिव सेना के प्रमुख ने "नाम मात्र का लोकतंत्र" ठीक ही कहा है। तथाकथित लोकतंत्र के समर्थक उनकी इस बात से नाराज हैं। लेकिन लोकतंत्र जोकि लोगों में संवेदनशीलता नहीं ला सकता, आत्मसम्मान नहीं ला सकता, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की इच्छा जागृत नहीं कर सकता तो उसे "नाममात्र के लोकतंत्र", के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। आम आदमी जोकि इस लोकतंत्र का केन्द्र बिन्दु है वह इन 50 वर्षों में उपेक्षित होता रहा है। वह सिर ऊंचा करके नहीं चल सकता। हमारा देश एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है लेकिन अधिकांश लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं है। जिनके पास अधिकार हैं, वे गरीबों और आम आदमी में फूट डाल रहे हैं।

इस देश के उन युवाओं की क्या स्थिति है जिन्हें इस देश को सुदृढ़ बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी है। देश के शिक्षित और तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित युवक इस देश में अवसरों के अभाव के कारण अन्य देशों में जा रहे हैं और जो युवक कम शिक्षित हैं और जिनके पास हस्त कौशल है वे बेरोजगार होते जा रहे हैं। चूंकि वे गांव में अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, इसलिए वे शहरों में जा रहे हैं और शहरों के भ्रष्ट वातावरण में घिरते जा रहे हैं। हमने कभी यह विचार नहीं किया कि युवकों को किन-किन विषयों और कौशल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अभी भी हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इस देश में शिक्षा भी लाभकारी और वाणिज्यिक वस्तु बन गई है, कुछ राजनीतिज्ञों ने शिक्षा संस्थान स्थापित किए हैं जोकि फैक्टरियों के रूप में गलत शिक्षा दे रहे हैं। ये युवा पीढ़ी को केवल धोखा दे रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे बेरोजगार शिक्षित लोग जो स्नातक हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है।

हम बड़े गर्व से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमने समानता के मार्ग को अपनाने की बजाए असमानता का मार्ग अपनाया। हमारे गांवों में उचित दर की दुकानें चल रही हैं लेकिन गरीब लोगों के पास जिनं दुकानों से अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्हें अपने जीवन के लगभग आधा समय भूखा रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब कोई कार बनाने वाली कंपनी कोई नई कार बनाती है तो हमारे बैंक कार खरीदने के लिए लाखों रुपये ऋण के रूप में देने को तैयार रहते हैं। राजनीतिज्ञ को समानता की बात करते हैं उन्होंने देश में असमानता ही तो लाई है।

स्वतंत्रता पूर्व, हमेशा सोशल काउंसिल के सत्र से पहले कांग्रेस का सत्र बुलाया जाता था जिसमें हर व्यक्ति से स्वतंत्र भारत में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की जाती थी। यह सामाजिक लोकतंत्र की धारणा की शुरुआत थी जिसकी बाद में बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने भी वकालत की थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद किसी को सोशल काउंसिल की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

सभापति महोदय, हमें कई नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें इन समस्याओं का सामना साहस के साथ करना होगा। कई

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ऐसी समस्याएं हैं जो पुरानी हैं फिर भी उन्हें निहित राजनैतिक स्वार्थों से लंबित रखा गया है। इनमें से कुछ समस्याएं काफी गंभीर हो गई हैं। चंडीगढ़ का प्रश्न, गोरखालैंड, आदिवासी क्षेत्रों में अत्याचार, झारखंड समस्या, बोडो समस्या कुछेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। परन्तु सबसे पुरानी समस्या, जो हमारे प्रजातंत्र पर एक धब्बा है, महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के केन्द्र सरकार से मराठी भाषी लोगों के लिए राज्य की स्थापना तथा भौगोलिक क्षेत्र कायम रखने के लिए लड़ना पड़ा था। एक चाल यह भी थी कि मुम्बई नगर महाराष्ट्र का हिस्सा न बने। अब भी कुछ नेता किसी न किसी बहाने से इस मुद्दे को उठाते रहते हैं।

आज भी 40 लाख मराठी बोलने वाले लोगों का महाराष्ट्र में विलय नहीं हुआ है। महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा समस्या पिछले 35 वर्षों से ज्वलंत समस्या बनी हुई है। यद्यपि, उस क्षेत्र के मराठी लोग इसके लिए चिल्ला रहे हैं फिर भी उनकी मांग की अनदेखी की जाती है। केन्द्र सरकार निहित राजनैतिक स्वार्थ के कारण प्रजातांत्रिक अधिकारों को कुचल रही है। इस क्षेत्र के मराठी लोग गुलाम समझे जाते हैं। इस क्षेत्र के विकास की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस सीमावर्ती क्षेत्र में संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकार कुचले जाते हैं। सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने याचिका, मोर्चा, धरना, अनशन, सत्याग्रह तथा प्रदर्शन जैसे सभी प्रजातांत्रिक तरीके अपनाए। इन लोगों ने सभी चुनावों में अपना मत व्यक्त किया था। परन्तु इस समस्या को जानबूझ कर नजरअंदाज किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रीजी कहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। परन्तु कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण कह रहे हैं कि यह कोई समस्या ही नहीं है। मेरा अनुरोध है कि वे लोग जो केवल सामाजिक न्याय की ही बात करते हैं उन्हें सीमा क्षेत्र में रहने वाले इन लोगों को न्याय दिलाना चाहिए।

मैंने इस समस्या पर एक उदाहरण के रूप में कुछ विस्तार से चर्चा की थी। परन्तु ऐसी कई पुरानी समस्याएं हैं। जो लोग सत्ता में है वे इन समस्याओं का समाधान करने की हिम्मत नहीं करते। निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण समस्याओं को लंबित रखने की तुच्छ राजनीति, अब इस देश में खत्म होनी चाहिए। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। यह सर्वोच्च सदन इस मुद्दे पर जो इस बार कोई निर्णय ले लेगा तो सभी संबंधित लोगों को इसे स्वीकार करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने दूसरे स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया है। लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ी तथा कई दशकों से इस ज्वलंत समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। जब हम दूसरा स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने जा रहे हैं तो हमें एक निश्चित समय के भीतर इन लंबित समस्याओं का समाधान करने का संकल्प करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि तीन दिन इंतजार करने के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

आजादी की स्वर्ण जयन्ती पर यह विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें अध्यक्ष जी द्वारा जो भाषण दिया गया है और जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय पर यह प्रस्ताव लाया गया है जब हमारा देश एक चौराहे पर खड़ा है। हमने पचास वर्षों में क्या खोया और क्या पाया, इस पर आत्मचिन्तन करने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है।

बहुत से माननीय सदस्य सभी दलों की ओर से इस पर बोले हैं। यह भी कहा गया है कि भारत में विकास हुआ है। विकास के कुछ आंकड़े भी दिये गए हैं लेकिन और जिन चीजों को गिनना चाहिए उनको छोड़ दिया गया। पचास वर्षों में विकास के अलावा क्या-क्या हुआ है, इसके बारे में आप नहीं कह सके। भारत आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसका कारण क्या है? आजादी के बाद जब देश की बागडोर हमारे हाथों में आई तो हमने लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं जगाई और स्वयं भी सच्चे देशभक्त नहीं बने। अगर हम देशभक्त बने होते और विशाल जनता को देशभक्त सिखा देते तो शायद हम भ्रष्टाचार का जो रोना रो रहे हैं, और प्रधान मंत्री तक ने कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सत्याग्रह करना चाहिए, ये सारी बातें नहीं होती। हमने राजनीति को व्यवसाय बना लिया और इसके जरिये हमने राज किया और जितना भी धन जमा कर सकते थे, वह जमा किया और विदेश भी भेजते गए। उसके बाद भी हम अपने को देशभक्त कहते हैं। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार ने भारतीय प्रशासन और समाज के बहुमूल्य ढांचे को खोखला करना शुरू कर दिया है और जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाता, तब तक किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को हम सफल नहीं बना सकते हैं। प्रशासनिक और राजनैतिक तंत्र को सुदृढ़ करना जरूरी हो गया है और एक नया तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि भ्रष्टाचार से सही ढंग से निपटा जा सके।

सभापति महोदय, आज देश में तेजी से उग्रवाद बढ़ने का क्या कारण है? आर्थिक विषमता ने ही उग्रवाद को जन्म दिया है। इतने वर्षों में आर्थिक विषमता को हम कितनी दूर ले गए हैं? इस देश की आजादी के लिए जो लोग शहीद हुए थे, देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे

नौजवान हंसते-खेलते फांसी के फंदे पर झूल गए, क्या उनकी यही इच्छा थी कि देश में आर्थिक विषमता बढ़ेगी, देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और मुट्ठी भर लोग देश का आर्थिक उपभोग करें? अभी भी देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको देश की आजादी से कोई लाभ नहीं मिल पाया है। हम यहां जो भी कहें, लेकिन सच्चाई यही है। आज हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि अभी भी झारखंड, जिसको आप आदिवासी इलाका कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आदिवासियों की महिलाएं 15 दिन के बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर काम करती हैं।

वह सौ वर्ष पहले भी उसी तरह से काम करती थीं और आज भी उसी तरह से काम कर रही हैं। हम एक कमेटी के साथ उड़ीसा में गये थे तो वहां हमने देखा कि भूखे लोग पर्वत के पत्थर में कोई घास होती है, उसको ले जा रहे थे, हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि इसको उबालकर खाते हैं। तो ये सब चीजें हमारे देश में अभी भी देखने को मिल रही हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये राज चलाने वालों के द्वारा ऐसा राज चलाया गया। यह स्थिति तब है जबकि यह कृषि प्रधान देश था। कृषकों के लिए इन्होंने क्या किया है। आज ये कहते हैं कि हम हरित क्रांति लाये हैं, हरित क्रांति तो किसान लाये हैं, वे अपने बल पर लाये हैं, वे मेहनत करके लाये हैं, वे धरती को फाड़कर हरित क्रांति लाये हैं। लेकिन आपने उनके लिए क्या किया। अभी भी हमारे यहां बहुत ही उपजाऊ जमीन है। लेकिन पानी नहीं है। जबकि हमारे यहां पानी की भरमार है, नदियों की भरमार है। उन नदियों से अगर हम चाहते तो बिजली पैदा कर सकते थे और किसानों को सिंचाई की सुविधा देकर हम देश को समृद्धशाली और काफी ताकतवर बना सकते थे और हम दुनिया में एक महान देश बन सकते थे। इसमें जरा भी शक नहीं है। लेकिन यह राज चलाने वालों ने किस तरह से राज चलाया और ये देशभक्ति का जामा पहने हुए हैं। आज उन शहीदों की आत्मा देखती होगी। जिन शहीदों ने इतनी बड़ी कुरबानियां दीं। आज आपने देखा होगा कि बिहार में विधान सभा के बाहर हमारे कुछ नौजवानों की प्रतिमा और फोटो लगे हैं। वे कहां जा रहे थे, वे आजादी के लिए झंडा गाड़ने के लिए जा रहे थे। आज उसके निकट कसम खाकर भी लोग राज पर बैठते हैं। लेकिन वह कसम, कसम है। वे अपना काम जारी करते हैं। उनके लिए तो उनको जरा भी परवाह नहीं है कि हम एक शहीद के सामने कसम खाये हैं कि देश को हम ईमानदारी से चलायेंगे, लेकिन क्या उन्होंने देश को ईमानदारी से चलाया है, यह सोचने की चीज है। लेकिन आज का दिन एक बहुत ही सुन्दर दिन है। यह चार दिन का सत्र है। आज यदि आप इस पर विचार करें, इस पर सोचें और आज भी इस बात को ईमानदारी के साथ कबूल करें कि हां हमने अकूत धन जमा किया है और उसको वापस करें और वापस करके उन गरीबों को, जो आज तक पिछड़े हुए हैं, उनको पढ़ने-लिखने की व्यवस्था आज तक नहीं है। जिस देश में 46 करोड़ लोग मूर्ख हैं, 46 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, उस देश में लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत तो आपने करना नहीं है। मूर्ख बनाकर के देश को चलाना है और अपनी मौज-मस्ती करनी है तो हम यह कहेंगे कि आज किसान दुखी है। हमारे यहां नदियां हैं, उन सारी नदियों के बारे में आप अभी भी सोचें, उन पर बांध बनाकर बिजली पैदा करें। उस पानी से किसानों को सिंचाई की सुविधा हो जाए तो यह सारा का सारा देश समृद्धशाली होगा। आज बेकारी इतनी तेजी से बढ़ रही है। आज बेकारी ही इसका कारण है, इसका आज कोई दूसरा कारण नहीं है। बाहरी शक्ति से लड़ने के लिए आप फौज का निर्माण करते हैं। अब तो अपनी फौज गांवों में आंदोलन को दबाने के लिए पहुंच गई है। लेकिन गांव में आंदोलन कौन कर रहा है। जो नौजवान गरीब हैं, बेकार हैं जिनको कि अभी तक पूछा नहीं गया है, आज वे हथियार उठा रहे हैं। लेकिन आज वहां पर फौज पहुंची हैं। फौज इसलिए नहीं बनी है। हम यह कहेंगे कि क्या गांव-गांव में फौज से यह राज करना है। पहले आपने राज करने के बहुत से तरीके अपनाये। अपराधियों के द्वारा भी आपने राज किया, अब फौज के द्वारा राज करना चाहते हैं।

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर देश एकताबद्ध हो जायेगा तो देश के अंदर एक नई क्रांति आयेगी और देश बैठा हुआ नहीं रहेगा। इसके साथ ही मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एस.के. कारवेंधन

[अनुवाद]

***श्री एस.के. कारवेंधन** (पलानी): माननीय सभापति महोदय, अब हम अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे ढंग से हम संसद के एक विशेष स्मारक, सत्र में भाग ले रहे हैं तथा विगत में की गई अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा कर रहे हैं तथा देश के भविष्य की ओर देख रहे हैं। मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर बोलने का मौका देने के लिए मैं माननीय सभापति जी को धन्यवाद करता हूं।

अब हम स्वतंत्रता संग्राम में हमारे नेताओं द्वारा किए गए बलिदानों को याद करते हैं। हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। जहां तक दक्षिण भारत का संबंध है हम वीरपांडीय कट्टा बोम्मन के दिनों तथा कामराज, पेरियार, सत्यमूर्ति, राजाजी सब्रमण्य शिवा, सब्रमण्य भारती, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, तिरुपुर कुमारन तथा अन्य सभी लोगों के योगदान को याद करते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी। पिन तक विदेशों से आयात किया जाता था। हमारी औद्योगिक स्थिति ऐसी थी।

---

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इन पचास वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए हैं। हमने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है तथा अपने विज्ञान के क्षेत्र में भी तरक्की की है।

मैं विशेष रूप से कृषि पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा खाद्य उत्पादन अपर्याप्त था। हम विदेशों पर निर्भर थे तथा खाद्यान्नों का आयात करते थे। 1949-50 में हमारा कृषि उत्पादन 549.2 लाख टन था। 1993-94 में यह 1827 लाख टन तक पहुंच गया। इसी प्रकार, चावल का उत्पादन 1985-86 के 625 लाख टन से बढ़कर 1993-94 में 800 लाख टन हो गया। हमारे किसानों ने हमारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। प्रत्येक दशक में यह दुगुना हो गया है।

इस समय, मैं आपका ध्यान हमारे किसानों तथा खेतिहर लोगों के दुखों की ओर दिलाना चाहता हूं। क्या हमें कड़ी मेहनत करने वाले इन किसानों के जीवन स्तर में कोई सुधार नजर आता है? क्या हम भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करते हैं? क्या हम कोई कल्याण कार्य करते हैं जिससे हमारे किसानों को पर्याप्त लाभ पहुंचता हो? मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि केन्द्र तथा राज्यों दोनों में ही हमारी सरकार, हमारे किसानों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ रही है। अगर मैं अपने किसानों को दिये जाने वाला समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर रहा। जो भी प्रोत्साहन, राजसहायता और अन्य अनुदान हम उन्हें देते हैं वे बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। वे कृषक समुदाय, किसानों तथा खेतिहरों तक नहीं पहुंच पाते।

हम अपने किसानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली उर्वरक के लिए राजसहायता देते हैं। उदाहरण के लिए डी.ए.पी. खादों के लिए 3000 रुपये प्रति टन के हिसाब से राजसहायता दी जाती है। परन्तु इस राजसहायता का लाभ कृषकों की अपेक्षा उत्पादक इकाइयों को जाता है। राजसहायता दिए जाने के बावजूद ये उर्वरक बाजार में अधिक कीमतों पर बेचे जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं आप गन्ने का ही उदाहरण लें तो गन्ना उत्पादकों को दिया जाने वाला समर्थन मूल्य प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। यह पूरे देश में एक समान नहीं है।

मैं किसानों के साथ हो रही एक अन्य ज्यादती के बारे में बताना चाहता हूं। अंग्रेजों के समय से लेकर इस स्वतंत्र भारत में भी हम देखते हैं कि कुर्की द्वारा किसानों से जबर्दस्ती ऋण की वसूली की जाती रही है। कुर्की के नाम पर गरीब किसानों से उनकी पसीने की कमाई छीन ली जाती है। सम्पत्ति की कुर्की से किसानों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। किसानों को उधार कम मात्रा में और थोड़ा-थोड़ा करके दिये जाते हैं। ऋण वसूली के लिए लगातार तीन वर्षों तक कार्यवाही नहीं की जाती है। तीन वर्षों के अंत में अचानक कुर्की की प्रक्रिया शुरू करके किसानों को परेशान किया जाता है। और उनसे ली गई ऋण की राशि की तीन गुणा राशि का एक ही दिन में भुगतान करने के लिए कहा जाता है। यह अचानक की गई कार्यवाही तथा उन्हें वंचित किया जाना उनका बहुत बड़ा अपमान है जिससे किसान समुदाय का सामाजिक जीवन बहुत प्रभावित होता है। पूरे देश में कुर्की जैसा क्रूर और कठोर कानून खत्म होना चाहिए।

आज केवल तमिलनाडु में ही कृषि कार्यों के लिए बिजली मुफ्त मिलती है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पूरे देश में सभी किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए।

अब, मैं अपने राष्ट्रीय जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। हालांकि इसे अति सक्रियता ही कहा जाएगा, परन्तु हमारी न्यायपालिका निश्चित रूप से कुछ दृढ़ कदम उठा रही है जो एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कभी-कभी केन्द्र और राज्य सरकारों को कुछ असुविधा बेशक होती हो, परन्तु यह प्रभावशाली निरोधक उपायों सहित प्रशासन की खामियों को उजागर करती है। हमारी न्यायपालिका एक अच्छा कार्य कर रही है।

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और हमारे इस लोकतन्त्र के युग में संसदीय प्रणाली के दौरान हमारे वकीलों ने राष्ट्रीय जीवन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वकीलों की जीवन-यापन की स्थितियां संतोषजनक नहीं हैं। वे ग्रामीण गरीब जनता के लिए वकालत करते हैं परन्तु इन मुफलिस कस्बों और गांव में रहने वाले वकीलों का जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

देश की स्वर्ण जयंती समारोह के भाग के रूप में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया है और इस का नाम महान नेता और विधि-विशेषज्ञ श्री बी. आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा है। केवल तमिलनाडु बार परिषद में खराब स्थितियों में जीवनयापन करने वाले सदस्यों के सुधार के लिए सामाजिक कल्याण उपायों के लिए एक लाख रुपये की विधि व्यावसायिक कल्याण निधि योजना चल रही है। अखिल भारतीय बार परिषद् विधि व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने के लिए उपाय कर रही है। अत: उन्होंने पांच वर्षीय कानूनी डिग्री में एक वर्ष के विधि प्रशिक्षण को अनिवार्य बना दिया है। आज, जबकि अखिल भारतीय निकाय और बार परिषदों के राज्य निकायों को वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ रहा है तो इस नए विनियमन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। हमें इस बारे में नए दृष्टिकोण से विचार करना होगा।

इस हेतु, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता पर भ्रष्टाचार के प्रभाव की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार के निचले स्तर के कर्मचारी अपने भ्रष्ट तरीकों से समाज के सभी वर्गों के लोगों को चाहे वे अनुसूचित जाति के हों या निम्न वर्ग के हों, बड़ी कठिनाइयों में फंसा देते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार की बुराई को सामाजिक जीवन से उखाड़ने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। हमारी सरकार और हमारी जनता पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ना चाहिए। इससे लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने में सहायता मिलेगी। अपने लोगों का जीवन सुधारने के प्रति यह हमारी वचनबद्धता होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

[हिन्दी]

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर): सभापति महोदय, आजादी के 50 साल बीतने के बाद आज जो स्पेशल सैशन चल रहा है, उसमें मुझे ऐसे समय बोलने का मौका दिया गया है जब देश की पूरी जनता गहरी नींद में सो रही है और हमारे सभी माननीय सदस्य देश के अगले 50 सालों के बारे में चिन्ता कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि हम कैसी योजनाएं बनाएं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को फायदा मिले।

आजादी की स्वर्ण जयन्ती पर बुलाए गए इस स्पेशल सैशन में जब हम लोक सभा में अगले 50 वर्षों के लिए योजना बना रहे हैं, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में जो पिछड़ापन है, देश में जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, उन्हें पिछले 50 सालों से ही नहीं बल्कि हजारों सालों से जान-बूझकर पिछड़ा रखा गया है, उनके हक और उनके हिस्से को छीना गया है जिसके परिणामस्वरूप आज भी उनकी दशा उसी तरह की है जैसी उनकी दशा जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए थे, उस समय थी। आजादी के 50 साल बाद आज भी उनकी स्थिति वैसी ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है।

जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया, आज इस अवसर पर मैं उनका नमन करता हूं। उन महापुरुषों का भी नमन करता हूं जिन्होंने देश के पिछड़े लोगों को जगाने का काम किया—चाहे वे वीर एकलव्य रहे हैं, संत कबीर रहे हैं, संत गुरु रविदास रहे हैं, छत्रपति साहूजी महाराज रहे हैं, ज्योतिराव फूले रहे हैं या डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, हमारे संविधान निर्माता रहे हैं जिन्होंने इस देश में सामाजिक और आर्थिक आन्दोलन चलाकर, इस देश में फैले अंधविश्वास, जातिवाद और रुढ़िवादिता को खत्म करने का प्रयास किया है और जो व्यवस्था जातिगत आधार पर बनाई गई थी, धर्म के आधार पर बनाई गई थी, उससे जिन लोगों को नुकसान पहुंचा, वे चाहते थे कि यहां जातियां टूट जाएं, जिससे पूरे बहुजन समाज का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भला होगा, लेकिन हुआ उसके विपरीत है। जिन लोगों को जातियों से फायदा हुआ, उनकी इच्छा थी कि यहां जातियां बनी रहें ताकि हमें सम्मान मिलता रहे लेकिन जिन लोगों को जातियों से नुकसान पहुंचा है वे जातिगत आधार पर टिकी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। अगर उनके घर का कोई सदस्य ऑफिसर हो गया, नेता बन गया था संसद में भी आ गया, फिर भी जातिगत आधार पर उन्हें अपमान सहन करना पड़ता है।

आजादी के 50 साल बीतने के बाद भी, जो सपना हम पूरा करना चाहते थे, वह अभी अधूरा है। आप गावों की स्थिति देख लीजिए। हमारे नेताओं ने गावों का जो सपना देखा था कि हर गांव में खुशहाली आए, हर गांव तरक्की करे, वोट लेने के लिए यहां रोटी, कपड़ा और मकान—का नारा दिया गया लेकिन उससे न किसी को रोटी मिली, न कपड़ा मिला और न मकान मिला। इतना अवश्य हुआ कि जो लोग आजादी से पहले जमींदार थे, पूंजीपति थे, राजे-महाराजे थे, वे ही घूम-फिरकर, संविधान बनने के बावजूद, वोट की राजनीति के माध्यम से लोक सभा और विधान सभाओं में आते रहे और पिछड़े लोगों का शोषण करते रहे।

आज भी हमारे गांवों में दोहरी व्यवस्था है, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, अमीरों के बच्चे कान्वेन्ट या इंगलिश स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीब का बच्चा प्राईमरी स्कूलों में पढ़ता है। अनेक गांवों में आज भी स्कूल नहीं है, फिर वे कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। राशन की भी हमारे देश में दोहरी व्यवस्था है, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अलग राशन व्यवस्था है, देहात में रहने वाले लोगों के लिए दूसरी व्यवस्था है। गांव में लोगों को आज 250 ग्राम प्रति यूनिट की दर से चीनी दी जाती है जबकि शहरों में रहने वाले लोगों को प्रति यूनिट एक किलो की दर से चीनी मिलती है जबकि दोनों इंसान बराबर हैं। इस दोहरी व्यवस्था को हम कब तक चलायेंगे? पिछली सरकारों में जो भी लोग रहे या आज भी हैं, हमें फिर से इस व्यवस्था पर विचार करना होगा और आगे बढ़ाने के लिए दोहरी व्यवस्था समाप्त करनी होगी। जब तक आगे विचार नहीं करते हैं, तब तक इन गरीबों का भला होने वाला नहीं है। एक मानवतावादी समाज की स्थापना करनी होगी। वैसे तो हमारे देश में खेती योग्य जमीन 130 करोड़ हैक्टेयर है, जिसमें से केवल 40 करोड़ हैक्टेयर में खेती होती है, अगर 90 करोड़ हैक्टेयर जमीन जो खाली पड़ी हुई है, उसको समतल किया जाये, उसमें सिंचाई की सुविधा कर दी जाये, उसको करोड़ों गरीबों में बांट दिया जाये, जिनके पास जमीन नहीं है, उसे पर्याप्त जमीन दे दी जाए तो समस्या दूर हो सकती है। करोड़ों गरीब ऐसे हैं जो मर जाते हैं लेकिन उनके पास कोई जमीन नहीं होती है। यह कैसा स्वतंत्र हमारा देश है? यह बड़ी विडम्बना है, अगर हम प्रत्येक खेत को पानी की व्यवस्था कर देते हैं तो खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर और खुशहाल हो जाएंगे। ...*(व्यवधान)* अभी तो चार-पांच मिनट ही हुए हैं, आप कैसे घंटी बजा रहे हैं। हम लोग नये मैम्बर हैं, पहली बार बोलने का मौका मिला है।

सभापति महोदय: पार्टी का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: नहीं, हम तो आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं। करोड़ों एकड़ खाली जमीन को यदि गरीबों में बांट दिया जाता है तो उस जमीन से हर हाथ को काम मिल जाएगा और जिसके पास हल बैल है, उसको खेत मिल जाएगा तब यह देश खुशहाल होगा। जिसके पास खेत है, उसको सिंचाई की सुविधा मिल जाती तो देश खुशहाल हो जाता, लेकिन आज बड़ी विडम्बना है कि आज गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। अभी हमारे रक्षा मंत्री जी एक बात कोट कर रहे थे कि हमारे केवट, निषाद, मल्लाह की बात बोल रहे थे कि एक 14 साल का लड़का छह किलोमीटर समुद्र पार करता है और फिर लौटकर आ जाता है, उसको तैराकी में भाग लेना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी उनका समर्थन करता हूं, लेकिन आज यहां सदन में वे उपस्थित नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज वे रक्षा मंत्री हैं, उनके पास नेवी है, थल सेना भी है, निषाद,

मल्लाह, केवट से ज्यादा नेवी में कोई अच्छी सेवा इस देश में नहीं कर सकता है। क्यों नहीं उसका आरक्षण कर देते, क्यों नहीं उसकी भर्ती कर देते, लेकिन मैं समझता हूं कि केवल वे राजनैतिक भाषण करके देश की जनता को बताना चाहते हैं कि हम उनके बड़े हितैषी हैं, लेकिन वे करने वाले कुछ नहीं हैं। मैं जानता हूं कि समुद्र हो, चाहे नदियां हों, चाहे झील जलाशय हों, जब भी त्रासदी आती है, बाढ़ आती है तो निषाद, मल्लाह, केवट या जो भी नाव खेने वाले हैं, फिशरमेन हैं, वे हमेशा काम आते हैं। अभी आन्ध्र प्रदेश में तूफान आया था, उसमें 5000 लोग लापता हो गये, उनका कोई अता-पता नहीं है। आज तक उनकी इस देश की सरकार ने कोई खोजबीन नहीं की, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, उनको देश का नागरिक नहीं माना गया है।

इसी तरह से करोड़ों लोग जो नदी के किनारों पर बसे हुए हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक जीवन की देश की सरकार को कोई चिन्ता नहीं है, चाहे उनकी जो भी मूलभूत समस्या हो, अनिवार्य आवश्यकताएं हों। वे झोंपड़ी बनाकर रहते हैं, उनको ऊंची जगह बसाना चाहिए, उनको पक्के मकान देने चाहिएं, तब उन्हें आजादी का आभास होगा।

1972 में स्वर्गीय इन्दिरा जी ने जब वे प्रधान मंत्री थीं, उन्होंने एक मछुआ कल्याण फंड बनाया था, पता नहीं वह फंड कहां चला गया, उस फंड से किसका कल्याण हो रहा है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन मैं आज यह कहना चाहता हूं कि जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, उनके बारे में चिन्ता करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं कुछ मुद्दों पर अपनी बात करना चाहता हूं। वैसे तो फतेहपुर संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं। फतेहपुर क्षेत्र से हमेशा राजा-रजवाड़े या प्रधान मंत्री के बेटे हों या प्रधान मंत्री हुए, फतेहपुर की जनता ने सोचा था कि हमारे लिए सड़क, बिजली, पानी आदि की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन बड़ी विडम्बना है कि आज वहां कुछ भी नहीं हुआ है। कोई सुविधाएं नहीं हो पाई हैं। वहां के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए नहीं हो पाई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये चार-पांच जरूरी बातें हैं। जिसके संबंध में देश में हमारे सभी माननीय सांसदों ने चिन्ता की है। अनिवार्य शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, कम से कम दसवीं क्लास तक नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए और हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार न मिले तो बेरोजगारी भत्ता जरूर दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन पिछड़ों का सर्वे कराकर आरक्षण के अलावा उन्हें विशेष सुविधा मुहैया करायी जानी चाहिए जिससे आगे बढ़ने का मौका मिल सके। आखिर में हम यह कहना चाहते हैं कि जो मनी, मीडिया, माफिया के बल पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो पहले राजा-महाराजा थे, राजा-रानी के पेट से पैदा होते थे, लेकिन जब डा. भीमराव अम्बेडकर ने वोट डालने का अधिकार दे दिया, तब वे घूम फिरकर मनी, मीडिया, माफिया के माध्यम से फिर राजा बन जाते हैं, लोक सभा में सांसद बन जाते हैं या प्रधान मंत्री बन जाते हैं या चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो इसका इन्तजाम होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में हर नागरिक को वोट डालने का और सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। जो रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देते थे तो रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान चाहिए, तभी इस देश का नागरिक खुशहाल बन सकता है।

मैं एकाध बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे डा. भीमराव अम्बेडकर के वे शब्द याद आते हैं, जब उन्होंने कहा था कि "इस बात का कोई प्रतिवाद नहीं हो सकता कि इस देश के राजनैतिक क्षितिज पर बहुत लम्बे समय से कुछ लोगों का एकाधिकार रहा है और अधिसंख्य लोग केवल बोझा ढोने वाले पशु नहीं, बल्कि शिकार बनने वाले जानवर भी हैं।" तो इस देश में यह हालत है। मैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देना चाहता हूं कि जो 50 साल से हमने गलती की है, वह गलती नहीं होनी चाहिए। जो हमने कहा है कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और हर खेत को पानी, हर हाथ को काम मिलना चाहिए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण सैशन में जब हम भारत की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में लोक सभा में विशेष सत्र में मुझे बोलने की अनुमति दी। मैं विशेषकर जो आदिवासी लोग हैं, जो पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। हमारे देश में महात्मा गांधी ने इनका नाम आदिवासी रखा था और आजादी की लड़ाई में इन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया था।

मैं ऐसे जिले से आता हूं, जहां चन्द्रशेखर आजाद का जन्म हुआ और आदिवासियों के साथ रहकर अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। मैं झाबुआ जिले से आता हूं, जहां 85 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। लेकिन आदिवासियों का इतिहास आज भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वे पढ़े-लिखे नहीं थे, उनका इतिहास कौन लिखता। वे जंगलों में से तीस या जैसे भी मिला, उन्होंने शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, चाहे शहीद शंकर शाह, रानी दुर्गावती को तोपों के सामने अड़ाकर लोगों ने मार दिया। वीर नारायण सिंह, विरसा मुंडा और अगर आप हल्दी घाटी का इतिहास लें तो उसमें घंटों लगेंगे, लेकिन मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

ये लोग इसलिए लड़े थे कि आजादी आयेगी, हमारा राज आयेगा, हमारा विकास होगा। सरकार ने अनेक योजनाएं बनाईं, अनेक नीतियां बनाईं, अनेक कार्यक्रम बनाये, मगर जितना आदिवासियों का विकास होना चाहिए, उनका विकास नहीं हुआ। मैं आज वैलफेयर कमेटी की

रिपोर्ट देख रहा था, आदिवासियों में एजुकेशन सिर्फ 18 प्रतिशत है और महिलाओं में सिर्फ 4 प्रतिशत है। आज बहुत से साथी यह कह रहे थे कि आदिवासियों में आक्रोश है, चाहे बोडोलैंड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे विदर्भ हो, अनेक जगहों में आदिवासियों में विद्रोह की भावना है। यह विद्रोह की भावना क्यों आई, क्योंकि आज हिन्दुस्तान की जितनी भी खनिज सम्पदा है, चाहे वह लोहा हो, चाहे वह कोयला हो, हीरा हो, चाहे जंगलों में जो अच्छे वृक्ष हों, बड़ी-बड़ी नदियां हों, ये आदिवासी एरिया से निकली हैं। अगर हिन्दुस्तान की सारी खनिज सम्पदा कहें, चाहे सोना हो, चाहे तांबा हो, सारी की सारी खनिज सम्पदा आदिवासी क्षेत्र से निकली है। नई टैक्नोलोजी आई, सम्पदा सरकार ने खोजी, जमीन एक्वायर कर ली। आदिवासियों को कुछ पैसा दे दिया और वे कहीं चले गए। आदिवासियों की अर्थव्यवस्था जंगलों के ऊपर निर्भर होती थी, चाहे वह जंगल की जड़ हो, जंगल का फूल हो, चाहे वह शिकार हो, आदिवासी जंगल के राजा कहे जाते थे, या तो शेर जंगल का राजा कहा जाता था या आदिवासी जंगल का राजा कहा जाता था। जब सम्पदा खत्म होने लगी तो आदिवासी डिस्ट्राय होने लगे, उनकी रोजगार व्यवस्था जाने लगी।

वह शिक्षित नहीं थे, इसलिए वे धीरे-धीरे खत्म होने लगे। यह जो मुख्य समस्या है कि बिजली जहां बनती है उस झोपड़ी वाले को बिजली नहीं मिलती है। लोहा जहां निकलता है उससे बना हुआ टी.वी. सारी दुनिया देखती है लेकिन आदिवासी को उसका लाभ नहीं मिलता है। ग्रेनाइट का पत्थर दुनिया के बाजार में जाता है लेकिन आदिवासी उसका उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए यह उनके विकास की लड़ाई है। वह अन्याय और शोषण के खिलाफ अंग्रेजों और बादशाहों से लड़ा, लेकिन उसने अन्याय और शोषण बर्दाश्त नहीं किया। दूसरी संस्कृतियों के साथ हिन्दुस्तान की संस्कृति मिल गयी लेकिन आदिवासी जो हैं वे किसी से मिलना नहीं चाहते। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको छठे शैडयूल्ल के तहत सत्ता सौंप दी जानी चाहिए। अगर हम संविधान की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, इस देश में बराबरी की बात करते हैं, देश के हक की बात करते हैं तो सभापति महोदय, मेरा संसद के साथियों से एक ही आग्रह है कि अब समय आ गया है कि आजादी के 50 सालों के बाद चाहे शिक्षा हो, आर्थिक समानता की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली और पानी की बात हो, आदिवासी आज भी जंगलों में बैठे हुए हैं। वे भारत में ही रहना चाहते हैं लेकिन वे अपना हक मांगते हैं। वे चाहते हैं कि छठे शैड्यूल्ड के तहत वहां की सत्ता उनके हिसाब से उनको दे दी जाए। यह संविधान के अंदर भी लिखा है। अलग से हम कुछ नहीं मांगते हैं। वहां की चाहे सम्पदा हो, जमीन हो, जंगल हों, जल हो, उनका हक उन्हें दे दीजिए ताकि वे खुद उसकी व्यवस्था के लिए हकदार हों। चाहे प्रशासनिक कार्य हों, आर्थिक कार्य हों, एजूकेशन की व्यवस्था हो, वे ही सारी व्यवस्था करें। यह मेरी मांग है। संसद से मैं मांग करूंगा कि अगर किसी मरीज का आपने इलाज किया, मरीज को गोली खिलाई, लेकिन अगर वह उससे ठीक नहीं हुआ तो उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल मात्र यही तरीका है वहां का कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना 50 सालों की आजादी के बाद उन लोगों को वहां की सत्ता सौंप देनी चाहिए।

गरीबी दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप है। लोक सभा अध्यक्ष ने बहुत सी बातें कहीं कि हमें दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। यह एक बहुत अच्छी बात है। मेरा सुझाव है कि हमें आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे देश में बहुत बड़ी असमानता है। आप देखें कि आज भी हजारों लोग रेल की पटरियों के पास रहते हैं। आठ-दस साल के नंगे बच्चे किसके हैं। ये भारतमाता के बच्चे हैं। क्या हम उनके लिए सिर ढकने की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जनसंख्या की बात करते हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन में हमारे से भी ज्यादा जनसंख्या है। हमने अपने देश में जितनी भी विकास की योजनाएं बनाईं वे हमने नॉन-कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे छोड़ दीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर पीने के पानी की, शिक्षा की व्यवस्था आज तक हुई है। वहां पर हमें ऐसे ब्यूरोक्रेटों की जरूरत है जो विकास के लिए कमिटेड हों। अगर वहां ब्यूरोक्रेट्स कमिटेड नहीं होंगे तो आप संसद के द्वारा कितना भी बजट वहां के लिए पास करें, यहां उनके विकास पर कितनी ही बहस करें, और उनकी सहायता के लिए कितने भी कानून बनाएं, वे कानून सफल नहीं होंगे। नदी का पानी बहुत तेजी के साथ बहा जा रहा है। उस बहाव को बांध बनाकर हम सूखे खेत में भी पानी पहुंचाकर हरा-भरा कर सकते हैं। आज जितना भ्रष्टाचार होता है, वह गांव का गरीब आदमी नहीं करता है। जो कानून जानता है, वह आदमी ही भ्रष्टाचार करता है। एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए पचास साल बाद आज हम उन नेताओं का नाम ले रहे हैं। हमने कोई एकाध सिस्टम डैवलप किया, हमने इस देश में ऐसा वातावरण बनाया मगर कौन किसके लिए लूटकर ले जा रहा है? जब चीन यह मैनेज कर सकता है तो क्या हिन्दुस्तान मैनेज नहीं कर सकता? हमारे पास सब तरह की चीजें हैं। हिन्दुस्तान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। दुनिया के 173 देशों में हमारा नंबर 134वां है। गरीबी हमारे लिए अभिशाप है। आज के दिन अगर संसद में हम दो-तीन बजे रात तक बैठते हैं, दुनिया के लोग हिन्दुस्तान के लोग सोए हुए भी सोच रहे हैं और अभी भी वे आशा और विश्वास के साथ बैठे हैं। मैं सभी सदस्यों से यह अपील करूंगा कि महात्मा गांधी ने कहा कि हमारी गरीबी और पिछड़ेपन के अन्य महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। यह सबसे अहम बात है कि गरीबी अभिशप्त मानवता की मुक्ति एक राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। अगर हम सबने मिलकर संसद में इसका शुरू किया तो दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। इसलिए हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश ने आजादी प्राप्त की। उन्होंने गरीबों को दरिद्रनारायण कहा। गरीब को ऐसा मानकर वे गरीबों की झोंपड़ी में गए। वे बैरिस्टर थे, पैसे वाले थे और लंदन में जाकर पढ़े थे, मगर उन्होंने सारी जिन्दगी गरीब की झोंपड़ी में बिताई। हम लोगों को भी इस तरह का आदर्श पेश करना चाहिए। आज हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते मगर हमारे गांव के लोग गांधी बनें, हमारे शहर के लोग गांधी बनें। अगर यह बात हमारे मन में आ जाए तो हिन्दुस्तान को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।

गांधी जी ने गरीबों को ईश्वर मानकर उनकी सेवा का उपदेश देते हुए आजादी प्राप्त करने की बात हमें बताई। हमने उनके उपदेशों को विस्मृत कर दिया। पचास वर्षों बाद यदि आर्थिक रूप से हमें स्वर्ण जयन्ती मनानी है तो गरीबों के उत्थान के लिए गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श करना होगा। मैं सोचता हूं कि सभी माननीय साथी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर हिन्दुस्तान को मजबूत बनाएँ तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।

आपने मुझे अर्द्धरात्रि में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर'

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर): सभापति जी, पौने तीन बजे मेरी बारी आई है और मुझे विश्वास है कि हमारा काफी समय है। मैं अन्य सदस्यों से थोड़ा हटकर बोलूंगा, इसलिए कि खंडित भारत की खंडित आजादी की खंडित स्वर्ण जयन्ती का यह विशेष अधिवेशन है। और यह भी इस मामले में खंडित है कि बहुत से लोग इन चार दिनों में बोलने से वंचित रह जायेंगे। अगर यह अधिवेशन इतने दिन का होता कि सभी लोग अपनी मन की बात बोल जाते तो मन से तो यह पूर्ण हो जाता। इसलिए चारों चीजें खंडित हैं और इसके बारे में जब यह कहा जाता है कि क्या खोया, क्या पाया तो मैंने एक दिन पहले भी कहा था और बहुत संक्षेप में आज भी कह रहा हूं:

वतन की जो हालत बताने लगेंगे, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे,
यहीं भीड़ में खो गयी मानवीयता, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे।
वतन की जो हालत बताने लगेंगे, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे।

यह पूरी स्थिति है। उसकी बहुत बड़ी व्याख्या सब लोगों ने कर दी है। मैं व्याख्या पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुझे जो विषय मिला है वह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में है, मुझे उसमें भी छोटा विषय मिला है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हमारी जो राज्य व्यवस्था है, उस पर मुझे बोलने का निर्देश मिला है। सभापति जी, भारतीय लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक प्राचीन और बड़े विविधतापूर्ण समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है। भारत में समाज के विखंडित ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं, मूल्यों और विचारों का प्रवेश हो रहा है। राजनीतिकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण पहले जो गांव, समाज, वर्ग और सम्प्रदाय राजनीतिक व्यवस्था से दूर होते थे, अब वे भी इसके निकट आ रहे हैं। अत: गत 50 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो स्वरूप, स्वभाव, संरचना तथा कार्य प्रणाली रही है उसका अध्ययन व समीक्षा करना आज अपरिहार्य हो गया है। इस संदर्भ में मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। हमारे यहां जो लोकतांत्रिक संस्थाएं अब भी हैं, सक्रिय हैं, जिंदा हैं, क्षमतावान हैं, उनके मैं नाम गिना रहा हूं। सबसे पहले जनता, दूसरे नंबर पर व्यवस्थापिका, तीसरे नंबर पर न्यायपालिका, चौथे नंबर पर जनमत और जनता का मनोविज्ञान, पांचवें नंबर पर प्रैस और समाचार पत्र, छठे नंबर पर मौलिक अधिकार, सातवें नंबर पर संविधान, आठवें नंबर पर नैतिकता, नौवें नंबर पर चरित्र, दसवें नंबर पर निर्वाचन, ग्यारहवें नंबर पर प्रशासन और बारहवें नंबर पर राजनीतिक दल। ये सभी आज भी नेस्तनाबूद नहीं हुए हैं। इस संदर्भ में थोड़ा आगे बढ़कर जो मैंने बात कही थी, उस पर मैं जाना चाहता हूं। मैं यहां पर पूरी प्रस्तावना नहीं पढ़ूंगा। लेकिन प्रस्तावना को पढ़ने के बाद जो कुछ विवेचन है, उसके जो मुख्य लक्षण हैं, उन पर थोड़ा जरूर बोलूंगा। पहला संविधान का स्रोत जनता है। सब बोल चुके हैं, मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। दूसरा शासन के ध्येयों की घोषणा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व और केवल यही ध्येय नहीं था। ये चार ध्येय नहीं थे। इसके अलावा भी कुछ ध्येय थे। जैसे स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती। राजनीतिक स्वाधीनता तो साधन मात्र है। जब तक भूख के भय से, अज्ञान के अंधकार से, आवास के अभाव से, बुनियादी यातनाएं एवं आतंक से, शोषण, अत्याचार, लाचारी और अव्यवस्था से, जातीयवाद, क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद और साम्प्रदायिकता से राजनीतिक अनैतिकता, अन्याय एवं अपराधियों के संरक्षण से, महंगाई, घोटालों और भ्रष्टाचार से इस देश के करोड़ों लोगों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक राजनीतिक स्वाधीनता का स्वप्न अधूरा ही रहेगा, पूरा नहीं हो सकता। इसके आगे एक छोटी सी बात मैं और जोड़ रहा हूं तीसरा हमारा जो लक्षण है हमारी प्रस्तावना का सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणराज्य व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। लेकिन अखंडता की बात करते हैं तो मेरे जैसे लोग अटक जाते हैं और अटकने का कारण क्या है। मैं फिर वही बात करूंगा, क्योंकि मेरी आदत है। बहुत लम्बा भाषण न देकर मैं कुछ पंक्तियों में बात को कह रहा हूं और इस चुनौती के साथ कह रहा हूं कि यदि मेरा कथन सार्थक न हो, सत्य न हो तो मुझे टोक दिया जाए। मैं आगे बोलना बंद कर दूंगा। मैं यह क्यों कह रहा हूं कि देश की अखंडता क्यों नहीं है और मैं अखंड, आजादी की बात कर रहा था, उस पर कुछ पंक्तियां हैं:

देखते ही देखते गंवाया गया बंग,
और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं,
एक लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद,
कटा कश्मीर लौटाया भी गया नहीं,
दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पर,
पावन तिरंगा फहराया भी गया नहीं,
रोज राष्ट्र गान में पढ़ाया गया सिंध,
किंतु हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं।

सभापति महोदय, इस संदर्भ में आगे थोड़ा सा मैं और कह रहा हूं। हम बहुत रोए हैं, हमने अपनी बहुत बुराइयां कर ली हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ हो, मैं उसे नहीं मानता। हालांकि मुझे किसी की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अभी भारतीय लोकतंत्र

के सबल पक्ष जिंदा हैं। अभी इतनी जान नहीं निकली है कि हम इतने परेशान हो जाएं। पहला है—अच्छा संविधान। यह हमें विश्वास है भी। दूसरा है—लोकतांत्रिक व्यवस्था में खुलापन। तीसरा—संसदीय शासन व्यवस्था, 4. संघीय शासन व्यवस्था, 5. निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका, 6. जागरूक जनता, 7. साहसी पत्रकारिता, 8. देशभक्त मध्यम वर्ग, 9. राष्ट्रवादी और देशभक्त संगठन, 10. परिश्रमी किसान और मजदूर, 11. उच्च कोटि के वैज्ञानिक, 12. शष्यश्यामला भारत वसुंधरा, 13. राष्ट्रीय संकट के समय एकरूपता की भावना। चौदहवां है—हमारी महान संस्कृति, संस्कार एवं महापुरुष और उनके आदर्श। इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मेरा विषय कोई बहुत बड़ा नहीं है। मेरा विषय बहुत सूक्ष्म है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो प्रश्न उठता है कि इसका अभिप्राय क्या है। जो हमने पचास साल में एक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है, उसका अभिप्राय क्या है। मैं उसी पर एक पंक्ति और बोल रहा हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था न तो मात्र संविधान है, न ही मात्र निर्माणाधीन स्थिति। भारतीय राज्य व्यवस्था का तो उसी दिन निर्माण हो चुका था जिस दिन भारत की संविधान सभा में उद्देश्य, प्रस्ताव और संविधान की प्रस्तावना को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन हमको देखना यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल ढली है या प्रतिकूल है। जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था पर विचार करते हैं, तो उसका अभिप्राय होता है कि शासन का स्वरूप क्या है, शासन का ध्येय क्या है। नीति निर्माण के प्रकार क्या हैं। ऐसे कौन से तत्व हैं जो नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। राजकाज में जनता की भागीदारी कितनी है। प्रशासन का चरित्र क्या है, जनता के मूल्य, चरित्र और दृष्टिकोण क्या हैं। राज्य व्यवस्था न तो मात्र पदों का विन्यास है कि पद हम बना दें, निर्माण कर दें और न कोरा संवैधानिक कानून है। हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसके कुछ निर्धारक तत्व हैं क्योंकि राजनीति, समाज और संविधान में घनिष्ठ संबंध होता है। संविधान समाज और राजनीति का आधार होता है। राजनीति समाज से निर्मित होती है और बाद में उसी को प्रभावित करती है। समाज का स्वरूप भी राजनीति को आधार प्रदान करता है और प्रभावित भी करता है। अतः भारतीय समाज में विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्व राजनीतिक व्यवस्था को और उसकी प्रकृति को निर्धारित करते हैं।

सभापति महोदय, उनमें सबसे पहला है—भारतीय संविधान। जैसे विविधता में एकता, वयस्क मताधिकार, संसदीय शासन, संघात्मक शासन, सरकार, शक्ति का स्रोत जनता, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, दूसरा है—संविधान की प्रस्तावना, 3. ब्रिटिश विरासत, 4. एकीकरण की समस्या, 5. समायोजन और सहमति के सिद्धान्त, 6. आधुनिकीकरण, 7. धर्म, 8. जाति, 9. साम्प्रदायिकता, 10. भाषा और उसके ऊपर लोग बोल चुके हैं। इसलिए मैंने व्याख्या नहीं की। हमारे जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करते हैं, उनमें पहला तत्व है—प्रधान मंत्री व्यवस्था। वह बहुत शक्तिशाली रहा है। केवल 67 और 70 के बीच को छोड़ दें, 77 और 79 के बीच के वर्ष को छोड़ दें और अभी के 15 महीनों को छोड़ दें, तो प्रधान मंत्री केन्द्र बिन्दु रहा है। दूसरा है सिद्धान्ततः समाजवादी व्यवस्था। सिद्धान्त है। व्यवहार में नहीं हैं। व्यवहार में तो मुझे एक अदम गोढ़वी का शेर याद आता है:

"काजू भरे प्लेट में व्हिस्की ग्लास में,
उतरा है राम राज्य विधायक निवास में।"

तीसरा—व्यवहार में पूंजीवादी व्यवस्था है। चौथा है—संघात्मक व्यवस्था का एकात्मवादी रूप। व्यवस्था संघात्मक है। लक्षण एकात्मक बहुत ज्यादा है। इकहरी नागरिकता, शक्तियों का बंटवारा केन्द्र के पक्ष में, राज्यों की सीमा में दखल करने का अधिकार केन्द्र को, एकीकृत न्याय व्यवस्था है।

सभापति महोदय, मैंने एक-एक व्यक्ति को देखा है, जो एक व्यक्ति बोल रहे थे और तीस-तीस मिनट बोल रहे थे, हालांकि मैंने हस्तक्षेप नहीं किया।

सभापति महोदयः आप मुझे वह मत बताइए। मेरे पास सारा रिकार्ड है।

श्री ओमपाल सिंह निडरः सभापति जी, मैं सबसे अलग हटकर बोल रहा हूं। मैं न किसी की आलोचना कर रहा हूं और न किसी को कुछ कह रहा हूं।

सभापति महोदयः नौ मिनट में लोगों ने अपना भाषण समाप्त कर दिया है। आपको अभी तक 11 मिनट हो चुके हैं।

श्री ओमपाल सिंह निडरः एकीकृत न्याय व्यवस्था, संकटकालीन शक्तियों की व्यवस्था, एक निर्वाचन आयोग, एक संविधान, राज्यपाल, केन्द्र के प्रतिनिधि, अखिल भारतीय सेवाएं। पांचवां तथाकथित धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था। व्यवहार में नहीं। छठा अधिकांशतः एक दल की प्रधानता। कुछ समय छोड़ दें, तो एक ही दल का शासन रहा है। और यदि वे ही रोने लगें कि ऐसा क्यों हो गया, तो भैया तुम्हें बहुत मौका मिला। 42 साल मौका मिला। बहुत कुछ सुधार सकते थे। अब क्या होता है। दूसरे भी तुम्हारा ही पाप भोग रहे हैं। उनकी क्या गलती है।

सभापति महोदय, सातवां है—लोकतंत्र और खुली राजनीति की व्यवस्था, आठवां राजनीतिक संस्थाओं का अवमूल्यन, जनहित के स्थान पर दलहित, संसद व विधान मंडलों में नीतियों पर लंबी विवेचना का अभाव, तर्क के स्थान पर शोरशराबा, गालीगलौज और मारपीट, वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपेक्षा, ईमानदार और निष्ठावान लोक सेवकों की प्रताड़ना, भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों को संरक्षण, नौवां है—परम्परागत व आधुनिकीकरण का मिश्रण। दसवां-दल-बदल। इस पर बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि दल-बदल के मामले में लोग यहां बहुत माहिर हैं। ग्यारहवां है—अस्थिरता एवं अव्यवस्था की राजनीति, हिंसात्मक घटनाएं,

जन-आंदोलन, जुलूस, रैली हड़ताल, जनता कर्फ्यू, महापुरुषों की प्रतिमाओं का अपमान और भड़काऊ भाषण। बारहवां है—नौकरशाही पर निर्भरता। जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से कोई प्रधान मंत्री नहीं कह सकता है कि वह किसी न किसी नौकरशाह के दबाव में नहीं रहा। आज भी स्थिति यही बनी हुई है। तेरहवां है—सरकार ही केन्द्र बिन्दु, चाहे विरोधी दल हो, चाहे पक्षकार, केन्द्र में सरकार रहती है। चौदहवां—परम्परावादी और आधुनिकता का संगम। पंद्रहवां—व्यक्ति पूजा में घोर विश्वास, सोलहवां—अनुत्तरदायी प्रतिपक्ष, सत्रहवां—गुटबंदी, अठारहवां—सत्ता के गैर-संवैधानिक सूत्र, जो सरकार में नहीं होते, फिर भी सरकार चलाते हैं। उन्नीसवां—विविधता में एकता का संबल, बीसवां जातिवाद, 21वां—साम्प्रदायिकता, 22वां—भाषावाद, 23वां—क्षेत्रवाद, 24वां—हिंसा आतंकवाद को प्रोत्साहन। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां सुबह एक भाषण हुआ था। उस भाषण में बहुत ही लुभावने शब्द बोले गए थे। 23 तारीख को हमारे ही केन्द्र सरकार के एक सक्षम मंत्री ने खुले आम यह कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, तो गुंडा एक्ट में इस समय जितने भी लोग जेल में बंद हैं हम उन सबको पेंशन देंगे। जब इतना सक्षम मंत्री, गुंडों को पेंशन देगा, डकैती और अपहरण को उद्योग बना देगा, तो सेनाओं पर क्या फर्क पड़ेगा। वे वहां क्यों मरेंगे। वे तो गुंडागर्दी करेंगे, जेल जाएंगे, प्रमाणपत्र लेंगे और पेंशन ले लेंगे। यह स्थिति है। इसलिए सोचना यह पड़ेगा कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। 25वां है—महंगाई, घोटाला, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन और संरक्षण, 26वां—अवसरवादी गठबंधनों की राजनीति, 27वां—राष्ट्रीयता पर कोई ध्यान नहीं, 28वां—दलहित में संविधान का दुरुपयोग और व्याख्या, 29वां—आरक्षण के माध्यम से वोट जुगाड़ू राजनीति।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री ओमपाल सिंह निडर: सभापति जी, अभी मेरे दल का समय बचा है। आरक्षण के माध्यम से वोट-जुगाड़ू राजनीति 30वां—प्रशासन का राजनीतिकरण, 31वां राजनीति का अपराधीकरण, 32वां वंशवाद और परिवारवाद को प्रोत्साहन, 33वां अपराधियों को प्रोत्साहन। इस पर यदि आप मुझे आज्ञा दें, तो अब जो मान्यता हो गई है इस देश में, हमारे बारे में जो मान्यता है और मैंने फिर कहा है—आम आदमी सुनता है, समझता है, ताली बजाता है। मैं इसमें बहुत छोटा-सा बोल रहा हूं, आजकल लोग क्या कहते हैं—''दादागिरियों के दल बनाकर कोई दल, राजनीति के दंगल के चाकू बन जाइए, सत्ता डरेगी, तुम्हारा मान, ध्यान भी करेगी शराफत छोड़-छाड़ चाकू बन जाइए।'' एम.एल.ए. के टिकिट का दावेदार होना है तो किसी वायुयान के उड़ाकू बन जाइए और यदि आप संसद में जाना चाहते हो, आप तो चंबल की घाटियों के डाकू बन जाइए। यह मान्यता है। 34वां अनुशासनहीनता है।

रात्रि 3.00 बजे

35वां—न्यायपालिका की सक्रियता, 36वां—किसानों का लगातार शोषण करने वाली राजनीतिक व्यवस्था, 37वां—असफल विदेश नीति की सफल व्यवस्था, 38वां सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, 39वां—शासन की कथनी और करनी में घोर अंतर, 40वां—उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा। 41वां—राष्ट्रीय देवता की पूजा पर साम्प्रदायिकता का लेवल लगाना। 42वां—भारत में राज स्वायत्तशासी-मांग, भारत में राज्यों की स्वायत्ता की मांग जिसमें हमारे कई राज्य आते हैं, सब जानते हैं।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री ओमपाल सिंह 'निडर': समाप्त ही कर रहा हूं। 43वां भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का विकृत रूप, 44वां राजनीति में सामंतवादी तत्व, 45वां चमत्कारिक नेतृत्व में आशाएं, 46वां नारों और प्रतीकों की राजनीति, 47वां राजनीति में सब कुछ चलता है वाली राजनीति, 48वां राजनीति व्यवसाय है, 49वां कोटा, परमिट, राशनिंग की राजनीति और 50वां भिखारीपन की राजनीति।

उसके बाद अगर आप मुझे समय दें और न दें।

सभापति महोदय: एक शेर के साथ खत्म करें।

श्री ओमपाल सिंह 'निडर': दो वाक्य बोलने का अधिकार दे दें। यहां सुबह कहा गया कि हम नारियों का बहुत सम्मान करते हैं। कहां करते हो, रामपुर चौराहे पर मुजफ्फरनगर में बहुत सम्मान किया, 22 महिलाओं से बलात्कार कराया। ऐसे ही अलीगढ़ जिले में वादामी कानपुर भट्टा पर 17 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। जिनमें कुछ मुस्लिम और हरिजन महिलाएं थीं। जैसे आपने लखनऊ में 2 जून को जो कुछ किया, वह सब जानते हैं। अपनी समझ में नहीं आता कि जब मेरी पार्टी का विधायक होता है तो बहुत अच्छा होता है और भाजपा टिकट दे दे तो बदमाश हो जाता है। यह दोहरापन समझ में नहीं आता। इसलिए अंत में शेर पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं:

गैरों को सुधारने की बात करने से पूर्व
थोड़ी सी भी गैरत है तो खुद को सुधारिए।
दुष्ट चाहे दल वाले हों या परिवार वाले
सही दंड दीजिए न उन्हें पुचकारिए।
शासन में लाना चाहते हो अनुशासन
तो कोई भी हो भ्रष्ट उसे पद से उतारिए।
घोटालों को रोकना है पक्षपात बंद करो
मंत्री का भी दोष हो तो उसे गोली मारिए।

सभापति महोदय, कुछ बातों से मेरा थोड़ा सा विरोध है। यह देश कृषि प्रधान नहीं है, कुर्सी प्रधान है। किसी जमाने में यहां दूध की नदियां बहती होंगी, जब पशुओं की संख्या ज्यादा होगी। जबसे मानवों की संख्या बढ़ी है तब से खून की नदियां बहने लगी हैं। यह स्थिति है।

श्री शिवानंद एच. कौजलगी

[अनुवाद]

***श्री शिवानंद एच. कौजलगी** (बेलगाम): सभापति महोदय, हम अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए मैं लोक सभा के अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं। इस सत्र द्वारा हम अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने उद्‌गार व्यक्त कर सकते हैं।

मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री शरद यादव ने अपने भाषण के दौरान हस्तशिल्पों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाने की मांग की है। कलाकारों और मूर्तिकारों की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए यह मांग सही है। सदियों से कर्नाटक में मूर्तिकार और हस्तशिल्प फलता-फूलता रहा है। राज्य में इव्वाली, पट्टाडाकल्लु, देघूव, ताल्लुक केलादुंगाली, बेलगाम जिला, हूली, सावादत्ती तथा कई अन्य भागों में ऐतिहासिक भवन हैं। इन भवनों की रक्षा की जानी चाहिए तथा मूर्तिकारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन कलाओं का विकास करना हमारा कर्त्तव्य है। अपने शासन काल के दौरान अंग्रेजों ने अधिकांश प्राचीन मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। कर्नाटक राज्य में ऐसी अनेक दुर्लभ कलाकृतियां हैं। इनकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है।

पुरातत्व विभाग हैदराबाद में है। इसकी एक छोटी सी शाखा धारवाड़ में है। कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस शाखा के विस्तार की आवश्यकता है। केवल तभी हम्पी, बादामी, पट्टाडाकल्लु, इटागी, मेलबुगमी, धारवाड़ जिले के लककुण्डी भाग, सावादत्ती, सिरसासिंगी, सावादत्ती ताल्लुक, किट्टूर, बैलहोगांला ताल्लुक जैसे ऐतिहासिक स्थान तथा अन्य स्थानों का आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार हो सकेगा। अबुभावी मठ का तत्काल नवीकरण किया जाना चाहिए।

महोदय, इस शुभ अवसर पर हमारा कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता-सेनानियों को याद करें। सन् 1857 ई. में किट्टूर की रानी चैन्नमा अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को याद रखने में हमें भावी पीढ़ी को समर्थ बनाना होगा। अत: मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि राजधानी दिल्ली में रानी चेन्नमा की एक प्रतिमा स्थापित करवाई जाए। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि वह उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करे।

बेलावदी मालाम्मा भी एक बहादुर महिला सेनानी थीं। एक बार उन्होंने मराठा राजा वीर शिवाजी को भी पराजित किया था। उनकी प्रतिमा भी नई दिल्ली में स्थापित की जानी चाहिए।

संगोली, रोयन्ना, चेन्नमा, कट्टर समर्थक और बहादुर योद्धा थे। वे पिछड़ी जाति करुबा के थे। उनकी प्रतिमा भी नई दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित की जानी चाहिए।

चेन्नमा, संगोली, रोयन्ना तथा बेलावदी मालम्मा के परिवार जनों को भी मानदेय दिया जाना चाहिए।

सन् 1947 ई. में सात स्वतंत्रता सेनानी बईलाहोंगला में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गये। वे वीर सेनानी थे:

1. रचप्पा ईरप्पा हेब्बाली,
2. बालप्पा जाकप्पा हीरेहल्ली,
3. दत्तु लक्षमण माताडे,
4. सिदप्पा गुरप्पा सतेगिरी,
5. गुरू सिदप्पा दण्डप्पा बेलगावी,
6. शिवलिंगप्पा येलप्पा कातम्बर, और
7. एक अन्य व्यक्ति।

इन लोगों के परिवारों को भी मानदेय से सम्मानित किया जाना चाहिए। इन शहीदों की स्मृति में स्वतंत्रता संग्राम भवन का निर्माण किया जाना चाहिए।

कर्नाटक के अपने दौरे के दौरान महात्मा गांधी ने ''कांग्रेस वैल'' के समीप एक बड़ी जनसभा को सम्बोधित किया। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस स्थान को एक आकर्षक पर्यटक स्थल घोषित करें।

भारत सरकार द्वारा तत्काल ही एक यादगार स्मारक सोविनियर एवं डाक टिकटें, जिनके ऊपर किट्टूर रानी चेनम्मा, संगोली, रोयन्ना और बेलावदी मालम्मा के चिन्ह अंकित हों, जारी की जानी चाहिए।

कुछ दिन पूर्व एक नई रेलगाड़ी ''स्वर्ण जयंती एक्सप्रैस'' को बंगलौर से रवाना किया गया था। स्वतंत्रता जयंती समारोह के अवसर पर माननीय रेल मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि वे इस गाड़ी का नाम बदलकर ''संगोली रोयन्ना एक्सप्रैस'' रखें।

महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं एवं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

---

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री हंस राज अहीर

[हिन्दी]

श्री हंस राज अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक ही विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में जो पर्यावरण असंतुलन है, उसको कैसे दूर करके पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए, इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की वजह से हमारे देश में अनेक क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और विशेषकर इस कानून की वजह से आदिवासी और ग्रामीण जनता तथा सिंचाई की परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। यह कानून ऐसा कानून है जो देश के कुछ क्षेत्रों को गरीबी की ओर धकेल रहा है। यह कानून इसलिए बनाया गया था कि हमारे देश में पर्यावरण की रक्षा हो। लेकिन इसके कारण हम फारेस्ट लैंड पर विकास की योजनाएं नहीं बना सकते हैं, रास्ते नहीं बना सकते हैं। अगर फारेस्ट में सड़क बनाने की योजना है या वहां से खनिज सम्पदा का उपयोग करने की बात आती है जिसका उपयोग देश की प्रगति के लिए हो सकता है, तो उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। देश में पर्यावरण विभाग की ओर से ऐसी सूचना मिली है कि कुल भूमि का एक-तिहाई भाग वन क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन देश में कई ऐसे राज्य हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां पर 33 प्रतिशत से भी ज्यादा भूमि वन भूमि है। अगर पर्यावरण संतुलित करना है और हमें उसमें समानता लानी है तो जहां 33 प्रतिशत से अधिक भाग फारेस्ट लैंड का है, उस जगह को उस जिले के विकास के लिए जिला प्रशासन या राज्य शासन को अधिकार देना चाहिए।

रात्रि 3.11 बजे

[श्री पी.सी. चाक्को *पीठासीन हुए]*

जबकि किसी जिले में, किसी राज्य में हम कोई परियोजना बनाते हैं, सिंचाई की परियोजना बनाते हैं तो हमें उस राज्य सरकार को फॉरेस्ट विभाग के लिए उतनी ही जमीन या उससे दुगुनी जमीन अन्य क्षेत्र से देनी पड़ती है और उस जमीन पर फॉरेस्ट लगाने के लिए 30 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर भी देना पड़ता है। इसलिए जहां पर फॉरेस्ट ज्यादा है, फॉरेस्ट की जमीन ज्यादा है उस क्षेत्र के विकास की गति रुकी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, त्रिपुरा, नागालैंड, यहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा जंगल हैं। मिजोरम में 75 प्रतिशत हैं और मणीपुर में 67 प्रतिशत हैं। इसलिए यहां पर विकास की परियोजनाएं बनाई नहीं जा रही हैं और हमारे किसान सिंचाई की परियोजनाओं से वंचित हैं। वे पहले जैसी अवस्था में जीवन जी रहे हैं। हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं लेकिन आदिवासियों का हमने विकास नहीं किया है। इसके कुछ कारण हैं। हमारा जो 1980 का वन संरक्षण अधिनियम है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके रहते हम आदिवासी बहुल क्षेत्रों का विकास नहीं कर सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली, मुम्बई, हरियाणा, पंजाब जहां पर एक-दो प्रतिशत जंगल हैं, वन हैं। अगर हम यहां पर जंगल बढ़ाते हैं तो हमारे देश का पर्यावरण संतुलन बढ़ेगा। बड़े-बड़े उद्योग दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों में हैं। वहां का प्रदूषण संभालने के लिए हम ग्रामीण भाग का उपयोग कर रहे हैं। हम बड़े-बड़े शहरों का बोझा ग्रामीण भाग पर लादते हैं और ग्रामीण भाग विकास से वंचित रहता है। इसमें जरूरी यह है कि अगर हमें पर्यावरण संतुलन लाना है तो उन क्षेत्रों में वृक्ष लगाने की आवश्यकता है जहां पर एक-दो प्रतिशत जंगल हैं। महाराष्ट्र में ऐसे कई जिले हैं जहां पर एक-दो प्रतिशत जंगल हैं। मेरे क्षेत्र चन्द्रपुर में 50 प्रतशत जंगल हैं और गडचिरोली जिले में 78 प्रतिशत जंगल हैं। यहां पर किसी भी प्रकार की सिंचाई की परियोजनाएं बनाई नहीं जा रही हैं। इसका कारण फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट का होना है जो 1980 में बना था और जिसकी वजह से इन दोनों जिलों में कोई परियोजना बनाई नहीं जा रही है। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र के ऐसे जिलों में जहां एक-दो प्रतिशत जंगल हैं उन क्षेत्रों में फॉरेस्ट बढ़ाया जाए और चन्द्रपुर और गरजू जिले से जंगल कम करने की इजाजत वहां के जिला प्रशासन को दी जाए ताकि वहां के किसान और आदिवासी भाइयों को अपना विकास करने का मौका मिले तथा किसान अपनी प्रगति कर सकें एवं आदिवासी लोगों के बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर सकें। उनका उत्थान हो सके।

सभापति महोदय, पूरे देश में ऐसा कहीं भी नहीं देखा जाएगा जहां फॉरेस्ट अपनी मर्जी से काम कर रहा है। एक नागपुर विभाग ऐसा है जहां पर झुड़पी जंगल एक समस्या बना हुआ है जिससे पांच जिले प्रभावित हुए हैं। चंद्रपुर, गडचिरोली, नागपुर और भंडारा जिलों में झुड़पी जंगल के नाम से गलत नाम की एंट्री हो चुकी थी। लेकिन 1980 के कानून के बनने के बाद फॉरेस्ट के अधिकारी कहते थे कि झुड़पी जंगल लिखा हुआ है वह भूमि हमारी है और ऐसी लाखों हेक्टेयर भूमि पर फॉरेस्ट के अधिकारी अपना अधिकार बताते हैं जिससे इन पांच जिलों के विकास की गति रुकी हुई है।

मैं आपके माध्यम से सदन से विनती करता हूं कि 1984 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके झुड़पी जंगल को अलग किया जाए। फारेस्ट वाले कहते हैं कि हमारा जंगल है, हमारी भूमि है। उससे अलग करके इसे महसूल विभाग की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया जाए ताकि हम अपने पांचों जिलों का विकास कर सकें।

सभापति महोदय, जिन जिलों में अधिक फारेस्टरी होती है, वहां पर अनेक समस्याएं खड़ी होती हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में जहां-जहां आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, वहां सभी क्षेत्रों में फॉरेस्टरी ज्यादा है। आपने देखा होगा कि नागालैण्ड, मिजोरम और असम आदि क्षेत्रों में जहां पर फॉरेस्ट ज्यादा हैं वहीं पर आतंकवादी संगठन सक्रिय रहते हैं। हमारे यहां पर चंद्रपुर जिला में तथा आंध्र प्रदेश के किसी भाग में जहां नक्सलाइट मूवमेंट तेजी से चल रहा है, वहां पर भी जंगल ज्यादा हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि फॉरेस्ट काटे जाएं लेकिन जरूरत से ज्यादा फॉरेस्ट जहां हैं उन्हें कम करके वहां की जनता को भयमुक्त जीवन प्रदान करें तथा जो आतंकवादी संगठन हैं जिनकी वजह से हमारा देश डिस्टर्ब हुआ है, वहां की व्यवस्था को सुधारने के लिए अरबों-करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं, उसमें भी बचत होगी, तथा आतंकवादी संगठनों पर भी काबू पाया जाएगा। इससे वन बहुल क्षेत्र की जनता को भी न्याय मिलेगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. आर.आर. प्रामानिक

[अनुवाद]

प्रो. आर.आर. प्रामानिक (मथुरापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के बारे में बोलूंगा। चूंकि यहां समय की कमी है, मैं बहुत स्पष्ट तथा संक्षेप में बोलूंगा।

जब भी हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, हमें यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि देश का विकास तथा ताकत मुख्यत: विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर निर्भर करता है। महाशक्ति का अर्थ है कि वह देश जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सबसे आगे हो। विज्ञान उस सच को खोज निकालता है जो प्रकृति में छिपा होता है और प्रौद्योगिकी उस चीज को ईजाद करती है जो प्रकृति में नहीं है और वह ईजाद वैज्ञानिक खोज की मदद से ही होता है। अत: उत्कृष्ट परिवर्तन उत्कृष्ट खोज पर निर्भर करते हैं। अत: उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी परिवर्तनों पर जोर देने के साथ-साथ बुनियादी विज्ञान के मूलभूत अनुसंधान पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। अन्यथा सोवियत यूनियन के विघटन के बाद हम प्रौद्योगिकी परिवर्तन में सार्वभौमिकीकरण, उदारीकरण और वर्तमान में समध्रुवीय विश्व के अंतर्गत पीछे रह जायेंगे। हमें प्रौद्योगिकी परिवर्तन में उन्नत देशों के साथ रहना है।

हमारे देश में, बुनियादी विज्ञान में मूलभूत अनुसंधान पर कम ध्यान दिया गया है। अधिकतर वैज्ञानिक मुख्य रूप से अनुसंधान कार्य में नहीं लगे हैं। उनमें से अधिकांश को महानिदेशक, निदेशक, सचिव अथवा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए, इन्हें अनुसंधान कार्य के लिए कम और प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिक समय मिलता है। यह कोई अच्छे लक्षण नहीं है। एक वैज्ञानिक को अपना अधिकतर उपलब्ध समय बुनियादी अनुसंधान में लगाना चाहिए। हमारे प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी, जैसा कि मैंने देखा है, सभी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में समान प्रयत्न किये गये हैं। यह सही नहीं है। यह बुद्धिमता नहीं है। सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान और जापान को एशिया में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि वे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही अधिक प्रयत्न करते हैं जहां वे विश्व में सर्वोत्तम साबित हो सकते हैं। हमारे देश में भी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक भाग की बजाय तीन भाग होने चाहिए। प्रौद्योगिकी पर जोर देना एक भाग है, सभी प्रौद्योगिकी संसाधनों पर समान जोर देना बुद्धिमता नहीं है। हमारे यहां तीन भाग होने चाहिए।

पहले भाग में हमें प्रौद्योगिकी संबंधी उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जहां हम विश्व में सर्वोत्तम कार्य कर सकते हैं। तभी आप प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों अथवा चमड़ा प्रौद्योगिकी में हम उन्नत देशों के बराबर हैं। यदि हम उपलब्ध प्रतिभा के साथ अधिकतम कोशिश करें तो हम विश्व में अपने आपको सबसे उत्तम सिद्ध कर सकते हैं।

दूसरे भाग में, हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं। वहां, हम सहयोग दे सकते हैं और प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु ऊर्जा अथवा अंतरिक्ष ऊर्जा को ही लीजिए। उस क्षेत्र में भी हम पीछे हैं, लेकिन बहुत पीछे नहीं हैं। उस क्षेत्र में हम उन्नत देशों की तुलना में थोड़ा-सा पीछे हैं। उस क्षेत्र में हम सहयोग दे सकते हैं और प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं।

तीसरे भाग में, हम उस प्रौद्योगिकी पर कार्य कर सकते हैं, जिनमें हम पीछे हैं। वहां आप उनकी नकल कर सकते है और उनमें सुधार कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इस विचारधारा को विश्व स्तर पर भी स्वीकार किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इस विचारधारा को विश्व स्तर पर भी स्वीकार किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा बायो-प्रौद्योगिकी के उदाहरण लीजिए। इन क्षेत्रों में हम अनुकरण कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं।

अत: इन तीनों भागों में प्रौद्योगिकी संसाधनों को इस मानदंड के अनुसार रखा जा सकता है। तभी, हम एशिया में सबसे अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सभी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हमेशा पीछे रह जायेंगे।

यूरोपीय और अमरीकन लोगों की तो बात ही न करिए। अब विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी समय से एक नारा लगाया जा रहा था ''सूर्य से अपना भविष्य निर्धारित करना।'' अब सौर ऊर्जा बहुत महंगी पड़ती है। यह केवल दिन में उपलब्ध है यह मौसमी है। यह मुख्यत: उष्णकटिबंधीय देशों के लिए है और यह रेगिस्तान, पहाड़ की चोटियों तथा महाद्वीपों जैसे अलग-अलग स्थानों के लिए उपयुक्त है। लेकिन भविष्य को सूर्य की किरणों के साथ आकार देना अर्थक्षम नहीं है, व्यावहारिक नहीं है और इस फोटोवॉल्टिक तरह के सैल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। अत: (हॉट) गर्म अथवा (कोल्ड) ठंडी फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा भविष्य को आकार दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हम इस फ्यूजन प्रौद्योगिकी में गर्म अथवा ठंडी प्रक्रिया द्वारा प्रौद्योगिकी परिवर्तन ला सकते हैं तो बिजली पानी से भी सस्ती हो जायेगी क्योंकि महासागर में काफी हाइड्रोजन उपलब्ध है। कुछ वर्ष पहले डा. पोन्स और डा. फ्लैशमेन की इस खोज के बाद ठंडी प्रक्रिया वास्तविकता बन गई है। जापान और अमरीका में विद्युत समझौते-हाइड्रोजन द्वारा विद्युत पर काफी धनराशि खर्च की गई है। वे कोल्ड फ्यूजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि वे हाइड्रोजन द्वारा विद्युत प्राप्त करते हैं। अत: यह सम्भव है। यह एक वास्तविकता है। जापान और अमरीका में कुछ कम्पनियों ने इस तरह की विद्युत को पेटेंट करवा लिया है।

अब भी कुछ वैज्ञानिक गरम फ्यूजन द्वारा विद्युत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में केरल में थोरियम के प्रचुर भंडार हैं। हमारे देश में 3,60,000 मिलियन टन थोरियम और 60,000

मिलियन टन यूरेनियम की मात्रा उपलब्ध है। इसलिए, कुछ हजार वर्षों के लिए विद्युत के उत्पादन के लिए हमारे पास काफी ईंधन है लेकिन हमारे कोयले के भंडार केवल 192 बिलियन टन हैं। 100 वर्षों में ज्ञात कोयले के भंडार समाप्त हो जायेंगे और तेल तथा गैस के हमारे भंडार भी बहुत कम हैं। कोयले की तुलना में तेल के भंडार 1.1 बिलियन टन हैं जबकि गैस के भंडार 0.9 बिलियन मीट्रिक टन हैं।

कोयले की तुलना में गैस की उपलब्धता 0.9 बिलियन मीट्रिक टन है। इसलिए उनका कोई महत्व नहीं है। ये भंडार पचास वर्ष से पहले ही समाप्त हो जायेंगे। उसके बाद, कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई उद्योग नहीं चलेगा। बिल्कुल अंधकार हो जायेगा। हम अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में काफी बात करते हैं।

हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने हमें पन बिजली के बारे में बताया और यह बताया कि अकेला हिमाचल प्रदेश पूरे देश के पन बिजली स्टेशनों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है यदि मुझे ठीक से याद है तो उन्होंने ऐसा ही कहा था। अब हमारी पन बिजली की अधिकतम क्षमता केवल 75,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की है। हम इससे अधिक बिजली का उत्पादन नही कर सकते क्योंकि अनेक सीमाएं हैं जैसे वर्षा पर्यावरण संबंधी खतरे इत्यादि। अत: 75,000 मेगावाट विद्युत की सीमा है। हम अब अपने देश में 84,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं और प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत केवल 253 किलोवाट प्रति वर्ष है। जहां विश्व का औसत 2,400 किलो वॉट प्रतिवर्ष है और अमरीका का औसत 10,000 किलो वॉट प्रतिवर्ष है। यूरोप का औसत 5,000 किलो वॉट प्रतिवर्ष है। विश्व का 2,400 किलो वॉट का औसत प्राप्त करने के लिए पन बिजली उत्पादन बिल्कुल अपर्याप्त है।

अत:, आपको परमाणु ऊर्जा पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है डा. श्री निवासन, डा. राजा रमन्ना, डा. पी.के. आयंकर, डा. चिदम्बरम के अनुसार यह अपरिहार्य है। हमारे देश के सभी परमाणु वैज्ञानिकों ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा अपरिहार्य है। अन्यथा 100 वर्ष बाद पूरा भारत अंधेरे में डूब जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हम परमाणु ऊर्जा का विकास करें उतना ही अच्छा है। हमारे देश में तैयार विद्युत उत्पादन शुरू करने की अवधि छ: से सात वर्ष की है। लेकिन अमरीका में उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें कार्यावधि केवल दो वर्ष की है। चीन भी इस कार्यावधि को कम करने के लिए यह तकनीक प्राप्त करने के लिए अमरीका से सहयोग प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है।

हमारे देश में हमारे पास 600 बिलियन मीट्रिक टन कोयले के बराबर थोरियम है। हमारे पास थोरियम की इतनी अधिक मात्रा है। अब हम द्वितीय चरण को पार कर चुके हैं जहां ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तेज प्रजनक परमाणु रिएक्टर से स्पिन ऑफ ईंधन के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन तथा स्पिन ऑफ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो हमें प्लूटोनियम-239 प्राप्त होता है जिससे विद्युत का उत्पादन होगा। जुलाई में हमने कलपक्कम में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर ली। हमने परमाणु परीक्षण रिएक्टर से 15 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया और बहुत शीघ्र ही हम तेज प्रजनक परमाणु रिएक्टर द्वारा व्यावसायिक उत्पादन करने लगेंगे जिससे देश में 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। हमारे वैज्ञानिक तथा तकनीकीविद् प्रशंसा के पात्र हैं। हमने तेज प्रजनक परमाणु भट्टी तकनीक प्राप्त कर ली है।

दूसरे चरण के बाद, हम तीसरे चरण से गुजरेंगे जहां थोरियम को परिसंभार (ब्लैंकिट) के रूप में और प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरेनियम-233 को स्पिन ऑफ प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो कि ईंधन है और विखंडनीय तत्व है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को प्राप्त कर लिया है।

अब हमारा नारा विखंडन है और भविष्य के लिए विलयन होना चाहिए। आप जानते हैं कि नारा अनेक कार्यों को करने का एक सघन विचार है। इसलिए नारा सही होना चाहिए। हमारा नारा है विखंडन द्वारा वर्तमान को संवारना और विलयन द्वारा भविष्य को संवारना चाहे वह प्रक्रिया ठंडी हो अथवा गर्म।

यह वास्तविकता है। अन्यथा, हम देखते हैं कि विश्व भर में 437 परमाणु ऊर्जा केन्द्र कार्य कर रहे हैं और 37 परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माणाधीन हैं। जापान जैसे देश में भी जहां बहुत अधिक भूकम्प आते हैं और जहाँ दो-दो परमाणु बम गिराये गये थे, 33 प्रतिशत विद्युत परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होती है। फ्रांस में 77.8 प्रतिशत से ज्यादा विद्युत परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होती है। यहां तक कि दक्षिण कोरिया में भी 46 प्रतिशत विद्युत परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होती है। लेकिन हमारे देश में यह मात्र 1.89 प्रतिशत है। वहां केवल 1,840 मेगावाट बिजली परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होती है। जहां प्रौद्योगिकी है, वैज्ञानिक हैं ईंधन उपलब्ध है, थोरियम उपलब्ध है। यूरेनियम उपलब्ध है परन्तु परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन मात्र 1.89 प्रतिशत है।

मेरा अंतिम मुद्दा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है और इसमें अनुसंधान और विकास को भी जोड़ा जाना चाहिए। हमारी कोई एक नीति होनी चाहिए। हमारी विज्ञान नीति 1958 में शुरू हुई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यह नीति पुरानी हो चुकी है। अत: पुरानी नीति के स्थान पर एक नई समयबद्ध नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें योजना, कार्यक्रम और उद्देश्य भी शामिल होने चाहिएं। अन्यथा, हम विश्वीकरण और उदारीकरण के साथ-साथ नहीं चल पाएंगे।

हमारे बजट में इसके लिए मात्र 0.6 प्रतिशत व्यय का प्रावधान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए बजट प्रावधान 4 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। जहां तक नीति वचन "लैप से लैंड" का सवाल है तो मेरे विचार से यह अधूरा है क्योंकि इसे लैम्प से लैंड और लैंड से लैम्प होना चाहिए।

देश में बुनियादी सुविधाओं तथा आधुनिक उपकरणों के अभाव में हमारे वैज्ञानिकों का विदेश जाना हमारे लिए चिंता का विषय है। यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि वैज्ञानिक पैसे के लिए विदेश नहीं जा रहे हैं अपितु अनुसंधान कार्य के लिए विद्यमान पर्याप्त सुविधाओं से उपयोग के लिये जा रहे हैं। मैं अपने अनुभव से ऐसा कह रहा हूँ। 1983 में जब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मैं नोबल पुरस्कार

विजेता डा. सुब्रह्मण्यन चन्द्रशेखर से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि आप भारत वापस क्यों नहीं आये। भारत के वैज्ञानिकों को आपकी सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उनका कहना था कि वह भारत आना तो चाहते थे किन्तु वहां अनुसंधान कार्य के लिए कोई सुविधायें, कोई आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिक विदेश जा रहे हैं। उन्हें भारत से धन के लालच में विदेश चले जाने पर कोसा जाता है। लेकिन वे वहां धन के लालच में नहीं जाते हैं अपितु वे इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे देश में अनुसंधान सुविधाओं का अभाव है। अत: वैज्ञानिकों को हर सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिएं। उन्हें समाज के अति सम्मानित व्यक्ति माना जाना चाहिए। और इसलिए उन्हें सभी सुविधाएं मिलनी चाहिएं।

अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में विज्ञान और गैर-विज्ञान हावी है। यही दु:खद स्थिति है। अब हम 21वीं शताब्दी की दहलीज पर खड़े हैं और देश की उन्नति की बातें कर रहे हैं। लेकिन भारत में विज्ञान पर गैर-विज्ञान हावी है। इसलिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपेक्षित महत्व प्रदान करना चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम): सभापति महोदय, राष्ट्र एक नई शताब्दी की दहलीज पर खड़ा है और यह स्वागत योग्य कदम है कि संसद ने विगत पांच दशकों में अपने राष्ट्र और लोगों के प्रति सफलताओं और असफलताओं हेतु ईमानदारी से आत्मावलोकन के लिए पर्याप्त समय दिया है।

महोदय, भारत की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। हमें अपनी सभ्यता और अपनी विरासत पर गर्व है। आधुनिक भारत राष्ट्र की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी की हमारी स्वतंत्रता।

मैं उसी पीढ़ी का हूं जिन्हें स्वतंत्रता आन्दोलन का कोई अनुभव नहीं है। हम ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में किताबें और ऐतिहासिक साक्ष्यों से पढ़ा परन्तु नई पीढ़ी का प्रतिनिधि होने के नाते यह मेरा परम कर्तव्य है कि मैं उन लोगों को नमन करूं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये और जिन्होंने देश के बेहतर भविष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

भारत को विभाजन का कहर भी सहना पड़ा। दोनों ओर हजारों लोगों का आवागमन हुआ। आज भी, विभाजन के घाव भरे नहीं हैं और लोग विभाजन को एक कटु अनुभव के रूप में याद करते हैं लेकिन हम एक नई दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं और हम राष्ट्रीय पुनर्गठन के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विगत पांच दशकों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अपनी उपलब्धियों को हम भुला नहीं सकते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा में हमने काफी प्रगति की है किन्तु हमें और बहुत कुछ हासिल करना है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत को मजबूत बनाने की दिशा में मिलजुल कर प्रयत्न करने होंगे। हमें निचले स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना होगा तथा धर्मनिरपेक्षता की भावना को सुनिश्चित करना होगा। विभिन्न अड़चनों के बावजूद भी हम ने अपनी कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने का हर संभव प्रयास किया है।

हमारे अनेक महान नेता रहे हैं। उन्होंने इस देश को मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास किया। देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस राष्ट्र को और यहां के लोगों को एक दिशा प्रदान की है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस राष्ट्र को स्थिरता प्रदान की। श्री राजीव गांधी ने हमारे देश की नई पीढ़ी के मन में एक नई उम्मीद जागृत की। आज स्थिति क्या है। हमारे देश की कोई विचारधारा नहीं है। हमारे देश में कोई राजनीतिक स्थिरता नहीं है।

नयी पीढ़ी निराश है। नयी पीढ़ी अन्धकार में भटक रही है और पूर्ण भ्रम की स्थिति को चारों ओर देखा जा सकता है। हमारी जनसंख्या का उन्नासी प्रतिशत भाग ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। उसे ये विश्वास नहीं है कि यह राष्ट्र उन्हें अपनी कार्य क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए अपेक्षित अवसर उपलब्ध करा सकता है। क्या हम नयी पीढ़ी के मन में विश्वास की भावना जगा सकते हैं? क्या हम नयी पीढ़ी को अपेक्षित अवसर उपलब्ध करा सकते हैं? क्या हम अपने देश की घोर परिश्रमी जनता को बेहतर जीवन स्तर मुहैया करा पाएंगे? क्या हम देशवासियों को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर पायेंगे? क्या हम राष्ट्र के समक्ष नये लक्ष्यों को रख पायेंगे? यही बात सही है, जैसाकि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत की है। हमारे देश ने बहुत ज्यादा प्रगति की, परन्तु कुछ खामियां भी हैं। हमें उन समस्याओं को दूर करना होगा। हमें यह देखना होगा कि इन खामियों को कैसे दूर किया जाये।

जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी समस्या है। मेरे विभिन्न दलों से संबंध रखने वाले माननीय दोस्त इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्र और सभा में आम सहमति है कि जनसंख्या में वृद्धि की समस्या पर तत्काल ध्यान देना होगा।

महोदय, आज की स्थिति में हमारी जनसंख्या 960 मिलियन है। प्रत्येक वर्ष इसमें 19 मिलियन लोग बढ़ जाते हैं। 1951 में हमारी जनसंख्या 400 मिलियन थी। हम जब वर्ष 2001 में प्रवेश करेंगे तब हमारी जनसंख्या 1,000 मिलियन हो जाएगी। ये मात्र आंकड़े नहीं हैं। यह बात जनसंख्या वृद्धि को रोकने में अपनायी गयी रणनीति की

असफलता को दर्शाती है। इससे सारी वृद्धि और विकास निरर्थक हो गया है। इससे विकास के फायदे बेकार हो गए हैं।

पहले भारत एक ऐसा देश था जो सुई भी अन्य देशों से आयात किया करता था। अब हम उपग्रहों का निर्माण कर उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित कर सकते हैं। हम विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते थे परन्तु हम पूर्णत: असफल रहे हैं क्योंकि जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या का अड़तीस प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा है। इस प्रकार सभी समस्याओं की जड़ जनसंख्या वृद्धि है। मैं सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। ये समस्याएं निश्चित रूप से हमारे समक्ष उपस्थित हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने में यह एक बाधा है। जनसंख्या वृद्धि की भयानक समस्या से निपटने के लिए प्रभावी उपायों को रूपायित करना सरकार का दायित्व है।

मैं राष्ट्र के समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूं क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की प्रत्याशित आयु में वृद्धि हुई है? नहीं। समृद्ध व्यक्तियों जो कि समाज के उच्च वर्ग का हिस्सा हैं, की प्रत्याशित आयु बढ़ी है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की प्रत्याशित आयु नहीं बढ़ी है। इसलिए हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं इस कारण इस संबंध में काफी कुछ किया जाना है। सरकार के पास एक उत्तर परिवार नियोजन के रूप में है। मैं एक ऐसे राज्य, केरल से आया हूं, जहां पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को जोर-शोर से लाया गया और क्रियान्वित किया गया *(व्यवधान)* यह एक आदर्श राज्य है। परन्तु वहां पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों का ईमानदारी से आकलन नहीं हुआ है। अब परिवार नियोजन कार्यक्रमों से हर कोई सहमत हो रहा है परन्तु जब स्वर्गीय श्री संजय गांधी ने इसको शुरू किया था तो उस समय इसके विरोध में काफी आवाजें उठी थीं। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में खड़े होकर कहा था कि यह व्यवहार्य नहीं है और इसे क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए।

स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक भी जनसंख्या की वृद्धि के बारे में कहा करते थे और स्वर्गीय श्री संजय गांधी की प्रशंसा किया करते थे कि मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे से कठोरता और गम्भीरतापूर्वक निपटा जाना चाहिए। इस मामले में हम पूरी तरह असफल रहे हैं। इस संबंध में आंकड़े क्या दर्शाते हैं? चार बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में 1981-90 के दौरान जनसंख्या में 42 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। परन्तु यही वास्तविकता है। वृद्धि को देखा जा सकता है। इसलिए हमें इस संबंध में भिन्न कार्ययोजना को स्थापित करना होगा। मेरा यह सुझाव है कि इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री सहित एक क्षेत्रीय समूह का गठन, इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किया जाना चाहिए।

दूसरी गम्भीर समस्या बेरोजगारी की है। समय-समय पर कई कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया था। परन्तु बेरोजगारी की समस्या

हमेशा की तरह गम्भीर बनी रही। 1992 और 2002 की कालावधि में चौरानवें मिलियन रोजगार के अवसरों को सृजित करना होगा। नौवीं योजना के दौरान हमें 7.5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे। क्या हमारा देश 7.5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है? यह असम्भव है। कृषि क्षेत्र में इकसठ प्रतिशत श्रमशक्ति लगी हुई है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। परन्तु हम इस क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में निवेश घटता जा रहा है। कृषि क्षेत्र की, एक बड़ी श्रम शक्ति को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। यही प्रमुख समस्या है जिसका सामना देश आज की स्थिति में कर रहा है। हम इस क्षेत्र को अधिक महत्व नहीं दे रहे हैं। संगठित क्षेत्र ने सतत् विकास किया है। मैं इस बात से सहमत हूँ। परन्तु संगठित क्षेत्र के विकास के अनुरूप रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। हम स्व-रोजगार कार्यक्रमों की बात करते हैं। परन्तु लगभग सभी स्वरोजगार कार्यक्रम असफल हो चुके हैं और उनमें भ्रष्टाचार भी फैल गया है। यदि आप जवाहर रोजगार योजना की बात करते हैं तो मैं उस विषय में अपना आकलन बताऊंगा। लोक लेखा समिति के कार्यनिष्पादन के दौरान हमने कई राज्यों का दौरा किया। हमने देखा कि जवाहर रोजगार योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष धनराशि निर्धारित की गई थी। यह सारी राशि भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गई। जवाहर रोजगार योजना को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। यह कार्यक्रम देश में ग्रामीण लोगों को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं प्रदान कर रहा है और इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की स्थायी परिसम्पत्ति का सृजन नहीं हो रहा है। इस कार्यक्रम का परित्याग करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए जिससे कि हम इस धनराशि को राज्यों को दे सकें और वे बेरोजगारी की समस्याओं से निपटने के लिए स्वयं अपने कार्यक्रम निर्धारित कर सकें।

आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत 1991 में हुई थी। बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आ रहा है। यह एक अच्छी बात है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। परन्तु बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। बेरोजगारी की समस्या से निपटने में नीति निर्धारित करने वाले असफल रहे हैं। हमें इस विषय पर सोचना चाहिए। विदेशी पूंजी का निवेश हो रहा है। नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। परन्तु हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दर कम हो रही है। यह एक बड़ी ही गम्भीर समस्या है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारों में से अधिकांश की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। वे बाहर जा रहे हैं। और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे देश में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं और वे सभी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं। लोग उन्हें इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए दिग्भ्रमित करने के लिए तैयार रहते हैं। श्रम प्रधान क्षेत्र में बड़ा निवेश आज की आवश्यकता है। हमें कृषि क्षेत्र में पूंजीगत निवेश जुटाना है। हमें लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना है। दुर्भाग्यवश बड़े उद्योगपतियों के दबाव और उनके अनुरोध पर हम लघु उद्योगों की आरक्षित सूची में से अधिकाधिक वस्तुओं को निकालते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को बन्द किया जाना चाहिए। अन्यथा हमारे देश में लघु उद्योगों का भविष्य

अन्धकारमय है। लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार की अनन्त सम्भावनाएं हैं। हमें उन सम्भावनाओं का पता लगाना होगा।

मैं शिक्षा संबंधी एक अंतिम मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। मेरे साथियों ने हमारे देश में शिक्षा के भविष्य का उल्लेख किया है। असंख्य आयोगों का गठन किया गया था। उन्होंने अपनी सिफारिशें की थीं। वित्तीय समितियां गठित की गयी थीं। उन्होंने अपनी सिफारिशें की थीं। हमने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति नहीं की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए 153 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि 19,600 करोड़ रुपये थी। हमने ज्यादा धनराशि निर्धारित की थी। परन्तु साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है जो कि इस विषय का दुखद पहलू है। हम साक्षरता दर को किस प्रकार सुधार सकते हैं? मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसने देश में सबसे पहले सौ प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त की थी। हम केवल सरकारी एजेन्सी के ही माध्यम से नहीं अपितु अन्यों की सहायता से भी साक्षरता ला सकते हैं। ऐसी अन्य एजेन्सियां भी हैं, ऐसे गैर-सरकारी संगठन हैं, पुस्तकालय संबंधी संस्थाएं हैं। इसे एक जन-आन्दोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए लोगों के सहयोग के बिना आप सौ प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे आप कितनी ही धनराशि क्यों न खर्च कर लें, लोगों में जागरूकता लाए बिना और लोगों के सहयोग और उनकी भागीदारी के बिना आप सौ प्रतिशत साक्षरता प्राप्त नहीं कर सकते। यह हमारा अनुभव है।

मैं इस संबंध में और अधिक विचार व्यक्त नहीं करना चाहता। यह एक चौंकाने वाली वास्तविकता है कि संसार में 10 करोड़ निराश्रित बच्चे हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा भाग भारतीय बच्चों का भी है। हमारे छात्रों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। उन्हें समुचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। हमने बीच में ही शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों के बारे में बात की थी। यह एक अत्यधिक गम्भीर समस्या है जिस पर हमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं सांस्कृतिक विकास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आजकल हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। हम केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि के बारे में विचार कर रहे हैं। प्रत्येक समाज और प्रत्येक राज्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि के बारे में विचार कर रहा है परन्तु मानवीय मूल्यों की उपेक्षा की जा रही है। हम मानवीय प्राथमिकताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। यह प्रमुख समस्या है जिसका सामना इस विश्व में प्रत्येक समाज कर रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास के साथ ही साथ मानवीय मूल्यों को भी बचाया जा सके। अन्यथा हमारा भविष्य अन्धकारमय होगा। इस प्रतिष्ठित सभा में इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं स्पष्टरूप से एक बात कहना चाहता हूं कि भारत प्रगति कर सकता है। मैं विनाश की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। हमारा भविष्य उज्ज्वल है। इसके लिए हमें केवल एक बात की आवश्यकता है कि हमें एकजुट होना होगा, हमें राष्ट्रीय मसलों पर आम सहमति बनानी होगी और हमें इन समस्याओं से दल और राजनीति की सीमा से ऊपर उठकर निपटना होगा।

श्री पुण्डलिक राव रामजी गवाली

[हिन्दी]

श्री पुण्डलिक राव रामजी गवाली (वाशिम): सभापति जी, मैं पहली बार इस सदन में आया हूं और आने से पहले ऐसा लगता था कि सदन में बहुत सारी बातें अच्छी चलती होंगी, पर मेरा भ्रम निराशा में बदला। क्यों बदला, इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूं।

सभापति जी, संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। अध्यक्ष जी का भाषण बहुत अच्छा हुआ। माननीय अटल जी का भाषण और कुछ दूसरे नेताओं के भाषण भी अच्छे हुए। पर कुछ भाषण ऐसे थे जो भाषण ही थे, उनमें कोई तथ्य नहीं था। वह सदन का समय जाया कर रहे थे। नेताओं के बारे में बोला कि गांधी जी ऐसे हैं, नेहरू जी ऐसे हैं। ये सब लोग तो अच्छे हैं पर हम कैसे हैं यह बात सोचने की है। कोई पार्टी की समस्याओं के बारे में कह रहे थे, कोई खुद की समस्याओं पर कह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि यह अधिवेशन समस्याएं बताने के बजाय समस्या सुलझाने के लिए बुलाया गया है। भ्रष्टाचार, चुनाव खर्च, जनसंख्या, विदेश का अपने देश पर कर्जा, गरीबी, ऐसे अन्य प्रश्न विशेष अधिवेशन में आने चाहिएं। जनसंख्या के बारे में मेरा कहना ऐसा है कि जनसंख्या रोकने के वास्ते समान फायदा होना चाहिए और कायदा सक्षम होना चाहिए। कायदा अगर सक्षम न हो तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जनसंख्या अगर कम करनी है तो जो नारा है 'हम दो हमारे दो', उसको बदलकर 'हम दो हमारे एक' का नारा लगाओ तो जनसंख्या कम हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हो तो उन लोगों को राशन कार्ड से लेकर चुनाव में उम्मीदवारी तक कोई सहूलियत सरकार की तरफ से न दी जाए। फिर अपने आप सब बातें ठीक हो जाएंगी।

चुनाव खर्च कम होना चाहिए यह बात बार-बार आई। इसको कैसे कम करे? जो उम्मीदवार खड़ा होने वाला है, उसके पक्ष का जाहिरनामा ही उम्मीदवार का वचननामा होना चाहिए। और इस वचननामे के बैनर गांवों में लगाये जाने चाहिए। एक गाड़ी उम्मीदवार के लिए और एक गाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिए होनी चाहिए और एक दिन में एक सभा और इस सभा में एक भाषण उम्मीदवार का और एक भाषण पक्ष का होना चाहिए। इस तरह खर्च किया तो कम खर्च में चुनाव हो सकता है।

भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहें। भ्रष्टाचार के बारे में सामान्य आदमी भी बोलने लगता है। रिक्शावाला बोफोर्स घोटाले के बारे में बोलने

लगता है, यह भ्रष्टाचार इतना कॉमन हो गया है कि देश के हर एक आदमी तक भ्रष्टाचार की बात पहुंच गई है। यह भ्रष्टाचार कहां से आया, यह भ्रष्टाचार कैसे हुआ, यह कैसे पनपा, इसकी जड़ कहां है, इस जड़ को उखाड़ क्यों नहीं डालते। भ्रष्टाचार हुआ है तो इस सदन के ही कुछ लोग थे, उनके बारे में हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है। जब यहां पर सदन से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है तो सदन में ही उसका निपटारा होना चाहिए। अन्यथा अगर इस सदन में भ्रष्टाचार नहीं निपटाया जाता तो फिर कहां जाएं, यह भ्रष्टाचार कहां निपटेगा। यह भ्रष्टाचार सदन में नहीं निपटेगा तो देश में दूसरा सदन कहां है। देश में दूसरा सदन बताइए कि जहां पर भ्रष्टाचार से निपटा जा सके। यह यहीं निपटाना पड़ेगा। जिसने जो मंत्र दिया है, उसी में से हल निकालना है उनको ही निकालना पड़ेगा। नहीं तो सभापति जी, जैसा कि अटल जी ने कहा था कि पानीपत में लड़ाई तो हो रही थी लेकिन उस लड़ाई को देखने वाले ज्यादा थे। वह समय ठीक था कि जो जीतेगा देखने वाले उसमें शामिल हो जायेंगे। लेकिन अब जो लड़ाई आयेगी वह पानीपत की लड़ाई नहीं होगी, वह यादवी लड़ाई होगी। जैसे कि मैं गवली हूं। हमारे सदन में यादव भी बहुत हैं, तो वह यादवी लड़ाई होगी और यादवी लड़ाई में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। इसमें गरीब और अमीर भी नहीं बच सकेंगे। तो इस तरह से इन सब चीजों को हमें करना है अन्यथा कोई ज्यादा भाषण करने की जरूरत नहीं है। कुछ चंद मुद्दों से देश की बातें ही हो सकती हैं। भ्रष्टाचार और जो जनसंख्या है, इन दो चीजों पर जोर देकर इन पर अमल करें तो अपने देश की समस्या हल हो सकती है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री लाल मुनि चौबे

श्री लाल मुनि चौबे (बक्सर): सभापति जी, जन्म लेता हुआ प्राणी नित-नित नया होकर सामने आता है। यह सृष्टि का सुखद नियम है। इसी आधार पर अनादिकाल से प्राण शिशु रूप में प्रकट हो रहे हैं। काल ही नवनिर्माण करता है। काल ही जीर्ण करता है। हमें यह देखना है कि इन 50 सालों में काल ने कौन सा निर्माण किया और कौन सी चीजें जीर्ण होकर समाप्त हो गईं। हमें लगता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई झांसी से शुरू हुई। मंगल पांडे के विद्रोह को लेते हुए, जगदीशपुर के कुंअर सिंह द्वारा भरी गई हुंकार से, बंगाल के श्री मुखर्जी और आनन्द मठ के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना, जहां से स्वर लहरियां गूंजी थीं। आनन्द मठ से होते हुए वन्दे मातरम ने सारे देश को घेर लिया था। चन्द्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने इस असेम्बली में कान खोलने के लिए बम की आवाज की थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस की सेना ने कहा 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा', और 'दिल्ली चलो' का नारा लगाया था। तिलक ने कोर्ट में कहा था 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।'

प्रात: 4.00 बजे

फ्रीडम इज आवर बर्थ-राइट-यह संदेश गूंजा था। 1920 तक तिलक का नेतृत्व इस देश को मिला और 1920 के बाद गांधी जी आ गए जिन्होंने देश की नब्ज पर हाथ रख दिया। देश की नब्ज पर हाथ रखने से पहले, नेतृत्व संभालने से पहले, गांधी जी ने क्या सोचा था-उन्होंने सोचा था कि यह देश दलित बन चुका है, यह देश गुलामी से, दरिन्दों से जकड़ा हुआ कांप रहा है, इसके भीतर घुन लग गया है, यह गरीबी से मर रहा है। दमन यहां तक चला कि बेगारी में आदमी जानवर की तरह हो गया है। गांधी जी के पास कोट, टाई और सूट सब कुछ था लेकिन उन्होंने टाई-सूट को उतार कर फेंक दिया, एक धोती ली, उसे आधी पहनी और आधी कंधे पर डाली, पैरों में खरोपें डाले, हाथ में डंडा लिया और तब सत्याग्रह का आह्वान किया, सत्य और अहिंसा का घोष किया। यह किसी दूसरे देश की थ्योरी नहीं थी, बल्कि यहां सनातन काल से ऐसा होता आया है। हिरण्यकश्यप के खिलाफ उसके बेटे प्रहलाद ने अहिंसा का हथियार उठाया था। सनातन काल से यह प्रवाह चला आया है। गांधी जी ने भारत में उसे जिन्दा किया और सारी जनता ने कांग्रेस के झंडे के नीचे एकजुट होकर, भारत की आजादी को प्राप्त कर लिया। उसके बाद सारा देश कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़ा हो गया।

जब हमें आजादी मिल गई तो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का काम खत्म हो गया, अब इसे समाप्त कर देना चाहिए लेकिन लिप्सा और लोभ वहीं से पैदा हुआ। लोगों ने गांधी जी की बात नहीं मानी, उसकी अवहेलना कर दी और कांग्रेस को एक पोलिटिकल पार्टी के रूप में परिवर्तित कर दिया। उस पोलिटिकल पार्टी ने कांग्रेस को जो आजादी का यश मिला था, उसका फायदा 1952 में, 1962 में चाइना के खिलाफ युद्ध में, 1967 में अकाल के समय, 1971 में बंगला देश की लड़ाई के समय, 1977 में जय प्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति के आह्वान के समय, 1980 में जनता पार्टी की फूट को लेकर, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में और उसके बाद राजीव गांधी की हत्या के रूप में उठाया। सारे चुनाव लोगों के सैन्टीमेंट्स उभारकर, लोगों की भावनाएं उभारकर लड़े, कोई मुद्दा उसके सामने नहीं था। उसने आबादी को रोकने का काम नहीं किया, बेरोजगारी रोकने का काम नहीं किया, देश से गरीबी हटाने का काम नहीं किया, लोगों को शिक्षित करने का काम नहीं किया। ये अनेक कारण हैं, जिन पर कई माननीय सदस्य बोले हैं, मैं उनसे सहमत हूं-अब वे यहां से चले गए। ...*(व्यवधान)* पीछे से सामने ऐसे ही लोग आया करते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि अब भ्रष्टाचार के रूप में बहुत बड़ा संकट देश के सामने आ गया है। आज गांधी जी को भुला दिया गया है। उन्हें

भूल जाने के बाद, आंधी और तूफान की तरह अनेकों विकृतियां भारत में फैलने लगी–कहीं आतंकवाद का तूफान, कहीं भ्रष्टाचार का तूफान, कहीं अपहरण का तूफान, कहीं जातिवाद का तूफान सिर उठाने लगा। इन सारे तूफानों ने एक साथ भारत की कीलों को हिला दिया। आप देखिये कि आज भ्रष्टाचार का विरोध कौन करता है–भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है, कातिल ही कत्ल का विरोध कर रहा है, डाका डालने वाले डकैती का विरोध कर रहे हैं, लूटने वाले लुटेरे लूट का विरोध कर रहे हैं और बाकी 95 प्रतिशत लोग हाथ खींचकर वहीं बैठे हैं, उनका मुंह बंद कर दिया गया है, उन्हें पंगु बना दिया गया है। यदि चन्द्रशेखर जी की बात मान ली जाए तो वे पांच प्रतिशत कितने लोग हैं और 95 प्रतिशत लोग जो जाड़े में मर रहे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं, शिक्षा के अभाव में अशिक्षित हैं, जिनके घर की झोंपड़ियों में छप्पर नहीं है, जिनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, आज जिनके बच्चे ठंड के कारण निमोनिया से मर रहे हैं, लूं से मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं? जिन पर ऐसे तमाम लोगों की सुरक्षा करने, उन्हें शिक्षा प्रदान करने का जिम्मा है, आज वे उनके प्रति आंसू बहाते हैं।

यहां सारे लोग गरीबी के बारे में बोल रहे हैं और कहते हैं कि बेरोजगारी मिटा देंगे तो गरीबी मिट जायेगी, गरीबी मिटा दोगे तो बेरोजगारी मिट जायेगी। यानी वाइस-वर्सा चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सदन चार दिनों की बहस के बाद कुछ निकाल पाएगा? मैं समझता हूं कि यह बहस पूरी तरह बांझ निकलेगी जो कोई बच्चा नहीं देगी। ऐसी बहस यहां लगातार होती रहती है।

आज कहा जा रहा है कि हमें आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। हम लोग भी देश के विभिन्न भागों में पिछले चार साल से गोष्ठियां कर रहे हैं। हम लोग नेता खोज रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन नेता ऐसा बचा है, जिस पर जनता विश्वास करती है, जिसकी आवाज पर जनता खड़ी हो जाए लेकिन आज तक हमें कोई नेता नहीं मिला। क्या हमें गांधी बनाने का कारखाना नहीं खोलना चाहिए। कुछ लोग जंगलों में जाकर, सरकारी व्यवस्था पर वहां तपस्या करके, दर्शन-शास्त्र पढ़कर, अपनी संसद और दुनिया के इतिहास को जानकर, यह नहीं समझते कि इस देश के लोगों का विश्वास उनसे हट गया है। इससे संसद की अवमानना नहीं होती लेकिन हमें लग रहा है कि लोगों का विश्वास राजनीति के प्रति घटता जा रहा है। हमारी संसद एक बड़े लम्बे चौड़े वैभवशाली मकान की तरह है जहां लोग बैठकर विचार करते हैं और आज भी कर रहे हैं। यह अविश्वास हमारे ऊपर है।

जहां तक गरीबी का सवाल है, मैं आपको बिहार ले चलता हूं। वहां एक रामगढ़ जिला है जहां कभी गांधी जी के समय में, कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था। यहां जो पुराने और वृद्ध कांग्रेसजन बैठे हैं, वे जानते होंगे। रामगढ़ में भेड़ाघाट और दामोदर नदी के संगम पर छिन्नमस्तिका का मन्दिर है। जब सती मर गई तो शंकर जी को मोह हो गया कि सती अभी जिन्दा है। इस मोह के कारण शंकर सति को लेकर सारे भारत में घूमे। सती का शरीर भेड़ाघाट पर, दामोदर नदी के संगम पर गिरा जहां झिन्नमस्तिका का मंदिर है। उस स्थान पर एक बार हम लोग खाना खाने चले गए। वहां मीट कटता है, वैसे मैं नॉन-वैजिटेरियन हूं, खुद खाना बनाता हूं और खाता हूं। हम 20-25 लोग थे। उस मन्दिर में उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। मैं हिंसा-अहिंसा के बारे में नहीं जानता क्योंकि मेरे पास उसकी कोई सफाई नहीं है, जो कुछ है, बता देता हूं। वहां हम 20-25 लोग प्याज काटने, खाना बनाने और लुहसन छीलने में इतने व्यस्त हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारे अगल-बगल में क्या हो रहा है। खाना खाकर जब हम पत्तल फेंकने चले तो देखा कि एक तरफ 25-30 बच्चे बैठे हैं और दूसरी तरफ 25-30 कुत्ते। ज्यों ही हम लोगों ने पत्तल फेकें, एक तरफ से बच्चे दौड़े और दूसरी तरफ से कुत्ते। झूठी पत्तलों के लिए उनमें लड़ाई शुरू हो गई। कुत्ते मजबूत हुए तो उन्होंने पत्तल छीन ली, बच्चे मजबूत हुए तो उन्होंने छीन ली। झूठी पत्तलों को झपटने की लड़ाई हमारे सामने वहां भेड़ाघाट पर छिन्नमस्तिका मन्दिर के पास, रामगढ़ में हुई। एक कवि ने इसका चित्रण भी किया है। उसने कहा कि एक आदमी वह है जो रोटी बेलता है लेकिन रोटी खाता नहीं, दूसरा वह व्यक्ति है जो रोटी बेलता है और रोटी खाता भी है, तीसरा वह व्यक्ति है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह तीसरा व्यक्ति कौन है–देश की संसद मौन है।

सभापति जी, देश में गरीबी का यह आलम है कि 95 प्रतिशत लोगों के बच्चों की यह नियति बन गई है, जैसा किसी कवि ने भी कहा है कि दाये हाथ से जिन्दगी भर पानी उलीचते रहो और बायें हाथ से गंदगी साफ करने का काम किया करो। यह बहुत अश्लील कविता है। बायें हाथ से गंदगी कब साफ करते हैं और दायें हाथ से कब पानी डाला जाता है? और दायां हाथ कब पानी से धोया जाता है, मैं समझता हूं लोग समझ गए होंगे। मैं समझता हूं यह नियति है इस देश के उन 95 प्रतिशत लोगों की जो किसान के रूप में मारे जा रहे हैं। जिनके खेतों की सिंचाई नहीं होती है। लेकिन खेती पर अरबों-अरब रुपया पास हुआ है, रुपया गया है, नहरे नहीं बनी, कालोनीज बन गई। छोटे-छोटे जूनियर इंजीनयरों के घरों में संगमरमर के पट्टे लग गए। छोटे-छोटे पहाड़ों को बांध कर जहां योजना आयोग ने कहा कि तुम हमें खेती लायक 25 प्रतिशत जमीन सिंचित करके दो। इस पर बांध बना दीजिए। सिंचित तो कर दी पांच हजार हेक्टेयर, लिखा गया 25000 हेक्टेयर। सभापति जी, पांच हजार हेक्टेयर सिंचाई होगी, लिखा गया 35 हजार हेक्टेयर कमांडिंग एरिया। 30,000 हेक्टेयर ऐसे ही रह गई और वह खेत सिंचित दिखा दिए गए। सारे काम स्कूल के, सड़क के ऐसे ही हो रहे हैं। पैसा कहां जा रहा है, आप सबको मालूम है।

हमारे बिहार में बिहार इरीगेशन एक्ट नहीं है, बंगाल इरीगेशन एक्ट पर बिहार चलता है। बंगाल इरीगेशन एक्ट कहता है कि किसानों से 16 साल में बांधों की लागत वसूल कर ली जाएगी, जो लाभार्थी होंगे। लेकिन दूसरे जो किसान के लिए हैं, कहते हैं कि 12 महीने पानी देना होगा। 16 साल में किसानों से कर वसूल किया जाएगा, 35000 हेक्टेयर वाले किसानों को पानी ही नहीं मिला तो कर कहां से वसूल करेंगे? कुछ ऐसे टैक्स हैं जो गुलामी में भी नहीं लगते थे। मैं दावे से कहता

हूं कि यह हो रहा है। सारे भारतवर्ष में सीजनल डैम हैं, स्थायी केवल थोड़े बहुत पंजाब और हरियाणा में हैं, जहां उनसे इरीगेशन होती है। ये सीजनल डैम बनाने वाले किसानों की चिंता करते हैं कि बीज अच्छा नहीं मिला, खाद अच्छी नहीं मिली, बुवाई समय पर नहीं हुई। जबकि ये किसान अंगुली से जमीन को पहचान लेते हैं। यह ठीक है कि अंगुली से पहचान लेते हैं, थर्मामीटर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन पानी कैसे आएगा, कैसे पौधा लगेगा, कैसे बालियां फूटेंगी और पानी का इंतजाम कैसे होगा, इसका पता नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि किसान मर रहा है। उसकी पैदावार का उचित मूल्य उसे नहीं मिलता। किसान चौतरफा मारा जाता है।

मजदूर किसान से जुड़ा हुआ है। मजदूर को किसान से लड़ाया जा रहा है। लेकिन 25 लाख की गाड़ियों पर कोई किसान नहीं चलता है। हम लोग देखते हैं, जब संसद से जाते हैं किसी कारखाने के बाहर खड़े होकर देखते हैं कि वह मर्सडीज जा रही है, वह इस्टीम जा रही है और वह सीलो जा रही है। हम लोग हैरान होकर सोचते हैं कि कभी हमें भी वह बिठा लेगा और थोड़ी दूर बिठाकर घर तक पहुंचा देगा। लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े-बड़े पूंजीपतियों की बात कर रहा हूं। ये पूंजीपति जिन्होंने हमारी बेबसी को खरीद रखा है। हमारी बेबसी को खरीदकर अपने घर में नौकरी दे रखी है और उससे जासूसी करता है और दूसरे देश से पैसा लेता है और अपने देश के गले में छुरी चलाता है। ऐसी हमारी बेबसी है। भारत सरकार से, आम जनता के पैसे से वेतन लेता है, दिल्ली में बैठकर उद्योगपति का काम करता है।

सत्याग्रह हो रहे हैं। वह कौन करेगा, हमारे प्रधान मंत्री जी किस के सामने करेंगे, किससे कहने जाएंगे। भ्रष्टाचारी जो सत्याग्रही होंगे, किसके दरवाजे पर जाएंगे कि देखो यह भ्रष्टाचार हो रहा है, इसे मिटाओ। यह लोगों को क्या हो गया है। देश का दिमाग ठीक है या नहीं, लगता है देश के लोग दिमागी संतुलन खो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह की बात क्यों होती है।

प्रधान मंत्री के दरबार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जब बिहार में अकाल पड़ा था उस समय जनता की दुकान उनको दे दी गई थी। चावल को जब झाड़ा जाता है तो जो कन्ना या झाड़ निकलता है नीचे से, उसको बेच दिया। मजिस्ट्रेट ने उसको पकड़ा और पकड़कर गधे पर बिठाकर सड़कों पर घुमाया, आज वह किसी पार्टी की तरफ से प्रधान मंत्री पद का उम्मीदवार है। वह भी प्रधान मंत्री बन सकता है।

यहां पर दो बच्चे, तीन बच्चे की बात कही गई। मैं तो कहीं ज्यादा कर चुका हूं। लालू से करीब-करीब हम लोग बराबर हैं। मैं कल से सोच रहा हूं कि तीन बच्चे जो पैदा करेगा उसको सांसद या प्रधान मंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन प्रधान मंत्री बनेगा कौन। डाका डालने वाला, जनता का पेट काटने वाला, ऐसा जिम्मेदार आदमी जिसके ऊपर आदमियों की सुरक्षा की दीवार है, वह प्रधान मंत्री बनेगा।

सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर देश को सचमुच में सुधारना है तो इस देश को एक भाषा दीजिए। मैं समझता हूं हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी ने मेरी बड़ी सेवा की है। हमें ज्ञान, विज्ञान से परिचय कराया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सभ्य बनाया, यह भी मैं मानता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि देश-विदेश से परिचय कराया। अंग्रेजी से मुझे कोई घृणा नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने पर नर्स बड़ी सेवा करती है। घाव पर मरहम लगाता है, पट्टी करती है और हमारा पाखाना तक धोती है। जब रोगी हताश और निराश होकर मुंह बना लेता है तो मुस्करा कर उससे बोलती है। उसे अपने आंचल से वात्सल्य देती है, लेकिन क्या नर्स हमारी मां हो सकती है, ऐसे ही हिन्दी हमारी मां है। तेलुगू, तमिल, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, बंगला और मुंडा, उराव, अंजिका, मराठी, गुजराती, नेपाली, पंजाबी ये सब हमारी बहनें हैं। इन मां-बहनों को मिलाकर क्यों नहीं भारतमाता को एक व्यक्ति के रूप में खड़ा करते और दुनिया को बताते कि हमारी मां गूंगी नहीं है, हमारी भारतमाता वाचाल है। उसके पास जीभ है। लेकिन पिछले पचास वर्षों से जीभ काट दी गई है और हमारे संविधान की राष्ट्रभाषा है।

सभापति महोदय: समाप्त कीजिए।

श्री लाल मुनि चौबे: मैं नहीं समझता कि मैं ज्यादा समय ले रहा हूं। मैं भी इन्हीं लोगों की तरफ बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: आपने काफी समय ले लिया है।

श्री लाल मुनि चौबे: जैसे इनके वक्त हमारा समय बढ़ा दिया गया, ऐसे ही मेरे वक्त इनका भी समय बढ़ा दें। मैं कहना चाहता था कि कुछ सदस्य बंगला में, तमिल में या तेलुगू में बोल रहे थे। हम बड़े प्रसन्न हुए। आप यहां कुछ लोगों को रोजगार दे दीजिए, कंवर्शन के लिए ऊपर बैठे हुए घरों में, यह काम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि इनकी अंग्रेजियत ढह जाएगी। कुछ लोगों की नौकरी संकट में पड़ जाएगी। उनके घर से आईएएस और आईपीएस नहीं निकलेंगे। तब आम आदमी का बेटा निकलेगा, मजदूर का बेटा निकलने लगेगा और आईएएस, आईपीएस बनेगा। मैं नहीं समझता कि यह शोषण अनंतकाल तक चलता रहेगा। मैं आशा करता हूं कि यह एक युद्ध है। ऐसा युद्ध जो निर्माण का युद्ध है। हमारे देश में निर्माण कुछ हुआ ही नहीं, समाहित कैसे होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि-

समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।

अगर अपराधी इस देश के लोग कहेंगे तो सारा देश अपराधी होगा, कोई दल सुरक्षित नहीं होगा। मैं कहता हूं यह चर्चा एक बांझ है, यह बच्चा करने वाली नहीं है, कोई निष्कर्ष देने वाली नहीं है।

अगर हो जाए तो मैं वाजपेयी जी की उस बात से प्रसन्न होऊंगा कि लोग कहते थे कि भारत अभी एक खंड हुआ है और अभी दूसरा खंड होगा। लेकिन नहीं हुआ। हमारा जनतंत्र समृद्ध और मजबूत बनकर खड़ा है। मैं उस दिन प्रसन्न होऊंगा, अगर कोई यह बच्चा दे दे।

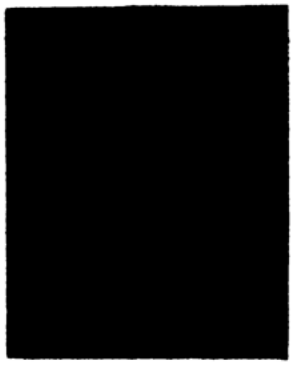

श्री सुकदेव पासवान

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): सभापति महोदय, भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारे लोक सभा अध्यक्ष के द्वारा यह आह्वान किया गया कि आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन मैं इसे दूसरी लड़ाई नहीं बल्कि आजादी की तीसरी लड़ाई मानता हूं। इसलिए मानता हूं कि 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने पूरे देश में एक जन-आंदोलन खड़ा करके क्रांति लाने का काम किया था और क्रांति के जरिये सुधार लाने का काम किया था। उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार मिटाना, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाना। जो जन-प्रतिनिधि गलत हों उनको वापस बुलाने का अधिकार आदि कई मांगों को लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन पूरे देश में हुआ। गुजरात से शुरू होकर जब यह बिहार में आया तो इस आंदोलन ने पूरा जोर पकड़ लिया। हमारे पूर्व-वक्ता लाल मुनि चौबे उस आंदोलन के योद्धा हैं। रघुवंश बाबू और कई सारे लोग चाहे इस पक्ष में हों या उस पक्ष में हों, इस आंदोलन के चलते 19 महीने तक वे जेल में रहे। जिस दिन जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार किया गया उस दिन आधी रात को आपातकाल की स्थिति पैदा हो गयी। देश में आतंक और भय का वातावरण छाया हुआ था। उसी आंदोलन की बदौलत में भी आज लोक सभा का सदस्य हूं और तीन बार जीतकर आया हूं। उस आंदोलन की बदौलत किसान और मजदूर परिवार के लोग लोक सभा में चुनकर आते हैं, विधान सभा में आते हैं। अगर वह आंदोलन न हुआ होता तो देश के पूंजीपति लोग, बड़े घराने के लोग जो 1974 से पूर्व लोक सभा में आते थे वहीं अब भी आते। आज किसान और मजदूर परिवार से लोग लोक सभा और विधान सभाओं में आते हैं। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आज नमन करता हूं।

जनसंख्या के विषय में हमारे पूर्व-वक्ताओं ने, हमारे कई साथियों ने विस्तारपूर्वक चर्चा की है। भारत की जनसंख्या 2001 तक एक अरब से भी ज्यादा होने का अनुमान है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम को 1951 में शुरू किया गया था। लेकिन उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इतनी ज्यादा जो वृद्धि हो रही है इस पर रोक लगाने का काम होना चाहिए था।

सभापति महोदय, अगर सही मायने में लोक सभा यह चाहे कि उसे फलां निर्णय करना है। जो लोक सभा में निर्णय होगा, वह पूरे देश को मान्य होगा, लेकिन पता नहीं कि हमारे देश के नेताओं में इच्छाशक्ति की कमी क्यों है। इच्छाशक्ति की कमी के चलते हम लोगों का कोई भी काम जिस रूप से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पा रहा है।

सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के पचास साल गुजरने के बाद भी देश में शिक्षा का अभाव है। हम लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं। सही मायनों में हमारे कई मित्रों ने बताया है कि गांवों में स्कूल नहीं है। अगर स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं हैं। अगर शिक्षक और स्कूल दोनों हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसका क्या कारण है क्या इसके विषय में हम लोगों ने गंभीरता से आज तक सोचा? आजादी के पचास साल बाद भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं इस पर अधिकांश लोगों ने बहस में भाग लिया और चर्चा की लेकिन इसका उपाय ढूंढने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? शिक्षा के मामले में आप देखते हैं कि गांवों के बच्चे प्राथमिक स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक समय पर नहीं आते हैं और बड़े-बड़े शहरों में एयर-कंडीशंड गाड़ियों में बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल भी वातानुकूलित होते हैं। गांवों में स्कूल में छत भी नहीं हैं और शिक्षक भी नहीं हैं और शिक्षक है तो ब्लैकबोर्ड भी नहीं हैं तो दोनों को हम समान कैसे कर सकते हैं? यही चिन्ता का विषय है। लाल मुनी भाई को सही मायनों में विश्वास नहीं हो रहा है कि चार दिन के डिसकशन से कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन निश्चित रूप से हमें आत्मविश्वास है कि चार दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें न शून्यकाल है, न प्रश्नकाल है, इसकी डिबेट में जो हम भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अगर निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो यह हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात होगी कि चार दिन का विशेष सत्र हुआ और इतनी चर्चा करने के बाद भी किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सके। इससे लोक सभा और लोकतंत्र से लोगों का विश्वास धीरे-धीरे उठ जाएगा। हम लोग जो चार-पांच मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर लोक सभा में एक रेजोल्यूशन लाकर यूनैनिमसली उसे पास किया जाए।

सभापति महोदय, गांवों में सही मायनों में गरीबों के बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है। आजादी के पचास साल बाद भी गांवों के 95 फीसदी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हम क्यों नहीं कर पाए हैं, पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए हैं, स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए हैं? हम लोगों ने क्या किया? हमारे कुछ मित्र बोलते हैं कि विकास का काम हुआ है। सही मायनों में जिस ढंग से विकास का काम होना चाहिए, उस ढंग से नहीं हुआ। गांवों का विकास अगर नहीं होगा तो हिन्दुस्तान का विकास कभी संभव नहीं है। दिल्ली का विकास, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास का विकास करने से हिन्दुस्तान का विकास नहीं होगा। गांवों का विकास और गरीब किसानों का विकास करना होगा। बड़े-बड़े शहरों में ऐसे-ऐसे महल और अट्टालिकाएं हैं कि फिजूलखर्ची बिजली पर हो रही है, पानी के फव्वारों पर हो रही है लेकिन गांवों में पीने के लिए पानी नहीं है। आजादी के पचास साल बाद भी गांवों में पीने का पानी नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज सही मायनों में जिन्होंने सत्ता का सदुपयोग और दुरुपयोग किया है, जो आजादी के चालीस साल तक सत्ता में रहे, मुख्य रूप से वही लोग इसके लिए जिम्मेदार है कि आज गांवों में स्कूल, पानी और अस्पताल का अभाव है।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो स्थिति है, उसमें आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जातियों की पहचान की गई है। 1991 की जनगणना के मुताबिक ये 13.42 प्रतिशत है। और अनुसूचित जाति 6.8 करोड़ थी, जो देश की आबादी की लगभग 16.33 प्रतिशत संख्या है। जब देश का 16.33

प्रतिशत करोड़ आदमी निरक्षर रहेगा, उसके पेट को भोजन नहीं मिलेगा, रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि सही मायने में किस हद तक हिन्दुस्तान आगे बढ़ने का काम करेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से चाहे वह अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था सही रूप से नहीं की गई। जबकि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य शिक्षा की गई है। लेकिन फिर भी हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है, अल्पसंख्यकों को छोड़कर अगर हम लोग चाहेंगे कि देश का विकास कर लें तो वह नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि देश में कोई 20 से 25 करोड़ लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। लेकिन हम लोग उनको मुख्यधारा से अलग क्यों रखना चाहते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, यह सोचने की बात है और समझने की बात है। हिंदुस्तान का एक-एक नागरिक चाहे वह अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो, अल्पसंख्यक समुदाय का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो या पिछड़ी जाति से संबंधित हो, उसको जब तक हम लोग सही मान-सम्मान और शिक्षा देने का काम नहीं करेंगे तो हम लोग यह नहीं समझ सकते हैं कि सही मायने में हिन्दुस्तान का विकास हम लोगों के सामने आयेगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में 90 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन कृषि का क्या हाल है। 50 साल बीतने के बाद भी हम आज तक किसानों के खेत को पानी नहीं दे पाये हैं, बिजली नहीं दे पाये हैं और वहां पर सड़कें भी नहीं दे पाये हैं। हम लोग सही मायनों में जब तक कृषि को सही स्थान नहीं देंगे तब तक हिन्दुस्तान का विकास कतई संभव नहीं है। जब कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है और 65 से 70 प्रतिशत श्रमशक्ति की आजीविका कृषि और किसानों से मिल रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग इसको इस ढंग से इग्नोर कर रहे हैं, उसको समझने का काम हम लोग क्यों नही कर रहे हैं। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, पूरा देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे पूर्व की सभी साथियों ने यह बताया और आप भी जानते हैं कि किसान फसल लगाता है लेकिन मूल्य निर्धारण कौन करता है। शहर में एयरकंडीशन में बैठे हुए लोग मूल्य निर्धारण करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके में और बंगाल के इलाके में जूट की फसल होती है और दो साल पहले जूट की कीमत 22 सौ रुपये प्रति क्विंटल थी। अब जूट का सीजन आ गया है और अब हमारे यहां इसकी कीमत छः सौ रुपये प्रति क्विंटल है। आप सोचिये कि किसान पर क्या गुजरती होगी। जो जूट पहले 22 सौ रुपये क्विंटल थी अब वह छः सौ, सात सौ रुपये प्रति क्विंटल है। किसान दिन-प्रतिदिन बड़ी मेहनत करके अपना खून-पसीना एक करके फसल उगाने का काम करता है, फिर भी उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए जब तक किसान को उचित मूल्य नहीं मिलेगा, सही मायनों में देश का विकास नहीं हो पायेगा।

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव में जमीन पर सीलिंग है। यह 20 एकड़ से ज्यादा नहीं रखी जा सकती है और सिंचित जमीन 16 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। लेकिन शहरों में सम्पत्ति की कोई सीमा नहीं है। आप एक महल के बाद दूसरा महल बना लीजिए, उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से किसान की जमीन पर सीलिंग है, उसी तरह से शहर की सम्पत्ति पर भी सीलिंग लगाने का काम निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का विकास हो, गांवों का विकास हो तो शहरों में भी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाने का काम करना पड़ेगा।

आखिरी बात मैं भ्रष्टाचार के विषय में यह कहना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में जितनी भी विधान सभाएं हैं, उनके विधायक और हमारी लोक सभा और राज्य सभा के सब सदस्य, मंत्री तथा प्रधान मंत्री को अपनी-अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देने में क्या हर्ज है।

सभापति महोदय, जब तक हम सब अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं देंगे, तब तक यह देश नहीं सुधरेगा। भले ही कोई भी राजनीतिक दल क्यों न हो यदि उनका अपना दिल साफ है और भ्रष्टाचार समाप्त करना है, तो भाषण से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, बल्कि हम लोक सभा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई ठोस निर्णय लें और भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करें। इसके लिए हम सब पालिटिकल पार्टीज के लोग जिम्मेदार हैं। जब तक हम लोग भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। इस लोक सभा में लास्ट निष्कर्ष यही निकाला जाए कि हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तैयार हैं। यहां पर सभी दलों के वरिष्ठ नेता हैं। आपस में मिलकर तय कर लें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने से रोक दें। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

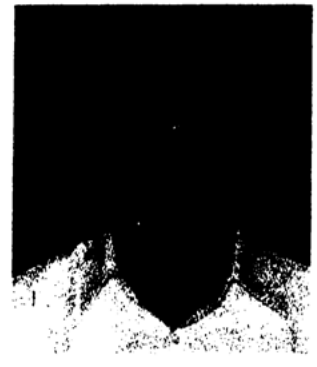

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय। हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती को मनाने के लिए आयोजित इस ऐतिहासिक चर्चा में महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभा और राष्ट्र का ध्यान क्षेत्रीयता, अलगाववाद और आतंकवाद जो कि इस समय पहले से ज्यादा भयावहता के साथ विशेषकर उत्तर-पूर्वी भारतीय परिदृश्य में उभरा है, की ओर आकर्षित कराएं।

आतंकवाद का बहुमुखी दानव अपना सिर उठा रहा है और इसके पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विशेषकर असम राज्य को अपनी चपेट में लेने की आशंका है। तोड़फोड़, विध्वंस, आगजनी, बम विस्फोटों, हत्याओं, पैसों की जबरन वसूली, अपहरण, घात लगाकर हमला करना और सेना के साथ मुठभेड़ की घटनाएं पिछले दिनों में भयावह ढंग से बढ़ी हैं जिससे

लोगों की शांति और स्थिरता प्रभावित हुई है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।

महोदय, पिछले 50 वर्षों के दौरान देश की एकता और अखण्डता को संरक्षित रखने के लिए हम गौरव का अनुभव करते हैं। हमारा गर्व करना युक्तिसंगत है। हमने उन सभी तथाकथित भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को गलत साबित किया है। जिन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि यह देश अपनी समस्त विभिन्नताओं के साथ अपने अन्त को प्राप्त होगा और कुछ वर्षों के भीतर ही ताश के पत्तों की भांति बिखर जाएगा। हम इन तथाकथित भविष्यवक्ताओं को वर्षों से देश को विभाजित करने के लिए कार्य कर रही शक्तियों के बावजूद देश की एकता और अखण्डता को संरक्षित रखकर, गलत साबित करने में सफल रहे हैं।

परन्तु, हमने किस कीमत पर एकता और अखण्डता को बनाए रखा है। जम्मू और कश्मीर में और पंजाब में इन विघटनकारी और अलगाववादी ताकतों से लड़ने में बहुत ज्यादा बलिदान देने पड़े हैं। मैं उत्तर-पूर्व का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं उत्तर पूर्व की कहानी, रक्तरंजित कहानी को जानता हूं। कई वर्षों से, 1950 में नागा विद्रोह से शुरू होकर अलगाववादी ताकतें हमारे क्षेत्र में पूरी शक्ति के साथ कार्य कर रही हैं। अलगाववादियों की गोलियों से हजारों बेगुनाह लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं और देश की एकता और अखण्डता को संरक्षित रखने के लिए हमारे सैकड़ों जवान अपने जीवन का बलिदान दे चुके हैं।

इस अवसर पर यदि हम उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करते हैं जिन्होंने पृथकतावादी ताकतों से संघर्ष किया और देश की एकता को बनाये रखा तो इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल हो रहे हैं। यह पृथकतावाद क्यों है। पूर्वोत्तर में यह आतंकवाद क्यों फैल रहा है? पंजाब में, अवश्य कुछ सीमा तक इस पर अंकुश लगा है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद है। लेकिन पूर्वोत्तर की बात करते समय प्रश्न यह उठता है। हमें वहां आतंकवाद और पृथकतावादी ताकतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है।

समय की कमी के कारण, मैं आतंकवाद के कारणों के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। उदाहरणार्थ ब्रिटेन के साम्राज्यवाद की अधीनता की अवधि को छोड़कर यह भाग कभी भी भारत का अंग नहीं रहा। इसलिए उस क्षेत्र के लोगों में अलगाव की भावना व्याप्त है। जातीय सांस्कृतिक और अन्य विभिन्नताएं और भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल अलग होने जैसे दूसरे और अनेक कारण हैं। मैं इनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह सही है कि क्षेत्र में व्याप्त आतंकवाद के कारण तबाही हो रही है। इस स्थिति से निपटना हमारा तात्कालिक कर्तव्य है। यदि संभव है तो इसको समाप्त करें। इसलिए, हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर यह उचित होगा कि हम इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए शपथ लें। इसके लिए मैं पृथकतावाद और आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए पूर्वोत्तर में कार्रवाई करने के संबंध में एक कार्यक्रम का सुझाव देना चाहूंगा।

मेरे कार्यक्रम में कई सुझाव हैं पहला है कि सरकार समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार विद्रोह और आतंकवाद पर नियंत्रण और उसके उन्मूलन के लिए एक प्रभावी विस्तृत रणनीति तैयार करे और उसे कार्यान्वित करे। दूसरा जबरन वसूली और परियोजनाओं के विकास कार्यों में हस्तक्षेप करने में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान करना और उन्हें निष्क्रिय करना जो आतंकवादी संगठनों की तरह ठगी में लगे हैं। तीसरा सुझाव है कि दृढ़तापूर्वक और स्पष्टरूप से यह घोषित किया जाए कि पूर्वोत्तर के सात राज्यों में से अब किसी भी राज्य का कोई भी विभाजन नहीं किया जायेगा इस उद्देश्य के लिए, सरकार संविधान के अनुच्छेद 244क को हटा दे। इसके साथ ही, क्षेत्र में राज्यों के बीच में सीमा विवाद भी है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए एक न्यायिक आयोग नियुक्त करे।

चौथा सुझाव है कि सरकार को असम के मूल निवासियों, चाहे उनके धर्म, जाति जातीय समूह और भाषाएं कुछ भी हों, को संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना चाहिए और गुवाहाटी के राजधानी क्षेत्र को छोड़कर सभी जिलों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में संलग्न तालिका के भाग-एक का विस्तार करने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए असम में प्रत्येक जिला स्वशासी जिला होगा और संविधान के प्रावधानों के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों की भांति प्रशासन चलाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, मेरा सुझाव है कि सम्पूर्ण राज्य को आदिवासी राज्य घोषित कर दिया जाये। मेरा यह सुझाव इसलिए है कि कई विशेष जाति वाले आदिवासी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। उनमें से कुछ संविधान के अनुच्छेद 244क के अन्तर्गत असम क्षेत्रों के साथ स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। ये हैं बोडो, कर्बी, मिशिंग, तीवास अहोम्स और लालूंग्स। बीस जाति समूह ऐसे हैं जो राज्य में स्वायत्ता का दर्जा और अपने लिए अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। असम में पांच से लेकर दस प्रतिशत लोग आदिवासी नहीं माने जा सकते हैं। इसलिए समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में मेरा सुझाव है कि सभी लोगों को आदिवासी घोषित कर दिया जाए और सम्पूर्ण राज्य का प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत चलाया जाए।

इसके साथ ही असम में गम्भीर वित्तीय समस्या है। सभी विकास कार्य और कल्याणकारी गतिविधियां पूरी तरह से ठप्प हो गयी हैं। सरकार वित्तीय समस्याओं का सामना करने में सक्षम नहीं है।

यदि राज्य में इसी प्रकार की गतिविधियां जारी रहें तो यह राज्य और देश के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। हजारों अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। राज्य द्वारा अर्जित मासिक राजस्व और आय वेतन देने के लिए ही पर्याप्त नहीं है। विकास

कार्यों के लिए धन की तो बात ही छोड़ दीजिए इसलिए भारत सरकार असम सरकार को लगभग तीन या छह महीने का समय दे और यह कह दे यदि वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए प्रभावी और सही उपाय नहीं किये जाते हैं तो सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होगा।

अन्त में, जहां तक असम का संबंध है वितरण प्रणाली में अनेक खामियां हैं। यही कारण है कि असम देश में सबसे पिछड़ा राज्य है। ग्रामीण कल्याण और विकास संबंधी गतिविधियों में अनेक खामियां हैं। पी.डी.एस. अथवा डी.आर.डी.ए. या डी.आर.वाई. अथवा पी.एम.आर.वाई. इतनी खामियां हैं कि अपेक्षित लाभार्थी को लाभ नहीं मिलता है। केवल इस सरकार के शासन में ही इतना भ्रष्टाचार नहीं है, यह तो विगत कई वर्षों से है। लेकिन आज वित्तीय समस्याओं के कारण भ्रष्टाचार भयंकर रूप से बढ़ गया है। यहां भी एक ऋणपत्र घोटाला हुआ जो बिहार के चारा घोटाले के समान है। यह घोटाला भी पशुधन विभाग से संबंधित है लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच को रोक दिया है और कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के बारे में गंभीर नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जांच में तेजी लाये और जांच पूरी करके दोषियों को चाहें वे राजनीतिज्ञ हों, चाहे किसी भी दल के हों अथवा कितने भी उच्च पदधारी हों, को दण्ड दिया जाए।

इन समस्याओं के अतिरिक्त कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के एक आर्थिक भाग को अवश्य शामिल किया जाए। मैं उन आर्थिक तथ्यों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। सरकार विशेष सुरक्षा ब्यूरो, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सेना, वायु सेना आदि जैसे पुलिस और अर्ध सैनिक बलों में स्थानीय लोगों की भर्ती करें ताकि कम से कम, दो वर्ष से तीन वर्ष की अवधि में इन बलों में दस से बारह हजार नवयुवकों की भर्ती की जाये। बेरोजगार हताश नवयुवक आतंकवाद और अलगाववाद के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। जब तक हम इन लोगों को रोजगार के नये अवसर नहीं देते तब तक राज्य में विद्रोह और अलगाववाद पर नियंत्रण करना असंभव है।

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए असम में उद्योग अवश्य लगाए जायें क्योंकि यहां उद्योग अथवा वाणिज्य नाम मात्र के लिए भी नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार जवाहर रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं से संबंधित आवंटन को न केवल बढ़ाएं बल्कि उसी के साथ तंत्र में खामियों को भी कम करें।

राज्य सरकार ने एक वर्ष पहले 8000 अध्यापकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन भी जारी किया था और राज्य सरकार ने आवेदन शुल्क के रूप में बेरोजगार नवयुवकों से 5 करोड़ रुपये से लेकर 6 करोड़ रुपये तक की धनराशि प्राप्त की। वे उस धनराशि को दबाये बैठे हैं और भर्ती संबंधी कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई है। इसलिए, मेरा सुझाव

है कि नवयुवकों को मुख्य धारा में शामिल करने और आतंकवादी संगठनों में शामिल न होने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जायें।

कुछ माननीय सदस्य जल संभावनाओं के बारे में बात कर रहे थे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में अधिकतम योगदान कर सकता है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। कुछ और सदस्यों को बोलना है। समय समाप्त हो रहा है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: मुझे भी जल्दी है क्योंकि मुझे भी विमान पकड़ना है।

समय की कमी के कारण, मैं सभी सुझाव नहीं दे पाऊंगा लेकिन मुझे आशा है कि जो कुछ सुझाव में दे रहा हूँ वह अभिलेखों में अथवा इस सभा की कार्यवाही वृत्तांत में अथवा उस पुस्तक में जो इस अवसर के लिए विशेष रूप से मुद्रित की जायेगी, जिसमें पूरी कार्रवाई का समावेश होगा, में ही नहीं रहेंगे। मुझे आशा है कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी और सरकार इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेगी और मेरे प्रस्ताव के अनुसार पूर्वोत्तर कार्यसूची को कार्यान्वित करने का प्रयास करेगी।

सभापति महोदय: श्री डी.पी. यादव को आमंत्रित करने से पूर्व मैं आपके मत से अवगत होना चाहता हूं। हमारे पास बोलने के लिए अभी 25 सदस्य और हैं। हमारे सभी कर्मचारियों को कल सुबह यहां फिर उपस्थित होना है।

एक माननीय सदस्य: मुझे सुबह 11.00 बजे आना है।

सभापति महोदय: केवल आपको ही नहीं बल्कि यहां बैठे सभी सदस्यों को आना है। यह कोई मुद्दा नहीं है। मुख्य बात यह है कि यह कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। हमें सामूहिक रूप से यह निर्णय लेना होगा कि हमें क्या करना है।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़): हर कोई पांच से दस मिनट तक बोल सकता है।

[हिन्दी]

श्री डी.पी. यादव (सम्भल): माननीय सभापति जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि रात गुजर जाने के बाद सुबह हुई। सबसे पहले ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यादव जी आप पांच मिनट में पूरा करेंगे?

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): पांच मिनट में क्या होगा, कम से कम 10-15 मिनट तो मिलने चाहिएं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कठेरिया जी, प्राब्लम यह है कि कल सिर्फ एक दिन है और एक्सटेंशन नहीं है।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम जल्दी से जल्दी इसे समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

एक माननीय सदस्य: अधिकतम दस मिनट का समय दिया जा सकता है।

सभापति महोदय: नहीं, हम पांच मिनट में भी पूरा कर सकते हैं। कृपया हमारे अधिक से अधिक सहयोगियों को बोलने का मौका दें।

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की): किस समय तक इसे पूरा किया जा सकता है?

सभापति महोदय: हम 5.30 बजे के बाद इसे जारी नहीं रख सकते। यही समस्या है।

[हिन्दी]

श्री डी.पी. यादव: मान्यवर, 10 मिनट से कम में तो क्या बोला जायेगा?

श्री प्रभुदयाल कठेरिया: सभापति जी, कम से कम दस मिनट का समय तो होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कठेरिया जी, आज ग्यारह बजे हमें फिर से शुरु करना है। अत: सभी सदस्य यहां ग्यारह बजे उपस्थित होंगे। इसलिए हम 5.30 बजे तक की सीमा को पार नहीं कर सकते। यही समस्या है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया: कम से कम 10-15 मिनट तो देने चाहिए, इससे पहले क्या होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस तरह की बहस का कोई लाभ नहीं।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, मेरी एक प्रार्थना है।

सभापति महोदय: आपका नाम सूची में है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, कल सुबह 9.30 बजे हमें एक सभा में सम्मिलित होना है। दो सदस्यों को सभा में उपस्थित होना है। कृपया हमारे नामों पर विचार करें जिससे कि हम जल्दी जा सकें।

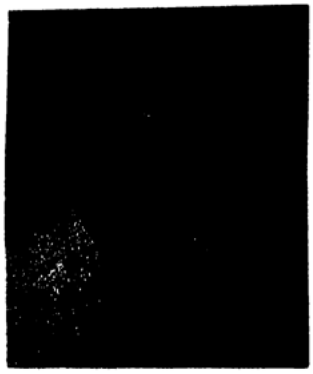

श्री डी.पी. यादव

[हिन्दी]

श्री डी.पी. यादव (सम्भल) : सभापति जी, सबसे पहले मैं अपनी तमान भावनाएं उन बहादुर और वीर सपूतों के नाम समर्पित करता हूं, जिन्होंने बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करके इस मुल्क को और हमें आजादी की सांस दी। वैसे तो यह सब ही अपने आप में गौरव और गर्व करने के लिए काफी है, लेकिन कुछ अपेक्षाएं, कुछ आकांक्षाएं, जो इस मुल्क के रहने वाले लोगों को आजादी से थी और वैसे भी जो लोग कुर्बानी देते हैं या बलिदान देते हैं, उनके पीछे उन वीर सपूतों की एक भावना होती है, पवित्र सोच होती है, मैं समझता हूं आजादी का और आजादी के संघर्ष का यह वक्त तो मैंने नहीं देखा, मैं आजादी मिलने के बाद पैदा हुआ, लेकिन यह पढ़ा जरूर है और सोचता जरूर हूं कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये, उन लोगों की पवित्र सोच यह जरूर रही होगी कि इस मुल्क को जब आजादी मिले तो उस मुल्क में रहने वाले उन तमाम अभाव और गरीब लोगों के हिस्से में, उन किसानों और उन पिछड़े लोगों के हिस्से में, उन गांवों और उन देहात के लोगों के हिस्से में, जो यहां की मुख्य धारा में जुड़कर अपनी मेहनत से समाज को और देश को ताकत देते हैं, उनके हिस्से में, बंटवारे में आजादी का हिस्सा आना चाहिए।

मान्यवर, मैं यह भी नहीं कहूंगा कि उपलब्धियां नहीं हो रही हैं। बहुत सारी उपलब्धियां देश के सामने हैं। मान्यवर, कहा जाता है कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है तो मैं आज कहना चाहता हूं कि उन किसानों के हिस्से में आजादी के बाद वह हिस्सा नहीं आया जो आना चाहिए था। आज भी जब हम उनके पिछड़े इलाकों को देखते हैं तो यह आभास होता है कि जिन लोगों ने आजादी के लिए कुर्बानियां दीं, उनके हिस्से में क्या आया और उन्होंने क्या खोया तथा क्या पाया? आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजादी मिलने के बाद जो बुनियादी जरूरत शिक्षा की थी, जिसको गांव-गांव में फैलाने की जरूरत थी, जहां अंधकार है, हमारी सरकार ने वहां शिक्षा का प्रबंध नहीं किया। यह उन लोगों ने नहीं किया जिनके कंधों पर आजादी मिलने के बाद देश का भार आ गया था।

सभापति महोदय, मैं हिन्दुस्तान के सब क्षेत्रों में तो नहीं जा पाया हूं लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकांश गावों की स्थिति को मैंने देखा है। दूरस्थ क्षेत्रों की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन यहां से 150 किलोमीटर

दूर मेरा क्षेत्र है और वहां पर जाने का मुझे मौका मिला है। मैं यकीन और विश्वास के साथ आपको बताता हूं कि जिन सरकारी आंकड़ों को देकर हम वाह-वाही लूटते हैं वहीं दस-दस, पांच-पांच गावों के बीच प्राइमरी शिक्षा भी मौजूद नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हम आजादी के इन 50 वर्षों के बाद भी देहात में मजदूर और किसानों के लिए शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पाए हैं। तो फिर इस आजादी का अर्थ क्या है? जो किसान धरती में अनाज पैदा करके सारे मुल्क का पेट भरता है और जिसके बच्चे बंदूक थामे हुए हमारी सीमाओं की रखवाली करते हैं, अगर उनका कोई पत्र घर आ जाता है तो उसके घरवाले उस पत्र को पढ़वाने के लिए भी लेखपाल या पटवारी के पास आज भी जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक दुर्भाग्य का विषय है।

अब मैं एक ऐसे बिंदु को उठाने जा रहा हूं जिसको उठाने से इस हाउस में बहुत सारी पार्टियां कतराती रही हैं। पार्टियों ने शायद इसलिए न उठाया हो कि अगर वे एक उंगली उठाएंगे तो उनकी तरफ चार उंगलियां उठाई जाएंगी। यहां 1971 से अपराधियों के इतिहास की बात हो रही है। जो चर्चा का विषय भी है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही जाती रही हैं कि राजनीति में अपराधीकरण हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर जेल जाना अपराध का प्रमाण-पत्र है तो हिन्दुस्तान के इतिहास का पुनरावलोकन करना पड़ेगा कि महज जेल जाने से क्या कोई अपराधी बनता है। यहां कौन-कौन लोग कभी न कभी जेल गये और किस कारण गये? या पुलिस का रिकार्ड यह बता पाएगा कि पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दायर करने के कारण उसको अपराधी बना दिया जाता है। जो लोग इस देश को हवालों के हवाले कर गये, जो लोग गरीबों और मजदूरों के खून-पसीने से कमाए गये पैसों को विदेशों के हवाले कर गये, क्या उन लोगों का नाम अपराधियों की श्रेणी में नहीं आयेगा। आज इस स्वर्ण-जयंती के अवसर पर पुन: निरीक्षण कर यह देखना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर एक स्वस्थ परम्परा के साथ एक डिबेट होनी चाहिए।

प्रात: 5.00 बजे

हालांकि मैं जानता हूं मैं भी उसका अपवाद नहीं हूं लेकिन मैं उन लोगों की तरफदारी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन उन लोगों की तरफदारी करना चाहता हूं जिनकी महज राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते या झूठी बातों पर आकर उनका नाम किसी पुलिस रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। तो क्या हम सब मिलकर निर्णय ले लेंगे कि जिन लोगों ने अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, जो कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ लड़ने पर आमादा हुए हों, क्या उनको भी अपराधी करार दे दिया जाएगा या महज जेल में भेजकर यह रिकार्ड बना दिया जाएगा कि फलां जगह का फलां प्रतिनिधि अपराधी है? लोकतंत्र में इससे बड़ी कोई गुंजाइश नहीं है कि जो लोग लोकतंत्र की व्यवस्था पर चुनाव जीतकर या जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतकर आते हैं। लोकतंत्र में लोक प्रणाली का इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज आजादी के पचास वर्ष बाद भी बहुत सारे अनकहे अनछुए सवाल ऐसे पड़े हैं जिनको इस संसद को छूना चाहिए। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिन पर संसद को निर्णय लेना चाहिए। हालांकि यह बात मैं पूरे विश्वास से नहीं कहता क्योंकि मैं तो विधान सभा में था और वहां था तो सोचा करता था कि हिन्दुस्तान

की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का कभी मौका मिला तो पूरे हिन्दुस्तान की बात करने का मौका मिलेगा और हो सकता है कि विधान सभा से ज्यादा आदर्श और बड़ी परंपराएं वहां होंगी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि यहां भी महज पार्टियों के बीच जो प्रतिद्वंद्विता है, वह कोई स्वस्थ वातावरण देने के लिए नहीं है, देश को सीख और राह देने के लिए नहीं है बल्कि इसलिए है कि एक दूसरे को कैसे नीचा दिखा सकते हैं, कौन किसकी कितनी बुराई कर सकता है। आज हमारा रास्ता यह नहीं है कि हम समाज सुधार के रास्ते पर चलकर इस मुल्क को नयी राह दें, समाज को नये विचार दें, ताकत और स्वस्थ परंपराएँ दें, लेकिन पार्टियों की मजबूरी है कि एक दूसरे की बुराई करके, एक दूसरे पर घिनौने आरोप-प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे को कितना बदनाम कर सकते हैं।

मान्यवर, आज स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर जबकि सदन एक ऐसे सिद्धांत और ऐसी परंपरा से गुजर रहा है जो इतिहास में हमेशा याद रहेगा। जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी और बलिदान देकर, तपस्या करके, अपने परिवारों को न्यौछावर करके इस मुल्क को आजादी का दिन दिखाया, वास्तव में उनकी आत्मा आज क्या सोच रही होगी। उनकी आत्मा आज जरूर कष्ट में होगी कि मैं जिन परंपराओं और लोगों के मुद्दों के लिए बलिदान होकर आया हूं, मेरे पीछे मेरी पीढ़ी के लोग क्या उन्हें सांत्वना, धैर्य और साहस देंगे या नहीं?

मान्यवर, कोई माने या न माने, मगर आज पूरे मुल्क में एक असंतोष है। असंतोष है उन नौजवानों के अंदर जो बेरोजगारी की सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं, जिनकी जिन्दगी में ऐसी कशमकश पैदा हो गई है और ऐसा भटकाव पैदा हो गया है कि उनकी समक्ष में नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुनें और किधर जाएं। इस स्थिति को सुधारने का काम कौन करेगा, यह स्थितियां कैसे पैदा हुई, इन सारी बातों पर सोचना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर यह उक्ति सही है:-'यथा राजा तथा प्रजा' तो वास्तव में हमें फिर एक बार लौटकर देखना होगा कि हमारे देश के कर्णधारों और रास्ता दिखाने वालों में कहीं कोई कमी तो नहीं रही। उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा रास्ता क्यों नहीं दिया कि आज बेरोजगारी की चक्की में हमारे नौजवान पिस रहे हैं, किसान परेशान हैं, गावों और देहातों की बात छोड़िए, आज शहरों में अट्टालिकाओं के बीच बसे हुए लोग जो मेहनत मजदूरी करने के लिए शहर आते हैं, वह परेशान हैं। उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास कपड़ा नहीं है, उनके पास मकान नहीं है। आज यह दिक्कत इस मुल्क के लोगों के सामने है।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया इस बात के लिए मैं आपका बेइंतिहा शुक्रगुजार हूं और एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

जो इस मुल्क की रीढ़ हैं। जो इस मुल्क के मजदूर और किसान हैं, जब तक उनको तरजीह देकर, ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जायेगा, क्योंकि अगर किसान खुशहाल नहीं होगा, मजदूर खुशहाल नहीं होगा तो सभापति महोदय निश्चित तौर पर वह देश खुशहाल नहीं होगा और जहां तक उन संघर्ष करने वाले स्वाभिमानी लोगों का ताल्लुक है उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा-

यहां तूफां हैं दरियाई, सफीने हर दर पर रहते हैं,
हमारा हौसला देखो, हम उस घर में रहते हैं।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): सभापति महोदय, 15 अगस्त, 1947 को रात्रि के 12 बजे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था पूरा विश्व जब सो रहा है, भारत आज आजाद हो रहा है। मैं सुबह के 11 बजे से बैठा हुआ हूं और इस सदन में पूरी रात बीतने के बाद पांच बजकर पांच मिनट हो रहे हैं, जब सारा भारत जागने वाला है, तब मुझे आपके सामने अपनी बातों को रखने का आज मौका मिला है। मैं इस बात को लेकर जो आज समय मिला है, मैं यह सोच रहा था कि जो लोग दिन में एक-एक घंटे बोले....

सभापति महोदय: कृपया इस तरह की बातों पर मत जाइए। आप अपने प्वाइंट पर बोलिये।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: सभापति महोदय, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं अपने प्वाइंट पर ही बोल रहा हूं। मैं इस बात को लेकर कहना चाहता हूं कि जिस जगह से मैं आता हूं वह चम्पारण जिला है। यह बिहार के एक उत्तरी छोर पर नेपाल के रास्ते पर बसा हुआ है और जब मैं इस सदन में आया और जब मैं गेट नम्बर एक के सामने महात्मा गांधी को देखता हूं तो मुझे वह समय याद आ जाता है जब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नहीं, बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी बनकर चम्पारण गये थे और उन्होंने वहां जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन में उन्होंने आज जो देश को आजादी दिलाई। लगता है कि आज हमारी सदन के गेट पर बैठे हुए गांधी जी कोई अनशन नहीं कर रहे हैं, गांधी जी सो नहीं रहे हैं। लगता है कि गांधी जी रो रहे हैं। मुझे उनकी रुलाई दिखायी देती है कि जब यह पता चलता है कि सदन में हममें से कितने लोग अच्छे और कितने हिस्ट्रीशीटर हैं। जब हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त का यह बयान आता है कि इस संसद में बैठे हुए 40 लोग ऐसे हैं जो हिस्ट्रीशीटर हैं, तो लगता है कि गांधी जी रो रहे हैं कि क्या देश को आजाद कराने के लिए हमने यहीं किया था। सभापति महोदय, गांधी जी ने आधा वस्त्र धोती पहनकर अपनी जिंदगी बिता दी। इसका भी श्रेय चम्पारण को जाता है। जब बात को छोड़कर वे चम्पारण में आये और जब बात ने लोगों से और औरतों से मिलना शुरू किया, लोगों को शिक्षा देना शुरू किया तो एक परिवार में बा जब गई तो एक औरत उनसे मिलने के लिए आई। उन्होंने पूछा कि क्या तम केवल अकेली हो। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी बहू अंदर है। तो बा ने कहा कि उसे क्यों अपने साथ नहीं लाई। क्या वह मेरे से परदा करती है। तो उस औरत ने कहा कि इस घर में हमारे पास एक ही साड़ी है। उसे पहनकर मैं बाहर आई हूं और जब मैं अंदर जाऊंगी तो मैं यह साड़ी अपनी बहू को दूंगी और उसे पहनकर मेरी बहू बाहर आपसे मिलने के लिए आयेगी। यही कारण हुआ, जब बा ने गांधी जी को वहां की दुर्दशा सुनायी तो गांधी जी ने कहा कि जब देश के लोग नंगे और भूखे हैं, गांधी जी ने अपने वस्त्र का त्याग कर दिया। सूट और टाई पहनने वाले गांधी जी ने धोती पहनकर अपनी जिंदगी गुजार दी।

सभापति महोदय, मैं इस सदन की गरिमा के बारे में भी कुछ बोलना चाहूंगा। मेरे को मेरी पार्टी ने कहा है कि केवल वित्तीय स्थिति पर आपको बोलना है। मैं वित्तीय स्थिति पर बोलना चाहूंगा। मैं 21 अगस्त, 1963 की बात करना चाहूंगा। इसी सदन में जब पांच आने बनाम 15 आने का झंझट हुआ था, तब डा. राम मनोहर लोहिया ने अपनी मेडन स्पीच में इसी सदन में कहा था, जब माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू की केबिनेट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो उनका जो उस समय का भाषण है, मैं उसकी कुछ लाइने उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अब मैं इसको एक दूसरे ढंग से भी बताना चाहता हूं, 1948 में कोई आठ हजार पांच सौ करोड़ की हमारी राष्ट्रीय आमदनी थी, जो अब उन्हीं दरों के हिसाब से करीब 13 हजार पांच सौ करोड़ हुई है। अब पांच हजार करोड़ के हिसाब से जो हमारी आमदनी बढ़ी है, वह कहां गई। उसके भी आंकड़े हैं।

सभापति महोदय मैं आपको बताता हूं। 1948 में एक हजार करोड़ रुपया खर्च होते थे। सरकार के द्वारा वे अब बढ़कर के 5500 करोड़ रुपये हो गए हैं। सरकारी नौकर जो पहले आबादी का डेढ़ सैकड़ा था अब बढ़कर करीब तीन सैकड़ा हो गया है। अगर यह सरकारी नौकर पैदावार बढ़ाऊ होता, तो मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन यह कलम घिसू सरकारी नौकर है, जो कागज भर सकता है, लेकिन पैदावार नहीं बढ़ा सकता। उसी भाषण में उन्होंने यह भी कहा था कि जैसा हिन्दुस्तान के योजना आयोग के एक सदस्य ने कहा है, इसका नतीजा यह हुआ कि 60 सैकड़ा परिवार 25 रुपये पर निर्वाह करता है। यानी 27 करोड़ आदमी तीन आने रोज के खर्च पर जिंदगी निर्वाह करते हैं। मैं चाहता हूं कि यह हमेशा याद रखा जाए कि 27 करोड़ आदमी तीन आने रोज पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जबकि भारत के प्रधान मंत्री के कुत्ते पर तीन रुपए रोज खर्च होते हैं। यह मैं कम इसलिए कह रहा हूं कि कहीं मेरी जीभ न पकड़ ली जाए।'' ये लोहिया के उदगार थे, इसी सदन में।

सभापति महोदय, आज क्या स्थिति है। आज भारत की 36 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे है जिन्हें दो जून का भोजन नहीं मिल रहा

है। उस समय का, 1963 का पांच आना या उस समय का तीन आना आज के घटते मूल्य के हिसाब से आज के तीन रुपये के बराबर हो जाते हैं। आज 36 करोड़ जनता पांच रुपए प्रति व्यक्ति भी प्रतिदिन खर्च नहीं कर पा रही है। आज हमारे यहां ऐसी जनता है जो एक रुपए रोज पर अपना पेट भर रही है। किसी को सुबह का खाना मिलता है, तो रात को खाना नहीं मिलता और किसी को रात को खाना मिलता है, तो सुबह खाना नहीं मिलता। आज हमारे देश में इस औद्योगिक व्यवस्था में इस तरह जनता जीवन निर्वाह कर रही है। यह बड़ी ही तकलीफ की बात है।

सभापति महोदय, आज यहां भ्रष्टाचार की बात हुई है। हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे। कौन सत्याग्रह करेगा। किस के लिए सत्याग्रह करेगा। यह मेरी समझ में नहीं आता। हमारे प्रधान मंत्री आज इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यहां पर हमारे बड़े-बड़े महान नेता बैठा करते थे। सत्याग्रह करने की बात हो रही है। कौन सत्याग्रह करेगा, किसके खिलाफ करेगा। क्या हम लोग महारानी एलिजाबेथ के सामने जाकर के सत्याग्रह करेंगे कि हमारे देश में भ्रष्टाचार है। हमें यह देखकर, सोचकर और सुनकर शर्म आती है जब बी.बी.सी. लंदन यह कहता है कि अब हम चलते हैं, घोटालों के देश भारत में। हमें लाज और शर्म आती है जब विश्व में हमारे देश को घोटालों का देश कहकर पुकारा जाता है। हमें तब शर्म आती है जब दुनिया में सबसे ज्यादा आठ भ्रष्टाचारी देशों में से एक भारत का नाम भी है। इस बात को लेकर मुझे शर्म आती है।

सभापति महोदय, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में भी भ्रष्टाचार हुआ करता था। लेकिन उसकी व्यवस्था क्या थी। उसकी व्यवस्था यह थी कि एक डलिया में फल लगा दिए जाते थे और एक व्हिस्की की बोतल, चाहे वह स्काच हो, चाहे वह कोई और हो, उनकी पत्नी के पास भेज दिये जाते थे और यदि पत्नी ने स्वीकार कर लिया, तो उस व्यक्ति का काम हो गया। यह चलता था। उसके बाद दूसरी व्यवस्था आई—लोगों ने टेबल के नीचे से रुपया लेना शुरू किया। उसके बाद तीसरी व्यवस्था आई—लोगों ने पाकेट से निकाल कर रुपया देना शुरू किया। चौथी व्यवस्था आई-लोगों ने ब्रीफकेस देना शुरू किया। पांचवीं व्यवस्था आई—लोगों ने सूटकेस लेना शुरू किया। छठी व्यवस्था आई कि इन सारी बातों को लेकर लोगों ने सरकारी खजाने की लूट शुरू कर दी। फिर चाहे वह चारा घोटाला हो, चाहे वह यूरिया घोटाला हो, चाहे वह अलकतरा घोटाला हो, चाहे वह दवा घोटाला हो, चाहे वह वर्दी घोटाला हो, चाहे वह सरकारी नौकरी में काम कर रहे मस्ट्रोल में घोटाला हो। अभी बिहार में इस तरह के प्रकरण सामने आए हैं कि मस्ट्रोल में घोटाला हुआ है। बंगाल का एक दूसरा घोटाला आया है कि वहां भी इस तरह के घोटाले हुए हैं। खजानों की लूट हो रही है। बहीखाते का जो हिसाब-किताब हो रहा है क्या उसके लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि इस भ्रष्टाचार को मिटाया जाए। जो प्रधान मंत्री बैठे हैं, वे कहते हैं कि सत्याग्रह करेंगे। यदि वे सत्याग्रह करेंगे, तो कैसे काम चलेगा, समझ में नहीं आता है।

सभापति महोदय, इस देश में लोगों ने जिस तरह से जनता का पैसा लूटा है, वह बड़ा अन्याय हुआ है। अब जैसे हर्षद मेहता का केस ले लीजिए। हजारों करोड़ रुपए प्रतिभूति घोटाले में यहां की जनता का लूटा है और हुआ क्या। जेल से छूटे उनकी गाड़ियों की नीलामी हुई। एक दिन टी.वी. पर देखा कि सब गाड़ियों की कुछ नीलामी में 44 लाख रुपया मिला है। हजारों करोड़ रुपए की जो लोगों की देनदारी है, वह कैसे पूरी होगी। इसलिए मैं इस बात के लिए यहां पर एक कंक्रीट प्रस्ताव रख रहा हूं कि इस तरह के आर्थिक अपराधियों को केपीटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जब तक इनको कैपीटल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इस तरह को अपराध बढ़ते चलेंगे।

सभापति महोदय, आज हमारी जो वित्तीय स्थिति है, उसकी क्या स्थिति हुई। एक समय था जब गांधी जी के जमाने में हम लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। विदेशी सामानों को हम लोगों ने जलाना शुरू किया और बहिष्कार शुरू किया। दूसरा समय आया प्राइवेटाइजेशन का। इसके बाद सरकारी कंपनियां शुरू हुई। पब्लिक अंडरटेकिंग बने और आज क्या हुआ, आज वे सारे अंडरटेकिंग भी फेल हो गए। फिर हम लोग विदेशों से विदेशियों को बुला रहे हैं कि विदेशियों इस देश में आओ, हमें चिप्स खिलाओ और कोका कोला पिलाओ। आजकल जब क्रिकेट का मैच होता है, तो ऐसा लगता है कि वह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा है बल्कि पैप्सी और कोका कोला का मैच हो रहा है।

सभापति महोदय: प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: सभापति महोदय, इस तरह की बातें हो रही हं। जितनी विषमताएं हुई हैं, जिस तरह की लूट मची हुई है। मैं दिल्ली में ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनमें बच्चों को 10 हजार रुपए दिये जाते हैं और कहा जाता है कि जाओ होटलों में खर्च करके रात में लौट आना। जिस तरह से यहां आर्थिक अपराधीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह से यहां एक तरफ लोग भूखों मर रहे हैं और दूसरी तरफ यह जिस तरह से जिंदगी निर्वाह की जा रही है, यह अत्यंत सोचनीय स्थिति है। 36 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, उसके बारे में भी हमें सोचना होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि जिस दिन मैंने अपनी मेडन स्पीच दी थी, उस दिन भी आप इस सदन का सभापतित्व कर रहे थे और आज जब मैं अपना दूसरा भाषण दे रहा हूं, तो भी आज आप आसन पर उपस्थित हैं। मैं आपके और सदन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): आदरणीय सभापति महोदय, विशेष अधिवेशन का आज रात्रि से चौथा दिन शुरू हो चुका है और आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार रखने का जो अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं।

देश की आजादी के 50 साल का और इस लोक सभा के 15 महीने का अनुभव लेकर स्पीकर साहब ने यह एक विशेष अधिवेशन बुलाया है। समय यही बता रहा है कि वैसा परिवर्तन जरूरी है। पार्टी के अंदर विचार करने की यही एक घड़ी है, लेकिन मैं आज चार दिन से सुन रहा हूं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बरसात आने से पहले पंछी आकाश में उड़ते हैं। नाटक के पहले रिहर्सल होती है, वैसे ही यहां पर शायद लोक सभा के चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए यहां रिहर्सल हो रही है। इसलिए सभी सांसद अपने देश की जनता के प्रति अपने विचार प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस अधिवेशन को बुलाने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा 50 साल का अनुभव है, जो कुछ हमने पाया, जो कुछ गंवाया, उससे हटकर हमें कुछ नया करना है, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं दिखता। चौबे जी ने तो मुझे यहां बताया कि शायद कल अधिवेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता और ऐसा ही अंदेशा उन्होंने व्यक्त किया है और यह बात भी गलत है यदि ये विचार यहां रखे जाते हैं कि केसरी जी के मन में कभी आएगा समर्थन वापस लेना है, तो समर्थन वापस ले लिया जाएगा और इस बारे में कोई नहीं बता सकता है। जब हम सुबह उठते हैं, तो पहले पेपर देखते हैं। चुनाव में जीतना कितना कठिन होता है, यह तो हमें मालूम है, जब मालूम हो जाता है कि समर्थन वापस नहीं लिया है, तो चाय अच्छी लगती है। हम लोग सोचते हैं कि चलो आज का दिन तो गया। ऐसा क्यों हमारे मन में आता है, यह मैं आपको बताता हूं। यहां संयुक्त पार्टी की सरकार चल रही थी और एक दिन दोपहर को मैं घर में सोया हुआ था, तो बीबी ने मुझे उठाया और बोली कि आपकी सरकार गई। उसने कहा कि दूरदर्शन पर सुना है कि केसरी जी ने समर्थन वापस ले लिया है। इसलिए हम लोगों की यह भावना बन चुकी है कि यह सरकार कभी भी जा सकती है। देवगौड़ा जी का जब विश्वास मत यहां लाया गया था और उस पर चर्चा चल रही थी तो मैंने देखा कि इन लोगों की हालत ऐसी हो रही थी जैसे द्रौपदी के चीर हरण के समय रथियों और महारथियों की हुई थी, कि वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी हालत में कांग्रेस की तरफ से एक भी बड़ा नेता नहीं बोला कि समर्थन वापस लेना सही था या गलत था। हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो। उस दौरान कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने बहस में हिस्सा नहीं लिया था। आज जो परिस्थिति हमारे सामने है, उस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में एक लोकमान्य तिलक हुए थे जिन्होंने यह नारा दिया था—स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह प्रकृति का नियम है कि धरती पर जो भी प्राणी मात्र आता है वह चाहता है कि अपनी मर्जी से जीवन जीए। हम तो मानव हैं, हमारी अलग विचारधारा है। हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू आदि ने आजादी की लड़ाई लड़ी और हमें आजादी दिलाई।

इस साल हम आजादी की पचासवीं सालगिरह मना रहे हैं। यह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 26 जनवरी, 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ। डा. भीमराव अम्बेडकर संविधान के द्वारा संविधान बनाया गया। संविधान कहता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता की चुनी हुई सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी। इस बात का हमें अभिमान है कि दुनिया के अंदर हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा गणतंत्र है। लेकिन इन पचास सालों में हमने क्या पाया और क्या खोया, इस पर विचार करना चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्रों ने यह बताने की कोशिश की कि बहुत सी उपलब्धियां इस दौरान हुईं। यह ठीक है, लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है, यह सवाल भी हमारे सामने है। इस अवसर पर बुलाए गए इस विशेष अधिवेशन में हम इस पर विचार कर रहे हैं। पचास साल कम आयु नहीं होती है। फिर यह सवाल हमारे सामने क्यों खड़ा होता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया, यह भी सोचने की बात है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। गरीब के घर में लड़का पैदा होता है और दूसरे श्रीमंत के घर में भी लड़का पैदा होता है। वे दोनों उम्र के हिसाब से बड़े होते हैं, लेकिन उनमें बाद में बहुत फर्क महसूस होता है। इसलिए हमने अगर कुछ प्रगति भी की होगी तो पचास साल में जितनी करनी चाहिए, उतनी की या नहीं, यह भी सोचने की बात है। कोई दावा नहीं करता कि कोई प्रगति नहीं हुई, प्रगति हुई है, लेकिन जितनी जरूरी थी उतनी नहीं हुई। जितना खर्च किया प्रगति के लिए, क्या वह उसी पर खर्च किया या किसी की जेब में गया, यह भी एक सवाल है, जिसका उत्तर हमें ढूंढना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने अपने प्रस्तावित भाषण में कहा:

[अनुवाद]

> "लोकतंत्र की हमारी शैली ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि राजनैतिक जागरूकता ही अनिवार्य रूप से साक्षरता का प्रयोजन नहीं है।"

[हिन्दी]

इसलिए जनतंत्र की बात मैं सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। 60 प्रतिशत जनता हमारी निरक्षर है। लेकिन यह आजादी के मूल्य को जानने वाली है, उस पर विश्वास करने वाली है। यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। जैसा कि हमारे नेता अटल जी ने कहा कि 1975-76 में जो कलंक इस देश के माथे पर लगा, 1977 में इसी जनता ने उसे धोने का काम किया। यह भी कहा था कि जो जनतंत्र पर आघात करेगा उसे

हम माफ नहीं करेंगे। इसलिए हमारी जनता काफी समझदार है। अब सोचने का समय आया है कि हम परिवर्तन की ओर अग्रसर हों। अब केन्द्र में या राज्यों में एक पक्ष की सरकार नहीं बन पा रही है। यह समय सबको साथ लेकर और साझा सरकार बनाने का है इसलिए हम राष्ट्रीय सरकार के बारे में भी सोचें। हमें कोई न कोई नई पद्धति जनतंत्र में रहकर विकसित करनी चाहिए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

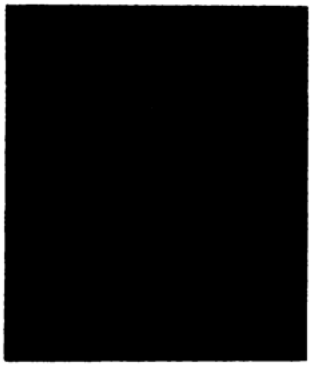

श्री मंगत राम शर्मा

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू): जनाबे चेयरमैन साहब और माननीय सदस्यों, मैं अपने आपको खुशनसीब समझता हूं कि आजादी की पचासवीं सालगिरह मनाने के सिलसिले में संसद का जो विशेष सैशन हो रहा है, उसमें मुझे बोलने का मौका मिला है। इसके लिए जिन लोगों ने मुझे चुनकर यहां भेजा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ ही साथ जिन महापुरुषों ने कुर्बानियां दीं और हमें आजादी दिलाई, जो अब इस दुनिया में हैं और जो स्वर्ग में चले गए हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं और उनकी याद अपने मन में बिठाता हूं। आज का सत्र इसलिए तलब किया गया है कि हम यह देखें कि हमने क्या-क्या पाया और क्या-क्या खोया। चाहिए तो यह था कि जो कुछ हमने पाया उसको हम यहां बताएं और जो हमने खोया उसके लिए मुखालिफ पार्टियां और रूलिंग पार्टी सबके सदस्य तजवीजें देते कि हमने जो खोया उसको कैसे पा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर हम पूरे नहीं उतरे। हमारे साथियों ने और कई दूसरी बातों को यहां रखने का काम किया, जिसका क्या औचित्य है, यह मैं नहीं समझ पाया। ये बातें आज के मौके के मुताबिक मुनासिब नहीं थीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमें आजादी मिली तो जो पचास-साठ साल की उम्र के लोग हैं, जो यहां मौजूद हैं, वे जानते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। आज शहरों में, गांवों में और कस्बों में जो लोग अन्य लोगों का हौंसला तोड़ते हैं, नकारात्मक रुख अख्तियार करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब घोटाला है, कोई तरक्की नहीं हुई, मैं समझता हूं कि जो 50, 60 या 70 साल की उम्र के लोग हैं वे जरा अपने दिल पर हाथ रखें और बताएं कि उनके गांव की, उनके कस्बों की, उनके शहरों की क्या हालत थी। जब हमें आजादी मिली तो कितनी बदहाली में हम लोग थे। मैं अपने इलाके की बात बताता हूं। जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई जिला-स्तर का हाई-स्कूल नहीं था और परीक्षा का केन्द्र दूसरे स्टेट में था। यह बात तब की है जब दसवीं की परीक्षा देने के लिए हम गये थे। आज पंजाब और हरियाणा ने यह दावा किया है कि उनके हरेक गांव में सड़कें और बिजली है और उनके यहां स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी है। आज क्या तरक्की नहीं हुई है। जो अचीवमेंट्स हमने आज की हैं क्या उन्हें बताना हमारा फर्ज नहीं है। क्या यह बताना हमारा फर्ज नहीं बनता है कि कांग्रेस के झंडे तले ही आजादी की लड़ाई लड़ी गयी। इसका क्रैडिट क्या कांग्रेस को नहीं जाता है। मैं यह नहीं कहता कि जो लोग यहां बैठे हुए हैं वे इसमें शामिल नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना आजाद किस पार्टी के थे। क्या वे कांग्रेस के नहीं थे। जिन्होंने पांच साला प्लान बनाया, जिससे बड़े-बड़े कारखाने और डैम बने। क्या वे कांग्रेस के नहीं थे। जब ये डैम बने तो पूरे हिन्दुस्तानियों ने कहा कि नेहरू जी की पॉलिसी बहुत अच्छी है। नेहरू जी ने जब नॉन-एलाइनमेंट का मूवमेंट चलाया तो क्या हिन्दुस्तानियों ने उसे एप्रीशियेट नहीं किया था। लेकिन क्या कोई ऐसी पार्टी जिसकी उम्र ही 15 साल है उसको क्या पता कि इन 50 सालों में क्या-क्या हुआ। वह तो 15 साल की बात ही कर सकती है। 18 बार जिसने अपना नाम बदल दिया, वह केवल 15 साल की बात ही कर सकती है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक नेशनल-डे है और हमें पार्टी से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। नेहरू जी ने जो पांच सालाना काम किये, नॉन-एलाइनमेंट का प्लॉन बनाया, उसे हमें बताना चाहिए था। इंदिरा जी ने किस तरह से राजा-महाराजाओं के भत्ते खत्म किये और सरदार पटेल ने किस तरह से 500 रियासतों को एक कलम से हिन्दुस्तान में मिला दिया, यह हमें बताना चाहिए था। लेकिन आज हम सब भूल गये और आज हम कहते हैं, स्कैंडल-स्कैंडल। कौन पार्टी है जो स्कैंडल से बाहर है। यह स्कैंडल हराम की पैदावार है। आज जैसा बर्ताव किया जा रहा है सख्ती से निपटा जा रहा है तो मैं समझता हूं कि ये स्कैंडल खुद समाप्त होंगे। हमें स्कैंडल के खिलाफ और क्रिमनल्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात पर एतराज हुआ। अपनी तकरीर में कहने लगे कि आगे क्रिमनल हो तो मजबूरी में आगे क्रिमनल रखा जाता है, खड़ा किया जाता है। ...*(व्यवधान)* आप रिकार्ड देखकर कल बात कर लें। ...*(व्यवधान)* यह अल्फाज मुझे उनके अच्छे नहीं लगे। कल रिकार्ड निकालकर यहां देख लीजिए। अगर मेरी बात झूठी होगी तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा और अगर मेरी बात सच्ची होगी तो यह आपको मानना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): मेरा कहना यह है कि यह अपने भाषण में सच बात नहीं कह रहे हैं।

श्री मंगत राम शर्मा: उनके मुंह से यह अल्फाज मुझे अच्छे नहीं लगे। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, तभी से गरीब लोगो को कर्ज

मिलना आरम्भ हुआ। जब लैंड-रिफोर्म हुए, तभी हरिजनों को जमीन मिलनी शुरू हुई। कांग्रेस ने ये सारे काम किए। आज कांशी राम हरिजनों के वारिस बनते हैं। छुआछूत मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी है। क्या यह बात हम भूल सकते हैं। क्या आप इस तरक्की में हिस्सेदार नहीं हैं। आज कहते हैं कि ये खा गये, वे खा गये। जहां आपका प्रदेश है, जहां आपकी हुकूमतें हैं वहां कौन सा राम-राज्य आपने खड़ा कर दिया। क्या वहां गड़बड़ी और हेराफेरी नहीं है। आप राम राज्य का कोई नमूना बताएं, राम-राज्य किस स्टेट में है? इस तरीके से इसका जायजा लेना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमें सोचना चाहिए पार्टी लेवल से ऊपर उठकर कि जो खामियां समाज में पैदा हुई हैं, जो गरीबी पिछड़े इलाकों में बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों को जो हौसला देना है, औरतों के लिए जो मुराद देनी है, माइनौरिटीज, बैकवर्ड, शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों को सहायता देनी है तो वह हिन्दू मेजोरिटी के तबके का फर्ज है कि जो माइनोरिटीज हैं उनको गले से लगाएं, उनको एतमाद दें, उनको साथ चलाएं। आखिर में जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी है कि घर के अफराद को चलाए, कोई गलती करता है तो उसको समझाए। यह नहीं कि घर के अफराद पर शक करके घर को कमजोर करे। मैं भी हिन्दू तबके से ताल्लुक रखता हूं। मैं अपील करता हूं कि जब तक हिन्दू समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालेगा, माइनौरिटीज के साथ इंसाफ नहीं करेगा, ट्राइबल्स और शैड्यूल्ड कास्ट्स तथा शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के साथ इंसाफ नहीं करेगा तो इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। हमें सोचना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिससे मुल्क मजबूत हो।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की रियासत पर पाकिस्तान ने तीन बार हमले किये। यह हिन्दुस्तान का हिस्सा है। हिन्दुस्तान का हिस्सा होते हुए भी बहुत तरक्की हमारी रियासत ने की है। पाकिस्तान ने बहुत नुकसान हमें पहुंचाया, फिर भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। यहां जो छः-सात साल में नुकसान हुआ है, अभी दो प्राइम मिनिस्टर्स ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हम कार्रवाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई की वहां सिवा रेलवे लाइन की नींव का पत्थर रखने के? न आपने जम्मू को बी क्लास सिटी का दर्जा दिया न वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई, न पुंछ और रजौरी को ट्राइबल का दर्जा दिया और न अनइंप्लायमेंट को दूर करने के लिए कदम उठाए। 1947 में पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों तथा छम्ब से आए हुए रिफ्यूजियों की फाइलें अभी तक पेण्डिंग पड़ी हैं। मैं आज इस मौके पर अपील करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की रियासत जो पाकिस्तान ने उजाड़कर रख दी है, उसकी मदद सेन्टर करे और जिस तरह से पंजाब के हालात को मद्देनजर रखते हुए सेन्टर ने जो कर्जे माफ किये, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह से कर्जे माफ किये जाने चाहिए ताकि यह रियासत आगे बढ़े। हमारे दोस्त कहते हैं कि 370 को हटाओ। फारुख अब्दुल्ला कहते हैं कि पूरी इकोनौमी मुझे दे दो। अभी इसका वक्त नहीं है। आज हमें सबसे पहले पाकिस्तान का मुकाबला करना है, इस देश में अमन पैदा करना है और जब वहां हालात अच्छे हों, फिर हम बात करेंगे। मैं समझता हूं कि इसी में हिन्दुस्तान का भला है, इसी में रियासत का भला है।

इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आजादी में जो शहीद हुए, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कहता हूं कि नेशनल इश्यूज पर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मिलकर हमें सोचना चाहिए, मैं उनकी ताईद करता हूं कि इलेक्टोरल रेफार्म्स होने चाहिएं, गवर्नमेंट फंडिंग होनी चाहिए और हर पार्टी को अपने दल में अपराधियों को दूर रखना चाहिए। इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदय: हमारी सूची में इक्कीस सदस्य और हैं। मैं समझता हूं सारी रात इंतजार करने के पश्चात् सभी सदस्यों को सदन में बोलने का मौका मिल जायेगा। यद्यपि यहां समय की बाधा है और विभिन्न दलों द्वारा कल के लिए अलग-अलग सूचियां प्रस्तुत कर दी गई हैं, तो भी सदन में आज उपस्थित सभी बारह सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया जायेगा। मैंने एक सूची तैयार की है जिसमें सदन में उपस्थिन सभी सदस्य भी सम्मिलित हैं। मुझे वह सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं किन्तु कम से कम पांच मिनट का समय सदन में आज उपस्थित प्रत्येक सदस्य को दिया जायेगा। पूर्वाह्न 5.40 बजे ही चुके हैं और यदि अब इसके बाद और अधिक बैठे तो हम अपने अधिकारियों और स्टाफ पर बोझ हो जायेंगे और उन्हें थका देंगे।

अब सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रातः 05.39 बजे (29.8.97)

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।